(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक–2] नवम् विधान सभा के द्वितीय सत्र का चौदहवां दिवस [संख्या–9

सोमवार,

दिनांक 9 जुलाई, 1990

विधान सभा की बैठक पूर्वाह्न 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : श्री नारायणलाल मीणा।

वन श्रमिक सहकारी समिति लि. मुंगाणा

213. श्री नारायण लाल मीणा (लसाड़िया) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वन श्रमिक सहकारी समिति लि. मुंगाणा का गठन कब हुआ और इसके कुल कितने सदस्य हैं तथा इनकी अमानत जमा पूंजी कितनी है ?

(2) उक्त समिति ने कब से कब तक अपना कारोबार किया और उसमें कितना लाभ हुआ तथा लाभ की राशि कहां जमा है?

(3) उक्त समिति के पास कितनी और क्या-क्या चल व अचल सम्पत्ति है ? अचल सम्पत्ति कहां और किसके उपयोग में आ रही है ?

(4) क्या यह सही है कि उक्त समिति के कोयला के 7 ट्रक स्टाफ को सन् 1982-83 में व्यवस्थापक श्री शंभुलाल सरपंच मुंगाणा ने बेच दिया ? यदि हां, तो उसकी कुल कितनी राशि प्राप्त हुई और क्या यह राशि समिति में जमा ? है

(5) उक्त कोयला किस जंगल को कटवाकर तैयार किया गया था ? क्या वह विभाग के स्टाफ रजिस्टर में पूर्व से ही दर्ज था ? यदि नहीं, तो फिर उनको बिना किसी आधार के एक साथ 7 ट्रक याने करीब 500 क्विंटल कोयले की टी. पी. कैसे मिल गई ?

(6) उक्त समिति के लाभांश एवं जमा राशि का वितरण सदस्यों को करने के बारे में सरकार क्या विचार कर रही है ?

(7) क्या यह सही है कि उक्त कोयला सरपंच श्री शंभुलाल ग्राम पंचायत मुंगाणा मोजा मुंगाणा ने मोजा बोरदा की चारागाह की भूमि पर से बिना किसी कानूनी प्रक्रिया को पूरी किये 6 हरे वृक्ष कटवा कर

(श्री नारायणलाल मीणा)

तैयार किया गया था, जिसकी शिकायत पर वर्ष 1978-79 में धरियावद तहसीलदार श्री बिहारीदान ने जांच कर मुंगाणा सरपंच को लाखों रुपये के चारागाह की भूमि पर से हरे वृक्ष काट कर उसके कोयले बनाने का दोषी माना ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त समिति में हुए घपले की किसी निष्पक्ष अधिकारी द्वारा जांच कराने का विचार रखती है ?

श्री अध्यक्ष : वन मंत्री जी ।

वन राज्य मन्त्री (श्री जीवराम कटारा) : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न सहकारिता से सम्बन्धित है और सहकारिता विभाग को स्थानान्तरित करके जानकारी लाने के लिए लिखा है । दूसरा प्रश्न वन विभाग से है वो भी सहकारिता विभाग से है तो उनका उत्तर आ नहीं सका ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपने यह सवाल देखा । देखिये, यह सहकारिता का है । इसको स्थगित करते हैं ।

(प्रश्न स्थगित किया गया)

श्री अध्यक्ष : श्री हरीश भामनानी ।

आयुर्वेद निदेशक का पद

214. श्री हरीश भामनानी (अजमेर पश्चिम) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) आयुर्वेद निदेशालय में निदेशक का पद कब से रिक्त पड़ा है व कब तक उक्त पद पर नियुक्ति कर दी जायेगी ?

(2) क्या यह सही है कि अजमेर स्थित लौगिया अस्पताल भवन पूर्णतः क्षतिग्रस्त अवस्था में है और किसी भी समय धराशायी हो सकता है ? यदि हां, तो रोगियों की सुरक्षा हेतु क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

(3) उक्त अस्पताल में वर्ष 1988-89, 1989-90 मार्च तक कितने अन्तरंग रोगी उपचार हेतु भर्ती हुये ?

स्वायत शासन मन्त्री (श्री भंवर लाल शर्मा) :

(1) आयुर्वेद विभाग में निदेशक का पद दिनांक 1 सितम्बर 1988 से रिक्त है। इस पद पर नियुक्ति के आदेश यथाशीघ्र प्रसारित कर दिये जावेंगे ।

(2) जी हां ।

मरीजों की सुरक्षा की दृष्टि में रखते हुए वर्षा ऋतु में अन्तरंग रोगियों को भर्ती करना बन्द कर दिया गया है तथा औषधालय चालू है ।

(3) वांछित सूचना निम्नानुसार हैं :–

वर्ष	नवीन प्रविष्ट रोगी	पुरातन रोगी	योग
1988-89	1214	12996	14210
1989-90	1053	10002	11055

श्री हरीश भामनानी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से जानकारी लेना चाहूंगा कि आयुर्वेदिक विभाग के निदेशक का पद इतने समय तक रिक्त रहने का कारण क्या है ? दूसरा डी. पी.सी के बैठने के बाद 16-2-1990 में डी.पी.सी.

(श्री हरीश भामनानी)

ने निर्णय भी दिया है उसके बाद भी उसकी क्रियान्विति नहीं हुई है, इसके पीछे का कारण क्या है ? और यह निर्णय कब होगा, इसको स्पष्ट करें।

मंत्री महोदय यह भी बताने की कृपा करें कि इस भवन के संबंध में जो चर्चा की है। यह भवन 100 साल से अधिक का पुराना है और गत 10 वर्ष से इस पर न तो कभी रिपेयर हुई है और न कभी व्हाइट वाश हुई है। इस भवन की जो बाउण्ड्री है वह लगभग टूट गई है और इसके टूटने के कारण से बरसात में, इस बरसात में भी पानी और कीचड़ के कारण से वहां भवन में जितने कमरे हैं उन सब कमरों में वर्तमान में भी 1/2 फुट से 3/4 फुट तक मलवा भरा पड़ा है।

यह भी सत्य है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग ने उस भवन की स्थिति को देखते हुये, उनकी टूटी हुई पट्टियों को देखते हुए यह घोषित किया है कि यह भवन कभी भी ध्वस्त हो सकता है, गिर सकता है इसलिए इस भवन को काम में न लिया जाय।

मैं यह जानकारी लेना चाहता हूं कि क्या अजमेर के महत्व को देखते हुए आयुर्वेदिक विभाग अनुसंधान केन्द्र जमीन की उपलब्धता के बाद में वहां खोलने का विचार सरकार रखती है ?

श्री अध्यक्ष : मन्त्री जी।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक निदेशक के चयन का सवाल है, यह पद श्री नरहरि शास्त्री, जो उस समय निदेशक थे, उनके सेवा निवृत्त होने के कारण 31-8-88 को रिक्त हुआ था। 2 साल से रिक्त है यह। उनके चयन के लिये जो प्रक्रिया उसके लिए 5 व्यक्तियों को वरिष्ठता के आधार पर डी. पी. सी. करके नियुक्त करना था। इसी बीच में श्री रामनिवास जोशी जो उप निदेशक हैं, उन्होंने जब उनका नाम 5 में नहीं आया, वे छठे नम्बर पर थे, उन्होंने उच्च न्यायालय में जाकर एक यह आदेश प्राप्त किया कि उनका नाम भी उस चयन के समय वरिष्ठता सूची में जोड़ दिया जाय।

जब इसके ऊपर डी. पी. सी. की मीटिंग हुई उसके बाद, उसमें आर. पी. एस. सी. के चेयरमैन भी उसके मेम्बर होते हैं। या तो वे स्वयं आते हैं या वे अपने अधिकृत व्यक्ति को इसमें भेजते हैं। तो इनकी 2 बैठकें हुई 1988 और 89 में। उस समय चेयरमैन पी. एस. सी. थे उन्होंने यह आपत्ति की कि एक पद के लिए 5 से अधिक नाम देने का प्रावधान नहीं है लेकिन अब यह छठा नाम आता है इसलिए जब तक उच्च न्यायालय का निर्णय न हो तब तक इसका चयन न किया जाय। उसके उपरान्त भी फिर विभाग ने उस आदेश में जो व्यवस्था की वो यह थी कि चयन करने के बाद उसका निर्णय अंतिम निर्णय है। हाईकोर्ट के निर्णय के आधार पर क्रियान्विति की जायेगी। इसके बाद विभाग ने चयन समिति गठित की और उसमें चयन की प्रक्रिया 16-2 को पूरी हुई है और अब उसमें कार्यवाही जल्दी करने का, मैं समझता हूं कि बहुत जल्दी तय हो जायेगा। किसी न किसी की नियुक्ति हो जायेगी।

श्री हरीश भामनानी : तो डी. पी. सी. ने निर्णय दिया है 6 महिने के बाद

(4)

(श्री हरीश भामनानी)

इसकी अवधि 15 अगस्त के बाद में यह समाप्त हो जायेगी ।

श्री भंवरलाल शर्मा : नहीं, नहीं, उसके पहले हो जायेगी ।

श्री हरीश भामनानी : इससे पहले हो जायेगी ?

श्री भंवरलाल शर्मा : बिल्कुल ।

जहां तक इस अस्पताल का सवाल है उसके भवन का सवाल है, यह लौगिया आयुर्वेदिक अस्पताल के नाम से अजमेर में ही है । यह भवन नगरपालिका का भवन है और यहां 1974 से औषधालय चल रहा है । 1983 में नगरपालिका से एक अनुबंध किया गया । एक रुपया मात्र इसका किराया देते हैं, नगरपालिका को । उसमें यह शर्त थी कि कभी इसमें मरम्मत का काम होगा, कोई और विकास का काम करेंगे तो यह आयुर्वेदिक विभाग करेगा, नगरपालिका नहीं । उसके बाद कई बार धन का अभाव रहा और इसकी कोशिश लगातार चलती रही । यहां तक कि मुख्य-मंत्री उस समय जो श्रीमान शिवचरण जी माथुर थे उनके कक्ष में भी इस भवन को लेकर एक मीटिंग हुई और उस समय तय किया गया कि इसकी मरम्मत जब तक नहीं हो तब तक क्षय रोग का जो हास्पिटल है, टी. बी. का हास्पिटल अजमेर में है वहां पर इसको स्थानान्तरित कर दिया जाय । इनकी यह मीटिंग सितम्बर 1989 में हुई है । उस समय श्री शिवचरण जी माथुर इसके चेयरमैन थे । उनके कक्ष में मीटिंग हुई उसकी अनुपालना में इसके जो सचिव हैं उन्होंने पत्र लिखा डिपार्टमेंट को कि खाली करके इनको दिया जाय । लेकिन वो नहीं हो सका और अभी भी उसकी स्थिति जैसा माननीय सदस्य वर्णन कर रहे हैं वैसी ही है । उसका कुछ हिस्सा जरूर ठीक है । अभी फिलहाल जो इनडोर पेशेंट्स हैं, वहां कुछ तो भर्ती हैं लेकिन बाकी जो रोगी बाहर के आते हैं उनका तो इलाज होता है लेकिन वो व्यवस्था न होने से अब भर्ती बन्द कर दी गई है । वहां ट्रेनिंग भी होती है नर्सेज की वो भी वहां पर चालू है । लेकिन कुछ स्थान सुरक्षित नहीं होने के कारण, विशेषतौर से इण्डौर पेशेन्ट्स हो सकते हैं वह अभी सुरक्षित नहीं हैं और जैसा आपने कहा है कि निर्माण विभाग ने यह निर्देश दिया है इसलिये उसको काम में नहीं लिया जा रहा है । इसके लिये अभी बी. एफ. सी. की मीटिंग हुई थी, उसमें विभाग ने 5 लाख रुपये का प्रोविजन रखा है, इसकी मरम्मत करवाकर इसको चालू करवा दिया जायेगा । बी. एफ. सी. ने इसको स्वीकार किया है लेकिन वह आगे की जो प्रक्रिया है उसके बाद में यह पैसा मिलेगा उसकी मरम्मत करवा कर चालू कर दिया जायेगा या फिर उसको स्थानान्तरित करने की कोशिश की जायेगी और यह चालू होगा ।

श्री हरीश भामनानी : मैंने एक प्रश्न किया था कि अजमेर के महत्व को देखते हुए वहां पर अनुसंधान केन्द्र खोलने का क्या सरकार विचार कर रही है ?

श्री भंवरलाल शर्मा : वह प्रश्न इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : श्री किशनगोपाल कोगटा। आपको बुलवा रहा हूं, पूछिये ना।

श्री किशन गोपाल कोगटा (मसूदा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि अजमेर जिले में कितने औषधालय हैं और कितनों में वैद्यों की नियुक्ति की हुई है ?

श्री अध्यक्ष : विराजिये, वह इससे सम्बन्धित नहीं है।

श्री किशन गोपाल कोगटा : जिले का है।

श्री भंवरलाल शर्मा : अभी आप प्रश्न काल के बाद में मिल लेना बता दूंगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री जगतसिंह दायमा।

अलवर जिले में शराब की दुकानें

215. श्री जगतसिंह दायमा (बानसूर) : क्या आवकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) अलवर शहर, तिजारा, बानसूर व खैरथल में कहां-कहां पर कितनी-कितनी शराब की दुकानें हैं ?

(2) सार्वजनिक स्थानों से उक्त दुकानें कितनी-कितनी दूरी पर हैं ?

(3) क्या सरकार को जानकारी है कि उक्त दुकानों के अतिरिक्त भी अनाधिकृत रूप से ठेकेदारों ने बिना स्वीकृति के दुकानें लगा रखी हैं ? यदि हां, तो इसके लिये कौन अधिकारी जिम्मेदार है ? सरकार ऐसी दुकानें कब तक बन्द करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

आबकारी मंत्री (श्रीमती विद्या पाठक) : (1) अलवर शहर, तिजारा, बानसूर व खैरथल में मदिरा की दुकानों की सूची परिशिष्ट "क" में संलग्न है।

(2) सार्वजनिक स्थानों से उक्त मदिरा की दुकानों की दूरी सम्बन्धी सूची परिशिष्ट "ख" में संलग्न है।

(3) उक्त दुकानों के अतिरिक्त अलवर में कम्पोजिट मीट प्लान्ट, फैक्टरी एवं बानसूर में बानसूर-नारायणपुर रोड पर बाढ़ ढेगवास में अनाधिकृत रूप से एक एक दुकान लगी होने की शिकायत प्राप्त हुई थी। दोनों शिकायतों की जांच कराई जाने पर उक्त स्थानों पर कोई अनाधिकृत दुकान लगी हुई नहीं पाई गई। अतः अधिकारी को जिम्मेदारी निर्धारित करने या दुकान बन्द कराने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 1 देखें।)

श्री जगतसिंह दायमा : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं माननीय मन्त्री महोदया को यह सूचना दूं कि यह जो लिस्ट आपने दी है शराब की दुकानों की उसमें मुख्य दुकानें वह तो हैं ही, परन्तु कम से कम ऐसे क्षेत्रों में सैंकड़ों दुकानें अनाधिकृत रूप से खोल रखी है और यह सूचना जिन अधिकारियों ने आपको दी है अगर वह गलत हैं तो उनके खिलाफ आप क्या कार्यवाही करेंगी ? नम्बर एक।

दूसरा, सार्वजनिक स्थान की परिभाषा आप क्या मानती हैं और उनसे कितनी दूरी आपने तय कर रखी हैं उतनी दूरी में तो शराब की दुकानें होनी ही नहीं चाहिये ?

(श्री जगतसिंह दायमा)

तीसरा, मेरा प्रश्न यह है कि जो यह दूरी आपने बतायी है अलवर शहर की या बानसूर में स्थित दुकानों की यह भी दूरी अगर गलत हो तो उसके लिये अधिकारियों के खिलाफ आप क्या एक्शन लेंगी ? यहसारी दूरियां मनगढ़न्त हैं। बानसूर में जो दुकान बताई है वह पंचायत समिति से सिर्फ 10 मीटर की दूरी पर है, रोड़ क्रोस करके इस पार वह है और उस पार यह है और जो अलवर में आपने दुकान बतायी है भगतसिंह के चौराहे पर यह भी इससे केवल 10-20 फीट की जो रोड़ के बीच में है उधर स्कूल और इधर शराब की दुकान है। मैं दावे के साथ औथ लेकर विधान सभा में बता सकता हूं कि गांव-गांव में इन ठेकेदारों ने शराब की दूकानें अनाधिकृत रूप से खोल रखी हैं। आप मेरे इन सवालों का जवाब दें।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने एक प्रश्न तो यह पूछा कि सार्वजनिक स्थानों की परिभाषा क्या है ? एक इन्होंने यह भी पूछा कि दूरी कितनी-कितनी दूर-दूर है तथा परिभाषा के अनुसार दूरी कितनी होनी चाहिये। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहती हूं कि अस्पताल, शिक्षण संस्थाओं, कॉलेज, शिक्षण संस्थाओं, धार्मिक स्थल, और पब्लिक एन्टरटेन्मेन्ट प्लेस है, और पब्लिक रिसोर्टस है, जैसे पार्क है या इस तरह के कोई भी सार्वजनिक स्थान हो उससे 500 मीटर की दूरी में कोई दुकान नहीं खोली जा सकती है और 1 लाख से ऊपर वाली आबादी वाली जगह पर यह नियम लागू नहीं होता है।

दूसरा, आपने पूछा कि नेशनल हाइवे जैसा आपने बताया है, नेशनल हाइवे से मिडल आफ दी रोड़ से सेन्टर आफ दी रोड़ से डेढ़ सौ मीटर तक की दूरी तक कोई शराब की दुकान नहीं होने का नियम है, स्टेट हाइवे से 100 मीटर तक कोई इस तरह की दुकान खोली नहीं जा सकती है इसके कन्ट्राविन्शन में इसके विपरीत यदि कोई भी दुकान खुली हुई हो तो माननीय सदस्य मुझे उसकी जानकारी दे दें, उस पर हम निश्चित रूप से कार्यवाही करेंगे।

श्री जगतसिंह दायमा : अध्यक्ष महोदय, मैं फिर इस कवेश्चन को दोहराऊं, हर गांव में आपने और आपके विभाग ने, मैं तो आपके ऊपर डाइरेक्ट इसलिये आरोप लगाना चाहता हूं कि आपका विभाग है, आप चाहे तो बानसूर की लिस्ट मैं आपको दे दूं कौन-कौन से आदमी हैं जिन्होंने दुकानें खोल रखी है और शराब बेची जाती है, इसकी भी सैंकड़ों दुकानें हर होटल में एक तरह से पार्ट के रूप में खुली हुई है। मैं आपको अपने ही बानसूर क्षेत्र का उदाहरण दूं—पंचायत समिति और बस स्टेण्ड के बिल्कुल 10 मीटर दूरी पर दुकान खुली हुई हैं आप चाहें तो इसकी जांच करा लें, रामपुर कस्बे में जिसमें कोई दुकान अधिकृत रूप से नहीं है, माननीय मन्त्री महोदया वहां पर आप दिखा लीजिये बस स्टेण्ड के ऊपर दुकानें धड़ल्ले से चल रही है, हमीरपुर, हरसौर, आप कहें तो नाम बता दूं, हमीरपुर में किशोर मीणा ने दुकान खोल रखी है, जगदीश मीणा ने दुकान खोल रखी है, दांतली पहाड़ी पर दुकान खुली हुई है, आगे रामपुर में ननचौ माली के लड़के ने खोल रखी है, कराड़ा में एक रैगर ने खोल रखी है। कितने ही ऐसे गांव हैं जहां पर यह दुकानें चल रही हैं

(श्री जगत सिंह दायमा)

और आप इनके लिये क्या प्रबन्ध करेंगी, हम अगर शिकायतें करें तो क्या आप बन्द करायेंगी ?

श्री अध्यक्ष : श्री कालीचरण सराफ।

श्री कालीचरण सराफ (जौहरी बाजार) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो मन्त्री महोदया से यह जानकारी चाहूंगा कि 1 लाख से ऊपर की आबादी के शहर हैं उनमें शराब की दुकानें खोलने के क्या नियम हैं विभाग के ? क्योंकि मैं इसलिये पूछ रहा हूं कि जयपुर शहर में मन्दिर, मस्जिद, पार्क, स्कूल, कॉलेज यानी सैंकड़ों इस तरह की चीजें हैं जिनके पास में दुकानें खुली हुई हैं, लोग-बाग कई बार इसके लिये आन्दोलन भी कर चुके हैं. मालवीय नगर और जवाहर नगर का उदाहरण देता हूं कि शोपिंग सेन्टर में दुकानें हैं, तो उनके बारे में सरकार क्या सोचती है ? यह बताने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष : श्री चुन्नीलाल इन्दलिया।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) : अध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत मन्त्री महोदय से जानकारी चाहता हूं कि क्या यह सही है कि पूर्व में, जनता पार्टी के राज में राज्य में शराब बन्दी की गयी थी उसी तरह से क्या राज्य सरकार का इरादा राजस्थान में शराब बन्दी करने के मसले पर अपने मन्त्री मण्डल में विस्तार से कोई बात की है ? यदि हां, तो राज्य में कब तक शराब बन्दी कर दी जायेगी ?

श्री अध्यक्ष : श्री हीरासिंह चौहान।

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय मन्त्री महोदया ने उत्तर दिया उसके अनुसार आबकारी विभाग में कहीं नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। मैं माननीय मन्त्री महोदया की जानकारी के लिये निवेदन करना चाहता हूं कि सैंदड़ा गांव में जहां पर हाइवे पर भी है, स्कूल भी है, सभी प्रकार की सारी स्थितियां हैं, पंचायत समिति में 20 मीटर की दूरी पर, नेशनल हाइवे पर 10 फलांग की दूरी पर, 10 कदम की दूरी पर दुकानें चल रही हैं, इसी प्रकार रायपुर कस्बे में बस स्टेण्ड के बिल्कुल रोड़ से जुड़ी हुई, हर कस्बे में जहां पर सीनियर हायर सैकण्ड्री स्कूल है, नगरपालिका है, सारे ही स्थानों पर जिस प्रकार के आपके नियम हैं और सीमा बता रही हैं उन सीमाओं में चल रही हैं और इससे भी अधिकतर....

श्री अध्यक्ष : आप सवाल कर रहे हैं ?

श्री हीरासिंह चौहान : मैं सवाल ही कर रहा हूं....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य आप सवाल करिये।

श्री हीरासिंह चौहान : जानकारी देने के लिये....

श्री अध्यक्ष : जानकारी अलग से दीजिये, यहां सवाल करिये।

श्री हीरासिंह चौहान : अध्यक्ष महोदय, यह देशी शराब की ब्रांच के उप ठेके के क्या नियम हैं, क्या जितने भी ठेकेदार हैं, ठेका देते समय राजस्व गांव या पिछले

(श्री हीरासिंह चौहान)

दिनों में मेरे ही निर्वाचन क्षेत्र कालदखुर्द में जबर्दस्ती आबकारी दल गया उस गांव में। दस गांवों में जहां पर देशी शराब जहां पर लिया ही नहीं करते हैं रायपुर ठेके से और न शराब का सेवन करते हैं फिर भी जबर्दस्ती वहां पर ब्रान्चें खोली जाती हैं। ब्रांचें खोलकर के पिछले दिनों में रायपुर थाने में एक मुकदमा बनाया, जिसमें मैंने माननीय मन्त्री महोदया को सारे कागजात भी दिये हैं। 147, 148 और 353 आबकारी दल ने दर्ज कराया। जिस प्रकार देशी ठेकेदार अपना अधिकार समझते हैं कि हर एक गांव में दुकान खुलनी चाहिये। मेरा सवाल यह है कि क्या सरकार इसके नियमों में परिवर्तन करेगी ? जो रिपोर्ट अधिकारी लोग देते हैं वह बिल्कुल गलत है।

श्री अध्यक्ष : श्री किशनाराम।

श्री किशनाराम नाई (डूंगरगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र डूंगरगढ़ में शराब की दो दुकानें चल रही है। वहां एक बाल भारती संस्था है वह बहुत बड़ी संस्था है उससे करीब दस फीट की दूरी पर है। वहीं हमारी मस्जिद है, जो नियम के विपरीत है। इस विषय में हमने विभाग को बार बार लिखा है। जिन्होंने शिकायत की है वह अभी आमरण अनशन के लिये भी बैठ रहे हैं। इस पर क्या प्रतिक्रिया हुई है और आगे क्या कार्यवाही हो रही है ? इसके बारे में हमें बताया जाये।

श्री अध्यक्ष : श्री लालचन्द डूडी।

श्री लालचन्द डूडी (भादरा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदया से पूछना चाहता हूं कि क्या आपको यह मालूम है कि जो शराब की अधिकृत दुकानें हैं जिन गांवों में, जिन पंचायतों में, उनके अलावा भी गाँव के अन्दर ठेके की शराब बिक रही है। उसको डिपार्टमेंट प्रोटेक्ट कर रहा है।

दूसरा, मैं यह पूछना चाहता हूं कि इस तरह की अधिकृत शराब जो बिक रही है, उस शराब के ऊपर जब पंचायत अपना टैक्स लगाना चाहती है, म्युनिसिपैलिटी अपना टैक्स लगाना चाहती है तो क्योंकि अनधिकृत एरिया में बिना सूचना के बिक रही है। तो न तो उनसे म्युनिसिपैलिटी पूरा टैक्स ले सकती और न पंचायतें उनसे पूरा टैक्स ले सकती हैं। तो क्या कोई ऐसी आप की नीति है कि जहां से वह इश्यू हो, पर्टिकूलर जगह के लिये इश्यू हो उसका टैक्स उस पंचायत को या म्युनिसिपैलिटी को लगाने की वहीं से व्यवस्था हो जाये। ऐसा आपका कोई विचार है क्या ?

श्री अध्यक्ष : उजला जी।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदया से पूछना चाहूंगी कि क्या आपकी जानकारी में है कि जयपुर नगर में अवैध शराब की दुकानें चल रही हैं ? क्या उन्हें बन्द करने की कोशिश करेंगी ?

श्री अध्यक्ष : श्री मदन दिलावर।

श्री मदन दिलावर (अटरु) : माननीय अध्यक्षमहोदय, कोटा में एक शिक्षण संस्था है। जो कोटा जिले की सबसे बड़ी शिक्षण संस्था है। स्वामी विवेकानन्द स्कूल, उसके सामने शराब की दुकान चलती है। कई

(श्री मदन दिलावर)

बार शिकायत करने के बाद वहां के अधिकारियों ने कहा कि यह तो पंजीकृत नहीं है जबकि वह पंजीकृत है। उसके बिल्कुल सटी हुई 100 मीटर की दूरी पर वह दुकान चलती है।

श्री अध्यक्ष : सवाल क्या है आपका ?

श्री मदन दिलावर : मेरा सवाल यह है कि राजकोष की कीमत पर क्या जन-हानि या जन-जीवन को प्रताड़ित किया जायेगा ? इसका जवाब दिलाया जाये।

श्री अध्यक्ष : श्री ईश्वरलाल सैनी।

श्री ईश्वरलाल सैनी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत मन्त्री महोदया से सिर्फ यही पूछना चाहूंगा कि अलवर जयपुर मार्ग पर मेरी पंचायत समिति है। अलवर से 7 किलोमीटर पर है। वहां माध्यमिक विद्यालय भी है और कृषि विद्यालय भी है, बी. डी. ओ. का दफ्तर भी है, पंचायत समिति का दफ्तर भी है। इसी तरह से वहां कई दफ्तर हैं। कोई 10–15 मीटर की दूरी पर ही वहां शराब की दुकान चल रही है। मैं चाहूंगा क्या उसको बन्द करने की आप कोई व्यवस्था करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : श्री हेमराज।

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सवाल पूछना चाहूंगा कि किशनगंज शाहबाद ट्राइबल क्षेत्र है। वहां पर राज्य सरकार की ओर से मद्य निषेध है। उसको ड्राई एरिया घोषित कर रखा है। उसके बाद भी लगभग 100 दुकानें उस इलाके में चलती हैं। क्या माननीय मन्त्री महोदया उनको बन्द करवाने की कार्यवाही करेंगी ? या ऐसी कोई योजना है ?

श्री अध्यक्ष : श्री प्रकाश चन्द बैरवा।

श्री प्रकाश चन्द बैरवा (फागी) : माननीयअध्यक्ष जी, शिड्यूल्ड ट्राइब्स और शिड्यूल्ड कास्ट के मौहल्लों में शराब की दुकानें, जो राज्य सरकार द्वारा खोली जाती हैं तो क्या सरकार का उनको हटाने का इरादा है ?

दूसरा, मेरे विधान सभा क्षेत्र फागी में मैन बस स्टेण्ड के ऊपर, आबादी के बीच में देशी और अंग्रेजी दोनों ही शराब की दुकानें हैं। क्या वहां से हटाने का सरकार का इरादा है ?

श्री हेतराम बेनीवाल : माननीय अध्यक्ष जी, एक सवाल है।

श्री अध्यक्ष : आप भी पूछिये। पूछ लीजिए।

श्री हेतराम बेनीवाल (संगरिया) : माननीय मन्त्री महोदया ने जो बात कही है 500 मीटर की, मैं समझता हूं गंगानगर जिले में जितनी दुकानें शराब की हैं उनमें से एक भी दुकानऐसी नहीं है जो उस शर्त को पूरा करतीहो। मन्दिर मस्जिद या धर्म स्थान और हाइवे, इसलिए अगर सारी चीजों को लिया जाये तो क्या वह बताने की कृपा करेंगी कि कोई एक भी दुकान उनकी निगाह में ऐसी है जो इससे दूर है ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्री जी।

आबकारी मन्त्री (श्रीमती विद्या पाठक) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मूल प्रश्नकर्ता ने जो प्रश्न पूछा है अलवर के सम्बन्ध में। यह सही है कि दो शिकायतें प्रमुख रूप से अलवर क्षेत्र में प्राप्त हुई। अलवर शहर के कम्पोजिट प्लाण्ट के पास, शिकायतकर्ता कलक्टर अलवर थे। उन्होंने यह शिकायत की थी कि उपयुक्त स्थान पर दुकान नहीं है। अतिरिक्त आयुक्त ने भी इस तरह का पत्र भेजा था और जांच करने पर डिस्ट्रिक्ट एक्साइज आफिसर ने यह पाया कि यह शिकायत जो स्पेसिफिक दूरी होनी चाहिए उसके अनुसार सही है परन्तु फिर भी इसकी जांच की जा रही है।

दूसरी नारायणपुर की शिकायत, वह जिला मजिस्ट्रेट, कलक्टर ने की थी। उसकी जांच पर वहां अवैध रूप से चल रही दुकानों की लोकेशन का पता नहीं चला। अभी सभी माननीय सदस्यों ने एक चिन्ता व्यक्त की कि लोकेशन की जो स्पेसिफिकेशन है, उसकी पालना नहीं हो रही है। दूरी, मन्दिर वगैरह के पास है। तो मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगी कि मन्दिर मस्जिद इस तरह की संस्थाएं, जो रजिस्टर्ड संस्थाएं हैं, उनके नजदीक कहीं किसी प्रकार की शराब की दुकान नहीं होने का नियम है। इसी तरह कॉलेज एजूकेशन की कोई संस्था हो, उसके नजदीक दुकान नहीं होने का नियम है .. (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, स्कूल को शामिल किया जाये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैंने इतने लोगों को सवाल पूछने का मौका दिया। आप लोगों का पेट ही नहीं भरता तो उसका तो इलाज नहीं है। पूरी बात सुन तो लीजिए।

श्री जगतसिंह दायमा : उत्तर ही गलत है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्लीज सिट डाउन। पहले आप उनका जवाब पूरा सुन लीजिए।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो मन्दिर और प्लेसेज ऑफ वर्शिप की समी के अन्तर्गत रजिस्टर्ड संस्थाएं हैं, जिसकी सूची बनी हुई है उनके आस-पास इस तरह की मदिरा की कोई दुकान नहीं होनी चाहिए मगर कई स्थानों पर, मैं माननीय सदस्यों की भावना का आदर करते हुए कहना चाहती हूं यह बात सही है कि कई जगह से इस तरह की शिकायतें आ रही हैं उसकी जांच तो विभाग करायेगा ही परन्तु साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहती हूं कि एक पत्र लिख दिया गया है विभाग के डिस्ट्रिक्ट एक्साइज आफीसर्स को कि दो महिने में लोकेशन की प्रोपराइटी को देखते हुए उसकी रिपोर्ट एक्साइज कमिश्नर को भेजे जो मेरे तक भी आयेगी उसके बाद भी यदि कोई ऐसी दुकानें अनुपयुक्त स्थानों पर पाई गई तो फिर उसकी शिकायत पर निश्चित रूप से जांच होगी। यह सरकार अपनी तरफ से ही ऐसा प्रयास कर रही है जांच हो चुकने के बाद भी दो महिने के बाद यदि कोई ऐसी शिकायत प्राप्त होती है कि किसी अनुपयुक्त स्थान पर शराब की दुकानें हैं तो उसके लिये निश्चित रूप से कार्यवाही की जायेगी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष नेक्स्ट, श्री राजेन्द्र गहलोत।

मधुमक्खी पालन

216. **श्री राजेन्द्र गहलोत** (सरदारपुरा) : क्या खादी ग्रामोद्योग राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित संस्थाओं द्वारा मधुमक्खी पालन का कार्य किया जाता है ? यदि हां, तो इस प्रकार की कुल कितनी संस्थाएं हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रत्येक संस्था में कितने-कितने श्रमिक कुशल तथा अकुशल लगे हुए हैं तथा संस्था द्वारा इन श्रमिकों को कितनी-कितनी मजदूरी माहवार दी जाती है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) प्रत्येक संस्था प्रतिवर्ष कितना-कितना मधु का उत्पादन करती है, तथा उत्पादन को बेचने हेतु किस-किस स्थान पर व्यवस्था की हुई है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त संस्थाएं घाटे में चल रही हैं ? यदि हां, तो कौन-कौनसी संस्थाएं कितने-कितने घाटे में चल रही हैं ? गत पांच सालों का लाभ/हानि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मन्त्री, खादी ग्रामोद्योग (श्री मोहन मेघवाल) :

(1) जी नहीं। राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा वित्त पोषित संस्था/समितियों द्वारा राज्य में मधुमक्खी पालन का कार्य नहीं किया जाता है।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

(4) प्रश्न ही नहीं उठता।
(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री राजेन्द्र गहलोत।

श्री जगतसिंह दायमा : अध्यक्ष महोदय, मैंने....

श्री अध्यक्ष : यह सवाल दूसरा पूछ रहे हैं। किसी बात का अन्त होना चाहिए। यह प्रश्नकाल है। जब मन्त्री जी ने यह कह दिया कि दो महीने में पूरी जांच करवा लेंगे। ऐसी कोई दुकान अनाधिकृत, गलत जगह पर है उसको हटा देंगे उसके बाद में यदि कोई बाकी रह जाये तो उनके ध्यान में लायें। इससे ज्यादा जवाब सरकार नहीं दे सकती।

श्री जगतसिंह दायमा : जवाब गलत क्यों देते हैं ? माननीय मन्त्री जी से यह कहना है।

श्री अध्यक्ष : जवाब गलत देते हैं उसके बारे में अलग प्रक्रिया है। आपको लगता है कि गलत जवाब है....

श्री लालचन्द डूडी : जिला कलक्टर की रिपोर्ट आने के बावजूद भी....

श्री अध्यक्ष : डूडी जी आप बहुत सीनियर मेम्बर हैं। जवाब हो रहा है और बीच में बोलना शुरू कर दिया आपने।

श्री किशनाराम नाई : अध्यक्ष महोदय, पुरानी सरकार जैसा जवाब देती थी उसी तरीके से जवाब है।

(12)

श्री अध्यक्ष : उसके लिए अलग प्रक्रिया है। उसका प्रयोग करिये आप। बिराजिये आप। माननीय गहलोत।

श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा) : अध्यक्ष जी, क्या यह सत्य है कि बोर्ड के अन्दर मधुमक्खी पालन केन्द्र कार्य कर रहे हैं ?

2–यदि हां, तो इस प्रकार के कितने श्रमिक हैं। उनको कितनी मजदूरी का भुगतान हो रहा है ? केन्द्र कितने मधु शहद का उत्पादन करती है ? क्या यह नये केन्द्र खोलने का विचार कर रही है ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

श्री मोहन मेघवाल : खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित एवं वित्तपोषित संस्थायें, समितियों द्वारा व्यवस्थायिक रूप से मधुमक्खियों के पालन का कार्य नहीं किया जाता हैं। माउण्ट आबू खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा एक मधु मक्खी पालन केन्द्र चलाया जा रहा है इस केन्द्र द्वारा खरीद कर शुद्ध शहद की बिक्री के साथ-साथ मधु मक्खी पालन का प्रदर्शन किया जाता है। जिनके लिए बोर्ड के बजट से दो स्थाई कर्मचारी नियुक्त हैं जिनमें एक अप्रेन्टिस एवं एक फील्ड मैन नियुक्त किया है। केन्द्रों द्वारा बिक्री हेतु शुद्ध शहद की खरीद खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग सें ही की जाती है तथा स्थानीय रूप में भी शहद खरीद कर शुद्ध करके बेचा जाता है। खादी बोर्ड द्वारा शुद्ध शहद प्राप्त करने हेतु वन विभाग से वर्ष 1988-89, 1989-90 में ठेका लिया गया। ठेके के क्षेत्र से शुद्ध संग्रह स्थानीय आदिवासियों से कराया जाता है जिसके लिए शहद की मात्रा के आधार पर उनको भुगतान किया जाता है। केन्द्र प्रभारी की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1989-90 में लगभग 50 आदिवासियों को इस कार्य हेतु लगाया गया था जिनमें लगभग 25 रुपये प्रति किलो के शहद के संग्रह हेतु पारिश्रमिक दिया जाता है।

श्री राजेन्द्र गहलोत : माननीय अध्यक्ष जी, जो खादी बोर्ड द्वारा शहद मिल रहा है उसकी शुद्धता के लिए प्रमाणित की जाती है उसकी कोई रिपोर्ट है ? क्या वह शुद्ध किया गया है या शुद्ध नहीं किया गया है ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्री जी।

श्री मोहन मेघवाल : इसके लिए मैं अध्यक्ष महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि अभी तक तो कुछ नहीं किया है लेकिन आगे भविष्य में इसकी जांच कर ली जायेगी।

श्री अध्यक्ष : श्री हेमराज।

श्रीमती उजला अरोड़ा : शुद्ध करने की प्रक्रिया काम में लाई जाती है और अभी कह रहे हैं कि कुछ किया ही नहीं। गलत जवाब दे रहे हैं। अभी तो कहा था इन्होंने शुद्ध की प्रक्रिया करके करते हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय उजला जी बिराजें आप। नेक्स्ट।

अटरू (कोटा) में कारागृह भवन

217. श्री हेमराज मीणा (किशनगंज) : क्या कारागार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री हेमराज)

(1) क्या यह सही है कि कोटा जिले की अटरू तहसील मुख्यालय पर उप कारागृह भवन निर्माणाधीन है ? यदि हां, तो इसके निर्माण हेतु स्वीकृति कब दी गयी थी तथा इसमें कितनी राशि व्यय किया जाना प्रस्तावित था ?

(2) कारागृह भवन निर्माण हेतु ठेका किस ठेकेदार को दिया गया तथा उसे यह भवन कितने समय में निर्मित करना था ?

(3) क्या यह सही है कि अभी तक भी भवन निर्माण पूर्ण नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्या ? अब कब तक भवन निर्माण हो जायेगा ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्री जी।

राज्य मन्त्री, कारागृह (श्री जीवराज कटारा) : 1—जी हां। वर्ष 1985-86 में स्वीकृति दी गई थी। 25 लाख रुपये की राशि प्रस्तावित थी।

2—कारागृह भवन निर्माण का ठेका सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा मैसर्स आनन्द एन्टरप्राइजेज कोटा को दिया गया था। उसे निर्माण हेतु 2 साल का समय दिया गया।

3—जी हां। संविदाकार (ठेकेदार) द्वारा कार्य अधूरा छोड़ देने के कारण पूर्ण नहीं हुआ। भवन का निर्माण माह दिसम्बर, 1991 तक पूर्ण हो जाने की आशा है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री हेमराज : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से तीन सवाल पूछना चाहूंगा माननीय मन्त्री महोदय से। क्या ठेकेदारों को कारागृह भवन के लिए अग्रिम भुगतान किया गया है ? यदि किया गया है तो कितना। क्या अग्रिम भुगतान करने के बाद विभाग ने फर्जी समायोजन करके और राशि दिखाई है। काम न होने के बाद भी फर्जी भुगतान उठाया है और विभाग ने समायोजन दिखाया है।

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्री जी।

श्री जीवराज कटारा : ठेकेदारों को कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया गया है। उसको स्वीकृति दी गयी थी अग्रिम भुगतान नहीं किया गया है।

श्री हेमराज : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मन्त्री महोदय को जानकारी देना चाहता हूं कि उसका फर्जी भुगतान उठाया गया है। विभाग के अधिकारियों ने....

श्री अध्यक्ष : अलग से बता दीजिए। वह कह रहे हैं कि नहीं दिया गया है, वह कह रहे हैं कि दिया गया। उसका निर्णय क्या होगा। विराजिये आप। श्री हीरासिंह जी पूछिये आप।

श्री हेमराज : अध्यक्ष महोदय, जब फर्जी भुगतान उठाया गया है तो उसकी जाँच करने के आदेश देवें मन्त्री जी।

श्री अध्यक्ष : सरकार कह रही है दिया गया ही नहीं जांच किस बात की करेंगे। कह रहे हैं हमने दिया नहीं।

श्री हेमराज : सार्वजनिक निर्माण विभाग से काम कराया गया है। फर्जी भुगतान उठाया है और उसकी जांच करने के आदेश दिये जायें।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये । श्री हीरासिंह जी।

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : मैं मन्त्री महोदय से जानकारी चाहता हूं कि जैतारण सब डिवीजन से....

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये । जैतारण से सम्बन्धित नहीं है इस प्रश्न का सम्बन्ध । माननीय सदस्य बिराजिये आप।

श्री हीरासिंह चौहान : मैं ऐसा सवाल नहीं पूछ रहा हूं नीतिगत प्रश्न पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट । श्री गुलाम मुस्तफा खान।

श्री हीरासिंह चौहान : पुरानी जेलें हैं जहां पर बन्दी लोग आते हैं .. (व्यवधान)

क्या सरकार पुरानी जो जेले हैं उनको ठीक करने की व्यवस्था करेगी ? क्या नये भवन बनायेगी ?

नागौर जिले की औद्योगिक इकाइयों को विद्युत

218. श्री गुलाममुस्तफा खान (नागौर) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1980 से 1989 की अवधि में नागौर जिले में कुल कितनी औद्योगिक इकाइयों को विद्युत कनेक्शन दिये गये ?

(2) किस इकाई ने इस हेतु कब आवेदन किया तथा उस इकाई को कब बिजली का कनेक्शन दिया गया ?

(3) क्या सरकार को जानकारी है कि वर्ष 1980 के बाद कितनी ही इकाइयां बिजली पूरी नहीं मिलने के कारण विफल हो गई ? क्या नागौर जिले के औद्योगीकरण हेतु राज्य सरकार बिजली की पूरी व्यवस्था करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो उक्त व्यवस्था क्या होगी ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्री जी।

ऊर्जा मन्त्री (श्रीमती सुमित्रासिंह) : (1) वर्ष 1980 से 1989 तक की अवधि में नागौर जिले के अन्तर्गत आने वाले खण्डों मेड़ता, नागौर एवं मकराना में कुल 2473 औद्योगिक इकाइयों को विद्युत कनेक्शन दिये गये।

(2) विवरण सूची "अ" सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(3) वर्ष 1980 से किसी भी औद्योगिक इकाई को बिजली पूरी नहीं मिलने के कारण ही विफल होने की जानकारी हमारे ध्यान में नहीं आई है । राज्य के दूसरे जिलों की भांति नागौर जिले में भी औद्योगिक इकाइयों को विद्युत लाइनों व ट्रान्सफार्मर्स की क्षमता के अनुसार बिजली देने का पूर्ण प्रयास किया जा रहा है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री गुलाम मुस्तफा खान : अध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत मैं मन्त्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि जो परिशिष्ट "अ" दिया है उसके अन्दर जितने भी उद्यमी हैं उसमें किसी को 6 महीने में कनेक्शन दिये गये किसी को 4 वर्ष में दिये गये, किसी को 5 वर्ष में दिये गये, किसी को 11 साल के बाद दिये गये। क्या कोई क्राइटेरिया अपने विभाग में फिक्स है या नहीं। एक उदाहरण मैं दे रहा हूं मेड़ता में नूरमोहम्मद 121 के ऊपर है जिसके ऊपर 1984 के बाद आज तक कनेक्शन नहीं दिया गया जबकि किसी को 6 महीने में दे दिये गये।

दूसरा 131 के ऊपर है रामनारायण जिसने 79 में एप्लीकेशन दी और 1990 अर्थात् 11 वर्ष के बाद में कनेक्शन दिया गया। यह सब क्या कारण है।

दूसरा यह सवाल है कि जितने भी उद्योग नागौर जिले में हैं वह सब बिजली की कमी की वजह से खराब हो रहे हैं। आज तक कोई नया उद्योग नहीं लग रहा है और वह टेल एण्ड पर आया हुआ है। 50-50, 60-60 कि. मी. तक की लाइनें हैं बीच के अन्दर कोई सब स्टेशन तक नहीं है उसके लिए आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्री महोदया।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य कह रहे हैं, वैसा तो नहीं है। नागौर जिले में विद्युत की आपूर्ति के लिए 132 के. वी. ग्रिड सब स्टेशन नागौर, मेड़ता, बोरून्दा, मकराना, कुचामनसिटी, डीडवाना एवं गोठन में लगे हुए हैं। इसलिए आपका यह कहना मेरी समझ में सही है लेकिन फिर भी मांग को देखते हुए और लाइनों के विस्तार के लिए, और ग्रिड स्टेशन बनाने के बारे में भी यह सरकार निश्चित तौर से इस बारे में सजग है और उसके मुताबिक कार्यवाही की जायगी।

श्री गुलाम मुस्तफा खान : कनैक्शन में भ्रष्टाचार का आपने छोड़ दिया।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : कनेक्शन के बारे में आपने जो कहा मैं इस सूची को देखने के बाद में कह सकती हूं कि ज्यादातर केसेज के अन्दर 6 महीने में, पांच महीने में, या सात महीने लगे हैं। कोई एक दो केस ऐसे हो सकते हैं जो किसी और वजह से रह गये हों। यदि आप मुझसे पर्टिनेन्ट क्वेश्चन पूछते कि उनको चार साल तक या पांच साल तक क्यों नहीं मिला तो शायद मैं उसकी भी पूरी इन्फार्मेशन लेकर आती। लेकिन आपके पूछने की मन्शा ऐसी नहीं थी केवल जानकारी प्राप्त करने भर की थी इसलिए सारी जानकारी मैंने आपको इसके बारे में दे दी।

श्री गुलाम मुस्तफा खान : यह तो आपकी सूची के अन्दर स्पष्ट है कि 11 साल से आपने कनेक्शन नहीं दिया।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : कौनसा ? यह इतनी लम्बी चौड़ी सूची है ...

श्री गुलाम मुस्तफा खान : मैं बताऊं आपको। दूसरे पेज पर मेड़ता सिटी के शुरू में ही है। क्लियरकट है 121 नम्बर पर।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : कौनसा नम्बर है यह।

श्री गुलाम मुस्तफा खान : पेज नम्बर 3 के ऊपर है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप मेड़ता सिटी की बात कह रहे हैं ?

श्री गुलाम मुस्तफा खान : तीन नम्बर स्पेसिफिकली कह रहा हूं मैं। आप 3 नम्बर पेज पर देखिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : इस पर है नूरमोहम्मद, दीन मोहम्मद है जसनगर में है। 2.1.84 को इन्होंने अप्लाई किया था। अप्लाई करने के बाद में इन्होंने कभी अप्रोच भी नहीं किया, कभी कुछ कहा भी नहीं। (व्यवधान)

श्री प्रेमसिंह दहिया (भीनमाल) : अप्रोच का क्या मतलब होता है। वह बार-बार थोड़े ही आपसे कहने को आयेगा। इसका मतलब क्या है, आपके अधिकारियों के चक्कर लगाता रहेगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री प्रेमसिंह दहिया : अप्रोच की परिभाषा क्या है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, बैठिये, आप पूरा करने दीजिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मेरी मन्शा सुनिये पहले। (व्यवधान)

श्री प्रेमसिंह दहिया : यह अप्रोच का क्या मतलब है। क्या ए. ई. एन. और एक्स. ईएन. से अप्रोच करनी पड़ेगी।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : बता रही हूं। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : माननीय अध्यक्ष महोदय, अप्रोच ऐसी हुई है- कांग्रेसी नेताओं ने कनेक्शन में लाखों रुपये खाये हैं, मन्त्रियों ने इसकी जांच करा ली जाय। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट—श्री बंशीलाल पटवा। (व्यवधान)

आप लोग सुनना नहीं चाहते, आप बिराजिये। उनको पहले बोलने दीजिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : 84 से लेकर 90 तक कनेक्शन नहीं मिला इसकी जिम्मे-दारी हमारी तो नहीं थी लेकिन मैं कह रही हूं आपसे इस बारे में.... (व्यवधान)

श्री प्रेमसिंह दहिया : आपके समय में फाइलें....खारिज कर दी....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैं इसकी जांच कराऊंगी।

श्री प्रेमसिंह दहिया : जांच कराने की बात कर रही हैं, हमारी काफी फाइलें खारिज कर दी गई... (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैं इस केस की पूरी जांच कराऊंगी कि दस साल तक इस औद्योगिक इकाई को कनेक्शन क्यों नहीं मिला ? क्या कारण है, मैं इसकी जांच कराऊंगी। इसके बाद अप्रोप्रिएट एक्शन लूंगी।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट श्री बंशीलाल पटवा।

स्थगित प्रश्न

(23 जून, 1990)

पोषाहार केन्द्रों में खरीद की शिकायतें

219. श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा) : क्या महिला व बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सन् 1985 से मार्च, 1990 तक बाल विकास व महिला विकास के अन्तर्गत कौन-कौन सी योजनाएं प्रारम्भ की गई ? किस-किस योजना का कितना-कितना लाभ सम्बन्धित महिला व बालकों को प्राप्त हुआ ?

(2) पोषाहार योजना के अन्तर्गत जिलेवार दलिया व गुड़ अलग-अलग केन्द्रों पर कितना-कितना क्रय और वितरण किया गया ?

(3) किन-किन केन्द्रों पर व कहां से घटिया गुड़, दूध व अन्य सामग्री खरीद की शिकायतें लम्बित हैं ? राज्य सरकार द्वारा उनके विरुद्ध की जा रही कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्ष : तारांकित प्रश्न सं. 219 पुनः स्थगित किया जाता है।

श्री अमृत लाल परमार (अनुपस्थित)
(ता. प्र. सं. 220–कृपया आगे देखिये)
श्री रामसिंह विश्नोई
श्री राजेन्द्र गहलोत

जोधपुर में गाडोलिया लोहारों का पुनर्वास

श्री रामसिंह विश्नोई (लूनी)

221. श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा) : क्या नगर आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर शहर में गाडोलिया लोहारों को बसाने हेतु एक योजना भारत सरकार से स्वीकृत होकर आई थी। अगर हां, तो नगर सुधार न्यास ने इस योजना की क्रियान्विति हेतु क्या-क्या कार्यवाही की ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि इस योजना की क्रियान्विति हेतु न्यास ने सूरसागर बाईपास पर योजना बनाई थी ? यदि हां, तो इस योजना में कुल कितने भूखण्ड हैं, जिसमें से कितने लोगों को कब्जा दिया गया है ? शेष लोगों को कब तक कब्जा दे दिया जायेगा ? यदि नहीं तो क्यों ?

(3) क्या सरकार की जानकारी में है कि न्यास के कर्मचारी जब लोहारों को कब्जा देने गये उस समय कुछ लोगों ने इसका विरोध किया तथा कर्मचारियों को तबादला कराने तक की धमकियां दी तथा मरने मारने पर भी उतारू हो गए ? यदि हां, तो मुख्य-मुख्य कौन-कौन व्यक्ति थे ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार योजना की क्रियान्विति में बाधा डालने वालों के खिलाफ कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही कब तक की जाएगी ? नहीं, तो क्यों ?

नगर आयोजना मन्त्री (श्री भंवरलाल शर्मा) :

(1) गाडिया लोहारों को बसाने हेतु

(श्री भंवरलाल शर्मा)

राज्य सरकार के आदेश एफ. 3(17 नविग्रा/3/84-पार्ट दिनांक 22-9-89 द्वारा 50 वर्ग गज का भूखण्ड निःशुल्क आवंटन के आदेश प्राप्त होने पर न्यास द्वारा सूरसागर बाईपास पर रिहायशी भूखण्डों की योजना बनाई। इनमें से न्यास व समाज कल्याण विभाग से संयुक्त सर्वे कर 100 भूखण्डों का आवंटन किया गया है।

(2) यह सही है कि इस योजना की क्रियान्विति हेतु न्यास ने सूरसागर बाईपास पर महाराणा प्रताप कालोनी योजना बनाई है। इस योजना में कुल 345 भूखण्ड हैं। इसमें से 100 लोगों को भूखण्ड आवंटन किये गये हैं। इनमें से 56 लोगों को भौतिक कब्जा दिया जा चुका है। शेष लोगों को कब्जा जल्दी ही दे दिया जायेगा।

(3) यह सही है कि न्यास के कर्मचारी जब गाडिया लोहारों को कब्जा देने गये उस समय कुछ लोगों ने इसका विरोध किया। उनके नाम मालूम नहीं हो सके।

(4) न्यास कर्मचारियों द्वारा गाडिया लुहारों को भूखण्डों का कब्जा देने की कार्यवाही में बाधा डालने वाले लोगों की पहचान नहीं होने के कारण उनके खिलाफ कार्यवाही करना संभव नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, मैं और स्पष्ट निवेदन कर दूं कि इस स्थान पर अतिक्रमण किये, जिन लोगों ने विरोध किया, अब उस अतिक्रमण को बिल्कुल हटा दिया गया है। अब इन भूखण्डों पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं है। समस्या यह हो गई कि 56 लोगों को तो कब्जा दे दिया जो चालीस लोग शेष बचे हैं वह कब्जा लेने ही नहीं आ रहे हैं। यदि वह कब्जा लेने आयेंगे तो न्यास इस स्थिति में है कि उन चालीस लोगों को भी कब्जा दे देगा।

श्री राजेन्द्र गहलोत : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मन्त्री जी ने बताया कि शेष लोगों का अतिक्रमण नहीं है, आज की स्थिति में वहां पर अतिक्रमण है और शेष लोगों को जो कब्जा देने की बात है, वह कब तक दे देंगे। चालीस लोगों की बात है, उन चालीस लोगों के अलावा भी लोगों को कब्जा नहीं मिला है।

श्री अध्यक्ष : अलावा लोगों को दे देंगे।

श्री भंवरलाल शर्मा : 100 लोगों को अलाट किया गया था, 56 लोगों को कब्जा दे दिया गया है।

श्री अध्यक्ष : आपने 345 भूखण्ड का पूछा है।

श्री भंवरलाल शर्मा : 345 भूखण्डों में 100 लोग तो....

श्री अध्क्षय : वह तो हो गया।

श्री भंवरलाल शर्मा : 100 लोग ही काबिल थे जिनको देना था। उन्हीं को दिया जाना था।

श्री अध्यक्ष : 44 आ नहीं रहे हैं। माननीय सदस्य जो 44 नहीं आ रहे हैं उनको बुलाकर कब्जा दिला दीजिये।

श्री राजेन्द्र गहलोत : माननीय अध्यक्ष जी, वहां पर आज भी अतिक्रमण है।

श्री अध्यक्ष : वह 44 लोगों को देने को तैयार हैं। (व्यवधान)

नेक्स्ट, श्री निर्भयलाल (अनुपस्थित)

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया

बीकानेर शहर में निगम का बस स्टेण्ड

222. **श्री निर्भयलाल** (रूपवास), **श्री चुन्नीलाल इन्दलिया** (नोखा) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही कि बीकानेर जिले में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम का नया बस स्टेण्ड शहर से दूर होने के कारण यात्रियों को शहर के अंदरूनी भागों में आने जाने में भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त समस्या के निराकरण हेतु शहर के मुख्य-मुख्य भागों के लिए बसें लगाने का इरादा रखती है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि उक्त समस्या के निराकरण के सम्बन्ध में जिलाधीश बीकानेर व सतर्कता समिति द्वारा राज्य सरकार को कई बार मांग पत्र भेजे जा चुके हैं? यदि हां, तो उन पर क्या निर्णय लिए हैं? निर्णय की प्रति सदन की मेज पर रखें।

यातायात मन्त्री (डा चन्द्रभान) :

(1) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम का नया बस स्टेण्ड लालगढ़ पर स्थित है जो कि जूनागढ़ स्थित पुराने बस स्टेण्ड से करीब 3 कि. मी. दूर है। संभव है इस कारण यात्रियों को कुछ कठिनाई का सामना करना पड़ रहा हो। कुछ समय पूर्व तक 15 बसें नगरीय वाहन सेवा में चल रही थी जो निजी वाहन स्वामियों द्वारा चलायी जा रहीं थी। वर्तमान में केवल एक बस ही चल रही है। सरकार जनता की असुविधा को मद्दे नजर रखते हुए इन बसों की संख्या में बढ़ोतरी के लिए प्रयास करेगी।

(2) जी हां। सचिव, जिला जन अभियोग निराकरण व सतर्कता समिति द्वारा रीजनल मैनेजर. राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, बीकानेर को इस सम्बन्ध में लिखा गया था। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा सिटी बसें चलाने हेतु असमर्थता प्रगट की गई है।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : माननीय मन्त्री महोदय, यह नया बस स्टेण्ड है जो काफी दूर है शहर से, आपने एक बस की व्यवस्था की। क्या राज्य सरकार शहर के अन्दर जाने के लिए अन्य बसें लगाने का इरादा रखती है? यदि हां, तो कब तक।

श्री गुलाम मुस्तफा खान : अध्यक्ष महोदय,

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बीकानेर के बारे में पूछ रहे हैं?

श्री गुलाम मुस्तफा खान : नागौर के बारे में।

श्री अध्यक्ष : विराजें। यह बीकानेर का सवाल है। माननीय मन्त्री जी जवाब

(श्री अध्यक्ष)

दें। आप बिराजिये, नागौर से सम्बन्धित नहीं है। यह प्योरली बीकानेर से लालगढ़ बस स्टेण्ड का सवाल है।

श्री चन्द्रभान : यह जो अभी सवाल किया वह नीति सम्बन्धी है। सिटी बस सेवा के सम्बन्ध में है । यह बात ठीक है कि नया बस स्टेण्ड शहर से थोड़ा दूर है और यह सरकार की नीति में है कि नये बस स्टेण्ड बनें वह शहर से दूर रहें जिससे शहर के विकास में आसानी हो और शहर की यातायात व्यवस्था में सुधार होता रहे। जयपुर सहित 11 ऐसे शहर हैं जिनकी जनसंख्या एक लाख से ऊपर है। उसमें सिटी बस सेवायें शुरू करने के बारे में सरकार के पास, प्रस्ताव तो नहीं कह सकता, लेकिन सरकार द्वारा इस पर विचार किया जा रहा है क्योंकि बढ़ती हुई शहरों की आबादी और बढ़ती हुई यातायात व्यवस्था का कण्ट्रोल, शहर के अन्दर हम बस स्टेण्ड बना नहीं सकते और दूर बस स्टेण्ड बनाते हैं तो लोगों को आने जाने में असुविधा होती है। यह 11 शहर जो मैं बताना चाह रहा हूं इनमें बीकानेर भी है लेकिन राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वह सिटी बसें चला सके। इसमें जयपुर शहर की समस्या से भी आप लोग वाकिफ हैं। इसके लिए निजी वाहन स्वामियों को प्रोत्साहन देने के बारे में सरकार विचार कर रही हैं।

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय,

श्री अध्यक्ष : आपका सवाल बीकानेर के बारे में है ?

श्री जुबेर खान : बीकानेर के बारे में नहीं, मेरा निवेदन यह है कि

श्री अध्यक्ष : नीतिगत प्रश्न प्रश्नकाल में नहीं पूछे जा सकते।

नेक्स्ट, श्री गुलाबसिंह

(अनुपस्थित) ता. प्र. सं 223

(कृपया आगे देखिये)

नेक्स्ट, श्री सम्पत सिंह।

(अनुपस्थित) ता. प्र. सं 224

(कृपया आगे देखिये)

नेक्स्ट, श्री उम्मेदसिंह

(अनुपस्थित) ता. प्र. सं 225

(कृपया आगे देखिये)

नेक्स्ट, श्री रमाकांत।

यह बहुत खेद की बात है कि माननीय सदस्य सवाल देकर अनुपस्थित रहते हैं वह शायद इस बात की कल्पना नहीं करते हैं कि एक-एक प्रश्न के उत्तर में सरकार को हजारों रुपये खर्च करने पड़ते हैं।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : जो पीछे आते हैं उनको लाभ हो जाता है यह तो अच्छा ही है।

एक माननीय सदस्य : कई माननीय सदस्य फ्लड एरिया में गये हैं।

श्री अध्यक्ष : जिनके मैं नाम बोल रहा हूं वह फ्लड वाले नहीं हैं। सम्पतसिंह जी के यहां कोई फ्लड नहीं है। वहां बरसात ही नहीं है आप फ्लड की बात कर रहे हो।

शराब बार्टलिंग प्लाण्ट

226. श्री रमाकांत शर्मा (थाना-गाजी) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पिछले पांच वर्ष में राज्य में कितने बार्टलिंग प्लांट लगाने के लाईसेंस दिये गये हैं ?

(2) लाईसेंस देने में क्या नीति अपनाई गयी ?

आबकारी मन्त्री (श्रीमती विद्या पाठक) : (1) पिछले पांच वर्ष में अब तक राज्य में कुल 21 भारत निर्मित विदेशी मदिरा के बार्टलिंग प्लांट लाइसेंस जारी किये गए।

(2) बार्टलिंग प्लांट के लाइसेंस लघु उद्योग क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों को ही राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 की धारा 17 (ड)के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या प. 1(7) वित (आब.) 82 दिनांक 22-1-86 द्वारा निर्धारित शर्तों पर दिये जाते हैं।

श्री रमाकांत शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया से पूछना चाहूंगा कि इस प्रकार के उद्योग खोलने के पीछे नीतिगत आधार क्या है ? क्या वहां के मजदूरों में शराब का प्रचलन ज्यादा करना चाहते हैं या औद्योगिक क्षेत्र के अन्दर जहां पर इस प्रकार के उद्योग खोले जा रहे हैं उस औद्योगिक क्षेत्र में शराब का प्रचलन नहीं हो तो उसे बढ़ावा देना चाहते हैं या इस प्रकार के जो असामाजिक उद्योग हैं उसमें हमारी जो स्केपर्सड बिजली और पानी है उसको उसमें व्यय कराना चाहते हैं । जिस प्रकार के उद्योगों को जो वित्तीय संस्थान हैं वह कोई प्राथमिकता नहीं देते आप प्राथमिकता दे रही हैं, इसके लिए आधार क्या है ?

श्रीमती विद्या पाठक : अध्यक्ष महोदय, यह नीतिगत प्रश्न है। सरकार की जितनी वैलफेयर एक्टीविटीज में खर्चा होता है उसमें अधिकांशतः धनराशि इसके मार्फत, हालाकि रेगुलेटेड वे में होनी चाहिये जिसमें जनता को भी कष्ट न हो इसके माध्यम से अर्जित होती है। अगर इसकी व्यवस्थाओं में कहीं कमी है तो उसको तो दूर किया जा सकता है अन्यथा नीतिगत प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : श्री गहलोत।

श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा) : अध्यक्ष महोदय, इन बार्टलिंग प्लांट के लिये जो लाइसेंस दिये गये हैं उनको क्या कच्चा माल उपलब्ध कराया गया है ? यदि नहीं करवाया गया तो उसके पीछे क्या कारण हैं ? जोधपुर में भी 40 लाख का एक प्लाण्ट लगा हुआ है उसको आज तक कच्चा माल नहीं दिया गया है।

श्री अध्यक्ष : श्री दहिया।

श्री प्रेमसिंह दहिया (भीनमाल) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदया से पूछना चाहता हूं कि हमारा जालोर जिला जो एक बोर्डर डिस्ट्रिक्ट है यहां जो प्राइवेट एजेन्सियां बाटलिंग करती हैं और विदेशी मदिरा रिफाइन्ड स्प्रिट से बनाई जाती है, पाँच सात रुपये में एक बोतल बन जाती है। हजारों बोतलें बनकर बाहर गुजरात जा रही हैं उसके बारे में सरकार क्या करने जा रही है। पिछले दफा भी ऐसे मामले पकड़े गये हैं उन पर क्या एक्शन हुआ है ?

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर कोई स्पेसिफिक बात है जो जानकारी में लायी जाये, इसमें तो पूछी नहीं गई है, अगर माननीय सदस्य कोई स्पेसिफिक बात देंगे तो उस पर जांच करवाकर आपको भी सूचित किया जायेगा कि क्या कार्यवाही हुई है ।

श्री राजेन्द्र गहलोत : लाईसेंस देने के बाद में कच्चा माल कभी नहीं मिल रहा है ?

श्री अध्यक्ष : बता देगें। श्री रमाकांत।

श्री रमाकांत शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदया ने बताया कि इस प्रकार के उद्योग लगाये जाते हैं जिससे आपकी आय बढ़े। क्या मन्त्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगे कि इन 21 बाटलिंग प्लांट के के माध्यम से आप की आय बढ़ी है

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसका परपज तो यही होता है पर इसमें कहीं बीच में व्यवधान है, आप का मुख्य स्रोत साधन तो है ही इसकी आय बढ़ी है या नहीं यह अलग से प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, कोगटा ।

श्री राजेन्द्र गहलोत : माननीय अध्यक्ष जी, जो प्रश्न मैंने पूछा है। लाइसेंस मिलने के बाद दो साल हो चुके हैं फैक्ट्री पर चालीस लाख रुपया खर्च हो चुका है जो स्प्रिट मिलना चाहिये था वह आज तक नहीं मिला। लाइसेंस मिलने में भी राजनैतिक आधार पर बाधायें आई । आज उनको कच्चा माल क्यों नहीं मिल रहा है।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न इसमें पूछा नहीं गया है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री कोगटा ।

राजस्थान स्पिनिंग एवं वीविंग मिल्स

गुलाबपुरा में तालाबन्दी

227. **श्री किशनगोपाल कोगटा** (मसूदा) : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान स्पिनिंग एवं वीविंग मिल्स, खारी ग्राम गुलाबपुरा की तालाबन्दी के बाद कितने श्रमिकों को नौकरी से निकाला एवं कितने श्रमिकों के तालाबन्दी विवाद को लेकर श्रम न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है ?

(2) जिन श्रमिकों को मिल मालिकों ने तालाबन्दी के बाद वापिस कार्य पर नहीं

(श्री किशन गोपल कोगटा)

लिया है, सरकार ने उनके जीवन निर्वाह की क्या व्यवस्था की है ?

(3) क्या राज्य सरकार ने या किसी सक्षम न्यायालय ने निलम्बित या सेवा मुक्त श्रमिकों को प्रकरण के निर्णय तक जीवन निर्वाह भत्ता देने का प्रबंधकों को आदेश दिया ? यदि हां, तो कितने लोगों को प्रवन्धक जीवन निर्वाह भत्ता दे रहे हैं ? यदि नहीं, तो ऐसे लोगों के बारे में इस तरह के प्रवन्धकों के विरुद्ध राज्य सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम मन्त्री (श्री नत्थीसिंह) : (1) श्रम विभाग को प्राप्त सूचना के अनुसार राजस्थान स्पिनिंग एवं वीविंग मिल्स, खारी ग्राम, गुलाबपुरा में जुलाई, 1987 में की गई तालाबंदी एवं हड़ताल के पश्चात 86 श्रमिकों को प्रबन्धों द्वारा सेवा से पृथक किया गया, जिनमें से 36 श्रमिकों के सेवा मुक्ति का विवाद न्याय निर्णय हेतु औद्योगिक न्यायालय, उदयपुर को प्रेषित किया गया।

(2) श्रम अधिनियमों में सेवा से पृथक किये गये श्रमिकों के लिये जीवन निर्वाह भत्ते की व्यवस्था किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है।

(3) जी नहीं। जीवन निर्वाह भत्ता दिये जाने के कोई आदेश नहीं दिये गये। प्रवन्धकों से वार्ता करने के पश्चात् उनकी सहमति के अनुसार दिनांक 21-10-87 को 36 श्रमिकों को 3 माह के लिये 50 प्रतिशत के हिसाब से अग्रिम राशि प्रतिमाह तीन माह तक देने के निर्देश दिये गये। इस अग्रिम राशि का समायोजन / वसूली न्यायालय के निर्णय के अनुसार अथवा उसको देय वेतन तथा अन्य देय राशियों में से किया जाना था परन्तु प्रबन्धक ने इन श्रमिकों को अग्रिम राशि का भुगतान नहीं किया।

श्री किशन गोपाल कोगटा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि सन् 1987 में जो राजस्थान स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स में हड़ताल हुई है क्या वह सरकार द्वारा घोषित अवैध थी ? यदि अवैध घोषित थी तो क्या सरकार ने मजदूरों को उस समय का वेतन दिलाने का कोई प्रयास किया ? दूसरा आपने उत्तर दिया है कि 46 श्रमिकों को प्रबन्धकों द्वारा सेवा से पृथक किया गया है, यह गलत है। उस हड़ताल में मील वालों ने दो हजार श्रमिकों को पृथक किया। यहां विराजे हुए अधिकांश मन्त्रिमण्डल के सदस्य उस हड़ताल के दौरान वहां आये थे। करीब दो हजार श्रमिकों को निकाला गया। इस बारे में सूचना देंगे ? तीसरा 36 श्रमिकों को अग्रिम वेतन देने की स्वीकृत हुई लेकिन इनको भुगतान नहीं हुआ है इस के बारे में सरकार द्वारा या श्रम विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

श्री नत्थी सिंह : जो विभाग की सूचना थी वह मैंने दी है। माननीय सदस्य ने इसमें काफी अन्तर बताया है। 46 श्रमिकों को हटाया गया, 10 ने अपना हिसाब कर लिया, 36 के संबंध में निर्देश दिया गया कि तीन महीने के अन्दर अन्दर उनको 50 प्रतिशत भुगतान दें लेकिन आपने और भी गम्भीर बातें कही है....

श्री किशन गोपाल कोगटा : मैं अभी बता रहा हूं....

श्री अध्यक्ष : आप सुनें पहले ।

श्री नत्थी सिंह : जितनी सूचनायें आपने दी हैं और जितनी सूचनायें आप देंगे इस सारे प्रकरण की जांच करा ली जायेगी और जांच के अनुसार कार्यवाही की जायेगी ।

श्री किशन गोपाल कोगटा : एक प्रश्न और है । उस समय सरकार द्वारा नहीं किन्तु स्थानीय प्रशासन द्वारा वहां धारा 144 लगाकर 15 दिन तक श्रमिकों की पिटाई की गई । इसके बारे में भी मैं मन्त्री महोदय से जवाब माँगना चाहता हूं ।

श्री नत्थी सिंह : वह सरकार तो कर गई और अपने कारनामों के फलस्वरूप गई । अब जो आप कह रहे हो उसकी जांच करायेंगे ।

श्री किशन गोपाल कोगटा : कब तक करा देंगे ?

श्री नत्थी सिंह : जितना जल्दी आप लिखित में दे देंगे तुरन्त करायेंगे ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ ।

(शेष तारांकित प्रश्नों के लिए परिशिष्ट–2 देखिए ।)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

विद्युत कनेक्शन पर रोक

220. **श्री अमृतलाल परमार** (बाली) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बिजली के नये कनेक्शनों पर किन कारणों से रोक लगायी गयी है तथा इसे कब तक हटाये जाने का सरकार का विचार है ?

(2) क्या यह सही है कि जो प्राथमिकता सिस्टम चल रहा है उससे खुले आम भ्रष्टाचार पनप रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी समीक्षा कर इस सिस्टम में परिवर्तन करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि चुनावों के दौरान फ्लेट रेट समाप्त करने की घोषणा के सन्दर्भ में भी अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई ? यदि हां, तो क्यों ? अब कब तक फ्लेट रेट समाप्त कर दी जायेगी ?

उत्तर

(1) बिजली के नये कनेक्शन देने के सम्बन्ध में विद्युत मण्डल द्वारा नई नीति निर्धारित की जा रही है । इसी कारण कृषि कनेक्शनों को जारी करने हेतु रोक लगाई गई है ।

(1) नई नीति निर्धारित करते समय इस बात को ध्यान में रखा जा रहा है कि पुराने प्राथमिकता सिस्टम की त्रुटियों को दूर किया जा सके ।

(3) फ्लेट रेट समाप्त करने के संबंध में की गई घोषणा के बारे में विद्युत मण्डल को कोई जानकारी नहीं है । फ्लेट

(ऊर्जा मंत्री)

रेट समाप्त करने के लिये अभी कोई प्रस्ताव विद्युत मण्डल में विचाराधीन नहीं है।

सुमेरपुर क्षेत्र में शालाओं की क्रमोन्नति

223. श्री गुलाबसिंह राजपुरोहित (सुमेरपुर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर में आगामी सत्र में कितनी उच्च प्राथमिक विद्यालय माध्यमिक में तथा कितनी प्राथमिक विद्यालय उच्च प्राथमिक में क्रमोन्नत करने का विचार है ? इनका क्या मापदण्ड रहेगा ? विगत वार ब्योरा सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

इस वर्ष प्राथमिक से उच्च प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक से माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नति हेतु अभी प्रस्ताव नहीं है।

रूपारेल सिंचाई सिस्टम

224. श्री सम्पतसिंह (नगर) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) रूपारेल सिंचाई सिस्टम घाट खूटेटा/नटणी का बाडा पर अलवर-भरतपुर के लिये कितना-कितना पानी तय हुआ था ? कब-कब इस आशय के क्या-क्या रियासत के समय से वर्तमान तक, अनुबन्ध हुए ? ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सिंचाई विभाग की ओर से भरतपुर जिला हेतु सीकरी सिस्टम में केन्द्रीय जल निगम से पानी का हिस्सा कम करने की सिफारिश की गई है ? यदि हां, तो कब तथा क्यों ?

(3) वर्ष 1988, 1889 में सीकरी सिस्टम में कितने छोटे पुल निर्माण एवं नहर के साफ करने पर कार्य हुये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या कस्वा सीकरी में नहर का नाला कीचड़ से पट चुका है तथा उस पर अतिक्रमण हुये हैं ? यदि हां, तो इसके विषय में क्या कार्यवाही की गई ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) रूपारेल सिंचाई सिस्टम के लिये घाट खूटेटा पर कोई भी नया पानी का वटवारा तय नहीं हुआ है। रियासत के समय रूपारेल नदी के पानी का बंटवारा अलवर एवं भरतपुर रियासतों के बीच हुये अनुबन्ध के अनुसार 1:1.234 के अनुपात में वाराह वीयर/नटणी का वाडा पर हुआ था।

(2) जी नहीं।

(3) वर्ष 1988-89 में कोई पुलिया नहीं बनी। नहर सुधार के 13 कार्य प्रस्तावित थे। उसमें से 2 नहरों का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। शेष कार्य अपूर्ण है। उनको रिनोवेशन प्रोग्राम में पूर्ण किया जावेगा।

(4) रूपारेल सिस्टम की एक उप नहर सीकरी कस्वे में होकर गुजरती है।

(सिंचाई मंत्री)

यह उप नहर कस्बे के भाग में लगभग डेढ़ किलोमीटर में पक्की की गई थी जिस पर दुकानें बनाली गई हैं। एवं शहर का मलबा इसी में डाले जाने के कारण अवरुद्ध हो जाती है। इसकी सफाई आवश्यकता अनुसार समय-समय पर करायी जाती है।

होम्योपैथिक चिकित्सक

225. श्री उम्मेद सिंह (डीडवाना) : क्या आयुर्वेद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में इस समय कुल कितने होम्योपैथिक चिकित्सक व कितने कनिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्सक कार्यरत हैं ?

(2) क्या कनिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्सकों की पदोन्नति होम्योपैथिक चिकित्सक के पद पर करने का नियमों में प्रावधान है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार कार्य क्षमता बढ़ाने और पदोन्नति के अवसर प्रदान करने हेतु नियमों में ऐसा संशोधन करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राज्य के होम्योपैथिक औषधालयों में वर्तमान में 2 होम्योपैथिक चिकिसक तथा 77 कनिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्सक नियुक्त हैं।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां। अनुभव के आधार पर कनिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्सकों को होम्योपैथिक चिकित्सकों के पद पर पदोन्नति के अवसर प्रदान करने हेतु नियमों में उपयुक्त संशोधन किये जाने के प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन हैं।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

नये इंजीनियरिंग महाविद्यालय

308. श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : क्या तकनीकी शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में नये इंजीनियरिंग महाविद्यालय कब प्रारम्भ किये जावेंगे ?

(2) क्या यह सही है कि प्रथम श्रेणी के विद्यार्थियों को राज्य के इंजीनीयरिंग महाविद्यालयों में प्रवेश नहीं मिलता ? यदि हां, तो बीकानेर एवं अजमेर में नये इंजीनियरिंग महाविद्यालय कब प्रारम्भ किये जायेंगे।

(3) क्या यह भी सही है कि अभियंताओं की अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में मांग है और विदेश में अभियन्ताओं की कमी है ?

(4) प्रान्त में आवश्यकता से कितने अभियन्ताओं कीकमी है ?

(5) क्या विभाग बीकानेर एवं अजमेर के पोलीटेक्नीक महाविद्यालय को क्रमोन्नत कर इंजीनियरिंग महाविद्यालय के रूप में विकसित करने का विचार रखता है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) वित्तीय साधन उपलब्ध होने पर प्रारम्भ किये जावेंगे ?

(तकनीकी शिक्षा मंत्री)

(2) इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में श्रेणी के आधार पर प्रवेश नहीं दिया जाता है बल्कि पी.ई.टी परीक्षा के माध्यम से तैयार मैरिट सूची के आधार पर प्रवेश दिया जाता है।

(3) विदेश में अभियन्ताओं की कमी है अथवा नहीं, इसकी जानकारी राज्य सरकार के पास नहीं है।

(4) मैन पावर सर्वे के अनुसार प्रदेश में अभियन्ताओं की कमी नहीं है, बल्कि डिग्री एवं डिप्लोमा होल्डर्स अभियन्ता बेरोजगार हैं।

(5) नये कॉलेज खोलने पर विचार करते समय सभी पहलुओं का परीक्षण किया जायेगा।

मकराना में बस सेवा

309. श्री बिरदाराम (मकराना) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) मकराना से अजमेर प्रतिदिन कितनी बसें संचालित हैं ?

(2) क्या यह सही है कि मकराना से अजमेर चलने वाली बसों में प्रतिदिन निर्धारित क्षमता से ज्यादा सवारियां यात्रा करती हैं एवं बसों की हालत खराब है ? यदि हां, तो इस मार्ग पर सवारियों के अनुपात से बसें बढ़ाने की व्यवस्था कब तक कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि जयपुर से नागौर वाया मकराना के लिए एक द्रुतगामी बस सुबह जयपुर से रवाना होकर दोपहर नागौर व नागौर से रवाना होकर शाम जयपुर पहुंचने के लिए शुरू की थी, जो चार पांच माह से बन्द कर दी गई है ? यदि हां, तो क्यों ? अब कब तक उसे पुनः चालू कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) मकराना से अजमेर के लिये प्रतिदिन 11 बसें संचालित की जा रही हैं।

(2) जी नहीं, इस मार्ग पर संचालित बसों को औसतन 85 प्रतिशत यात्रीभार उपलब्ध होता है। जिसे देखते हुये और अतिरिक्त बसें बढ़ाने का औचित्य नहीं है। बसों की हालत ठीक है।

इस मार्ग के भाग मकराना-परबतसर-रुपनगढ़ पर मकराना से सायंकाल में अजमेर की ओर प्रस्थान करने वाली वाहनों में कभी-कभी क्षमता से अधिक यात्री हो जाते हैं, तो अधिकतर मकराना की खानों में कार्य करने वाले मजदूर होते हैं व अधिकतर 20-25 कि.मी. तक की परिधि के (परबतसर तक के) होते हैं। उनकी सुविधार्थ मार्ग के इस भाग पर 6 अतिरिक्त परिचक्र दैनिक और संचालित किये जा रहे हैं।

(3) जी हां। इस मार्ग का मकराना से रानीगांव-खाटू-तरनाऊं तक एवं रूपनगढ़-नरेना-सावरदा तक का भाग अराष्ट्रीयकृत है, जिस पर अस्थाई अनुज्ञा-पत्र प्राप्त कर, वाहन संचालित की गई थी। बाद में इस मार्ग के निजी वाहन स्वामियों द्वारा न्याया-

(यातायात मन्त्री)

लय में याचिका पेश कर स्थगन आदेश प्राप्त कर लेने के कारण इस सेवा का संचालन बन्द करना पड़ा। स्थगन आदेश निरस्त होने के बाद इस सेवा का पुनः संचालन संभव होगा।

वन विभाग के उच्च-पद

310. श्री सालिगराम (बयाना) एवं **श्री गोविन्द सिंह** (नसीराबाद) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जहां राज्य के वनों का क्षेत्रफल घट रहा है, वहां वन विभाग में उच्च पदों का सृजन किया जा रहा है ? यदि हां, तो इन पदों के सृजन का औचित्य क्या है ?

(2) क्या यह सही है कि पूर्व में वन विभाग में एक विभागाध्यक्ष मुख्य वन संरक्षक होता था, अतः अब सात मुख्य वन संरक्षक एवं लगभग 22 वन संरक्षक हैं जिनके पदों का सृजन विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत किया गया है ? क्या सरकार इन पदों के औचित्य की समीक्षा कर राज-कोष के भार को कम करने हेतु कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी नहीं। विभाग में पदों का सृजन विभिन्न विकास योजनाओं के अन्तर्गत आवश्यकता के आधार पर किया जाता है।

(2) जी हां। विभाग के मुख्य वन संरक्षक का पद क्रमोन्नत कर प्रधान मुख्य वन संरक्षक कर दिया गया है। विभाग में पूर्व में भी सात मुख्य वन संरक्षक कार्यरत थे जिनके पदनाम अतिरिक्त मुख्य वन संरक्षक से बदलकर मुख्य वन संरक्षक रख दिये गये हैं तथा विभाग में 22 वन संरक्षक न हो कर 21 वन संरक्षक कार्यरत हैं जिनके पदों का सृजन विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत एवं भारत सरकार के दिशा-निर्देशों (अखिल भारतीय सेवा नियमों) के अन्तर्गत किया गया है। एवं उक्त पद भारत सरकार के दिशा-निर्देशों से अधिक नहीं हैं। अतिरिक्त मुख्य वन संरक्षकों का पद नाम मुख्य वन संरक्षक में बदलने से राज्य सरकार पर किसी प्रकार का अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं बढ़ा है।

सीकर जिले में बस सेवा

311. श्री अजय सिंह (दातारामगढ़) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वर्तमान में सीकर जिला के मुख्यालय की जनसंख्या काफी होने से यहां के निवासियों एवं ग्रामीणों को यातायात में काफी पैसे खर्च करने पड़ते हैं ?

(2) क्या यह सही है कि वर्तमान में निगम की बसों में यात्रियों का सामान ऊपर रखने की व्यवस्था नहीं होने से सुरक्षा आदि की परेशानियां होती है ?

(3) यदि हां, तो क्या सरकार उपरोक्त व्यवस्था के साथ निगम की बसों पर

(श्री अजय सिंह)

ड्राइवर एवं कन्डक्टर के अतिरिक्त आठवीं पास बेरोजगारों को यात्रियों का सामान चढ़ाने उतारने के लिए नियुक्त करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या राज्य सरकार सीकर जिले में राज्य पथ परिवहन निगम की बस (1) कुडली से सांवली, (2) सबलपुरा से गोकुलपुरा (3) नानी से औद्योगिक क्षेत्र तक चलाकर वहां के निवासियों को राहत प्रदान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। निगम की बसें नियमानुसार किराया लेती हैं।

(2) जी नहीं। निगम के पास उपलब्ध 3065 बसों में से केवल 102 नई वाहनों पर लगेज कैरियर नहीं है। लेकिन इन 102 वाहनों में सामान रखने हेतु बसों के पीछे डिक्की की व्यवस्था है, जिसमें ताला लगाने की व्यवस्था भी है।

(3) ऐसा कोई प्रस्ताव निगम के विचाराधीन नहीं है।

(4) जी नहीं। उपरोक्त मार्ग नगरीय सीमा के मार्ग हैं जिन पर वाहन सेवा चलाने की निगम की कोई योजना नहीं है।

शेरगढ़ क्षेत्र में शराब की दुकानें

312. श्री मनोहर सिंह (शेरगढ़) : क्या आबकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में देशी शराब की दुकानों को राज्य सरकार ने लाइसेंस जारी किये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त दुकानें किस-किस स्थान पर खोली गयी हैं और क्या ये निर्देशों के अनुसार हैं ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इनको वर्जित स्थानों से हटायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) इस क्षेत्र में मुख्य दुकान शेरगढ़ में है। इसके अलावा निम्न चार उप-दुकानें भी स्वीकृत हैं :—

1. बालेसर	2. आगोलाई
3. चौमू	4. देचू

(2) यह दुकानें निम्न लोकेशन पर स्थित है :—

1. शेरगढ़—राहुका बास में

2. बालेसर—गांव के आम रास्ते पर गुमानसिंह के बाड़े में

3. आगोलाई—जोधपुर-आगोलाई सड़क के पीछे के हिस्से में गिरीजी के मकान में।

4. चौमू—जोधपुर देचू सड़क पर पंचायत की जमीन पर

5. देचू—जोधपुर-देचू सड़क पर पंचायत की जमीन पर

उक्त दुकानें निर्देशों के अनुसार ही लगी हुई हैं।

मिश्रों की ठेहर (सीकर) में बांध का निर्माण

313. श्री दिलसुख राय (फतेहपुर) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पिछले अकाल के समय अकाल राहत कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्राम बिडोली तहसील व जिला सीकर में मिश्रों के ठेहर नामक स्थान पर एक बांध का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया था ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त बांध को अधूरा छोड़ दिया गया था ?

(3) क्या सरकार इस अधूरे बांध को पूर्ण करवाकर भूमि कटाव से किसानों को राहत दिलाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक, नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) अकाल राहत के अन्तर्गत लिये गये अधूरे कार्यों को पूर्ण करने के लिए वांछित धनराशि के उपलब्ध होने पर इस अधूरे बांध का पूर्ण होना सम्भव हो सकेगा।

(अतारांकित प्रश्न संख्या–314)

(स्थगित)

सरदारगढ़ (उदयपुर) का शाला भवन

315. श्री नवनीतलाल नीनामा (घाटोल) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, सरदारगढ़ (उदयपुर) का शाला भवन बालिका विद्यालय को हस्तान्तरित किये जाने में शिथिलता के कारण उक्त भवन का रखरखाव भली प्रकार नहीं हो रहा है, एवं शाला भवन दिन प्रतिदिन जर्जरित होता जा रहा है।

(2) यदि हां, तो उक्त शाला भवन का कब तक हस्तांतरण कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय, लावा सरदारगढ़ के पुराने भवन में दिनांक 10.11.86 से अस्थायी रूप से संचालित किया जा रहा है। विद्यालय भवन जर्जरित अवस्था में नहीं है।

(2) उच्च प्राथमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग अथवा जिला परिषदों के पास रहे, इस पर विचार चल रहा है। इस मुद्दे पर निर्णय होने के पश्चात् ही भवनों के बिन्दु पर कोई निर्णय लिया जा सकेगा।

टौंक जिले के विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पद

316. श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

(1) टौंक जिले में उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल कहां-कहां पर कार्यशील हैं ? किस-किस स्कूल में कितनी-कितनी छात्र संख्या हैं ? किस-किस स्कूल में कितने-कितने अध्यापक कार्यरत हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) स्वीकृत मानदण्ड के अनुसार किन-किन स्कूलों में अध्यापक नहीं हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) इन रिक्त स्थानों को कब तक भर दिये जावेंगे ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) टौंक जिले की उच्च प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय की सूची एवं छात्र संख्या, कार्यरत अध्यापक तथा रिक्त पदों का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) स्वीकृत मानदण्ड के अनुसार जिन विद्यालयों में अध्यापकों के पद उपलब्ध नहीं हैं उनका विवरण उक्त सूची में अंकित कर दिया गया है।

(3) रिक्त पदों के पूर्ति शीघ्र किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

राजकीय महाविद्यालय, बांदीकुई का भवन

317. **श्री रामकिशोर सैनी** (बांदीकुई) : क्या महाविद्यालय शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राजकीय महाविद्यालय बांदीकुई के लिये 7 कमरों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है जिसकी सूचना विकास अधिकारी पंचायत समिति बांदीकुई ने प्रिंसिपल राजकीय महाविद्यालय बांदीकुई को कब्जा लेने बावत दे दी है ?

(2) यदि हां, तो क्या आगामी सत्र में महाविद्यालय नव निर्मित भवन में प्रारम्भ कर दिया जावेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। परन्तु निदेशक, कालेज शिक्षा द्वारा दिनांक 16.4.90 को किये गये निरीक्षण के अनुसार केवल 5 कमरे ही पूर्ण रूप से तैयार है। शेष 5 कमरे व प्रशासनिक खण्ड अभी अधूरा है।

(2) चूंकि भवन अधूरा है अतः महाविद्यालय का स्थानान्तरण भवन के पूर्ण होने तक किया जाना संभव नहीं होगा।

निगम की मरम्मत योग्य बसें

218. **श्री सालिगराम** (बयाना) एवं

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर (नसीराबाद) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के पास कुल कितनी बसें हैं? उनमें डीलक्स, सेमी-डीलक्स व साधारण बसें कितनी हैं ?

(श्री सालिगराम)

(2) निगम की कार्यशालाओं में कितनी बसें कितने समय से बेकार पड़ी हैं, जिन्हें सुधार कर सड़क पर चलाना सम्भव नहीं है? ऐसी बसों के डिस्पोजल की क्या व्यवस्था है?

(3) वर्तमान में राज्य की विभिन्न कार्यशालाओं (वर्कशाप) में कितनी बसें मरम्मत के अभाव में खड़ी हैं, जिन्हें संचालन योग्य बनाया जा सकता है? क्या राज्य सरकार इनकी मरम्मत करा कर संचालन योग्य बनाने का इरादा रखती है?

(4) क्या यह सही है कि निगम के पास पर्याप्त बसें होते हुए भी नई बसें क्रय की जा रही हैं? यदि हां, तो इनका क्या औचित्य है?

उत्तर

(1) निगम के पास दिनांक 20.6.90 को स्वयं की 3065 वाहनें थी। इन वाहनों के अतिरिक्त 50 वाहनें अनुबन्ध पर भी हैं। इन वाहनों की श्रेणी वाईज संख्या निम्न है—

	निगम की	अनुबंध की
डीलक्स	98	—
सेमी डीलक्स	22	—
साधारण	2945	50
	3065	50

(2) निगम के केन्द्रीय कार्यशाला में केवल 17 वाहनें ऐसी हैं जिन्हें सुधार कर चलाना संभव नहीं है। ये वाहनें पिछले 2-3 माह से केन्द्रीय कार्यशाला में है, और इनको नकारा घोषित करने की कार्यवाही की जा रही है। नकारा हुई बसों को खुली नीलामी द्वारा निगम बेचती है।

(3) जी, वर्तमान में दिनांक 20.6.90 को निगम के विभिन्न कार्यशालाओं में 156 वाहनें मरम्मत व रख रखाव आदि के लिये खड़ी हुई हैं, जिनकी मरम्मत व रख-रखाव कर संचालन के लिये उपलब्ध कराई जाने की कार्यवाही हो रही है।

(4) जी नहीं, इस समय निगम के पास 7 वर्ष से पुरानी वाहनें 983 हैं, और ये वाहनें अपना समय काल पूरा कर चुकी हैं। नई वाहनें पुरानी वाहनों को बदलने व नये मार्गों पर चलाने तथा पुराने मार्गों पर बढ़े हुये यात्री भार हेतु क्रय की जाती हैं।

चूरू जिले की निजी शिक्षण संस्थाएं

319. श्री किशनाराम (श्री डूंगरगढ़) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) चूरू जिले में कहां-कहां पर कुल कितने सहायता प्राप्त निजी शिक्षण संस्थाएं है?

(2) उक्त संस्थानों को अनुदान देने के क्या मापदण्ड निर्धारित हैं, और उन्हें कितना-कितना अनुदान दिया जा रहा है?

उत्तर

(1) चूरू जिले में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा की 54 व संस्कृत शिक्षा की 3 सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थायें हैं। सूची परिशिष्ट "क" संलग्न है।

(2) संस्थाओं को अनुदान देने हेतु संलग्न परिशिष्ट "ख" के अनुसार माप-दण्ड निर्धारित है।

चूरू जिले में संस्थाओं को दिये जा रहे अनुदान का विवरण संलग्न परिशिष्ट "क" में अंकित है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 3 देखें।)

मदर इण्डस्ट्रीज की स्थापना

320. श्रीमती रमा पायलट (हिण्डोली) एवं

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (नसीराबाद) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य के सभी जिलों में मदर इन्डस्ट्रीज स्थापित करने की कोई योजना राज्य सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या मथुरा रिफाइनरी के आधार पर राजस्थान में उसकी सबसीडियरी व एन्सीलियरी इण्डस्ट्रीज लगाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(2) मथुरा रिफाइनरी के आधार पर सहायक उद्योग स्थापित करने हेतु भारत सरकार को राज्य सरकार द्वारा 2.00 लाख टन नेप्था प्रतिवर्ष उपलब्ध कराने हेतु प्रस्ताव भेजे गये थे परन्तु भारत सरकार द्वारा प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया। अतः इस प्रकरण में आगे कोई प्रगति नहीं हो सकी।

राज्य में हाथ करघे

321. श्री गणपतराम गाडेगावलिया (दूदू) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में पिछले पांच वर्षों में अब तक कितने हाथ करघे बुनकरों को दिये गये ? इनमें अनुसूचित जाति/जनजाति के कितने व्यक्ति हैं ? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या राज्य सरकार की जानकारी में है कि अनुसूचित जाति एवं मुस्लिम जुलाहों के अतिरिक्त भी हाथ करघों पर कार्य करने वाले बुनकर हैं ? यदि हां, तो कहां-कहां एवं कितने-कितने ? जिलेवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) गत पांच वर्षों में उद्योग निदेशालय एवं राजस्थान हाथ करघा विकास नगम लि. द्वारा बुनकरों को दिये गये

(उद्योग मंत्री)

हाथकरघा का विवरण निम्न प्रकार से है :–

	उद्योग निदेशालय द्वारा दिये गये करघों की सं.	राजस्थान हाथकरघा विकास निगम लि. द्वारा दिये गये करघों की सं.
अनुसूचित जाति	2831	847
अनुसूचित जन जाति	—	31
अन्य	764	62
कुल करघे	3595	940

विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। परिशिष्ट "अ"

(2) जी हां। विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। परिशिष्ट "ब"

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

कोटा जिले की बिलास सिंचाई योजना

322. श्री हेमराज मीणा (किशनगंज) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) कोटा जिले की बिलास मध्यम सिंचाई योजना के निर्माण हेतु केन्द्रीय जल आयोग द्वारा स्वीकृति कब प्राप्त हुई थी ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त सिचाई परियोजना का निर्माण केन्द्रीय जल आयोग द्वारा स्वीकृत मूल योजना के अनुरूप ही हुआ है ?

(3) क्या यह भी सही है कि इस योजना द्वारा लाभान्वित होने वाला सिंचित क्षेत्र उक्त स्वीकृति के अनुसार ही रखा गया है ?

(4) क्या सिंचित क्षेत्र में कोई परिवर्तन किया गया है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार से इसकी स्वीकृति प्राप्त की गयी थी ?

(5) यदि नहीं तो इसके लिये दोषी अधिकारियों के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(1) मूल योजना की स्वीकृति 1980 में जारी हुई थी एवं यू. एस. ए. आई. डी. के मापदण्ड के अनुसार संशोधित स्वीकृति 16.8.1982 को जारी हुई।

(2) जी नहीं।

(3) संशोधित योजना के अनुसार लाभान्वित होने वाला सिंचित क्षेत्र रखा गया है या नहीं इसकी सूचना अलग से प्रेषित कर दी जावेगी।

(4) इसकी जांच की जा रही है।

(5) जांच की रिपोर्ट आने पर इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही संभव होगी।

बागीदोरा में एनीकट

323. श्री सोमा (बागीदोरा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार बागीदोरा क्षेत्र में जो छोटे एनीकट अधूरे हैं, उनको पूरा कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(2) क्या सरकार, डकार कुन्डी, काजलिया एनीकट को पूरा करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) उदयपुरा तालाब को सरकार कब तक पूरा करेगी ?

उत्तर

(1 व 2) सिंचाई विभाग के बजट से एनीकट नहीं बनाये जाते हैं । अकाल राहत व अन्य मदों के अन्तर्गत बनाये गये अधूरे एनिकटों को आवश्यक धनराशि उपलब्ध होने पर पूरा किया जा सकेगा ।

(3) उदयपुरा बड़ा नामक परियोजना पर अकाल राहत संवत् 2044 में 3.67 लाख रु. का व्यय हुआ है । लघु सिंचाई मद में प्रशासनिक स्वीकृति एवं बजट आवंटन पर कार्य पूरा होना निर्भर है ।

भिनाय विधान सभा क्षेत्र में विद्युत् कनेक्शन

324. श्री सांवरलाल (भिनाय) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र भिनाय के विद्युततिकृत गांवों में ऐसे गांव भी हैं, जहां आज तक एक भी कृषि या घरेलू कनेक्शन नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो ऐसे गांवों की सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या केवल रेकार्ड में गांव विद्युतिकृत घोषित कर दिये गये ? यदि हां, तो इसके लिये कौन दोषी है ?

(3) अब ऐसे गांवों में कब तक कनेक्शन जारी कर दिये जायेंगे ?

उत्तर–

(1) जी हां, विधान सभा क्षेत्र भिनाय में विद्युतिकृत ग्रामों में से 25 ग्राम ऐसे हैं जहां एक भी कृषि अथवा घरेलू कनेक्शन नहीं दिया गया है । सूची परिशिष्ट "अ" में संलग्न है ।

(2) जी नहीं । उक्त 25 ग्रामों में से 5 ग्राम नानपोटेंशियल को छोड़ कर सभी ग्रामों में 11 के. वी. लाइन खींच कर विद्युतिकृत घोषित किये गये हैं । नानपोटेंशियल ग्राम मण्डल नीति के अनुसार विद्युतिकृत घोषित किये गये हैं, जिनमें आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् लाइन खींच कर लक्ष्यों व वरीयता के अनुसार कृषि एवं घरेलू कनेक्शन दिये जा सकेंगे । अतः कोई दोषी नहीं है ।

(3) उक्त 25 ग्रामों में से जिन ग्रामों में विद्युत कनेक्शन हेतु आवेदन प्राप्त हो गये हैं उनमें नियमानुसार कनेक्शन देने की प्रक्रिया जारी है ।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-4 देखें)

सपोटरा तहसील एवं मंडरायल उप तहसील में विद्युतिकरण

325. श्री प्रभुलाल (सपोटरा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री प्रभुलाल)

(1) सपोटरा तहसील एवं मंडरायल उप तहसील में सन् 1980 से 31 मई, 1990 तक कितने गांवों का विद्युतिकरण किया गया है और कितने गांवों का विद्युतिकरण शेष है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) कितने ऐसे ग्राम हैं जो विद्युतिकृत घोषित हैं परन्तु वहां पर विद्युत कनेक्शन नहीं दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) ऐसे ग्राम कितने हैं जिनमें खम्बे लगा दिये गये हैं परन्तु तार अभी नहीं लगाये गये हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सपोटरा तहसील एवं मंडरायल उप तहसील के ग्रामों से मिलकर पंचायत समिति सपोटरा बनती है, जिसमें कुल 205 ग्राम हैं। सपोटरा तहसील व मंडरायल उप तहसील में जनवरी, 1980 से मई, 1990 तक क्रमशः 21 एवं 25 ग्राम विद्युतिकृत किये गये हैं, जिनकी सूची "अ" संलग्न है। सपोटरा तहसील में जनवरी, 1980 से पूर्व में 56 ग्राम विद्युतिकृत किये जा चुके थे। इन तहसीलों में क्रमशः 72 व 31 ग्राम अविद्युतिकृत हैं जिनकी सूची "ब" संलग्न है।

(2) सपोटरा तहसील में 2 एवं मंडरायल उप तहसील में 15 ग्राम ऐसे हैं जो विद्युतिकृत घोषित हैं लेकिन उनमें कनेक्शन नहीं हैं। इनमें आवेदन प्राप्ति के अनुसार लक्ष्यों एवं वरीयता के अनुसार कनेक्शन दिये जाने की प्रक्रिया की जावेगी।

(3) सपोटरा तहसील एवं मंडरायल उप तहसील में निम्नलिखित 6 ग्राम ऐसे हैं जिनमें खम्बे लगे हैं लेकिन तार नहीं खींचे हैं :—

क्र. सं.	गांव का नाम	तहसील/सब तहसील
1.	सिभर	सपोटरा
2.	धटली	मण्डरायल
3.	जखोदा	,,
4.	गोपालपुरा	,,
5.	भारीला	,,
6.	दरगवा	,,

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–5 देखें)

बांदीकुई क्षेत्र में विद्युतिकरण

326. **श्री रामकिशोर सैनी** (बांदीकुई) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1989-90 में विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में कितने कृषि व घरेलू विद्युत कनेक्शन दिये गये एवं कितने कनेक्शन दिये जाने विचाराधीन हैं ? विचाराधीन कनेक्शन कब तक दे दिये जावेंगे ?

(2) उक्त क्षेत्र में कुल कितने गांवों का विद्युतिकरण हो चुका है और कितने गांव शेष रहे हैं ? शेष गांवों को कब तक विद्युतिकृत कर दिया जावेगा ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में पंचायत समिति बांदीकुई तहसील बसवा के सभी 172 ग्राम सम्मिलित हैं। माह मार्च, 90 के अन्त में इस क्षेत्र में कुल 2693 कृषि विद्युत कनेक्शनों तथा 1298 घरेलू कनेक्शनों के आवेदन विचाराधीन थे।

राज्य सरकार द्वारा राज्य में कुओं के ऊर्जीकरण हेतु घोषित वार्षिक लक्ष्य एवं नीति निर्देशों के अनुरूप जिलेवार/पंचायत समितिवार/योजनावार कृषि कनेक्शनों के लक्ष्यों का निर्धारण कुल विचाराधीन आवेदनों के अनुपात में किया जाता है।

सभी विचाराधीन कनेक्शन देने की निश्चित समयावधि बता पाना फिलहाल संभव नहीं है। घरेलू कनेक्शन देने की कार्यवाही जारी है।

(2) विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में माह मार्च, 1990 के अंत तक 166 ग्रामों का विद्युतिकरण किया जा चुका है तथा 6 ग्रामों का विद्युतिकरण करना शेष है। शेष ग्रामों की सूची "अ" संलग्न है। इन शेष 6 ग्रामों को विद्युतिकृत घोषित कराने की कार्यवाही की जायेगी।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–6 देखें)

नसीराबाद से श्रीनगर 33/11 के. वी. विद्युत लाइन

327. श्री गोविन्दसिंह गुर्जर (नसीराबाद) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अजमेर जिले में नसीराबाद से श्रीनगर 33/11 के. वी. की विद्युत लाइन व सब-स्टेशन के कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति कब दी गयी ?

(2) यह कार्य किस तारीख से प्रारम्भ किया गया व अभी तक इस पर कितनी धन राशि व्यय हो चुकी है ?

(3) राज्य सरकार किसानों को बिजली पूरी व सही उपलब्ध न होने की समस्या को देखते हुए इस कार्य को क्या यथाशीघ्र पूरा कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) अजमेर जिले में नसीराबाद से श्रीनगर तक 14 कि. मी. 33 के. वी. लाइन व श्रीनगर में 33/11 के. वी. लाइन सब-स्टेशन निर्माण हेतु प्रशासनिक स्वीकृति माह नवम्बर, 1989 में दी गई थी।

(2) उक्त लाइन का कार्य माह दिसम्बर, 89 में प्रारम्भ किया गया तथा इस पर अब तक लगभग 10,23,292 रुपये व्यय किये जा चुके हैं।

(3) जी हां, ये कार्य वर्ष 1990–91 में पूर्ण करने की योजना है।

छबड़ा क्षेत्र में विद्युतिकरण

328. श्री प्रकाश चन्द बैरवा (फागी) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री प्रकाश चन्द बैरवा)

(1) क्या विधान सभा क्षेत्र छबड़ा के अनुसूचित जाति के परिवारों के गांवों में बिजली पहुंचाई हुई है ?

(2) यदि हां, तो किन-किन गांवों में नहीं तो क्यों ? अब कब तक बिजली पहुंचाने का सरकार विचार रखती है ?

(3) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र छबड़ा के अन्तर्गत अनेक गांवों की अनुसूचित जाति की बस्तियों में पोल खड़े कर रखे हैं ? यदि हां, तो क्या उनमें बिजली की लाइन खींच कर विद्युत प्रवाहित कर दी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। छबड़ा विधान सभा क्षेत्र के विद्युतिकृत गांवों में से विद्युतिकरण हेतु स्वीकृत अनुसूचित जाति की बस्तियों में बिजली पहुंचाई हुई है।

(2) विधान सभा क्षेत्र छबड़ा के जिन 17 ग्रामों की अनुसूचित जाति की बस्तियों में विद्युत पहुंचाई गई है उनकी सूची परिशिष्ट "अ" में संलग्न है। ग्रामों की हरिजन बस्तियों की सूचना विद्युत मण्डल में संकलित नहीं की जाती है। शेष विद्युतिकृत ग्रामों में (व अविद्युतिकृत ग्रामों के विद्युतिकृत होने पर) जब-जब अनुसूचित जाति की बस्तियां विद्युतिकरण हेतु स्वीकृत होंगी उनमें बिजली पहुंचाई जायेगी।

(3) जी नहीं। उपरोक्त सभी स्वीकृत हरिजन बस्तियों में पोल व लाइन का कार्य पूर्ण करके ही उन्हें विद्युतिकृत किया गया है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट– 7देखें)

बूंदी जिले के ग्रामों का विद्युतिकरण

329. श्री मांगीलाल मेघवाल (पाटन) एवं

श्री श्रीकिशन सोनगरा (अजमेर पूर्व) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बून्दी जिले में अब तक कितने ग्रामों का विद्युतिकरण हो चुका है एवं कितने शेष हैं ? कृपया केशवरायपाटन विधान सभा क्षेत्र के ग्रामों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या जिले में सभी पंचायत मुख्यालयों को विद्युत से जोड़ा जा चुका है ? यदि नहीं तो क्यों ? कौन-कौन से ग्राम पंचायत मुख्यालय शेष हैं ?

(3) क्या केशवरायपाटन तहसील के शेष रहे ग्राम पंचायत मुख्यालयों एवं ग्रामों के लिये विभाग द्वारा कोई योजना बनाई गई है ? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) केशवरायपाटन तहसील में सहायक अभियन्ता लाखेरी के पास कितना स्टाफ विभिन्न जगहों पर कार्यरत है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या उक्त स्टाफ कार्य की दृष्टि से ग्रामों, उपभोक्ताओं आदि के लिये पर्याप्त है ? यदि नहीं, तो क्या और स्टाफ लगाया जायेगा ?

(6) क्या सरकार केशवरायपाटन में अतिरिक्त सहायक अभियन्ता का पद एवं

(श्री मांगीलाल मेघवाल)

कापरेन में कनिष्ठ अभियन्ता का पद सृजित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) बून्दी जिले में अब तक 637 ग्रामों का विद्युतिकरण किया जा चुका है। 161 ग्रामों का विद्युतिकरण शेष है। केशवरायपाटन विधान सभा क्षेत्र के 162 ग्रामों की सूची परिशिष्ट "अ" में संलग्न है।

(2) बून्दी जिले में कुल 143 में से 130 पंचायत मुख्यालयों को विद्युतिकृत किया जा चुका है 13 पंचायत मुख्यालयों का विद्युतिकरण शेष है, जिनकी सूची "ब" संलग्न है।

(3) केशवरायपाटन तहसील के शेष 78 में से 77 ग्रामों के विद्युतिकरण हेतु ग्रामीण विद्युतिकरण निगम की योजना मार्च, 90 में स्वीकृत हो गई है। ग्रामों की सूची संलग्न परिशिष्ट "स" में है।

(4) सहायक अभियन्ता लाखेरी के अन्तर्गत 7 तकनीकी एवं 15 मंत्रालयिक कर्मचारी कार्यरत हैं। विवरण संलग्न परिशिष्ट "द" में प्रदर्शित है।

(5) मित्तव्ययता की दृष्टि से मण्डल ने नई भर्ती पर रोक लगाई हुई है। मण्डल की आर्थिक स्थिति को देखते हुये फिलहाल यहां और स्टाफ लगाया जाना संभव नहीं है।

(6) जी नहीं, मित्तव्ययता के कारण वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

छात्राओं को निःशुल्क उच्च शिक्षा

330. **श्री हरीश झामनानी** (अजमेर पश्चिम) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अजमेर नगर में राजकीय महाविद्यालय में पढ़ने वाली छात्राओं की संख्या कितनी है ?

(2) क्या राज्य सरकार छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा देने की सरकारी नीति की पालना कर रही है ? यदि हां, तो क्या-क्या सुविधायें दी जा रही हैं ?

(3) अजमेर नगर में लड़कियों के अध्ययन हेतु राजकीय महाविद्यालय के अतिरिक्त और क्या व्यवस्थायें हैं ?

उत्तर

(1) अजमेर नगर में राजकीय महाविद्यालय में पढ़ने वाली छात्राओं की संख्या सत्र 89–90 में 937 है।

(2) जी हां, राजकीय महाविद्यालयों में छात्राओं से किसी प्रकार का शिक्षण शुल्क नहीं लिया जाता है।

(3) अजमेर नगर में राजकीय महाविद्यालय के अतिरिक्त छात्राओं के अध्ययन के लिए निम्नलिखित सहायता प्राप्त महाविद्यालय भी चल रहे हैं।

(शिक्षा मंत्री)

1–आदर्श डिग्री कालेज, अजमेर

2–सोफिया कन्या कालेज, अजमेर

3–सावित्री कन्या कालेज, अजमेर

इसके अतिरिक्त निम्न सहायता प्राप्त कालेजों में भी छात्राओं को सहशिक्षा की व्यवस्था है।

1–दयानन्द कालेज, (पी. जी.)

2–श्रमजीवी कालेज, (पी. जी.)

ग्राम अखैपुरा (दातारामगढ़) में सौर ऊर्जा पावर हाउस

331. श्री अजय सिंह (दातारामगढ़) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि ग्राम अखैपुरा तहसील दातारामगढ़, जिला सीकर समुद्रतल से जमीन पर सबसे ऊंचा स्थान है ? यदि हां, तो क्या सरकार गुडगांवा (हरियाणा) की तरह ही यहां सौर ऊर्जा पावर हाउस बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

ग्राम अखैपुरा तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर वर्ष 1984 में नया राजस्व ग्राम घोषित हुआ है। यह ग्राम वर्ष 1981 में शिशु ग्राम की ढाणी था। ग्राम अखैपुरा समुद्रतल से जमीन पर सबसे ऊंचा स्थान नहीं है। ग्राम अखेपुरा की समुद्रतल से ऊंचाई सर्वे आफ इण्डिया के अनुसार 456 मी. है। इसके पास ग्राम हरीपुरा की ऊंचाई 522 मी. है । गुड़गांव के समीप ग्वाल पहाड़ी में भारत सरकार के गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत विभाग के अन्तर्गत सौर ऊर्जा अनुसंधान केन्द्र में एक 50 कि. वा. का सोलर थर्मल पावर स्टेशन प्रदर्शन एवं अनुसंधान के रूप में लगाया गया है। जिस पर प्रयोगात्मक परीक्षण किये जा रहे हैं।

सौर ऊर्जा से संचालित पावर हाउस स्थापित किये जाने का समुद्रतल से ऊंचाई ही एक मात्र मापदण्ड नहीं है। इसके लिये पिछले 20-30 वर्षों के विभिन्न प्रकार के मौसम विभाग के आंकड़े जैसे सूर्य की तीव्रता, पानी की उपलब्धता, हवा का वेग, वातावरण में धूल कणों की सघनता, आकाश में बादलों का ठहराव इत्यादि का गहन अध्ययन कर प्रस्ताव भारत सरकार के गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत विभाग को भेजे जाते हैं तथा उनकी सहमति से अग्रिम कार्यवाही की जाती है।

ग्राम अखैपुरा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर के उक्त आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। इस प्रकार के आंकड़े मौसम विभाग में देश के प्रमुख मौसम अनुसंधान केन्द्रों के ही उपलब्ध हैं । अतः अखैपुरा में सौर ऊर्जा से संचालित पावर हाउस स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

पंचायत समिति, बाप एवं फलौदी के ग्रामों का विद्युतिकरण

332. श्री पूनमचन्द विश्नोई (फलौदी) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

(1) पंचायत समिति, बाप एवं फलौदी जिला-जोधपुर में नये गठित राजस्व ग्रामों सहित कितने-कितने राजस्व गांव हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त गांवों में से अब तक, कितने गांवों का विद्युतिकरण हो चुका है ?

(3) उक्त गांवों में से प्रत्येक पंचायत समिति के कौन-कौन से गांवों का इस वर्ष विद्युतिकरण होगा ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) 1981 की जनगणना पुस्तिकानुसार पंचायत समिति बाप एवं फलौदी में क्रमशः 76 व 52 ग्राम हैं। नामों की सूची "अ" संलग्न है।

(2) उक्त ग्रामों में से माह मार्च, 1990 तक पंचायत समिति बाप एवं फलौदी में क्रमशः 62 व 51 ग्रामों का विद्युतिकरण किया जा चुका है।

(3) वर्ष 1990-91 के दौरान पंचायत समिति बाप का ग्राम दुरगानी व पंचायत समिति फलौदी का ग्राम फलौदी (ग्रामीण) विद्युतिकरण हेतु प्रस्तावित है। बाप पंचायत समिति के शेष 13 ग्रामों के लिये विद्युतिकरण की योजना स्वीकृति हेतु प्रस्तावित है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-8 देखें)

डीग क्षेत्र के ग्रामों का विद्युतिकरण

333. श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (डीग) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) डीग कस्बे की विद्युत व्यवस्था को सुधारने हेतु क्या सरकार 2.5 एम. वी. ए. का ट्रांसफार्मर लगाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(2) विधान सभा क्षेत्र डीग के समस्त ग्रामीण क्षेत्र का विद्युतिकरण कब तक करवा दिया जायेगा ?

(3) डीग तहसील के जनूथर गांव स्थित नये सब स्टेशन को कब तक चालू कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) पूर्व में जनूथर को विद्युत आपूर्ति डीग कस्बे में लगे ट्रांसफार्मर द्वारा की जाती थी, लेकिन जनूथर ग्राम में एक नया सब स्टेशन के बन जाने से डीग कस्बे में लगे ट्रांसफार्मर पर भार कम हो जाने से डीग कस्बे की विद्युत व्यवस्था में सुधार हुआ है अतः वर्तमान में डीग कस्बे में 2.5 एम. वी. ए. क्षमता का ट्रांसफार्मर लगाने का विचार नहीं है।

(2) ग्रामों का विद्युतिकरण प्रतिवर्ष वार्षिक योजना मद में उपलब्ध वित्तीय संसाधनों एवं लक्ष्यों के अनुसार किया जाता है। अतः डीग विधान सभा क्षेत्र के सभी ग्रामों का विद्युतिकरण कब तक कर दिया जायेगा इसके बारे में निश्चित समयावधि बता पाना संभव नहीं है।

(3) डीग तहसील के जनूथर ग्राम स्थित नये सब स्टेशन में 1 एम. वी. ए. का ट्रांसफार्मर प्रतिस्थापित कर चालू कर दिया गया है।

पंचायत समिति क्षेत्र मकराना के ग्रामों का विद्युतिकरण

334. श्री बिरधा राम चौधरी (मकराना) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पंचायत समिति, क्षेत्र मकराना में कुल ग्रामों में से किस-किस ग्राम को अब तक विद्युतिकृत किया जा चुका है ?

(2) विद्युत विहीन ग्रामों को कब तक सरकार की विद्युतिकृत करने की योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या उक्त पंचायत समिति क्षेत्र में ऐसे ग्राम भी हैं जो विद्युतिकरण हेतु स्वीकृत किये जा चुके हैं, लेकिन इनमें अभी तक लाइन नहीं खींची गई है, एवं न ही मौके पर विद्युतिकृत हुए हैं ? यदि हां, तो उनमें कब तक लाइन खींची जाकर विद्युतिकरण कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति मकराना में कुल 108 ग्रामों में से 97 ग्रामों का विद्युतिकरण किया जा चुका है। सूची परिशिष्ट "अ" में संलग्न है।

(2-3) पंचायत समिति मकराना के शेष 11 ग्राम अविद्युतिकृत हैं। इन ग्रामों का विद्युतिकरण वार्षिक योजना मद में उपलब्ध वित्तीय साधनों एवं लक्ष्यों के अनुसार किया जा सकेगा। अतः निश्चित समयावधि बता पाना अभी संभव नहीं है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-9 देखें)

नागौर एवं मूंडवा क्षेत्र के गांवों का विद्युतिकरण

335. श्री गुलाम मुस्तफा खान (नागौर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र नागौर एवं मूंडवा के किन-किन गांवों का विद्युतिकरण किया जा चुका है, तथा कितने शेष हैं ?

(2) जिन गांवों में बिजली अभी तक नहीं पहुंचायी गयी है, उन गांवों में कब तक बिजली की व्यवस्था कर दी जायेगी ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र नागौर एवं मूंडवा के क्रमशः 69 एवं 126 गांवों का विद्युतिकरण माह मार्च, 1990 के अन्त तक किया जा चुका है तथा क्रमशः 23 एवं 6 ग्राम शेष हैं।

(2) विधान क्षेत्र नागौर एवं मूंडवा में क्रमशः 23 एवं 6 ग्राम विद्युतिकरण हेतु वर्तमान में क्षेत्र की चल रही ग्रामीण विद्युतिकरण निगम परियोजनाओं में स्वीकृत हैं। इन ग्रामों का विद्युतिकरण राज्य सरकार द्वारा योजना मद में ग्रामीण विद्युतिकरण हेतु आवंटित वित्त एवं घोषित वार्षिक लक्ष्यों के अनुरूप आगामी वर्षों में संभव हो सकेगा।

सहायक अभियन्ता, ब्यावर के कार्य का विभाजन

336. श्री किशन गोपाल कोगटा (मसूदा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री किशन गोपाल कोगटा)

(1) क्या राज्य सरकार सहायक अभियन्ता कार्यालय, ब्यावर को ग्रामीण एवं शहरी दो अलग भागों में विभाजित कर कार्य का दबाव कम करने का विचार कर रही है ?

(2) यदि हां, तो इन पर कब तक कार्यवाही पूरी हो जायेगी ?

उत्तर

(1) जी हां, इस आशय का एक प्रस्ताव मुख्य अभियन्ता कार्यालय से मण्डल सचिवालय को प्राप्त हुआ है।

(2) इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में कुछ आवश्यक सूचनाऐं एकत्र की जा रही हैं। सूचनाऐं प्राप्त होने पर प्रशासनिक सुविधा, भविष्य में कार्यभार का विस्तार, सम्भावित राजस्व में बढ़ोतरी, वित्तीय भार एवं मण्डल की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुये नया उपखण्ड सृजन करने का निर्णय लिया जावेगा।

टोडाभीम क्षेत्र में वनों की अवैध कटाई

337. **श्री रामस्वरूप मीणा** (टोडाभीम) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सवाई माधोपुर जिले के वन विभाग कार्यालय में कुल कितने कर्मचारी कार्यरत हैं ?

(2) क्या यह सही है कि टोडाभीम थाना क्षेत्र में भारी मात्रा में हरी लकड़ियां काटी जाकर विभाग की मिलीभगत से ट्रकों एवं लड्ढियों द्वारा क्षेत्र से बाहर जा रही हैं ? यदि हां, तो पिछले एक वर्ष में ऐसे कितने मामले बनाये गये ? अपराधी, ट्रेक्टर एवं गाड़ी सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सवाई माधोपुर जिले में वन विभाग के तीन कार्यालय कार्यरत हैं जिनमें कुल 375 कर्मचारी कार्यरत हैं।

(2) जी नहीं। वन क्षेत्र से हरी लकड़ियां काट कर नहीं लाई जा रही हैं।

सिवाना क्षेत्र के औषधालय में रिक्त पद

338. **श्री हुकमाराम मेघवाल** (सिवाना) एवं
श्री मनोहर सिंह इन्दा (शेरगढ़) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र सिवाना में किन-किन स्थानों पर कितने आयुर्वेदिक औषधालय कार्यरत हैं तथा कितने और खोले जाने की स्वीकृति हो चुकी है ?

(2) उक्त चिकित्सा केन्द्रों में कितने व किन-किन पदों पर पदस्थापन किया जा चुका है, व कितने व कहां-कहां पर रिक्त पड़े हैं ? रिक्त पदों को कब तक भर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सिवाना जिला बाड़मेर में वर्ष 1989–90 में एक नवीन आयुर्वेद औषधालय ग्राम निठौड़ा में स्वीकृत किया गया है। इसके पूर्व इस विधान सभा क्षेत्र के लिये 12 औषधालय स्वीकृत हैं।

(आयुर्वेद राज्य मंत्री)

(2) विधान सभा क्षेत्र सिवाना में स्वीकृत औषधालयों के लिये पद स्थापित स्टाफ एवं रिक्त पड़े पदों का विवरण सदन के पटल पर (परिशिष्ट "क") रख दिया गया है।

रिक्त पदों को भरने के लिए विज्ञप्ति जारी की जा चुकी है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 10 देखें)

पंचायत समिति, डग के ग्राम नन्दपुर का औषधालय

339. **श्री बालचन्द आर्यवीर** (डग) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि डग पंचायत समिति के ग्राम नन्दपुर के आयुर्वेद औषधालय में लगभग दो वर्षों से दवाइयां उपलब्ध नहीं करवाई गई हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) उक्त औषधालय में गत 5 वर्षों में कब-कब, कितनी-कितनी मात्रा में औषधियां उपलब्ध करवाई गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) वांछित विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 11 देखें)

राज्य में नवीन आयुर्वेद महाविद्यालय

340. **श्री बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में वर्ष 1990-91 में कहां-कहां आयुर्वेद महाविद्यालय खोले जायेंगे ?

(2) क्या यह सही है कि बीकानेर में पूर्व में आयुर्वेद महाविद्यालय कार्यरत था ? यदि हां, तो इसे पुन कब प्रारम्भ कर दिया जावेगा ?

(3) क्या राज्य में निजी आयुर्वेद महाविद्यालय खोलने हेतु कोई नीति बनाई गई है ? यदि हां, तो उसकी प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में वर्ष 1990-91 में कोई नवीन आयुर्वेद महाविद्यालय खोलना प्रस्तावित नहीं है क्योंकि राज्य में पहले ही 5 आयुर्वेद कालेज चल रहे हैं जो वर्तमान आवश्यकता को देखते हुए पर्याप्त हैं।

(2) जी हां। पूर्व में वर्ष 1970-71 तक बीकानेर में सनातन धर्म आयुर्वेद महाविद्यालय के नाम से एक आयुर्वेद महाविद्यालय संचालित था। इसे पुनः प्रारम्भ करने का कोई विचार नहीं है।

(3) जी नहीं।

उप वैद्य प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रवेश

341. **श्री सांवरलाल** (भिनाय) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री सांवरलाल)

(1) राज्य में कितनी उप वैद्य प्रशिक्षण संस्थाऐं कहां-कहां पर हैं एवं उनमें प्रवेश संबंधी क्या नियम हैं ?

(2) राज्य सरकार इन संस्थानों में प्रवेश नियमों की सख्ती से पालन को किस प्रकार सुनिश्चित करती है ?

(3) क्या राज्य सरकार भविष्य में और उपवैद्य प्रशिक्षण संस्थाएं खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) राज्य में 6 नर्स/कम्पाउण्डर प्रशिक्षण केन्द्र निम्न स्थानों पर संचालित हैं—

1—अजमेर—4—मंचकुड-धौलपुर
2—जोधपुर 5—भांखरोटा-जयपुर
3—उदयपुर 6—बापूनगर-जयपुर

इन प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रवेश संबंधी नियमों की प्रति सदन की पटल पर रख दी गई है।

(2) अजमेर, जोधपुर व उदयपुर स्थित तीनों राजकीय प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रवेश हेतु निर्धारित नि०मों की पालना सख्ती से की जाती है। निजी क्षेत्र के प्रशिक्षण केन्द्रों पर विभाग का नियन्त्रण न होने के कारण इन केन्द्रों में प्रवेश उन्हीं के स्तर पर किए जाते हैं। विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश के लिए योग्यता निर्धारित की हुई है।

(3) फिलहाल नई प्रशिक्षण संस्था खोलने का राज्य सरकार का विचार नहीं है।

(नियमों की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

वेस्ट सकेत सहकारी समिति रामगंज मण्डी, कोटा

342. श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या रामगंज मण्डी कोटा में वेस्ट सकेत सहकारी समिति के पास लाइम स्टोन का लीज क्षेत्र है ?

(2) क्या पूर्व मे किसी अनियमितता के कारण इस समिति की लीज निरस्त की गई थी ? यदि हां, तो ऐसा होने के बावजूद इस समिति को खनन कार्य जारी रखने की अनुमति दिये जाने के क्या कारण हैं ?

(3) लीज नवीनीकरण का मामला क्या भारत सरकार के पास विचाराधीन है ?

(4) यदि हां, तो यह प्रकरण विचाराधीन होते हुए एवं लीज समाप्त हो जाने के बावजूद खनन कार्य की अनुमति देने वाले दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

(5) क्या इसी प्रकार का प्रकरण रामगंज मण्डी की ईस्ट सकेत सहकारी समिति के विरुद्ध भी है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। खनन कार्य की अनुमति राज्य सरकार द्वारा दी गई है।

(2) जी हां, केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेश दिनांक 6.10 89 के कारण

(खनिज राज्य मंत्री)

क्षेत्र किसी अन्य पार्टी को स्वीकृत नहीं किया जा सकता इसलिए राज्य सरकार को स्थिरभाटक व रायल्टी के रूप में आय प्राप्त करने तथा सहकारी समिति द्वारा मजदूरों को नियोजन देने के दृष्टिकोण से अन्य शर्तों के साथ रुपये 18.00 लाख की बैंक गारण्टी प्रस्तुत करने की शर्त पर कार्य अनुमति दी गई है।

(3) जी नहीं।

(4) प्रश्न ही नहीं उठता।

(5) जी हां, खनन कार्य की अनुमति दी गई है।

अतारांकित प्रश्न संख्या 343

(स्थगित)

महिला एवं बाल विकास विभाग में विभागीय पदोन्नति

344. **श्री मदनलाल सैनी** (गुढ़ा) : क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि महिला बच्चे एवं पोषाहार परियोजना के आर. ए. एस. एवं आर. टी. एस. अधिकारी लगाने के बाद परियोजना के कार्य स्तर में गिरावट अधिक आई है ? यदि हां, तो क्या सरकार समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों में से इन पदों पर पदस्थापित/पदोन्नति करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

राज्य में बिजली उत्पादन का प्रतिशत

345. **श्री हजारीलाल** (खेतड़ी) एवं **श्री गोविन्दसिंह गुर्जर** (नसीराबाद) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में बिजली उत्पादन का विभिन्न स्रोतों का प्रतिशत क्या है ?

(2) क्या यह सही है कि हाइडल एवं न्यूकलियर पावर का प्रतिशत कम होता जा रहा है तथा थर्मल का बढ़ता जा रहा है ? यदि हां, तो इससे मिलने वाली मंहगी बिजली का संतुलन राज्य सरकार किस प्रकार से करने का इरादा रखती है ?

उत्तर

(1) राजस्थान में विभिन्न स्रोतों से विद्युत उपलब्धि निम्नलिखित है :—

1.	पन विद्युत ग्रहों से	956.91 एम. डब्ल्यू.	35.29%
2.	ताप विद्युत ग्रहों से	1160.00 एम. डब्ल्यू.	42.79%
3.	गैस आधारित विद्युतग्रहों से	132.00 एम. डब्ल्यू,	4.87%
4.	अणु विद्युत ग्रहों से	462.50 एम. डब्ल्यू	17.05%
		2711.41 एम. डब्ल्यू.	

(ऊर्जा मंत्री)

(2) जी हां। राज्य में जल संसाधन उपलब्ध न होने के कारण कोयला या गैस पर आधारित केन्द्रीय विद्युत परियोजनाओं से बिजली लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।

टोंडाभीम एवं नादौती तहसील के विचाराधीन विद्युत कनेक्शन

346. श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) टोडाभीम तहसील एवं नादौती तहसील के कितने आवेदन-पत्र विद्युत कनेक्शन हेतु स्थानीय कार्यालय में विचाराधीन हैं ? कृपया वर्षवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 1989-90 में विद्युतीकरण के क्या लक्ष्य निर्धारित थे, जिनके तहत उक्त तहसीलों के कितने ग्रामों का विद्युतिकरण अब तक कर दिया गया, कितनों का नहीं किया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) ग्रामीण विद्युतीकरण सहकारी समिति लि. टोडा-भीम के अन्तर्गत आने वाली टोडाभीम तहसील में 31.3.1990 तक 1265 कृषि आवेदन पत्र विचाराधीन हैं। नादौती तहसील में वर्ष 1979-80 से 1989-90 तक 325 कृषि आवेदन पत्र विचाराधीन हैं। नादौती तहसील में विचाराधीन आवेदन पत्रों की संख्या सूची का वर्षवार विवरण परिशिष्ट "अ" में संलग्न है।

(2) टोडाभीम तहसील एवं नादौती तहसील में वर्ष 1989-90 में कोई लक्ष्य आवंटित नहीं किये गये थे। टोडाभीम तहसील के कुल 141 ग्राम एवं नादौती तहसील के कुल 84 ग्राम मार्च, 1989 तक विद्युतिकृत किये जा चुके हैं जिनकी सूची "ब" व "स" संलग्न हैं। वर्तमान में कोई ग्राम उक्त तहसीलों में विद्युतिकरण हेतु शेष नहीं हैं।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

बांसवाड़ा नगरपालिका क्षेत्र में अतिक्रमण

347. श्री बहादुर सिंह (दानपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बांसवाड़ा नगरपालिका क्षेत्र में जिन व्यक्तियों द्वारा वर्ष 1971 के पूर्व भूमि पर अवैध कब्जे किये गये थे, क्या उन्हें राज्य सरकार के अतिक्रमण नियमन आदेश, 1971 के तहत नियमन कर पट्टे दे दिये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) वर्ष 1971, 1981, 1894 में अतिक्रमण नियमन करने संबंधी आदेशों के अन्तर्गत कितने व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण के प्रकरण नगरपालिका द्वारा बनाये गये हैं ?

(श्री बहादुर सिंह)

(3) क्या इन अतिक्रमण कर्ताओं को नियमों के अन्तर्गत नियमन कर पट्टे जारी कर दिये गये हैं ? यदि हां, तो सूची सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) वर्ष 1971 के पूर्व के अवैध कब्जों की कोई सूची नगरपालिका में नहीं है एवं न ही इनका नियमन किया गया है।

(2) जिला कलक्टर द्वारा वर्ष 1981 में करवाये गये सर्वे के आधार पर कुल 77 व्यक्तियों के प्रकरण नगरपालिका द्वारा बनाये गये हैं। 1984 का कोई भी प्रकरण नहीं है।

(3) कुल 77 अवैध कब्जों के मामलों में से 5 व्यक्तियों के कब्जे नियमित कर पट्टे जारी कर दिये गये हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 12 देखें)

नागौर क्षेत्र में गंदे पानी से बीमारियाँ

348. श्री गुलाम मुस्तफा खान (नागौर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नागौर शहर के गाजीरवाड़ा, शिवबाड़ी, दुलाया, अदोलिया क्षेत्र में कई वर्षों से गन्दा पानी इकट्ठा रहता है, जिसके कारण अनेक बीमारियां फैलने की सम्भावना है ?

(2) राज्य सरकार उक्त गंदे पानी की निकासी हेतु अब क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

उत्तर

(1) यह सही है कि नागौर शहर के गाजीवाड़ा, शिवबाडी, दुलाया, अदोलिया क्षेत्र में गंदा पानी इकट्ठा होता है, जिसकी निकासी करदी जाती है। बीमारी फैलने की कोई सूचना नहीं है। इन स्थानों पर नगर पालिका द्वारा फिनाइल, ब्लीचिंग पाउडर तथा कीटनाशक दवायें आदि समय-समय पर डाल दी जाती हैं।

(2) उक्त स्थानों के गंदे पानी के निकासी के लिए राज्य सरकार ने वर्ष 1977 में सर्वे एण्ड ड्रेनेज विभाग के माध्यम से एक योजना लगभग 31·67 लाख रुपये की बनवाई गई थी, जो स्वीकृत नहीं हुई। वर्ष 1977-78 में स्ट्रीम वाटर ड्रेनेज की एक योजना लगभग 15·50 लाख की राज्य सरकार ने स्वीकृत की थी। उक्त योजना के अन्तर्गत जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग खण्ड, नागौर द्वारा 15·89 लाख रुपये की राशि वर्ष 79-80 तक व्यय की गई। अब सरकार वित्तीय साधनों के अनुरूप इस समस्या के समाधान के लिए प्रयत्नशील है।

अजमेर नगर परिषद् की सीमा में हैण्ड पम्प

349. श्री हरीश झामनानी (अजमेर पश्चिम) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सरकार द्वारा अजमेर नगर परिषद् सीमा में गत 5 वर्षों में कुल कितने हैण्ड पम्प खुदवाये गये हैं ?

(श्री हरीश भामनानी)

(2) वर्तमान में कुल कितने हैण्ड पम्प सूखे पड़े हैं ? उन पर कितनी लागत आई है ?

(3) अजमेर नगर में कितनी कच्ची बस्तियों को इस वर्ष पाइप लाइन से जोड़ने की योजना है ? उस पर कितना धन व्यय होगा ?

(4) अजमेर नगर में मार्च, 1990 से 30 मई, 1990 तक प्रतिदिन प्रति व्यक्ति कितना पेयजल उपलब्ध कराया गया ?

(5) अजमेर नगर की कितनी बस्तियों को किन कारणों से धनराशि जमा कराने के उपरान्त भी पाइप लाइन से नहीं जोड़ा गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(6) अजमेर नगर सुधार न्यास द्वारा निर्मित कुल कितनी बस्तियों में पाइप लाइन से पेयजल उपलब्ध कराने हेतु प्रार्थना-पत्र विचाराधीन हैं ?

उत्तर

(1) अजमेर नगर परिषद सीमा में विगत पांच वर्षों में मार्च 90 तक 884 हैण्ड पम्प खोदे गये हैं।

(2) वर्तमान में उपरोक्त में से 96 हैण्ड पम्प सूखे हुए हैं, इन पर लगभग 9.60 लाख रु. की राशि व्यय की गई है।

(3) अजमेर नगर में 15 कच्ची बस्तियों में पिछले वर्ष प्राप्त राशि से कार्य प्रगति पर है। इस बस्तियों पर कुल 3 लाख की राशि व्यय की जावेगी। इस वर्ष कार्य पूर्ण कर दिया जाना सम्भावित है।

(4) अजमेर नगर में मार्च 90 से 30 मई, 90 तक प्रति व्यक्ति प्रतिदिन औसतन 56.00 लीटर पानी दिया गया।

(5) अजमेर नगर में स्थानीय प्रार्थियों से राशि प्राप्त 4 बस्तियों में एवं नगर विकास न्याय से राशि प्राप्त 3 बस्तियों में पाइप लाइन डाली जानी थी। उपरोक्त वर्णित 4 बस्तियों में कार्य प्रगति में है। तीन बस्तियों में से दो हेतु आंशिक धनराशि प्राप्त हुई है अतः पूर्ण राशि प्राप्त होने पर कार्य किये जाना प्रस्तावित है। शेष एक बस्ती में कार्य शीघ्र प्रारम्भ किया जा रहा है।

(6) न्यास द्वारा निर्मित 5 और बस्तियों में पाइप लाइन डाले जाने हेतु प्रार्थन-पत्र विचाराधीन है।

पूर्व अधिशाषी अभियन्ता, तारानगर के विरुद्ध शिकायतें

350. श्री चम्पालाल बांठिया (पचपदरा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पूर्व अधिशाषी अभियन्ता, तारानगर के विरुद्ध शिकायतों के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

(2) अतारांकित प्रश्न संख्या 201 (3/जलदाय मं./जन स्वा./अता.) दिनांक 17 मार्च, 1989 के सन्दर्भ में राज्य

(श्री चम्पालाल बांठिया)

सरकार ने उनके विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त अभियन्ता ने शिकायतों के सन्दर्भ में विभाग को लिखकर दिया है कि उनका जयपुर में कोई मकान नहीं है ? यदि हां, तो तत्सन्दर्भ में सरकार क्या जयपुर में उनके हरिमार्ग सिविल लाइन्स स्थित मकान को जब्त करने का इरादा रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) सन्दर्भित अधिकारी के विरुद्ध प्राप्त तीन शिकायतों में से एक पर जांच पूर्ण हो चुकी है तथा दो पर जांच प्रगति में हैं।

(2) सन्दर्भित प्रश्न में की गई 5 शिकायतों में एक में नियमानुसार कार्यवाही की जा चुकी है, दो में मामला प्रमाणित नहीं हो सका है। एक में प्रारम्भिक जांच प्रगति में है तथा एक में मामला न्यायालय में विचाराधीन है। अधिकारी का स्थानान्तरण अक्टूबर, 1988 में कर दिया गया है।

(3) जी हां। उक्त संपति अधिकारी की न होने के कारण जब्त करने की कार्यवाही आवश्यक नहीं है।

जनतानगर, लक्ष्मीनगर (जयपुर) की पाइप लाइन

351. **श्री प्रकाशचन्द बैरवा** (फागी) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर नगर में जनता नगर (रांकडी) लक्ष्मीनगर के पीछे के प्लास्टिक की पाइप लाइन सोसायटी के सनस्यों द्वारा डाली जाकर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को सुपुर्द कर दी थी ? यदि हां, तो कब ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त पाइप लाइन काफी पुरानी तथा जगह जगह पर क्षतिग्रस्त होने से नलों में पानी नहीं आता है ?

(3) क्या राज्य सरकार इस भयंकर गर्मी में निवासियों के पानी के संकट को दूर करने के लिये उक्त पाइप लाइन को बदल कर सीमेन्ट की पी. वी. सी. लाइन बिछाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

(4) क्या उक्त कॉलोनी में जनता की मांग व पानी की समस्या को मध्य नजर रखते हुए दो हैण्ड पम्प लगाने का भी विचार है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जनता नगर (रांकड़ी) में गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा लगभग 10 वर्ष पूर्व एल्काथीन की पाइप लाइन डाली गई थी जिस पर विभाग द्वारा जल संबंध दिये गये हैं।

(2) पाइप लाइन पुरानी व कम

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

क्षमता की होने के कारण उपभोक्ताओं को कम दबाव से जल उपलब्ध होता है।

(3) उक्त पाइप लाइन को धन उपलब्धता के अनुसार बदलने का कार्य किया जाना सम्भव होगा।

(4) उक्त कॉलोनी में एक हैण्डपम्प कार्यरत हैं तथा और हैण्डलूम लगाने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं हैं।

इन्द्रगढ़ तहसील में पेयजल व्यवस्था

352 **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बूंदी जिले की अतिरिक्त तहसील इन्द्रगढ़ के ग्राम मोहनपुरा तथा इन्द्रगढ़ में पेयजल की समुचित व्यवस्था नहीं होने से उपभोक्ताओं को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है ?

(2) यदि हां, तो उक्त स्थानों पर पेयजल की समुचित व्यवस्था करने हेतु विभाग ने अब तक क्या कार्यवाही की ?

(3) क्या सरकार जनहित में उक्त दोनों स्थानों पर शीघ्र पेयजल की उचित व्यवस्था करेगी ?

उत्तर

(1) ग्राम मोहनपुरा व इन्द्रगढ़ में वर्तमान में क्रमश: लगभग 16 लीटर तथा 76 लीटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन पेयजल मात्रा वितरित की जा रही है। इसके अतिरिक्त इन ग्रामों में क्रमश: 1 व 8 हैण्डपम्प भी कार्यरत हैं।

(2) ग्राम इन्द्रगढ़ में इस वर्ष कन्टिन्जेंसी प्लान के अन्तर्गत चार नये हैण्डपम्प लगाये गये हैं।

(3) ग्राम इन्द्रगढ़ में पेयजल व्यवस्था समुचित है तथा ग्राम मोहनपुरा में व्यवस्था धन उपलब्धता के अनुसार की जा सकेगी।

डीग कस्बे में पेयजल सुविधा

353. **श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर** (डीग) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या डीग कस्बे की जनता को मीठा पानी यथेष्ट मात्रा में पीने के लिए मुहैया करवाया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) डीग शहर को मीठे पानी की स्वीकृत योजना की क्रियान्विति करने में क्या कठिनाई है ? अब कब तक क्रियान्विति हो जायेगी ?

(3) उक्त तहसील के सभी खारे पानी के गांवों में मीठा पानी उपलब्ध कराने हेतु सरकार क्या प्रयास कर रही है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) डीग क्षेत्र के अन्तर्गत खराब पड़े हैण्डपम्पों की मरम्मत हेतु क्या सरकार स्थायी व्यवस्था करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) डीग कस्बे में लगभग 38 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जल मात्रा वितरित की जा रही है। पेयजल के निर्धारित मापदण्ड 500-1000 मि. ग्रा. / लीटर टी.डी.एस. (लवणों की मात्रा) अधिकतम के विरुद्ध 3000 मि. ग्रा./लीटर टी. डी. एस. युक्त जल वितरित किया जा रहा है। जिसका कारण वर्तमान संधारित योजना में स्रोत भूजल का होना है।

(2) स्वीकृत योजना का क्रियान्वयन उत्तर प्रदेश सरकार से वांछित मात्रा में आगरा कैनाल (स्रोतों) से जल उपलब्धि के पुष्टिकरण के पश्चात् सम्भव हो सकेगा।

(3) डीग तहसील के ग्रामों में मीठा पानी वितरित करने हेतु योजना का क्रियान्वयन धन उपलब्धता के अनुसार सम्भव होगा।

(4) डीग क्षेत्र में खराब पड़े हैण्ड पम्पों का संधारण पंचायत समिति के माध्यम से एवं समय समय पर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा अभियान चलाया जाकर ठीक किये जाने की व्यवस्था है।

अलवर शहर को साबी नदी से पेयजल

354. **श्री जीतमल जैन** (अलवर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या अलवर शहर को पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध कराने हेतु साबी नदी से पानी लाने की कोई योजना विचाराधीन है ?

(2) यदि हां, तो उक्त योजना पर कार्य कब तक प्रारम्भ हो जायेगा एवं व्यय कितना होगा ?

उत्तर

(1) जी हां, योजना के प्रस्ताव अभी प्रारम्भिक प्रारूप में हैं।

(2) व्यय का अनुमान अभी प्रारूप स्थिति में है। योजना पर कार्य धन उपलब्धता के अनुसार किया जाना सम्भव होगा।

डीग नगर पालिका में विकास कार्य

355. **श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर** (डीग) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि डीग नगरपालिका में वित्तीय साधनों की कमी के कारण सफाई, रोशनी तथा सड़कों की मरम्मत आदि विकास कार्य नहीं करवाये जा रहे हैं, जिससे आम जनता को काफी परेशानी हो रही है ? यदि हां, तो इस समस्या के स्थायी समाधान हेतु सरकार क्या कदम उठा रही है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

नगरपालिका, डीग में उपलब्ध वित्तीय साधनों के अनुरूप सफाई, रोशनी तथा सड़कों की मरम्मत आदि के विकास

(स्वायत्त शासन मंत्री)

कार्य करवाये जा रहे हैं। इस सम्बन्ध में जनता द्वारा समय-समय पर शिकायत किये जाने पर आर्थिक स्थिति के अनुसार उक्त शिकायतों का निराकरण करा दिया जाता है। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 86-87 में 30,000/- रु. विशेष अनुदान विकास कार्य हेतु दिया गया। नगरपालिका की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण वर्ष 89-90 में 35,000/- रु० कर्मचारियों के वेतन चुकाने के लिए दिया गया।

राज्य क्रीड़ा परिषद् के खेल अधिकारियों की आयु सीमा

356. **श्री राजेन्द्र गहलोत** (सरदारपुरा) : क्या खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद् में खेल अधिकारी के पद पर चयन करने के लिए क्या आयु सीमा निर्धारित है ?

(2) निर्धारित आयु सीमा में छूट देकर कितने खेल अधिकारियों का चयन किया गया ? यदि हां, तो किन-किन का किस आधार पर ? विगत 10 वर्ष का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या राज्य सरकार आयु सीमा में अवैध तरीके से दी गई छूट के सम्बन्ध में जांच करवाने का इरादा रखती हैं ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, खेल अधिकारी के पद पर चयन करने हेतु आयु राज्य सेवा नियमों के अनुसार निर्धारित है।

(2) परिषद् में खेल अधिकारियों के चयन की प्रक्रिया मार्च, 1986 से प्रारम्भ की गई। नियमों में निर्धारित आयु सीमा से अधिक एक खेल अधिकारी श्री ईश्वर सिंह का चयन वर्ष 1986 में किया गया। इसके अतिरिक्त अन्य किसी का चयन निर्धारित आयु सीमा से अधिक की आयु होने पर नहीं किया गया।

(3) जी हां। शीघ्र कार्यवाही की जावेगी।

ग्राम दौलतपुरा (जयपुर) में आयुर्वेदिक औषधालय

357. **श्री गोपीराम जाट** (आमेर) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि गांव दौलतपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर में कोई चिकित्सा व्यवस्था नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार वहां आयुर्वेदिक चिकित्सालय खोलने का विचार रखती है ?

(2) क्या सरकार की जानकारी में है कि गांव बांसना तहसील जमवा रामगढ़ जिला जयपुर में पहले से ही एक आयुर्वेदिक चिकित्सालय कार्यरत है ?

(3) यदि हां, तो उक्त गांव के लिए एक और आयुर्वेदिक औषधालय खोलने की स्वीकृति किस आधार पर प्रदान की गई है ?

(4) क्या सरकार गांव बांसना के लिए खोले जाने वाला आयुर्वेदिक औषधालय वहां न खोलकर प्रस्तावित औषधालय को ग्राम दौलतपुरा में खोलने पर

(श्री गोपीराम जाट)

विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या यह सही है कि गांव दौलतपुरा में औषधालय भवन के लिए दानदाता भवन देने के लिए तैयार हैं ? यदि हां, तो वहां औषधालय कब तक खोल दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, दौलतपुरा में आयुर्वेद चिकित्सालय खोलने पर वर्ष 1990-91 में विचार किया जायेगा।

(2) जी हां।

(3 व 4) ग्राम बांसना में जो एक और नवीन आयुर्वेद औषधालय राज्यादेश क्रमांक प. 1 (5) आयुर्वेद/89 दिनांक 21.12.89 द्वारा स्वीकृत किया गया है इसे अयंत्र खोले जाने की कार्यवाही की जा रही है।

(5) जी हां। दानदाता श्री दामोदर खण्डेलवाल से जून 90 में इस प्रकार का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

राजस्थान होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड

358. श्री उम्मेद सिंह (डीडवाना) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या राजस्थान होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड व राजस्थान सरकार केन्द्रीय होम्योपैथिक परिषद् एक्ट, 1973 की धारा 15 (2) के अनुरूप कार्य कर रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त अधिनियम की धारा 15 (2) की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां।

प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। अधिनियम की धारा 15 (2) की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(अधिनियम के लिए कृपया परिशिष्ट–13 देखें)

स्थगित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न सं. 46

(पुनः स्थगित)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 26 जून, 1990)

मण्डोर ग्राम में पट्टों का आबंटन

20. श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण) : क्या नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि शासन उप सचिव, नगरीय विकास एवं आवास (ग्रुप-2) विभाग ने अपने पत्र संख्या एफ. 19 (43) यू. डी. एच. / 85 दिनांक 27-10-1986 द्वारा जिला कलक्टर जोधपुर को भूमि रूपान्तरण के सम्बन्ध में कार्यवाही करने के आदेश दिए थे ? यदि हां, तो आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर ने रिट याचिका

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

संख्या 1658/1989 (डा. एम. सी. जैन कागजी बनाम राज्य सरकार) से सम्बन्धित स्टे याचिका संख्या 1309/1989 के निर्णय दिनांक 7-9-1989 में राज्यादेश संख्या एफ. 9 (105) यू. डी. एच. / 82 दिनांक 19-10-1982 एवं संख्या एफ. 9 (105) यू. डी. एच. / 82 दिनांक 22-7-1985 की क्रियान्विति पर तत्काल रोक लगा दी थी ? यदि हां, तो इस आदेश की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उप-खण्ड अधिकारी, भूमि रूपान्तरण, जोधपुर ने उक्त दोनों आदेशों की पूर्ण अवहेलना करते हुए सीलिंग अधिनियम से प्रभावित मण्डोर ग्राम के खसरा संख्या 1880 की कृषि भूमि के लाखों वर्ग मीटर क्षेत्रफल के सैकड़ों अवैध पट्टे जारी कर दिए जबकि बाद में उक्त अधिनियम की धारा 9 के तहत इस भूमि के अधिग्रहण का नोटिस क्रमांक अ. नि. / सीलिंग /जो. / 943 दिनांक 27-1-1990 द्वारा इसके खातेदार को सक्षम अधिकारी, जोधपुर द्वारा दिया गया ? इस नोटिस की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें।

(4) यदि हां, तो उपरोक्त अवैध पट्टे कब तक निरस्त किये जावेंगे एवं सम्बन्धित दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कब तक क्या कार्यवाही की जायेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के पत्र संख्या एफ. 19 (43) नविआ/85 दिनांक 27-10-86 के आदेश की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है। परिशिष्ट "क"

(2) जी हां। राजस्थान उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश दिनांक 7-9-89 की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है। परिशिष्ट "ख"

(3) प्रत्येक प्रकरण की जांच के पश्चात् ही इस बाबत जानकारी हो सकती है। सक्षम अधिकारी, जोधपुर के नोटिस क्रमांक सं. अनि / सीलिंग / जोधपुर / 943 दिनांक 27-1-90 की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है। परिशिष्ट "ग"

(4) प्रत्येक प्रकरण की जांच के पश्चात् ही आवश्यक कार्यवाही करना सम्भव होगा।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 29 जून, 1990)

सवाई माधोपुर में अवैध खनन

99. **श्री चुन्नीलाल (खण्डार)** : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला सवाई माधोपुर में कितनी खानें रायल्टी के आधार पर चल रही हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या जिला सवाई माधोपुर में कई क्रेशर अवैध रूप से चल रहे हैं व कई

(श्री चुन्नीलाल)

जगह पर अवैध खनन भी चल रहा ? यदि हाँ, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार अवैध खनन को रोकने व जिम्मेदार अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हाँ, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जिला सवाई माधोपुर में 9 क्षेत्र रायल्टी एवं परमिट फीस वसूली के ठेके पर चल रहे हैं। सूची संलग्न है।

(2) क्रेशर लगाने से सम्बन्धित कार्य इस विभाग द्वारा नहीं किया जाता इसलिए अवैध क्रेशर चलने सम्बन्धी जानकारी विभाग को नहीं है। अवैध खनन की जानकारी होने पर विभागीय अधिकारियों द्वारा अनाधिकृत खनन करने वालों के विरुद्ध नियमान्तर्गत कार्यवाही की जाती है। वर्तमान में कोई अवैध खनन नहीं चल रहा है।

(3) अवैध खनन रोकने के लिए विभाग द्वारा समय-समय पर प्रभावी कदम उठाये जाते हैं तथा अवैध खनन के लिए किसी अधिकारी का जिम्मेदार होने का प्रमाण नहीं आया है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 14 देखें)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नलिखित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :

(1) श्री गोविन्द सिंह एवं श्री जुबेर खान, सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य में फसल बीमा योजना को पुनः लागू करने के सम्बन्ध में।

(2) श्री अमीन खां, सदस्य विधान सभा की ओर से बाड़मेर जिले के ग्राम गडरारोड, गाकारिया, बीन्डा का पार में पी. एच. सी. भवन में चिकित्सक स्टाफ लगाने के सम्बन्ध में।

(3) श्री हेतराम बेनीवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान को-आपरेटिव डेयरी फेडरेशन द्वारा महालक्ष्मी मिलग्रेट मार्केटिंग सर्विसेज प्रा. लि. को सोल एजेन्ट बनाने के सम्बन्ध में।

सोल एजेन्ट बनाने के सम्बन्ध में ही माननीय श्री सुरेन्द्र व्यास, सदस्य, विधान सभा ने भी स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से अविलम्ब जानकारी प्राप्त की जा रही है। जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत

प्रस्ताव

1. श्री बालचन्द आर्यवीर, सदस्य, विधान सभा की ओर से डग विधान सभा क्षेत्र के गांवों के विद्युतिकरण के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

2. श्री सांवरलाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से ग्राम मण्डा, तहसील केकड़ी जिला अजमेर में अपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट होने के बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं किये जाने के सम्बन्ध में।

3. श्री बुलाकी दास कल्ला, सदस्य, विधान सभा की ओर से प्रदेश में भारी वर्षा से बाढ़ आने व 13 जनों के मारे जाने के सम्बन्ध में।

4. श्री ईश्वरलाल सैनी, सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य सरकार व अदालत के आदेश के बावजूद सरिस्का टाइगर प्रोजेक्ट के अन्तर्गत आने वाले हनुमान जी के मन्दिर तक जाने का शुल्क वसूलने के सम्बन्ध में।

5. श्री शान्तिलाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से रेलमगरा तहसील में सिंचाई योजना के सम्बन्ध में।

6. श्री रामकरणसिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से कोटपूतली ग्रामीण विद्युत सहकारी समिति लिमिटेड को राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल को सुपुर्द करने के सम्बन्ध में।

7. श्री सुरेन्द्र गोयल, सदस्य, विधान सभा की ओर से पुलिस विभाग में पुलिस आरक्षी की भर्ती में नियमों में सरलीकरण के सम्बन्ध में।

8. श्री जगन्नाथ वर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से छीपा बड़ौद जिला कोटा में विभिन्न फर्मों की लाखों रुपये की वाणिज्य कर वंचना की शिकायत के बावजूद भी विभाग द्वारा कोई कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दिये गये प्रस्ताव को पढ़ने की अनुमति होगी। मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि कुछ 295 के प्रस्ताव और हैं, वो मैं कल लगाऊंगा। आप चूंकि काफी काम है इसलिए कल बाकी पेंडिंग में रखे हुए हैं।

श्री बालचन्द आर्यवीर।

एक माननीय सदस्य : एक-एक बोलिये।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : माननीय मुख्य मन्त्री जी, पश्चिमी राजस्थान का दौरा करके आये हैं और बाढ़ से वहां पर स्थिति काफी खराब है। मैं यह नहीं कहना चाहता हूं सरकार काम नहीं कर रही। सरकार बहुत काम कर रही है, प्रशासन भी बहुत काम कर रहा होगा लेकिन सदन के अन्दर वक्तव्य आना चाहिये क्योंकि स्थिति बहुत गम्भीर है। और इस पर कोई मोशन की आवश्यकता नहीं होनी चाहिये क्योंकि सरकार की तरफ से खुद की तरफ से आज ही वक्तव्य आया है। इस प्रकार का मेरा अनुरोध है, मुख्यमंत्री जी यहां बैठे हैं कि आज ही सदन में कम से कम जालौर के अन्दर, सिरोही के अन्दर और जोधपुर के अन्दर बहुत ही नुकसान हो चुका है। प्रदेश कांग्रेस का भी वक्तव्य

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

था कि वहां पर कोई रिलीफ नहीं पहुंच पा रही हैं। वास्तविक स्थिति क्या है, यह जानकारी सदन को मिलनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : श्री कल्ला जी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्यमंत्री) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात कही, वह सही है। अगर आप चाहें तो मैं वक्तव्य आज ही दे दूं लेकिन मेरा एक निवेदन है कि अर्लियेस्ट वैसे तो परसों वक्तव्य दे दिया था। आज कई जगहों के रास्ते खुले हैं और रास्तों के खुलने तक सब लोग, सरकारी अधिकारी, स्वयं सेवी संस्थायें, म्युनिसिपल पार्टी के कार्यकर्ता, ये सब जगहों, स्थानों पर आज शाम तक पहुंच जायेंगे और रात को सारा फीड बैग मिल जायेगा, यदि आप चाहें तो कल वक्तव्य दे दूं।

एक माननीय सदस्य : हां, हां, कल दे दें वक्तव्य।

श्री अध्यक्ष : श्री चम्पालाल जी बांठिया, आप कुछ कहना चाहते हैं।

श्री चम्पालाल बांठिया (पचपदरा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बालोतरा से कल शाम को रवाना होकर के हैलीकाप्टर से आया हूं, 3000 लोगों के खाने के पैकेट ले करके आया था और वह गिराते हुए आया हूं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और केन्द्रीय सरकार के मंत्री श्री नाथूराम जी मिर्धा का बहुत अहसानमंद हूं कि उन्होंने आकर के और ऐसे समय के अन्दर हमारे को सम्भाला है। हालात बहुत खराब हो चुके थे और इस प्रकार के हालात थे, सारे के सारे गांव एक तरह से जलमग्न हो चुके थे। अभी भी कई एक गांवों के इर्द-गिर्द पानी है। अधिकारी वहां कोशिश करने के बावजूद भी कोई गांव के अन्दर पहुंच नहीं पा रहे हैं। जहां तक बालोतरा शहर का खुद का सवाल है, कोई एक किराने की दुकान, अनाज की दुकानों में पानी भर जाने से गंध उठ रही है और बहुत बदबू है। नगरपालिका का स्टाफ भी पूरी तरह से लगा हुआ है। वहां पर एस. पी. और कलक्टर दिन-रात वहां पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमारे सारे कार्यकर्ता वहां पर लगे हुए हैं, उसके बावजूद भी बहुत अधिक राहत कार्य की जरूरत है और मैं सरकार से इस तरह से खास तौर से निवेदन करना चाहता हूं कि कहीं महामारी न फैल जाय, कहीं इस प्रकार के हालात न हो जाय कि वे बेकाबू हो जाय। अभी पिछले 2 दिन से आसमान बिल्कुल साफ है, किसी तरह की बूंदा-बांदी भी नहीं हो रही है और इसलिए त्वरित गति से हमको काम करने की आवश्यकता है....

श्री अध्यक्ष : विराजिये।

श्री चम्पालाल बांठिया : अभी भी सारे रास्ते बन्द हैं और ये रास्ते जब तक नहीं खुलते दूसरे गांवों में हम पहुंच नहीं पा सकते हैं और इसलिए त्वरित गति की आवश्यकता है....

श्री अध्यक्ष : विराजिये।

श्री चम्पालाल बांठिया : हां पर कुछ अधिकारियों को भेजने की आवश्यकता है।

श्री अध्यक्ष : बैठिये। मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं आपकी महामारी के सम्बन्ध में।

श्री चम्पालाल बांठिया : वहां जो अराजनैतिक तत्व हैं वो लोग वहां पर अफवाह फैलाकर और गड़बड़ी पैदा कर रहे हैं और कुछ चोरी-चपाटी की भी वारदाते हैं। इसलिए एक्स्ट्रा कुछ यहां से फोर्स जायं, सिपाही जाय, कुछ अधिकारी जायं ताकि वहां स्वयंसेवी संस्थाओं और अधिकारियों को और बल मिलेगा और वहां की स्थिति काफी सुधरी है लेकिन अभी भी....

श्री अध्यक्ष : विराजिये आप। माननीय ललित किशोर जी, वो कुछ कह रहे हैं आपकी महामारी के सम्बन्ध में।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, चिकित्सा विभाग की दृष्टि से जो हमारे जोइन्ट डाइरेक्टर हैं मिस्टर एस. एस. माथुर, उनको वहां तुरन्त भिजवाया है, सब प्रकार की व्यवस्था की जा रही है। 11 तारीख को मेरे विभाग की डिमांड है। 12 व 13 तारीख को मैं, सैक्रेटरी मेडिकल और डी. एम. एच. एस. तीनों उस क्षेत्र के दौरे पर जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री कल्ला जी।

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज तीन वक्तव्य रखे हुए हैं, जिसके सम्बन्ध में मेरा यह निवेदन है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने स्थानान्तरण नीति के बारे में कहा हम चर्चा करेंगे। आज शिक्षा विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभाग के बारे में डिस्कसन होगा तो स्थानान्तरण नीति के बारे में कम से कम आधा घण्टे की चर्चा रखकर और दो घण्टे कम से कम सदन को समय आपको देना चाहिये और यदि इसको भी आप कल रखें तो उचित होगा। जहां तक बाढ़ के सम्बन्ध में....

श्री अध्यक्ष : आप तो बोलने वाले हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : वो तो कल स्टेटमेन्ट आएगा, उस समय हम सवाल करेंगे।

श्री अध्यक्ष : लेकिन आप आज 295 पर बोलने वाले हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मेरा एक 295 का निर्वाचन से सम्बन्धित....

श्री अध्यक्ष : नहीं, नहीं, आपका बाढ़ वाला है अभी।

श्री बुलाकीदास कल्ला : वो तो कल वक्तव्य आ रहा है, उस समय जो भी पूछना होगा, पूछ लेंगे....

श्री अध्यक्ष : मतलब आप उस पर नहीं बोलना चाहेंगे।

श्री बुलाकीदास कल्ला : जब वक्तव्य आयेगा उसके बाद में कर लेंगे लेकिन मेरा एक दूसरा 295 का दे रखा है, वार्डों के परिसीमन के बारे में, उसके सम्बन्ध में आप मुझे मौका दें।

श्री अध्यक्ष : मैंने समझा, यहां ज्यादा अर्जेन्ट है बाढ़ का इसलिए....

श्री बुलाकीदास कल्ला : बाढ़ का तो कल आ जायेगा।

श्री अध्यक्ष : दहिया जी बोलिये।

श्री प्रेमसिंह दहिया (भीनमाल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी को और सरकार को यह सूचित करना चाहता हूं कि हमारी भीनमाल पंचायत समिति के अन्दर दो गांव पूरे के पूरे बह गए। एक गांव के अन्दर 50 आदमी मरे हैं। अभी खोद-खोद कर निकाले जा रहे हैं। 18 आदमियों को एक साथ जलाया गया है। आज और वहां किसी तरह की कोई इमदाद नहीं पहुंची है। आज गांवों के अन्दर अभी तक प्रशासन नहीं पहुंच सका है। वे 5000-7000 आबादी के गांव हैं। वहां कितनी जनसंख्या के ऊपर क्या-क्या असर हो रहा है, कितना हुआ है, यह भी सरकार अभी बतायेगी। मैंने यहां अपने राहत आयुक्त से भी मालूम किया था, जिलाधीश से भी मालूम किया था। अभी तक वहां किसी तरह की सहायता नहीं पहुंची है, न किसी मृतक के परिवारों को 5000-5000 रुपये दिये गये हैं। मुख्य मंत्री जी वहां गये, न किसी अधिकारी से मिले और सीधे वहां से वापस लौट आये। 200-250 रुपये की भी इमदाद नहीं मिली है। गांवों के अन्दर बिजली बिल्कुल नहीं है जिससे किसी तरह का आटा पीसने का या और कोई व्यवस्था हो। सभी बिजली की व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो चुकी है। यहां जितनी भी सहायता और जो कुछ दिया जा रहा है, यह सारा राजनैतिक लाभ उठाने के लिए, जहां-जहां कांग्रेस की सरकार का है, वहां पर कुछ नहीं दिया जा रहा है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें, हो गया आपका।

श्री प्रेमसिंह दहिया : मुख्य मंत्री जी न तो भीनमाल गये, न रानीवाड़ा में गये....

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें, आपका हो गया।

श्री प्रेमसिंह दहिया : वह सीधे वहां से बालोतरा निकल गये, जितना नुकसान बालोतरा में हुआ है, उससे कहीं ज्यादा वहां हुआ है। अभी तक प्रशासन पहुंचा नहीं है। ऐसे कम से कम 15-20 गांव हैं, जहां नुकसान हुआ है।

श्री अध्यक्ष : माननीय कल्ला जी। आप अपने नगरपालिका वाले (व्यवधान)

श्री बालचन्द आर्यवीर। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : दिनांक 26.6.90 को मैंने सीकर की पेयजल समस्या पर एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आपको दिया था। आज उसका महत्व इसलिए बढ़ गया है जब से बारिश हुई है, नालों में पानी बहना शुरू हो गया है ड्रेनेज में और मैंने आपको इस समस्या के सम्बन्ध में विशेष रूप से जो लोगों के घरों में गन्दे नाले से पानी आ रहा है, लोगों को गंदा, प्रदूषित जल पीने को बाध्य होना पड़ रहा है। ऐसा महत्वपूर्ण विषय जो 26.6.90 को दिया गया उस पर आज तक सदन में कोई चर्चा नहीं हुई है। इतना गंभीर मसला है इसलिये आपको सदन में आज ही इसको लेना चाहिये....

श्री अध्यक्ष : हां, विचार करेंगे। श्री बालचन्द्र आर्यवीर।

श्री राजेन्द्र पारीक : अध्यक्ष महोदय, इतना गंभीर मसला है, इस पर किसी तरह की तवज्जोह न देना वहां के लोगों के साथ एक तरह से ज्यादती है।

श्री अध्यक्ष : आप मेरे से मिल लें, निकलवा दूंगा। श्री बालचन्द आर्यवीर।

नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख

डग विधान सभा क्षेत्र में विद्युतीकरण

श्री बालचन्द आर्यवीर (डग) : माननीय अध्यक्ष महोदय, डग विधान सभा क्षेत्र के ग्रामों को विद्युतीकरण करने में उपेक्षा हो रही है। डग विधान सभा में कूण्डला ग्राम जो कि पंचायत केन्द्र है और पास में ही चम्बल नदी, क्षिप्रा नदी जिन पर बड़े-बड़े जल भण्डार हैं यदि कूण्डला ग्राम को विद्युतीकृत कर दिया गया तो किसानों को राहत मिलेगी और कई हजार बीघा जमीन सिंचित होगी। रामपुरा, कुचनारा, सरवर मक्सी, देवगढ़, रनायरा, पाल्या, तिसाई जगदीशपुरा, रोजाना, ढोबड़, छान, केलूखेड़ा, लहुरिया, नन्दपुर, दुधालिया इन गांवों को विद्युतीकृत करने में उपेक्षा हो रही है। मक्सी ग्राम के पास काली सिंध नदी है जिसमें बहुत बड़ा जल भण्डार है। यदि ग्राम को विद्युतीकृत कर दिया गया तो वहां हजारों बीघा जमीन पर सिंचाई हो सकती है और किसानों को भाग्यशाली बना सकते हैं। बिजली नहीं होने के कारण किसानों की जमीन बेकार पड़ी हुई है। यदि उसमें सिंचाई हुई तो धरती सोना उगलेगी। किसानों को सिंचाई कनेक्शन देने में भी भयंकर भ्रष्टाचार हो रहा है। गत वर्ष 1989 में भवानी मण्डी के ए. ई. एन. आफिस में कार्यरत बाबू श्री पांडे और जे.ई.एन. श्री विजय ने लाखों रुपये किसानों से सिंचाई कनेक्शन में रिश्वत के ले लिये। पांडे बाबू का ट्रांसफर करने पर भी किसानों से एडवान्स में सिंचाई कनेक्शन हेतु लाखों रुपये ले रखे हैं। और विभाग के अधिकारियों द्वारा कनेक्शन दिया जा रहा है। इसी प्रकार सुनेल बिजली विभाग के ए.ई.एन. आफिस में किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। किसानों को सिंचाई के कनेक्शन देने में भेदभाव बरता जा रहा है। जो किसान रिश्वत दे देता है उसको कनेक्शन दे दिया जाता है और जो गरीब किसान नहीं दे उसको कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है।

(12.12 म. प.)

(श्री यदुनाथ सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

उससे अधिकारी बात कर नहीं पाता और उपेक्षा की जा रही है। मैं विद्युत मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि उक्त गांवों का सर्वे करवा कर उनको विद्युतीकृत करने की अनुकम्पा करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सांवरलाल।

ग्राम मण्डा में अपराधिक प्रवृत्ति के लोगों पर कार्यवाही न होने के सम्बन्ध में

श्री सांवरलाल (भिनाय) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आये दिन होने वाले झगड़े फसाद एवं मारकाट पर आकर्षित करना चाहता हूं। मंडावरी कांड, सतवाड़ी कांड जिनके बारे में पहले

(श्री सांवरलाल)

भी काफी चर्चाएं हो चुकी हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति को समाज प्रताड़ित नहीं करे इसके लिये अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम बनाया गया है। परन्तु पुलिस के कुछ कर्मचारी, अधिकारी एवं असामाजिक तत्व इस आड़ में जन सामान्य को आतंकित करते हैं गलत मुकदमें दर्ज करवा कर भोले-भाले ग्रामीणों को गांव छोड़ने के लिये मजबूर करते हैं। इसी सन्दर्भ में मैं ग्राम मण्डा, तहसील केकड़ी (अजमेर) की मिसाल देना चाहता हूं। माधू पुत्र रत्ना भोग्या जिसके वर्तमान में दो औरतें हैं, परिवार के 20 सदस्य हैं, अपराधिक प्रवृत्ति का है। परिवार के सभी सदस्य इसी प्रवृत्ति में लगे हुए हैं जो पूर्व में जूनिया मेवदा कला तथा काशीर जिला अजमेर में रह रहा था। गत 5-6 वर्षों से ग्राम मण्डा में रह रहा है। इसके अपराधिक कृत्य एवं गैरकानूनी गतिविधियों के सम्बन्ध में समय-समय पर सम्बन्धित पुलिस अधिकारियों को रिपोर्ट की जा चुकी है परन्तु कोई कार्यवाही नहीं होती है।

गत विधान सभा चुनाव के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने प्रोत्साहित कर पुलिस संरक्षण प्रदान कर गांव वालों के विरुद्ध गलत मुकदमा, 26.2.90 को 30/90 दफा आई.पी.सी. 307, 452, 147 168, 149, 436, 323 तथा छुआछूत धारा 4/6 दर्ज करवाया गया। पूरा गांव खाली हो गया, ग्रामीणों को आतंकित किया गया, बाद में जांच में सम्भवतः ग्रामीणों को दोषी नहीं पाया गया।

यहां तक ही वो संतुष्ट नहीं होकर पुनः ग्रामीणों को आतंकित करने के लिये 20.6.90 को गलत मुकदमा संख्या 98/90 दफा आई.पी.सी. 452, 147, 148, 109, 120 बी, 426, 379 इत्यादि 11 व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज करवाया गया। गांव वाले बड़े आतंकित हैं। भयभीत हैं। गांव छोड़कर भटक रहे हैं। जमानत कभी इस कोर्ट और उस कोर्ट के चक्कर में उलझ रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से शासन से निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार के गलत मुकदमें दर्ज करवाने, अपराधिक प्रवृत्ति माधू पुत्र रत्ना भोग्या को पुलिस द्वारा प्रोत्साहन देने के कारण तथा अनुसूचित जाति/जनजाति अधिनियम की अत्याचार की आड़ में ग्रामीणों को परेशान करने के खिलाफ क्षेत्र की जनता में भयंकर आक्रोश है। ग्रामीणों की बात नहीं सुनी जाती है, उन्हें प्रताड़ित किया जाता है।

सुना गया है स्थानीय विधायक श्री शम्भूदयाल बड़गूजर को भी इसमें लपेटने का प्रयास किया जा रहा है। यह गम्भीर मुद्दा है। आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि गलत मुकदमें वापस लिये जायें। संबंधित दोषी अधिकारियों के खिलाफ आज ही कार्यवाही की जाय अन्यथा कहीं ऐसा न हो कि प्रशासन और शासन की लापरवाही से पुराने हत्याकांडों की पुनरावृत्ति हो।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बुलाकीदास कल्ला।

भारी वर्षा के कारण 13 लोगों की मौत के सम्बन्ध में

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

से राज्य में नगरपालिकाओं के चुनाव से सम्बन्धित वार्डों के परिसीमन में हुए राजनैतिक भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में विशेष उल्लेख करना चाहता हूं।

पिछले महीनों में राज्य सरकार ने नगरपालिका के चुनाव जुलाई माह में कराने की घोषणा की लेकिन अब यह चुनाव कब होंगे इसका पता नहीं। इस हेतु विभिन्न नगरपालिकाओं को वार्डों की परिसीमन के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये तथा राज्य के विभिन्न राजनैतिक दलों एवं नागरिकों से आपत्तियां आमंत्रित की गई, उन आपत्तियों का निपटारा करते वक्त राजनैतिक तौर पर फैसले लिये गये। राज्य में जिन-जिन नगरपालिकाओं एवं नगर परिषदों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो एतराज किये वे मंजूर कर लिये गये परन्तु आम नागरिकों के सही एतराज भी नामंजूर कर दिये। राज्य में कई नगरपालिकाओं में तो ऐसे एतराज जो वार्ड परिसीमन के मूल प्रारूप को बदल देते हैं एवं जिन्हें सामान्यतः मंजूर नहीं किया जा सका, ऐसे कार्य भी राजनैतिक दबाव से राज्य में हुए। किशनगढ़, मालपुरा, जोधपुर, जयपुर, कोटा, धोलपुर में वार्डों के परिसीमन के संबंध में जो जो एतराज भारतीय जनता पार्टी ने किये वे सभी मंजूर कर लिये परन्तु अन्य स्थानों पर जनता दल एवं राजनैतिक पार्टियों के एतराज को बिना देखे निरस्त करने से नागरिकों में भारी रोष व्याप्त है। मालपुरा में तो प्रारूप को बदल कर नये प्रस्ताव स्वीकार कर वार्डों को नये रूप से प्रतिस्थापित कर राजनैतिक दबाव का रिकार्ड कायम किया गया है। इसके विपरीत बीकानेर नगर परिषद के संबंध में वार्डों का जो परिसीमन किया गया उसमें तीन नम्बर, 6 नवम्बर, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 36, और 39 नवंम्बर वार्डों को महिला वार्ड घोषित किया गया।

श्री मोहब्बत अली एडवोकेट ने इस संबंध में और मैंने लिखित में जिलाधीश बीकानेर को आपत्ति निर्धारित समय में की एवं यह बताया कि जहां अल्पसंख्यक रहते हैं वे सभी वार्ड महिला वार्ड बन गये हैं। केवल एकाध वार्ड को छोड़कर प्रायः सभी महिला वार्ड ऐसे हैं जहां अल्पसंख्यक अधिक संख्या में हैं जिससे वे चुवाव में भाग नहीं ले सकेंगे। इन एतराजों में यह भी बताया गया कि या तो इन वार्डों को दो सदस्य वाला वार्ड बनाया जावे जहां एक पुरुष या एक महिला जीतकर आ जावे। ऐसे भी सुझाव दिये गये जिससे पास वाले सामान्य वार्डों में अल्पसंख्यकों को सम्मिलित कर सामान्य वार्ड बना दिया जावे। लेकिन जिलाधीश बीकानेर ने उन एतराजों को बिना सुने ही निरस्त कर दिया। उन एतराजों में खास तौर से कसाबों का मोहल्ला, लुहारों का मोहल्ला, चूनगरो, डीडू सिपाहियों, धोबी तलाई एवं रानीबाजार क्षेत्र में रहने वाले लोगों को महिला वार्ड से निकाल कर सामान्य वार्डों में रखने हेतु लिखा गया। इस पर भी बिना विचार किये बिना सुने एतराजों को निरस्त करना, मैं समझता हूं कि प्राकृतिक न्याय के खिलाफ है।

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

राज्य के चुनाव आयुक्त से भी इस संबंध में सम्पर्क साधा गया लेकिन इस संबंध में कोई कार्यवाही उन्होने राजनैतिक दबाव में आकर नहीं की। इस संबंध में मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मालपुरा, किशनगढ़, जोधपुर, जयपुर, धोलपुर, कोटा में जिन-जिन लोगों ने एतराज किये थे वे किन-किन के द्वारा क्या-क्या एतराज किये गये एवं उनमें से किन-किन के एतराजों पर विचार किया जाकर वार्डों के परिसीमन में फेरबदल की गई? क्या यह सही है कि राज्य में कुछ स्थानों पर मूल प्रारूप के प्रतिस्थापित कर ऐसे काम किसके इशारे पर किये गए? बीकानेर नगर परिषद के अतिरिक्त नौखा में भी इसी प्रकार से वार्डों का परिसीमन गलत तरीके से किया गया। बीकानेर नगर परिषद् से संबंधित वार्डों को जिनमें अल्पसंख्यक रहते हैं, किनके इशारे पर महिला वार्ड बनाया गया? और सारे के सारे वार्डों को ऐसा करने से क्या अल्पसंख्यकों के अधिकार में रोक नहीं लगेगी? जो प्रक्रिया अपनाई गई उसमें आपत्ति करने वालों को सुनवाई के लिये क्या बुलवाया गया? क्या यह लोकतांत्रिक व्यवस्था थी? बीकानेर शहर के अल्पसंख्यकों को चुनाव लड़ने का मौका देने के लिये क्या सरकार वार्डों मैं परिसीमन पर गंभीरता से पुर्नविचार करने का इरादा रखती है। लोकतंत्र में ऐसा राजनैतिक भ्रष्टाचार पहले कभी देखने में नहीं आया कि चुनाव विभाग एवं संबंधित अधिकारी सत्ताधारी पार्टी की नाजायज बातों को मानें एवं नागरिकों की जायज समस्या को बिना सुने आपत्तियों को रद्द कर दें।

इस विशेष चर्चा के माध्यम से मैं चुनाव विभाग, स्वायत्त शासन विभाग एवं माननीय मुख्य मंत्रीजी का ध्यान बीकानेर के अल्पसंख्यकों के साथ हुए अन्याय की तरफ आकर्षित कर आग्रह करता हूं कि बीकानेर शहर के वार्डों का परिसीमन, नौखा नगरपालिका का परिसीमन दुवारा करवाया जावे और मालपुरा, किशनगढ़, और जोधपुर में जो अन्य लोगों ने आपत्तियां दी हैं उन पर विचार करके अल्पसंख्यकों के चुनाव में भाग लेने के अधिकार को ध्यान में रखते हुए परिसीमन पर पुन विचार करें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री ईश्वरलाल सैनी।

श्री ईश्वरलाल सैनी (लक्ष्मणगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने वन के संबंध में 295 में यह मामला उठाया है लेकिन अब तक प्रक्रिया यह रही है कि जिस विभाग से संबंधित मामला उठाया जाता है उसके मंत्री सदन में उपस्थित रहते हैं लेकिन मैं देख रहा हूं कि वन मंत्री जी नहीं हैं और मैं समझता हूं वह नहीं हैं तो मैं किससे अपनी बात कहूं।

श्री उपाध्यक्ष : आपका जवाब आएगा लिखित में।

श्री नत्थीसिंह : वन मंत्री जी बाढ़ क्षेत्र में हैं।

सरिस्का टाइगर प्रोजेक्ट में मन्दिर तक जाने में टैक्स की वसूली के सम्बन्ध में

श्री ईश्वरलाल सैनी : उपाध्यक्ष महोदय, सरिस्का टाइगर प्रोजेक्ट के

(श्री ईश्वरलाल सैनी)

अन्तर्गत श्री हनुमानजी महाराज का प्राचीन विशाल मंदिर पाण्डुपोल में स्थित है इस ऐतिहासिक एवं पौराणिक मंदिर का मेला बैसाख एवं भादों सुदी में भरता है जिसमें राजस्थान के ही नहीं बल्कि भारतवर्ष के अन्य प्रदेशों के भी लाखों श्रद्धालु भक्त अपनी मनोकामना पूर्ण करने आते हैं। इसके अतिरिक्त आसपास के क्षेत्रों व मुख्य तौर पर अलवर जिले के श्रद्धालु भक्तगण विशेष तौर पर प्रत्येक मंगलवार व शनिवार को एवं प्रत्येक पूर्णिमा के दिन आते हैं।

उक्त भक्तजन के प्रवेश एवं उनके वाहनों के प्रवेश पर वन विभाग अधिकारियों द्वारा अड़चन पैदा किये जाने पर राज्य सरकार ने स्पष्ट आदेश शासन सचिव द्वारा दि. 25.1.89 को पारित किये कि मेले के दिनों में प्रत्येक मंगलवार एवं शनिवार तथा माह की प्रत्येक पूर्णिमा को भारतीय नागरिकों को बिना किसी शुल्क के प्रवेश में बाधा नहीं दें। यानि उनको उक्त दिनों में प्रवेश की अनुमति राज्य सरकार द्वारा प्रसारित की गई है। इसके अतिरिक्त दि. 25.8.83 को भी अदालत मुंसिफ मजिस्ट्रेट, अलवर द्वारा भी ऐसे ही आदेश जारी हुए हैं। यही नहीं, गजट नोटिफिकेशन भी हो चुका है। लेकिन गत दिनों जब से श्री फतेहसिंह राठौड़ फील्ड डायरेक्टर, सरिस्का टाइगर प्रोजेक्ट में लगे हैं तब से ही किसी भी भारतीय नागरिक को बिना शुल्क के प्रवेश करने नहीं दे रहे हैं और अनेकों अड़चनें पैदा की जा रही हैं और बावजूद अदालत एवं राज्य सरकार के आदेश के उक्त अधिकारी द्वारा शुल्क वसूल किया जा रहा है। श्रद्धालु भक्तजन को प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है। सदन इस संबंध में स्पष्ट निर्णय लेकर मंदिर की गरिमा को बनाये रखे ताकि श्रद्धालु भक्तजन की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचे।

दि. 12.5.90 को भी श्री रघुनन्दन अग्रवाल अध्यक्ष, न्यास मण्डल पाण्डुपोल ने मुख्यमंत्री, राजस्थान को एक ज्ञापन इस संबंध में प्रस्तुत किया है उसकी क्या कार्यवाही की गई है कृपया यह भी मेरे उत्तर में भिजवावें।

श्री उपाध्यक्ष . श्री शान्तिलाल।

रेलमगरा तहसील में सिंचाई के सम्बन्ध में

श्री शान्तिलाल (राजसमन्द) : उपाध्यक्ष महोदय, रेलमगरा तहसील हेतु सिंचाई योजना के बारे में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और सिंचाई मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

उपाध्यक्ष जी, तहसील रेलमगरा डार्क जोन घोषित है। भूमिगत जल स्तर दिनों दिन घटता जा रहा है जिसके फलस्वरूप खेतिहर किसानों की आर्थिक स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। जल स्तर नीचे गिरने का मुख्य कारण हिन्दुस्तान जिंक की दरीबा माइन्स है। खनन के अत्यधिक गहराई के कारण लगभग 50 कि. मी. रेडियस क्षेत्र का रिसाव से पानी दरीबा खान में आ जाता है और वह पानी पम्प आउट कर बाहर निकाल दिया जाता

(श्री शान्तिलाल)

है। बाहर निकाला पानी खनन सामग्री से सम्पर्क के कारण दूषित हो जाता है जिसके फलस्वरूप बाहर फेंके पानी का उपयोग किया जाना अनुकूल नहीं है।

इससे एक तरफ तो कृषि योग्य भूमि खराब होती है दूसरी ओर किसानों के कूए सूखते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में कृषि प्रधान क्षेत्र, जहां लोगों की आजीविका कमाने का एक मात्र साधन ही खेती है, दिनों दिन दयनीय होती जा रही है। ऐसी स्थिति में मेरा अनुरोध है कि क्या सरकार इस क्षेत्र के कृषि प्रधान लोगों की आजीविका सुदृढ़ करने के लिए कोई योजना रखती है जिससे लोगों को क्षेत्र से आजीविका कमाने के साधन के अभाव में पलायन की आवश्यकता न पड़े।

उपाध्यक्ष महोदय, आपको जान कर आश्चर्य होगा कि वहां का जल स्तर 500 फीट से भी गहरा चला गया है। एक माह पूर्व इसी क्षेत्र के जुणदा गांव में 550 फीट गहरा ट्यूब वैल खोदने के बाद भी एक बूंद पानी नहीं आया है। पेयजल समाधान के लिए वहां के कूए गहरे कराने के बावजूद पानी का स्रोत नहीं मिला है।

इस संबंध में मेरा सुझाव है कि क्षेत्र में सिंचाई योजना को बढ़ावा दिया जाए एवं छोटे-छोटे तालाबों का निर्माण कर पानी की अधिकतम भंराव क्षमता बनाई जाए जिससे समीप के स्थानों पर पानी का सेजा बन सके और कूओं का जल स्तर ऊपर आ सके।

इसके अतिरिक्त माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षित कर अनुरोध करना चाहूंगा कि हिन्दुस्तान जिंक लि. जो दरीबा खान से अरबों रुपये हर वर्ष कमाता है और उस क्षेत्र के निवासियों की कीमत पर कमाता है तो क्या सरकार हिन्दुस्तान जिंक लि. को अनुरोध करेगी कि उस कमाई का कुछ अंश इस क्षेत्र के विकास के लिए खर्च करे। वहां 50 कि. मी. रेडियस में सड़कों का निर्माण करे, अस्पताल एवं स्कूल भवनों का निर्माण करे। हर गांव में हिन्दुस्तान जिंक लि. ट्यूब वैल खुदवाये ताकि जनता राहत महसूस कर सके। धन्यवाद।

कोटपूतली ग्रामीण विद्युत सहकारी समिति को राजस्थान राज्य विद्युतमण्डल को सुपुर्द करने के सम्बन्ध में

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामकरण सिंह।

श्री रामकरणसिंह (कोटपूतली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बिजली के बारे में सूचना दे रहा हूं कि कोटपूतली ग्रामीण विद्युत सहकारी समिति लि. काम करने में बिल्कुल असफल रही है। आर. एस. ई. बी. के मुकाबले शून्य काम भी नहीं किया है। जो तार पूरे हुए थे, फैले हुए थे वह ढीले होकर जमीन से 4, 5 फीट तक नीचे आ गये हैं जिससे पशु व अन्य प्राणियों के प्राण ले लेते हैं। खम्भे बिजली के गिर गये हैं, तिरछे हो गये हैं जिससे जान माल का खतरा बना हुआ है। करोड़ों रुपये सरकारी ऋण मिल जाने के बावजूद भी तार, खम्भे, मीटर, ट्रांसफार्मर व अन्य सामान नहीं खरीदा गया है जब कि राज्य सरकार को 6 जून को करोड़ों रुपये मुख्यमंत्री जी और विद्युत मंत्री जी के

(श्री रामकरण सिंह)

प्रयत्न से मिल गये हैं लेकिन वहां के जो अधिकारी हैं वह कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं। ट्रांसफार्मर, मीटर खराब होने पर व अन्य फाल्ट होने पर बिल्कुल ठीक नहीं किये जाते। ऐसी हालत किसानों की हो गई है गर्मी के मौसम में 3-4 महीने से जो भी मीटर, ट्रांसफार्मर, खत्म हो गये हैं उनको रीप्लेस नहीं किया गया है।

विभाग के कार्यालय में एक्स. ई. एन., ए. ई.एन. और जे. ई.एन. बैठ नहीं सकते। वहां कर्मचारी इतने हावी हैं कि उनको भी किसी तरह से कोई काम नहीं करने देते। आदेश एक्स. ई. एन. और ए. ई. एन. नहीं देते बल्कि वहां के कर्मचारी देते हैं ऐसी हालत वहां के किसानों की हो गई है कि जो फसल वाडी या चरी वगैरा की थी वह बिल्कुल सूख गई है और अकाल से भी बदतर खराब हालत वहां की हो गई है। इसके लिए मैंने ऊर्जा मंत्री जी और ऊर्जा सचिव से भी निवेदन किया और ग्रामीण विद्युतिकरण के जो मुख्य इंजीनियर हैं उनसे भी निवेदन किया और उनको कहा तो उन सब की राय है कि वास्तव में विद्युत सहकारी समिति वहां काम नहीं कर रही है। इसी तरह से दूसरी विद्युत सहकारी समितियां भी फैली हुई हैं और किसानों को बहुत अधिक नुकसान पहुंचाती हैं। जो पैदा करते हैं वह पैदा नहीं हो रहा है। इसलिए मेरा आग्रह है कि माननीय विद्युत मंत्री जी इसके बारे में आज ही घोषणा कर दें कि इसे आर एस. ई. बी. के सुपुर्द कर दें और वहां की सहकारी समितियों को ड्राप कर दें। यह चार्ज उनसे ले लिया जाय और माननीय मुख्यमंत्री जी और विद्युत मंत्री जी भी अपनी स्टेट और किसानों के भले के लिए इस तरह के आज ही आदेश दें तो अच्छा रहेगा।

पुलिस आरक्षी की भर्ती के नियमों में सरलीकरण के सम्बन्ध में

श्री उपाध्यक्ष : श्री सुरेन्द्र गोयल।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण) : उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन है कि इस वर्ष के पूर्व पुलिस विभाग में आरक्षी (कांस्टेबल) की भर्ती के लिए अधीक्षक, पुलिस की अध्यक्षता के साथ दो राजस्थान पुलिस सेवा के अधिकारी की कमेटी में जिला स्तर पर आरक्षियों का चयन किया जाता था। लेकिन इस वर्ष उप महानिरीक्षक को इस चयन कमेटी का अध्यक्ष बना कर उसके साथ एक जिला पुलिस अधीक्षक और एक अन्य भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी की कमेटी चयन करती है। इस प्रकार की नई प्रणाली से एक तरफ जिले के समस्त जिला अधिकारियों की शक्तियों में कमी हुई है जब कि जिला पुलिस अधीक्षक ही प्रचलित नियमों के तहत नियुक्ति करने का अधिकारी होता है। फिर उप महानिरीक्षक का उक्त चयन कमेटी का अध्यक्ष बनाने की वैधानिक रूप से कहां आवश्यकता रहती है।

पूर्व में इस चयन कमेटी में राजस्थान पुलिस सेवा के अधिकारी तथा राजस्थान अधीनस्थ सेवाओं के पुलिस अधिकारियों की कमेटी से पुलिस आरक्षी का चयन किया जाता था। इस नई व्यवस्था में राजस्थान पुलिस सेवा के अधिकारियों को

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

चयन कमेटी से अलग करने से उनकी अपने स्वयं के विभाग में अहम् भूमिका में कमी आई है जिसका आगे जाकर भारी विरोध हो सकता है।

राजस्थान सेवा में पुलिस अधिकारी भारतीय पुलिस सेवा में अधिकारियों के समकक्ष होते हैं और अशोक स्तम्भ के राष्ट्रीय चिन्ह को धारण करने के लिए अधिकृत हैं, उसके साथ एक स्टार और लगता है इसमें अलावा राजस्थान पुलिस सेवा में चयन वेतन शृंखला के एक अतिरिक्त स्टार और लगता है। वेतनमान भी भारतीय पुलिस सेवा के सीनियर स्केल से किसी तरह कम नहीं है। इन सारी बातों के होते हुए राजस्थान पुलिस सेवा के अधिकारियों को पुलिस आरक्षी की भर्ती से अलग रखा जाना एक चिंता का विषय बनता है और सरकार द्वारा लिया गया निर्णय आपत्तिजनक प्रतीत होता है। जिस पर सरकार द्वारा पुनर्विचार किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है।

पुलिस कर्मियों की भर्ती में बिना फुलाया सीना 81 सेन्टीमीटर व फुलाया हुआ 86 से. मी. के आशार्थी का ही चयन किया जाता है जबकि सीमा सुरक्षा दल की भर्ती में भी 80 से 85 से. मी. ही सीना रखा गया है। उक्त भर्ती की मालूम होने पर हजारों आशार्थी सेवा में चयनित लेने के लिए उपस्थित होते हैं, लेकिन उक्त प्रकार की भर्ती के लिए बहुत कम समय रखा जाता है। जिससे कई योग्य आशार्थी पुलिस विभाग में भर्ती होने में वंचित रह जाते हैं, जिससे विभिन्न समाचार पत्रों में आये दिन भर्ती को लेकर भ्रष्टाचार के अन्य प्रकार की बातें उछाली जाती हैं, जबकि उप महानिरीक्षक पद के अधिकारी को इसका अध्यक्ष बना रखा है। इतना होने के बावजूद भी जन आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं हो पाई है। इसलिए मेरा व्यक्तिगत विचार है कि जिला पुलिस अधीक्षक के साथ राजस्थान पुलिस सेवा के दो अधिकारियो की चयन कमेटी सर्वथा उपयुक्त रहती है।

इस नई व्यवस्था के कारण उप महा-निरीक्षक को पुलिस जिले में जगह-जगह जाना पड़ता है। जिससे समय व धन की बर्बादी होती है, जिस काम को पुलिस का संचित निरीक्षक राजस्थान पुलिस सेवा के अधिकारी आसानी से सम्पन्न करते रहे हैं। की गई व्यवस्था में कोई विशेष अन्तर आने की स्थिति नहीं बनी है। राजस्थान के पुलिस विभाग में या सरकार ने इस प्रकार का निर्णय लेने के क्या आधार रखे हैं? जबकि पुलिस आरक्षी के समकक्ष पदों की भर्ती के लिए किसी अन्य बोर्ड जैसे बी. एस. एफ. व दिल्ली व हरियाणा पुलिस में भी इस प्रकार की गई व्यवस्था नहीं कर रखी है।

अतः विशेष उल्लेख के जरिए राज्य सरकार का ध्यान इस तरफ आकर्षित कर मेरा निवेदन है कि इस मामले की भी पुनः गम्भीरता में पुनर्विचार कर पूर्व की चयन कमेटी को पुनः यथावत रखते हुए पुलिस आरक्षी पदों की भर्ती की जायें।

छीपा बड़ौद की फर्मों पर वाणिज्यिक कर वंचना के सम्बन्ध में

श्री उपाध्यक्ष : श्री जगन्नाथ वर्मा।

श्री जगन्नाथ वर्मा (मनोहरथाना) : उपाध्यक्ष महोदय, छीपाबड़ौद, जिला कोटा की निम्नलिखित फर्मों की लाखों रुपये की वाणिज्य कर वंचना की शिकायत विभाग को दिनांक 24-4-89 के पहले व बाद में कई बार की जा चुकी है। इसके बाद भी निम्न फर्मों पर कोई शिकायत की कार्यवाही नहीं होने के कारण यह मामला वहां के तत्कालीन विधायक श्री प्रतापसिंह सिंघवी द्वारा दिनांक 6-7-89 को विधान सभा में उठाया गया। उसके बाद विभाग ने निम्नलिखित फर्मों की जांच कर कुल 28,05,050/– रु. की मांग कायम की। इस करवंचना बाबत छबड़ा के तत्कालीन विधायक श्री प्रताप सिंह सिंघवी द्वारा तत्कालीन मुख्यमन्त्री श्री शिवचरण जी माथुर को भी पत्र लिखा। पत्र के जवाब में माथुर साहब ने आश्वासन दिया था कि इस मामले की मैंने शीघ्र जांच करवाकर उचित कार्यवाही करने के लिये अधिकारियों को निर्देश दे दिये हैं, परन्तु खेद का विषय है कि आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। ज्ञात हुआ है कि इन फर्मों में से किसी एक फर्म का करीब तीन लाख रुपये की लागत का धनिया व पोस्ता चने सेल्स टैक्स विभाग वालों ने पकड़ा है। ज्ञात हुआ है कि अब इस मामले में लीपा-पोती करके इस माल को छोड़ा जा रहा है। मुझे व राजस्थान की जनता को राजस्थान की नई सरकार से बहुत आशा है कि वह चोरों को माफ नहीं कर, दण्डित करेगी। अतः मैं मांग करता हूं कि इस मामले की शीघ्र जांच कर उचित कार्यवाही करें। इन फर्मों के नाम इस प्रकार हैं : सहयोग सेल्स कार्पोरेशन, चेतन एन्टरप्राइजेज, अशोक ट्रेडिंग कम्पनी, मित्तल ब्रदर्स, अनिल ट्रेडिंग कम्पनी, हेमन्त कुमार देवेन्द्र कुमार, विनोद कुमार ओमप्रकाश एवं मोहन लाल विनोद कुमार। धन्यवाद।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र

श्री उपाध्यक्ष : श्री नत्थीसिंह जी। राजस्व मंत्री, राजस्व विभाग की एक अधिसूचना सदन की मेज पर रखेंगे।

अधिसूचनायें :

श्री नत्थीसिंह (राजस्व मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं, राजस्व (ग्रुप-4) विभाग की अधिसूचना संख्या एफ 5 (12) रेव/ग्रुप-4/78/17 दिनांक 30 जून, 1990 जिसके द्वारा राजस्थान अभिधृति (सरकारी) नियम, 1955 में संशोधन किये गये हैं, सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री कृष्णकुमारजी गोयल, उद्योग मंत्री, उद्योग विभाग की एक समसंख्यक अधिसूचना सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री कृष्णकुमार गोयल (उद्योग मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से उद्योग (ग्रुप-2) विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 23 अप्रेल, 1990 जिसके द्वारा राजस्थान वित्त निगम हाउस बिल्डिंग एडवांस टू एम्प्लाइज रेगूलेशन, 1978 में संशोधन किया गया है, सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्रीमती विद्या पाठक। आबकारी मंत्री, वित्त (आबकारी) विभाग की दो अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखेंगी।

श्रीमती विद्या पाठक (आबकारी मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं वित्त (आबकारी) विभाग की निम्नांकित दो अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखती हूं। अधिसूचना संख्या पं.3 (9) वित्त/आब/79 दिनांक 9 मार्च, 1990 जिसके द्वारा 267 इंजिनियर रेजीमेन्ट 56 ए. पी. ओ. को 5000 बोतलें विस्की/रम की आबकारी शुल्क मुक्त उपलब्ध कराना अभिप्रेत है, एवं अधिसूचना संख्या प. 4 (34) वित्त/आब/89 दिनांक 11 अप्रेल, 1990 जिसके द्वारा जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं को उपयोग हेतु शुल्क मुक्त प्रासव देना अभिप्रेत है। सदन की मेज पर रखती हूं।

प्रतिवेदन एवं लेखे

श्री उपाध्यक्ष : श्री कृष्ण कुमार गोयल, उद्योग मंत्री, राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर का 19वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री कृष्णकुमार गोयल (उद्योग मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कम्पनीज अधिनियम, 1956 की धारा 619 ए के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर का 19वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण वर्ष 1987-88 सदन की मेज पर रखता हूं।

याचिका का उपस्थापन

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमीन खां, सदस्य, एक याचिका का उपस्थापन करेंगे।

श्री अमीन खां (शिव) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बाड़मेर जिले की गागरिया से देतानी 12 किलोमीटर मेटल रोड को बी. टी. रोड बनाने विषयक पांच व्यक्तियों के द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका उपस्थापित करता हूं।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

उदयपुर की सहकारी संस्थाओं द्वारा गलत ऋण अदायगी एवं पंजीकरण

श्री उपाध्यक्ष : श्री कमलेन्द्र सिंह।

श्री कमलेन्द्र सिंह (वल्लभनगर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 131 के अन्तर्गत उदयपुर की सहकारी संस्थाओं द्वारा गलत ऋण अदायगी एवं गलत पंजीकरण किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर सहकारिता मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : पहले स्टेटमेंट आ जाता है फिर आप बोल लेना।

श्री चतुर्भुज वर्मा (सहकारिता मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उदयपुर जिले में दिनांक 30 जून, 1989 को निम्नलिखित सहकारी संस्थायें थी। केन्द्रीय सहकारी बैंक–1 / प्राथमिक भूमि विकास बैंक–1, प्राथमिक कृषि एवं ऋणदात्री समितियां 204, बचत एवं साख समितियां 63, अरबन कॉ-आपरेटिव बैंक 1, विपणन सहकारी समितियां 15 अन्य प्रकार की

(श्री चतुर्भुज वर्मा)

प्राथमिक सहकारी समितियां 550, कुल 835 थी। उदयपुर केन्द्रीय सहकारी बैंक में फर्जी दर्ज की गई 807 मामलों में शिकायतें प्राप्त हुई थी। इसमें पांच लाख सैंतालीस हजार रुपये की राशि फर्जी बिलों से सम्बन्धित थी। इन मामलों में जांच के उपरान्त यह पाया गया कि एक लाख साठ हजार रुपये की राशि वाले 323 मामले में ऋण वितरण में अनियमिततायें हुई। शेष 417 मामले में जिनमें तीन लाख सत्तरह हजार रुपये की राशि शामिल थी में किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं थी। जिन मामलों में गलत वितरण की शिकायतें, सही पाई गई हैं, उन्हें राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम की धारा 200 के तहत कार्यवाही की जा रही है। इस समय केवल मात्र चौदह मामले जांच हेतु शेष हैं जिसमें सत्तरह हजार रुपये की राशि की ऋण वितरण की शिकायतें हैं। भूमि विकास बैंकों के माध्यम से कृषि की आवश्यकता हेतु दीर्घकालीन ऋण कृषकों के खाते की भूमि को रहन करके दिया जाता है तथा ऋण का वितरण किश्तों में तथा मशीन के सत्यापन के उपरान्त ही दिया जाता है। भूमि विकास बैंक में साधारणतया गड़बड़ी की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। उदयपुर भूमि विकास बैंक के बारे में सवर्णों द्वारा भीलों के फार्म पर कर अनुदान का लाभ उठाने और इंजन अपने पास रखने की शिकायतें जरूर प्राप्त हुई हैं। उक्त शिकायत की जांच एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संयुक्त पंजीयक, सहकारी समितियाँ, उदयपुर खण्ड उदयपुर को दिनांक 28-6-90 को निर्दिष्ट किया जा चुका है। उदयपुर सहकारी भूमि विकास बैंक में फर्जी ऋण वितरण के बावन हजार रुपये के नौ मामले प्रकाश में आये हैं, जिसमें से छत्तीस हजार रुपये के सात मामलों की जांच करवाई जा चुकी है। जांच के दौरान नौ हजार रुपये के तीन मामले सही और सत्ताईस हजार रुपये के चार मामले गलत पाये गये। सोलह हजार रुपये के दो मामले जांच हेतु विचाराधीन हैं।

उदयपुर अरबन कॉपरेटिव बैंक में 28-2-90 तक 2209 सदस्य हैं। बैंक द्वारा 16,996 लाख रुपये का ऋण स्वीकृत किया गया है। बैंक में फर्जी ऋण वितरण की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। गलत पंजीयन का कोई मामला विभाग के समक्ष अभी तक प्रस्तुत नहीं हुआ है, गलत पंजीयन रजिस्ट्रेशन का कोई मामला विभाग के सामने नहीं आया। यदि गलत रजिस्ट्रेशन का कोई विशिष्ट उदाहरण देते हुए प्रकरण प्रस्तुत किया जायेगा तो उस पर तत्परता के साथ विभागीय कार्यवाही की जायेगी। राजस्थान प्रदेश के सभी जिलों में रकम अदायगी आदि की जांच के लिए 1989 में एक सहकारिता अभियान चलाया गया था। उदयपुर जिले की आठ पंचायत समितियों की 86 समितियों में यह अभियान चलाया गया था। सहकारिता अभियान के प्रमुख कार्य-बिन्दुओं में ऋणों का सत्यापन, खातों की पुष्टि, पास बुकें पूरी किया जाना था। तदोपरान्त उदयपुर के कुल 45, 486 ऋणी सदस्य थे। 6204 सदस्यों के खातों की पुष्टि कराई गई, 3793 नई पास बुकें वितरित की गई और 8985 पूर्व में जारी की गई पास बुकें पूर्ण

(72)

(श्री चतुर्भुज वर्मा)

कराई गई। मध्यकालीन ऋणों के भौतिक सत्यापन के सन्दर्भ में 3703 कुल ऋणियों की सम्पत्ति का सत्यापन कराया गया। इस अभियान के दौरान 318 शिकायतें प्राप्त हुई जिनमें से 123 शिकायतों पर शिविर के दौरान ही अन्तिम निर्णय लिया गया। जांच के दौरान जहां किसानों की शिकायत गलत हुई, उनका नाम लिए जाने की सही पाई गई थी, उनके खातों में से वह फर्जी ऋण हटा कर व्यवस्थापक का नाम लिख दिया गया और किसानों को इस कर्ज भार से मुक्त कर दिया गया। इस प्रकार से स्पष्ट होगा कि फर्जी ऋण वितरण या गलत अदायगी के मामले में कोई कार्यवाही की गई है। मैं माननीय सतस्यों को यह भी विश्वास दिलाता हूं कि जो भी मामला सामने आयेगा उस पर तत्परता से कार्यवाही की जायेगी, दोषी व्यक्तियों को बढ़ावा नहीं दिया जायेगा।

श्री कमलेन्द्र सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय का, ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जो आपने स्टेटमेंट दिया है उसमें जांच की प्रक्रिया बताई है कि इतने आदमियों की जांच की गई। परन्तु जो ऑफिसर धारा 74 के अन्तर्गत जांच कर रहा है उसके खिलाफ ही शिकायतें हैं जो हमने सरकार तक पहुंचा दी हैं, सरकार तक जनता ने पहुंचाई है। उन्हीं शिकायतों के आधार पर उसका ट्रांसफर भी हो गया था परन्तु पता नहीं, कैसे पांच-दस दिन बाद उसका ट्रांसफर भी कैन्सिल हो गया, उसको वहीं पर लगा दिया गया है। जो जांचकर्ता है वही एक्यूज्ड है, वह जांच किस तरह से करेगा? मंत्री महोदय से मैं यह कहना चाहूंगा कि डीजल इंजन के मामलों में जो ऋण मिलता है, उसमें 50 प्रतिशत सबसीडी मिलती है और उस सबसीडी को उठाने के लिए मैं आपको बताऊं कि खाता नं. 991, रादला पुत्र चैना के नाम से पांच हार्स पावर का इंजन उठा है, इसके पास न तो कुआ है, न घर है और वह तभी से गायब है। उसके नाम से एक साहुकार के पास यह इंजन चल रहा है। ऐसा का ऐसा मामला उप रजिस्ट्रार के समक्ष आया था। खाता नं. 997 मेघा लालू पुत्र पड़ता बलाई ने 5075/- का इंजन उठाया था, उसके नाम से साहूकार आज तक चला रहे हैं। 50 प्रतिशत की सबसीडी का लाभ साहुकार को मिला है। यह सब जितने भी चार-पांच मामले आपके सामने आये हैं, यह सरकार को दे दिये गये हैं परन्तु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है और कार्यवाही करने वाला अफसर भी वही है जो इस ऋण को देता है। सैक्रेटेरी, लैण्ड मोर्टगेज बैंक और इसके ऊपर जो उप रजिस्ट्रार है वही इसकी जांच कर रहे हैं और वही यह ऋण वितरण करने में धांधली कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक और केस आपके सामने रखना चाहता हूं गोड़ा पुत्र नन्दा निवासी डांगियों का सुन्दर, उस पर आलरेडी अधिभार था, उस पर पैसा ऑलरेडी चढ़ा हुआ था, उसके नाम से इस सैक्रेटेरी और उप रजिस्ट्रार ने नया लोन और पास किया है। उदयपुर में एक फर्म है "धन सम्पदा", लैण्ड मोर्टगेज बैंक के जितने भी इंजन दिये जाते हैं या मोटरें दी जाती हैं

(श्री कमलेन्द्र सिंह)

वह सब उनके थ्रू जाती है । इन सब के बीच में कॉपरेटिव सोसायटी, कॉपरेटिव उप रजिस्ट्रार, सब के पैसे बंधे हुए हैं, पैसे लेकर गलत ऋण पास करते हैं, रिश्वत लेते हैं कई केस ऐसे हैं जिनके ऋण की फाइल कम्पलीट है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है परन्तु उनको ऋण इसलिए पास नहीं किया जाता है कि वह ऑफिसरों को कमीशन देने को तैयार नहीं हैं । मैंने जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा था, उसका मन्तव्य यह था, यहां जो फिगर दी है, पूरा स्टाफ इसमें लिप्त है और जब तक स्टाफ को बदला नहीं जायेगा तब तक यह जितनी भी कार्यवाही हो रही है, यह कार्यवाही सब गलत निकलेगी ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो आज उप रजिस्ट्रार है, जैसा मैंने कहा कि उसका ट्रांसफर हो गया था, उन्होंने कैन्सिल कराया । जब कांग्रेस की सरकार थी वह जोधपुर में उप रजिस्ट्रार था । जोधपुर के दो कांग्रेस के मंत्रियों ने अपनी फाइल पर टिप्पणी लिखी है कि इस अफसर को कभी भी जोधपुर सम्भाग में नहीं लगाया जाय । उसी को आपने उदयपुर सम्भाग में लगाया है उसके खिलाफ जो शिकायतें हुई हैं उसकी जांच करना तो कहीं रहा, उसी का ट्रांसफर कैन्सिल करके वहीं बैठा रखा है । उसी को कह रखा है कि आप जांच करो । जो चोर है उसी को आपने यह छूट दे रखी है कि आप जांच करो । धारा 74 की जांच उप रजिस्ट्रार करता है । पिछले तीन-चार साल में जितनी भी धारा 74 की जांच हुई है, उनमें जितने भी आदमियों को उसने बरी किया है उनकी जांच पुनः होगी, कोई निष्पक्ष ऑफिसर करेगा तब जाकर यह सब चीज बाहर आयेगी कि किसने, कहां पैसा लिया है और क्या हुआ है ? जमीनों की जितनी भी सहकारी समितियों का रजिस्ट्रेशन होता है उन सब का पचास-पचास हजार रुपये लेकर रजिस्ट्रेशन हुआ है । ऐसी शिकायतें हैं । यह शिकायतें सरकार के पास पहुंच चुकी हैं । क्या माननीय मंत्री महोदय इन सब की जांच करायेंगे ? जो उप-रजिस्ट्रार और सैक्रेटेरी एल. एम. बी. वहां बैठा हुआ है, सब के नाम शिकायतों में दिये गये हैं, एल.डी.सी. यू.डी.सी. जो इस +++ गिरोह में हैं उन सब के नाम दिये हुए हैं, उनके खिलाफ आप कोई कार्यवाही करेंगे और कार्यवाही तब ही कारगर होगी जब आप उन सब को एक बार वहां से हटा दें, सस्पैण्ड करें या हैड क्वार्टर पर बुला लें । उसके बाद आप जांच करेंगे, तब जाकर इसका सही रिजल्ट निकलेगा । मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि इस बारे में कुछ कहें ।

श्री चतुर्भुज वर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य ने जो स्पेसिफिक नाम बताये, ध्यानाकर्षण दिया, मेरे को सारी बातें बताई, लेकिन उन्होंने कुछ स्पेसिफिक नाम बताये, उन समस्त नामों के बारे में भूमि विकास बैंक के बारे में विधान सभा के बजट के बाद उदयपुर संभाग की सारी समितियों में एक बहुत बड़ा अभियान चला कर जो भी दोषी पाया

+++ शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया ।

74

(श्री चतुर्भुज वर्मा)

जायेगा उनके खिलाफ कार्यवाही होगी। जिन किसानों के बारे में धोखाधड़ी की है उन व्यक्तियों के खिलाफ एफ. आई. आर. दर्ज कराई जायेगी, क्योंकि अभी तो इन्होंने स्पेसिफिक नाम दिये नहीं, दोषी पाने वाले व्यक्तियों को वहां से हटाया जायेगा। लेकिन अब हर आदमी के लिए कह दें कि यह बेईमान है, वह खा गया, अगर स्पेसिफिक नाम देंगे तो मैं निश्चित रूप से जांच कराऊंगा।

श्री कमलेन्द्र सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो इसमें स्पेसिफिक नाम दिये गये हैं, यह माननीय मंत्री जी को मैं दूंगा और इनके पास पहले भी एक कागज पहुंचा है, ऐसी की ऐसी एक कॉपी मुख्यमंत्री को भी पहुंची हुई है। स्पेसिफिक नाम नहीं आये हैं, इस आड़ में आप ट्रांसफर नहीं करेंगे तो आपके बीस दिन जो पड़े हैं, दस दिन पड़े हैं, जब तक यह असेम्बली चलेगी तब तक और हेरा-फेरी हो जायेगी। इस हेरा-फेरी को रोकने के लिए माननीय मंत्री महोदय क्या करेंगे ?

श्री चतुर्भुज वर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही आपको बता दिया कि आई ए. एस. ऑफिसर लेवल के आदमी से इस बैंक की मैं जांच कराऊंगा और दोषी पाने वाले के खिलाफ कार्यवाही होगी। जहां तक ट्रांसफर का सम्बन्ध है, मैंने पहले ही बताया कि अगर मेरे सामने आयेगा, जांच की प्रारम्भिक अवस्था के अन्दर, उसी समय इसका तबादला वहां से कर दिया जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री द्वारा वक्तव्य। माननीय मुख्यमंत्री तबादला नीति पर एक वक्तव्य देंगे।

शासकीय वक्तव्य

राज्य सरकार की तबादला नीति के सम्बन्ध में

श्री सुरेन्द्र व्यास : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा दो तारीख को तबादला नीति पर एडजोर्नमेंट मोशन था और उस रोज जब यहां पर चर्चा हुई थी तो मुख्यमंत्री जी ने स्वयं यह कह दिया था कि इस विषय पर सदन में एक घंटे की चर्चा करा ली जाय, मुझे कोई आपत्ति नहीं है और आज यह स्टेटमेंट के रूप में आ रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, आप भी इस बात को जानते हैं कि स्टेटमेंट के बाद चर्चा नहीं हो सकती, कुछ सवालात पूछे जा सकते हैं यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है। आसन को इस बात का अधिकार है कि इस मोशन को विशेषतया इस परिस्थिति में, जबकि सदन के नेता महोदय स्वयं इस बात को स्वीकार कर गये कि एक घंटे की चर्चा इस पर करा ली जाय तो 119 में भी मोशन हो सकता है, 123 में भी हो सकता है, 131 में भी हो सकता है। इसलिए यह चर्चा करना आवश्यक है क्योंकि यह ऐसा प्रश्न है जिसको आरोप प्रत्यारोप लगाकर 15 मिनिट में खत्म कर दिया इससे कुछ नहीं होगा। मैं कुछ तबादलों को लेकर मुख्यमंत्री जी से मिला था और जिस प्रकार से सदाशयता से बात की और अपने विचार प्रकट किये और जिसमें मुझे कोई शंका की गुंजाइश नजर नहीं आती। उसी बात को

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

लेकर मैंने यह मोशन लगाया है कि बैठकर कोई कम्प्रिहेंसिव पालिसी बन जाये और राज्य के साढ़े चार लाख कर्मचारी हैं, यह सही है कि आज आपका राज्य है और आज आप उनको तंग करेंगे, उनको इस्तेमाल करेंगे। कल हमारा राज्य था, हमने भी कुछ लोगों को तंग किया होगा, परेशान किया होगा, उपयोग किया होगा लेकिन सर्विसेज को अगर पोलीटनाइज करेंगे और काम में लेंगे तो यह स्थिति खतरनाक बनेगी। आज यह कहते हैं कि सरकारी कर्मचारी राजनीति में भाग लेता है, क्यों भाग लेता है, उसका मूल कारण यह है कि पोलिटिकल पैट्रोनाइजेशन अपन करते हैं। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि स्टेटमेंट न दिलाकर इस पर चर्चा रखी जाय।

श्री उपाध्यक्ष : आपकी जो भी शंका होगी उसके बारे में आप प्रश्न कर सकेंगे।

श्री सुरेन्द्र व्यास : वह तो आप जानते हैं कि इसमें सवाल पूछने के अलावा और कोई चर्चा नहीं कर सकते हैं। जबकि हम अपने कुछ सुझाव भी देना चाहते हैं।

श्री हेतराम बेनीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, उस दिन यह प्रस्ताव आया था और मुख्यमंत्री महोदय ने खुद ने यह मान लिया था तो आज चर्चा से क्यों मुकर रहे हैं।

श्री हीरालाल देवपुरा : जहां तक मुझे याद है उस दिन स्वयं मुख्यमंत्री ने स्वीकार कर लिया था। आप स्वयं इस बात को स्वीकार करेंगे कि आपने यह कहा था कि यह ऐसा मसला है जिस पर सब बैठकर बात करें। मैं ऐसी नीति का निर्माण करना चाहता हूं जो उपयुक्त हो। स्टेटमेंट दिलाने से तो आज जो व्यवस्था बनी है उसकी पुष्टि होगी। इसके अलावा दूसरी बात नहीं आयेगी। इसलिए आपने जिस भावना से कहा था, उसके अनुरूप चर्चा करके अगर नयी नीति का निर्माण कर सकें तो ज्यादा अच्छा होगा। इस स्टेटमेंट से कोई लाभ मिलने वाला नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : यह कैसे मान लिया कि जो नीति है उसकी पुष्टि होगी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर दूं। माननीय सदस्यों की भावना का तो मैं स्वागत करता हूं। मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने और वल्लभनगर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात कही वह उचित है। यह एक इस प्रकार का काम है जिस पर यदि हम ठण्डे दिल से बैठकर चर्चा करें तो इसके बहुत अच्छे परिणाम निकलने वाले हैं, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है।

यह समस्या केवल इस सरकार के सामने नहीं है, अब तक जो भी राजस्थान में सरकारें रही हैं, उनको सबको इस समस्या से जूझना पड़ा है। मैं इस समय केवल वक्तव्य नहीं दे रहा हूं यदि आप चाहें, तो एक घण्टे का समय इसके लिए निर्धारित कर लिया जाय। बी. ए. सी. की मीटिंग होगी, अपन समय भी तय कर

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

सकते हैं। आप चाहें तो इस समय में वक्तव्य दे दूं और यदि आप चाहें तो उस समय चर्चा के बाद अपनी बात कह दूं। मुझे आपत्ति किसी पर भी नहीं है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उस समय ही हो जाय।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : चर्चा बाद में कर लेंगे। वक्तव्य आ जाये ताकि गवर्नमेंट क्या चाहती है वह मालूम तो पड़ जाये। आप वक्तव्य दे दें, चर्चा बाद में कल परसों कर लेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं एक व्यवस्था और कर सकता हूं कि यदि आप चाहें तो जो कुछ खास खास मुद्दे हैं उन मुद्दों को लिखवाकर माननीय सदस्यों को भेज दूं और आप उस पर विचार कर लें क्योंकि मैं इसमें कोई चीज छुपाना नहीं चाहता। मैं सदन के माध्यम से एक ऐसी नीति, व्यवस्था करना चाहता हूं जिस व्यवस्था से प्रशासन सुधरे, सरकारी कर्मचारियों में विश्वास पैदा हो और ज्यादा से ज्यादा विश्वास के माध्यम से जनता की सेवा कर सकें। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। जैसा आप चाहेंगे मैं करने को तैयार हूं। वक्तव्य के लिए कहें तो मैं तैयार हूं।

श्री जनार्दन सिंह : आप लिखकर भिजवा दें।

श्री सुरेन्द्र व्यास : इसकी जरूरत नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, नीति तो अखबारों में रिपोर्ट हो चुकी है। नीति की मैं आलोचना भी नहीं करना चाहता। नीति आपने 1 जुलाई से लागू की है। 30 जून तक अनीति से ट्रांसफर कर दिये, वह अलग बात है। इस वक्त आपका सुझाव बिल्कुल सदन को स्वीकार है। इस पर डिबेट रखवालें और जानकारी भिजवा दें। पर यह जल्दी रखी जाय।

श्री उपाध्यक्ष : बी. ए. सी. में तय कर लिया जायेगा।

लोकसेवा आयोग द्वारा परीक्षा में बरती गई अनियमितता

माननीय मुख्यमंत्री जी, लोक सेवा आयोग द्वारा अभी आर. ए. एस. की परीक्षाओं में बरती गयी तथाकथित अनियमितताओं पर एक वक्तव्य देंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्यमंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा गत आर. ए. एस. की परीक्षा में बरती गयी तथाकथित अनियमितता के सम्बन्ध में डाक्टर उजला अरोड़ा सदस्य, विधान सभा के प्रस्ताव पर वक्तव्य देने की अनुमति चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं (संयुक्त प्रतियोगी) परीक्षा, 1989 में, उत्तर पुस्तिकाओं की जांच में हुई तथाकथित अनियमितताओं के बारे में संयोजक आर. ए. एस. परीक्षार्थी संघर्ष समिति, जयपुर ने मुझे दिनांक 8.5.90 को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया था इस ज्ञापन में मुख्य रूप से निम्न अनियमितताएं बतायी गयी थीं—

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

1. अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा उत्तर पुस्तिकाओं को हैण्डल करना।

2. उत्तर पुस्तिकाओं को सीलबंद लिफाफे में जांचने हेतु न भेजना।

3. उत्तर पुस्तिकाओं का लोक सेवा आयोग से असम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा परीक्षकों को जांच हेतु देना और उत्तर पुस्तिकाओं को अनधिकृत व्यक्तियों से जंचवाना।

इन तथाकथित अनियमितताओं की जांच के लिए मैंने भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को निर्देश दिये जो जाँच कर रहा है। इस सम्वन्ध में कुछ अन्य व्यक्तियों द्वारा भी मुझे पत्र लिखे गये।

इन तथाकथित अनियमितताओं के बारे में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका श्री कुलदीप चतुर्वेदी आत्मज श्री के. के. चतुर्वेदी जयपुर ने राज्य सरकार जरिये मुख्य सचिव, राजस्थान लोकसेवा आयोग उसके अध्यक्ष एवं अन्य के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है जिसमें राजस्थान लोक सेवा आयोग को उत्तर पुस्तिकाओं की पुनः जांच करने, राज्य सरकार को इस प्रकरण में तथाकथित अनियमितताओं की जांच करने और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध समुचित कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय ने 17.5.90 को इस परीक्षा का परिणाम घोषित करने पर निषेधाज्ञा जारी की थी। चूंकि प्रकरण उच्च न्यायालय के विचाराधीन है अतः इस सम्बन्ध में आगे की कार्यवाही उच्च न्यायालय के निर्णय पर ही निर्भर होगी।

श्री उपाध्यक्ष : डा. उजला अरोड़ा।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : उपाध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि यह सारी कार्यवाही उच्च न्यायालय के विचाराधीन है लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, न्यायालय में जाने की जरूरत तब पड़ी जब राज्य सरकार ने तात्कालिक रूप से जो पत्र दिये गये और जिन छात्रों ने सम्पर्क किया उस पर कार्यवाही नहीं हुई। भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में भी अभी कार्यवाही पड़ी हुई है उन्होंने भी उत्तर नहीं दिया। यह वर्ष निकल जाने वाला है और अब इस बीच में जो 1990 की परीक्षा है उसको कराने के लिए राज्य सरकार ने बातचीत की है। यदि 29 तारीख से यह परीक्षा हुई तो उसका पिछला परिणाम तो यों ही रहेगा और अगर छात्र फेल हुए क्योंकि जैसी कि धांधली हुई है उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने में तो यह सच है कि इन लोगों के प्रति अन्याय होगा। मेरा आग्रह है कि यह जो आने वाली परीक्षा है इनको भी रोका जाय और अगर सम्भव हो जिस तरह से भी बैठकर इन छात्रों के साथ न्याय हो सके वह कार्य सरकार करे। मुझे यह विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर उचित कदम उठायेंगे।

श्री कालीचरण सराफ (जौहरी बाजार): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी ने जैसा कहा कि उच्च न्यायालय में मामला चल रहा है वह तो केवल परीक्षा

(श्री कालीचरण सराफ)

परिणाम रोका जाय, इसके ऊपर स्टे लेने के लिए गये हैं। बाकी जांच तो राज्य सरकार को करनी है। मैं सात आठ प्रश्न हैं जिनके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से चाहूंगा कि इस प्रकरण की जांच की जाय और जो अधिकारी दोषी पाये जायं उन पर कार्यवाही की जाय।

पहला प्रश्न है--27 नवम्बर, 89 को श्री सिंगारिया ने लोक सेवा आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष का चार्ज लिया। उस समय आर. ए. एस. की परीक्षा दिसम्बर में होनी थी। उसके लिए श्री सिंगारिया ने दूसरे मेम्बरान के साथ 28 नवम्बर, 89 को मीटिंग की। जिसमें यह तय हुआ कि परीक्षाएं यथावत रखी जाय। परन्तु 29 नवम्बर, 89 को श्री सिंगारिया ने इसकी अवहेलना कर अकेले ही यह निर्णय लिया कि परीक्षा आगे सरका दी जाय। जिसका बाद में मेम्बरान ने विरोध किया और सरकार को लिखित में शिकायत भी की।

इसके बाद परीक्षाएं आगे सरकती हुई आखिर 22 जनवरी, 1990 को हुई बिना किसी से भी राय लिये। इस दौरान आर. ए. एस. परीक्षा, 1989 के पर्चे भी दुबारा छपवाये गये जिसमें नियम भंग किया गया। नियमानुसार जिस प्रेस में पर्चे छपवाये जाते हैं वहां से लिफाफों पर सेण्टर व विषय का कोड नं. लिखा हुआ आता है तथा लिफाफे प्रेस से ही सील आते हैं जिन्हें लोक सेवा आयोग की गोपनीय शाखा में डबल ताले में रखा जाता है परन्तु सिंगारिया ने अपने लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए पेपर्स के कुछ पैकिट्स दो दिन तक अपने स्वयं के चेम्बर में रखे जिसका गोपनीय शाखा के अधिकारियों और आयोग के दूसरे अधिकारियों ने विरोध किया और सरकार को भी लिखित में सूचना दी परन्तु उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई।

इसके बाद मुख्य परीक्षा आयोजित की जिसमें भी भारी अनियमितता की गयी तथा कुछ परीक्षार्थियों को परीक्षा से पूर्व ही पर्चे तथा कापियां दे दी गयीं ताकि वे अपने घर से लिखकर ले आयें। इसकी भी सूचना राज्य सरकार को दी गयी परन्तु इस पर भी कोई कार्यवाही नहीं की गयी। उत्तर पुस्तिकाओं की जांच के लिए श्री सिंगारिया व जे. पी. शर्मा जो प्रशासनिक सचिव, उपकुलपति, अजमेर विश्वविद्यालय हैं और राजीव उपाध्याय जो प्राध्यापक हैं राजस्थान विश्वविद्यालय में, और राम बलि उपाध्याय जो उपकुलपति, अजमेर विश्वविद्यालय के सुपुत्र हैं। उन्होंने मिलकर सारी कापियां श्री राजीव उपाध्याय के निवास स्थान पर रखी और बड़े स्तर पर उत्तर पुस्तिकाओं की जांच में गड़बड़ियां की और अपने चहेते परीक्षार्थियों को लाभ पहुंचाया और जो परीक्षा हुई उसको अर्थहीन कर दिया। इसकी सूचना भी राज्य सरकार को दी परन्तु उस पर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई।

लोक सेवा आयोग का नियम है कि वह किसी भी परीक्षा के लिए परीक्षक से शपथ लेती है कि उस परीक्षा में उसका कोई रिश्तेदार, संबंधी सम्मिलित नहीं हो रहा है तथा उसका कोई भी संबंधी उत्तर

(श्री कालीचरण सराफ)

पुस्तिकाओं से संबंधित कोचिंग सेण्टर नहीं चलाता है परन्तु एक परीक्षक श्रीमती मंजु जोशी जिसको एक विषय मोरल फिलोसफी एवं मेटा फिजिक्स की कापियां जांचने के लिए दी गयी उसके पिता एक कोचिंग सेण्टर चलाते हैं। यहां पर भी नियम भंग किया गया। इसकी सूचना दी गई परन्तु इस पर भी कोई कार्यवाही नहीं की गई। इसी विषय की कापियां मंजु जोशी को दी गई पर उन्होंने उनको स्वयं नहीं जांचा और उनके पिता के कोचिंग सेण्टर में काम करने वाले नौकर, जो एम.ए प्रीवियस का छात्र है, श्री भट्टाराम प्रजापत से जंचवायीं। यह निश्चित रूप से अनियमितता है। आप उसकी लिखावट देखेंगे तो उससे आपको पता लग जायेगा। सरकार को तीन बार शिकायत की गई, ज्ञापन दिये गये, परन्तु श्री सिगारिया व अन्य लोगों के खिलाफ अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी। अपने पद का दुरुपयोग करते हुए तथ्यों को मिटाने के लिए मेटाफिजिक्स एवं मोरल फिलासफी की कापियां आयोग के अन्दर ही पुनः जंचवायी गयीं। बावजूद इसके, यह बहाना बनाकर कि उच्च न्यायालय में यह मामला विचाराधीन है उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जाये, यह आर.ए.एस. की परीक्षा में जो लोग बैठे हैं उनके साथ अन्याय है। भारतीय इतिहास (प्रथम) के एक परीक्षक श्री चन्द्रकांत गोविन्दराम राजुलकर से आयोग द्वारा दस्तखत करवा कर खाली कापियां जांची नहीं गयीं। आधी खाली ले जायी गयीं, जिन्हें किसी और व्यक्ति द्वारा भरवाया गया। इसका हैंडराइटिंग विशेषज्ञ द्वारा पता लगाया जा सकता है। तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह पूछना चाहूंगा कि क्या आर. ए. एस. परीक्षाओं में हुई धांधलियों और अनियमितताओं की जांच निष्पक्ष हो सके, इसलिए आर. पी. एस. सी. के कार्यवाहक अध्यक्ष श्री सिगारिया, जे. पी. शर्मा और राजीव उपाध्याय, इनके खिलाफ सरकार कोई कार्यवाही करेगी? निष्पक्ष कार्यवाही हो, इसलिए क्या श्री सिंगारिया साहब को वहां से हटाया जायेगा, जिससे कि जांच पर इसका इफैक्ट न पड़े?

श्री उपाध्यक्ष : श्री राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी से यह जानना चाहूंगा कि लोक सेवा आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष श्री सिंगारिया ने राजस्थान उच्च न्यायालय में जो याचिका दायर की, उस जांच के जवाब के अन्दर जो शपथ पत्र दिया, उसमें उन्होंने स्वयं माना है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं की गोपनीयता भंग हुई है। जब कार्यवाहक अध्यक्ष स्वयं इस चीज को स्वीकार करे अपने शपथ पत्र द्वारा, शपथ पत्र की प्रतिलिपि मेरे पास है, इसके पश्चात् इन परीक्षाओं का क्या औचित्य रह जायेगा? क्या स्वयं अध्यक्ष द्वारा स्वीकार करने के बाद, उनके विरुद्ध राज्य सरकार कोई कार्यवाही करने की सोचती है? इसके अलावा मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहूंगा, क्या यह सच है कि आर. ए. एस. के परीक्षकों के नाम का लोक सेवा आयोग के नियमों के अनुसार अध्यक्ष की जानकारी के अलावा

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

अन्य किसी सदस्य को या अन्य किसी व्यक्ति को पता नहीं होता ? यदि हां, तो क्या लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष ने स्वयं लोक सेवा आयोग की गोपनीयता को भंग नहीं किया ? अगर हां, तो सरकार उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है ? उपाध्यक्ष महोदय, अभी उच्च न्यायालय का, इन परीक्षाओं के परिणाम घोषित न हों, इसके लिए स्थगन आदेश है। परन्तु मेरे पास एक लिस्ट है, जिसमें जिन परीक्षकों ने कापी को जांचा, उनके नाम और उन्होंने कितने-कितने नम्बर दिये, इसकी सूचना भी है। इतनी सब कुछ गोपनीयता भंग होने के पश्चात् भी वापस इस परीक्षा को कैन्सिल नहीं कर, उन्हीं लोगों द्वारा वापस परीक्षा करवायें, इससे सरकार और लोक सेवा आयोग दोनों की गरिमा को ठेस लगेगी। इसके अलावा मैं यह जानना चाहूंगा, क्या यह सच है कि राजस्थान उच्च न्यायालय ने सरकार बनाम कुलदीप चतुर्वेदी की रिट पिटीशन में प्राइमाफेसी यह माना कि परीक्षाओं में अनियमितता हुई है ? उसके पश्चात् भी उन्होंने परीक्षाओं के परिणामों का स्थगन आदेश जारी किया। इसके पश्चात् भी जो परीक्षा आयोजित की गई उस परीक्षा के अन्दर अनियमितता हुई है। यह राजस्थान उच्च न्यायालय में प्राइमाफेसी माना। उसके पश्चात् भी उन परीक्षाओं को राज्य सरकार रद्द नहीं करके उन्हीं अधिकारियों से दुबारा उन्हीं चेयरमैन साहब की चेयरमैनशिप में परीक्षाओं का आयोजन कराये, क्या यह उचित है ? मैं आपके माध्यम से यह भी जानना चाहूंगा कि लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष ने सारे नियमों को ताक में रखकर अपने चहेतों को लाभ देने के लिए लोक सेवा आयोग के प्रीमिसेज में अपने सामने बैठाकर परीक्षकों से कापी जंचवायीं ? अगर हां, तो सरकार जिन परीक्षकों ने कापी जांचीं और लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष जिन्होंने सारे नियमों को ताक में रखा, उनके खिलाफ क्या कार्यवाही कर रही है ? इसके साथ ही मैं यह भी जानना चाहूंगा, क्या यह सही है कि आर. ए. एस. की परीक्षा के प्रश्न पत्र पूर्व में प्रेस से सीधे लिफाफा बन्द सील आते थे तथा लिफाफे पर सेण्टर, प्रश्न पत्र और कोड अंकित होता था और, यह प्रश्न पत्र डबल लॉकर की के अन्दर रखे जाते थे ? परन्तु वर्तमान लोक सेवा आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष ने इस व्यवस्था को बदलकर प्रेस से बिना सील किये प्रश्न पत्रों को मंगवाकर उन्हें अपने कमरे में स्वयं अपने पजेशन में रखा ? अगर यह सही है तो क्या उन्होंने लोक सेवा आयोग के नियमों को भंग नहीं किया है ? अगर किया तो सरकार उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने की मंशा रखती है ? अब मैं आखरी प्रश्न आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा। क्या यह सही है कि नियमानुसार लोक सेवा आयोग के किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसका कोई रिश्तेदार परीक्षा में बैठ रहा हो या दूर-दराज का रिश्तेदार परीक्षा में बैठ रहा हो, परीक्षक नियुक्त नहीं किया जा सकता और इसके लिए लोक सेवा आयोग के नियमानुसार प्रत्येक परीक्षक को एफिडेविट भी देना पड़ता है ? लोक सेवा आयोग के नियमानुसार जो कोचिंग सेण्टर स्वयं चलाये या

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

उसका रिश्तेदार चलाये, उसको भी परीक्षक नियुक्त नहीं किया जा सकता। इसके बावजूद श्रीमती मंजू जोशी को जिसके पिता जयपुर में एक कोचिंग सेण्टर चलाते हैं परीक्षक नियुक्त किया गया। क्या यह सही है? अगर सही है तो सरकार क्या कार्यवाही करने की इच्छा रखती है? इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश जारी हो। जो परीक्षक हैं और जिन लोगों ने प्रश्न पत्र बनाये, उनके नाम लोगों को मालूम हैं, उन लोगों ने किस-किस व्यक्ति को कितने-कितने अंक दिये, यह भी जग जाहिर है। जब पूरी की पूरी गोपनीयता भंग हो गई है तो क्या माननीय मुख्य मंत्री जी लोक सेवा आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष श्री सिगारिया के खिलाफ तत्काल कार्यवाही करके स्वच्छ और भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चलाने वाली सरकार का एक उदाहरण पेश नहीं करेंगे?

श्री उपाध्यक्ष : श्री व्यास।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हाई कोर्ट से स्टे ग्राण्ट लेने का मतलब ही प्राइमाफेसी स्टे है और आप इस बात को एप्रीशियेट करेंगे कि यहां एग्जामिनर की लिस्ट बाकायदा रिट पिटीशन के अन्दर लिखकर दी है तो एग्जामिनर का नाम तो मालूम ही है। अब यह वाइल्ड एलीगेशन, अभी जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, यह हो गया रामपालजी उपाध्याय। तो यह एक लम्बा-चौड़ा प्रश्न है और मैं नहीं समझता इसमें कुछ सच्चाई है या नहीं। यह जांच का विषय हो सकता है लेकिन यह तो रिकार्ड की बातें हैं कि जो एग्जामिनर एलिजिबल ही नहीं है, 9 महीने का एक्सपीरियन्स है, उसको एग्जामिनर अपाइण्ट कर दिया 10 साल के एक्सपीरियन्स के बिना। तो यह कुछ मुद्दे ऐसे हैं 2 महीने में आप इसकी प्रारम्भिक जांच पूरी नहीं करा सकते। आप प्रारम्भिक जाँच करके जनता द्वारा चुने हुए सरपंचों को सस्पैण्ड कर देते हो। चाहे उसको हाई कोर्ट से बाद में स्टे मिल जाय। इतने बड़े घोटाले के अन्दर, उपाध्यक्ष महोदय, आप देखिये, हो क्या रहा है। इस प्रदेश के अन्दर हो क्या रहा है। यूनिवर्सिटी की चर्चा हुई, मुख्य मंत्री अल्टीमेटली गोल कर गये कि नहीं, जांच का विषय है, दोषी अधिकारियों को दण्डित किया जायेगा। आज समाचार पत्र में आया है कि बोर्ड की परीक्षाओं का भी यही हुआ। अब पी. एस. सी की परीक्षा की यह हालत हो गयी तो इस प्रदेश की क्या स्थिति रहेगी और क्या परीक्षा होगी? मेरा निवेदन करना यह है कि यह तो स्पष्ट रूप से उल्लंघन हुआ है। मैं यह नहीं कहता कि चेयरमैन के द्वारा हुआ है। अगर हुआ है तो उस आदमी को एक दिन भी रखना प्रदेश के हित में नहीं है। यह बहुत शर्मनाक स्थिति है कि हम पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन के खिलाफ इस विषय पर चर्चा करें। अगर वह दोषी नहीं है तो वक्तव्य आना चाहिए, सरकार को उसको डिफैण्ड करना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत वेदनापूर्ण तरीके से कहता हूं कि यह बहुत गलत है। सरकार को कांस्टीट्यूशन के आर्टिकल 317 में पावर है:

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

"Removal and suspension of a member of Public Service Commission :—

1. Subject to the porvisions of clause (3), the Chairman or any other member of a Public Service Commission shall only be removed from his office by order of the President on the ground of misbehaviour after the Supreme Court, on reference being made to it by the President, has, on inquiry held in accordance with the procedure prescribed in that behalf under article 145, reported that the Chairman or such orther member, as the case may be, ought on any such ground to be removed.

2. The President, in the case of the Union Commission or a Joint Commission, and the Governor, in the case of a State Commission, may suspend from office the Chairman or any other member of the Commission in respect of whom a reference has been made to the Supreme Court under clause (1) until tht President has passed orders on receipt of the report of the Supreme Court on such reference."

सस्पैंशन की पावर गवर्नर को है और Governor acts on the advice of Council of Ministers. उपाध्यक्ष महोदय, इस मामले को आप लांग रोप करके पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन के खिलाफ कार्यवाही नहीं करो, उसको बैठाये रखो और आर. ए. एस. की दूसरी परीक्षा आयोजित कराओ, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। अगर उसके खिलाफ आरोप सही हैं तो उसको सस्पैण्ड किया जाना चाहिए। आरोप प्राथमिक रूप से भी अगर सही पाये जाते हैं तो भी मैं यह निश्चित रूप से मानता हूं कि प्राइमा-फेसी केस तो है। चेयरमैन के खिलाफ है या सैक्रेटरी के खिलाफ, यह मैं नहीं कहता। आप जांच लें, नियमों में अगर उसके पास कापी रहती है तो चेयरमैन के खिलाफ है। और अगर उसके खिलाफ आरोप नहीं हैं और सैक्रेटरी उसके लिए जिम्मेदार है तो उसकी मिट्टी खराब मत करो। आपकी पी. एस. सी. कहीं की नहीं रहेगी, कोई इज्जत नहीं रहेगी आपकी सर्विसेज की। इसलिए तत्काल कार्यवाही करें। यह सदन अभी 20 तारीख तक चलेगा, जैसा बिजनस आया है। आज तारीख 9 हुई है और अभी ग्यारह दिन और चलेगा। मैं आग्रहपूर्वक मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा आपके माध्यम से कि उसके पहले-पहले तो कुछ कार्यवाही करके बता दें आप। कम से कम उन लोगों को तो बैठाये न रखें जिन लोगों ने परीक्षाओं का तमाम तमाशा किया है। इतना तो सदन को आश्वासन दे दें। आज तक आप प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी पूरी नहीं कर पाये और जांच चल रही है। जांच

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

करने के बाद सब दोषी अधिकारियों को, राजस्थान में जितने भी दोषी आदमी हैं उनको आप दण्डित कर दोगे, यह पूरा विश्वास है क्योंकि आप बार-बार यह कहते हैं। सस्पैंशन इज नो पनिशमेण्ट, लेकिन उस आदमी को वहां रहना नहीं है तो कम से कम प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी कम्पलीट करके आप कुछ एक्शन ले पायेंगे दस रोज के अन्दर या नहीं, यह अभी बताने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सांवरलाल जी, कोई नयी बात है आपकी ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : बात दस रोज की ही नहीं है, पर्चे तो फिर बाजार में आ गये हैं, जो परीक्षाएं होने को हैं। अगर यह व्यक्ति वहां पर रहा तो कभी भी ये परीक्षाएं ठीक रूप से होने वाली नहीं हैं। इनको आदत पड़ गयी है उसी रूप में यह प्रक्रिया होने वाली है। हमारी एक मांग तो इसको तात्कालिक रूप से सस्पैण्ड करके इसको आगे के लिए व्यवस्थित करने की है और परीक्षाएं रद्द करके दोबारा करायी जायं, यह भी हमारी मांग है, क्योंकि उसमें तो कुछ लोगों को फ़ायदा मिलेगा, जो बहुत गलत होगा।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, कि यह प्रदेश के हित में नहीं है। मुख्य मंत्री जी, इसको गम्भीरता से लें। पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन के आचरण पर इतने विस्तार से यहां चर्चा करना और उस पर आरोप लगाना प्रदेश के हित में नहीं है। आरोप सही होंगे, मैं इससे इनकार नहीं करता हूं, Let the Government say so. गवर्नमेण्ट उसको सस्पैण्ड करे। (व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : इतने आरोप हैं कि मैं कह नहीं सकती। इसके अलावा भी आरोप हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : प्रदेश को नुकसान है, प्रदेश के प्रशासन को नुकसान है। अपनी छवि को भी नुकसान है। जो भी गवर्नमेण्ट करना चाहती है I would welcome. अगर यह आरोप सही पाये जाते हैं तो उनको सस्पैण्ड करें।

श्री सांवरलाल : उपाध्यक्ष महोदय, यह गम्भीर मसला है। राजस्थान लोक सेवा आयोग राजस्थान के सबसे बड़े प्रशासनिक अधिकारी और चिकित्सक तयार करता है। इतनी गम्भीर शिकायतें

श्री उपाध्यक्ष : कोई नयी बात हो तो बताइये।

श्री सांवरलाल (सिनाय) : एग्जामिनर्स कौन थे, कितने कितने नम्बर दिये, एग्जामिनर्स एलिजिबल थे या नहीं, यह सारी चीजें माननीय मुख्य मंत्रीजी के पास 8.5.90 को आ गयीं और 17 तारीख को कोर्ट ने स्टे दे दिया। माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर उस अवधि के बीच में परिणाम घोषित कर दिया जाता तो क्या यह हमारे नौजवान जो परीक्षा में बैठे उनके साथ न्याय होता ? स्टे केवल रिजल्ट की घोषणा के ऊपर है। इतने तथ्य हैं, इन

(श्री सांवरलाल)

तथ्यों को लेकर आप मिलान कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं। अगर यह एग्जामिनर्स के नाम सही हैं, अंक जो दिये वे सही हैं तो निश्चित रूप से इस परिणाम को रद्द कर दिया जाना चाहिए। दूसरा निवेदन मेरा यह है कि दूसरे एग्जाम जो लोक सेवा आयोग द्वारा होने हैं वे भी जल्दी ही होंगे। ये कब होंगे? क्या यह न्यायसंगत होगा कि यह एग्जाम सरकार उन्हीं लोगों के द्वारा करवाये जिनकी विश्वासनीयता पहले ही अखबारों में आ चुकी है? राजस्थान की किसी भी परीक्षा को ले लीजिए, राजस्थान विश्वविद्यालय को ले लीजिए। अजमेर बोर्ड का, आज पेपर में छपा है कि कापियां बाजार में बिक रही हैं, रिजल्ट नहीं आया। मेरा निवेदन यह है माननीय मुख्य मंत्रीजी से कि परीक्षा की गोपनीयता बनी रहे और दोषी सम्बन्धित अधिकारियों के खिलाफ अविलम्ब कार्यवाही की जाय। कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने वाले प्रावधान का कानून बनाया जाय। अन्यथा इस प्रकार यह बिकती रहेंगी और बिचौलिये और दलाल लोग इस प्रकार की सौदेबाजी करते रहेंगे। जो टेलेण्टेड लोग हैं, जो लोक सेवा में आने चाहिए, जिनके साथ जस्टिस होना चाहिए, वह नहीं हो पायेगा। चूंकि तथ्य सारे के सारे पेश किये जा चुके हैं इसलिए मेरा तो यही निवेदन है कि कड़ी से कड़ी कार्यवाही प्रत्येक स्तर पर होनी चाहिये, वह चाहे बोर्ड के एग्जाम हों, चाहे विश्वविद्यालय के एग्जाम हों या राजस्थान लोक सेवा आयोग के एग्जाम हों या जो किसी भी विभाग में नौकरियों से सम्बन्धित विज्ञापन होते हैं वह हों। उनमें पूर्णतः गोपनीयता रहे, इस प्रकार की सूचनाएं जो बाजार में आती हैं वह किसी प्रकार नहीं आयें और किसी को पता नहीं हो ...

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

यही मैं आप से अनुरोध करना चाहता हूं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : सरकार ने हाई कोर्ट में जवाब पेश कर दिया क्या रिट का ?

श्री कालीचरण सराफ : किस प्रश्न पत्र को कौनसा एग्जामिनर जांच रहा है, या कितने-कितने नम्बर मिले हैं, आप देखिये, हद हो गयी। साहब इससे ज्यादा और क्या होगा। मोरल फिलासाफी और मैटाफिजिक्स की कापी मंजू जोशी के पास थी.... (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी स्पष्ट करें। पी. एस. सी. के चेयरमैन के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। यह चर्चा नहीं होनी चाहिए यहां।

श्री कालीचरण सराफ : नाम आ गया कि किन-किन परीक्षक के पास कापी गयी हैं, उन्होंने कितने-कितने नम्बर दिये हैं। इतना होने के बाद भी जांच नहीं हो, उनके खिलाफ एक्शन नहीं हो, इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : लोक सेवा आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष ने हाई कोर्ट में जो रिप्लाई पेश किया है एफीडेविट के साथ,

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

उसमें उन्होंने स्वयं माना है कि गोपनीयता भंग हुई है। इसके बाद रह क्या जाता है ?

श्री उपाध्यक्ष : यह आपने कह दिया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : गोपनीयता भंग हो गयी, परीक्षा की गरिमा रहे नहीं तो क्यों नहीं दोषी कार्यवाहक अध्यक्ष को आप निलम्बित करें ? 9 जुलाई को जो परीक्षा होने वाली है वह इनके अलावा किसी दूसरे व्यक्ति की देख-रेख में होनी चाहिए।

श्रीमती उजला अरोड़ा : ये परीक्षाएं पुन: करायी जाएं।

श्री सांवरलाल : उपाध्यक्ष महोदय, लोक सेवा आयोग के लोग जो करते हैं वह सारी की सारी चीज बाजार में आ जाती है। तो फिर बचता क्या है ?

श्री उपाध्यक्ष : यह रिपीटीशन कर रहे हैं, कह चुके।

श्री सांवरलाल : इसको अविलम्ब हटाया जाकर कार्यवाही होनी चाहिए।

श्री जुबेर खां : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा तो एक ही लाइन में निवेदन है आपके माध्यम से, कि मुख्य मंत्री जी ने वक्तव्य दिये इस तरह के कि सीक्रेसी भंग हो गयी। यह बहुत संवेदनशील मामला है। यह प्रदेश के सबसे बड़े संघ का, आयोग का मामला है, लिहाजा इस पर सही रूप में निर्णय लेकर कार्यवाही करें। जैसी कि मुख्य मंत्री जी की आदत है कि झगड़ा होता है चित्तौड़ में और ले जाते हैं कोटा, आदरणीय, ऐसा मत कीजिएगा। इसमें तो टू दी पाइण्ट आप जवाब दीजिए सदन को क्या कार्यवाही करेंगे, क्या नहीं करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्री जी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, यह वास्तव में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के सम्बन्ध में इस सदन में इस प्रकार की चर्चा हो, सदन के बाहर भी इस प्रकार की चर्चा हो और समाचार पत्रों में भी इस प्रकार के समाचार प्रकाशित हों। माननीय सदस्यों ने कई आरोप लगाये। यह बात सही है कि जो आर. ए. एस. में एपीयर हुए थे उन सब लोगों ने मुझे एक ज्ञापन दिया था। उस ज्ञापन को तत्काल मैंने ए. सी. डी. के पास जांच करने के लिए भेज दिया और उनसे कहा कि इस मामले के अन्दर जितनी जल्दी जांच हो सके, जांच की जाय। इसके साथ ही परीक्षार्थी हाई कोर्ट चले गये और हाई कोर्ट में जाकर उन्होंने स्टे आर्डर आब्टेन कर लिया। अभी चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने श्री संगारिया के शपथ पत्र का उल्लेख किया। मैंने भी इसको पढ़ा है। जिस रूप में आप कह रहे हैं उस रूप में तो नहीं, लेकिन किसी न किसी रूप में इस बात को उन्होंने स्वीकार किया है। सदन की जानकारी के लिए मैं पढ़कर सुना देऊं तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

That after receipt of the copy of the writ petition by the Com-

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

mission and after going through the averment contained therein, I took legal advice from the standing counsel for Rajasthan public Service Commission. There after, enquiries were made from Smt. Manju Joshi with reference to the context of writ petition so far as they related to her. On the basis of her statement I got suspicion about the maintenance of secrecy by her and about the assessment made by her. I again sought legal advice and after having felt satisfied that it would be just and proper. I ordered that answer books assessed by Smt. Manju Joshi be re-assessed by a new examiner. Accordingly answer books assessed by Smt. Manju Joshi were re-assessed in the Commission's premises itself by another examiner. यह जो बात कही गई कि उन्होंने शपथ-पत्र में इन बातों का उल्लेख किया है, मैंने सदन की जानकारी के लिए इसको पढ़कर सुनाया है।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य ने कई आरोप लगाये और कई जानकारी करनी चाही। मैं समझता हूं कि जिस पत्र में सब बातों का उल्लेख है वह पत्र ही ए.सी डी. के पास जांच के लिए चला गया। उस पत्र में जिन आरोपों का उल्लेख है उसी प्रकार के आरोप रिट पिटीशन के अन्दर भी लगाये गये हैं, तो उनका लिखकर उद्धरण देने की आवश्यकता नहीं थी। उनको कन्साइण्ड फार्म में मैंने अपने स्टेटमेंट में बताया है। तो यहां भी ए. सी. डी. उसकी जांच कर रही है और यह मामला हाईकोर्ट के सामने भी है। मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य कहने लगे कि उनको सस्पेंड किया जाय।

अब आप भी समझते हैं कि पब्लिक सर्विस कमीशन की नियुक्ति का अधिकार राज्य सरकार को नहीं है, हटाने का अधिकार राज्य सरकार को नहीं है। उसका एक प्रोसिजर है, उस प्रोसिजर के अन्तर्गत हम कार्यवाही करें। तो पहले यह देखना पड़ेगा कि हाई कोर्ट का फैसला किस प्रकार का होता है। आज चाहे प्रेसीडेंट के पास मामला रेफर किया जाय या गवर्नमेंट करे, हर व्यक्ति इस बात की प्रतीक्षा में रहेगा कि हाई कोर्ट का निर्णय किस प्रकार का होता है। यदि आप ऐसा समझते हैं कि इस हाई कोर्ट के निर्णय के बिना ही गवर्नर रेफ्रेंस के लिए मूव करे या प्रेसीडेंट इसके लिए कोई इन्क्वायरी बैठाकर या उनको हटाने की कार्यवाही करे इस प्रकार की मैं नहीं समझता कि कोई कार्यवाही हो सकती है। हाई कोर्ट में इस मामले का निर्णय जल्दी से जल्दी हो और ए. सी. डी. की इन्क्वायरी जल्दी से जल्दी समाप्त हो, तभी जाकर इसके परिणाम निकलेंगे और उसके बाद में सरकार को जो कार्यवाही करनी होगी वो करेगी। लेकिन आज यह मांग करना कि उनको तत्काल हटाया जाय या उनको तत्काल

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

निलंबित किया जाय, आप स्वयं ही कानून के जानकार हैं अगर कानून में इस प्रकार की व्यवस्था है तो मुझे बता दें। मैं आपको इतना ही कह सकता हूं कि इस प्रकार की स्थिति होने पर सरकार कोई कार्यवाही न करना चाहे, इस प्रकार की स्थिति नहीं है लेकिन सरकार के हाथ संविधान से बंधे हुए हैं और उसके बाहर जाने में सरकार संकोच कर रही है। लेकिन उसके उपरान्त भी यदि आप कानूनी स्थिति ऐसी बताते हैं कि सरकार कार्यवाही कर सकती है तो सरकार को कोई संकोच नहीं होगा। लेकिन मैं आज भी मानकर चलता हूं कि जब तक हाई कोर्ट का किसी प्रकार से फैसला नहीं होगा न भारत सरकार कोई कार्यवाही कर सकेगी, न राज्य सरकार भारत सरकार को कार्यवाही करने के लिए मूव कर सकेगी। इसलिए आप इसकी जांच की प्रतिक्षा करिए, हाई कोर्ट के फैसले की प्रतिक्षा करिए। जो आरोप लगाए हैं वे हाई कोर्ट के सामने भी हैं, जो आरोप लगाए हैं वे ए. सी. डी. के सामने भी हैं। ए. सी. डी की जांच बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगी, इतना मैं आपको कह सकता हूं। जांच आने के उपरान्त ही कुछ कार्यवाही की जा सकेगी।

श्री सुरेन्द्र व्यास मालपुरा : नहीं, नहीं। हाई कोर्ट के फैसले में आप यह कंटेस्ट करेंगे क्या? हाई कोर्ट के अन्दर देखिए, स्टूडेन्ट्स के लिए बहुत मुश्किल है और हाई कोर्ट के फैसले से आप प्रतिबंधित नहीं हैं और यह कोई मांग भी नहीं है। मेरी मांग तो यह है कि पी. एस. सी. के चेयरमैन का करेक्टर एसेसिनेशन यहां मैम्बर्स से आरोप लगाकर मत कराओ। अगर उसने गलती की है तो सस्पेण्ड करो उसको। कंस्टीट्यूशन में आपको पावर्स हैं। मैं अभी भी यह निवेदन करता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि यह अपने आप में प्रथम दृष्ट्या मामला बन जाता है चाहे एक्जामिनर्स के नाम आ गए हों। यह मैं नहीं कहता कि सीधे चेयरमैन रेस्पोंसिबल है या दूसरा आदमी रेस्पोंसिबल है। मंजू जोशी का जहां तक सवाल है वह योग्यता तो रखती ही नहीं थी। She was not eligible एक साल का उसको टीचिंग एक्समीरियंस था जबकि 10 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिये। सब एक्जामिनर्स के नाम आ गए अब इसमें ए.सी.डी. का क्या होगा? हर मामले में आप ए.सी.डी. को लगाते हैं। ए.सी.डी. तो सिर्फ क्रिमिनल लाइबिलिटी तय करेगी यह जो हाई पब्लिक आफिसर्स होते हैं उनकी। उपाध्यक्ष महोदय, आप तो स्वयं इस बात को जानते हैं। उसमें से ज्यादातर जो क्वेश्चन्श होते हैं वे नैतिकता के होते हैं, वे औचित्य के होते हैं और मोरल रेस्पोंसिबिलिटी के होते हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन आज जिस हालत में है और एग्जामिनेशंस में सब आउट हो रहा है यह तो प्राइमाफेसी आपके देखने की बात है। आप देखते हैं, सही मानते हैं तो कार्यवाही कीजिये, आपको अधिकार है। मैं पुनः इस बात को दोहराता हूं लेकिन यह मांग नहीं है। मेरी मांग यह है कि अगर आप कार्यवाही नहीं करते हैं तो मेहरबानी करके अपने माननीय सदस्यों को अनुरोध करके इस बात के लिए रोकें कि पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन का करेक्टर एसेसि-

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

नेशन यहां नहीं करें। इससे स्टेट सर्विसेज् के अन्दर इमेज खराब होगी। आप क्या गेन करेंगे इससे ? किसी को भी अपाइन्ट कराओ हम तो किसी को चीफ होल्ड नहीं करते चेयरमैन के लिए। अगर आप इसको प्राइमाफेसी केस मानते हैं तो उसे निश्चित रूप से सस्पैण्ड कीजिये और सस्पैण्ड करने के पावर तो आपको हैं, मैं यह कह रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : साफ जवाब है, चर्चा समाप्त हुई।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : मुझे दो बातें कहनी हैं। इससे लगी हुई बात कहनी है।

श्री उपाध्यक्ष : सरकार का मन मालूम नहीं पड़ा क्या इससे आपको ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : सदन खत्म होने से पहले आप कुछ बता पायेंगी....

श्रीमती उजला अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मर्यादा में रहते हुए कहना चाहूंगी कि परीक्षाएं इनके द्वारा दुबारा ली जाने की जो बात है और कापियां, जिनके पर्चे बाजार में आ गये उनको रोके जाने के बारे में मुख्य मंत्री जी यहां पर बात करें, और इन लोगों की परीक्षा जिनके बारे में इतनी धांधलियां की गई हैं पुनः करवाना तो आपके हाथ में है। उसको पुनः करवाने के बारे में आप घोषणा करें जिससे छात्रों को कोई आश्वस्ति, कोई संभावना रहे कि उनके प्रति आरक्षण मिलेगा, अन्यथा तो इससे अव्यवस्था और फैलेगी। छात्रों में जितना असंतोष है उसको देखते हुए। उनका एक साल बर्बाद हो गया और आने वाले समय में फिर बर्बादी होगी। हमने यथार्थ बात कही है, किसी को आरोपित करने का कही कोई लक्ष्य नहीं है और जिसने खुद अपना आरोप माना है कि गोपनीयता भंग की है तो फिर उसके बारे में और सोचना क्या ? आप उसको प्रोसीक्यूट कीजिये जिससे उसके खिलाफ निर्णय लिया जा सके, उसको हटवाया जा सके।

माननीय मुख्य मन्त्री जी, इन दोनों बातों का जवाब तो यहां दें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, आज ही हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई है और उसके बाद सरकार निश्चित तौर पर कोई कार्यवाही करेगी। आप माननीय सहकारिता मंत्री जी थोड़ी देर बाद वक्तव्य देना।

केन्द्रीय सहकारी बैंक में प्रशासकों की नियुक्ति

श्री चतुर्भुज वर्मा (सहकारिता मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के कुल 26 केन्द्रीय सहकारी बैंक हैं। 34 प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक हैं। ये संस्थाएं 3 वर्ष के लिए चुनी जाती हैं। 19 केन्द्रीय सहकारी बैंक, 28 प्राथमिक भूमि विकास बैंकों, क्रय-विक्रय सहकारी समितियों का कार्यकाल समाप्त होने पर वहां पर रजिस्ट्रार ने प्रशासक लगा दिए। चूंकि 7 केन्द्रीय सहकारी बैंक और 6 प्राथमिक

(श्री चतुर्भुज वर्मा)

सहकारी भूमि विकास बैंकों का समय पूरा नहीं हुआ था, अतः वहां पर प्रशासक नहीं लगाए गए। पूर्व में भी केन्द्रीय सहकारी बैंक और भूमि विकास बैंकों की समयावधि पूरी होने पर वहां पर संचालक मण्डल के स्थान पर प्रशासक लगाए गए थे। केवल जिन बैंकों की समयावधि पूरी हुई है वहां प्रशासक लगाना और जहां समयावधि पूरी नहीं हुई है वहां प्रशासक न लगाना अपने आप में यह सिद्ध करता है कि प्रशासक लगाने के पीछे राज्य सरकार की कोई दुर्भावना नहीं है और लोकतंत्रीय परिपाटी ही अपनाई गई है। (व्यवधान)

प्रशासक लगाने के आदेश के विरुद्ध 3 रिट याचिकाओं में राजस्थान उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने 26-6-90 को निर्णय दिया। (व्यवधान)

ध्यान से सुनना है तो सुनो, भई। आपने जो परिपाटी अपनाई थी वही अपनाई गई है। आगे दूसरे ढंग की अपना लें, इसमें क्या बात है ? (व्यवधान)

प्रशासक लगाये जाने के आदेश के विरुद्ध 3 रिट याचिकाओं में राजस्थान उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने 26.6.90 को निर्णय दिया कि राज्य सरकार को समयावधि पूरी होने पर प्रशासक लगाने की शक्तियां नहीं हैं। राज्य सरकार ने धारा 139 राजस्थान सहकारिता संस्था अधिनियम में प्रदत्त अधिकारों के उपरोक्त अधिनियम की धारा 36 में उल्लेखित प्रक्रिया का सरलीकरण करते हुए रजिस्ट्रार को प्रशासक लगाने के अधिकार दिए थे क्योंकि माननीय एकल पीठ ने इसकी अलग प्रकार से विवेचना की है। अतः राज्य सरकार ने इस निर्णय के विरुद्ध ग्रीष्मावकाश के बाद उच्च न्यायालय के खुलते ही अपील दायर कर दी है जिसकी सुनवाई 11 जुलाई, 1990 को रखी गई है। माननीय एकल पीठ के निर्णय से जिन संचालक मण्डल के सदस्यों ने रिट की थी वे वापस अपनी जगह आ जायेंगे। अगर डबल बैंक में सरकार द्वारा प्रस्तुत अपील का परिणाम उनके विरुद्ध जाता है तो ये हट जायेंगे अन्यथा वे पुनः अगले चुनावों तक बने रहेंगे। इसमें किसी प्रकार की अव्यवस्था होने का कोई अंदेशा नहीं है। न्यायालय के निर्णय से रिलीफ उन्हीं को मिलता है जिनके पक्ष में निर्णय होता है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, पहले तो क्रय-विक्रय सहकारी समितियों के विषय में मंत्री जी ने जानकारी नहीं दी है और डी. बी. में आपने अपील कर दी। इसका मतलब आप प्रेस्टीज पर अड़े हुये हैं। देखिये, उपाध्यक्ष महोदय, सीधा सपाट सवाल है, यह मैं भी मानता हूं। मारल ग्राउण्ड पर कान्टेस्ट यह नहीं करता कि 3 साल पूरे हो गये और आप प्रशासक नियुक्त कर दिये। चलिये, कोई बात नहीं है। सवाल यह है कि आपके पास में बहुमत है, आपका यह जो कदम है....

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपने भी की थी या नहीं ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप गम्भीर बात करना नहीं जानते हैं, महावीर प्रसाद जी, चुप रहो न आप।

(90)

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपके पास कोई जवाब नहीं है · पहले आपने क्या किया था ? मैं यह पूछ रहा हूं। इसमें गम्भीरता कहां कम हो गयी ? आपने एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किये थे, हमने तो सारे अधिकारियों को बैठाया था आपने तो अपनी पार्टी के लोगों को बैठाया था।

श्री हरिसिंह (महुआ) : आप भी बैठाओ कौन मना कर रहा है ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, यह पूरा प्रकरण सरकार की+++ द्योतक कम है+++ ज्यादा है। इसको ढंग से एग्जामिन ही नहीं करवाया आपने। 139 के अन्दर 36 के प्रोसीजर को एग्जम्पट कर दिया। प्रोसीजर का सवाल नहीं है, 36 में जो इवेन्चुअलिटी दी गयी है, उपाध्यक्ष महोदय, बाई लाज यह है कि 3 वर्ष या नया निर्वाचक मण्डल होने तक। जजमैण्ट में साफ लिखा हुआ है, 293 (ए) म्यूनिसिपल एक्ट का हवाला दिया है, उसमें पावर दी हुई है। मैं सीधा यही निवेदन करना चाहता हूं कि आपके पास में पूरा बहुमत है, आपकी मिली-जुली सरकार है, अच्छा खासा बहुमत है। आप अभी भी अमेण्डमेण्ट ला सकते हैं। जबर्दस्ती डी. बी. में गये। जैसे आपका वहां पूरा नहीं हुआ, वही हालत डी. बी. में होगी। ईमानदारी से सही होना चाहिये, कानूनी ग़लती है तो। जितनी बैंक हैं, एक एक बैंक को अलग-अलग रिट पिटीशन के अन्दर भेजें, यह वाजिब नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने 30 अप्रेल को निर्णय लिया कि जिन सहकारी समितियों, क्रय-विक्रय समितियों, भूमि विकास बैंक और केन्द्रीय सहकारी बैंक, जिनकी 3 वर्ष की अवधि समाप्ति हो गयी है, वहां पर प्रशासक नियुक्त करें वह तो मैं मानता हूं, इतनी ईमानदारी सरकार ने बरती कि 3 साल जहां पूरे नहीं हुये हैं वहां मत करो। लेकिन उसी ईमानदारी के साथ प्रभावी इन्टरप्रिटेशन सही नहीं किया, 3 वर्ष पहले नया निर्वाचक मण्डल जब तक नहीं आये। निर्वाचक मण्डल का काम होता है चुनाव कराने का। अब, उपाध्यक्ष महोदय, सीधी बात यह है कि उसके आधार पर रजिस्ट्रार ने सैक्शन 36 का पर्सनल सेटिस्फीकशन जरूरी है। वह नहीं करके यह प्रस्ताव लाये हैं कि राज्य सरकार ने डिसीजन लिया है, कि फलां-फलां—टोंक की भंग कर दी जाय, भीलवाड़ा की भंग कर दी जाय, सीकर की भंग कर दी जाय और वहां जाकर हुआ है। ईमानदारी से इस आदेश को निरस्त करवायें और सबको वापस बैठायें इन सहकारी समितियों में, भूमि विकास बैंक और केन्द्रीय सहकारी बैंक में। यह भी आप ईमानदारी रखें इसी सैशन के अन्दर अमेण्डमेण्ट लायें, अधिकार लें, साहब, चुनाव कराने के। 3 साल की अवधि पूरी हो जायेगी, एडमिनिस्ट्रेटर अपन कर देंगे। एक क्लाज जोड़ना ज़रूरी है, 36 में इवेन्चुअलिटी दी हुई है, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि....

+++ शब्द माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री महावीर प्रसाद जैन : पाइन्ट ऑफ आर्डर, सर।

श्री उपाध्यक्ष : क्या पाइन्ट ऑफ आर्डर है ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : मेरा पाइन्ट ऑफ आर्डर यह है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने सहकारिता पर बोलते हुए यह कहा है कि सरकार की+++यह +++शब्द....करें कि....

श्री उपाध्यक्ष : वह एक्सपंज कर दिया गया है। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, यह सुझाव देने के बाद मैं एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि यह सरकार बहुत ज्यादा कन्फ्यूज्ड है। आप अपने आपकी यह छवि भी क्रियेट करना चाहते हैं कि नहीं साहब हमतो बड़े फेयर हैं और आप मन में चाहते यह हैं कि कांग्रेसी कहीं बैठा हो+++तो वह बैठा नहीं रहे। आपकी पंचायती राज की व्यवस्था में यह है। न तो आप काम करने देना चाहते हैं। जिला शिक्षक संघ के सम्मेलन में जाकर स्टेटमेण्ट दे देते हैं कि हम वापस स्कूलों को ले रहे हैं, उनकी सब रोक लगा दी, न आप निर्णय लेते हैं। अब बैंकों का जो घपला हुआ है वह जल्दबाजी में हुआ है। मैं मुख्य मंत्री जी से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि....

श्री मदनलाल सैनी : घपला था उसको ठीक करने का प्रयास है। घपला नहीं हो रहा।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजनीतिक ईमानदारी बरतें और जो निर्णय लेना हो वह साफ निर्णय लें और+++नहीं रखें। हमने तो कुछ किया था, कांग्रेस ने छिपकर नहीं किया, डबल स्टेण्डर्ड नहीं रखा कि कहते क्या थे और करते क्या थे। जो करना था वह किया।

उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन के अन्दर माननीय मुख्य मंत्री जी को याद दिलाना चाहूंगा कि इस सोसाईटी एक्ट में सुपरसैशन उसकी डिजायर से हुआ है,+++पंडित रामपाल उपाध्यक्ष को आपने मंत्री मण्डल से त्याग-पत्र दिलवाया और क्या आपके खिलाफ स्ट्रेक्चर पास नहीं हुये ? इन्होंने यह प्ली लिया उपाध्यक्ष महोदय, कि साहब चुनाव नहीं करवाये। यह सोसाइटी की जिम्मेदारी है "But there is no provision that if the election of new Committee of the Cooperative Society does not take place which, in my opinion, Deputy Registrar is allowed to work independently without any pressure from political quarter or if that matter, the Government, this situation will not arise; in the interim Period in between the expiry of period of newely elected

+++शब्द माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

committee or fresh elected committee."

यह आगे और लिखा है, उपाध्यक्ष महोदय। पैरा 16 के अन्दर गवर्नमेण्ट का इण्टरफियरेंस साफ माना है, अब आप क्या करना चाहते हैं ?....

(व्यवधान)

आपकी एक्सरसाइज है, पढ़ा हुआ है मुख्य मंत्री जी ने। ऐसी बात नहीं है। पैरा 16—

"It has already been said earlier that Section 36 of the Act is not abstracted in this case, and therefore, even otherwise the Government would not have made the order under Sec. 139 of the Act and the order has been made in colourable exercise of the powers by the Government as a result of non-compliance of the principles of natural justice. The impugned order dated April 30, 1990; May 2/3, 1990, in my opinion, are....set aside."

अब, उपाध्यक्ष महोदय, एक निवेदन मैं माननीय राजस्व मंत्री जी से करना चाहता हूं, ये सहकारिता आन्दोलन के अग्रणी हैं। कृपा पूर्वक आज लिफ्ट में मिल गये, मुझ से कहा था कि आप क्या कर रहे हैं बैंकों में। तब मैंने कहा कि साहब, हम क्या करेंगे, करेंगे तो आप। तो कहा कि सब बैंकों को वापस स्थापित करें। यह आपकी भावना वाजिब थी क्योंकि आप सहकारिता आन्दोलन से जुड़े रहे हैं। यह सवाल मैं अब आपसे करना चाहता हूं। आप अपने मुख्य मंत्री जी से उसके ऊपर वार्ता करें और कहें कि आवश्यकता नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह जानता हूं कि आप छोड़ेंगे नहीं, आप निकलने नहीं देंगे। आडम्बर रच सकते हैं। न बैंकों को छोड़ेंगे और न पंचायतों में छोड़ेंगे, उसकी भी तैयारी है। मुख्य मंत्री जी अगर आप पोलिटिकल लेबल पर एक्शन लेंगे तो पौलिटिकल लेबल पर जवाब हम देंगे, पोलिटिकल लेबल पर फाइट भी करेंगे। ऐसी बात नहीं है कि हम आपसे कोई दया की भीख मांगते हैं कि कांग्रेसी जहां बैठा है उसको वहीं बैठा रहने दो। हम अपने आर्गेनाइजेशन को सुदृढ़ बनायेंगे और यदि बैंकों का चुनाव करायेंगे तो चेयरमैन भी फिर वापस आयेंगे। पंचायतों का करायेंगे तो पंचायतों में भी आयेंगे। लेकिन आप राजनीतिक ईमानदारी बरतें। आप जबर्दस्ती पब्लिक एक्सचेकर का पैसा क्यों खराब करते हैं ? मुझे यह कहना नहीं चाहिये जुडीशियरी के लिए, आनरेबल जस्टिस महेन्द्र भूषण का जजमैण्ट। ये वही जज हैं जिन्होंने रामपाल उपाध्यक्ष जी के सम्बन्ध में फैसला दिया था। ये जज तो सबसे बढ़िया जज हैं, आप क्यों जबर्दस्ती डी. बी. में जाते हैं ? आप यहां अमेण्डमेण्ट लावें न। और बिल लाकर पावर लें।

इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि क्रय-विक्रय सहकारी समितियों की आगे न तो रिट हुई है और न उनका

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

मोशन में है। शायद वह आपके ध्यान से हट गया है। केन्द्रीय को-ऑपरेटिव सोसाइटीज का मुद्दा भी महत्वपूर्ण है, वह सब आपने हटा दिये । क्रय-विक्रय सहकारी समितियां मेरे ख्याल से 100 से ज्यादा होंगी। तो उन सबको वापस दें। इन्डिवीजुअल आदेश प्रसारित हुये हैं, अलग-अलग उनके होने चाहिये वह आप करवायें।

एक मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहूंगा कि 10 लाइन मंत्री जी बोलें उससे अच्छा हो कि एक लाइन मुख्य मंत्री जी बोल दें। मंत्री जी बोलेंगे तो कन्फ्यूजन ज्यादा हो जायेगा। वह जवाब देंगे उससे फर्क पड़ेगा, इसलिये मुख्य मंत्री जी ही कुछ बोल दें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री बुलाकीदास कल्ला जी।

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान को-ऑपरेटिव एक्ट की धारा 139 और रूल 110 के अन्तर्गत ऐसा स्पष्ट प्रावधान किया गया है, 3 वर्ष तक, उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार को कोई पावर नहीं दी गयी है जिसके अन्तर्गत वह अपना इन्टरफियरेन्स करके चुने हुये संचालक मण्डल को हटा दे। यही कारण है कि 3 रिट पिटीशन राजस्थान हाई कोर्ट में जो हुई हैं उन रिट पिटीशम में जज ने गवर्नमेन्ट के खिलाफ स्ट्रिक्चर पास किया। इन्होंने जो कवरेबल अपनी पावर इस्तेमाल की है और रजिस्ट्रार को प्रभावित करके उसमें सैक्शन 36 (1) में ऐसा प्रावधान किया गया है कि यदि रजिस्ट्रार लॉ का वायोलेशन हो रहा है, यदि कोई बैंक में गड़बड़ी हो रही है तो अपनी डिस्क्रिशनरी पावर को यूज करके कुछ भी एक्शन ले सकता है। लेकिन इसमें राज्य सरकार ने, जो उसके पास पावर्स नहीं थे उन पावर्स का इस्तेमाल करके रजिस्ट्रार को बाध्य किया है। इन सारी की सारी बैंक्स, भूमि विकास बैंकों के और सैण्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक्स के जो संचालक मण्डल चुने हुए हैं उनको भंग किया जाय। इसके साथ-साथ इन्होंने एनुअल जनरल मीटिंग भी नहीं की। मीटिंग करके चुनाव कराने का निर्णय नहीं लिया। यदि राज्य सरकार स्वयं चुनाव कराना चाहती थी तो निर्णय लेकर चुनाव की घोषणा नहीं करवा सकती थी ? चुनाव यह करना नहीं चाहे, कोई कार्यक्रम बनाये नहीं और उल्टा चोर कोतवाल को। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, कानूनी प्रावधान यह था कि यदि कोई बैंक गड़बड़ कार्यवाही कर रहा था अथवा कोई लॉ, बायलॉज का वायलेशन कर रहा था तो नियमों के अनुसार रजिस्ट्रार अपने स्वविवेक पर, अपने डिस्क्रिशनरी पावर पर निर्णय ले सकता था। लेकिन बैंकों की कोई सुनी नहीं। नेचुरल जस्टिस का जो आधारभूत सिद्धान्त है, उसकी भी उन्होंने पालना नहीं की। जैसा उनके मन में आया कि सारे कांग्रेस के लोग बैठे हुये हैं, एक कलम से आदेश देकर जितने भी चुने हुये लोग थे उन सबको हटा दिया।

मुझे आपको यह याद दिलाना है कि इस सदन में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने और उस समय जो विपक्ष में लोग बैठे थे उन्होंने समय-समय पर यह बात कही थी

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

कि जितने भी हमारे पब्लिक अण्डरटेकिंग्स हैं स्टेट में, पब्लिक सेक्टर में जितने भी उपक्रम हैं, यू. आई. टी. और जितने भी बैंक्स हैं उनमें सब जगह हमारे ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुये हैं। यहां पर जनता के चुने हुये जो प्रतिनिधि आये हैं अथवा जो सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले लोग हैं उनका वहां नोमिनेशन हो। लेकिन यह बात आप सत्ता में आने पर भूल गये। आपको चाहिए था कि इसके चुनाव करवाते। चुनाव के द्वारा जो संचालक मण्डल चुनकर आता उसको रिप्लेस करते। यदि यह व्यवस्था होती तो कोई बात बनती। लेकिन रजिस्ट्रार को आदेश देकर यह जो काम किया गया, और हाई कोर्ट ने जो सरकार के खिलाफ स्ट्रिक्चर पास किये हैं इसको गम्भीरता से लेना चाहिए। अभी आप डी. बी. में जा रहे हैं। डी. बी. में स्ट्रिक्चर पास होने पर निश्चित रूप से जिस तरीके से पहले आपने जिन आधारों पर यहां मन्त्रियों से इस्तीफे की मांग की है आपसे भी इस्तीफों की मांग की जायेगी। इस निर्णय पर विचार करें। खास तौर से तीन बैंकों के रिट पिटीशन के माध्यम से चले गये हैं। जब तक डी. बी. का फैसला न हो आप आदेश पारित कर जितने भी लोग जो सी. सी. बी. के चुने हुये संचालक मण्डल में हैं उनको पुनः बहाल करें। लैण्ड डवलपमेंट बैंक के जितने भी संचालक मण्डल हैं उनको बहाल करें। अन्यथा एक ऐसी अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई है कि जो चुने हुये लोग हैं उनको बिना किसी कारण के, बिना किन्हीं नियमों के हटाने से, को-ऑपरेटिव मूवमेंट में एक सबके लिये और सब एक के लिये का जो सिद्धांत था उसकी घोर अवमानना हुई है। मुझे विश्वास है कि राज्य सरकार इस पर विचार करके डी. बी. में जो फैसला हो उसके पूर्व सारे संचालक मण्डल को इस निर्णय के आधार पर बहाल करेगी। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

श्री चतुर्भुज वर्मा (सहकारिता मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बड़ा अच्छा भाषण दे रहे थे। अब उनसे पूछो पहले की सरकार, पूर्व मुख्य मन्त्री बैठे हैं। माननीय सहकारिता मंत्री बैठे हैं। +++

श्री हेतराम बेनीवाल (सांगरिया) : आप भी वही गड़बड़ करोगे जो उन्होंने की है? उपाध्यक्ष महोदय, मुझे दो शब्द कहने हैं। मैं विशेष तौर से जनता दल के जो साथी हैं उनसे कहना चाहूंगा कि क्या आप सदन में वही परम्परा डालना चाहते हैं जो ये तीस साल तक करते रहे? जिस तरह से इन्होंने नौकरशाही को इस्तेमाल करके जनता के चुने हुये नुमाइन्दों को हटाया, जिस तरह से इन्होंने कानून का सहारा लेकर के इस राज के अन्दर जो जनता की इच्छा थी उसको दबाया, क्या हमारी नई राज्य सरकार है उसकी भी यही नीतियां हैं कि जनता की इच्छाओं को, चुने हुये लोगों को हम उसका सहारा लेकर दबाएं। निश्चित तौर से उनको नई

+++ अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री हेतराम बेनीवाल)

परम्पराएं डालनी चाहिए । चाहे वह कांग्रेसी हो, कोई भी हो, चुनाव, का इन्तजार न करके, इस कानून का सहारा लेकर जो हटाया है, मैं जनता दल के साथियों से कहूंगा, यह परम्पराएं जो हमारी केन्द्रीय सरकार और इसने, मैं यह निश्चित तौर से कहूंगा कि पिछली दो सरकारों के अनुभव को तोड़कर इस बार जो केन्द्रीय सरकार ने चुनाव करवाये विधान सभाओं के, उसने एक नई परम्परा डाली है। हम इस बात का इन्तजार करेंगे कि जनता के चुने हुये नुमाइन्दे जो हैं वे जनता द्वारा ही हटाये जायें। क्यों हम इस बात की हिम्मत नहीं कर सकते कि महीने, दो महीने या तीन महीने के अन्दर जनता ही इनको हटाये ? मैं निश्चित तौर से कह सकता हूं कि एक भी नहीं आयेंगे।

कांग्रेस ने जो कुछ किया है इस सहकारिता में रहकर, इससे बड़ा भ्रष्टाचार कहीं हो नहीं सकता । जितना बड़ा भ्रष्टाचार इन्होंने किया है हमको डर नहीं होना चाहिए कि दुबारा चुनकर किसी भी कोने से आ सकते हैं। इसलिए यह जो चीज की गई है मुझे इसमें कुछ समझ में नहीं आता कि नौकरशाही की इच्छा मानकर हमने यह क्यों किया है ? इस पर राज्य सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए कि इस मामले में अगर जज ने भी फैसला दे दिया है उसके बाद हम जिद करके और अपनी इज्जत का सवाल बनाकर अदालतों में जाते रहें और उनका सहारा लेकर इसको इस्तेमाल करें, उचित नहीं है।

श्री हरीसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस मामले में मैं कुछ कहना चाहूंगा, राज्य सरकार ने रजिस्ट्रार को एक आदेश दिया क्योंकि राज्य सरकार को आदेश देने का कानूनी अधिकार है। रजिस्ट्रार ने कोई विवेक काम में लिये बिना राज्य सरकार के अधिकार को माना। यह को-ऑपरेटिव भावना, को-ऑपरेटिव एक्ट के खिलाफ काम किया। माननीय न्यायाधीश महोदय ने यह कहा है कि I am, therefore, of the opinion that the ground which the action could be taken for removal of the committee under section 36 (1) of the Act did not exist in this case and there is a colourable exercise of powers by the State Government. Now what is this colourable exercise of powers ? छद्म से काम हुआ है। मैं सोचता हूं हिन्दी का अनुवाद छद्म है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : क्या अनुवाद किया है ?

श्री हरीसिंह : छद्म होगा मतलब चक्करबाजी से काम करना। यह राज्य सरकार ने कहा है। मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से पूछना चाहूंगा कि वह +++ की तरह से काम कर रहे हैं। यह राजस्थान की सरकार है, कायदे कानून

+++ अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री हरीसिंह)

से काम करना चाहिए। एक बात का और मुझे वहम हो रहा है कि माननीय सहकारिता मंत्रीजी को शायद कुछ पता ही नहीं होगा कि क्या किया है उन्होंने । मुख्य मंत्रीजी ने कह दिया, उन्होंने कर दिया ।

श्री चतुर्भुज वर्मा : आपको तो कुर्सी पर बैठा दिया । लोकतन्त्रीय परिपाटी अपना रहे हैं । और क्या चाहिए आपको ?

श्री हरीसिंह : देखिये आपका यह कहना कि फलाने आदमी ने यह कहा है That does not justify your action. अब सवाल यह है कि आपने तो यह आर्डर निकलवा दिया । उधर मदनलाल जी ने शायद आपको टेलीफोन कर दिया होगा कि भाई कमाई कर लो । यह भी हो सकता है क्योंकि मदनलाल जी आपके मित्र भी हैं ।

एक माननीय सदस्य : आपके भी हैं।

श्री चतुर्भुज वर्मा : इसका मतलब है हाई कोर्ट की आप अवमानना कर रहे हैं ।

श्री हरीसिंह : मेरे भी मित्र हैं । आप जो काम करें उसकी जानकारी रखना तो जरूरी है । मेरा निवेदन यह है कि राज्य सरकार को-ऑपरेटिव की भावना, को-ऑपरेटिव को सही दिशा अगर दे सकेगी, जो मूल भावना इसमें है वह दे सकेगी तो को-ऑपरेटिव का संसार इस सरकार का बड़ा आभारी रहेगा । को-ऑपरेटिव का सरकारीकरण करके ही वह चलना चाहती है क्योंकि को-ऑपरेटिव में सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार का जहां नियंत्रण है वहां वह को-ऑपरेटिव नहीं है । This has been told by the founder of the cooperative movement in India Pandit Jawaharlal Nehru. और आज क्या हो रहा है ? मैं मानता हूं कि कांग्रेस सरकार सारा दखल दे रही थी लेकिन आप तो उसको बिल्कुल चक्की में ही पीस देना चाहते हो । को-ऑपरेटिव मूवमेंट को आप खतम करना चाहते हो । तो को-ऑपरेटिव डिपार्टमेंट को तो आप मोटा कर रहे हो और मूवमेंट को दुबला कर रहे हो । आपको इसमें एक फण्डामेण्टल डिसीजन लेना चाहिए । (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य ने यह कहा कि इस एक्ट में संशोधन कर दो, तो फिर यह को-ऑपरेटिव को पटवारी का महकमा क्यों नहीं बना देते ? को-ऑपरेटिव सोसायटी को पटवार घर क्यों नही बना देते, तहसील घर क्यों नहीं बना देते ?

श्री मदन दिलावर : आप तो सारा सफा + + + कर गये । आपका प्रयास यही था ।

श्री हरीसिंह : यह व्यक्तिगत मेरा मामला नहीं है और मेरे ऊपर कोई आदमी भ्रष्टाचार का या किसी अनियमितता का चार्ज लगाये उसके पहले उसको पचास दफा सोचना पड़ेगा ।

मैं माननीय मुख्य मन्त्रीजी को आपके

+ + + शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया ।

(श्री हरीसिंह)

माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि क्या आप को-ऑपरेटिव मूवमेंट को को-ऑपरेटिव मूवमेंट की मूल भावना के हिसाब से चलाना चाहते हो या नये कानून लाकर इसको जकड़न में डालना चाहते हो या सरकारीकरण करना चाहते हो ? आप कुछ भी एक्ट लाइये, अगर इस को-ऑपरेटिव मूवमेंट को लोगों की सेवा के लिये करना चाहते हो तो पीपुल्स इन्वाल्वमेंट इसमें शामिल करिये। इसमें स्वेच्छा लाइये और समाज सेवा की इसको एक संस्था बनाइये। हर आदमी यह कहता है। माननीय सदस्य ने तो लीगल पाइण्ट में कहा था कि कानून ले आइये। तो कानून ले आकर इसको भंग क्यों नहीं कर देते ? जरूरत क्या है इस को-ऑपरेटिव मूवमेंट की ? मैं एक ही सवाल माननीय मुख्य मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं। क्या आप को-ऑपरेटिव को एक मूवमेंट बनाना चाहते हैं या इसको सरकार का एक दफ्तर बनाना चाहते हैं, पटवार घर बनाना चाहते हैं ? यह आप अपनी भावना अगर बता दें तो मैं बड़ा आभारी रहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने को-ऑपरेटिव के सम्बन्ध में सरकारी नीति क्या है इस सम्बन्ध में कुछ जानकारी चाही है। आप और हम दोनों इस बात के पक्ष में हैं कि को-ऑपरेटिव मूवमेण्ट चले और इसकी जनता में क्रेडिबिलिटी बने। आप यह मान कर चलेंगे कि क्रेडिबिलिटी धीरे-धीरे शुरू होगी। अब इसके लिए दोषी कौन है और कौन निर्दोष है इस विवाद में तो मैं पड़ना नहीं चाहता। हम भी चाहते हैं कि को-ऑपरेटिव मूवमेण्ट चले और इस मूवमेण्ट के माध्यम से जो लाभ जनता को मिल सके वह लाभ उपलब्ध करायें। जहाँ तक यह प्रसंग है मैं समझता हूं मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने पहले भी, शायद बजट के भाषण के समय भी यह आपत्ति की थी। उस समय से हमने भी इसको अच्छी तरह से देखा है। आपको इतना ही कह सकता हूं कि इसमें कोई नीयत खराब नहीं है। अगर चुनाव पहले समय पर हो जाते तो शायद इस प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती। तीन वर्ष की अवधि नहीं, मार्च में तो आये हैं। अचानक अगर प्रक्रिया चालू हुई होती और उस चालू हुई प्रक्रिया को हमने रोक दिया होता तो हम दोषी हैं लेकिन आज चुनाव करने की प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को हमको चलाना पड़ता है। उस प्रक्रिया के बाहर जायेंगे तो आपको मालूम है कई इलेक्टेड बॉडीज के सम्बन्ध में हाई कोर्ट के स्टे आ जाते हैं। इलेक्टेड बॉडीज काम नहीं कर पातीं। काम भी करती हैं....

श्री सुरेन्द्र व्यास : तीन महीने इलेक्टेड बॉडीज रह जाती तो क्या कर सकते थे आप ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उसी बात पर बता रहा हूं। अपने यहां एक अव्यवस्था चल रही है, बहुत बरसों से चल रही है। इसमें चुनाव खतम होने के बाद हम चुनावी प्रक्रिया शुरू करते हैं। अगर समय के ऊपर एक्ट में भी प्रोवीजन हो कि तीन

(98)

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

वर्ष की अवधि है, चार वर्ष की अवधि या पांच वर्ष की अवधि है तो 6 महीने पहले चुनाव की प्रक्रिया प्रारम्भ हो जानी चाहिए। समय अवधि समाप्त होती है उस समय चुने हुये नये लोग आ जाते हैं और चार्ज ले लेते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है। यह उसी का परिणाम है कि कई बार इलेक्टेड बॉडीज को सुपरसीड करना पड़ता है और उनके लिए यह एडमिनिस्ट्रेटर अपाइन्ट करना पड़ता है। कम से कम हमने इतना काम तो नहीं किया कि नगर पालिकाओं में और नोटिफाइड एरिया कमेटीज जहां इलेक्टेड मेम्बर्स होने चाहिए वहां राजनैतिक दलों के कार्यकर्ताओं को नियुक्त किया। ऐसा तो नहीं किया ?

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : किया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप तो पंचायतों तक पहुंच गये।

श्री हरिसिंह (महुआ) : मेरे यहां किया है। अभी आपने हाल ही में बोर्ड को भंग करके पंचायत किया है और अभी एक आदेश....

श्री भैरोंसिह शेखावत : बोर्ड को भंग करके पंचायत किया वह दूसरी बात है।

श्री हरिसिंह (महुआ) : पंचायतों को भंग करके व्यक्ति को आपने नियुक्त किया है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : यह अच्छी बात नहीं है। मैं यही कह रहा हूं।

श्री हरिसिंह (महुआ) : अगर अच्छी बात नही है तो इसको विदड्रा कर लें।

श्री भैरोंसिह शेखावत : इस चुनाव की व्यवस्था में एक कमी रही है। किसी भी प्रकार का कानून हो जहां इलेक्टेड बॉडीज आती हैं उनके टर्म की एक्सपायरी के पहले चुनावी व्यवस्था नहीं होती और उसी के कारण एडमिनिस्ट्रेटर अपाइंट होता है। उसी के कारण दूसरे आदमी इसमें नियुक्त हो जाते हैं। इस व्यवस्था में जहां-जहां सुधार करने की आवश्यकता होगी, मैं इस सदन को आश्वासन देना चाहता हूं कि कानून में संशोधन ला कर इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे कि फिर टर्म एक्सपायर होने के पहले चाहे को-ऑपरेटिव का मामला हो, चाहे पंचायतों का मामला हो, चाहे जिला परिषद का मामला हो चाहे और किसी भी प्रकार की इलेक्टेड बॉडीज हों, कानून में संशोधन करके व्यवस्था इस प्रकार की करेंगे कि चुनाव की प्रक्रिया बहुत पहले से आरम्भ हो जाये और जिस दिन उनकी अवधि समाप्त होती है उस समय इलेक्टेड बॉडी आकर उनका चार्ज ले ले और उनमें किसी प्रकार के ब्यूरोक्रेट्स अन्दर नहीं आयें। जहां तक यह प्रश्न है इस प्रश्न के सम्बन्ध में माननीय मंत्री महोदय ने कई आर्डर्स निकाले, निकालने के बाद हाई कोर्ट में चेलेंज हुये। विवाद तो इतना ही है कि आप यह कह रहे हैं कि उसमें जिन व्यक्तियों ने चैलेंज किया उनके लिए तो इस सम्बन्ध में आपने आदेश दे दिये कि वह चार्ज ले लें और बाकी के लोगों के सम्बन्ध में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं की। सारी पत्रावली मुझे ध्यान में नहीं

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

है लेकिन देखने के बाद जिन तीन लोगों ने, चार लोगों ने हाई कोर्ट से रिलीफ लिया है यदि उसी प्रकार के कारण हैं तो बाकी लोगों को उसी प्रकार का रिलीफ देने में किसी प्रकार का संकोच नहीं होना चाहिए। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की व्यवस्था यहां पहली बार होगी। आप तो दो बार यहां रह चुके हैं मैं चालीस वर्ष इस विधान सभा में बैठा हूं। कई बार इस प्रकार के प्रसंग आये हैं कि जिसने हाई कोर्ट में रिट की उसको ही रिलीफ मिला, कई हैं ऐसे प्रसंग। हमेशा ही इस प्रकार हुआ है लेकिन यह कोई अच्छी प्रक्रिया नहीं है। मैं इसको उचित नहीं मानता। यदि एक आदमी एक इश्यू के ऊपर हाई कोर्ट में चला गया, रिलीफ उसने ले लिया तो बाकी के, उसी से प्रभावित लोगों को उसी प्रकार का रिलीफ नहीं दिया जाय, मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। इस प्रकार की व्यवस्था करने में हमें कोई संकोच नहीं है। इसी आधार पर मैं आश्वासन देता चाहता हूं कि जो कुछ कानून में कमी रही है उस कमी को निकालने की कोशिश की जायेगी, जिनको रिलीफ मिलना चाहिए उनको निश्चित रूप से रिलीफ दिया जायेगा।

श्री सुरेन्द्र व्यास : एक सवाल मैं इसलिए पूछना चाहता हूं कि वर्तमान में आपकी को-ऑपरेटिव की मशीनरी है, रजिस्ट्रार का आफिस है उससे अप्रैल के महीने में चुनाव की प्रक्रिया का कार्यक्रम निकाल कर बाकायदा जी. एस. एस. का यह हुआ। मई-जून में होगा। मुख्य मंत्री जी यह बात कहीं नहीं कह रहे हैं कि चुनाव की प्रक्रिया चालू नहीं हुई। वह प्रक्रिया राज्य सरकार द्वारा रखी गयी। वह क्यों रखी गयी? ताकि मियाद पूरी हो जाये। आपके दिमाग में था कि इसकी मियाद तीन साल की है। तीन साल के बाद इसको भंग कर सकते हैं फिर प्रशासन बैठा लेंगे, प्रशासन बिठा करके फिर चुनाव करवा देंगे। अब सितम्बर में चुनाव आप कराना नहीं चाहते, एक बात तो यह जवाब दें।

दूसरी बात, आपने यह नहीं बताया, मैंने प्रार्थना की थी कि क्रय-विक्रय सहकारी समिति हैं, प्राइमरी सोसायटीज हैं। उनको भी कवरअप करके आप कह रहे हैं कि मैं पत्रावली देख लूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है, यह पत्रावली आपने देखी है। निर्णय ही आपने किया है। सिर्फ उसमें टोंक, अलवर, भीलवाड़ा उनके नाम बदलने के अलावा कुछ नहीं हैं। एक का एक ही है। रजिस्ट्रार आर्डर पास करता है। इसलिए वाकई में ठीक करना ही है मुख्य मंत्री जी, तो अभी अपने वक्तव्य में घोषणा करें। हमें ऐसे चक्कर तो देओ मत आप कि इसकी पत्रावली देखूंगा।

आय–व्ययक 1990-91

अनुदान की मांग सं. 24 एवं 33 का उपस्थापन

मांग संख्या 24–शिक्षा, कला एवं संस्कृति

श्री उपाध्यक्ष : अनुदानों की मांगों पर विचार व मतदान। मांग संख्या 24-शिक्षा, कला एवं संस्कृति। श्री हरिकुमार औदिच्य।

श्री हरिकुमार औदिच्य (शिक्षा मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं, कि मांग संख्या 24-शिक्षा, एवं संस्कृति के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 7 अरब 78 करोड़ 48 लाख 75 हजार रुपये तक की राशि, जिसमें इसमें लेखा अनुदान द्वारा अनुदत राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे।

मांग संख्या 33. सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण

श्री उपाध्यक्ष : मांग संख्या 33। श्री कुन्दनलाल मिगलानी।

श्री कुन्दनलाल मिगलानी (समाज कल्याण मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 33-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 79 करोड़ 28 लाख 33 हजार तक की राशि, जिससे लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे।

मांग संख्या 24 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 24 मुख्य शीर्षक शिक्षा, कला एवं संस्कृति के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगे/करेंगी कि :—

श्री लक्ष्मीचन्द मेहता (सांचौर)

1. राजकीय प्राथमिक विद्यालयों को शिक्षा विभाग को स्थानान्तरित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

2. सांचौर विधान सभा क्षेत्र की उच्च माध्यमिक विद्यालय व माध्यमिक विद्यालय में अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रतनलाल चौधरी (रानीवाड़ा)

3. शिक्षा विभाग में अध्यापकों की कमी की पूर्ति करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण वर्मा (नैनवा)

4. दुगारी तहसील नैनवा के गढ़ स्थित पुरानी पेंटिंगस की सुरक्षा में विभागीय उदासीनता पर चर्चा के लिये।

श्री शिव किशोर सनाढ्य (उदयपुर)

5. शिक्षा विभाग द्वारा डाइट के लिये एवं ब्लेक बोर्ड ऑपरेशन के अन्तर्गत क्रय किये गये सामान में अनिमितता बरती जाने पर चर्चा के लिये।

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर)

6. तकनीकी शिक्षा के प्रसार की आवश्यकता हेतु राज्य में इन्जीनियरिंग महाविद्यालय बीकानेर एवं अजमेर में प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

7. राजस्थान पाठ्य पुस्तक मण्डल द्वारा पुस्तकों पर बढ़ाई गई कीमत से उत्पन्न जन असंतोष होने पर भी दिये जा रहे

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री जुबेर खां (जमुवारामगढ़)

8. राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर में व्याप्त अनियमितताओं पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री प्रेम सिंह दहिया (भीनमाल)

9. भीनमाल में दानदाता द्वारा निर्मित भवन में चल रही बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

10. भीनमाल, सायल, जसवन्तपुरा स्थित सैकेण्ड्री, मिडिल व प्राथमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत करने पर चर्चा के लिये।

11. भीनमाल नगर में संस्कृत कालेज खोलने की स्वीकृति न देने से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये।

12. भीनमाल कालेज में कृषि फेकल्टी खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

13. भीनमाल में पोलोटेक्निक शिक्षा संस्था खोल कर ग्रामीण प्रतिभावान छात्रों को प्रोत्साहित करने पर चर्चा के लिये।

14. भीनमाल में आई. टी. आई. प्रशिक्षण संस्था खोल कर विभिन्न व्यावसायिक प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अमीन खां (शिव)

15. सीमावर्ती व पश्चिमी राजस्थान के मुस्लिम मेरासी छात्रों को छात्रवृति दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

16. गरीब ग्रामीण छात्रों को परीक्षाओं में कम से कम 20 प्रतिशत रियायती अंक दिलाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

17. जिला बाड़मेर व जैसलमेर में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम अनुचित तरीके से चलाये जाने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

18. बाड़मेर एवं जैसलमेर जिलों के प्रत्येक पंचायत क्षेत्र में एक उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

19. बाड़मेर एवं जैसलमेर जिलों में स्थित माध्यमिक विद्यालयों, उच्च प्राथमिक विद्यालयों तथा प्राथमिक विद्यालयों में लम्बे समय से 60 प्रतिशत पद रिक्त पड़े होने से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये।

20. जिला बाड़मेर में ब्लेक बोर्ड ऑपरेशन योजना के तहत क्रय की जाने वाली सामग्री में बरती गई अनियमितताओं पर चर्चा के लिये।

(श्री अमीन खां)

21. राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में पी. टी. आई. न होने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

22. रेगिस्तान व सीमावर्ती क्षेत्रों में दसवीं तक की शिक्षा निःशुल्क दिलाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गंगाराम चौधरी (बाड़मेर)

23. सीमांत जिलों में प्रचलित हस्तकला को राज्य सरकार द्वारा प्रचुर मात्रा में सहायता व प्रोत्साहन न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू)

24. चूरू तहसील स्थित ग्रामीण विद्यालयों में अध्यापकों के 74 पद रिक्त होने से हो रही असुविधा पर चर्चा के लिये।

25. चूरू के ऐतिहासिक किले का जीर्णोद्धार व मरम्मत कराने हेतु विभाग द्वारा आवश्यक योजना बनाई जाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री भंवरलाल (सुजानगढ़)

26. राजस्थान में शिक्षा की पिछड़ी स्थिति को सुधारने हेतु वित्तीय वर्ष 1990–91 में सरकार द्वारा नये विद्यालय नहीं खोलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री मांगीलाल मेघवाल (पाटन)

27. बून्दी जिले के पंचायती स्तर पर ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना को सुचारू रूप से चलाये जाने पर चर्चा के लिये।

28. केशवरायपाटन पंचायत समिति के विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों के स्थानान्तरण की विशेष व्यवस्था न करवाने पर भी दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी)

29 ग्रामीण क्षेत्रों में योग्य अध्यापक व सम्पूर्ण स्टाफ नहीं लगाने से ग्रामीण विद्यार्थियों में उत्पन्न भारी रोष पर चर्चा के लिये।

श्री जर्नादनसिंह गहलोत (करौली)

30 राजस्थान में शिक्षा प्रसार के प्रति उदासीनता पर चर्चा के लिये।

श्री टीकमचन्द कांत (आबूरोड़)

31. चन्द्रावती (आबूरोड़) ग्राम में उपलब्ध पौराणिक कला संस्कृति की प्रतीक मूर्तिया, मंदिर आदि की देख-रेख तथा सुरक्षा पर समुचित कदम उठाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जितेन्द्र सिंह (जैसलमेर)

32. जैसलमेर महाविद्यालय में स्नातकोत्तर शिक्षा आरम्भ करने विषयक पर चर्चा के लिये।

श्री मोतीलाल मीणा (सवाई माधोपुर)

33. सवाई माधोपुर जिले में जहां पर अभी तक प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र नहीं हैं वहां तुरन्त खुलवाने की व्यवस्था करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

34. सवाई माधोपुर विधान सभा क्षेत्र में अधूरे स्कूल भवनों को पूरा कराने

(श्री मोतीलाल मीणा)

तथा जहां पर स्कूल भवन नहीं हैं वहां शीघ्र स्कूल भवन बनवाने के लिये विभाग द्वारा पहल करने पर चर्चा के लिये।

35. जिला सवाई माधोपुर के समस्त शहरी एवं ग्रामीण स्कूलों (प्राथमिक एवं माध्यमिक में शिक्षकों के रिक्त पदों की शीघ्र पूर्ति करने बावत चर्चा के लिये।

36. राजकीय महाविद्यालय सवाई माधोपुर में स्नातकोत्तर एवं विधि स्नातक की कक्षाऐं खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गंगाराम चौधरी (बाड़मेर)

37. उच्च प्राथमिक शालाओं में शारीरिक शिक्षकों के पद स्वीकृत ना किये जाने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

38. जिला परिषदों व पंचायत समितियों में अध्यापकों की नियुक्तियों में की गई अनियमितताओं पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री चुन्नीलाल (खण्डार)

39. तहसील सवाई माधोपुर के ग्राम चौथ का बरवाड़ा में कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

40. सवाई माधोपुर तहसील के भगवतगढ़ के सैकेण्ड्री स्कूल को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भरोसीलाल (हिन्डौन)

41. हिन्डौन तहसील में नये स्कूल एवं विषय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू)

42. चूरू स्थित जैन श्वेताम्बर स्कूल को अधिग्रहित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती कमला भील (सागवाड़ा)

43. विभाग द्वारा प्राइमरी स्कूल भवनों के बनाने में असमानता एवं भेदभाव पूर्ण रवैया अपनाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

44. डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा क्षेत्र में महिलाओं के लिये उच्च शिक्षा की व्यवस्था के अभाव से उत्पन्न जन असंतोष पर चर्चा के लिये।

श्रीमती रमा पायलट (हिण्डोली)

45. राजस्थान में महिला शिक्षा की ओर सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती कमला भील (सागवाड़ा)

46. अध्यापकों द्वारा अध्यापन कार्य ना कर राजनीति में पूरा समय देने से शिक्षा के गिरते स्तर पर चर्चा के लिये।

श्री कुबेर सिंह (फलासिया)

47. निर्वाचन क्षेत्र फलासिया के विद्यालयों में स्वीकृत पदानुसार अध्यापक नियुक्त

(श्री कुबेर सिंह)

नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

48. राजकीय उग्रसेन कुमारी हायर सैकण्ड्री स्कूल कानोड़ (उदयपुर) को सैकण्ड्री स्कूल में क्रमोनत नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

49. सीनियर हायर सैकण्ड्री स्कूल फलासिया में तकनीकी विषय नहीं खोले जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

50. सीनियर हायर सैकण्ड्री स्कूल झाड़ोल (उदयपुर) में कृषि विषय नहीं खोले जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

51. निर्वाचन क्षेत्र फलासिया में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों की कमी होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

52. निर्वाचन क्षेत्र फलासिया के राजकीय विद्यालयों में कमरों की कमी होने से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये ।

श्री मांगीलाल मेघवाल (पाटन)

53. केशवराय पाटन क्षेत्र के लाखेरी नगर में महाविद्यालय नहीं खोले जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

54. भीया, अहीला, दड़ीबा, लबान एवं गन्डोली में माध्यमिक विद्यालय नहीं खोले जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

55. केशवराय पाटन पंचायत समिति क्षेत्र के सभी ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर उच्च प्राथमिक शालाएें खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

56. बून्दी जिले की उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में खेल के मैदानों के अभाव पर चर्चा के लिये ।

57. ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों में कृषि विषय खोले जाकर आधुनिक तकनीकी जानकारी उपलब्ध करवाई जाने चर्चा के लिये ।

58. प्रदेश के विद्यालयों में सभी आवश्यक सुविधाऐं उपलब्ध करवाई जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

59. प्रदेश में शिक्षकों की कमी को नई भर्ती द्वारा शीघ्र पूरी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

60. कॉपरेन सीनियर हायर सैकण्ड्री स्कूल में एन. सी. सी. चालू करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

61. प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर उत्तम व्यवस्था वाले स्टेडियम बनवाये जाने पर चर्चा के लिये ।

62. देश के अन्य राज्यों की तरह राजस्थान में भी खिलाड़ियों को वांछित सुविधाऐं दिलाने जाकर प्रोत्साहन देने पर चर्चा के लिये ।

63. बून्दी शैली के भीत्ती चित्रों को रख-रखाव के माध्यम से बचाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

(श्री मांगीलाल मेघवाल)

64. हाड़ोती गोक कला को बचाने एवं प्रोत्साहन देने में विभागीय निष्क्रियता पर चर्चा के लिये।

65. कोटा जिले के पाटून्दा गांव में विख्यात हाड़ोती शैली वाली रामायण का प्रचार प्रसार किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

66. प्रदेश में पांच हजार की आबादी वाले सभी गांवों में अलग से कन्या शालाऐं खोली जाकर महिला शिक्षा को बढ़ावा देने पर चर्चा के लिये।

67. प्रदेश में प्रौढ़ शिक्षा एवं अनौपचारिक शिक्षा में सुधार किया जाकर सरकारी राशि के हो रहे अपव्यय को रोके जाने पर चर्चा के लिये।

68. प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक शिक्षा को पंचायती राज से शिक्षा विभाग में अतिशीघ्र स्थानान्तरित कर शिक्षा प्रणाली में सुधार जिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

69. लुप्त हो रही ग्रामीण क्षेत्रों की प्राचीन लोक कलाओं को बचाये रखने एवं प्रोत्साहन देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

70. प्रदेश की सभी नगरपालिकाओं एवं तहसील मुख्यालयों पर आवश्यकता अनुसार कालेज खोले जाने पर चर्चा के लिये।

71. ग्रामीण क्षेत्रों के अध्यापकों के मुख्यालय पर नहीं रहने से विद्यालयों में फैल रही अव्यवस्थाओं पर चर्चा के लिये।

72. प्राचीन शैलियों में रचियत ख्याल, तमाशों एवं लोक कलाकारों द्वारा खेले जाने वाले नाटकों को बढ़ावा दिये जाने पर चर्चा के लिये।

73. राजस्थान प्रदेश में आम बोली जाने वाली राजस्थानी भाषा को प्रदेश स्तर पर मान्यता दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अमीन खां (शिव)

74. सीमावर्ती जिलों के दो मदरसों को पूजा स्थल मानकर काम में लेने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा)

75. राजस्थान विश्वविद्यालय के अस्थायी व्याख्याताओं को वर्षों के सेवाकाल के बाद भी स्थायी नहीं करने से उत्पन्न असंतोष पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण वर्मा (नैनवा)

76. तहसील नैनवा के ग्राम देवपुरा, नयाखेड़ा (सादेड़ा) फूट-तालाब में प्राथमिक पाठशाला खोलने में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये।

77. तहसील बून्दी के ग्राम मोतीपुरा, जावंरा की झौपड़ियां भाटों का खेड़ा, गोगपुरा, गुलखेड़ी आदि में पाठशाला खोलने में विभाग की विफलता पर चर्चा के लिये।

(श्री रामनारायण वर्मा)

78. गणेशपुरा तहसील छीपाबड़ौद स्थित पुरातत्व महत्व की मूर्तियों की चोरी की घटनाओं को रोकने में विभागीय लापरवाही पर चर्चा के लिये।

श्री मोहनलाल (परबतसर)

79. नागौर में अध्यापकों के स्थानान्तरण राजनैतिक द्वेषता से करने पर चर्चा के लिये।

80. राजस्थान में शिक्षा उपकेन्द्र के स्थान पर प्राथमिक विद्यालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

81. प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय भवनों की बाउन्ड्री निर्माण कराने हेतु विभाग द्वारा जवाहर योजना के अन्तर्गत बनवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(1) **श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर** (डीग)

(2) **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण)

82. डीग के कालेज में आर्टस, कामर्स और साइंस के विषय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोपालसिंह (आहोर)

83. राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलावाने के विषय में चर्चा के लिये।

श्री बालचन्द आर्यवीर (डग)

84. पौराणिक कक्षाओं पर आधारित नाटकों के माध्यम से बालकों में भारतीय संस्कृति का ज्ञान कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

85. राज्य के स्कूलों में हिन्दी भाषा को अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाना और अंग्रेजी भाषा की अनिवार्यता समाप्त कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

86. राज्य स्कूलों में कृषि विषय अनिवार्य किये जाने जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

87. विभाग द्वारा झालावाड़ जिले के कई स्कूलों में बच्चों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था नहीं कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री जगतसिंह दायमा (बानसूर)

88. प्राइमरी स्कूलों के गिरते स्तर की सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

89. राज्य में दी जा रही दोहरी शिक्षा से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

90. राज्य में पब्लिक स्कूलों की अधिक संख्या तथा विभिन्न शुल्कों के नाम पर उनके द्वारा असीमित राशि वसूलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

91. ग्रामीण स्कूलों में निर्धारित मापदण्ड के अनुसार अध्यापकों के नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री जगमाल सिंह यादव (तिजारा)

92. राजस्थान के छात्र जिन्होंने महर्षि दयानन्द यूनिवर्सिटी, हरियाणा से

(श्री जगमाल सिंह यादव)

प्राइवेट बी. एड. की परीक्षा पास की है। उनको राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता न दिए जाने से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

93. प्राइवेट स्कूलों में शिक्षकों के शोषण से उत्पन्न असंतोष पर चर्चा के लिये।

94. राजस्थान में पब्लिक स्कूलों के नाम पर छात्रों को शोषण से मुक्ति दिलाने पर चर्चा के लिये।

95. अलवर जिले के स्कूलों में शिक्षकों का अभाव दूर करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा)

96. भीलवाड़ा तहसील के पुर ग्राम, हमीरगढ़ में सैकण्डरी स्कूल जो हायर सैकण्डरी स्कूल में तथा बरड़ोद, आरजिया ग्राम आदि की स्कूलों को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

97. राज्य में कला, संस्कृति को अधिकाधिक प्रोत्साहित करने में विभागीय उदासीनता पर चर्चा के लिये।

श्री परसादी लाल मीणा (लालसोट)

98. संयुक्त निदेशक, शिक्षा विभाग, जयपुर द्वारा अनिमितताएं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये

99. जयपुर जिले में मण्डावरी (लालसोट) की माध्यमिक विद्यालय में प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षाएं अलग-अलग करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

100. सनातन धर्म शास्त्री महाविद्यालय लालसोट की सन् 1993-84 एवं चालू वर्ष की अनुदान राशि रोकने से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये।

101. जयपुर जिले के तहसील मुख्यालय लालसोट में कालेज खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

102. उच्च प्राथमिक विद्यालयों को जिला परिषदों से पुन: शिक्षा विभाग में हस्तांतरित करने हेतु चर्चा के लिये।

103. तहसील लालसोट के माध्यमिक विद्यालयों में काफी समय से अधिकतर अध्यापकों के रिक्त पदों को शीघ्र भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

104. तहसील लालसोट के माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों के रिक्त पदों पर शीघ्र प्रधानाध्यापक पदस्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली)

105. अध्यापकों के बकाया वेतन का भुगतान नहीं किए जाने से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये।

106. कन्टिनजैन्सी के पैसों का भुगतान स्कूलों के अध्यापकों को कई वर्षों से नहीं दिये जाने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

(108)

(श्री रामकरण सिंह)

107. स्कूलों में अध्यापकों के रिक्त पदों पर नियुक्तियां न होने से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये।

108. स्कूल भवनों की हालत अच्छी नहीं होने से उत्पन्न असुरक्षा की भावना पर चर्चा के लिये।

109. शिक्षा संस्थानों में फर्नीचर की कमी को दूर करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरिसिंह (महुआ)

110. प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा के गिरते हुये स्तर के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम)

111. शिक्षा विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर कर गिरते स्तर में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

112. शिक्षण संस्थाओं में सामग्री की कमी दूर करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

113. शिक्षा के क्षेत्र में फैल रही बुराइयों को रोकने सम्बन्धी उपाय करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

114. नैतिक शिक्षा पद्धति लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर)

115 माध्यमिक शिक्षा के प्रधानाध्यापक एवं प्रधानाध्यापिकाओं के वाइस प्रिंसीपल के साथ किए जा रहे पक्षपात पर तत्काल रोक लगाकर पदोन्नति दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

116. प्राथमिक स्तर तक की शिक्षा को अनिवार्य घोषित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

117. उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों की कमी पूर्ति यथाशीघ्र की जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री चम्पालाल बांठिया (पचपदरा)

118. राज्य में कतिपय पब्लिक स्कूलों (अंग्रेजी माध्यम) द्वारा किए जा रहे छात्रों के शोषण को रोकने हेतु विभाग द्वारा प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

119. बाड़मेर जिले में प्राचीन कला एवं संस्कृति को सुरक्षित रखने हेतु केन्द्र की स्थापना पर चर्चा के लिये।

120. स्कूलों की पाठ्य पुस्तकों की कमी होने पर भी पाठ्य पुस्तक मण्डल को दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

121. इस वर्ष प्रदेश में माध्यमिक परीक्षा के परिणाम देरी से आने पर भी दिए जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

122. प्रतिभावान युवाओं के कल्याणार्थ बाड़मेर जिले में अब तक कोई कार्य न

(श्री चम्पालाल बांठिया)

किए जाने से उत्पन्न निराशा पर चर्चा के लिये ।

123. बालोतरा में विद्यार्थियों के लिये खेल के मैदान की कमी पर चर्चा के लिये ।

124. बालोतरा में पूर्व में स्वीकृत आई. टी. आई. अभी तक प्रारम्भ नहीं करने पर चर्चा के लिये ।

125. बालोतरा में इसी वर्ष (90-91) में राजकीय महाविद्यालय प्रारम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

126. गत वर्ष स्वीकृत ग्रामीण शिक्षण केन्द्रों के नहीं खुलने एवं उस पर रोक हटाने हेतु चर्चा के लिये ।

127. बालोतरा स्थित राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक कन्या विद्यालय में वाणिज्य संकाय प्रारम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

128. उच्च प्राथमिक शिक्षा जिला परिषदों से लेकर पुनः शिक्षा विभाग को हस्तान्तरित किये जाने पर चर्चा के लिये ।

129. गत वर्षों में क्रमोन्नत अनेक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों की भारी कमी पर चर्चा के लिये ।

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही)

130. सिरोही जिले के शिवगंज नगर में महाविद्यालय एवं महिला एस. टी. सी. प्रारम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

131. सिरोही विधान सभा क्षेत्र में स्कूल भवनों की जीर्णशीर्ण हालत सुधारने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

132. सिरोही विधान सभा क्षेत्र में शिक्षण सम्बन्धी साधन एवं अध्यापकों की कमी पर चर्चा के लिये ।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक)

133 राजकीय महाविद्यालय में विधि कक्षाओं, अंग्रेजी, संस्कृत, भूगोल, लोक प्रशाशन, गणित, रसायन तथा भौतिक विज्ञान की कक्षाओं की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

134. शिक्षकों को स्कूलों में निर्धारित मानदण्डों के अनुसार नहीं लगाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

135. शिक्षा को पंचायती राज से शिक्षा विभाग में लेने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

136. टोंक में राजकीय महाविद्यालय में छात्रावास नहीं खोलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

137. टोंक जिले में शिक्षण प्रशिक्षण केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

138. राजकीय महाविद्यालय टोंक को राजस्थान विश्वविद्यालय से नहीं जोड़ने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

139. टोंक जिले में तकनीकी शिक्षा हेतु शिक्षण संस्था स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

(110)

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

140. अरबी फारसी शोध संस्थान में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अनियमितता से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

141. विभागीय प्रशासन में गति एवं सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हेतराम बेनीवाल (संगरिया)

142. रोहतक यूनिवर्सिटी से पत्राचार पाठ्-क्रम द्वारा बी. एड. प्रशिक्षण प्राप्त विद्यार्थियों को राज्य सरकार द्वारा मान्यता देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

143. राजस्थान विश्वविद्यालय के अस्थायी शिक्षकों को सिंडीकेट व सिनेट द्वारा स्थायी करने की सिफारिश के बावजूद स्थाई न करने पर भी दी जा रही अनुदान राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

144. प्राइवेट शिक्षण संस्थानों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर दी जा रही अनुदान राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

145. गांवों में स्कूलों की अव्यवस्था, शिक्षकों की कमी और अध्यापनार्थ सुविधाओं की कमी पर समुचित सुविधाऐं उप-लब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

146. पब्लिक स्कूलों और सरकारी स्कूलों के अध्यापन स्तर में समानता लाने व सुविधाऐं प्रदान करने हेतु चर्चा के लिये।

147. शिक्षकों का पदस्थापन, स्थानान्तरण और प्रतिनियुक्ति किये जाने से उत्पन्न असंतोष पर चर्चा के लिये।

श्री हरिसिंह (महुआ)

148. शिक्षण संस्थाओं द्वारा खेल प्रवृतियों पर यथेष्ट ध्यान नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा में लिये।

149. नव क्रमोन्नत विद्यालयों में रिक्त स्थानों पर शिक्षकों के पदस्थान नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

150. नई शिक्षा नीति को प्रदेश में प्रभावी ढंग से लागू नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

151. राजस्थान में शिक्षा के गिरते हुए स्तर से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री सांवरलाल (भिनाय)

152. अजमेर स्थित तारागढ़ का जीर्णोद्धार नहीं होने से लुप्त हो रही सांस्कृतिक विरासत पर चर्चा के लिये।

153 राजस्थान विश्वविद्यालय के योग्य अस्थायी व्याख्याताओं का स्थायीकरण नहीं किये जाने से उत्पन्न निराशा पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

154. ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में समुचित स्टाफ की व्यवस्था करवाने में विभा-गीय उदासीनता पर चर्चा के लिये।

155. राजस्थान के सभी विश्वविद्यालयों में व्याप्त अव्यवस्था पर भी दिए जा रहे

(श्री सांवरलाल)

अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

156. महाविद्यालयों में प्रथम वर्ष में अंग्रेजी की अनिवार्यता हटाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

157. राजस्थान में दोहरी शिक्षा व्यवस्था से उत्पन्न दुष्परिणामों पर चर्चा के लिये।

158. ग्रामीण क्षेत्र की शिक्षा पंचायत समिति एवं जिला परिषद् के अधिकार क्षेत्र में होने से शिक्षा स्तर में हो रही निरन्तर गिरावट पर चर्चा के लिये।

श्री अर्जुनदास मदान (लाड़पुरा)

159. बालिकाओं के लिये इन्द्रा गांधी नगर और कन्सूवा के मध्य स्थित स्थान पर लड़कियों के लिये नये स्कूल का निर्माण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

160. कन्हाडी में उच्च माध्यमिक विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

161. छावनी में दूध फैक्ट्री के सामने स्कूल भवन के निमित छोड़ी गई जमीन पर हायर सैकण्डरी स्कूल के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

162. इन्द्रा गांधी नगर के क्रमोन्नत किये गये स्कूल की नवीं कक्षा में तीन सैक्शन किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जुबेर खां (रामगढ़)

163. गोविन्दगढ़ (अलवर) में महाविद्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नौखा)

164. राज्य में अध्यापकों की कमी पूर्ति करने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

165. राज्य में अधिकाधिक कॉलेज खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

166. राज्य में सैकण्डरी व हायर सैकण्डरी स्कूलों के अभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

167. वर्ष 1990-91 में बीकानेर जिले व राज्य में एक भी मिडिल स्कूल नहीं खोले जाने से जनता में व्याप्त भारी निराशा व असंतोष पर चर्चा के लिये।

168. वर्ष 1990-91 में राज्य में एक भी प्राइमरी स्कूल नहीं खोलने से छात्रों का भविष्य अंधकारमय होने पर चर्चा के लिये।

169. पंचायत समिति लूणकरणसर के ग्रामीण क्षेत्रों में प्राइमरी पाठशालाओं की कमी एवं सरकार द्वारा बजट प्रावधान नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

112

श्री घासीलाल चौपड़ा (टोडारायसिंह)

170. राजकीय उच्च माध्यमिक शाला पंवालिया एवं ग्रामीण क्षेत्रों की अन्य माध्यमिक शालाओं में विज्ञान विषय खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

171. राजकीय उच्च माध्यमिक शालाओं का परीक्षा केन्द्र हटाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

172. विद्यालयों में अध्यापकों की कमी से विद्यार्थियों को हो रही हानि पर चर्चा के लिये।

श्री सांवरलाल (भिनाय)

173. पब्लिक स्कूलों एवं ग्रामीण विद्यालयों में स्टाफ की तुलनात्मक संख्या के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री नवनीत लाल नीनामा (घाटोल)

174. तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा के प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों द्वारा धूम्रपान करने से छात्रों पर पड़ रहे कुप्रभाव पर चर्चा के लिये।

175. तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा के गांव बस्सी आग, बोरी, बामनपाड़ला, दुदका, रूपजी का खेड़ा में उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री लालचन्द डूडी (भादरा)

176. जिला मुख्यालय गंगानगर में बाहर के छात्रों के लिए छात्रावास न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

177. तहसील भादरा के सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूलों में स्टाफ की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

178. हायर सैकण्डरी स्कूल (छात्राएं) तहसील भादरा में पूरा स्टाफ न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

179. शिक्षा के व्यवसायीकरण से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

180. सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल छानीबड़ी तहसील भादरा में प्राचार्य एवं व्याख्याता आदि स्टाफ की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

181. शिक्षा में दोहरे मापदण्ड के कारण ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों का भविष्य अन्धकार में होने की स्थिति पर चर्चा के लिये।

182. ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में अध्यापकों की कमी को दूर करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (नसीराबाद) :

183. ग्रामीण शिक्षण केन्द्रों में पदस्थापित अध्यापकों को सेवामुक्त करने के कारण इन केन्द्रों के बन्द हो जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

184. राज्य सरकार द्वारा अध्यापकों की भर्ती पर रोक लगाने के कारण

(श्री गोविन्दसिंह गुर्जर)

शिक्षण कार्य में उत्पन्न बाधा पर चर्चा के लिये।

185. अजमेर के पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी (छात्र संस्थाऐं) द्वारा भ्रष्टाचार, अनुशासनहीनता, रिश्वत लेकर नियुक्तियां व तबादले करने तथा खरीद में की गई अनियमितताओं पर चर्चा के लिये।

186. राजकीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा परीक्षाओं पुस्तिकाओं व परीक्षा परिणामों में की गई अनियमितताओं पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

187. राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल द्वारा पाठ्य पुस्तकों का मूल्य बढ़ाने से बढ़ते आर्थिक भार पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

188. प्रौढ़ व अनौपचारिक शिक्षा को सार्थक बनाने में विभागीय उदासीनता पर चर्चा के लिये।

189. नसीराबाद में राजकीय डिग्री कॉलेज में विज्ञान विषय व पोस्टग्रेज्युएट कक्षाऐं खोलने के विषय में चर्चा के लिए।

190. नसीराबाद में महिलाओं हेतु राजकीय डिग्री कॉलेज खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

191. पंचायत समिति श्रीनगर, जिला अजमेर के गांव सनोद, साम्प्रोदा, लवेरा व बड़ल्या, तथा पंचायत समिति पीसांगन (जिला-अजमेर) के गांव केसरपुरा, डोडियाना, गोला, देराठ के उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

192. निजी शिक्षण संस्थाओं द्वारा अध्यापक व कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा प्रदान नहीं करने एवं उनका शोषण करने पर भी दी जा रही सहायता राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

193. निजी शिक्षण संस्थाओं द्वारा प्रवेश में मनमानी व योग्य विद्यार्थियों को प्रवेश न दे कर कम्पीटेशन फीस व अन्य नाजायज लाभ लेकर प्रवेश देने को विभाग द्वारा नियन्त्रित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

194. स्वीकृत नवीन शिक्षा योजना को पूरी तरह लागू न करने पर चर्चा के लिये।

श्री मदनलाल सैनी (गुढ़ा) :

195. उदयपुर वाटी (जिला झुन्झुनू) में खेलकूद के प्रशिक्षण हेतु नये खेल केन्द्र खोलने की आवश्कता पर चर्चा के लिये।

196. उदयपुर वाटी विधान सभा क्षेत्र गुढ़ा जिला झुन्झुनू के विद्यालय भवनों में अध्यापकों की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

197. उदयपुरवाटी में कॉलेज खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

198. झुन्झुनू के सेठ मोतीलाल कॉलेज के प्राचार्य एवं समिति द्वारा कर्मचारियों

(114)

(श्री मदनलाल सैनी)

को वेतन न देने, दुर्व्यवहार करने तथा मनमानी करने पर भी दी जा रही अनुदान राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

(1) **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) :

(2) **श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर** (डीग) :

199. कम्प्यूटर से बनाई हुई अंक तालिकाओं में व्याप्त भयंकर अनियमितताओं से हुई छात्रों को कठिनाई पर चर्चा के लिये।

200. समय पर परीक्षाएं करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

201. नये शिक्षा सत्र के प्रारम्भ होने से पूर्व ही समस्त परीक्षा परिणाम घोषित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

202. लाइब्रेरी सेवा में पदोन्नति के अवसर दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

203. जमवारामगढ़ विद्यालय में अर्थशास्त्र व रसायन शास्त्र के शिक्षकों की कमी को तत्काल पूरी की जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

204. जयपुर जिले में जमवारामगढ़ पंचायत समिति की पंचायत रूपवास के गांव घाऊपुरा प्राइमरी स्कूल को मिडिल स्कूल में क्रमोन्नत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

205. जमवारामगढ़ (जयपुर) में राजकीय कॉलेज खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

206. जयपुर नगर में गोविन्द नगर में खोले गये स्कूल में अध्यापकों के अभाव पर चर्चा के लिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) :

207. चूरू स्थित लोहिया महाविद्यालय छात्रावास के अकारण बंद करने पर चर्चा के लिये।

श्री रतनलाल जाट (सराड़ा) :

208. राजस्थान विश्वविद्यालय में वर्षों से कार्यरत अस्थाई व्याख्याताओं को स्थाई नहीं करने से उत्पन्न असंतोष पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) :

209. राजस्थान विश्वविद्यालय, अजमेर विश्वविद्यालय के पुनर्गठन व व्याप्त अनियमितताओं पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

210. राजस्थान विश्वविद्यालय में कार्यरत अस्थाई शिक्षकों को स्थाई करने के विश्वविद्यालय सिण्डीकेट व सीनेट के प्रस्ताव पर भी उन्हें स्थाई नहीं करने पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री दिलसुखराय चौधरी (फतेहपुर) :

211. राजस्थान विश्वविद्यालय में अस्थाई शिक्षकों को स्थाई नहीं करने पर भी

(श्री दिलसुखराय चौधरी)

दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री हजारीलाल (खेतड़ी) :

212. राजस्थान विश्वविद्यालय में वर्षों से कार्यरत अस्थाई शिक्षकों को स्थाई करने हेतु विगत विधान सभा के 132 सदस्यों द्वारा अनुशंशा करने पर भी स्थाई नहीं करने पर भी तथा इस प्रकार आयु सीमा पर हो रहे शिक्षकों को तुरन्त स्थाई न करने पर दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सुचित्रा आर्य (नोहर) :

213. राजस्थान विश्वविद्यालय के कार्यरत अस्थाई व्याख्याताओं को राज्य सरकार सीनेट एवं सिंडिकेट की सिफारिश के बावजूद स्थाई नहीं करने पर भी दी जा रही अनुदान राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री दिलसुखराय चौधरी (फतेहपुर) :

214. राजस्थान विश्वविद्यालय में बड़ी संख्या में सहायक प्रोफेसरों को वर्षों तक अस्थाई रखकर उनका सामाजिक शोषण किये जाने पर भी दिये जा अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री मिश्रीलाल चौधरी (बिलाड़ा) :

215. सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल बिलाड़ा में आवश्यक कमरे बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

216. मिडिल स्कूल पंचायत समिति जिला परिषद् के अधिकार क्षेत्र से वापस लेकर शिक्षा विभाग को सौंपने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद (झुंझुनू) :

217. राजस्थान विश्वविद्यालय में कुल व्याख्याताओं की संख्या के पदों से अधिक को वर्षों तक अस्थाई रखकर उनकी मानसिक वेदना व सामाजिक शोषण किये जाने पर भी दी जा रही अनुदान राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री जुबेर खां (रामगढ़) :

218. राजस्थान विश्वविद्यालय में कार्यरत अस्थाई शिक्षकों को स्थाई करने की विगत विधान सभा के माननीय सदस्यों, विश्वविद्यालय सिण्डीकेट, सीनेट द्वारा अनुमोदन पर भी उन्हें न्याय नहीं दिलाने पर भी दी जा रही अनुदान राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

(1) **श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) :**

(2) **श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (डीग) :**

(3) **श्री फूलचन्द गुर्जर (नीम-का-थाना) :**

219. हिन्दी साहित्य अकादमी में हुई धांधली की जांच नहीं होने पर भी दी जा रही अनुदान राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

(116)

(1) **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) :

(2) **श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर** (डीग) :

220. जयपुर में गंगापोल गर्ल्स सैकण्डरी स्कूल को सीनियर हायर सैकण्डरी में क्रमोन्नत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(1) **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) :

(2) **श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर** (डीग) :

(3) **श्री फूलचन्द मीणा** (सलूम्बर) :

221. जिला जयपुर पंचायत समिति जमवारामगढ़ के इन्द्रगढ़ के खेल के मैदान के विवाद को समाप्त कर खेल के मैदान के विकास की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

222. माध्यमिक स्तर तक के छात्रों के पाठ्यक्रम में राष्ट्रीय भावना एवं नैतिक चरित्र संबंधी विषय जोड़े जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

223. राज्य के सभी बड़े नगरों में तत्काल महिला पॉलीटेक्नीक संस्थान खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) :

224. राज्य में खेल के मैदान नेहरू स्टेडियम जयपुर में साइकलिंग, वैलोड्रम बनाये जाने तथा तत्संबंधी स्थान पृथक से उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

225. शिक्षा विभाग में कार्यरत कर्मचारियों को 3 वर्ष के लिये गांवों में अनिवार्यतः नियुक्ति की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

226. राज्य में महाराणा प्रताप, वीर दुर्गादास मीरा, के विशाल स्मारक बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

227. राज्य के लोकजीवन से जुड़े कलाकारों के जीवन के छोटे-छोटे वृत चित्र स्थानीय भाषा में बनवाने पर चर्चा के लिये।

228. डीग कुम्हेर के महल तथा जलमहल की सुरक्षा व विकास पर चर्चा के लिये।

229. जमवारामगढ़ में छात्रावासों की स्थिति सुदृढ़ करने की आवश्यकता पर तथा जो किराये के मकानों में चल रहे हैं उनके किराया का पुनराकलन कराने या खाली सरकारी भवन की व्यवस्था करने पर चर्चा के लिये।

230. राष्ट्रीय स्तर के राज्य के खिलाड़ियों को अधिक आर्थिक सहयोग देकर प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

231. राज्य में महिला खेलों को बढ़ावा देने के लिये महिला खिलाड़ियों को आवश्यक सुविधाऐं उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

232. राज्य के भिन्न-भिन्न स्थानों से पुरातत्व महत्व की मूर्तियों के संरक्षण की उचित व्यवस्था नहीं किये जाने से उत्पन्न असंतोष पर चर्चा के लिये ।

233. नायला किला तत्काल पुरातत्व विभाग के अधीन लिये जाने व उसको खुर्द-बुर्द करने से रोकने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

234. भाषा विभाग को अलग विभाग बनाने के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

235. जयपुर में माध्यमिक कन्या विद्यालय भवन, गंगापोल, दरीबापान तथा कच्चा बंधा आदि की जीर्ण-शीर्ण दशा सुधारने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

236. जयपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभावान छात्रों को छात्रवृत्ति के लाभ से वंचित रखे जाने पर चर्चा के लिये ।

237. उर्दू अकादमी द्वारा सम्मानिय व्यक्तियों की पुण्य तिथि अथवा जन्म तिथि पर यथेष्ठ सम्मान सूचक कार्यवाही नहीं करने पर भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

238. महारानी कॉलेज जयपुर की लाइब्रेरी के अपूर्ण भवन को पूर्ण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

239. राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी द्वारा हिन्दी कवियों, लेखकों की पुस्तकें प्रकाशित नहीं करने पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

240. ग्रामीण क्षेत्रों की समस्त स्कूलों में खेल के मैदान विकसित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

241. नगरीय प्राईमरी स्कूलों में संस्कार निर्माण और शिक्षा के उन्नयन के लिये केवल महिला शिक्षकों के नियोजन पर चर्चा के लिये ।

242. समस्त अकादमियों के तत्काल गठन पर तथा इनमें हो रहे धन दुरुपयोग को नहीं रोकने पर भी दी जा रही अनुदान राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

243. पुरातात्विक महत्व के कलात्मक स्मारकों के संरक्षण तथा रखरखाव के प्रति विभागीय उदासीनता पर चर्चा के लिये ।

श्री मोहनलाल चौहान (परबतसर) :

244. राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय व माध्यमिक विद्यालयों के भवनों की चारदीवारी के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

245. राजकीय उच्च प्राममिक विद्यालयों को जिला परिषदों से पुनः शिक्षा विभाग में लेने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

246. ज़िला नागौर में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बेसरोली, बस्सी,

118

(श्री मोहनलाल चौहान)

बाजौली, हरनावा, मंगलावा व बाजवास को क्रमोन्नत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

247. जिला नागौर, राजकीय माध्यमिक एवं राजकीय सीनियर हायर सैकण्डरी विद्यालय में अध्यापकों के रिक्त स्थानों की पूर्ति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

248. शिक्षा विभाग में विद्यालयों की क्रमोन्नति के विद्यमान मानदण्ड के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

249. राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय हुड़िया, पीपलाद, रोहन्डी जिला नागौर में मानदण्ड के विपरीत क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

250. जिला नागौर के राजकीय माध्यमिक विद्यालय व सीनियर हायर सैकण्डरी विद्यालय में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत कम रहने के संबंध में चर्चा के लिये ।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा):

251. विभाग के अधिकांश ग्रामीण स्कूलों में अध्यापकों की कमी को पूरा किये जाने पर चर्चा के लिये ।

252. राजस्थान विश्वविद्यालय में कार्यरत अस्थाई व्याख्याताओं को सीनेट एवं सिंडीकेट की रिकमन्डेशन के बावजूद भी स्थाई करने की तरफ ध्यान नहीं दिये जाने पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

श्री घासीलाल चौपड़ा(टोडारायसिंह) :

253. राजस्थान विश्वविद्यालय के अस्थाई शिक्षकों को स्थाई किये जाने हेतु कोई कदम नहीं उठाने पर भी दी जा रही अनुदान राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

श्री बृजराज मीणा (दीगोद) :

254. राजकीय सैकण्डरी स्कूल सीमल्या (कोटा) को सीनियर हायर सैकण्डरी में क्रमोन्नत करने पर चर्चा के लिये ।

255. वर्तमान सिक्षा पद्धति को रोजगारोन्मुखी बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

256. कोटा जिले को तहसील दीगोद के राजकीय मिडिल स्कूल कोटड़ा दीप सिंह को सैकण्डरी स्कूल में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

257. मिडिल स्कूलों को जिला परिषद् के अधीन से हटाकर शिक्षा विभाग के अधीन देने के बाबत चर्चा के लिये ।

258. राजकीय मिडिल स्कूल लाखसनीला को सैकण्डरी स्कूल में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

259. ग्राम कालाखो व ग्राम डगारिया तहसील दीगोद कोटा में प्राथमिक विद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

260. राजकीय बालिका मिडिल स्कूल कनवास को सैकण्डरी स्कूल में क्रमोन्नत

(श्री बृजराज मीणा)

करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

261. कोटा जिले में खोले गये स्कूलों में पर्याप्त स्टाफ लगाने एवं प्रतिनियुक्ति पद्धति को समाप्त करने पर चर्चा के लिये ।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) :

262. अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों के शैक्षणिक विकास किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

263. इटावा (कोटा) में महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

264. प्रौढ़ शिक्षा में व्याप्त भ्रष्टाचार को देखते हुये इस योजना को समाप्त किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

265. शिक्षा के गिरते स्तर को देखते हुये शिक्षा से ईकाई योजना को समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

266. अनौपचारिक शिक्षा में व्याप्त भ्रष्टाचार को देखते हुये इस योजना को समाप्त किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

267. इटावा (कोटा) सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय में जीवविज्ञान विषय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

268. सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय इटावा (कोटा) के परीक्षा परिणाम गिरने के कारणों पर जिम्मेदारी ठहराने तथा दण्डित किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

269. शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिये शिक्षा में आमूल-चूल परिवर्तन के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

270. हाड़ौती के लोक गीत तथा नृत्य को विकसित किये जाने पर बल दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

271. प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक शिक्षा को पंचायत राज से शिक्षा विभाग के अधीन किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

272. प्राथमिक शिक्षा का अलग से निदेशालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

273. विद्यालयों में वाचनालय तथा पुस्तकालयों की समुचित व्यवस्था करने तथा इस हेतु विद्यालय समय में पीरियड की व्यवस्था करने की आवश्यकता के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

274. विद्यालयों में खेलकूद तथा व्यायाम आदि की समुचित व्यवस्था करना तथा खेल एवं व्यायाम हेतु समय निर्धारित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

(120)

(श्री हीरालाल आर्य)

275. शिक्षा में एकरूपता लाने के लिये पब्लिक स्कूलों को बन्द किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

276. शिक्षा निदेशक पद पर भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी के बजाय विभागीय अधिकारी को नियुक्त किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

277. माध्यमिक विद्यालय स्तर तक के स्कूलों में मध्याह्न भोजन की सरकार की ओर से की जाने की व्यवस्था की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

278. विद्यालयों में बालसभायें प्रतिदिन किये जाने की आवश्यकता के सम्बन्ध में चर्चा लिये।

279. विद्यालयों में महान् विभूतियों की जयन्तियां एवं अन्य उत्सवों को प्रभावी रूप से मनाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

280. शिक्षा को रोजगारोन्मुखी किये जाने की आवश्यकता के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

281. समस्त विद्यालयों के भवन निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

282. विभाग के ग्रामीण क्षेत्र के अध्यापकों को ग्रामीण भत्ता दिये जाने की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिये।

283. पीपल्दा क्षेत्र के विभिन्न सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को अविलम्ब दूर किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

284. सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय इटावा (कोटा) में बोर्ड के विभिन्न परीक्षा परिणामों के गिरते स्तर से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री मनीराम सियाग (लूणकरणसर) :

285. लूणकरणसर कस्बे में कॉलेज खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री प्रकाशचन्द बैरवा (फागी) :

286. उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

287. नगरीय प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों की पूर्ति करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

288. प्राथमिक विद्यालयों में नवीन भवनों के निर्माण तथा अर्द्धनिर्मित भवनों को पूर्ण करवाने पर चर्चा के लिये।

289. विधान सभा क्षेत्र फागी में सेकेन्ड्री स्कूलों में अध्यापकों की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

290. फागी एवं चाकसू तहसील मुख्यालय पर महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर)

291. सीकर महाविद्यालय एवं सीनियर हायर सैकेन्ड्री स्कूल के भवनों के विस्तार एवं मरम्मत पर चर्चा के लिये ।

श्री जीतमल जैन (अलवर)

292. अलवर के जी. डी गर्ल्स कॉलेज में राजनीति शास्त्र व हिन्दी विषय में पी. जी. क्लासेज प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

293. प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पंचायतों से वापस लेने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

श्री हरिशचन्द्र कुमावत (नावां)

294. मान्यता प्राप्त बोगस शिक्षण संस्थाओं के खिलाफ कार्यवाही न करने पर भी दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

295. अनुदानित विद्यालयों के शिक्षकों को पूर्ण वेतन नहीं दिये जाने पर भी दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

296. कुचामन सिटी की एस. टी. सी. स्कूल को डाइट में क्रमोन्नत कर वहीं रखे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

297. कुचामन महाविद्यालय को अनुदान दिये जाने के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

298. कुचामन पुस्तकालय के बजट में पुस्तकालयाध्यक्ष का पद पूर्व वेतन शृंखला का स्वीकृत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

299. राजकीय सागरमल बानूड़ा उच्च प्राथमिक स्कूल को माध्यमिक स्कूल में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

300. ग्राम चितावा में प्राथमिक बालिका विद्यालय खोलने बाबत चर्चा के लिये ।

301. महासुख बियानी राजकीय माध्यमिक कन्या पाठशाला नावां शहर को सीनियर हायर सैकेन्ड्री स्कूल में क्रमोन्नत कराने पर चर्चा के लिये ।

302. कुचामन एवं नावां की सीनियर हायर सैकेन्ड्री स्कूलों में व्यवसायिक विषय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

मांग संख्या 33 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 33 मुख्य शीर्षक सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगे/करेंगी कि :—

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा)

1. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं जन जाति के विद्यार्थियों हेतु भोजन एवं वस्त्रादि के स्तर में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

(122)

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा)

2. अनुसूचित जाति कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुसूचित जाति का आवासीय कार्यक्रम अपूर्ण रहने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर)

3. समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाये जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर)

4. गरीबी की सीमा रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले वृद्ध, दुर्बल और निराश्रित लोगों की कल्याणकारी योजनाओं के अभाव पर चर्चा के लिये।

श्री प्रेमसिंह दहिया (भीनमाल)

5. भीनमाल विधान सभा क्षेत्र में अनुसूचित जाति/जनजाति बस्तियों में पीने का पानी उपलब्ध करवाने हेतु विभाग द्वारा कोई प्रयास नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये।

6. भीनमाल में अनुसूचित जाति/जनजाति छात्रावास बनाने हेतु प्रभावी कार्यवाही करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

7. भीनमाल विधान सभा क्षेत्र के गांवों में अनुसूचित जाति के लोगों के घरों में विभाग द्वारा प्रकाश की व्यवस्था हेतु कोई प्रयास नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये।

8. भीनमाल में अनुसूचित जाति और जन जाति छात्रावास में छात्रों की संख्या बढ़ाने के लिये विभाग द्वारा व्यापक जानकारी उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अमीन खां (शिव)

9. रेगिस्तानी जिलों में रहने वाले अनुसूचित जाति व जन जाति के चयनित परिवारों के छात्रों को निःशुल्क शिक्षा का प्रबन्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

10. राजस्थान में मेरासी जाति (मुसलमान) को पिछड़ी जाति में सम्मिलित कराने में विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने पर चर्चा के लिये।

श्री गंगाराम चौधरी (बाड़मेर)

11. राजस्थान सरकार द्वारा मिरासी (मुस्लिम) जाति को पिछड़ी जाति में सम्मिलित करने में बिभाग द्वारा बरती जा रही उदासीनता पर चर्चा के लिये।

श्री भंवर लाल (सुजानगढ़)

12. वृद्धावस्था पेन्शन बढ़ाकर देने हेतु नियमों का सरलीकरण कर अधिकाधिक लोगों को लाभान्वित करने हेतु चर्चा के लिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू)

13. चूरू नगर व तहसील में हरिजन बस्तियों में बिजली, पानी की व्यवस्था कराने में विभाग की उदासीनता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती रमा पायलट (हिण्डोली)

14. समाज कल्याण कार्यों में आ रही अवरुद्धता को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कुबेर सिंह (फलासिया)

15. सरकार द्वारा वृद्धावस्था पेन्शन तथा विधवाओं को पेन्शन नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री मांगीलाल मेघवाल (पाटन)

16. पश्चिमी राजस्थान में अनुसूचित जाति के लोगों को वर्ष में कम से कम 200 दिन रोजगार उपलब्ध कराने हेतु विभाग द्वारा कोई प्रयास नहीं करने पर चर्चा के लिये।

17. राज्य सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम मजदूरी ग्रामीण क्षेत्रों में भी अनुसूचित जाति के कृषि श्रमिकों को दिलाई जाने में विभाग द्वारा पहल करने पर चर्चा के लिये।

18. आबू रोड में अन्तर्जातीय विवाह करने वाले व्यक्तियों को विभाग द्वारा सहायता राशि नहीं दिये जाने पर चर्चा के लिये।

19. सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनान्तर्गत अन्तर्जातीय विवाह में आय का माप दण्ड हटाया जाकर मात्र जातीयता को ही आधार मानने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

20. अनुसूचित जातियों को अनुसूचित जाति निगम द्वारा संचालित योजनानुसार ज्यादा से ज्यादा दुकानें एवं आटो रिक्शा नहीं दिए जाने पर भी दिए जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

21. राजस्थान अनुसूचित जाति सहकारी विकास निगम के प्रबन्ध निदेशक के पद पर अनुसूचित जाति के आई. ए. एस. स्तर के अधिकारी को न लगाया जाकर पिछड़े वर्ग का उत्थान अवरुद्ध करने पर भी दिए जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

22. राजस्थान अनुसूचित जाति सहकारी विकास निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार पर भी दिए जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

23. अनुसूचित जाति सहकारी विकास निगम के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा दुकानें बनवाई जाकर गरीब व्यक्तियों को लाभ नहीं दिलाने पर भी दिए जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

24. अनुसूचित जातियों पर बढ़ रहे अत्याचारों से उत्पन्न असुरक्षा की भावना पर चर्चा के लिये।

25. राज्य में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में नाकारा सामानों की नीलामी करवाने या अपलेखन किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

124

(श्री मांगीलाल मेघवाल)

26. राज्य में चलाये जा रहे छात्रावासों में नया सामान प्राथमिकता से खरीदा जाकर छात्रों को राहत पहुंचाये जाने पर चर्चा के लिये।

27. विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में रहने वाले छात्रों की छात्रवृति रुपये 300/– प्रति छात्र करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

28. मंहगाई के मूल्य सूचकांक के अनुपात में अनुसूचित जाति व जन जाति के छात्रों को विभिन्न स्तर पर छात्रवृति दिलाई जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

29. केशवरायपाटन स्थित समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित छात्रावास के भवन की मरम्मत करवाई जाने के बारे में विभाग द्वारा आवश्यक कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर कराने बाबत चर्चा के लिये।

30. बून्दी जिले के कापरेन नगर में अनुसूचित जाति का नया छात्रावास खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

31. अनुसूचित जाति के स्नातक एवं स्नातकोत्तर सभी छात्रों को बेरोजगारी भत्ता दिलाया जाने पर चर्चा के लिये।

32. राज्य में छुआछूत कानून को कड़ाई से लागू करने में विभाग की उदासीनता पर चर्चा के लिये।

33. अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योग लगाने हेतु विशेष सहायता एवं सहयोग दिलाने हेतु विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जाने पर चर्चा के लिये।

34. राजस्थान की मेगवंशी भाट जाति को अनुसूचित जाति में सम्मिलित कराने हेतु विभाग द्वारा कोई प्रयास नहीं किए जाने पर चर्चा के लिये।

35. अनुसूचित जातियों में बढ़ रही बेरोजगारी के समाधान हेतु सरकारी नौकरियों में आरक्षित कोटा पूरा कराने में विभाग की उदासीनता पर चर्चा के लिये।

36. कुपोषण से अनुसूचित जातियों में बढ़ रहे रोगों एवं बिमारियों की रोकथाम हेतु विभाग द्वारा प्रयास करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अमीन खां (शिव)

37. वृद्धावस्था पेन्शन स्वीकृत करने के मापदण्ड बदलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण वर्मा (नैनवां)

38. बून्दी जिले की पिछड़ी तहसील नैनवां के ग्राम देई में अनुसूचित जाति छात्रावास खोलने एवं आदिवासियों को शिक्षित करने में सरकार की विफलता पर चर्चा के लिये।

39. नैनवा विधान सभा क्षेत्र की 40 पंचायतों की पिछड़ेपन एवं कुपोषण की स्थिति होने पर भी पोषाहार

(श्री रामनारायण वर्मा)

कार्यक्रम लागू करने में अनदेखी करने पर चर्चा के लिये।

40. बैरवा बस्ती अरयाली एवं तहसील नैनवां की पिछड़े वर्ग की अन्य बस्तियों में हैण्ड पम्प लगवाने हेतु विभाग द्वारा कोई प्रयास नहीं करने पर चर्चा के लिये।

श्री मोहनलाल (परबतसर) :

41. जिला नागौर में पंचायत समिति परबतसर व मकराना में अपाहिज व वृद्धों को पेन्शन दिलाने में विभागीय उदासीनता पर चर्चा के लिये।

श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा) :

42. अनुसूचित जाति की सुरक्षा और कल्याण के प्रबंध अधिक सुदृढ़ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली) :

43. विभाग द्वारा संचालित समाज सुधार योजनाओं को प्रभावी बनाकर गति लाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती तारा भंडारी (सिरोही) :

44. सिरोही मुख्यालय स्थित अनुसूचित जाति छात्रावास भवन की जीर्ण शीर्ण अवस्था पर चर्चा के लिये।

45. सिरोही जिले के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के छात्रों तथा छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) :

46. पोषाहार कार्यक्रम में व्याप्त भ्रष्टाचार व अनियमितत पर चर्चा के लिये।

47. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति और अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए चलाये जाने वाले कार्यक्रमों से विशेष लाभ नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

48. टोंक में वक्फ सम्पत्ति के सर्वेक्षण करवाये जाने की आवश्यकता होने पर भी बोर्ड को दी जाने वाली सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये।

49. अनुसूचित जातियों अनुसूचित जन जातियों और पिछड़े वर्गों के कल्याण हेतु आवंटित धनराशि का दुरुपयोग किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री हेतराम बेनीवाल (सांगरिया) :

50. समाज कल्याण-विभाग द्वारा चलाये जा रहे अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के छात्रावासों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

51. प्रदेश भर में बाल श्रमिकों की दुर्दशा और उनके सम्बन्ध में बने नियमों को

(श्री हेतराम बेनीवाल)

लागू करने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

52. विभाग द्वारा चलाये जा रहे छात्रावासों में छात्रों की हो रही दुर्दशा पर चर्चा के लिये।

श्री मांगीलाल मेघवाल (पाटन) :

53. शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विभाग द्वारा अनुसूचित जाति की बस्तियों में पेयजल एवं सफाई व्यवस्थाओं के अभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

54. बैंकों द्वारा अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को दिये जाने वाले ऋण प्रक्रिया का विभाग द्वारा सरलीकरण किये जाने पर चर्चा के लिये।

55. ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले मजदूरों को वर्ष भर उचित मजदूरी मुहैया करवाने हेतु विभाग द्वारा कोई कार्यवाही न करने पर चर्चा के लिये।

56. अनुसूचित जाति के गरीब व्यक्तियों को समाज में समानता दिलाने में विभागीय उदासीनता पर चर्चा के लिये।

57. विभाग द्वारा अनुपातिक स्तर पर अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को खनन पट्टे जारी कर सहयोग प्रदान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरिसिंह (महुआ) :

58. अन्य पिछड़े वर्गों के लिये कल्याणकारी योजनाओं के अभाव के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

59. ग्रामों में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों पर हो रहे अत्याचार को रोकने हेतु प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सांवर लाल जाट (भिनाय) :

60. समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण हेतु प्रभावी कदम उठाने पर चर्चा के लिये।

61. समाज में समभाव पैदा करना तथा सभी वर्गों को सामाजिक सुरक्षा की गारंटी दिलवाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) :

62. हरिजनों, पिछड़ी जातियों एवं अल्पसंख्यकों के लिये सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नवनीत लाल निनामा (घाटोल) :

63. तहसील घाटोल जिला बांसवाड़ा के निर्धन व असहाय व्यक्तियों को राज्य सरकार द्वारा आर्थिक मदद दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (नसीराबाद) :

64. अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण योजनाओं का लाभ वास्तविक पात्र व्यक्तियों को दिलाने में विभागीय असफलता पर चर्चा के लिये।

(श्री गोविन्द सिंह गुर्जर)

65. पैकेजओं प्रोग्राम, शेपअप, स्काउट आदि रोजगारोन्मुख योजनाओं में विभाग द्वारा गलत व्यक्तियों को ऋण दिलाने पर चर्चा के लिये।

66. समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं में अनियमितता एवं भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

श्री मदन लाल सैनी (गुढ़ा) :

67. उदयपुरवाटी तहसील जिला झुन्झुनू में विभाग द्वारा संचालित धामावासों के अभाव से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये।

68. उदयपुरवाटी तहसील स्थित ग्राम पंचायत सरायपुरा के अनुसूचित जाति के सार्वजनिक कुएं पर असामाजिक तत्त्वों द्वारा अतिक्रमण कर पेयजल को व्यक्तिगत रूप से काम में लेने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री मोहनलाल (परबतसर) :

69. जिला नागौर में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों हेतु विशेष न्यायालय का केम्प कोर्ट चारों उपखण्ड मुख्यालय पर लगाकर राहत पहुंचाने के लिए विभाग द्वारा कोई कार्यवाही न किए जाने पर चर्चा के लिये।

70. राज्य में छुआछूत निवारण के प्रति विभागीय उदासीनता पर चर्चा के लिये।

71. जिला नागौर में अनुसूचित जाति एवं जनजाति हेतु लगाये विशेष न्यायालय (केम्प में) सरकारी गवाह के खर्चे के भुगतान के बारे में विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किए जाने पर चर्चा के लिये।

72. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के अत्याचारों से पीड़ित लोगों को अधिक आर्थिक सहायता प्रदान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) :

73. अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कल्याण हेतु नवीन योजनाएँ बनाने, अधिक धन राशि की व्यवस्था करने एवं प्रभावी ढंग से लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

74. समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याण योजनाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

75. अनुसूचित जाति विकास सहकारी निगम द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की क्रियान्विति में व्याप्त भ्रष्टाचार पर भी दिए जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

76. प्रान्त में अनुसूचित जाति एवं जन जाति के मोहल्लों में पेयजल उपलब्ध कराने हेतु विभाग द्वारा कोई कार्यवाही न किए जाने पर चर्चा के लिये।

(श्री हीरालाल आर्य)

77. प्रान्त में अनुसूचित जाति एवं जन जाति के मौहल्लों में विद्युत व्यवस्था सुलभ कराये जाने में विभागीय उदासीनता पर चर्चा के लिये ।

78. विभाग को अनुसूचित जाति एवं जन जाति के व्यक्तियों की सुरक्षा किये जाने में असमर्थ होने पर चर्चा के लिये ।

79. अनुसूचित जाति एवं जन जाति हेतु संचालित छात्रावासों में भोजन, वस्त्र, बिस्तर, नाश्ता, पुस्तकें, स्टेशनरी तथा फीस आदि अन्य सुविधाओं की समुचित व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

80. अनुसूचित जाति एवं जनजाति हेतु नौकरियों में आरक्षित कोटे को भरे जाने की दिशा में विभागीय उदासीनता पर चर्चा के लिये ।

81. अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों के लिये विशेष भर्ती अभियान चलाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

82. प्रान्त में अनुसूचित जाति एवं जन जाति के मौहल्लों में नालियों तथा सफाई की समुचित व्यवस्था किये जाने व पर्यावरण सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

83. अनुसूचित जाति एवं जन जाति के व्यक्तियों के आर्थिक उत्थान को गति दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

84. अनुसूचित जाति एवं जन जाति के कल्याण हेतु आवंटित की जाने वाली विभिन्न मदों की राशि को प्रति वर्ष खर्च नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये ।

85. अनुसूचित जाति एवं जन जाति को सस्ता एवं सुलभ न्याय दिलाने हेतु आर्थिक मदद करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

86. प्रान्त में विभिन्न श्रेणी की नौकरियों में अनुसूचित जाति एवं जन जाति के व्यक्तियों का आरक्षित कोटा के अनुसार नियुक्ति/पदोन्नति नहीं देने पर चर्चा के लिये ।

87. अनुसूचित जाति एवं जन जाति लाभार्थ खर्च किये जाने वाली राशि का लाभ बिचौलिये तथा दलालों द्वारा उठाये जाने को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री परसादी लाल मीणा (लालसोट)

88. लालसोट के राजकीय छात्रावास में अनुसूचित जाति एवं जन जाति के छात्रों के लिए समुचित सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

89. भिक्षा-वृत्ति रोकने हेतु सख्ती नहीं बरतने पर चर्चा के लिये ।

(श्री परसादी लाल मीणा)

90. तहसील लालसोट के विचाराधीन सभी वृद्धावस्था पेंशन आवेदन पत्रों की स्वीकृति दी जाकर पेंशन सुविधा देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

91. प्रदेश की हर विधवा महिला को आजीवन पेंशन सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

92. अनुसूचित जाति एवं जातियों के लोगों को विभाग द्वारा सरकारी नौकरियों में आरक्षण के मुताबिक नौकरियां नहीं देने से व्याप्त असतोष पर चर्चा के लिये।

93. अनुसूचित जाति एवं जन जाति के छात्रों को छात्रावास में अपेक्षित समस्त, सुविधायें उपलब्ध नहीं कराने से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

श्री प्रकाश चन्द बेरवा (फागी):

94. फागी में समाज कल्याण विभाग द्वारा खोले गये छात्रावास पर भवन बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

95. समाज कल्याण विभाग एवं अन्य संस्थाओं द्वारा संचालित छात्रावासों में अनुसूचित जाति एवं जन जाति के बच्चों पर खर्च की जाने वाली राशि कम पड़ने से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये।

96. असहाय एवं कमजोर वर्ग के लाभार्थ संचालित योजनाओं को प्रभावशाली ढंग से लागू करवाने पर चर्चा के लिये।

97. परित्यक्ता एवं विधवाओं तथा 60 वर्ष तक उम्र की महिलाओं को पेंशन दिये जाने पर चर्चा के लिये।

98. फागी क्षेत्र में समाज कल्याण विभाग द्वारा आंगन बाड़ी कार्यक्रम चलाने पर चर्चा के लिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण):

99. पिछड़े वर्ग के लोगों को कुटीर उद्योग लगाने हेतु विभागीय मदद उपलब्ध कराने पर चर्चा के लिये।

100. विभाग द्वारा ग्राम पंचायत स्तर तक के विकलांगों, दलितों एवं असहाय महिलाओं को रोजगार दिलवाने में विभाग की अकर्मण्यता पर चर्चा के लिये।

101. अनुसूचित जाति व जन जाति के शिक्षित बेरोजगारों को कोई भी रोजगार उपलब्ध नहीं कराने से उत्पन्न निराशा पर चर्चा के लिये।

(1) श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण):

(2) श्री फूलचन्द गुर्जर (नीम का थाना):

102. अस्पृश्यता निवारण में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

130

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) :

103. अनुसूचित जाति व जन जाति के छात्रों को माध्यमिक विद्यालय स्तर तक दी जाने वाली छात्रवृति राशि में वृद्धि करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

104. राज्य में हरिजनों की शादी ब्याह में सामाजिक व्यवहार में घोड़ी आदि पर बैठने पर व्यवधान डालने पर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये।

105. घुमक्कड़ जाति, नट-बनजारा, कंजर, कालबेलिया आदि जाति के लोगों के लिये विशेष परियोजना बनाकर बसाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

106. हरिजनों पर होने वाले अत्याचार के विरुद्ध सरकार के द्वारा कड़े कदम उठाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

107. धार्मिक स्थलों पर सभी जातियों को प्रवेश एवं धार्मिक पूजा अर्चना कराने के लिये सुरक्षा प्रदान करने पर चर्चा के लिये।

108. अनुसूचित जाति एवं जन जाति तथा विकलांग व्यक्तियों को चयनित दुकानों का आवंटन कराने में विभाग द्वारा बरती जा रही उदासीनता पर चर्चा के लिये।

(1) **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) :

(2) **श्री फूलचन्द गुर्जर** (नीम का थाना) :

109. गरीब, असहाय तथा विकलांग व्यक्तियों के कल्याण की योजनाओं में विकास एवं उत्थान के प्रति विभाग की उदासीनता पर चर्चा के लिये।

110. नारी शालाओं में व्याप्त अव्यवस्था पर चर्चा के लिये।

111. समाज कल्याण द्वारा पिछड़े वर्ग के लोगों को राज्य की योजनाओं से उचित लाभ दिलवाने हेतु चर्चा के लिये।

112. राज्य में अनुसूचित जाति व जन जाति के व्यक्तियों के कोटे को न भरे जाने से उक्त वर्ग में व्याप्त असंतोष पर चर्चा लिये।

(1) **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) :

(2) **श्री फूलचन्द गुर्जर** (नीम का थाना)

(3) **श्री राजपालसिंह शेखावत** (बनी-पार्क) :

(4) **श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर** (डीग) :

113. पोषाहार का समुचित वितरण न होने और संतुलित आहार की उचित व्यवस्था नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(1) **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) :

(2) **श्री फूलचन्द गुर्जर** (नीम का थाना) :

(श्री फूलचन्द गुर्जर)

114. आंगन बाड़ियों में व्याप्त भ्रष्टाचार को मिटाने के लिये कड़े कदम उठाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

115. चार दरवाजा बाहर रामपुरी हरिजन बस्ती के लोगों को तत्काल भूखण्ड आवंटन किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

116. जयपुर ग्रामीण के अनुसूचित जाति के मौहल्लों में शहरों की भांति सड़क, शौचालय, बिजली, पानी उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

117. श्यामपुरी हरिजन बस्तीहीदा की मोरी के हर दृष्टि से विकास की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) :

118. अनुसूचित जाति निगम में कर्मचारियों की नियुक्ति में हुई अनियमितताओं के प्रकाश में आ जाने पर भी दोषी अधिकारियों के प्रति कोई कार्यवाही नहीं करने पर दिए जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

119. अनुसूचित जाति विकास निगम सहकारी लिमिटेड द्वारा 1986 में आटो रिक्शा स्कीम में आटो रिक्शा अब तक उपलब्ध नहीं कराये जाने पर भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

120. महिला सदनों में जयपुर व भरतपुर न्यायधीशों और न्यायालयों के आदेशों के बावजूद सुधार की कार्यवाही नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

121. विभाग द्वारा अनुदानित छात्रावासों में हो रही गड़बड़ियों को रोकने के बारे में चर्चा के लिये।

122. जमवारामगढ़ में अनुसूचित जाति व जन जाति की छात्राओं के लिये छात्रावासों की सुविधाएँ उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

123. अनुसूचित जाति की महिलाओं को विशेष योजनाओं के माध्यम से शिक्षा, रोजगार, प्रशिक्षण दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

124. विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त किये जाने में विभागीय उदासीनता पर चर्चा के लिये।

अनुदान की मांग सं. 24 एवं 33 पर विचार

श्री उपाध्यक्ष : श्री चम्पालाल बांठिया।

श्री चम्पालाल बांठिया (पचपदरा) : उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा का जीवन में जो महत्व है वह सर्वविदित है। देश की आजादी के पूर्व देश जब गुलाम था, तो विदेशी शासकों ने, इस देश में किस प्रकार से लोग गुलाम बने रहें और किस प्रकार से वे देश को उनकी हाजरियों द्वारा चूसते रहें इसकी व्यवस्था की थी। उन्होंने सबसे पहले शिक्षा पद्धति उनके अनुकूल रहे इस प्रकार की योजना बनाई थी।

(2.00 म. प)

(श्री जीतमल जैन, सभापति, पदासीन)

देश की आजादी के बाद में यह आवाज बार-बार उठती रही कि इस शिक्षा पद्धति को बदला जाय। अनेक कमीशन बैठे, अनेक आयोगों की अनेक प्रकार की रिपोर्ट आई, लेकिन इसको कार्य के साथ जोड़ा नहीं गया और शिक्षा जॉब-ओरियन्टेड बने इस ओर ध्यान नहीं दिया। अध्यापक बनकर, और बाबू बनकर ही इस देश के अन्दर आगे बढ़ने की बात सोच रहे थे वह बिल्कुल उल्टी बात हो गई और किसी परिणाम पर हम नहीं पहुंच पाये। गत वर्षों में भी पूर्व प्रधानमन्त्री ने इस देश में बड़ा + + + मचाया कि हम नई शिक्षा नीति ला रहे हैं जिससे रोजगार के और अवसर खुलेंगे लेकिन परिणाम यह निकला कि बेरोजगारी दिनों-दिन बढ़ती गई और किस प्रकार का अपव्यय पुरानी सरकार ने इस देश में शिक्षा के नाम पर किया वह सर्वविदित है। राजस्थान के अन्दर जिस प्रकार का शासन था, जब उनको यह मालूम हो गया कि हमारी सत्ता जाने वाली है, हम सत्ताच्युत होने वाले हैं तो उन्होंने जाते-जाते अनेक घोषणायें ऐसी कर दीं जिससे शिक्षा जगत के अन्दर हा-हाकार सा मच गया। अनेक इस प्रकार की स्कूलों की इन्होंने घोषणायें की लेकिन उन स्कूलों की हालत क्या थी। जो प्राथमिक विद्यालय क्रमोन्नत किये गये, उच्च प्राथमिक विद्यालय बनाये गये। जब वह प्राथमिक विद्यालय थे तो उसके अन्दर तीन और चार अध्यापक थे लेकिन जब उच्च प्राथमिक विद्यालय बना दिये गये तो उसके अन्दर केवल एक अध्यापक रहा। आज मेरे क्षेत्र के अन्दर और सम्पूर्ण बाड़मेर जिले के अन्दर जो इन्होंने उच्च प्राथमिक विद्यालय क्रमोन्नत किये हैं उनके अन्दर एक से अधिक अध्यापक नहीं हैं। इतनी दुर्गति इन्होंने और कर दी। इसी प्रकार से इन्होंने जाते-जाते घोषणा की, ग्रामीण शिक्षण केन्द्र खोलने की जिसके अन्दर पचायतों की तरफ से कुछ फिक्स पैसा देने की बात कही थी लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि उन शिक्षण केन्द्रों का क्या हुआ? कहीं एक भी जगह इस प्रकार का कोई विद्यालय देखने को नहीं मिलता। मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि चाहे इन्होंने जाते-जाते गलत घोषणायें कर दी हों लेकिन जो भी सरकार की ओर से घोषणायें हुई हैं उनका आदर करते हुए यह शिक्षण केन्द्र इन्होंने खोले थे जिनके ऊपर रोक लगी हुई है उन शिक्षण केन्द्रों को आप प्रारम्भ रखें। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि पूर्व सरकार ने इसी पवित्र सदन के अन्दर दो महाविद्यालय खोलने की घोषणा की थी। बार-बार मेरे प्रश्नों के उत्तर में आश्वासन दिया था कि बालोतरा में एक कॉलेज खुलेगा। लेकिन इन्होंने अपने वायदे को इसलिए पूरा नहीं किया क्योंकि वह राजनैतिक प्रतिशोध से जल रहे थे। एक भी कॉलेज इन्होंने सारे राजस्थान के अन्दर नहीं खोला। फिर इस प्रकार की घोषणा करने का क्या मतलब निकलता था? मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा गत तीस वर्षों से बालोतरा क्षेत्र की मांग रही है कि 110 कि.मी. के नजदीक कोई कॉलेज नहीं हैं। आज पचास-

+ + + शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री चम्पालाल बांठिया)

पचपन हजार की आबादी वाला यह क्षेत्र जिसके इर्द-गिर्द अनेक सैकण्डरी हायर सैकण्डरी और सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूलें हैं उन बच्चों का भविष्य बिल्कुल अन्धकारमय है। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। जब बाड़मेर में पहला कॉलेज खोला गया था उस वक्त तत्कालीन मुख्य मन्त्री श्रीमान् सुखाड़ियाजी का यह एलान था कि बाड़मेर जिले में पहला महाविद्यालय बालोतरा में होगा। लेकिन उस सरकार ने उस वायदे को नहीं निभाया। मुझे याद है उसके बाद भी अनेक बार इस प्रकार के प्रसंग आये और लिखित रूप में आश्वासन देने के पश्चात् भी इस क्षेत्र के साथ इसलिए अन्याय किया गया कि इस क्षेत्र के अन्दर हम जैसे विरोधी लोगों का वर्चस्व था। इसलिए मैं अपनी सरकार से निवेदन करना चाहूंगा इस बार आपने जो दो महाविद्यालय खोलने का एलान किया है निश्चित रूप से बालोतरा उसमें एक होगा। क्योंकि बालोतरा का यह अधिकार बनता है। इस सरकार ने जाते-जाते बालोतरा सेवा समिति ने जिलाधीश से मिलकर एक एग्रीमेंट किया था और बालोतरा के ऊपर दो साल का खर्चा देने का दायित्व भी रखा था। लोगों ने उसको मन्जूर किया लेकिन उस वर्ष भी अन्त समय तक यह कॉलेज प्रारम्भ नहीं कर पाये। इसलिए मेरा निवेदन है कि बालोतरा के अन्दर आने वाले वर्ष के अन्दर इसी सत्र से राजकीय महाविद्यालय जो वर्षों से लोगों की मांग है और उसका बिल्कुल औचित्य है, खोला जावे। कोई ऐसा जिला नहीं है मेरे ख्याल से, जहां इस प्रकार की स्थिति हो। जब यह कॉलेज खुले थे, पहली बार पश्चिमी राजस्थान के अन्दर बाड़मेर में सिर्फ एक कॉलेज खुला और उसी के साथ जालौर जिले के अन्दर भीनमाल और जालौर के अन्दर उस सरकार ने दो कॉलेज साथ में स्थापित किये। मैं कहना नहीं चाहूंगा कि उनके अंदर विद्यार्थियों की क्या स्थिति है और आज हमारे यहां विद्यार्थियों की क्या स्थिति है, इस विस्तार में मैं नहीं जाना चाहता। मैं सरकार को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से पूर्व सरकार ने अन्धाधुन्ध संख्या की दृष्टि से स्कूल खोले और क्रमोन्नत करते गये, लेकिन उसके अन्दर लड़के कहां बैठेंगे, अध्यापक हैं या नहीं हैं, ब्लेक बोर्ड हैं या नहीं हैं इस बात की इन्होंने कोई चिन्ता नहीं की। केवल यश लूटने के लिए और अपने लोगों को खुश करने के लिए यह दनादन स्कूल खोलते गए। इस बार पहला मौका है जब सरकार ने इसको गम्भीरता से लिया है कि राजस्थान के अन्दर शिक्षा की जो दुर्गति गत सरकार ने की है उसको सुदृढ़ किया जाय। एक के बजाय दो अध्यापक दिये जायं। और जो लोग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं उनके शिक्षण की, उनके वजीफे की, उनकी पोशाक की व्यवस्था करने का भी भार सरकार ने उठाया। मैं सरकार को इस बात के लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने छात्राओं के लिए भी पुस्तकें सुलभ हो सके, इसके लिए पुस्तकालयों के अन्दर भी अधिक धनराशि का प्रावधान रखा है। मैं इसके साथ यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से गत सरकार ने शिक्षा को एक खिलौना बनाकर रखा था उस प्रकार से नीति से

(श्री चम्पालाल बांठिया)

दूर हटकर के आने वाली सरकार इन सारी चीजों को गम्भीरता से लेगी और जो भी आवश्यक बातें, निर्देश दिये गये हैं उनके अनुसार आप निश्चित रूप से काम करेंगे। यह बहुत बड़ा विभाग है। इस विभाग के अन्दर लाखों लोगों का भविष्य बंधा हुआ है। जिस प्रकार से गई सरकार ने इसको खिलौना बनाकर द्वेषवश एक अध्यापक को दूसरी जगह, दूसरे को तीसरी जगह, इस प्रकार से फेंका और राजनैतिक प्रतिशोध लेने की जिस प्रकार की भावना गत सरकार ने दिखाई थी उससे ऊपर उठकर निश्चित रूप से इस सरकार ने शिक्षा नीति के ऊपर बजट के अन्दर प्रावधान किया है उसको आप कठोरता और अच्छी तरह से आगे बढ़ाकर राजस्थान के पिछड़ेपन को दूर करेंगे। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बाड़मेर जिला राजस्थान में शिक्षा के अन्दर तो सबसे पीछे है ही, इसलिए उसका जो रेगिस्तानी इलाका है जहां हमेशा अकाल पड़ता रहता है, दूर दराज ढाणियों के अन्दर लोग रहते हैं वहां पर शिक्षा का प्रसार बहुत कम होने से वहां के लोगों का जन-जीवन ऊपर नहीं उठ पाया है इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बाड़मेर जिले के ऊपर निश्चित रूप से आप अधिक ध्यान देकर के वहां के लोग जो शिक्षा के अन्दर पीछे रह गये हैं उसको स्तर पर लाकर हमें भी राजस्थान और हिन्दुस्तान के अन्दर अपना सम्मान से जीवन बिताने योग्य बनायेंगे। मैं निश्चित रूप से धन्यवाद देना चाहूंगा कि शिक्षा की नई नीति है और इस सरकार ने जो बजट के अन्दर घोषणायें की हैं उसमें अनेक बातों में आपने बाड़मेर को भी शामिल किया है। मैं निश्चित रूप से आने वाले भविष्य की ओर देखता हुआ यही कामना करता हूं कि आपने जिस प्रकार से इसको सुदृढ़ करने का और गई सरकार ने जिस प्रकार से इसको भगवान भरोसे छोड़ दिया था, उसके अन्दर सुधार लाकर के निश्चित रूप से राजस्थान का हित करेंगे और शिक्षित लोगों का हमारे यहां अच्छा प्रभाव होगा और यह रोजगार ओरियेण्टेड होगा। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बाड़मेर बालोतरा के अन्दर एक बहुत बड़ा उद्योग है जो हाथ के उद्योग के ऊपर आधारित है और लाखों लोगों की जीविका उस पर आधारित है। देश और विदेश के अन्दर वहां का हाथ का बना हुआ कपड़ा भेजा जाता है। विदेशी मुद्रा अर्जित हो रही है और बार-बार सरकार ने यह घोषणा की कि हम प्रशिक्षण केन्द्र बालोतरा के अन्दर स्थापित करेंगे किन्तु इतना बड़ा कपड़ा उद्योग और यह गोट हेयर का उद्योग होने के नाते जिसके लिये बजट के अन्दर इस बार जाव टैक्स को और गोट हेयर पट्टी को कर-मुक्त किया है तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो लेबर ओरियेन्टेड काम है, उद्योग है, इसके प्रशिक्षण का केन्द्र वहां पर शीघ्र स्थापित कर प्रारम्भ करेंगे और जो आपने जिला प्रशिक्षण केन्द्र की नई घोषणायें की हैं उसके अन्दर बाड़मेर का स्थान है और दूसरा प्रशिक्षण केन्द्र जहां आपको सब प्रकार की सुविधा उपलब्ध होगी वह बालोतरा में स्थापित करें। आपने समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय पंडित राम-किशन जी।

श्री राम किशन (भरतपुर) : आदरणीय सभापति जी, शिक्षा का महत्व कितना है इसको समझाने की जरूरत नहीं है। यह इस बात से ही साफ होता है कि राजस्थान के बनने के समय जहां उस समय की राज्य सरकारें शिक्षा के प्रसार पर केवल दो करोड़ रुपया खर्च करती थीं, वर्तमान सरकार उस पर 700 करोड़ रुपये से भी ज्यादा खर्च करने जा रही है। यह मामला महत्वपूर्ण है और सरकार और समाज ने इसको स्वीकार भी किया है कि शिक्षा के बगैर हम देश को आगे नहीं बढ़ा सकते और इस संबंध में समय-समय पर बहुत गहन चिन्तन भी हुआ है, तरह-तरह के सुझाव भी आये हैं। लेकिन सबसे बड़ा अफसोस हमें यह है कि हमने कई कमेटियां बनाई, कई कमीशन बनाये और दो बार शिक्षा नीति भी घोषित की। सन् 1968 में हमने शिक्षा नीति घोषित की और सन् 86 में हमने शिक्षा नीति घोषित की। लेकिन जो हमारे घोषित उद्देश्य थे उनको हम प्राप्त नहीं कर सके। आखिर इसका कारण क्या है? मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि उद्देश्य और व्यवहार में जब कभी फर्क होता है तो या तो ऐसा होता है कि हमारे उद्देश्य ऊंचे हैं और या ऐसा मालूम पड़ता है कि हम व्यवहार में लाने लायक उन उद्देश्यों के काबिल नहीं हैं। इस पर तो हमें तय करना चाहिये लेकिन यह निश्चित बात है जिन उद्देश्यों के लिये हमने दो बार शिक्षा नीतियों की घोषणा की वह शिक्षा नीति अपने आप में सफल नहीं हो पा रही है। मैं इस संबंध में इतनी सी बात कहूंगा, कौन से मामले में सफल नहीं हो पा रही है? छात्रों की संख्या बढ़ी है, स्कूलों की संख्या बढ़ी है। यह हो सकता है दूसरे राज्यों के मुकाबले बहुत पीछे हों और निश्चित तौर पर पीछे हैं भी लेकिन जिस तरह से हमारी शिक्षा का विस्तार हुआ है उससे हम इन्कार नहीं कर सकते कि यह सारा काम सरकार ने बहुत ईमानदारी से अन्जाम दिया है चाहे पुरानी सरकार हो या नई सरकार हो, इसके लिये तो मैं बधाई देता हूं लेकिन सवाल है कि जो उद्देश्य हमने घोषित किये थे वह उद्देश्य पूरे क्यों नहीं हो रहे हैं? जैसे हमने 1968 की शिक्षा नीति में, कुछ उद्देश्य घोषित किया था खास तौर पर मैं उसे अंग्रेजी में पढ़ना नहीं चाहता क्योंकि हम अंग्रेजी हटाने के समर्थक हैं लेकिन यह अंग्रेजी में है इसलिये मैं इसका अनुवाद किये देता हूं कि हमने सन् 1968 में यह फैसला किया था कि हमारी शिक्षा नीति के मार्फत हम राष्ट्रीय एकता को मजबूत करेंगे, देश में कामन कल्चर को स्थापित करेंगे और सामान्य नागरिक में यह भाव पैदा करेंगे कि हम सारे राष्ट्र में एक हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि इतनी धनराशि खर्च करने के बाद भी आज हमारे देश में बिखराव क्यों है? हमारी एक सभ्यता विकसित क्यों नहीं हो रही है? हम यह क्यों नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं हालांकि हमने उसमें विश्व नागरिकता की कल्पना की है। हमने तो सारे राष्ट्र को एक परिवार सा समझा है लेकिन हालत यह है कि आज जितना हिन्दुस्तान विभाजित है इतना विभाजित पिछले तीन सौ, चार सौ सालों में कभी नहीं हुआ। जातियों का विभाजन, धर्म का विभाजन, उपजातियों का विभाजन, राष्ट्रीयता का विभाजन। आज जिस तरह से देश पर खतरा है, यह खतरा, मैं नहीं समझता इतिहास में इतना

(136)

(श्री रामकिशन)

गम्भीर खतरा कभी रहा हो। आखिर शिक्षा ने एक उद्देश्य घोषित किया था कि हम राष्ट्रीयता की भावना को पैदा करेंगे, वह हमारी राष्ट्रीयता की भावना कमजोर हो गई। हमने यह कोशिश की थी कि सारे देश में एक प्रकार के संस्कार लोगों में पैदा हों वह संस्कार हम नहीं कर पाये। दूसरी बात इसी शिक्षा नीति में हमने घोषणा की है कि आज हमने यह माना है कि जो हमारे संविधान में मुख्य मुद्दे थे उन पर आज सबसे ज्यादा संकट है। आज समाजवाद खतरे में है, इसी शिक्षा नीति में लिखा गया है। सैकुलरिज्म के बारे में कहा गया है कि रात-दिन इसकी भावनायें उड़ती चली जा रही हैं तो लोकतंत्र खतरे में है, समाजवाद खतरे में है, एकता खतरे में है तो आखिर इस शिक्षा नीति पर हम अरबों रुपया खर्च कर प्राप्त क्या करना चाहते हैं? मैं माननीय शिक्षा मन्त्री जी आपसे यह निवेदन करूंगा, यह तो रहे हमारे राष्ट्र के मोटे उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य था हमारा नागरिकों को सभ्य बनाना। नागरिकों को सुसंस्कृत बनाना और सुसंस्कृत नागरिक बनाकर हमारे देश के जीवन को एक उन्नत समाज जैसी स्थिति में ले जाना। लेकिन आज उस दृष्टि से भी हम सफल नहीं हो रहे हैं। मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी नीति में कहीं कोई कमजोरी है, हमारे दृष्टिकोण में कहीं कोई फर्क है। इसी लिये हम जो कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, हम सौ प्रतिशत नहीं सही, लेकिन 80 प्रतिशत तो प्राप्त करें 70 प्रतिशत तो प्राप्त करें। इस पर जब तक इस ढंग से नहीं सोचेंगे तब तक हम अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सकते। हम खाली छात्रों की संख्या बढ़ गई, हम इतने छात्रों को दाखिल कर देंगे, हम इतने स्कूल बना देंगे, यह सारे काम हो रहे हैं और इनमें कुछ कमियां भी हैं। जब सारे समाज में, सारे हिस्सों में कमियां हैं तो शिक्षा विभाग इससे मुक्त नहीं हो सकता। मैं भी यह कोई कल्पना नहीं करता कि यह देवताओं का विभाग है जिसमें सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा और दूसरे विभागों में खराबी होगी। ऐसा मैं नहीं मानता। लेकिन सभापति महोदय, इसमे दूसरी बात एक और कही गई है एक बात तो यह कही गई है कि हम कामन कल्चर पैदा नहीं कर पाये, दूसरी बात कही गई हम राष्ट्रीय एकता को स्थापित नहीं कर पाये। तीसरी बात कही गई हम सैकुलरिज्म को कम नहीं कर पाये और इसमें एक चौथी बात और कही गई कि स्त्री शिक्षा इस लिये अनिवार्य है हमारे देश में आबादी बढ़ रही है। स्त्रियों को पढ़ा देंगे तो आबादी पर नियंत्रण हो जायेगा। मैं मानता हूं कि पढ़े लिखे नागरिक जहां होंगे वहां आबादी कम होगी लेकिन स्त्रियों पर ही यह जिम्मेदारी डाल दी जाये कि वह नहीं पढ़ी इस लिये आबादी बढ़ गई मैं समझता हूं इससे बड़ा मूर्खतापूर्ण वक्तव्य मैंने कभी सुना नहीं। आप लोगों में से किसी ने पढ़ा होगा एक फ्रेंच लेखिका ने सैकण्ड सैक्स नाम की एक किताब लिखी है, मैं उसका ज्यादा विवरण तो नहीं दूंगा। उसमें जो बात लिखी गई है, मैं समझता हूं हमारे शिक्षा शास्त्रियों के दिमाग में बात तो आनी चाहिये उन्होंने यह कह कर के टाल दिया है अगर स्त्री शिक्षा पूरी हो जायेगी तो

(श्री रामकिशन)

आबादी का विस्फोट रुक जायेगा। मैं कहना चाहता हूं कि पुरुष और स्त्री की भावना क्या है, मैं यहां पर इसका विवेचन नहीं कर सकता लेकिन मैं इतनी बात यहां कहना चाहूंगा कि स्त्री कभी उत्तेजित नहीं होती और पुरुष कभी धीरज नहीं रख सकता। यह सैकण्ड सैक्स की लेखिका ने जो बात कही है उसे अगर हम ध्यान में रखते तो मेहरबानी करके स्त्रियों का अपमान करने की कोशिश इस तरह से नहीं करते। मैं इसका पक्षधर हूं कि स्त्रियां पढ़ें लेकिन पढ़ने से ही स्त्रियां आबादी कम करने के लिये तैयार हो जायेंगी तो फिर मैं आपको केरल की मिसाल देना चाहता हूं। केरल, राजस्थान और पंजाब, आप देखते हैं केरल में स्त्री शिक्षा सबसे ज्यादा है, पंजाब में स्त्री शिक्षा उससे कम है और हमारे यहां तो स्त्री शिक्षा है ही नहीं। लेकिन आबादी का बढ़ना, घटना, आज मैं इस प्रसंग पर चल नहीं रहा हूं लेकिन में केवल शिक्षा शास्त्री, समाज शास्त्री और हमारे अर्थ शास्त्रियों से बात करना चाहता हूं कि जब वह किसी पर जिम्मेदारी डालें तो बड़ी गम्भीरता से डालें। इस तरह की बात करके हम कई तरह के नुकसान कर देते हैं।

सभापति महोदय, अब सवाल उठता है हमने नई-नई शिक्षा नीतियां बनाई। अब हमने उससे प्राप्त क्या करना चाहा था। हमने 68 के बाद 86 में शिक्षा नीति घोषित की और उस शिक्षा नीति में हमने दस प्लस दो कर दिया कभी दस जमा तीन कर दिया। इसमें कौनसी बात आप नई दे रहे हो? आज तक हमारा नया साहित्य निकला नहीं, हमारी पाठ्य पुस्तकें प्रकाशित हुई नहीं, जो बात हम पुरानी शिक्षा में पढ़ाते थे, उसको हमने पहली साल में नई शिक्षा में जोड़ दिया। आपके पास पुस्तक तक नहीं है, तो यह कौन सी नई शिक्षा नीति है? आखिर इसमें कौन सी नई चीज है? इसका नुकसान यह हुआ है माननीय सभापति महोदय, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि पुरानी शिक्षा नीति को रखा जाये या नई शिक्षा की इजाजत दी जाये। लेकिन मेरा कहना यह है कि नई शिक्षा नीति के नाम पर राज्यों पर जो खर्च पड़ा है जितनी पोस्ट बढ़ी है आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। आज शिक्षा के पाठ्यक्रम वही हैं उसमें परिवर्तन कुछ हुआ नहीं है। और पोस्ट इतनी बढ़ गई कि हमारे राजस्थान पर ही नई शिक्षा नीति के तहत 22 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार तो टीचर्स की जो पोस्ट बढ़ी हैं उसकी वजह से बढ़ गया, 18 करोड़ रुपये का भार हमारे ऊपर इसलिये बढ़ गया कि हमने प्राचार्यों की पोस्ट क्रियेट की हैं। आखिर इससे कोई नतीजा तो निकला नहीं। मैं निश्चयपूर्वक कह सकता हूं अगर मंत्री जी, उप शिक्षा मंत्री जी और आप सब लोग बैठे और अपने विभाग के अधिकारियों को रोकें, बैठायें और समझने की कोशिश करें तो इस सारे खर्च में से कम से कम 50 करोड़ रुपया खर्चा कम किया जा सकता है। केवल यह कहकर संतोष नहीं कर लें कि हमने रकम को बहुत बढ़ा दिया है। रकम तो बढ़ाई है लेकिन नतीजे उसके अनुसार नहीं आ रहे हैं क्योंकि हमारा

(श्री रामकिशन)

दिमाग किसी मामले में साफ नहीं है। तो एक निवेदन मैं यह करना चाहता हूं हम इस नीति की समीक्षा करेंगे, हमने 1986 में जो शिक्षा नीति घोषित की है उसमें फिर पांच साल बाद नीति की समीक्षा का प्रावधान है। अब समीक्षा का समय आ गया है तो हम यह देखें कि हमारे इतने खर्च करने के बाद भी हमें नतीजा क्या निकला है एक निवेदन तो मुझे यह करना था....

दूसरा निवेदन माननीय सभापति महोदय, मुझे यह कहना है, आखिर में यह देश अंग्रेजी का मोह कब छोड़ेगा, यह क्यों अंग्रेजी के चिपका हुआ है ? मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि मैंने देखा है कि जो अंग्रेजी स्कूल चले हुए हैं, उनके लिए मान्यता दी जा रही है। मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि मैं अंग्रेजी भाषा के खिलाफ नहीं हूँ। आप यह समझते हैं कि हम अंग्रेजी साहित्य के खिलाफ हैं लेकिन मेरी निश्चित मान्यता है कि अंग्रेजी अंग्रेजों की भाषा थी, जो सामन्ती भाषा है और उन्होंने उसको इसलिए इस्तेमाल किया था कि आम नागरिक दास बन जाय और वे सामन्त बनकर राज करें। आज उसी भावना से पीड़ित होकर हम अंग्रेजी में राज काज चला रहे हैं। अंग्रेजी के आतंक की वजह से हमारी प्रतिभाओं का नुकसान हो रहा है लेकिन यह ऐसा विलक्षण देश है कि अंग्रेजी के समर्थन में यहां कुछ लोग कह देते हैं कि हमारी हिन्दी में शब्द कम हैं, अंग्रेजी में शब्द ज्यादा हैं तो मैं उनकी जानकारी के लिए कह देता हूँ कि अंग्रेजी में केवल ढाई लाख के आसपास शब्द हैं और हिन्दी कोष में लगभग 6 लाख के आसपास शब्द हैं। हमारे पास शब्द भी हैं, हमारे पास साहित्य भी है और हमारे पास इतिहास भी है लेकिन मुश्किल यह है कि अंग्रेजी के मानस गुलाम बनने की वजह से हम इस चीज को चला रहे हैं और इसका लाभ हो रहा है देश के धनी वर्ग को, देश के सामन्तों को। आज गरीब का लड़का अंग्रेजी नहीं पढ़ सकता और पढ़ना शुरू भी कर देगा तो सामन्तों के लड़कों के मुकाबले 50 साल में भी इसके मुकाबले में नहीं आएगा। वह विधान सभा में पहुंचेगा नहीं, लोक सभा में पहुंचेगा नहीं, वह न सरकार का अफसर बनेगा। तो मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि आज यू. पी. की सरकार का मसला आपके सामने है। मैं श्री मुलायमसिंह यादव को यहां से बधाई देना चाहता हूँ कि क्योंकि एक मुख्य मंत्री, गांव के किसान का लड़का तो ऐसा हुआ जिसने अंग्रेजी हटाने का फैसला किया है। मेहरबानी करके भैरोंसिंह जी आप तो उससे कम नहीं, आप बहुत मामूली से किसान हैं, आप भी थोड़ी हिम्मत करें, व्यर्थ में आप डरें नहीं कि अंग्रेजी हट गई तो देश कोलिप्स हो जायेगा। अगर कहीं-कहीं हमारी समझ में यह बात आती है कि हम लोगों को यह भय और लगता है कि जब किसी अफसर के सामने हम कहते हैं कि हम अंग्रेजी नहीं जानते तो शायद हीन भावना से ग्रस्त हो जाते हैं। मैं तो इसमें गौरव अनुभव करता हूं। क्या माओ अंग्रेजी जानते थे, क्या स्टालिन अंग्रेजी जानते थे, क्या मुसोलिनी अंग्रेजी

(श्री रामकिशन)

जानते थे ? नहीं जानते थे। वे अपने राष्ट्र के नेता बने, संसार के नेता बने और कुछ ने तो बड़े विचार भी दिए हैं। अगर अंग्रेजी रही तो हम न विचार दे पायेंगे, न अच्छा प्रशासन दे पायेंगे तो मेरा इस सम्बन्ध में सुझाव है कि अंग्रेजी हटाने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। राजकाज से अंग्रेजी हटे। मैं पढ़ाई की दृष्टि से नहीं कह रहा हूँ, साहित्य की दृष्टि से लोग पढ़ें लेकिन राज काज में अंग्रेजी का इस्तेमाल नहीं हो और जिस प्रकार आज अंग्रेजी स्कूलों को मान्यता दी जा रही है, इसे रोका जाय। इसकी मैं मांग करता हूं और मैं चाहता हूं राजस्थान सरकार गम्भीरता से इस पर विचार करे।

एक सवाल सभापति महोदय, हमारी शिक्षा के स्तर का है, ठीक है इस पर काफी ध्यान दिया जा रहा है। सब लोग चिन्तित हैं कि हमारी शिक्षा का स्तर गिर रहा है। आज ग्रामीण शिक्षा की जो हालत है, वो किसी से छुपी हुई नहीं है लेकिन हम इस पर प्रयोग क्या करते हैं। केवल, कभी तो हम कह देंगे इसको जिला परिषद् को दे देंगे। आज यहां बन गए मंत्री, वो तो हो गये योग्य और जो रह गये जिला प्रमुख वो हो गये अयोग्य। मुझे उन लोगों पर हंसी आती है जब ये कहते हैं कि अगर जिला परिषद् से शिक्षा ले लें तो उसका विकास हो जायेगा। कई लोग तो जिला प्रमुख के लायक भी नहीं हैं जो यहां मंत्री बने हैं। तो क्या आप समझते हैं कि मंत्री बनकर शिक्षा को सुधार लेंगे और जिला परिषद् में जाने से शिक्षा खराब हो जायेगी। मैं जानता हूं कि इस तरह की भावना है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि किसको दो और किसको मत दो लेकिन इस भावना से मत सोचिए कि पंचायत समितियों से इसका स्तर गिरा है। इस भावना से मत सोचिये कि जिला परिषदों की वजह से स्तर गिरा है। हमारे समाज में जो व्यापक गिरावट आ रही है उसका रिफ्लेक्शन समाज के हर हिस्से पर है। चाहे शिक्षा हो, चाहे समाज शास्त्र हो, चाहे अर्थनीति हो चाहे प्रशासन हो, चाहे व्यापार हो, सब जगह गिरावट है उसका रिफ्लेक्शन हो रहा है हमारी शिक्षा में। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उसके जो मूल कारण हैं, उस पर जाने की कोशिश करें और ऊपरी कारणों से अपने आपको बचाने की कोशिश नहीं करें।

एक मुझे निवेदन करना है खास तौर पर, आज हमें जरूरत इस बात की है, जोर भी हम दे रहे हैं कि हमारे यहां तकनीकी शिक्षा का विस्तार होना चाहिए लेकिन शिक्षा मंत्री जी मैं आपसे कहना चाहूंगा कि नई शिक्षा नीति में आपने कुछ स्कूलों में तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था कर दी 65–66 में और हमारे हरेक जिले में यह पोलिटेक्नीक स्कूल खुले हुए हैं तो एक जगह दो प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था करने की क्या जरूरत है ? नतीजा यह होता है कि कोई-कोई जगह तो ऐसी है जहां छात्रों की संख्या 10–15 से ज्यादा नहीं है, टीचर हैं 6–7 और छात्रों की संख्या 10–11 तो मेहरबानी करके ऐसे स्कूलों की सूची बनावें जिनमें छात्र संख्या कम है और अध्यापकों की संख्या ज्यादा है, उसे बगल की स्कूल में मिला दें। इससे करोड़ों रुपयों का फायदा होगा।

(श्री रामकिशन)

मेरी जानकारी के अनुसार राजस्थान में 1000 के करीब ऐसे स्कूल हैं जहां छात्रों की संख्या की अनुपात में टीचरों की संख्या बहुत ज्यादा है। एक टीचर के पीछे 40 छात्रों का हमने बना रखा है। अब पश्चिमी राजस्थान से आने वाले माननीय सदस्य एक ही हल्ला मचा देंगे अगर हमारे यहां व्यवस्था की जो स्कूल दूर-दूर हो जायेंगे। मेहरबानी करके हमें यह बतायें कि आपके स्कूल तो दूर हों नहीं लेकिन छात्रों को तो भेजिये, लड़कियों को भेजिये, लड़कों को भेजिए। स्कूल खुले हुए हैं वहां छात्र संख्या नहीं है। सरकार का खर्च बढ़ रहा है। आज इस तरह की वित्तीय स्थिति में राजस्थान फंसा हुआ है। हमें वृद्धों को देनी है पेंशन, हमें समाज कल्याण के करने हैं काम, हमें पानी लाना है खेतों के लिए तो हमें हर जगह नजर डालनी होगी कि कहां-कहां फिजूल खर्ची हो रही है, उसे रोका जाय। मेरा एक सुझाव यह है कि इस बात की जांच कराई जाय, शिक्षा मंत्री जी पहले इस बात की जांच करायें कि छात्रों की संख्या के अनुपात में जहां टीचर ज्यादा हैं, उन स्कूलों को बगल के स्कूलों में जोड़ दिया जावे, इसमें संकोच नहीं करना चाहिए। दूसरा मेरा सुझाव है कि टेक्नीकल शिक्षा के लिए जहां स्कूल खुले हुए हैं, आई टी. आई. है, वहां उसी प्रकार की दूसरी व्यवस्था न की जाय। इस तरह से हम खर्च बचायेंगे तो मैंने मोटा सा अन्दाज लगाया है कि शिक्षा विभाग को 50 करोड़ रुपये की बचत हो सकती है विभिन्न तरह के प्रावधानों से 50 करोड़ रुपये की बचत। अब 50 करोड़ रुपये की बचत से हम क्या कर सकते हैं, इसका अन्दाजा आप खुद लगाइये। एक निवेदन और करना चाहूंगा कि हम तकनीकी शिक्षा के नाम पर शिक्षा क्या दे रहे हैं। आप जानते हैं कि हमारे समाज में 50 साल में क्या परिवर्तन होने वाले हैं। असल बात तो यह है कि हमारे देश के समाज शास्त्री और अर्थ शास्त्री तात्कालिक बात तो सोचते हैं लेकिन आगामी 50–100 साल में समाज में क्या परिवर्तन होंगे, उस पर उनकी नजर नहीं होती। इसलिए जो तकनीक वो अपनाते हैं वह समाज के लिए अनुपयुक्त हो जाती है। आज समाज में जो परिवर्तन हो रहे हैं, 50 साल बाद में जो समाज होगा, यह अलग बात है हम रहें या नहीं रहें, लेकिन कल्पनाशील प्रशासक को 50 और 100 साल की कल्पना तो करनी चाहिए लेकिन हमें देखना चाहिए कि हमें कौनसी तकनीकी की जरूरत है? हमारे यहां मैन पावर ज्यादा है, पूंजी कम है इसलिए ऐसी तकनीकी विकसित करनी चाहिए जिससे कम पूंजी में ज्यादा से ज्यादा आदमी को रोजगार मिल सके और इसमें तो दूर जाने की जरूरत नहीं है। आप कोई अपने किसी आदमी को लुधियाना भेजिये। वह न तो अमरीका में है, वह लेटिन अमरीका में नहीं, न फ्रांस में है न मैक्सिको में है. आप जाकर देखिए लुधियाना का विकास कैसे हुआ है? क्यों विकास हुआ लुधियाना में, क्यों तरक्की हो रही है लुधियाना में? तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी तकनीकी शिक्षा में सम्बन्धित मामले हैं, इस पर नये ढंग से विचार करें, नए ढंग से सोचें। सभापति महोदय, हमने हर

(श्री रामकिशन)

काम अपने हाथ में ले रखा है. हमने कोशिश की है खेल कूद में विकास हो, हमने कोशिश की है हमारी भाषाओं का विकास हो, हमने कोशिश की है तरह-तरह की एकेडमी बनाकर हमारी पुरानी कलाओं का विकास हो, लेकिन सभापति महोदय, हम यह तो तय करें कि हमारी पुरानी कला कौनसी है और 100 साल में नई कला कौनसी होगी ? अगर हम पुरानी चीजों को इकट्ठी करते रहे, उनको कहीं एक जगह संग्रह करते रहे तो इतिहास की दृष्टि में यह चीज महत्वपूर्ण है। पुराने सिक्कों को इकट्ठा कर लीजिए, पुराने मकानों के नमूने इकट्ठे कर लीजिए, पुराना हस्त शिल्प ले लीजिए। आखिर में हम आगामी समाज को क्या देना चाहते हैं, इसकी तैयारी तो हमारी होनी चाहिए और यह तैयारी हमारी नहीं है। चाहे हम खेल के मामले को लें, आज खेल का मैदान कहीं नहीं है और संसार में हिन्दुस्तान ही ऐसा देश है कि हर खेल में शामिल होता है और हर जगह पिट कर आता है तो मुझे ताज्जुब है आखिर आप खेल पर पैसा खर्च कर रहे हैं, यह किस बात के लिए खर्च कर रहे हैं ? आज आपका करोड़ों रुपया इसके सेमीनार और भत्तों पर खर्च हो जाता है और रिजल्ट क्या है ? हमारे पास खेल का मैदान नहीं है, अच्छे खिलाड़ी नहीं हैं कि किसी प्रतियोगिता में ठहर सकें। यह जब सारा हमारा रिजल्ट है तो इस पर हमें सोचना चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए। इसी प्रकार साहित्य और कला के बारे में हम बहुत सोचते हैं, अकादमियों के बारे में हम बहुत सोचते हैं लेकिन आपकी अकादमियां क्या कर रही हैं ? साल में एक दो तो सेमीनार कर लेती हैं, एक-आध जगह कोई गोष्ठी कर लेती हैं और एक-आध जगह कोई रासकालीन नाच गाने का प्रोग्राम कर लेती हैं। मैं नाच गाने के खिलाफ नहीं हूं। आप यह नहीं समझें कि मैं साधु हूं और मुझे नाचने गाने से नफरत है। मैं जानता हूं नाच और गाना समाज में अपने आपमें एक महत्व रखता है लेकिन कैसे गाने हों और कैसा नाच हो, आपको इसकी कल्पना है ? कौनसा नाच चलेगा आज से 100 साल बाद, कौनसा गाना चलेगा आज से 50 साल बाद ? आप या तो पकड़ लायेंगे राजस्थान का "मेरो पल्लो लटके" या तो उसे बजवा देंगे कहीं और नया जो सुगम संगीत वाले कह देंगे सीधे से कि "हम तुम बन्द हो जायं कमरे में और चाबी खो जाय"। अगर यही संगीत है दुनिया में तो इसका ही कोई अर्थ है तो, मैं समझता हूं कि यह देश डूबने वाला है। आप समझते हैं कि इसकी भावना क्या होती है, इसका क्या असर पड़ता है ? हम जैसे लोगों पर यह चाबी वाले गाने का असर पड़ता है तो यह नौजवान बैठे हैं, आप समझते हैं, उन पर क्या असर पड़ता होगा ? तो मेहरबानी करके उस दृष्टि से आप सोचिए अगर वो आपके बस में नहीं है........

(व्यवधान)

आपकी उमर तो निकल गई, पर वह कहना पड़ेगा मुझे तो। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे संगीत का रूप क्या हो, हमारे गाने का रूप क्या हो ? जब हमारे पास में मीरा है जब हमारे

(श्री रामकिशन)

पास में राधा है तो राधा मीरा के गानों से हिन्दुस्तान बनेगा या चाबी खोने वाले गाने से हिन्दुस्तान बनेगा ? आज मीरा के पद सुनाई नहीं देते। आज मेड़ता की मीरा और बरसाने की राधा। इन दोनों को हम हिन्दुस्तान के समाज में जोड़ेंगे, जब ही इस समाज में स्फूर्ति पैदा होगी, एक नया यौवन पैदा होगा लेकिन हम कर रहे हैं पश्चिम की नकल और नकल भी करते हैं थोड़ी। न हमारी समझ है और न हमारी सूझ है। कई यूरोपीय देश हैं जो अपने मित्रों से मिलते रहते हैं और उस पर चर्चा करते हैं। वो कोई दूसरी बात सोच रहे हैं और हम कोई दूसरी बात सोच रहे हैं और आपके जितने भी संस्थान बने हुए हैं, ये संस्थान भी करीब-करीब इसी चक्कर में फँसे हुए हैं। तो सभापति महोदय, मैं इन सब चीजों के बाद उच्च शिक्षा के बारे में आपसे निवेदन करूंगा। शायद सुमित्रा जी इस शिक्षा की मंत्री हैं। इस उच्च शिक्षा का आप क्या करना चाहते हैं ? इसका कोई लाभ है क्या ? आज हम तय करें कि हमें कितने लोग पढ़ाने हैं और किस काम से पढ़ाने हैं ? आप समझते हो कि लोग एम. ए. क्यों करते हैं ? बी. ए. के बाद काम नहीं मिलता है तो एम. ए. की पढ़ाई ले लेते हैं और एम. ए. के बाद कोई काम नहीं मिलता है तो एल. एल. बी में दाखिला ले लेते हैं। पढ़ाई का और कुछ मतलब है नहीं। हम चाहते हैं, हिम्मत करके एक राष्ट्रीय नीति तय करें, सब दलों से तय करें कि हायर सैकेण्डरी या कोई उससे ऊँचे स्तर तक तो हर नागरिक को पढ़ना अनिवार्य हो लेकिन कालेज की शिक्षा पर तो निश्चित रूप से बंधन रखना चाहिए। अरबों रुपया बेकार हो रहा है और अरबों बेकार होने के बाद हम बेरोजगारों की फौज सड़कों पर ला रहे हैं। जो समाज में अशान्ति पैदा कर रहे हैं, उत्पादन में बाधा डाल रहे हैं। उनके पास कोई कल्पना नहीं, उनके पास कोई कार्यक्रम नहीं, उनके पास कोई तकनीक नहीं तो हम चाहेंगे कि इन सब बातों को गम्भीरता से विचार करें और गम्भीरता से विचार करके इन सारे सवालों को नए ढंग से सोचने की कोशिश करें। मैंने शिक्षा नीति को बहुत गम्भीरता से पढ़ा है। इसमें शब्द बहुत दिए गये हैं। एक शब्द ऐसा नहीं है जो हिन्दुस्तान और दुनिया के बारे में छोड़ दिया हो। पर व्यवहार के मामले में मामला शून्य है। आज इसमें यह चर्चा की गई कि हमारे देश में सैकूलरिज्म कमजोर हो रहा है। एक तरफ तो हम कर रहे हैं चिन्ता व्यक्त और दूसरी तरफ मैंने कल और हंसी सुनी थी यहां, किसी ने मुगल का नाम ले लिया तो बाबरी मस्जिद का जिक्र शुरू हो गया। अब कोई यह नहीं जानता कि हसन खां मेवाती कौन है। हसन खां मेवाती वह है जो राष्ट्रीयता का प्रतीक था। बाबर से जिसने संघर्ष किया था। लेकिन हर मुसलमान बाबर की सन्तान है, अगर यह चिन्तन हमारा है तो सैकूलरिज्म तो अपने आप में कमजोर होगा क्योंकि इतिहास का ज्ञान हमारा अधूरा है। हम, इतिहास की पुस्तकों में जो लिखा गया है उसे योग्य तरीके से लिख नहीं पा रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, इसमें यह कहा गया कि हम नया इतिहास पढ़ायेंगे, हम स्वतन्त्रता

(श्री रामकिशन)

संग्राम को पढ़ायेंगे । लेकिन स्वतन्त्रता संग्राम में किनका इतिहास पढ़ा रहे हैं ? मैं जिक्र तो नहीं करना चाहता राजस्थान के स्वतन्त्रता संग्राम के लोगों का नाम लिया गया है । यहां शिवचरण जी माथुर और हीरालाल जी देवपुरा होते तो मैं उनसे ही कहला देता, यह कभी स्वतन्त्रता संग्राम में हिस्सेदार थे क्या ? हम लोग जब कांग्रेस की लड़ाई लड़ा करते थे, इनका कहीं नाम नहीं था । लेकिन इस तरह का झूठा इतिहास पढ़ाकर, झूठी सभ्यता की तारीफ करके हम एक ऐसा समाज का निर्माण कर रहे हैं जो चापलूसी पर आधारित होगा । मैं, माननीय सभापति महोदय, आपसे निवेदन करना चाहूंगा, खास तौर से स्वतन्त्रता संग्राम के इतिहास के बारे में, मैं नहीं चाहता हमारी भूमिका अंकित की जाय, क्योंकि हम लोग उससे अलग हैं, हमने तो यह भी तय नहीं किया, हम उसमें शामिल होंगे लेकिन मेहरबानी करके गलत तथ्य तो पेश नहीं किए जायं । जो सदस्य हमारे साथ 46–47 के भीतर और 45 और 42 के बीच राष्ट्रीय आन्दोलन में रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, इस प्रकार की पुस्तकें पढ़ा कर आप देश में झूठ क्यों फैलाना चाहते हैं ? अगर प्रशंसा करानी हो तो अपनी पत्नी से करा लो, आप जो चाहो, उससे कहला लो, अपने पुत्रों से करालो लेकिन समाज को गलत बात कहकर भ्रमित करने की कोशिश नहीं करें । मैं इन्हीं शब्दों के साथ, सभापति महोदय, आप दे रहे हैं घंटी तो इतना ही निवेदन करना चाहूंगा शिक्षा पर तो मैं करना चाहता हूं बात बन्द, अब मुझे दो बातें इस समाज कल्याण के सम्बन्ध में कहनी हैं ।

हमारा विभाग चल रहा है । हम यह कोशिश कर रहे हैं दलित और पतित लोगों का दर्जा बढ़े । आर्थिक हैसियत उनकी बढ़े । वह लड़ाई तो चलती रहेगी । लेकिन आज हमारे अछूत जिनको हम कहते हैं, दलित भाई कहते हैं, इन दस सालों में जितना उनका अपमान हुआ है, आजादी के बाद उनका सम्मान बढ़ा था उनके बारे में नये ढंग से सोचा गया था, आज हालत यह हो गई अगर कोई हरिजन बारात लेकर गांव में चला जाय तो उसकी पिटाई होगी । आखिर इसकी जिम्मेदारी किस पर है ? अगर यह रही तो जो धर्म के ठेकेदार हैं, मैं उनको कह देता हूं कि वह अपने धर्म का नाश करने की तरफ सोच रहे हैं । इसके जो खतरे हैं, मैं आगरे के इलाके को भी जानता हूं, दूसरे इलाकों को भी जानता हूं- मैं उनका जिक्र तो नहीं करना चाहता लेकिन इस तरह का काम करने वाले लोग हमारी जाति और धर्म के समर्थक नहीं बल्कि हमारी जाति और धर्म के दुश्मन हैं । उनको समाज में सम्मान तो मिलना चाहिए । आप रोटी नहीं दे सकें, आप रोटी नहीं दे सकें तो उनको सम्मान तो दीजिए । जो आपकी सड़क बनायें, आपके बंध बनायें, आपकी नहरें बनायें, जो आपका निर्माण करें वह समाज में एक दिन अपने दूल्हे को बारात पर नहीं बैठा सकें इससे ज्यादा गंदा धर्म दुनिया में मैंने तो कोई सुना नहीं है, मैंने तो कभी ऐसा देखा नहीं है । तो मेहरबानी करके समाज कल्याण विभाग के लोग पुलिस अधिकारियों से मिल कर समाज के दूसरे लोग

(श्री रामकिशन)

शिक्षण द्वारा ऐसा वातावरण करना चाहिए कि हरिजनों को समाज में इज्जत मिले। इज्जत मिलने का मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। सभापति महोदय, हमारे राजस्थान में 25–26 हजार सरकारी मंदिर हैं। उनमें कोई हरिजन पुजारी है क्या? यह पुजारी ब्राह्मण ही क्यों हों? मैं सुझाव देना चाहता हूं कि जो पूजा की परीक्षा पास कर ले उस हरिजन को भी मंदिर का पुजारी बनाने की इजाजत देनी चाहिए। अगर यह सब कुछ किया गया तब तो हमारे समाज में हिन्दू धर्म की जो संकीर्णता है यह टूटेगी अन्यथा यह धर्म बड़ा संकीर्ण होता चला जा रहा है, जो हमारे विनाश का कारण भी बनेगा। आज कहीं शर्मा होस्टल, आज कहीं जाट होस्टल, आज कहीं राजपूत सभा जब हम देखते हैं तो देश को एक कैसे कर सकते हैं। हम बड़ा काम नहीं कर सकें तो इन छोटे-छोटे कामों को तो शुरू करें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ लम्बी बात नहीं कह कर आखिर में इतना-सा कहना चाहूंगा, नई शिक्षा नीति में जिन-जिन मुद्दों पर जोर दिया गया है वह मुद्दे अभिनन्दनीय हैं। इस शिक्षा नीति में कहीं कोई कमी नहीं रखी गई है। लेकिन सवाल है, अमल की किसकी ताकत है? अमल करने लायक हैसियत है या नहीं है? अब हम सेकूलेरिज्म को मजबूत करना चाहते हैं, हम समाजवाद को मजबूत करना चाहते हैं। मैं समझता हूं समाजवाद और सेकूलेरिज्म को मजबूत करने वाले लोग तो रह गये कम और उसके विरोधी हो गये ज्यादा इकट्ठे। तो कैसे चलेगी यह शिक्षा नीति और किस तरह चलेगा इसका काम? इस पर हमें सोचना चाहिए, इस पर हमें समझना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आखिर में हमारे यहां एक बृज भाषा की एकेडेमी बनाई है। यह बृज भाषा है या बोली, मैं इस विवाद से बचना चाहता हूं। बोलियों की आप एकेडेमी बनाइये लेकिन मेहरबानी करके इसको भाषा मत बनाइये। कोई कहेगा राजस्थानी भाषा, कोई कहेगा डिंगल भाषा, कोई कहेगा पिंगल भाषा। देश वैसे ही बँट गया है। यह बोलियां हैं और बोलियों को मजबूत करो लेकिन इनको भाषा का दर्जा मत दो। अगर भाषा का दर्जा दिया गया तो मैं तो बृज भाषी हूं मैं बृज भाषा के खिलाफ भी नहीं हूं लेकिन वह भाषा नहीं है, वह बोली है। एक छोटे से इलाके की बोली है। दौसा के बाद कुछ बोला जाएगा और जयपुर के बाद कुछ बोला जाएगा। अगर इन सबको भाषा का दर्जा दिया गया तो विभाजन से जो हम तकलीफ पा रहे हैं, वह एक नये विभाजन की भूमिका तैयार कर रहे हैं। इनमें भी कार्यवाही क्या चलती है, इसकी मुझे सब जानकारी है। तो इन सब चीजों पर 10–20 मिनट में चर्चा नहीं हो सकती 25 मिनट में चर्चा नहीं हो सकती लेकिन सदन के जो लोग हैं और सदन के बाहर जो समाज शास्त्री हैं, शिक्षा शास्त्री हैं वह इन कमजोरियों पर विचार करें, कमजोरियों को देखें और कमजोरियों पर चिन्तन करने की कोशिश करें। जब तक यह नहीं होगा तब तक हमने अपने समाज में जो हमारे उद्देश्य घोषित किए हैं शिक्षा में वह हम पूरा नहीं कर पायेंगे।

(श्री रामकिशन)

सभापति महोदय, एक बड़ा पवित्र संगठन था शिक्षा का लेकिन इसमें भी भ्रष्टाचार। मैंने जैसा कहा एक दिन बोलूंगा भ्रष्टचार पर और एक दिन बोलूंगा नीतियों पर। पर आज मैं थोड़ा सा भ्रष्टाचार का जिक्र करना चाहता हूं। यह शिक्षा निदेशालय है बीकानेर में, यहां तो लूट मची हुई है, सभापति महोदय। डायरेक्टर साहब के बारे में मुझे पता नहीं है कौन हैं डायरेक्टर, मैं उनको शक्ल से भी नहीं जानता लेकिन वह जरा अपने बजट को देखें। यह दवाइयों का बजट मात्र 6–7 लाख का है। 6 लाख और 7 लाख के बीच है उसमें से 20–25 हजार कर्मचारी हर साल दवाओं का भत्ता उठा रहे हैं। आज इसी तरह से पद सृजित किए जाते हैं। उनका आवंटन नहीं किया जाता और उसके बदले में जो करोड़ों रुपयों का गबन हो रहा है, समय के अभाव में उस पर चर्चा नहीं करना चाहता लेकिन आज बीकानेर का शिक्षा निदेशालय जिस तरह से भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है, डायरेक्टर साहब वहां रहते नहीं, उनको रहना पड़ता है जयपुर में और वहां हो रही है गड़बड़। मेरे पास बहुत तथ्य हैं, कम से कम यह 15 पेज की खाली भ्रष्टाचार की लम्बी कहानियां हैं। मैं उस पर कुछ नहीं कहना चाहता लेकिन मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं, मैंने सुना भी है कि डायरेक्टर साहब काफी अच्छे हैं, इसलिए जो कुछ वहां हो रहा है आप देखिए, भत्तों पर कितना पैसा खर्चा हो रहा है? हर अनुभाग का अधिकारी यहां डाक लेकर आता है। अगर 20 अनुभाग के 2 कर्मचारी डाक लेकर आ जायें तो इसमें भी 50 हजार रु. साल की बचत हो सकती है। लेकिन ध्यान किसका जाता है, ध्यान देने की जरूरत किसकी है? न कोई समझने की कोशिश कर रहा है, न कोई सीखने की कोशिश कर रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस मांग का करता हूं समर्थन, इस आशा से कि हम नया समाज बनाने के लिए नया मन बनायेंगे, नया चिन्तन करेंगे और नया चिन्तन करते वक्त हम सब चीजों पर समग्र रूप से ध्यान देंगे बजाय एक तरफ देखने के। इतनी ही बात मुझे कहनी है।

श्री सभापति : माननीय श्री फूलचन्दजी गुर्जर।

(अनुपस्थित)

माननीय श्री परसादी लालजी।

श्री परसादी लाल मीणा (लालसोट) : सभापति महोदय, मैं आज जो सदन में पेश की गई है मांग शिक्षा और समाज कल्याण की, सर्वप्रथम शिक्षा के बारे में जो माननीय शिक्षा मंत्रीजी हैं जिनको पहली बार शिक्षा विभाग का कार्यभार मुख्य मंत्री जी ने सौंपा है, उन्होंने अनुभव किया होगा और मेरा भी पिछले पांच साल का अनुभव है कि आज शिक्षा जगत को दो भागों में बांटा जा रहा है, गांवों में और शहरों में। आज शहरों की शिक्षा की हालत क्या है और गांवों की शिक्षा की हालत क्या है? आज गांव की शिक्षा का बिल्कुल सत्यानाश करने पर सरकार और यह विभाग तुला हुआ है। मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री को आगाह करना

(146)

(श्री परसादी लाल मीणा)

चाहता हूं, यदि गांव की शिक्षा की यही हालत रही तो गांव से गांव की स्कूलें सारी खाली हो जायेंगी और सारे के सारे गांव के लड़के गांवों में पढ़ना बन्द करके शहरों की तरफ आना शुरू हो जायेंगे। आज गांव की शिक्षा को प्राइमरी एजुकेशन पंचायत समिति को, मिडिल एजूकेशन जिला परिषद् को और सैकण्डरी एजूकेशन शिक्षा विभाग को। शहरों की शिक्षा में देखिये आप, प्राइमरी से लेकर अपर एजूकेशन तक केवल एक शिक्षा विभाग ही देखता है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? माननीय मंत्रीजी, मैं तो पहले भी इस बात का विरोधी था, चाहे मेरी सरकार थी, कि आपने मिडिल स्कूल को जिला परिषद् को देकर मिडिल स्कूलों का भी प्राइमरी स्कूलों के साथ सत्यानाश कर दिया। आज मिडिल स्कूलों की यह हालत है गांव में कि दो-दो, तीन-तीन साल स्कूल खुले हो गये वहां हैडमास्टर तक नहीं लगा पाये हैं, एक मास्टर से दूसरा हैडमास्टर तक नहीं लग पाया है।

ऐसे सैकड़ों स्कूल हैं, दो-चार तो मेरे निर्वाचन क्षेत्र में हैं। यह हालत आज शिक्षा जगत की हो रही है। पता नहीं गांव के बच्चों को आप पढ़ाना चाहते हैं या उनको पीछे धकेलना चाहते हैं ताकि शहरों के बीच में आकर कहीं गांव के लड़के हस्तक्षेप न करें। चाहे वह सरकार हो, चाहे पहले वाली सरकार हो, दोनों सरकारों की एक ही नीति है और गांव के लोग आज इस बात को सोचने के लिए मजबूर हुए हैं। आखिर आज गांवों में अध्यापक क्यों नहीं लगा पाते। आज सैकण्डरी स्कूल बनने के बाद दो साल तक भी प्रधानाध्यापक क्यों नहीं लग पाते? वहां प्रयोगशाला के सहायक वगैरा 10-10 साल तक क्यों नहीं लगा पाते, क्या कारण है? आज गांव में कोई अध्यापक या हैडमास्टर लगायेंगे तो वह एक-दो महीने में वापिस शहर में पोस्टिंग करा लेगा। गांवों में कोई रहना नहीं चाहता। आखिर आप इन स्कूलों को कैसे चलायेंगे? इन गांवों के स्कूलों का और लड़कों का धणी धोरी कौन रहेगा?

आज गांवों के स्कूलों से जिस प्रकार टी. सी. कटवा कर लड़के शहरों की ओर जा रहे हैं यह बहुत चिन्ता का विषय है और इस पर सरकार को ध्यान देना होगा। मैं तो कहूंगा कि प्राइमरी और मिडिल स्कूलों को आप जिला परिषद् और पंचायत समितियों से वापिस लेकर इनका एक अलग से निदेशालय बना दीजिए। चाहे उनका कण्ट्रोल पंचायत समिति जिला परिषद् करें परन्तु उनकी पोस्टिंग में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार जिला परिषद् और पंचायत समिति में होती है वह किसी से छिपी नहीं है। यदि फिर भी आँख मींच कर इस प्रकार की प्रक्रिया को चलने देंगे तो प्राइमरी और मिडिल स्कूलों का एक तरह से राजनीतिकरण हो गया। आपकी सरकार आई तो आपने और हमारी सरकार आई तो हमने उसका राजनीतिकरण कर लिया। जचे जिसको मास्टर लगा दिया, जचे जिसको हटा दिया तो आखिर इन अध्यापकों और शिक्षा जगत का क्या होगा? आज एक मास्टर राजनीति के आधार पर लगा है चाहे उसकी मेरिट कम है और अच्छी मेरिट

(श्री परसादी लाल मीणा)

वाले को प्रधान या प्रमुख ने अवोइड करके उसको लगा रखा हैं, वही सेकेण्ड ग्रेड में या आगे और ऊपर चला जाएगा और अच्छी मेरिट वाला रह जाएगा।

आज गांवों के स्कूलों में मिडिल स्कूलों में एक-एक टीचर है कई में जो मिडिल स्कूल दो साल पहले खोली थीं वहां एक भी टीचर नहीं है एक दो में तो ताला लगा हुआ है। आखिर इन स्कूलों को चलाना है या नहीं, सरकार को यह दृष्टिकोण पहले ही बनाना होगा। मैं तो कहूंगा कि प्राइ-मरी और मिडिल स्कूलों का अलग से निदेशालय बना कर उनका कन्ट्रोल चाहे जिला परिषदें और पंचायत समितियां करें पर पोस्टिंग और ट्रांसफर के अधिकार जैसे जिला शिक्षा अधिकारी होते हैं, उनको ही रहने चाहिए तब तो यह स्कूल और मास्टर ठीक तरह से काम कर सकते हैं नहीं तो मास्टर को भी भय रहता है कि मेरा ट्रांसफर कब हो जाय। वह किस प्रकार से मास्टर लगता है, किस प्रकार से नहीं लगता यह किसी से छिपा हुआ तथ्य नहीं है।

शिक्षा मंत्री जी, आज गांवों के स्कूलों में कोई प्रयोगशाला का सामान नहीं हैं। सरकार ने कुछ प्रावधान रखा है कि 5-7 जिलों में हम यह विज्ञान की प्रयोगशाला उपलब्ध कराएंगे। मैं कहता हूं कि सिर्फ 5-7 जिलों को देकर क्या आप राजस्थान का भला कर सकते हैं? क्या सब को समान शिक्षा दे सकते हैं? सरकार एक तरफ तो कह रही है कि सब को बराबर शिक्षा देंगे, गांवों को भी देंगे लेकिन आज शहरों में ही ज्यादातर शिक्षा का पैसा इस्तेमाल करते हैं। गांवों में बहुत कम करते हैं। आज गांवों की स्कूलों में मास्टर नहीं है और शहरों की स्कूलों में सरप्लस चल रहे हैं। जयपुर शहर में कम से कम 100 अध्यापक सरप्लस हैं। मैंने निदेशक, शिक्षा को पिछले साल चिट्ठी लिखी कि मेरे क्षेत्र में सात स्कूलों में साल भर से हैड मास्टर नहीं हैं। उन स्कूलों का क्या भविष्य है? साल भर तक अंग्रेजी का, विज्ञान का अध्यापक नहीं। आखिर वहां के बच्चे किस प्रकार बोर्ड की परीक्षा देंगे आखिर उनका क्या होगा, यह बहुत ही चिन्ता का विषय है।

एक मेरा आपसे अनुरोध है शिक्षा मंत्री जी, क्या संस्कृत विभाग में कोई कानून-कायदा, नियम को जानने वाला नहीं है? न वहां का डायरेक्टर जानता है, न वहां का एजूकेशन सचिव विभाग के नियम जानता है। वहां के विभाग के कोई अधिकारी कानून-कायदे को कुछ नहीं जानते। आज मैं आपको मेरे क्षेत्र की एक समस्या है वहां पर एक सनातम धर्म शास्त्री कालेज नाम से अनुदानित संस्था है। उसकी अनुदान राशि पिछले साल रोक दी। यह आब्जेक्शन लगा कर कि इसकी प्रापर्टी से किराये की जो आय होती है उसको बताइये मत। अगर इसमें शो करेंगे तो वह पैसा हम काटेंगे। जब कि रूल 5-डी में स्पष्ट प्रावधान है कि आपके रिजर्व फण्ड के ब्याज से जो आय होगी या प्रापर्टी-मकान, दूकान जो भी हो, उससे आय होगी वह संस्था की होगी और बहुत सी संस्थाएं हैं जिनके पास ऐसी इन्कम है। उनकी राशि नहीं काट कर लालसोट की

(148)

(श्री परसादी लाल मीणा)

संस्था को बरबाद करने पर विभाग तुला हुआ है। रूल 5-डी में स्पष्ट प्रावधान है, हमने रूल में अमेण्डमेंट हुआ वह भी बता दिया विभाग वालों को पर उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। 1975 में एक अमेण्डमेंट हुआ था उसका भी हवाला दे दिया पर उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। मेरा अनुरोध है कि आपका विभाग चाहे संस्कृत का हो चाहे दूसरे हों उनको कम से कम कानून कायदे से काम करना सिखाइये और उनको कहिये कि यदि संस्था की नाजायज रूप से अनुदान राशि रोकी जाती है तो विभाग के अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करो। यह उन संस्थाओं को बन्द करने पर तुले हुए हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। जो अनुदानित संस्थाएं इनको मन्थली या साल भर का कुछ दे देती हैं उनका तो गैर कानूनी भी अनुदान पास कर देते हैं। जो नहीं देते हैं उनको तरह-तरह से परेशान किया जाता है, सताया जाता है और मजबूर किया जाता है कि यह संस्थाएं बन्द होने की हालत में आयें। मैंने आपके स्पेशल एजूकेशन सेक्रेटरी, डायरेक्टर को बता दिया, विभाग के डबल ए. ओ. को बता दिया कि रूल 5-डी पढ़िये उन्होंने एक नोटिस दिया कि "उपरोक्त विषय के संबंध में अनुरोध है कि आप द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण सन्तोष-जनक नहीं है तथा अनुदान नियम 5-डी का स्पष्टीकरण भी नहीं है। उक्त नियम में आदेश एफ-2/194/एजूकेशन/6/66 दिनांक 23.3.68 अब इसके बाद इनको पता नहीं कि रूल में अमेण्डमेंट हो गया है। 75 में रूल में अमेण्डमेंट हुआ है उस आर्डर को आपने स्टे किया है उसका आपके विभाग के अधिकारियों को ध्यान ही नहीं और इसके कारण संस्था की पिछले साल की सारी अनुदान राशि रोक दी। इसके कारण संस्था के कर्मचारियों को चार महीने से पेमेन्ट नहीं हो रहा है। आज संस्था बन्द होने की हालत में आ रही है। इससे भी पहले विभाग के अधि-कारियों की जो इस संस्था के साथ इस तरह की चालाकियां हैं, वर्ष 83-84 का एक लाख रुपया रोक कर बैठे हैं। कई बार मैंने इनको व्यक्तिगत अनुरोध किया कि आप इन संस्थाओं की इस प्रकार की अनुदान राशि रोकिये मत बड़ी मुश्किल से तो इन संस्थाओं को चलाया जाता है, इस जमाने में चलाना भी मुश्किल हो रहा है। मेरा विनम्र निवेदन है कि इस प्रकार जो अनुदान राशि रोकी जाती है उनकी तरफ आप विशेष ध्यान दें।

एक मेरा अनुरोध है कि जो गांवों की शिक्षा है, जैसा आज पंचायत मंत्री जी ने कहा कि तीन हजार जो खोली स्कूलें वह बन्द कर रहे हैं। मेरा स्पष्ट मानना है कि जिस गांव में एक दो पहले स्कूल थे और वहां खोल दिये उनको बन्द कर दें, हमें कोई दिक्कत नहीं है परन्तु जिस गांव में आजादी के बाद अब तक स्कूल नहीं और 3-4 सौ की आबादी है वहां पर कम से कम एक स्कूल तो रखिये। आज खोल दिया, चालू कर दिया, कल बन्द करेंगे तो बदनामी आपकी होगी। हम तो कहेंगे, गांव की विरोधी सरकार है क्योंकि सारे मंत्री शहरों से आये हैं इसलिए गांव की कोई

(श्री परसादी लाल मीणा)

सुनता नहीं। तो इस प्रकार जो स्कूलों को बन्द करने का अभियान है जिससे आज गांवों में दहशत है कि गांव की स्कूल बन्द हो जाएगी। मैंने सुना है आपके शिक्षा विभाग ने एक आर्डर निकाला है कि जिन स्कूलों में स्टाफ नहीं लगा है जो सेकेण्डरी स्कूल गत वर्ष खोली थी और उनमें स्टाफ नहीं लगा या जहां पर कोई एडमिशन नहीं हुआ उन स्कूलों को बन्द करेंगे तो स्टाफ नहीं लगाने की किसकी जिम्मेदारी थी और स्टाफ ही नहीं लगेगा तो एडमिशन कैसे होगा ? मेहरबानी करके जो स्कूलें खोल दीं, उन स्कूलों को आप बन्द करें तो कम से कम लोगों को यह नहीं सिखाइये कि हमने स्कूलें राजनैतिक बदले की भावना से बन्द करी हैं। आप नये स्कूल नहीं खोल रहे हैं, वो मजबूरी मैं आपकी समझ रहा हूं। पर ठीक भी है सरकार का सोचना कि पहले की स्कूलें जब तक मजबूत नहीं होंगी वहां पर्याप्त स्टॉफ नहीं लगे जब तक आगे स्कूलें खोलना ठीक नहीं है पर यह नहीं कि आपने जो स्कूलें खोली हैं उनको बन्द कर दो। यह कहां का औचित्य है ? आपने दो कालेज खोलने की बात कही है। मेरा आपसे अनुरोध है कि यहां पर कालेज शिक्षा मंत्री जी नहीं हैं। दो कालेज खोलने से क्या होगा ? मुझे ऐसा डर लग रहा है कि बालोतरा से आने वाले माननीय सदस्य चिल्ला-चिल्लाकर कह रहे हैं और भी चिल्लायेंगे और मैं भी चिल्ला रहा हूं कि शायद एक कालेज तो माननीय अध्यक्ष जी के खुलेगा और दूसरे कालेज का माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहीं वायदा कर लिया होगा वहां। तो बाकी मैम्बर क्या करेंगे ? आप क्या करेंगी माननीय शिक्षा मंत्री जी ? यह बहुत चिन्ता का विषय है। इस प्रकार से राजनीतिक फायदा मत उठाइये। कोई विधान सभा अध्यक्ष बन गया, कोई मिनिस्टर या कोई मुख्य मंत्री तो कोई बड़ा मंत्री बन गया। यदि इस प्रकार आप एक-दो कालेज खोल कर हमसे फायदा उठावोगे तो राजस्थान की जनता जो इस बात को बड़ी पैनी नजर से देख रही है कि दो कालेज कहां खुलेंगे ? हमसे भी पूछा कि कहां खोले जायेंगे ? एक तो माननीय भाभडा जी के वहां खोला जायेगा रतनगढ़ में माननीय अध्यक्ष जी के। दूसरा कहीं मुख्य मंत्री जी ने कह दिया होगा तो वहां खोला जायेगा। बालोतरा वाले पांच साल से चिल्ला रहे हैं। हमारी सरकार ने भी नहीं खोला। हमने भी कहा था कि कालेज खोलो। आज गांव के लड़के जो आपने सीनियर हायर सेकेन्डरी स्कूल खोल दिये आखिर वो एडमिशन लेने कहां जायें ? आज बड़ी परेशानी हो रही है कि लड़के तो अधिक संख्या में पढ़ रहे हैं। आपने दस-पन्द्रह साल में कोई कालेज नहीं खोला राज्य में। आज लड़के कहां एडमिशन लेंगे ? जहां पर सौ की कैपेसिटी है तो सौ का एडमिशन होगा और अगर दो सौ लड़के पास हो गये तो उनका एडमिशन कहां होगा ? मेरा आपसे अनुरोध है कि यह जो आपने दो कालेज खोलने का जो प्रस्ताव इस साल में रखा है, आप उस प्रस्ताव में और ज्यादा संख्या बढ़ायें। नहीं तो जनता यह कहेगी कि ज्यादा प्रभावशाली होता है मुख्य मंत्री हो चाहे माननीय स्पीकर हो वे ज्यादा अपने प्रभाव का

(श्री परसादी लाल मीणा)

उपयोग करके और दो कालेज खुलवा लेंगे। मेरा आपसे अनुरोध है कि गांवों की स्कूलों को मजबूत करने के लिए वहां पर्याप्त भवन व्यवस्था होनी चाहिए। आप भवनों के लिए भी पैसा रखिये। आज गांवों में क्या है कि सैकेण्डरी स्कूल खोल दी। कैसे भी खुल गयी। कई विपक्षी सदस्यों के भी खुली हैं और हमारे भी खुली है तो उसमें आज भवन नहीं है। वहां पर कोई प्रयोगशाला का कमरा नहीं है। आप कम से कम स्टाफ लगाने के साथ वहां पर आप भवन पर पैसे भी लगाएं। कभी भी, मेरे गांव में स्कूल खुले हैं, मैं बता रहा हूं आपको वहां सरकार ने एक रुपया भी नहीं लगाया है। वहां कम से कम 22 कमरे जो गांव के जन सहयोग से बनाये, ऐसा सब जगह नहीं होता है। पर वहां पर जो सैकेण्डरी स्कूल है जबकि वहां एक हजार की कैपिसिटी की स्कूल है, लड़के हैं वहां पर आज सब लड़के छोड़कर जा रहे हैं। साल भर से वहां हैडमास्टर नहीं, कोई वहां पर स्टाफ नहीं है, पता नहीं क्या हो रहा है? मैंने डाइरेक्टर साहब से भी कहा था कि आप ऐसे कैसी व्यवस्था कर रहे हैं कि स्कूल में कोई मास्टर नहीं, तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आपने.... ।

श्री अनंग कुमार जैन : जायेंगे ही वहां से लड़के छोड़कर....।

श्री परसादीलाल मीणा : दूसरी जो समाज कल्याण की बात है उसमें आज छात्रावास की जो हालत है सभापति महोदय, वह किसी से भी छुपी हुई नहीं है। आपके क्षेत्र में होंगे तो आपको भी पता होगा कि क्या है? न वहां बिस्तर हैं, न वहां कोई फीस जमा करवाते हैं, न उनको कोई कपड़ा देते हैं। न कोई किताब देते हैं। केवल एक टाइम, कोई ईमानदार हो तो वह भी एक टाइम खाना खिला दे। नहीं फर्जी तो उसमें नाम लिख लिये जाते हैं, फर्जी हाजरियां की जाती हैं। होस्टल का पैसा जो अनुदानित संस्थायें हैं वे खूब मालामाल हो रही हैं, वे खूब लोगों का शोषण कर रही हैं, माननीय मंत्री जी आप इस ओर ध्यान दीजिए कि वहां पर कितने तो बैड हैं कितने कमरे हैं? जिस किसी अनुदानित संस्था ने कह दिया कि हमने फलां मकान में चला रखा है, मैं सही बता रहा हूं, मैं मेरे क्षेत्र की बात बता रहा हूं। वहां पर एस. सी. का होस्टल चलाती है एक संस्था। वहां पर कोई मकान नहीं है। सारी फर्जी हाजरियां की जाती हैं। न कोई उसने मकान किराये पर ले रखा है सब फर्जीवाड़ा होता है। तीन साल तक पहले बंद रहा था..।

श्री भंवरलाल शर्मा : कब से कर रहे हैं?

श्री परसादीलाल मीणा : पता नहीं कब से कर रहे हैं? न किसी को खाना खिलाते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं और वे खूब पैसा उठा रहे हैं। हर साल बराबर पैसा उठा रहे हैं। ऐसे जो होस्टल चल रहे हैं जहां कोई व्यवस्था नहीं है। और आपने 170 रुपये, वे कहते हैं कि हमको 170 रुपये ही सरकार देती है तो हम कैसे होस्टल चलायें? अब यह भी सवाल है कि आप 170 रुपये का उपयोग नहीं कर रहे हैं, सरकार और देगी तो आप और ज्यादा चोरी करेंगे । जो

(श्री परसादी लाल मीणा)

अनुदानित होस्टल राज्य में, सारे राज्य में चल रहे हैं, उनका आप सरकारीकरण करिये और वहां पर आप सरकार की व्यवस्था करो। सरकार ही उनका संचालन करे जब तो कोई इन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के छात्रों का भला हो सकता है लेकिन आपने इन संस्थाओं के भरोसे यदि उनको छोड़ देंगे आप इनकी वही हालत रहेगी, इनकी हालत में कोई सुधार नहीं आयेगा। आप चाहे उनको जो 170 रुपये महीने जो देते हैं, वह भी आप बंद कर दो...।

श्री मदनलाल सैनी : यह व्यवस्थायें तो सब आपने ही तो की थीं। अब रोकेंगे इसको, अब ठीक करेंगे इसको।

श्री परसादीलाल मीणा : आप वही व्यवस्था तो दे रहे हैं जो हमारी व्यवस्थायें थीं। मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि आप इस व्यवस्था को बदलिये...।

श्री मदनलाल सैनी : बदलेंगे, जरूर बदलेंगे। (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : हम कह रहे हैं कि ठीक नहीं है। हम कह रहे हैं कि मिडिल स्कूल जो दिये हैं, जिला परिषद को ठीक नहीं दिये थे, आप वापस लेने की हिम्मत करिये ना। आप भाषण दे आते हैं, आपकी पार्टी का मंत्री भाषण दे देगा, माननीय मुख्य मंत्री जी दे देंगे कि हम मिडिल स्कूलों को जिला परिषद से ले रहे हैं। ले क्यों नहीं रहे हैं? आपने स्कूलों में मास्टर लगाना बंद कर दिया। आज सब स्कूलों को बंद करने की कोशिश कर रखी है आपने। या तो आप मेहरबानी करके मास्टर लगाइये, मिडिल स्कूलों में या आप उनको शिक्षा विभाग को लेकर कोई भी फैसला करो, पर माननीय मंत्री जी आपको फैसला आज करना पड़ेगा और आज आपको करना चाहिए। उनके भरोसे कुछ नहीं होने वाला है। मैं आपको कह रहा हूं। या तो आप मिडिल स्कूलों में मास्टर लगाने के लिए मैरिट के आधार पर जिला परिषदों को अधिकृत कीजिये। नहीं तो उसको शिक्षा विभाग में लेकर वहां पर स्कूलों को चलाने की व्यवस्था आप करिये। नहीं आज गांवों में यह हालत हो रही है कि दो-दो साल से स्कूल खुले वहां आपका विभाग का, या कोई भी अध्यापक नहीं है। ऐसी हालत गांव की हो रही है तो आप शहरों में देख लो दूसरी तरफ। शहरों में क्या है? अच्छी से अच्छी स्कूल, एडेड संस्थायें खूब सरप्लस स्टाफ, कौन सी स्कूल है कि शहरों में। आप यह बतायें कि जयपुर में कितना सरप्लस स्टाफ लगा हुआ है? उनको क्यों नहीं गावों में भेजा जा रहा है। तनख्वाह वे गांवों से ले रहे हैं, काम कर रहे हैं जयपुर में। ऐसा क्यों हो रहा है? कई अध्यापक, कम से कम सौ अध्यापक तो ऐसे हैं, जिनकी ड्यूटी गांवों में है और काम यहां पर कर रहे हैं। तनख्वाह वहां गांवों के बजट से ले रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? इनको नहीं रोकेंगे तो आखिर एजूकेशन का होगा क्या गांव का? मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप जब अपनी रिप्लाई दें तो मैंने जो दो-तीन मुद्दे उठाये हैं, एक तो संस्कृत और

(परसादीलाल मीणा)

एक लालसोट का। दूसरा यह कि गांवों की जो मिडिल स्कूलें हैं या तो आप इनको एजूकेशन में दीजिए या जिला परिषदों को जो इन्होंने कहा कि मेरिट के आधार पर बनायेंगे, जिला परिषदों को बजट दीजिए। आज यह हालत हो रही है कि गांव की उसका कोई धनीधोरी नहीं है। कोई भी उनको देखने वाला नहीं है। आज गांव में जाते हैं तो आप भी जाते होंगे सभापति महोदय, आप तो शहर से आने वाले हैं, हमारी हमको पता है चाहे किसी की पार्टी की सरकार हो....।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप अपनी बात संक्षेप में कहिए।

परसादीलाल मीणा : आज स्कूलें खुल गई और आपने अब तक नहीं कहा जिला परिषदों को, एजूकेशन को कि वहां स्टाफ लगाइये।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : अपन हैं, अपन में आप हैं, हम हैं, गांवों के धणीधोरी हैं।

श्री परसादीलाल मीणा : आपने समय दिया उसके लिए बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री राजेन्द्र जी राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : सभापति महोदय, आज सदन में जिस विषय पर चर्चा हो रही है वह अति महत्वपूर्ण विषय है। किसी भी देश और प्रदेश की प्रगति के लिए शिक्षा का प्रसार और साक्षरता होना अत्यन्त आवश्यक होता है। हमारा प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में तेरहवें स्थान पर है। करोड़ों रुपये खर्च करने के पश्चात् भी शिक्षा के मामले में हमारी स्थिति बड़ी चिन्ताजनक है। कुछ समय पहले कांग्रेस के शासन में शिक्षा नीति में आमूलचूल परिवर्तन हों, शिक्षा नीति में नई क्रान्ति आये, इसके लिए नई शिक्षा नीति को लागू किया गया। नई शिक्षा नीति पर पूरे देश में बहस चली। परन्तु इस नई शिक्षा नीति का जो प्रारूप है, उसको देखने से ऐसा महसूस होता है कि दून स्कूल की संस्कृति को बढ़ावा देने वाली यह शिक्षा नीति है। इस नीति के अन्तर्गत व्यावहारिक रूप से हमारे प्रदेश की जो स्थिति है, उससे यह नई शिक्षा नीति मेल नहीं खाती है। इसमें कोई शक नहीं है कि लार्ड मैकाले ने जिस शिक्षा नीति को हमारे देश में लागू किया और जिस तरह की मन में भावना उस समय के ब्रिटिश हाकिमों के मन में थी कि शिक्षा इस तरह की दी जावे कि हिन्दुस्तान में रहने वाला हिन्दुस्तानी नागरिक गुलामी की मानसिकता में जिए। उसमें जरूर सुधार होना चाहिए और इस शिक्षा नीति के अन्दर अनौपचारिक शिक्षा को बढ़ावा देने की बात जरूर कही गई। इसमें कोई शक नहीं कि वर्तमान में जो शिक्षा नीति है, उसमें औपचारिक शिक्षा को ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है और उस शिक्षा का महत्व जब विद्यार्थी अपनी स्नातक और स्नातकोत्तर की परीक्षा पास करने के बाद व्यावहारिक जीवन में जाता है तो कोई संबंध नहीं होता। परन्तु मेरा यह सुझाव है कि शिक्षा नीति में परिवर्तन होना चाहिए, इसके बारे में हमें पुनर्विचार

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

करना चाहिए। खासतौर से, राजस्थान की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए जो इन्होंने अनौपचारिक शिक्षा की बात कही है, उस शिक्षा के अन्दर हमें हमारी स्थानीय परिस्थितियों को भी ध्यान में रखना चाहिए। जिस तरह टौंक जिले में स्टेट टेनरीज है, अगर हम उस जिले के अन्दर औपचारिक शिक्षा के साथ-साथ एक नॉन कन्वेंशनल सबजेक्ट टेनरीज पर पढ़ायें तो उसका काफी लाभ मिलेगा। क्योंकि थ्योरिटिकल हिस्सा पढ़े कक्षा में और उसका उपयोग प्रेक्टिकली रूप से वह उसी क्षेत्र में कर सकता है। इसी तरह जयपुर के अन्दर जो सांगानेरी प्रिंटिंग का मामला है उसको भी अगर हम अनौपचारिक शिक्षा के रूप में इन्ट्रोड्यूस करें तो उसका भी काफी फायदा हमें मिल सकता है। परन्तु जो आपरेशन ब्लैक बोर्ड और जोब ओरिएन्टेड एजूकेशन की बात इस नई शिक्षा नीति के अन्तर्गत कही गई, यह पूर्णतया विफल साबित हुई है। इसलिए मेरा यह सुझाव है कि औपचारिक शिक्षा के अन्दर अनौपचारिक नॉन कन्वेंशनल सबजेक्ट्स को भी शामिल किया जाय ताकि शिक्षार्थी को अपने व्यावहारिक जीवन में इन चीजों का लाभ हो।

(3.00 म. प.)

इसके अलावा, सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान उच्च शिक्षा की तरफ दिलाना चाहता हूं। हमारे प्रदेश के अन्दर पूर्व में जो हुकूमत थी उन्होंने कभी हमारे प्रदेश में उच्च शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं दिया। थोथी वाहवाही लूटने के लिए राजस्थान विश्व विद्यालय का जो हमारा सबसे पुराना इतिहास रहा है उसको तोड़कर तीन टुकड़े कर दिए गये और यह घोषणा कर दी कि कांग्रेस ने अपने शासन में तीन नये विश्व विद्यालय स्थापित कर दिए। राजस्थान विश्व विद्यालय का जो पत्राचार संस्थान यहां चलता था, उसको कोटा के अन्दर स्थानान्तरित कर दिया गया। एक इमारत को किराये पर लिया गया, बाहर बोर्ड लटका दिया गया–कोटा ओपन विश्व विद्यालय। आज दो साल हो चले हैं, दो साल के अन्दर आज उस विश्व विद्यालय में नये विद्यार्थियों को भर्ती नहीं किया गया। मात्र वह पुराने विद्यार्थी, जो पत्राचार से राजस्थान विश्व विद्यालय में परीक्षा दिया करते थे, फेल हो गये, उनकी परीक्षा आयोजित की जा रही है। करोड़ों रुपये खर्च करने के पश्चात् कोटा खुला विश्व विद्यालय के अन्दर किसी तरह के नये प्रवेश नहीं दिए जा रहे और दो वर्ष से एक चर्चा चलाई जा रही है कि कोटा विश्व विद्यालय नया सिलेबस बनायेगा। इस विश्व विद्यालय के अन्दर चयन में, नियुक्तियों के अन्दर जो गड़बड़ियां हुई हैं, जो समाचार पत्रों के माध्यम से कई बार जानकारी में आती है, उन गड़बड़ियों को देखते हुए महसूस होता है कि यह विश्व विद्यालय प्रदेश के विद्यार्थियों को तो किसी तरह की राहत पहुंचायेगा नहीं, परन्तु भ्रष्टाचार और अनियमितताओं में जरूर कीर्तिमान स्थापित करेगा। कोटा विश्व विद्यालय के नाम पर हाड़ौती सम्भाग के विद्यार्थियों के साथ मजाक किया गया है। इसलिए मेरा सुझाव है कि इस कोटा खुला विश्व-

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

विद्यालय के स्थान पर अगर हाड़ौती विश्व विद्यालय की स्थापना की जाती, जिसके अन्दर हाड़ौती सम्भाग के समस्त महाविद्यालयों को जोड़ कर पूर्ण रूप से एक स्वायत्तशाषी विश्व विद्यालय बनाया जाता तो शायद उस सम्भाग के विद्यार्थियों को और उस सम्भाग को अवश्य कोई फायदा होता।

सभापति महोदय, जो दूसरा विश्व-विद्यालय खोलने की बात कही गई कांग्रेस हुकूमत में, अजमेर विश्व विद्यालय उसका नाम दिया। अजमेर के अन्दर जो राजकीय महाविद्यालय था उसके छात्रावास को रातों-रात खाली करवा कर एक बड़ा सारा बोर्ड लटका दिया गया—अजमेर एफिलेटेड यूनिवर्सिटी, अजमेर और राजस्थान विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन से कुछ अधिकारियों को, कुछ कर्मचारियों को प्रमोशन देने के लालच पर या अन्य किसी तरह स्थानान्तरित कर अजमेर में बैठा दिया। अजमेर विश्व-विद्यालय की स्थापना के बाद इसमें कितना भ्रष्टाचार हुआ है, उसका अपने आप में एक इतिहास है। अजमेर विश्व विद्यालय में बिना बोर्ड ऑफ स्टडीज के, एकेडेमिक कौंसिल की बैठक किए बिना सिलेबस तय कर लिया गया। बिना परचेज कमेटी के पचास लाख की किताबों की खरीद फरोख्त कर ली गई। शिक्षा जगत के अन्दर, जो सरस्वती का पवित्र मन्दिर है, उसके अन्दर अगर भ्रष्टाचार हो तो यह सबसे गम्भीर बात है। मैं आपके माध्यम से सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि पार्टी लाइन से ऊपर उठकर हमें इस शिक्षा के बारे में सोचना चाहिए। जो सर्वोच्च संस्थाएं हैं—चाहे वह अजमेर विश्व विद्यालय हो, चाहे कोटा विश्व विद्यालय हो, चाहे राजस्थान विश्व विद्यालय हो, समस्त विश्व विद्यालय कुलपतियों के लिए गुटबन्दी, स्वार्थपरता, अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए एक अखाड़ा बन गये हैं। शिक्षा का जो महत्व है और जो हमारे यहां के विश्व-विद्यालय का इतिहास रहा, उस इतिहास को और उसकी गरिमा को पूर्णतया कलंकित कर दिया गया। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि अजमेर विश्व-विद्यालय के अन्दर जिस तरह की गड़बड़ियां हुई हैं, उन गड़बड़ियों को देखते हुए विश्व विद्यालय अनुदान आयोग ने अनुदान की राशि देने से इन्कार कर दिया, यह बहुत गम्भीर बात है। इसलिए जो अनियमितताएं हुई, जो समाचार पत्रों में भी छपी, उन अनियमितताओं के बारे में, उन गड़बड़ियों के बारे में, उन भ्रष्टाचारी चीजों के बारे में एक उच्च स्तरीय समिति बना कर पूरे प्रकरण की जांच होनी चाहिए।

सभापति महोदय, अब मैं आपके माध्यम से राजस्थान विश्व विद्यालय की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। राजस्थान विश्व विद्यालय में जब से माननीय कुलपति सिन्हा साहब का पदार्पण हुआ है, विश्व विद्यालय का वह इतिहास जिसका पूरे हिन्दुस्तान के अन्दर एक स्थान था, उस स्थान से खिसक कर बाइसवें स्थान पर यह विश्व विद्यालय आ गया। फिजिक्स, बोटनी, हिन्दी एवं

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

फिलोसफी के चयन के अन्दर जो व्यक्ति निर्धारित न्यूनतम योग्यता नहीं रखते थे, उन लोगों का चयन करके रीडर और प्रोफेसर बना दिया गया और जिनके पास इनकी योग्यता थी उन लोगों को नजर-अन्दाज कर दिया गया। इस तरह की अनियमितता राजस्थान विश्व विद्यालय में हो रही है। प्रश्न-पत्र वाला मामला पहले भी सदन में आया, राजस्थान विश्व विद्यालय के 54 प्रश्न-पत्र ऐसे हैं जो खुले बाजार में बिके और जब आधी से अधिक परीक्षाएं हो गई और विश्व विद्यालय प्रशासन के सामने हम लोगों ने जाकर कहा कि कल आने वाले प्रश्न पत्र का प्रारूप यह होगा तब उन्होंने आनन-फानन में एक कमेटी बनाई और उस कमेटी ने खुद ने माना कि 18 प्रश्न पत्र आउट हुए जबकि मेरी व्यक्तिगत जानकारी में है कि राजस्थान विश्वविद्यालय के अन्दर कोई सा ही ऐसा प्रश्न पत्र रहा था जो समय से पहले बाजार में बिकने के लिए नहीं आ गया। यह बहुत गम्भीर मसला है। पूरी परीक्षा की सेंन्टिटी समाप्त हो गई, राजस्थान विश्वविद्यालय की गरिमा समाप्त हो गई। अब राजस्थान विश्वविद्यालय का जो कलैण्डर था, जो शैक्षणिक सत्र था वह सत्र भी बिल्कुल डिस्टर्ब हो गया। लगातार आठ साल से सत्र नियमित था। इस बार 20 जुलाई तक परीक्षाएं हो रही हैं और 20 जुलाई तक परीक्षाएं इसलिए चल रही हैं कि 34 दिन तक प्राध्यापकों की हड़ताल रही, जब हड़ताल रही जब पूरा कैम्पस चल रहा था तो माननीय कुलपतिजी छुटिट्यां मनाने के लिए विदेश रवाना हो गये। यह कितनी दुःखदायी बात है ? सर्वोच्च संस्था का सर्वोच्च अधिकारी, जब कैम्पस के अन्दर, परिसर के अन्दर प्राध्यापक लोग अपनी बातों को लेकर, छोटा सा मुद्दा था, किसी महाविद्यालय में किसी छात्र और एक प्राध्यापक में तकरार हो गई, अगर माननीय कुलपतिजी चाहते तो मामला सुलट जाता परन्तु इन्होंने इस चीज को नजर-अन्दाज किया और 34 दिन प्राध्यापकों ने हड़ताल की। इसी तरह अकारण ही कर्मचारियों ने 56 दिन तक हड़ताल की और इस हड़ताल के दौरान भी कुलपतिजी गोवा घूमने चले गये। यह कितने दुख की बात है ? मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को यह आगाह कर देना चाहता हूं कि 20 जुलाई तक परीक्षा समाप्त होगी, उसके दो महीने बाद नतीजे आयेंगे, आगे दीपावली की छुट्टियां हैं कब प्रवेश होगा ? इस बार जो अगला सत्र है वह किसी भी हालत के अन्दर दिसम्बर या जनवरी से पहले आरम्भ नहीं होगा। आप इस विश्वविद्यालय को इन रहनुमाओं की अगुवाई के अन्दर कहां ले जाना चाहते हैं इसका फैसला आप कर लें। इस सम्बन्ध में सभापति महोदय, हमारे प्रदेश के अन्दर हमारी क्या नीति है ?

इसके अलावा सभापति महोदय, हमारे प्रदेश के अन्दर नयी शिक्षा नीति के तहत पांच आटोनोमस महाविद्यालय बना दिये। इन महाविद्यालयों को यह अधिकार दिया कि वे डिग्री जारी कर सकते हैं पर उन महाविद्यालयों द्वारा जारी की गयी डिग्री दूसरे किसी विश्वविद्यालय में या दूसरे किसी स्टेट के अन्दर मान्य है नहीं। जो छात्रों के जीवन के साथ खिलवाड़ है, छात्रों

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

को मालूम नहीं वह महाविद्यालय में पढ़ रहा है, जिस दिन नौकरी के लिए जायेगा या प्रतियोगिता में शामिल नहीं हो पायेगा उस समय मालूम पड़ेगा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इन पांचों आटोनोमस महाविद्यालयों को किसी न किसी विश्वविद्यालय के साथ मंत्रीजी, कृपया जोड़ दें ताकि उन में अध्ययन करने वाले हजारों हजार छात्रों के जीवन के साथ खिलवाड़ न हो।

इसके अलावा मैं आपके माध्यम से जिस क्षेत्र से चुनकर आया हूं उसकी एक दो बात कहना चाहूंगा। मैं जिस क्षेत्र से चुनकर आया हूं वह बहुत गरीब क्षेत्र है। लोगों को पीने का पानी नहीं है परन्तु फिर भी लोगों के मन में एक उत्साह है और उमंग है। लोगों ने किसी दानदाता को तैयार करके एक महाविद्यालय और एक छात्रावास बनवाया। 80 कमरों का छात्रावास जन सहयोग से बना हुआ है। वह बिना किसी कारण हुकूमत के लोगों ने राजनैतिक द्वेषता से बंद कर दिया। बार-बार शिक्षा मंत्री जी से आग्रह किया और मैं पुनः उनसे करबद्ध आग्रह करता हूं कि आप एक तरफ तो राज्य की राजधानी के अन्दर पढ़ने वालों छात्रों के लिए 10-10, 12-12, 15-15 छात्रावास खोलते हैं और दूसरी तरफ जनकल्याणकारी सरकार, जनकल्याणकारी कहलाने वाली सरकार, जनआकांक्षाओं की प्रतीक सरकार, जिला मुख्यालय पर एक ही छात्रावास और उस छात्रावास को अकारण बंद कर दिया। इसलिए मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री जी से पुरजोर मांग करता हूं कि इस पूरे प्रकरण की जांच करायें और उस क्षेत्र में छात्रावास को पुनः खुलवायें।

इसके अलावा सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र में एक स्कूल है जैन श्वेताम्बर स्कूल वहां 1974 से लेकर अब तक प्रशासक नियुक्त है। पूरा खर्चा राज्य सरकार वहन कर रही है, जन सहयोग से, 36 लाख रुपयों की उसकी इमारत बनी हुई है और निदेशक स्तर पर उस स्कूल का अधिग्रहण हो, उसकी कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है पर लगातार इतने वर्षों की कोशिश के बावजूद भी आज तक उस स्कूल का राज्य अधिग्रहण नहीं हुआ। मैंने व्यक्तिगत तौर पर भी निवेदन किया और अब आपके माध्यम से भी निवेदन करूंगा कि कृपया जैन श्वेताम्बर स्कूल को अधिग्रहीत करना चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, एक बात और कहूंगा कि जो सीखो कमाओ योजना प्रदेश के अन्दर प्रारम्भ की गयी है। उस सीखो कमाओ योजना के अन्दर अधिकारी तो लूटना सीख गये पर काम कहीं हुआ नहीं। लाखों रुपयों के घोटाले हुए और उसका नाम बदलकर यदि आप खाओ कमाओ योजना कर दें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा माननीय शिक्षा मंत्री जी कि इस परियोजना के अन्दर जो-जो गड़बड़ियां हुई हैं, आपको हम प्रमाण सहित गड़बड़ी देंगे आप जांच करावें और जांच में दोषी लोग हों, उनके खिलाफ कार्यवाही करें।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

मुझे आपने समय दिया उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जो मैंने सुझाव रखे हैं उन सुझावों को इसमें अंगीकार किया जायेगा और मैं अनुदान की मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री सभापति : श्री मांगीलाल मेघवाल।

श्री मांगीलाल मेघवाल (पाटन) : सभापति महोदय, मैं आज बजट की मांग संख्या 24 शिक्षा कला और संस्कृति एवं मांग संख्या 33 समाज कल्याण पर अपने विचार व्यक्त करूंगा। सम्मानीय सभापतिजी, जहां तक शिक्षा का प्रश्न है मेरे पूर्व वक्ताओं ने शिक्षा के बारे में कई बातें बतायीं। मैं तो तीन चार सुझाव जो इस समय परिस्थितियां हैं उनके बारे में निवेदन करूंगा कि विभाग द्वारा आज 9 जुलाई को भी सैकण्डरी और हायर सैकण्डरी के परीक्षा परिणाम घोषित नहीं होने से विभिन्न कक्षाओं में भर्ती में बहुत अवरोध पैदा हो रहा है तो मेरी मांग है कि इस महत्वपूर्ण मुद्दे को जिससे छात्रों का पूरे वर्ष भर का मामला जुड़ा हुआ है अतिशीघ्र यह परीक्षा परिणाम घोषित करके कुछ राहत पहुंचायें।

दूसरा शिक्षा विभाग राजस्थान का एक बहुत ही विशाल विभाग है जिसमें लाखों कर्मचारी कार्यरत हैं। मैं पुरजोर शब्दों में आपके माध्यम से मांग करूंगा कि राज्य सरकार द्वारा घोषित अनुसूचित जाति और जन जाति के आरक्षित पद हैं वह लम्बे समय के बाद भी नहीं भरे जा रहे हैं और द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी के अनुसूचित जाति और जनजाति के कई प्रशिक्षित अध्यापक आज बेरोजगारी के कारण अपने परिवार और स्वयं को लज्जित महसूस कर रहे हैं। अतः इन पदों को विशेष अभियान के माध्यम से भरा जाय और जो अनुसूचित जाति के लोगों में भावना है उसको दूर किया जाय और शिक्षा विभाग में अध्यापकों की कमी है उसको भी दूर किया जाय।

इसी प्रसंग में अभी 27 जून के मेरे प्रश्न के उत्तर में प्रौढ़ शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा का जो प्रश्न था उसमें बताया गया है कि प्रदेश में 20 हजार शिक्षा केन्द्र, प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र के रूप में चल रहे हैं और इसमें 6 करोड़ रुपया गत वर्ष के बजट में खर्च किया गया है। अनौपचारिक शिक्षा पर 3 करोड़ 57 लाख खर्च किया गया है। मैं पुरजोर शब्दों में मांग करूंगा इसको बंद करने की। मैंने बजट पर भी यह बात कही थी, इस पवित्र सदन में बिराजे हुए कौनसे माननीय सदस्य हैं जो नहीं जानते हैं कि प्रौढ़ शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा की क्या स्थिति है ? इस तरह से सरकार के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है इसलिए अतिशीघ्र इसकी व्यवस्थाओं में सुधार करके उस पैसे का उपयोग हो, ऐसी व्यवस्थाएं करें, यह मेरी मांग है।

जैसा मेरे पूर्व वक्ताओं ने बताया जहां तक कॉलेजों की बात है, माननीय सभापति महोदय, तहसील मुख्यालय और कस्बे हैं, नगरपालिका क्षेत्र हैं वहां कॉलिज हों, यह बड़ी महत्वपूर्ण मांग है। इसलिए मैं मेरे

(श्री मांगीलाल मेघवाल)

विधान सभा क्षेत्र में लाखेरी, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, टोंक के बीच का क्षेत्र है जहां 100 गांवों के छात्र पढ़ते हैं इसलिए मेरी मांग है कि लाखेरी में कॉलेज प्राथमिकता के आधार पर खुलवाएं। मेरे क्षेत्र के लोगों को पढ़ने की सहूलियत दी जाय ताकि शिक्षा का प्रसार ग्रामीण स्तर पर हो।

शिक्षा के विषय में ज्यादा न कहकर मैं मांग संख्या 33–सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के विषय में कहना चाहूंगा। मंत्री महोदय ने 80 करोड़, 28 लाख, 23 हजार की जो मांग प्रस्तुत की है उसके अन्दर राजस्थान में समाज कल्याण विभाग उन सारी संस्थाओं को, विशेषकर अनुसूचित, जनजाति के लोगों को, पीड़ित और असहाय लोगों को और जो समाज में उपेक्षित हैं उनकी सुरक्षा और व्यवस्था के लिए कार्यक्रम चला रहा है। इसमें माननीय सभापति महोदय, शैक्षणिक विकास के माध्यम से जो अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देकर, छात्रावासों के माध्यम से शिक्षा देकर उनको ऊपर उठाने की योजना इसके माध्यम से हो रही है। माननीय सभापति महोदय, अभी शिक्षा के प्रसंग में बताया कि सम्पूर्ण देश में हमारा नम्बर 13 है, शिक्षा का प्रतिशत सबसे कम है और उसमें भी अनुसूचित जाति अनुसूचित जन जाति के लोगों का प्रतिशत तो बहुत ही कम है। इस दृष्टि से जो समाज कल्याण विभाग छात्रावास के माध्यम से छात्रों को छात्रवृत्तियां देकर पढ़ा रहे हैं तो उनमें प्रवेश लेने के लिए अनुसूचित जाति के छात्रों को नवीं क्लास से लेकर आगे तक के छात्रों को जाति प्रमाण-पत्र लेने के लिए जिस प्रकार का शर्मनाक बर्ताव राजस्थान में अभी हो रहा है। 50-50 रुपये वसूल किये जा रहे हैं। लानत है इस तरह की व्यवस्थाओं पर। अनुसूचित जाति के विद्यार्थी 50-50 रुपये खर्च करके अपने प्रमाण-पत्र लेते हैं और 10-10 दिन तक डोलते फिरते हैं, उसके पास पैसा नहीं होता है। तहसील मुख्यालय पर जाता है, तहसील से जिला मुख्यालय पर जाता है और प्रमाण-पत्र के अभाव में उसका प्रवेश रुक जाता है। मैं पुरजोर शब्दों में मांग करता हूं कि यह जो कुछ प्रदेश में हो रहा है इसको रोका जाय और अनुसूचित जाति के प्रमाण-पत्र देने की प्रक्रिया का सरलीकरण कराकर इन विद्यार्थियों को जिनके जीवन का प्रश्न है जो विद्या के माध्यम से अपना जीवन ऊंचा उठाना चाहते हैं जो हमारे गरीब अनुसूचित जाति के भाइयों का सहारा बनेंगे, उस नींव पर जो इस तरह का कुठाराघात किया जा रहा है इसको रोका जाय।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में 495 छात्रावास हैं जिनमें 20 हजार छात्र छात्राओं को रखा जा रहा है। उनके लिए 3 करोड़ 51 लाख की व्यवस्था है। पर उनकी हालत ? मैंने विधान सभा की अनुसूचित जाति, जन जाति कल्याण समिति के साथ राजस्थान के 18 जिलों का दौरा करके देखा है। हम जैसलमेर में गये वहां के समाज कल्याण के अधिकारी नहीं जानते कि रामगढ़ में कहां छात्रावास चलाया जा रहा है। इससे ज्यादा उपेक्षा की बात क्या हो सकती है। हमने बाड़मेर में

(श्री मांगीलाल मेघवाल)

जाकर देखा है, हमने सीकर में जाकर देखा है, हमने नागौर में जाकर देखा है, वहां इस तरह की व्यवस्था है इस तरह के उनको सामान दिये जा रहे हैं। उनके खाने के बर्तन, भिखमंगों के यहां नहीं हैं, इस तरह के बर्तन उनको दिये जा रहे हैं। मैं पुरजोर शब्दों में मांग करता हूं जिस तरह से छात्रावासों, बिल्डिगों के लिए अनुसूचित जाति विकास सहकारी निगम के माध्यम से 10 करोड़ 91 लाख रुपया दिया गया है, उसी फण्ड में से अनुसूचित जाति के छात्रावासों के लिए, सामान की परचेजिंग के लिए विशेष रूप से कार्पोरेशन के माध्यम से पैसा इधर डाइवर्ट करके और यह जो नारकीय जीवन जी रहे हैं, उनको स्वतन्त्रता प्रदान करवायी जाये और विशेष छात्रवृत्तियों के माध्यम से जैसा बताया है, अनुसूचित जाति के उन स्नातक और स्नातकोत्तर बच्चों के लिए बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है। हमने सम्पूर्ण जिलों में जाकर के देखा है, कई बार देखा है। दो बच्चों को दिया गया है। हमने वहां के पी. एल. ओ. से पूछा। आपके पास क्या माध्यम है, जो आप इन बच्चों को इनवाइट करके इनको बुला रहे हैं। बोले, हमने कई अखबारों में दे दिया, कोई उसका विज्ञापन नहीं हो रहा है। कोई इस तरह की व्यवस्था विद्यार्थियों के लिए नहीं है और है तो हमने बाड़मेर में जाकर के पूछा तो वह कहने लगे हैड क्वार्टर जाकर रहेंगे। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के जिले डेढ़-डेढ़ सौ, सौ-सौ किलोमीटर दूर के हैं। अगर एक बच्चा वहां जिला मुख्यालय में रहकर के बेरोजगारी भत्ते की बात करता है तो वहां मकान लेगा तो 200 रुपया उसको मकान किराया भी देना पड़ेगा। इस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं, इसमें मैं पुरजोर शब्दों में मांग करता हूं, इस तरह की जो अनियमितता है, इस तरह के जो कानून आपने बना रखे हैं, उनको सुधार करके यह जो छात्रावासों के माध्यम से, छात्रवृत्तियों के माध्यम से हमारे अनुसूचित जाति के उन विद्यार्थियों को ऊपर उठाने की जो योजना है, इसका सरलीकरण किया जाये और सरकार का ज्यादा से ज्यादा पैसा उसमें रखा जाये। माननीय सभापति महोदय, मैंने जैसा कि आपको निवेदन किया था, अनुसूचित जाति के लोगों और पीड़ित और असहाय लोगों की भी सहायता के लिए यह जा रहा है। इसी में मैं आपको बताऊंगा। वृद्धावस्था पेन्शन, इसी समाज कल्याण विभाग के माध्यम से आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट में बतायी गयी है, आपको जानकर के आश्चर्य होगा, वृद्धावस्था पेन्शन में 89–90 में 7 करोड़ 72 लाख रुपया दिया गया है और इसी 90–91 के बजट में 11 करोड़ 4 लाख रुपया 87 हजार लोगों को बेनिफिट देने के लिए दिया जा रहा है। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि छात्रवृत्तियों के मामले में 88–89 में 6 करोड़ रुपया 4 लाख 30 हजार बच्चों को छात्रवृत्ति देने की योजना है और 1989–90 में 7 करोड़ 27 लाख रुपये के माध्यम से 4 लाख 81 हजार बच्चों की एक तरफ हम 7 करोड़ के माध्यम से 4 लाख 81 हजार बच्चों को लाभान्वित करने की योजना बना रहे हैं और दूसरी ओर वृद्धावस्था पेन्शन में, मुझे इनसे कोई द्वेषता नहीं है कि वृद्धावस्था पेन्शन नहीं दी जाये। परन्तु कितना बड़ा

(श्री मांगीलाल मेघवाल)

विरोधाभास है कि 11 करोड़ रुपये 87 हजार लोगों के लिए और 4 लाख माननीय सभापति महोदय....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं बैठ जाऊं, या तो।

श्री सभापति : नहीं संक्षेप में कह दीजिए।

श्री मांगीलाल मेघवाल : संक्षेप में क्या, बोलूंगा तो सही।

श्री सभापति : साहब, बोलिये।

श्री मांगीलाल मेघवाल : मुझे बोलने दीजिए साहब थोड़ा सा। तो इस तरह का जो विरोधाभास है, उन बच्चों के साथ। उन बच्चों के जीवन स्तर को उठाने की जो नींव है, उसको किस तरह तोड़ा-मरोड़ा जा रहा है, किस तरह से वहां कुठाराघात किया जा रहा है, इसमें सुधार करके बजट ज्यादा से ज्यादा दिया जाये। यह विरोधाभास वाली बात मैंने आपके सामने रखी थी। माननीय सभापति महोदय, मैं इस पर ज्यादा नहीं कहकर के दूसरा जो है, छात्रवृत्ति की बात आयी, अभी एस. सी. कार्पोरेशन के माध्यम से बी. एड. के लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है, परीक्षाएं हो गई, सब अपने घर गये। निम्बार शिक्षक महाविद्यालय, उदयपुर। यहां 10 छात्रों की मुझे परसों रिपोर्ट देकर गये हैं, अभी तक इनकी स्कालरशिप नहीं पहुंची है और वह छात्र उपेक्षित हैं। इसलिए ऐसी जो अनियमितताएं हो रही हैं, उनको सुधारा जाये और उनको अधिक राहत दी जाये। सभापति महोदय, इस तरह से शैक्षणिक संस्थाओं में या स्वायत्तशासी संस्थाओं में, अभी मुझे विधान सभा के माध्यम से उत्तर मिला है, इनमें माननीय मंत्री महोदय जी ने कहा था और निदेशक महोदय ने भी कहा था कि हम जांच कर रहे हैं और अतिशीघ्र ऐसे जो लीकेज हो रहे हैं, उस पैसे को रोका जाये और अनुसूचित जाति के हित में ज्यादा से ज्यादा पैसा स्वायत शासी संस्थाओं के माध्यम से समाज कल्याण विभाग का पैसा खर्च करके और न जाने कौन-कौन लोग इस पैसे को हड़प रहे हैं। जो समाज कल्याण विभाग से आर्थिक विकास की योजनाएं चलायी जा रही हैं, उसके माध्यम से मैं आपको निवेदन करूंगा बहुत सारा पैसा है, पैसे की कमी नहीं है। डी. आर. डी. के फण्ड से अलग केन्द्रीय मद से पैसा आ रहा है। एस. सी. कार्पोरेशन के माध्यम से करोड़ों रुपया आ रहा है। अब तक 80 से लेकर के जहां तक मेरा ख्याल है 10 अरब से ऊपर रुपया आ रहा है। परन्तु बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि यह जो भिन्न योजनाएं, जो अनुसूचित जाति के लोगों के लिए बनायी गई हैं, किस तरह से उसका दुरुपयोग हो रहा है। अनुसूचित कार्पोरेशन के इन सफेद हाथियों के लिए मैंने कई बार लिखा और लिखने के बाद में भी इनके कान पर जूं नहीं रेंगी और मैंने बार-बार लिखा, संयुक्त रूप से। सभापति महोदय, आपको आश्चर्य होगा मैंने महामहिम राज्यपाल महोदय, तत्कालीन मुख्यमंत्री, राजस्थान को यह लिखकर के और बार-बार 25-25 सदस्यों के हस्ताक्षर करवाकर इनको दिया, तब

(श्री मांगीलाल मेघवाल)

जाकर के उस कॉर्पोरेशन का दुबारा ऑडिट हुआ। अपने विधान सभा उत्तर के माध्यम से यह ऑडिट रिपोर्ट मेरे को मिल गई। यह जनवरी-फरवरी 88 में महालेखाकार राजस्थान, जयपुर के माध्यम से ऑडिट रिपोर्ट सामने आयी है। अब मैं आपके सामने इनके कुछ आंकड़े पेश करूंगा, जिससे आपको लगेगा कि किस तरह से राजस्थान में यह जो एस. सी. कॉर्पोरेशन और जो केन्द्रीय मद के सहयोग से अनुसूचित जाति के लोगों को राजस्थान उसका पैसा देता नहीं है और दिल्ली से जो पैसा आता है. उसके साथ कैसा कुठाराघात हो रहा है, इस रिपोर्ट में है। 45 लाख रुपया दिया गया इनको चन्दा, पैण्डिग और फनिशिंग के लिए, जो स्थापित कारखाने, तीन कारखाने के लिए था। बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है ऑडिट ऑब्जेक्शन आया है। 7 वर्ष तक 45 लाख रुपया अवरुद्ध पड़ा रहा, जिसका ब्याज भी अभी तक चुकाने की स्थिति नहीं आ रही है। सभापति महोदय, अनुसूचित जाति के लोगों के लिए एस. सी. कॉर्पोरेशन के माध्यम से नगरों में और गांवों में अनुसूचित जाति के भाइयों को दुकान लगाकर के और उनके रोज़गार में आधा पैसा बैंक से और आधा पैसा अनुदान के माध्यम से दुकान बनाने की योजना हुई। आपको आश्चर्य होगा कि 150 लाख रुपया लोगों को दुकानों के लिए दिया गया और आज भी उनमें से 63 लाख रुपया अवरुद्ध पड़ा है। उसके लिए दुकान बनाने की अभी भी कोई योजना नहीं बन रही है। दुकानें बनी हैं, शहर से 2 किलोमीटर दूर बनी हैं, श्मशान में बनी हैं, जहां दुकान लगाना तो दूर रहा वहां कोई आदमी भी नजर नहीं आता है। इस तरह से इस सरकार के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, इसको रोका जाये। माननीय सभापति महोदय, इस तरह ऑटो रिक्शा की योजना बनायी। मैंने कई बार निवेदन किया। यहां कोटा में इन्दौर के कोई एक बैंक की शाखा है, उसको जाकर के 7 लाख रुपया दे दिया गया। 5 वर्ष तक कोई किसी के ऑटों को नहीं दिया। गया। प्राइवेट मोटर डीलर्स कोई कम्पनी थी और जब 5 वर्ष के बाद के माननीय, पीपल्लदा से आने वाले श्री हीरालाल आर्य ने इसे मुद्दे को विधान सभा में उठाया, बार-बार लिखकर दिया, तब जाकर के 5 साल बाद, बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है अधिकारियों ने मिल बैठकर के योजना बनायी और ढाई प्रतिशत ब्याज से उस प्राइवेट संस्था से पैसा वसूल करना, कितनी बड़ी लज्जा का विषय है। ढाई प्रतिशत ब्याज साधारण चालू खातों में भी नहीं दिया जाता है। इस तरह से यह जो पैसा है, उसका दुरुपयोग हो रहा है। सभापति महोदय, मैं ज्यादा नहीं कहकर के मैं आपको राजस्थान कॉर्पोरेशन के माध्यम से एक वृक्ष लगाने की योजना बनायी गयी, जिसके लिए 30.3.82 को 10 लाख रुपये की स्वीकृति की गयी है और 5 लाख 23 हजार 995 रुपदे दिये गये। माननीय सभापतिजी, मेरा कृषि विभाग से सम्बन्ध रहा है। मैंने जब इसकी कमेटी के माध्यम से जांच की तो बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वह पौधों के बीज बोये और 20 दिन में ट्रांसप्लाण्टिग करने के लिए रिप्लाण्ट ट्रांसप्लाण्ट हो गया। सब्जियों के बीज टमाटरों और बैंगन के

(श्री मांगीलाल मेघवाल)

लहीं होते हैं और उसको ट्रांसप्लाण्ट करके एक-एक किसी खटीक भाई के यहां, किसी मेघवाल भाई के यहां, किसी बैरवा भाई के यहां आठ-आठ हजार, सात-सात हजार पौधे बताना और जिसका आज भी यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं किया जा सकता और हमने 2 जुलाई 85 को बजट सैशन में माननीय हरिदेवजी जोशी मुख्य मंत्री थे, हमने इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने इसकी जांच करने का आश्वासन दिया और बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 75-75 लाख रुपया हमारे सामने डकारने वाले लोगों की जांच तो क्या रही, उनको पारितोषिक दिया जा रहा है। जो आज इस तरह से एस. सी. कॉर्पोरेशन में मर्जी आये कारें खरीदी जा रही हैं, वहां टाइपराइटर पहले से पड़े हैं, इलेक्ट्रिक टाइपराइटर पूर्व में ही 50-50 लाख रुपये पी.बी. एक्स. के माध्यम से सरकार के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। मनमर्जी से स्टोर किराये पर लिये जा रहे हैं, इस तरह से यह पैसा हड़पो योजना, इसको कोई राजस्थान का अनूसूचित जाति का आदमी बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से और सरकार से और सदन में बिराजमान सभी माननीय सदस्यों से कहता हूं। अनुसूचित जाति के मेरे जो भाई हैं, वह उपेक्षित जरूर हैं। बाकी कहीं हमारे बाप-दादों ने सवर्ण समाज के लोगों की सेवाएं की हैं और हम लोगों को रोटी देकर टरका दिया गया है। आज जब इस लोकतान्त्रिक देश में हमें जीने का अधिकार दिया जाना चाहिए था, उसकी जगह 42 साल से इस तरह का दुरुपयोग हो रहा है। ट्राइसम की बात करूंगा, जिसकी राजस्थान के सारे अखबार गवाही बोल रहे हैं कि मर्जी में आयी वह योजना आ गयी, जिसका एक उदाहरण अभी आपने एक आई. ए. एस. अधिकारी के माध्यम से देखा है। माननीय सभापति महोदय, बहुत कुछ कहने को है पर समय के अभाव में ज्यादा नहीं कहता। एक पाइण्ट बोलूंगा कि सामाजिक समानता लाने के लिए विभाग ने एक अन्तर्जातीय विवाह की स्कीम बना रखी है। मैंने 1980 से लेकर 1988-89 तक विधान सभा में प्रश्न पूछे हैं कि अन्तर्जातीय विवाह के तहत कितने लोगों को पांच हजार की स्वीकृत राशि दी गयी। बहुत दुःख के साथ कहना पड़ रहा है, उत्तर आया कि मात्र सात जोड़ों को। एक देवाराम बैरवा माउण्ट आबू का है। उसने एक बामण लड़की से शादी की। मेरे विधान सभा प्रश्न के माध्यम से अखबारों में जो छपा, उससे उसने मुझे चिट्ठी लिखी, समाज कल्याण मंत्री जी को चिट्ठी लिखी। उसको जवाब दिया गया, मेरे पास विधान सभा प्रश्न का उत्तर भी है कि उसकी इनकम 1100 रुपये से ज्यादा है। माननीय सभापति महोदय, जहां अन्तर्जातीय विवाह की बात आती है, जहां जाति की बात आती है वहां इनकम सोर्स की बात कहां से आ गयी? अगर इनकम की बात आती है तो कटु सत्य कहते हुए निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय जगन्नाथ जी पहाड़िया आज किस हैसियत से और क्यों आरक्षित सीटों से चुनाव लड़े जा रहे हैं? ऐसे-ऐसे माननीय सदस्य, जो केन्द्रीय मंत्री रहे हैं, जाति के नाम से आरक्षित

(श्री मांगीलाल मेघवाल)

सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और अन्तर्जातीय विवाह करने वाले एक सैकण्ड ग्रेड के अध्यापक को कह दिया गया कि तुझे पैसा नहीं मिलेगा, तेरी 1800 रुपये इनकम है। सामाजिक कल्याण, सामाजिक उत्थान के लिए इस तरह के नियम-कानूनों में परिवर्तन किया जाय। यह पटेल जी की गाड़ी के पाड़ी बांधने वाली बात अगर सामने आयी तो मैं समझूंगा कि नीयत में खोट है। इसको बदला जाय।

माननीय सभापति महोदय, इसी रेफरेंस में आरक्षण की बात आती है। विधान सभा के प्रश्न के उत्तर में राजस्थान सरकार ने उत्तर दिया है, मैं आपको बताऊं कि विद्युत विभाग में अधिशासी अभियन्ता 295 हैं, जिनमें अनुसूचित जाति के 4 और अनुसूचित जनजाति के 2 हैं। इसी तरह सहायक अभियन्ता, इलेक्ट्रिक 1153, अनुसूचित जाति के 30 और जनजाति के 12, कनिष्ठ अभियन्ता 2169, अनुसूचित जाति के 108 और जनजाति के मात्र 29, कितना बड़ा विरोधाभास है। दूसरी बात सार्वजनिक निर्माण विभाग की बताऊंगा। सार्वजनिक निर्माण विभाग में भी इसी तरह एक्स. ई.एन. 217, अनुसूचित जाति के 4 और जनजाति के 2, इसी तरह ए. ई.एन. जनरल 621, अनुसूचित जाति के 15 और जनजाति के 6, कनिष्ठ अभियन्ताओं की बात आती है 1422 की, तो इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया गया है। शायद इसमें भी कम होंगे। विशिष्ट योजना संगठन के माध्यम से जो पैसा आ रहा है और इसका जो पैसा है, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से पुरजोर शब्दों में सरकार से मांग करता हूं कि इसका सही उपयोग हो, भ्रष्टाचार के माध्यम से इन पर जो कुठाराघात हो रहे हों उनको रोका जाय।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

सभापति महोदय, यह अनुसूचित जाति-जनजाति आयुक्त की 27वीं रिपोर्ट है। इसमें इन्होंने पैरा नम्बर 365 पर अन्तर्जातीय विवाह का सरलीकरण करने की रिपोर्ट दी है। इसी बात को कोट करते हुए, पुनः दोहराते हुए कहना चाहूंगा कि इनकम वाली बात को हटाकर इसका सरलीकरण किया जाय और ज्यादा से ज्यादा अन्तर्जातीय विवाह के लिए ऐसे भाइयों, जिनमें सवर्ण जाति के लोग भी हैं आज की विचारधाराओं के, को सहयोग दिया जाय। 371 पृष्ठ पर पदोन्नतियों के लिए दिया गया है कि पदोन्नतियों के लिए अनुसूचित जाति के लोगों की सूची अलग से बनायी जाय। जनरल लोगों की सीनियरिटी लिस्ट में पदोन्नति के समय बहुत बड़ा विरोधाभास, बहुत बड़ा संकट पैदा हो रहा है। मैं पुरजोर शब्दों में आपके माध्यम से सरकार से मांग करूंगा कि सीनियरिटी लिस्ट अनुसूचित जाति के लोगों की अलग से बनायी जाय ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा मौका मिल सके। 372 पृष्ठ पर दिया गया है कि जो पद रिक्त रह गये हैं उनको तीन वर्ष के लिए कैरी फारवर्ड करके उस स्थान पर दूसरी भर्ती की बात नहीं है। इस सत्ताइसवीं

(श्री मांगीलाल मेघवाल)

रिपोर्ट में दिया गया है कि जब तक उस पद को भर नहीं दिया जाय तब तक उस पद को रिक्त रहने दिया जाय । इस बात की पुरजोर शब्दों में मैं मांग करता हूं कि इसको लागू करने के निमित्त हम इस पर गम्भीरता से विचार करेंगे।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बहुत समय ले लिया।

श्री मांगीलाल मेघवाल : थोड़ा-सा तो बोलने दो, साहब।

माननीय सभापति महोदय, अनुसूचित जाति के लोगों के साथ इतना बड़ा बजट होने के बाद भी जिस तरह का विरोधाभास हो रहा है, लोगों की नीतियां ठीक नहीं हैं। मैं आप से मांग करूंगा कि इसका सरलीकरण किया जाय । आज महिला सदनों की राजस्थान में जो स्थिति है वह अखबारों में पढ़कर हमारा सिर शर्म से झुक जाता है कि किस तरह की स्थितियां हो रही हैं। समाज कल्याण का पैसा अगर उपेक्षित और ऐसे लोगों–बाल कल्याण, महिला सदन, के लिए खर्च किया जा रहा है तो उस पर वाचग हो ताकि सही पैसा उचित व्यक्ति को मिले। इसमें सारा बताया है, विकलांग हैं, बाल विकास के नाम से पैसा खर्च किया जा रहा है । बोलने के नाम से बहुत है, पर इतना ही कहूंगा कि नियम यहां बैठकर बनाने के लिए हैं। यह कहकर कि नियमों में ऐसा नहीं है उस बात को रोका जाय, अनुसूचित जाति के लोगों के वाजिब हक को नहीं दिया जाय, इस विरोधाभास को मिटाने के लिए जहां नियमों में बदलाव की बात आये, मैं आपके माध्यम से सरकार से पुरजोर शब्दों में मांग करूंगा कि ऐसे नियमों को बदला जाय, उनका सरलीकरण किया जाय । आज प्रमाण पत्र के लिए विद्यार्थी रो रहे हैं। पटवारी 50 रुपये लेकर उनको प्रमाण पत्र देता है, यह बहुत बड़ा दु:ख का विषय है। विधायक प्रमाण पत्र दे नहीं सकता, तहसील में जायं तो तहसीलदार मिलता नहीं। यह बहुत बड़ा विरोधाभास है। मैं आपके माध्यम से सरकार से पुनः मांग करूंगा कि ऐसे नियमों को बदला जाय, इनका सरलीकरण किया जाय ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसे का उपयोग हो। इसी के साथ धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री बुलाकीदास कल्ला।

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : माननीय सभापति महोदय, आज शिक्षा, कला एवं संस्कृति से सम्बन्धित मांग पर बहस हो रही है। शिक्षा व्यक्ति को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। हर व्यक्ति को जीवन में कुछ बनने की इच्छा होती है। कोई अच्छा मास्टर बनना चाहता है, कोई अच्छा प्रशासक बनना चाहता है तो कोई अच्छा अधिकारी, डाक्टर, इंजीनियर या चार्टेर्ड अकाउण्टेण्ट। हर व्यक्ति के मन में तड़प होती है कि मैं कुछ बनूं। इस बनने की प्रक्रिया में सबसे बड़ा योगदान किसी का है तो शिक्षा का है। इस बजट में जो मांग शिक्षा मंत्री जी ने रखी है, मैं समझता हूँ कि वे शिक्षा विभाग के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी से, वित्त मंत्री जी

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

से कोई भी नयी चीज नहीं ले पाये। अभी विपक्ष के माननीय सदस्यों ने पूर्व में हमारी पार्टी की जो केन्द्रीय सरकार थी, उसकी शिक्षा नीति की आलोचना की तो, लेकिन आलोचना के लिए आलोचना की। यह नहीं बताया कि उसमें यह कमीखामी थी, इसमें यह होना चाहिए। चूरू से आने वाले माननीय सदस्य और पाटन से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि शिक्षा नीति जो 1986 में लागू की गयी थी, ठीक नहीं थी। लेकिन भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने उसकी तारीफ की। मैं कहना चाहता हूं कि आपके पास मौका है, आप बताते कि शिक्षा नीति यह होनी चाहिए, हम प्राथमिक शिक्षा में यह सुधार कर रहे हैं, हम उच्च शिक्षा के क्षेत्र में यह परिवर्तन ला रहे हैं और विश्वविद्यालय में हम यह नये काम कर रहे हैं। तो कोई बात समझ में आती। 1986 में जो शिक्षा नीति लागू की गयी, मैं सबसे पहले उसके बारे में दो-तीन बिन्दुओं पर जोर देना चाहूंगा। उस शिक्षा नीति में सबसे पहले विद्यार्थी के ऊपर ध्यान दिया गया, कि जो विद्यार्थी स्कूल में पढ़ने जाता है, क्लास रूम में जाते समय उसको आनन्द की अनुभूति हो। और वो यह महसूस करे किसी भी कारण से बीमारी के कारण से, सामाजिक दायित्व के कारण से या घर के काम के कारण से वो स्कूल नहीं जा पाता है तो वह महसूस करे कि आज मैंने कुछ खो दिया है उस कक्षा कमरे में पढ़ाने वाले शिक्षक के लिए उसके सतत् प्रशिक्षण के लिए हर जिले में डाइट की स्थापना की गई। डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एज्युकेशन एंड ट्रेनिंग और कालेज ऑफ टीचर्स एज्युकेशन की स्थापना उस नीति के अन्तर्गत की गई। एकेडेमिक स्टाफ कॉलेज की स्थापना की गई हमारा शिक्षक इतनी तैयारी के साथ कक्षा रूम में जाय कि वो 10 वर्ष पुराने नोट्स से न पढ़ाये। वह अपने विषय की अद्यतन जानकारी रखे और वह अपने विषय का इतना पारंगत हो कि वह विद्यार्थी को जो शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार हो रहे हैं उन नवाचारों का अधिक से अधिक प्रयोग रहे। इस संदर्भ में माननीय सभापति महोदय, मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जो शैक्षिक नवाचारों के लिए हमेशा प्रसिद्ध रहा है। पूरे देश में शैक्षिक नवाचारों में किसी प्रदेश का नाम है तो राजस्थान का नाम है। दूसरी ओर राजस्थान में अच्छे-अच्छे शिक्षक भी दिए हैं और उन शिक्षकों के कारण राजस्थान में काफी परिवर्तन हुआ है। आज कुछ माननीय सदस्य यह कह दें कि राजस्थान का शिक्षा में तेरहवां स्थान है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन हम आजादी से पहले की और आज की तुलना करें तो हम महसूस करेंगे कि पहले हमारे यहां जो आजादी के पहले का नक्शा था और आज का नक्शा है उसमें रात और दिन का अन्तर है और आने वाले 4–5 वर्षों में समय बताएगा कि राजस्थान केरल, गुजरात और महाराष्ट्र के साथ कदम से कदम आगे बढ़ाता हुआ साक्षरता के क्षेत्र में भी आगे बढ़ेगा क्योंकि पिछले 2 वर्षों में 6000 प्राइमरी स्कूल राजस्थान में खुले 1200 हमारे अपर प्राइमरी स्कूल बने, लगभग 800 सैकण्डरी स्कूल बने और 672 सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल राजस्थान में बने। इन सबका इंपेक्ट आने वाले

(166)

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

4–5 वर्षों में आएगा और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि राजस्थान शिक्षा के क्षेत्र में एक अग्रणी प्रदेश बनेगा इसके लिए काफी काम किए गए।

इसके साथ-साथ यह भी प्रयत्न किया गया कि इन शिक्षा के क्षेत्र में जो शिक्षण संस्थाएं हैं उनके भवनों का निर्माण किया जाय।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता (वैराठ) : आपने अंतिम स्थान पर छोड़ा है राजस्थान को।

श्री बुलाकी दास कल्ला : आपको मालूम नहीं है, अंतिम स्थान राजस्थान का नहीं है। अंतिम स्थान तो नहीं हम कई प्रदेशों से आगे हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : महिला शिक्षा का 2 पर्सेन्ट। अब बढ़ाए हैं 3 महिनों में।

श्री बुलाकीदास कल्ला : महिला शिक्षा का प्रतिशत 13 से ज्यादा है राजस्थान में।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : जो फैक्ट्स आए हैं विधान सभा में उसमें तो अंतिम स्थान है राजस्थान का 14वें स्थान पर।

श्री बुलाकीदास कल्ला : ऐसा है आपको शिक्षा मंत्री जी करेक्ट कर देंगे कि अंतिम स्थान पर नहीं है।

श्री हरिकुमार औदिच्य (शिक्षा मंत्री) : 1986 की शिक्षा नीति की आप विवेचना कर रहे हैं उसमें जो बाद में राममूर्ति कमेटी बैठी उसको भी हटा दिया गया है।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : यह जो 2000 स्कूलों की बात कर रहे हो आप यह कब घोषणा की थी। चुनावों के कितने महिने पहले।

श्री बुलाकीदास कल्ला : ओमप्रकाश जी आप चीफ व्हिप बन गए आते ही भाग्य से लेकिन विधान सभा में गत वर्ष 3000 स्कूल खुले हैं इससे पहले 3000 स्कूल खुले हैं दो वर्षों में खुले हैं।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : आखरी दो महिनों में।

श्री हरिकुमार औदिच्य : वो आपने जो 7वीं पंचवर्षीय योजना के केवल चुनाव के दिनों में 2 वर्षों में खोले हैं। 3 साल में कुछ भी नहीं किया।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : केवल कागजों में ही है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : देवपुरा जी शिक्षा मंत्री थे उस समय 400 मिडिल स्कूल खुले हैं, प्राइमरी स्कूल भी खुले हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप शांति पूर्वक सुनें। इन्होंने 3 यूनिवर्सिटी की 6 यूनिवर्सिटीज कर दी हैं। आप शांतिपूर्वक सुनें, डिस्टर्ब न करें।

श्री बुलाकीदास कल्ला : जो मैंने खोले हैं, बताए हैं कोई ज्यादा तो नहीं बताए हैं। 6001 तो नहीं बताए। अब इनको तकलीफ यह है, सभापति महोदय, कि हमने

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

टीचर नहीं लगाए और मैं आपको इन्हीं के बजट स्पीच जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 27 जून, 1990 को दिया उसमें लिखा है कि 71 पंचायत समितियों में ऑपरेशन ब्लेक बोर्ड योजना के अन्तर्गत 3883 एकल अध्यापकीय विद्यालयों को दो अध्यापकीय विद्यालयों में बदला जाएगा तथा लगभग 7500 प्राथमिक विद्यालय में न्यूनतम सुविधाएं कराई जाएंगी।

सभापति महोदय, मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि 141 पंचायत समितियों में पिछले वर्षों में 9,954 लगभग 10000 अध्यापक हमने उपलब्ध कराए यहां सारे माननीय सदस्य जिनको जानकारी नहीं है वो कहते हैं कि इस बजट में एक भी स्कूल नहीं खोला है लेकिन हम अध्यापक देंगे। स्कूलों में अध्यापकों की कमी को पूरा करेंगे। मैं बताना चाहता हूं आप तो अब खाली अवस्था में हैं, मैं क्या करूं। (व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : कुल कितने शिक्षकों की कमी आप छोड़ गए। यह तो आपको टिप्स पर याद होगा वो बता दो।

श्री बुलाकीदास कल्ला : सभापति महोदय, मैं यह जानकारी दे रहा था कि 9954 मुझे शिक्षा मंत्री जी जब रिप्लाई दें तब करेक्ट कर दें कि मैंने लगाया ही नहीं और मैं बता देना चाहता हूं कि 1987-88 में 3334 और उसके बाद 3585, 2897, 9816 अध्यापक इस तरीके से हमने लगाये और शहरी क्षेत्रों में 138 अध्यापक लगाए और मैं शिक्षा विभाग का तो यह दावे के साथ कह सकता हूं कि कहीं पर ओवर स्टाफिंग तो हो सकता है लेकिन अण्डर स्टाफिंग नहीं है कि जो भी अध्यापक की कमी आयी जो अध्यापक बढ़ाए गए हैं ये पंचायत समिति क्षेत्रों के हैं और अब आप यह कहते हैं कि हमने ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अन्तर्गत हम 71 पंचायत समितियों में काम करेंगे यह तो हमारी स्वयं की योजना थी कि हमारे जो प्राइमरी स्कूल थे जो डिप्राइव्ड थे उन स्कूलो में हम टाटपट्टियों की व्यवस्था ब्लैकबोर्ड की व्यवस्था, वहां फर्नीचर की व्यवस्था, पुस्तकालय की व्यवस्था, विज्ञान के उपकरण, खेल का सामान, संगीत का साज ये सारी चीजें हमने गांव के स्कूलों को दें ताकि वह विद्यार्थी जो गांवों में पढ़ता है उसको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टीविटिज....

श्री मदनलाल सैनी (गुढ़ा) : सामान नहीं पहुँचा वो। व्यवस्था तो की होगी कागजों में, वो पहुंचा नहीं स्कूलों में। आज भी ऐसे और सैंकड़ों स्कूल हैं जहां टाटपट्टी नहीं है, बोर्ड नहीं है कई जगह तो चाक की व्यवस्था नहीं है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : ऐसा है माननीय सदस्य, आप मुझे माफ करें आप स्कूल का नाम लेकर कोई बात बता दें। उस स्कूल में यह सामान पहुंचा या नहीं, पहुंचा तो कोई बात समझ में आती। आप कोई बेजा बात करें तो....

श्री मदनलाल सैनी : साहब, अब हमको करनी है वो नहीं है तो भी हम व्यवस्था करेंगे। (व्यवधान)

(168)

श्री हेतराम बेनीवाल (सांगरिया) : ये ही सारी बातें बोल रहे हैं, मंत्री जी क्या बोलेंगे ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : ये सुपर मिनिस्टर दिखते हैं जो मंत्री जी को ओवर रूल करके जवाब दे रहे हैं ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (उच्च शिक्षा मंत्री) : जो हम बोलना चाहते हैं वो ये बोल रहे हैं कल्ला साहब ।

श्री सभापति : कल्ला साहब आप अपना भाषण पढ़िये ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : माननीय सभापति महोदय, मैं यह कहना चाह रहा हूं कि हमारी प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए हमने काफी प्रयत्न किये और उसके कारण जो एक अध्यापक वाले स्कूल थे उनको हमने दूसरा अध्यापक दिया और जिन स्कूलों में बुनियादी आवश्यकताओं की जरूरत थी उन बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा किया और हमारी यह कोशिश रही कि राजस्थान के शिक्षा के स्तर को हमने सुधारने का प्रयास किया । काफी जिलों में डाइट की स्थापना, कॉलेज ऑफ टीचर्स एजुकेशन की स्थापना, राज. विश्वविद्यालय, जयपुर और जोधपुर में हमने एकेडेमिक स्टाफ कालेज की स्थापना की और शिक्षकों के प्राध्यापकों के सतत् प्रशिक्षण की व्यवस्था हमने की और जिसके परिणाम बहुत अच्छे आए हैं । हमारे यहां राजस्थान के ही नहीं बल्कि उत्तर भारत के 6 प्रदेशों के कॉलेज टीचर्स यहां राजस्थान के स्टाफ एकेडेमिक कॉलेज में प्रशिक्षण लेकर गए हैं और उसकी काफी प्रशंसा हुई है ।

मैं इस संदर्भ में माननीय शिक्षा मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इस बजट में क्या आपने उचित नहीं समझा । जिस तरह से हमने बिना किसी राजनैतिक भेदभाव के आधार माना कि 250 की आबादी के गांव में कम से कम एक प्राथमिक शाला दे देंगे और इसी तरह से हमारे जो पंचायत हैडक्वार्टर हैं उनमें कम से कम एक मिडिल स्कूल हम राजस्थान को देंगे और इसी तरीके से 2500 की आबादी पर हम एक सैकण्डरी स्कूल राजस्थान की जनता को देंगे और जितने भी हायर सैकण्डरी स्कूल खुले हुए हैं उन तमाम हायर सैकण्डरी स्कूलों को सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूलों के रूप में 672 राजस्थान का इतिहास जब शिक्षा का लिखेंगे तो इतिहासकार उसको स्वर्ण अक्षरों में लिखेंगे ..

श्री किशन गोपाल कोगटा (मसूदा) : कौन-कौन से सैकण्डरी स्कूल खोले हैं आप लोगों ने....

श्री मदनलाल सैनी : यह 77 में 250 की संख्या तक स्कूल खोलने की घोषणा जनता सरकार की थी, आपकी नहीं थी ।

श्री चतुर्भुज वर्मा (सहकारिता मंत्री) : यह कल्लाजी आपने बहुत प्रोग्रेस की 250 की आबादी के ऊपर आपने हाई स्कूल खोला । अभी एक उदाहरण दे सकता हूं अटरू का । (व्यवधान)

(श्री चतुर्भुज वर्मा)

2800 की आबादी पर हायर सैकण्डरी स्कूल खोला और जिला प्रमुख जिस गांव का रहने वाला उस गांव में 250 की आबादी के ऊपर खोला है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : 250 की आबादी पर हायर सैकण्डरी स्कूल ?

श्री चतुर्भुज वर्मा : हां हायर सैकण्डरी स्कूल। एक हायर सैकण्डरी स्कूल खोला। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य आपस में बात नहीं करेंगे। (व्यवधान)

श्री चतुर्भुज वर्मा : अटरू विधान सभा क्षेत्र में पटना गांव में आपने एक सैकण्डरी स्कूल खोला जिसकी जनसंख्या 250 थी लेकिन कांग्रेस का जिला प्रमुख था।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मुझे कॉप-रेटिव मिनिस्टर साहब के जनरल नॉलेज पर बड़ी हँसी आती है कि हमने गत दो वर्षों में एक भी हायर सैकण्डरी स्कूल खोला ही नहीं। (व्यवधान)

माननीय सभापति महोदय, मेरा यह दावा है कि राजस्थान के तमाम 672 हायर सैकण्डरी स्कूल को एक ही कलम से सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल में क्रमोन्नत किया गया था बिना किसी राजनीतिक भेद-भाव के... (व्यवधान) अब इनको पता ही नहीं है तो मैं क्या करूं।

श्री सभापति : आप अपना भाषण समाप्त कीजिये।

श्री चतुर्भुज वर्मा : श्री कल्ला जी सदन के अन्दर या तो आप शर्त रखें या मैं शर्त रखता हूं....

श्री बुलाकीदास कल्ला : क्या ?

श्री सभापति : माननीय सदस्य आपस में बात नहीं करेंगे।

श्री चतुर्भुज वर्मा : पटना के अन्दर आपने हायर सैकण्डरी स्कूल खोला या नहीं खोला ?

श्री मदन दिलावर : पटना में सैकण्डरी स्कूल खोला मंत्रीजी ठीक कह रहे हैं।

श्री चतुर्भुज वर्मा : एक पंचायत में दो सैकण्डरी स्कूल खोले।

श्री मदन दिलावर : दो-दो किलो मीटर की डिस्टेन्स में जिसमें 50 विद्यार्थी भी नहीं हैं यह ठीक है आपकी +++ (व्यवधान)

श्री हरिकुमार औदिच्य : श्री कल्लाजी आपने तो अपने भाषण को डिबेट कर दिया, 672 स्कूल खोली इनकी वित्तीय स्वीकृति आपने कब दी ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : मेरे वक्त में दी।

श्री हरिकुमार औदिच्य : दी नहीं।

+++ अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री बुलाकीदास कल्ला : किसने कहा कि नहीं दी है ?

श्री हरिकुमार औदिच्य : मुझे मालूम है नहीं दी है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : बराबर स्वीकृति दी है और आपको जानकर खुशी होनी चाहिये हमने उनमें 50 पर्सेन्ट अध्यापकों को तुरन्त प्रमोशन देकर लगा दिये।

श्री सभापति : माननीय श्री कल्लाजी आप अपना भाषण समाप्त करें।

श्री बुलाकीदास कल्ला : माननीय सभापतिजी, व्यवधान करेंगे तो जवाब देना पड़ेगा, आप उनको रोकें, मैं तो अकेला बोलने वाला हूं और यह 20 आदमी एक साथ बोलते हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय सभापति महोदय, इनके लिये क्लास इनको संसदीय भाषा का प्रयोग करना नहीं होता है। इसलिये इनके लिये कोई क्लास लगवाइये बड़े उच्छृंखलित हो गये हैं यह लोग।

श्री हरिकुमार औदिच्य : तो आप कहां जा रहे हैं ?

श्री बुलाकीदास कल्ला ; 50 पर्सेन्ट अध्यापक सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूलों में लगा दिये और उसके बाद में आर. पी. एस. सी. को तुरन्त उनकी वेकेन्सी भेज दी गयी और जैसे-जैसे आर. पी. एस. सी. से लिस्ट मिलती गयी वैसे वैसे उनकी नियुक्ति की गयी। अब आर. पी. एस. सी. के बिना यदि हम टीचर्स की नियुक्ति कर देते तो निश्चित रूप से यह कहते कि कांग्रेस के लोगों ने आर. पी. एस. सी. के बिना ही चयन करके लोगों को लगा दिया। इसमें ऐसा प्रावधान है कि 50 पर्सेन्ट लोग प्रमोशन के माध्यम से जूनियर लेक्चरर बनाया जाता है और 50 पर्सेन्ट टीचर्स आर. पी. एस. सी. के द्वारा सलेक्ट होकर उनमें लगाये जाते हैं। सारी प्रक्रियाओं का पालन करके काम किया गया है लेकिन इन्होंने क्या किया है ? सभापति महोदय, मुझे बड़ा अफसोस और वेदना है कि राजस्थान में एक तरफ तो कहते हैं कि हम 13 वें स्थान पर हैं लेकिन इस 13वें स्थान वाले प्रदेश के लिये एक प्राइमरी स्कूल यह दे नहीं पाये, एक अपर प्राइमरी स्कूल यह दे नहीं पाये, एक सैकण्डरी स्कूल ये खोल नहीं पाये और एक हायर सैकण्डरी या सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल इन्होंने दी नहीं है और यह दमखम की बात करते हैं कि हम राजस्थान को आगे ले जायेंगे।

इसी तरह से, सभापति महोदय.... (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपकी गलत कार्यवाही की बजह से ही हाई कोर्ट से स्टे मिला है।

श्री मदन दिलावर : उन्होंने जमकर पैसा खाया है ...

श्री महावीर प्रसाद जैन : हाई कोर्ट से स्टे इसलिये मिला है, नियुक्ति इसलिये नहीं हुई कि आपकी बीकानेर की महिला हाईकोर्ट से स्टे लेकर आ गयी उसने अटका दिया।

श्री सभापति : माननीय महावीर जी।

श्री मदन दिलावर : उसमें लोगों ने खूब जमकर पैसा खाया है, पेट मोटे किये हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : ऐसा है, माननीय सदस्य को कोई भी बात कहनी है तो लिखकर देवे या यहां बोल कर कहें।

श्री सभापति : माननीय महावीर जी।

श्री राजेन्द्र पारीक : सभापति महोदय, माननीय सदस्य व्यवधान मंत्री हैं, उनको व्यवधान मंत्री के नाम से सम्बोधित करें, महावीर जी के नाम से सम्बोधन उनको अपमानित सा महसूस होता है। यह व्यवधान मंत्री हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : +++ ठीक नहीं है।

श्री सभापति : आप प्रारम्भ करें मा. श्री कल्लाजी।

श्री राजेन्द्र पारीक : आपकी सिफारिश करेंगे मंत्री के लिये।

श्री बुलाकीदास कल्ला : केवल 10 विषय खोलकर और दो कालेज खोलकर राजस्थान की साक्षरता को आगे ले जाना चाहते हैं, राजस्थान के लोगों की शिक्षा का विकास करना चाहते हैं तो मैं समझता हूं कि आप कुछ नहीं कर पायेंगे इसी तरह से प्रौढ़ शिक्षा के माध्यम से इन्होंने जो लक्ष्य रखा वह भी बहुत कम है। पिछले वर्ष इससे अधिक काम हुआ है प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में। हम लोगों ने तो विद्यार्थियों के माध्यम से 9वीं, 10वीं, 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के माध्यम से एक विशेष अभियान चलाया था 'ईच वन टीच वन' अर्थात् पढ़ा लिखा व्यक्ति कम से कम एक व्यक्ति को पढ़ाये। और उस योजना के माध्यम से हम पिछले साल एक लाख लोगों को साक्षरता का किट्स दे रहे थे, साक्षर कर रहे थे। उस कार्यक्रम का इन्होंने कोई जिक्र नहीं किया। जालौर, नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर इनमें उपस्थिति छात्रवृत्ति जैसी कोई नयी चालू कर दी हो, पिछले कई वर्षों से मिल रही है। एक भी नया काम, सभापति महोदय, इन्होंने नया नहीं दिया है जो काम हमने चालू किये थे, उनमें इन्होंने अपने आंकड़े दे दिये हैं और देकर के यह कहा कि हम शिक्षा में जो 13वें स्थान पर हैं उसको केरल के मुकाबले पहले स्थान पर ले आयेंगे। होना तो यह चाहिये था, माननीय शिक्षा मंत्रीजी फंक्शनल लिट्रेसी के बारे में और जो ड्राप आउट्स हो रहे हैं, कई विद्यार्थी पहली, दूसरी और तीसरी कक्षा में पढ़ने के बाद में खेती का काम करने लग जाते हैं, गांव में और दूसरे काम करने लग जाते हैं, उनकी ड्राप आउट्स की प्राब्लम को हल करने के लिये हम योजना बना रहे हैं, उसको कम से कम हम लोगों ने प्राइमरी एजूकेशन को 1995 तक 6 से 11 वर्ष के विद्यार्थियों को शत-प्रतिशत का जो हमने लक्ष्य रखा था, उसको आप और बढ़ाते, 8वीं तक राजस्थान में सारे लोगों

+++ अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(172)

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

को 6 से 13 वर्ष तक की उम्र के हैं इनको हम यहां तक लायेंगे तो हम मानते कि आप हमसे आगे बढ़े हैं लेकिन केवल मात्र 'लकीर के फकीर' रहकर जो नीतियां हमारी चल रही थीं उन नीतियों में भी केवल मात्र कुछ में आपने थोड़ा बहुत टीचर्स में बढ़ोतरी की है, उसको निश्चित रूप से बढ़ाया है....

श्री हीरासिंह चौहान : 20 हजार अध्यापक कम हैं आप स्कूल खोलते गये, गुणात्मक कोई व्यवस्था आपने राजस्थान में नहीं की । फिर कहते हैं कि शिक्षा जगत में बहुत अच्छा कर दिया, मां-बाप, गांव में बच्चे जाते हैं उनको क, ख, ग नहीं आता है 8वीं के लड़कों को यह स्थिति कर दी हैं और गुण-गान कर रहे हैं पिछली सरकार के, बिलकुल बंटाधार कर दिया । हम इसको सुधार रहे हैं ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : आप क्या सुधारेंगे ?

श्री हीरासिंह चौहान : एक ही साल में सारी बिगड़ी हुयी व्यवस्था को सुधार देंगे ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : आप ऐसा लगता है कि बाहर से नींद से उठकर आये हैं, मैं बोल चुका हूं ।

श्री हीरासिंह चौहान : मैं यहीं था, सुन रहा था आपका भाषण ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : 10-10 हजार अध्यापक हमने दिये हैं और आप 3 हजार अध्यापक देकर आप राजस्थान को सुधारना चाहते हैं ?

श्री हेमराज मीणा : 40 साल में 10 हजार और एक साल में 3 हजार ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : सभापति महोदय, एक व्यक्ति था उससे कोई कहता था 'कि ले लट्ठ, के ले दो लट्ठ' वाली बात करते हैं । हम यह कर देंगे वह कर देंगे । यदि आप कर देंगे तो हम इसी सदन में आपकी तारीफ भी कर देंगे नहीं तो छोड़ने वाले नहीं हैं आप लोगों को । कैयर टेकर गवर्नमेण्ट की तरह से जिस तरह से काम कर रहे हैं उसी तरीके से राजस्थान आगे बढ़ने वाला नहीं है ।

जहां तक उच्च शिक्षा का प्रश्न है, सभापति महोदय, 1962 तक राजस्थान में 3 विश्वविद्यालय कार्यरत थे, जोधपुर में, जयपुर में और उदयपुर में । उसके बाद में पिछले वर्ष एक साथ 3 विश्व-विद्यालय कोटा, अजमेर और बीकानेर, जो वर्षों से लोगों की मांग थी उस मांग को पूरा किया गया है और कालूलाल श्रीमाली समिति ने जो वर्षों से रिकमण्डेशन्स की हुयी थी उसको कांग्रेस सरकार ने इम्प्ली-मेण्ट किया । अब विश्वविद्यालय बनते हैं तो उनकी कोई परेशानियां निश्चित रूप से होती हैं और आप स्वयं जानते हैं कि विश्वविद्यालय का जो प्रशासन है वह स्वायत्तशासी प्रशासन है, उस स्वायत्तशासी प्रशासन के माध्यम से हमारे कोटा विश्व-विद्यालय ने बहुत अच्छा काम किया है । आज कोटा विश्वविद्यालय के माध्यम से जो मैनेजमेंट के कोर्स, हमारे शिक्षक

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम, कुछ एजूकेशनल वोकेशनल एजूकेशन के पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये गये हैं, उसकी तारीफ काफी जगहों पर की गई है। इसी तरह से अजमेर विश्वविद्यालय जो एक बहुत ही प्रारम्भिक अवस्था में था उसके ऊपर पूरे राजस्थान का भार आया उसको भी उन्होंने अपने सीमित साधनों के माध्यम से काफी कुछ करने की कोशिश की। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि अभी पिछले दिनों में यही विश्वविद्यालय थे, यही उप कुलपति थे हमारे वक्त में तो एक भी पेपर आउट नहीं हुए।

श्री हीरालाल चौहान : खूब हुए थे।

श्री बुलाकीदास कल्ला : हुए थे तो आप बताओ ना कि इस वक्त में यह पेपर आउट हुआ आपको कौन मना करता है। लेकिन आपकी ही पार्टी के लोगों ने इस सदन में जो पर्चे आउट हुए उनकी कापियां रखीं, जो प्रश्न पत्र आउट हुए उनकी फोटोस्टेट कापियां बाजार में बिक रही हैं उसका जिक्र किया है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : उसमें आपका हाथ है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मेरा हाथ है तो आपकी गवर्नमेन्ट क्या कर रही है ?

(व्यवधान)

सभापति महोदय, ऐसा लग रहा है कि शिक्षक संगठन वर्तमान सरकार से सम्बन्धित सत्ता पक्ष के जो लोग हैं वह उन शिक्षकों को प्रोत्साहित कर रहे हैं जिनको उन्नीथान जी जिस वक्त वाइस-चांसलर थे और पाण्डे जी जिस समय वाइस चांसलर थे, उस वक्त जिन लोगों को ब्लेक लिस्ट में रखा हुआ था उनको गोपनीय कार्य नहीं सौंपा जाता। ऐसे लोगों को गोपनीय कार्य सौंपने के कारण यह सारी व्यवस्थाएं बिगड़ी। राजस्थान विश्वविद्यालय जिसका यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में नाम है, पहले तीन विश्वविद्यालयों में वह नाम उन्होंने बंटाढार कर दिया। विश्व विद्यालय की जो प्रतिष्ठा का मामला था उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लग गया। आज राजस्थान विश्व विद्यालय के द्वितीय वर्ष कला के पांच पेपर आउट, वाणिज्य के तीन पेपर आउट। रोज पेपर आउट हो रहे हैं इसके ऊपर निश्चित रूप से अंकुश लगाया जाना चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि माननीय शिक्षा मंत्री जी ने क्या विश्व विद्यालय को आर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग इन विषयों के ऊपर बुलाई ? इमीजिएट इसके बारे में मीटिंग बुलाकर के विचार करना चाहिए, डाइरेक्शन देने चाहिए और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए प्रभावी रोकथाम होनी चाहिए।

मैं, चूंकि उच्च शिक्षा का मामला चल रहा है तो एक प्वाइंट और कहना चाहूंगा कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान के कालेजेज जो चलते हैं उनके लिए हमारे डाइरेक्टर आफ कालेज एजूकेशन की नियुक्ति कई महीनों से नहीं हुई है। क्यों नहीं आप विधिवत रूप से डाइरेक्टर कालेज एजूकेशन की नियुक्ति करवाते। अभी तो यह सौभाग्य है कि शिक्षा विभाग

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

से सम्बन्धित एक अधिकारी वहां काम कर रहे हैं वरना शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोगों को इस बात का अफसोस होता कि शिक्षा विभाग के अतिरिक्त कोई व्यक्ति वहां प्रशासन का काम करे। तो आप तुरन्त विधिवत रूप से कब तक डाइरेक्टर कालेज एजूकेशन का सलेक्शन करके उसकी नियुक्ति करवा देंगे।

इसी तरीके से राजस्थान में स्कूलें खोली गयी। लेकिन सभापति महोदय, आज भी किताबें विद्यार्थियों को उपलब्ध नहीं हो रही हैं, 38 प्रतिशत कीमतों में वृद्धि हो गई और उसके बावजूद भी किताबें उपलब्ध नहीं हैं। फिर अभी कई लोग खड़े होंगे हमारा पाठ्य पुस्तक मण्डल इस उद्देश्य से बना था कि वह सस्ती दरों पर विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करवाये। पाठ्य पुस्तक मण्डल का मैं अध्यक्ष रहा हूं। इन्कम टैक्स देने की नौबत पाठ्य पुस्तक मण्डल की थी। आयकर देने वाला जो बोर्ड है उसकी आज ऐसी बदतर स्थिति क्यों हुई और किस कारण से 38 प्रतिशत कीमतें यकायक बढ़ाई गई? कोशिश तो यह होनी चाहिए थी कि इनको इस मध्य सत्र में इस प्रकार से कीमतों में बढ़ोतरी नहीं करनी चाहिए थी। पुराना स्टाक जो आज लोगों के पास पड़ा है, ब्लैक में बिक रहा है, इसके ऊपर आपने क्या नियन्त्रण किया?

इसी तरीके से जो पुस्तकें उपलब्ध नहीं हैं, एक महीने तक नहीं आयेंगी, विद्यार्थियों का भविष्य अन्धकार में है। मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय शिक्षा मन्त्री जी इस सम्बन्ध में पर्याप्त ध्यान देकर इन सब चीजों के ऊपर गौर करेंगे।

जहां तक तकनीकी शिक्षा का प्रश्न है, हम लोगों ने 6 पोलोटेक्निक कालेज खोले, उनमें दो महिलाओं के पोलोटेक्निक कालेज खोले। लेकिन एक भी इन्जीनियरिंग कालेज, एक भी पोलोटेक्निक कालेज और एक भी आई. टी. आई. इन्होंने पूरे राजस्थान में नहीं खोली। एक तरफ कहते हैं कि राजस्थान शिक्षा में बहुत पीछे है। मैं माननीय सदस्य, जो नये आये हैं, उनकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि हमने पिछले वर्षों में कोटा में इन्जीनियरिंग कालेज खोला। वर्षों से कोटा की यह मांग थी। सभापति महोदय, आप जानते हैं कि राजनैतिक तौर पर कोटा कांग्रेस के हमेशा खिलाफ रहा है लेकिन फिर भी हमने बिना किसी राजनैतिक भेद-भाव के कोटा में इन्जीनियरिंग कालेज खोला और हम यह उम्मीद कर रहे थे कि आप इस वर्ष इस बजट में अजमेर और बीकानेर में इन्जीनियरिंग कालेज खोलेंगे। लेकिन मुझे बड़ी वेदना हुई कि वर्षों से जिन योजनाओं को कार्यान्वित करने की हमारी योजना थी उस योजना को इन्होंने बंटाढार कर दिया। कोई नया काम इन्होंने हाथ में नहीं लिया। अब कहते हैं विश्व बैंक से 45 करोड़ की योजना मन्जूर हुई है। योजना किसने बनाई, किस वक्त बनाई, किस समय इसका प्रारूप वहां गया। अब एक तरह ये कहते हैं कि बिल्ली के भाग का छींका टूटा और इनको मिल गया। इसलिए जो योजनायें हमने बनाई उन योजनाओं का, गुणात्मक सुधार की योजना

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

हमने विश्व बैंक को भेजी थी उसका निश्चित रूप से इन्होंने जिक्र किया है और इससे निश्चित रूप से राजस्थान की तकनीकी शिक्षा में सुधार होगा। लेकिन सुधार के साथ-साथ मैं सदन को यह बताना चाहूंगा राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदय, मेरे को बीच में काफी व्यवधानों का सामना करना पड़ा। मैं शिक्षा से जुड़ा हुआ आदमी हूं मुझे थोड़ा समय दिया जाये।

श्री सभापति : पूरे 25 मिनट हो गये।

एक माननीय सदस्य : कई लोग नींद ले रहे हैं। इनका भाषण चलता रहेगा तो नींद लेने वालों को कठिनाई नहीं होगी। जरूर बोलिए।

श्री बुलाकीदास कल्ला : इनको नींद आये तो कोई बात नहीं, आपको नींद नहीं लेने दूंगा।

सभापति महोदय, आज राजस्थान में 70 प्रतिशत मार्क्स लाने वाले विद्यार्थियों को इन्जीनियरिंग कालेज में एडमिशन नहीं मिलता और हर वर्ष 5-7 विद्यार्थी आत्म-हत्या कर लेते हैं क्योंकि डिस्टिक्शन मार्क्स लाने के बाद भी इन्जीनियरिंग कालेज में एडमिशन नहीं होता है तो वह बड़ा दुःखी, परेशान हो जाता है। दूसरे प्रदेशों में उत्तर प्रदेश, गुजरात कुछ ऐसे प्रदेश हैं जहां 52 प्रतिशत मार्क्स लाने वाले विद्यार्थियों का प्रवेश हो जाता है। इस सन्दर्भ में मेरा यह कहना है सरकार पुनः विचार करे और एप्रोप्रिएशन बिल के वक्त हमारे राज्य के जो पोलोटेक्नीक कालेज, जिनमें आप गुणात्मक सुधार लाना चाहते हैं, मैं माननीय तकनीकी शिक्षा मंत्री जी को जानकारी देना चाहता हूं कि आप अजमेर और बीकानेर के पोलोटेक्नीक कालेज को अपग्रेड करें। अपग्रेड करके दो साल तक, तीन साल तक उनके प्रयोग-शालाएं, बिना किसी फाइनेन्शियल एड के वहां इन्जीनियरिंग कालेज के प्रथम और द्वितीय वर्ष के लिए पूरी तरह से सक्षम है। दो वर्ष बाद आप उन्हें अतिरिक्त ग्राण्ट देकर भवन निर्माण करके, इक्वीपमेंट्स देकर उन इन्जीनियरिंग कालेजों को शुरू कर सकते हैं। वरना राजस्थान में अभी तक हम केवल मात्र लगभग 800 लोगों को इन्जीनियर बना रहे हैं।

आप सभापति महोदय, अच्छी तरह से जानते हैं इन्जीनियरिंग का इण्टरनेशनल मार्केट है। भारत ब्रेन ड्रेन के मामले में विख्यात रहा है। हमेशा हमारे यहां इन्जीनियर अपने देश में और विदेशों में तकनीकी क्षेत्र में अपना नाम करते आये हैं। इसलिए प्रदेश की भी आवश्यकता है, देश की भी आवश्यकता है। अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में इन्जीनियरों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हम, राजस्थान के विद्यार्थियों को जो कम से कम फर्स्ट डिवीजन और इससे ऊपर नम्बर लाते हैं, उनको तो हमारा यह नैतिक दायित्व बनता है कि उनको तो कम से कम इन्जीनियरिंग कालेज में प्रवेश मिले।

श्रीमती उजला अरोड़ा : कल्ला साहब, आप क्या कह रहे हैं कम से कम प्रवेश मिले, अन्यथा प्रवेश नहीं मिले। क्या कह रहे हैं स्पष्ट कीजिए।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं यही कह रहा हूं कि फर्स्ट डिवीजन जो विद्यार्थी लेकर आते हैं उनको इन्जीनियरिंग कालेज में एडमिशन मिले।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आपने जो पढ़ा कम से कम प्रवेश मिले।

श्री बुलाकीदास कल्ला : शायद आप बात कर रही थीं सुनने में फर्क रह गया।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप मंगाकर देख लीजिए, आपने क्या कहा है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अब मैंने ठीक कह दिया ना।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अब कहा होगा ठीक। मुझे क्या पता कि पहले ठीक है या पिछला ठीक है।

श्री बुलाकी दास कल्ला : पिछले दिनों में व्यावसायिक शिक्षा का एक अलग निदेशालय बना था लेकिन उस व्यावसायिक शिक्षा के निदेशालय ने राजस्थान के विद्यार्थियों के ऊपर कहर ढा दिया। राज्य में एक वर्ष पहले नर्सिंग और फार्मेसी की कक्षायें प्रारम्भ की गई थी। एक वर्ष तक विद्यार्थियों ने फीस देकर नियमित पढ़ाई की और करने के बाद एक वर्ष बाद उनको यह कह दिया कि यह पाठ्यक्रम अब हम बन्द कर रहे हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : यह किसने कह दिया आपने ? ही कहा था।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैंने कहां कहा था ?

श्री फूलचन्द : समय की सीमा का ध्यान नहीं है माननीय सदस्य को।

श्री सभापति : माननीय सदस्य संक्षेप में।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं अपनी पार्टी का समय ले रहा हूं। सभापति महोदय, नर्सिंग और फार्मेसी का कोर्स बन्द कर दिया इससे उदयपुर, अजमेर, बीकानेर और अन्य स्थानों पर आठ सौ विद्यार्थियों ने जो एक साल से नर्सिंग और फार्मेसी का पाठ्यक्रम पढ़ रहे थे वह प्रभावित हुए हैं और यह मैं समझता हूं कि राजस्थान में पहला उदाहरण है जब किसी को लेने के बाद शिक्षा विभाग यह कह दे कि पाठ्यक्रम हम बन्द कर रहे हैं। हाई कोर्ट से विद्यार्थियों ने स्थगन आदेश ले लिए। माननीय न्यायालय की भी शिक्षा विभाग अवहेलना कर रहा है। मुझे आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री जी से अपील करनी है कि वह इस मामले को तुरन्त देखें और उसकी रिप्लाई में बतायें कि कम से कम आप हाई कोर्ट की अवमानना न करें। हाई कोर्ट ने जो आपको निर्देश दिए हैं उन निर्देशों के अनुसार नर्सिंग और फार्मेसी की कक्षायें बीकानेर, उदयपुर और राज्य के अन्य हिस्सों में जो बन्द की गई हैं उनको पुनः चालू करें और आपके पास और आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पास यदि पाठ्यक्रम उपलब्ध नहीं है तो आप

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

एन.सी.ई. आर.टी. से जो पाठ्यक्रम उपलब्ध है उसको लागू करके और इन विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नक रें और इस पाठ्यक्रम को चालू करके उन विद्यार्थियों के साथ न्याय करें। जहां तक हायर एजूकेशन का सवाल है मैं एक सुझाव देना चाहता हूं माननीय शिक्षा मंत्री को। नई शिक्षा नीति के अन्तर्गत स्टेट काउन्सिल फोर हायर एजूकेशन का निर्माण होना था। इस सम्बन्ध में हमने दो-तीन बैठकें की और यह प्रक्रिया थी। मैं सुझाव देना चाहता हूं स्टेट काउन्सिल फार हायर एजूकेशन का निर्माण आपको करना चाहिए। इसी तरीके से इसी पेटर्न पर इसका नाम स्टेट यूनिवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन बनायें तो विश्वविद्यालय में समय-समय पर यह यू. जी. सी., यूनिवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन के आधार पर वहां के विकास के बारे में, रिसर्च के बारे में, पाठ्यकक्रम और समय-समय पर हायर एजूकेशन के सम्बन्ध में जो शैक्षिक नवाचार का प्रयोग होना चाहिए उनके बारे में हमारी शिक्षा के सुधार में जितने भी मुद्दे है उन मुद्दों वह विश्वविद्यालय के वाइस चान्सलर को डाइरेक्शन दे सके और गवर्नमेंट को समय-समय पर यह कह सके कि विश्वविद्यालयों के विकास के लिए आपको यह-यह काम करने चाहिये। यह इन्डिपेन्डेन्ट आटोनोमस आर्गेनाइजेशन होगा चाहिए जिसके माध्यम से राज्य में हायर एजूकेशन का डवलपमेंट हो सके। इसी प्रकार सभापति महोदय, यह बात कही गयी है कि : साहित्य कला विहीना, साक्षात पशु पुच्छ विहीना।

कला के बिना कोई भी व्यक्ति पूंछ वाले पशु के समान है इसलिए

(4.15 म. प.)

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

साहित्य कला और संस्कृति के बारे में निश्चित रूप से प्रदेश में कांग्रेस में काफी काम हुआ है और होना चाहिए। जवाहर कला केन्द्र जो हमारे वक्त में बना था वह जवाहरकला केन्द्र अभी अधूरा है। उसमें हमारी सारी अकादमियों को शिफट करके एक सांस्कृतिक नीति का निर्माण किया गया जो पूरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत हमारी संस्कृति नीति के बारे में विचार करके स्टेट सांस्कृतिक विकास के बारे में समय-समय पर काम करे।

श्री अध्यक्ष : माननीय कल्ला जी पार्टी का कोई टाइम नहीं है क्या ? किसका नाम कटवाना चाहते हैं यह बता दीजिए।, (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं एक घंटे और बोल सकता हूं शिक्षा के बारे में।

अध्यक्ष महोदय, मैं संक्षेप में अपने सुझाव बता रहा हूं। क्रीड़ा परिषद् के माध्यम से जो हमारी स्कूलें हैं उनको प्रति वर्ष एक लाख रुपये दिये जाते हैं इसके सम्बन्ध में अधिक से अधिक स्कूलों का उसमें चयन किया जाना चाहिए और 27 जिलों में से एक-एक स्कूल को कम से कम एक-एक लाख रुपये दे कर स्पोर्टस का डवलपमेंट राज्य में अधिक से अधिक करना चाहिए। इसी तरीके से समाज कल्याण

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

विभाग में कई पाकेट इन्स्टीट्यूशन्स हैं। इन पाकेट इन्स्टीट्यूशन्स को समाप्त करके अच्छी संस्थाओं में मिलाना चाहिए। सरकार की तरफ से जो अनुसूचितजाति के छात्रावास हैं उनमें खाने की खुराक के जो पैसे आप देते थे, 27 प्रतिशत मंहगाई बढ़ गयी है उसमें कम से कम 20 प्रतिशत बढ़ोतरी इमीजियेटली कर देनी चाहिए। इसके साथ-साथ जो अनुसूचित जन जाति के छात्रावास हैं उनमें विद्यार्थियों की संख्या भी आपको बढ़ानी चाहिए। इसके साथ-साथ राज्य में कुछ नये कालेजेज जो आपने खोले हैं कालेजेज बहुत कम हैं। 50 हजार की आबादी से जितने भी अधिक कस्बे हैं उनमें, राज्य में कम से कम पचास कालेजेज और बनाने चाहिए। जो 10 विषय आपने कालेज में खोले हैं वह कम से कम 50 विषय होने चाहिए। यह ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। 150 विषय हायर स्कूल्स में जो आपने खोले हैं वह बहुत कम हैं यह 4 तो विषय होने चाहिए।

श्री अध्यक्ष : इसका असर वहां होता है जहां बोलने वाले मानते हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : हमने खोल दिया था। अध्यक्ष महोदय, वहां तो मालिक में और उसमें झगड़ा था इसका मैं क्या करूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं शिक्षा मंत्री जी से उम्मीद करता हूं कि वह अपने उत्तर में इन मुद्दों पर पर्याप्त जवाब देंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री फूलचन्द गुर्जर।

श्री फूलचन्द गुर्जर (नीम काथाना) : अध्यक्ष महोदय, अभी शिक्षा की मांगों पर जो चर्चा हो रही है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। व्यक्ति के जीवन का सबसे जो मूल आधार है वह शिक्षा है लेकिन विगत वर्षों में शिक्षा की जो दुर्गति हुई उससे शिक्षा का स्तर बहुत गिरा। यह जरूर है कि कुशिक्षा का विकास हुआ है। लेकिन गुणात्मक दृष्टि से शिक्षा के बारे में देखें तो हिन्दुस्तान वह देश था जहां दुनियां के सब लोग यहां शिक्षा ग्रहण करने आया करते थे। शिक्षा का सबसे बड़ा उद्गम क्षेत्र भारत था। यहां नालन्दा विश्वविद्यालव और काशी विश्वविद्यालय जैसे महान विश्वविद्यालय थे। जहां विदेशों के लड़के शिक्षा ग्रहण करके जाया करते थे। लेकिन विगत 44 वर्षों में जो शिक्षा की दुर्गति हुई है उसके कई उदाहरण हैं जिससे आज हमारी ग्रामीण शिक्षा तो पिछड़ गई है। इन आंकड़ों से मालूम पड़ता है आज 35 हजार गांवों में से केवल मात्र 28 हजार गांवों में ही प्राथमिक शालायें हैं। आज कम से कम 7 हजार गांव ऐसे हैं जिनमें प्राथमिक शालायें नहीं हैं और इन 28 हजार गांवों की जो प्राथमिक स्कूलें हैं उनमें ऐसे 35 हजार प्राथमिक स्कूलें हैं जहां केवल एक ही अध्यापक है। ऐसी शालायें हैं जिनमें छत भी नहीं है ओपन, यानि खुले आकाश के नीचे बच्चे पढ़ते हैं। यह कह करके वाह-वाही लूटने की कांग्रेस सरकार ने शोशिश की कि हम प्रति वर्ष इतनी शालायें खोल रहे हैं। हमने तीन हजार, दो हजार, पन्द्रह सौ इस तरह की संस्थाओं की घोषणा करके शिक्षा के स्तर को गिरा दिया। ग्रामीण शिक्षा के बारे में कल्ला साहब बोल रहे थे कि हमने कितना शिक्षा

(श्री फूलचन्द गुर्जर)

में सुधार किया । कभी उन्होंने इन घोषणाओं से इस बात का भी सर्वे करवाया कि आज कितनी शालायें हैं । उनमें बच्चों के मापदण्ड के हिसाब से अध्यापक पूरे हैं, अगर बच्चों के मापदण्ड के हिसाब से नहीं हैं तो उससे गांव की शिक्षा और चौपट होगी । आज भी बहुत सारी ऐसी प्राथमिक स्कूलें हैं जिनमें एक अध्यापक है । आठ क्लासों में अगर एक अध्यापक पढ़ाता है तो इससे आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि गांवों की इन स्कूलों के साथ क्या न्याय होता होगा ? इन बच्चों का क्या स्तर होगा । होता एक अध्यापक आठ कक्षाओं को कैसे पढ़ा सकता है । ऐसी गांवों की शिक्षा की हालत है यह मानते हैं आंकड़ों के हिसाब से कि आज 20–25 हजार अध्यापकों की कमी है । जिससे गांव की शिक्षा का स्तर बिल्कुल चौपट हो गया । आज गांवों को एक और तोहफा देने को कहा । शिक्षा को और चौपट करने के लिए उच्च प्राथमिक शालाओं को जिला परिषदों के अधीन कर दिया गया । बिना अध्यापकों के विकल्प बनाये, बिना उनकी मन्शा के जाने इन्होंने उच्च प्राथमिक संस्थाओं का एक तरह से विनाश करने के लिए जिला परिषदों में झोंक दिया था । उनको मालूम था प्राथमिक स्कूलें जो पंचायतों में हैं उनकी आज क्या हालत है, आज वहां शिक्षा की दृष्टि से कितने पिछड़े हुये हैं, उनके अध्यापकों की आज क्या हालत है ? यह मानते हैं कि अध्यापकों की ओर जब तक पूरा ध्यान नहीं देंगे, आज प्राथमिक संस्थाओं के अध्यापकों की सहूलियतों को देखें, मुझे भी अध्यापक रहने का मौका मिला था । आज उनके मेडिकल बिल के ऊपर कोई सुनाई नहीं होती है, न उनका एरियर है, न उनका कोई बोनस है । इस तरह से हमारी उच्च प्राथमिक शालायें हैं । उनके अध्यापकों को जैसे ही जिला परिषदों के अधीन किया उनकी हालत वही हो गयी । माननीय कल्ला साहब ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में विकास किया है, वह विकास वापिस विनाश की ओर हो गया । आज मैं शिक्षा मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि गांव की शिक्षा को अगर ऊंचा उठाना है तो पुरजोर शब्दों में घोषणा करें कि उच्च प्राथमिक शालाओं को हम जिला परिषदों से हटाकर शिक्षा विभाग के अधीन पुनः करते हैं । इसके साथ-साथ मैं कुछ बिन्दु अपने शिक्षा मंत्री महोदय के सामने रखूँगा । वह यह भी घोषणा करें कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जैसे बजट में घोषणा की है कि हम रिक्त पदों की पूर्ति करें और जल्दी से जल्दी अध्यापकों की नियुक्ति करेंगे । मैं मेरे क्षेत्र की बता सकता हूं । हमारे क्षेत्र में ऐसी माध्यमिक और सीनियर माध्यमिक शालायें हैं जहां साइंस के अध्यापक नहीं हैं, जहां विषय के अध्यापक नहीं हैं,

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

वहां कोर्स पूरा नहीं होता है और कोर्स पूरा नहीं होता है—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे को केवल दो मिनट का समय हुआ है ।

श्री अध्यक्ष : मैं सात मिनट दूंगा और आपको 6 मिनट हो चुके हैं ।

श्री फूलचन्द गुर्जर : मैं दस मिनट बोलना चाहता हूं। चार मिनट और दें आप।

माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से मैं अपने क्षेत्र के बारे में निवेदन कर रहा था कि हमारे यहां कई शालायें हैं जहां विज्ञान के अध्यापक नहीं है और यह भी एक प्रवृति सारे राजस्थान में हो गई है कि जब अध्यापकों की कमी रहती है तो कोर्स पूरा नहीं होता है और कोर्स पूरा नहीं होता है तो यह ट्यूशन की प्रथा चलती है। आज हमारे गरीब छात्र जो पिछड़ रहे हैं उसका कारण यही है कि उनके पास पैसे नहीं होने के कारण से ट्यूशन नहीं मिल पाती है और पूंजीपति ट्यूशन से अपना कोर्स पूरा करवा लेते हैं। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो घोषणा की है कि हम पहले अध्यापकों की पूर्ति करेंगे, यह बहुत ही सुनहरी घोषणा है इससे बहुत बड़ी सुविधा मिलेगी।

मैं शिक्षा मंत्री महोदय से एक निवेदन और करूंगा कि पहले पूरक परीक्षाओं के दो चान्स दिये जाते थे जिससे उन छात्रों को यह सुविधा मिल जाती थी कि एक चान्स में अगर वह सक्सेस नहीं होते थे तो दूसरे चान्स में मेन परीक्षा के साथ में उत्तीर्ण हो पाते थे। इन्होंने पूरक परीक्षा का जो एक चान्स किया है उनके लिए छात्रों को कोर्टों के चक्कर लगाने पड़ें, कोर्टों के द्वारा उनको न्याय दिया गया है कि उनको दो चान्स दिये जायं। जबकि मैन्युअल में यह प्रावधान है कि पूरक परीक्षा में दो चान्स दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : मुख्य सचेतक जी।

श्री फूलचन्द गुर्जर : मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि—

श्री अध्यक्ष : अब आप बिराजिये।

श्री फूलचन्द गुर्जर : मैं महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : आपकी महत्वपूर्ण बात समय में आनी चाहिए। महत्वपूर्ण बात अगली बार बताना आप।

श्री फूलचन्द गुर्जर : दो मिनट केवल।

श्री अध्यक्ष : अब आप दो मिनट नहीं, एक मिनट में समाप्त करिये।

श्री फूलचन्द गुर्जर : उच्च शिक्षा मंत्री महोदया से भी निवेदन करूंगा कि उन्होंने मेरे एक 295 के प्रस्ताव के तहत घोषणा की थी कि रोहतक विश्वविद्यालय से जो बी. एड. का पत्राचार कोर्स है, हमारे राजस्थान के तीन-चार हजार छात्र वहां से बी. एड. की शिक्षा प्राप्त करके आए हैं, वह धरने पर भी बैठे हुए हैं, उन्होंने घोषणा की थी कि शिक्षा के दिन इसको मान्यता देने की घोषणा करेंगे। इसलिए वह यह भी घोषणा करें।

अन्त में मैं एक बात कहकर अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। आज हमारे राजस्थान में विकलांगों की शिक्षा के प्रति सरकार बिल्कुल उदासीन है। 1981 के अनुसार 80043 विकलांग हैं और उनकी शिक्षा की जो व्यवस्था की गई है उनमें 752 छात्र छात्रायें प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और 158 छात्र माध्यमिक शिक्षा में। अब आप बताइये, 80

(श्री फूलचन्द गुर्जर)

हजार छात्रों में 158 छात्रों की शिक्षा की व्यवस्था कर रखी है। इसलिए माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, आप यह भी घोषणा करें कि हर जिले में एक विकलांग शाला खोली जायगी। उसके साथ ही मुझे समय दिया उसके लिए मैं आपका बहुत ही आभारी हूं।

कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन

श्री अध्यक्ष : मुख्य सचेतक जी।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता (मुख्य सचेतक) : माननीय अध्यक्ष महोदय मैं कार्य सलाहकार समिति के चतुर्थ प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

कार्य सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 9 जुलाई, 1990 को मध्याह्न पश्चात् 3 बजे माननीय अध्यक्ष के चेम्बर में हुई। समिति ने दिनांक 19 जुलाई से 24 जुलाई, 1990 तक सदन में लिये जाने वाले कार्य के विषय में विचार विमर्श किया। समिति ने अपने चतुर्थ प्रतिवेदन में आंशिक संशोधन की सिफारिश करते हुए निर्णय लिया कि सदन में लिये जाने वाले कार्य का बंटवारा निम्न प्रकार किया जाय।

गुरुवार, दिनांक 19 जुलाई, 1990

राजस्थान विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 1990 पर विचार।

शुक्रवार, दिनांक 20 जुलाई, 1990

राजस्थान विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 1990 पर अग्रेतर विचार एवं पारण।

गैर सरकारी कार्य दिवस मध्याह्न पश्चात् 3 बजे से मध्याह्न पश्चात् 5 बजे तक।

शनिवार, रविवार को बैठक नहीं होगी।

सोमवार, दिनांक 23 जुलाई, 1990

(1) राजस्थान न्यायालय फीस तथा बाद मूल्यांकन (संशोधन) विधेयक, 1990

(2) राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1990

(3) राजस्थान नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1990 एवं

(4) राजस्थान लोकायुक्त तथा उपलोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 1990

पर विचार एवं पारण।

मंगलवार, दि. 24 जुलाई, 1990

1. राजस्थान वित्त विधेयक, 1990
2. राजस्थान विक्रय कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1990
3. राजस्थान वीडियो फिल्म प्रदर्शन एवं विनियमन विधेयक, 1990, एवं
4. राजस्थान होटल एवं बासों में विलासों पर कर विधेयक, 1990 पर विचार एवं पारण।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के चतुर्थ प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रगट करता है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के चतुर्थ प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रगट करता है ?

(स्वीकृत)

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री ओमप्रकाश गुप्ता (मुख्य सचेतक) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन की कार्यवाही मांग संख्या 24-शिक्षा, कला एवं संस्कृति और मांग संख्या 33–सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के ऊपर विचार एवं पारण तक बढ़ाई जाय।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की सहमति है इससे ? (स्वीकृत) समय बढ़ाया गया।

श्री हेतराम जी।

(182)

अनुदान की मांग संख्या 24 एवं 33 पर विचार

श्री हेतराम बेनीवाल (संगरिया) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 24 माननीय शिक्षा मंत्री महोदय ने और मांग संख्या 33 माननीय समाज कल्याण मन्त्री महोदय ने हमारे सदन के सामने प्रस्तुत की है। जिस तरह माननीय शिक्षा मन्त्री महोदय ने सदन से मांग की है इस धन-राशि की और उसके सिलसिले में जो सदन में विचार हो रहा है। हमारी जो पूर्व सरकार थी उसके मन्त्री महोदय ने और उनके सदस्यों ने जो इस पर विचार जाहिर किये हैं, मैं समझता हूं राजस्थान में पिछले 42 साल तक यह दो साल भी अगर सम्मिलित करूं तो निश्चित तौर से हमारी पिछली नीति इस तरह की रही है कि इस शिक्षा नीति के नतीजे पर राजस्थान की आम जनता शिक्षित नहीं हो पाई। जहां तक शिक्षा के स्तर का सवाल है, मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं। मैं तो साक्षरता की बात करता हूं कि हम आजादी के बाद अपने खुद के राज में सारे साधन हमारे पास होते हुए भी हमारे प्रदेश के नागरिकों को अभी तक हम साक्षर नहीं कर सके और अभी तक प्रदेश के अन्दर साक्षरता का जो स्तर है वह चालीस प्रतिशत है। इससे बड़ी शर्म की क्या बात होगी कि 40 साल तक अपना राज कायम करके अपना पैसा, धन सब कुछ खर्च करने के बाद भी 40 पर्सेन्ट लोगों को साक्षर कर सके।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : 24·38 प्रतिशत ही है।

श्री हेतराम बेनीवाल : मैं आपसे अर्ज करूं कि 24 पाइन्ट समथिंग है तो इससे भी बहुत शर्म की बात है। पर जिस सरकार ने 24 प्रतिशत लोगों को साक्षरता दी उस सरकार ने अपने यहां वह विभाग भी चलाया जिसका नाम प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र है। तो क्या प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों में जिन लोगों को पढ़ाया जाता था वह पढ़ते थे, साक्षर होते थे या नहीं उन सारे केन्द्रों में पैसे का अपव्यय होता था। मैं इसकी बात नहीं कर रहा। मैं, अब जो सबसे बड़ा सवाल पैदा हुआ है कि हमारी नई सरकार जो नया वातावरण लेकर यह मांगें प्रस्तुत करने आई है उनसे मैं एक ही सवाल पूछता हूं कि आपने इस बारे में अपनी तरफ से क्या नीति रखी। क्या आपने वही कॉमर्शियल तरीका जो कांग्रेस ने चालीस साल तक चलाया कि हम स्कूल चलाते हैं, कॉलेज चलाते हैं, हम होस्टल चलाते हैं, यह बिजनेस कम्पनी नहीं, यह हमारी जो सरकार है वह कोई कॉमर्शियल संस्था नहीं है, वह इस बात का प्रचार करे कि हम इतने स्कूल चलाते हैं, इतने हम कॉलेज चलाते हैं। हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है कि हमारे प्रदेश की जनता है उसको साक्षर करते हैं या नहीं? आज प्रदेश के अन्दर लाखों परिवार ऐसे हैं जिनके बच्चे स्कूल जा ही नहीं सकते। माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, आप अगर उन बच्चों का आंकड़ा लें जो होटलों पर काम करते हैं, जो लोगों के जूठे बर्तन धोते हैं जो हजारों संस्थानों में फैक्टीरियों में पत्थर तोड़ने वाले संस्थानों में दस-दस बारह-बारह साल की उम्र में, सात-सात, आठ-आठ साल की उम्र में अपने परिवार को छोड़कर रोटी-रोजी के लिये जो सुबह चार बजे निकलते हैं, जिन्होंने कभी जिन्दगी में स्कूल देखा नहीं, आपकी सरकार ने ऐसे लाखों बच्चों के लिये क्या व्यवस्था की है? उन बच्चों के लिये उन परिवारों के लिये जो गांवों के अन्दर अपने परिवारों के लिये पशुओं के लिये अपनी बकरियों के लिये निकलना पड़ता है ऐसे लाखों हजारों बच्चों के लिये आपने क्या व्यवस्था की है? मेरी समझ में आपने मांग रखते वक्त आपकी नीति में एक शब्द भी नहीं कहा। वही है जो कांग्रेस में था। इस लिये मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आप वाकई चाहते हैं कि इस प्रदेश के लोग आपकी सरकार को नई सरकार के रूप में महसूस करें। आपके विभाग को आपके इस शिक्षा मंत्रा-

(श्री हेतराम बेनीवाल)

लय को लोग यह महसूस करें कि जनता के लिये यह मंत्रालय है तो निश्चित रूप से इस चीज पर गौर करें और प्रोग्राम बनायें कि ऐसे बच्चों को हम किस तरह से शिक्षा क्षेत्र में ला सकते हैं, उनको किस तरह से शिक्षा दे सकते हैं। दूसरी बात मुझे यह कहनी है मेरे मित्र यहां मेरे पड़ोस में बैठे हैं जनता दल के लोग हैं और गांव के बारे में जिनको बहुत बड़ा दर्द है। सारे देश में और विशेष तौर पर इस प्रदेश में जो परिवर्तन किया है उसका आधार यह है कि गांव के साथ पक्षपात होता है, गांव के साथ सौतेला व्यवहार होता है और जो शिक्षा नीति इस सरकार ने 40 साल तक चलाई निश्चित तौर से एक ही शिक्षा नीति थी कि इस प्रदेश के अन्दर एक प्रशासनिक मशीनरी को चलाने के लिये, बड़े-बड़े संस्थान और बड़ी-बड़ी फैक्ट्रीज को संभालने के लिये पढ़े लिखे बाबुओं की एक फौज तैयार की जाय इसके सिवाय उनकी शिक्षा नीति का उनका कोई उद्देश्य नहीं था। आपने भी उस उद्देश्य के सिवाय कोई और उद्देश्य रखा है। मैं आपसे अर्ज करूं आज गांव की यह स्थिति है कि जितने आंकड़े आपने दिये हैं उन आंकड़ों के अन्दर अगर सच्चाई जाहिर करें तो राजस्थान में ऐसे ऐसे मिडिल स्कूल हैं जिन में एक-एक टीचर है। आप ताज्जुब करेंगे एक टीचर है और मिडिल स्कूल खोल दिया गया। जहां दो-दो सौ, तीन-तीन सौ विद्यार्थी हैं वहां दो दो टीचर रख रखे हैं और दो-दो टीचर के सिवाय न टाट पट्टी है, न ब्लैक बोर्ड है, न पूरी तरह से कमरा है, न सिर पर छत है ...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं एक अर्ज करूं मुझे यह दो बात आपसे कहनी हैं कि आप प्रदेश के अन्दर क्यों उसी दो तरह की शिक्षा को रखना चाहते हैं। एक शिक्षा उनके लिये जो प्रदेश के बड़े रईस लोग, बड़े नौकरशाह अफसर और सेठ हैं जिनके लिये पब्लिक स्कूल चलते हैं जिन पर सारा पैसा खर्च होता है और एक शिक्षा उनके लिये जहां न टीचर है, न बिल्डिंग है न छत है।

मुझे दूसरी बात मांग संख्या 33 पर कहनी है। यही नक्शा मांग संख्या 33 का है। समाज कल्याण विभाग आज तक कांग्रेस के राज में तो पूरा भ्रष्टाचार का ही विभाग रहा। अब कोई भ्रष्टाचार से निकल पायें तो अलग बात है। जितने इनके छात्रावास चलते हैं सारे छात्रावासों में अगर इनकी पूरी तरह जांच की जाये तो सारा का सारा पैसा गबन होता है....

एक माननीय सदस्य : अब इनकी रेट बढ़ गई।

श्री हेतराम बेनीवाल : मैं आपको दो उदाहरण दूंगा। हमारे यहां एक मंत्री जी थे इस तरह बैठते थे, रोहिड़ावाली गांव में उन्होंने एक संस्थान बना रखी थी समाज कल्याण विभाग की जहां गूंगे और अपाहिज बच्चे भर्ती करके उनको भरण पोषण और उनको सिखाया पढ़ाया जाता था। आपको ताज्जुब होगा कि उन्होंने पिछले पाँच साल तक लगातार सरकार से एड ली और एक भी बच्चा नहीं, उस गांव में कोई गूंगा बच्चा है ही नहीं, पूरे गांव में....

(184)

एक माननीय सदस्य : बाहर गांव का होगा।

श्री हेतराम बेनीवाल : बाहर गांव से क्या, उसमें कुछ नहीं। मुख्य मंत्रियों को, मंत्रियों को सबको चिठ्ठियां दी, जांच हुई और उसके बाद उसका अभी तक कोई नतीजा सामने नहीं आया और पूरी संस्थान दस लाख रुपये डकार गई रोहिड़ावाली गांव है और श्री के. सी. विश्नोई साहब मंत्री थे, यहां भूतपूर्व मेम्बर थे उनके गांव में वह स्कूल चलता था अपाहिज और विकलांग बच्चों का और इस पूरी संस्थान में सौ बच्चे थे एक भी बच्चा उस गांव में नहीं मिला। इन्क्वायरी हुई, इन्क्वायरी में सही पाया गया कांग्रेस राज में इन्क्वायरी हुई यही हमेशा तथ्य आते रहे कि 100 बच्चे पढ़ते हैं। 100 बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दूसरा, इसी तरह का एक स्कूल दीनगढ़ में चलता है। इसी तरह की एक संस्था है जो बिल्कुल नकली है। सिलाई स्कूल बना रखा है। उस इन्स्टीट्यूशन में भी एक भर्ती नहीं, एक सिलाई मशीन नहीं, कुछ भी नहीं है। तो मैं समझता हूं कि यह समाज कल्याण विभाग जिसकी इतनी बड़ी मांगें हमारे सामने रखी हैं। मैं चाहूंगा कि इस गरीब प्रदेश में यह जो समाज कल्याण कर रहे हैं यह कल्याण न करें तो ही अच्छा है। सारी संस्थानों की पहले पूरी तरह से जांच हो, जांच के बाद उनके तथ्य हमारे सामने आये उसके बाद इनको एड दी जावे। मेरा यह निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती उजला अरोड़ा।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : अध्यक्ष महोदय, मुझे पहले बता दें कि कितना टाइम मुझे दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : एक मिनट, आप बैठिये।

सूचना

विधान सभा क्षेत्र हिण्डोली में पुलिस कस्टडी में एक व्यक्ति की मृत्यु

श्रीमती रमा पायलट (हिण्डोली) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को यह बताना चाहती हूं कि मुझे अभी-अभी खबर मिली है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र डिण्डौली में एक व्यक्ति की पुलिस ने मार-मार हत्या कर दी। किसी चोरी के मामले में तफतीश करने गये हुए हैड कान्स्टेबल जिसका नाम सज्जन सिंह और सिपाही घनश्याम और उनके साथ चार पुलिस वाले वहां गये और उन्होंने एक व्यक्ति जिसका नाम रामनाथ सिंह था उसको पूछा, उसकी पत्नी ने बताया कि वह दूसरे गांव में गये हुए हैं। वह वहां गये और वहां उसको पकड़ा और पकड़ कर पीटा और उसको पीटते पीटते उस गांव से उसको हिण्डौली तक ले आये और थाने में बन्द कर दिया और रात को इतनी पिटाई के बाद उसकी मृत्यु हो गई। पोस्ट मार्टम कराया गया और उसमें यह पाया गया कि उसकी पिटाई के कारण मृत्यु हुई। मैं चाहूंगी कि सरकार इस पर स्टेटमेंट दे।

श्री अध्यक्ष : सरकार इसमें जांच करके बता दे।

(श्री अध्यक्ष)

श्रीमती उजला अरोड़ा। (व्यवधान) जांच से मतलब इन्फर्मेशन मंगाने से है।

श्री हीरालाल देवपुरा (कुम्भलगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा। आये दिन ऐसी घटनायें हो रही हैं। जून के महीने से लगातार हम देख रहे हैं सबसे पहले चित्तौड़गढ़ जिले में पंकज श्रीवास्तव की पुलिस की कस्टडी में हत्या की गई। सतवाड़ी काण्ड पर इस सदन में चर्चा की गई, मण्डावरी काण्ड पर यहां डिस्कशन किया गया। किसी भी एक भी प्रकरण में जांच होकर रिपोर्ट सामने नहीं आई और न यहां पर यह बताया गया कि फलां केस के फलां सब इन्सपैक्टर को या फलां आफिसर को सजा दी है। उसका नतीजा यह हो रहा है कि दिन प्रति दिन यहां पुलिस कस्टडी में हत्यायें हो रही हैं। ऐसे जघन्य अपराध अब तक कभी नहीं हुए हैं। मैं चाहूंगा कि सरकार स्पष्ट करे कि आखिर इस राजस्थान के अन्दर सरकार चाहती क्या है। पुलिस राज चाहते हैं या यहां पर लोकतांत्रिक तरीके से राज करना चाहते हैं। यह घटनायें हो रही हैं, और कहें कि हम पुलिस से जांच करवायेंगे, स्टेटमेंट मांग लेंगे, कुछ कर लेंगे। कोई प्रक्रिया नहीं। इतने काण्ड हो गये और इस सदन में उठे हैं। उन पर एक पर भी अभी तक सदन में रिपोर्ट नहीं आई है। जून महीने के अन्दर जो पंकज काण्ड हुआ था उसके ऊपर भी अभी तक रिपोर्ट नहीं आई। मजिस्ट्रेट ने इन्क्वायरी की है ऐसा बताते हैं। रिपोर्ट यहां पहुंच गई बताई जाती है लेकिन उस पर भी पता नहीं किस तरह से क्या हुआ? मण्डावरी के ऊपर यहां पर इतनी चर्चाऐं हुई। अभी तक पता नहीं लगा है उस केस के अन्दर क्या किया गया है। यहां तक माना गया कि पुलिस सब इन्सपैक्टर की मौजूदगी के अन्दर उसके इशारे के ऊपर सारा काण्ड हुआ है। और उस पर अभी तक कुछ नहीं हुआ है यह सरकार ने माना है। लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। यही तो कारण बनते जा रहे हैं अध्यक्ष महोदय, जिसकी वजह से रोजमर्रा इस प्रकार से हत्यायें हों और इस प्रकार के काण्ड होते हैं और सरकार इसके ऊपर कुछ देखती ही नहीं है। आसन से यह कह दिया जाता है कि स्टेटमेंट मांग लेते हैं चर्चा कर लेते हैं। कल को यह कह दिया जायेगा कि पुलिस की डिमाण्ड है उस दिन बात कर ली जाये। अध्यक्ष महोदय, ऐसे मामलों के अन्दर ढिलाई से काम नहीं चलेगा सख्त एक्शन लिया जाना चाहिये और मैं चाहूंगा कि इसके ऊपर बिल्कुल सैपरेट अलग तरह से सरकार को बात कहनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : सरकार सख्त से सख्त कार्यवाही करे। (व्यवधान)

श्री हेतराम बेनीवाल : इस मामले में सरकार है ही नहीं।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत (करौली) : माननीय अध्यक्ष महोदय,....

श्री अध्यक्ष : जो यह कह रहे हैं वही मैं कह रहा हूं।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, मुझे एक बात और इम्पोर्टेंट कहनी हैं मुझे यह खबर मिली है कि अब पुलिस इस बात के षड्यन्त्र में लगी हुई है कि पुलिस के डिण्डौली थाने में जिस प्रकार पुलिस वालों ने मारा है, अब मुझे यह इन्फर्मेशन है अध्यक्ष महोदय, पुलिस इस काम के षडयन्त्र में लगी हुई है कि वह उस हत्या को कैसे छुपा करके यह दिखा सके कि थाने में नहीं मरा, गांव के लोगों को जबरदस्ती इसमें फंसाये जाने की साजिश हो रही है जैसा कि मण्डावरी के अन्दर एक पूरा सुनियोजित षड्यन्त्र किया गया था उसी प्रकार राजस्थान की पुलिस इस काम में भी सुनियोजित षडयन्त्र में लगी हुई है, मुझे अच्छी तरह मालूम है....

वहां पर अभी डी. आई. जी. पहुंच चुका है हिण्डोली थाने के अन्दर और यह खबर हमारे पास है कि वहां निर्दोष गाँव वालों को फंसाने के लिए नकली केस बनाया जा रहा है कि गांव वालों ने पीटा है, इस बात की साजिश चल रही है। अध्यक्ष महोदय, इसलिये इसका स्टेटमेंट होना आज आवश्यक है। अगर आपने जांच के लिए मौका दे दिया और अगर इस सम्बन्ध में रात भर का मौका और मिल जाता है तो मानकर चलिये, सुबह यह मामला बिल्कुल लीपा पोता हुआ आयेगा और इस तरह निर्दोष लोग थाने में मारे जायेंगे, कोतवाली में मारा जायेगा इस तरह पुलिस हिरासत में ..

एक माननीय सदस्य : आप व्यवस्था दें, होम मिनिस्टर साहब इसी समय तत्काल व्यवस्था दें।

श्री अध्यक्ष : सरकार बोल रही है।

श्री हरिकुमार औदिच्य (शिक्षा मंत्री) : जैसा करौली से आने वाले माननीय सदस्य को शंका है कि हिण्डौली में जो भी कुछ हुआ है, डी. आई. जी. गये हैं और उसे दबाना चाहते हैं। वह जमाना तो गया दबाने का। अब नहीं लगता कि इस प्रकार जो जुल्म होगा जो आप उत्साह दिलाना चाहते हो लेकिन अध्यक्ष महोदय जो भी होगा, वो नियम और प्रक्रिया के अनुसार होगा.... (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : सदन में इनको स्टेटमेंट देना होगा। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : उनके खिलाफ आप कार्यवाही चाहते हो या + + + चाहते हो आप लोग। सरकार उसके खिलाफ कार्यवाही करेगी। सरकार बोल रही है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, जयपुर में लाला को मारा।

एक माननीय सदस्य : माननीय अध्यक्ष, उस गरीब की हत्या बंददुआ दे रही है, केवल पीड़ा नहीं। (व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, गत साल 16 जून को मेरे इलाके में बाबूलाल नेगी आदर्श नगर में पीट-पीट करके रामजस नाम के थानेदार ने उसकी हत्या कर दी।

श्री अध्यक्ष : उजला जी, आप बैठिये।

+++ शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्रीमती उजला अरोड़ा : और सरकार ने गौर ही नहीं किया। मैं आपसे निवेदन करती हूं जो भी ऐसी कार्यवाही हो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जानी चाहिये। यह मेरा आपसे आग्रह है। किसी पुलिस वाले को प्रोत्साहन देने की जरूरत नहीं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये। हां बोलिये।

श्रीमती विद्या पाठक (आबकारी मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या सरकार के ध्यान में अभी लाई हैं, इस विषय में पूरी जानकारी करके वक्तव्य दिला देंगे।

एक माननीय सदस्य : तो सरकार अब तक कैसे सो रही थी ? (व्यवधान)

श्रीमती विद्या पाठक : सरकार की बात नहीं सुनेंगे आप ? आप अकेले अपनी ही बात बोलेंगे।

एक माननीय सदस्य : हम अपनी बात नहीं बोल रहे हैं। फील हुआ बोल रहे हैं। फील होता है जब बोलते हैं। हो सकता है, और तरह की बात बोल रहे हैं आप।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का सवाल है।

श्री अध्यक्ष : आप सुन तो लीजिये पहले। वो क्या कह रहे हैं ? आपकी बात पूरी सुनी गई है, आप उनकी भी सुन लीजिये। बिराजिये आप, सुनिये।

एक माननीय सदस्य : कान खुले रखें और आंख खुली रखें ताकि जानकारी मिलती रहे। हो सकता है सारी जानकारी नहीं हो।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है इसकी जानकारी करके सदन को सूचित किया जावेगा।

श्री अध्यक्ष : आप सुनिये, उनकी बात सुनिये।

श्रीमती विद्या पाठक : आप अभी ध्यान में लाई हैं, परफेक्ट जानकारी आपको भी नहीं है। हमारे मन्त्री महोदय मालूम करेंगे और सदन को उससे अवगत करवायेंगे। जब तक बात पूरी तरह कन्फर्म पता न हो, उसे इश्यू बनाने से क्या फायदा - जानकारी करके बताया जायेगा। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह इश्यू नहीं है।

एक माननीय सदस्य : जवाब आना चाहिये सरकार का। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : माननीय अध्यक्षजी, यह पहले वाली सरकार क्या तुरन्त उत्तर दिया करती थी ? क्या.... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : हमारी सरकार तो इससे सख्ती से निबटेगी।

श्री बुलाकीदास कल्ला : आज सरकार का स्टेटमेंट दिलाया जाय। अध्यक्ष महोदय, इनका स्टेटमेंट करवा दीजिये ना। अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था कीजिये और आज ही स्टेटमेंट दिलाइये। (व्यवधान)

(188)

एक माननीय सदस्य : केवल आपको + + + आता है। उस गरीब के प्रति हमदर्दी है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : आप लोग बैठे तो। बिराजिये आप। आगे आप देखिये। प्लीज सिट डाउन। एक मिनट सुनिये आप।

श्री चन्द्रभान (यातायात मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, आप वक्तव्य के लिये समय निर्धारित कर दीजिये, सरकार वक्तव्य दे देगी।

श्री अध्यक्ष : आज ही सरकार स्टेटमेंट दे सकती है। (व्यवधान)

हां, हां, हो जायेगी।

श्री चन्दनमल बैद : तय क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप। हां, हो गई बात। वो आज ही दे रहे हैं। श्रीमती उजला अरोड़ा।

श्री चन्द्रभान : जो भी समय आसन निर्धारित करेंगे.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : हां, आज ही होगी। अब क्या बात कर रहे हैं आप ? बिराजिये आप। प्लीज सिट डाउन। हाँ, शुरू कीजिये। बोलिये आप।

अनुदान की मांग की संख्या 24 एवं 33 पर विचार

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मुख्य मंत्रीजी को पत्र लिखकर आग्रह किया था कि अपनी राज काज की भाषा हिन्दी होनी चाहिये। और जो पहल मध्य प्रदेश ने की, वो पहल हमारे द्वारा की जानी चाहिये थी लेकिन मुझे उस पर अमल होता नजर नहीं आता। मैं आपके माध्यम से आग्रह करूंगी राज्य में समस्त कार्यों में हिन्दी को प्रथम स्थान मिलना चाहिये, यह मेरा सर्वप्रथम आग्रह है। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि प्रतियोगी परीक्षाओं में भी, यह हिन्दी भाषी राज्य है इसलिये इसमें हिन्दी को स्थान दिया जाना चाहिये। अंग्रेजी में जो परीक्षायें ली जाती हैं, उसकी वजह से हमारे प्रखर और मुखर छात्रों को पराजय का सामना करना पड़ता है। मैं निवेदन करूंगी, मुझे आशा है कि मंत्रिमण्डल कुल मिलाकर अपनी जिम्मेदारी समझ कर हिन्दी में परीक्षा लिये जाने की व्यवस्था करेगा। मैं निवेदन करना चाहूंगी यह राजस्थान है, यहां हम सब रहते हैं। राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाने के लिए हमारी सरकार को, हम सबको मिलकर कार्य करना चाहिये मैं यही निवेदन करना चाहूंगी।

आप बैठ जाइये आप ब्रज भाषी हैं। मैंने एकेडमी खुलवा दी है पहले ही। मैं निवेदन करना चाहूंगी अध्यक्ष महोदय, कि जो एकेडमी में उनका पुनर्गठन करना था, हमारी सरकार बने तीन-चार महीने हो चुके हैं। इनके पुनर्गठन की तात्कालिक व्यवस्था की जानी चाहिये तथा यह भी जिन लोगों ने पिछली सरकार में धांधली की है, उनको जांच कर उन्हें पर्याप्त दण्ड दिये जाने की व्यवस्था भी करनी चाहिये। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि पंचायतों से शिक्षा लेने की बात कही गई है, उच्च

+ + + शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

प्राथमिक शिक्षा को तात्कालिक रूप से वापिस लिया जाना चाहिये। उसका अलग निगम बनाया जावे या बोर्ड बनाया जावे। कुछ भी करें, लेकिन शिक्षा पंचायतों के पास नहीं रहनी चाहिये। इसलिए मान्यवर, हम भुक्त भोगी हैं। मास्टरों की हालत वहां चपरासियों से ज्यादा बदतर है। उनकी शिकायतों पर न तो शिक्षक को तनख्वाह ठीक समय पर मिलती है और वर्तमान में तो जो उनको अन्य भत्ते हैं वह भी नहीं मिल पा रहे हैं। यह मेरा आपसे निवेदन हैं पाठ्यक्रमों में नैतिक शिक्षा की बात माननीय चन्दनमल जी यहाँ बैठे हैं, उन्होंने अपने टाइम में स्वीकार की थी। खेद है उस सरकार ने नहीं किया। पर मैं आपसे कहना चाहूंगी कि राष्ट्रीयता की नैतिक शिक्षा के पाठों को शिक्षा में जो भी सरकार पाठ्यक्रम के माध्यम से पुस्तक छपाये उन पाठ्यक्रमों को जोड़ा जाये जिससे यहाँ के नागरिक एक अच्छे संस्कार को लेकर आगे बढ़ें। मैं निवेदन करना चाहूंगी प्राइमरी शिक्षा के लिये कि ये केवल महिलाओं द्वारा दी जानी चाहिये। और केवल महिलाएं ही पढ़ा सकें। मेरा तर्क यह है इस बारे में कि वो शिक्षा के साथ-साथ उनको संस्कार भी दे सकेगी, उनको दायित्व का वहन करना भी सिखा सकेगी तो प्राइमरी शिक्षा केवल महिला शिक्षकों द्वारा ही दी जाय, ऐसा सरकार विचार करे और उसको क्रियान्वित करे। एक निवेदन करना चाहूंगी मैं आपके माध्यम से कि गांवों में शिक्षक नहीं जाते, यह बात कही जाती है। और कही ही नहीं बिल्कुल सामने बात है। कई सुविधाएं वहां अभी नहीं हैं। एक अनिवार्यता रखी जानी चाहिये कि वो अपने पूरे कार्य काल में 9 साल तक गांवों में शिक्षा देंगे साथ ही सबसे पहले जिनको यहां पर नियुक्ति दी जाय। उनके लिए 3 साल गाँव में शिक्षा दिया जाना अनिवार्य हो, इस बात को सरकार ने अगर अपनी क्रियान्विति में लिया तो यह बात सच है कि गांवों में स्कूलों में शिक्षा की कमी नहीं रहेगी। मान्यवर, शिक्षा की नीति में परिवर्तन करने की बात पहले भी कही गई है और मैं भी कहना चाहती हूं। मैं चाहती हूं कि रोजगारोन्मुखी शिक्षा दी जाय। वर्तमान में पढ़ लिखकर, तकनीकी शिक्षा प्राप्त करके भी लोग बेकार घूम रहे हैं उनको नियुक्ति दी जाय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से यह कहना है।

मैं निवेदन करना चाहूंगी....

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : घोषणा पत्र के अनुसार।

श्रीमती उजला अरोड़ा : क्या कहना चाहते हैं? मैं आपसे पूछ कर नहीं लूंगी सलाह। मेरा निवेदन है कि हमारे यहां लाइब्रेरी में जो लगे हुए लोग हैं या संगीत शिक्षा में जो लगे हुए शिक्षक हैं उनको कोई पदोन्नति के अवसर नहीं हैं। मान्यवर, इस विषय में फिर लोगों का शिक्षा लेना कम करना निश्चित बात है। उनकी जगह दूसरे लोग लगते हैं। इनके सेवा नियमों में पदोन्नति के प्रावधान के अनुरूप वेतन में वृद्धि का प्रावधान होना चाहिए। मैं निवेदन करना चाहूंगी, भाषा विभाग को शिक्षा विभाग से अलग किया गया। उससे अलग

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

करने में मुझे कोई तर्क प्रतीत नहीं होता। उसमें शामिल किये जाने से स्वतः ही हमारा खर्च कम बैठेगा। उसे पुनः शिक्षा विभाग में शामिल किया जाना चाहिये।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मैं तीन चार बिन्दू कह कर बंद कर दूं आप कहो तो।

श्री अध्यक्ष : समय तो चलेगा आप जितना कह सकती हैं, कहिये। समय रुकेगा नहीं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैंने इसलिये सबसे पहले आपसे पूछा था, आप मुझे कितना समय देंगे। मैं उसी में अपनी बात को शामिल कर देती।

श्री अध्यक्ष : 28 आदमियों के नाम हैं उस हिसाब से करना पड़ेगा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : लेकिन वह माननीय सदस्या रमा पायलेट की बात में मेरी बात खो गई थी। मुझे आप कितना टाइम दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आपका समय जब से आपने शुरू किया तब से काऊंट कर रहा हूं। वह नहीं कर रहा हूं। वह समय आप में नहीं हो रहा है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं निवेदन करना चाहूंगी, अभी हमारी जो हिन्दी ग्रंथ अकादमी है, कवियों और लेखकों को प्रोत्साहन देने के लिये नई पुस्तकें छपाने का कार्यक्रम शायद बिल्कुल बंद कर दिया गया, वहां पुस्तकें छपनी चाहिये। मैं बिन्दुओं में बोल रही हूं, मैं कोई विस्तार नहीं कर रही हूं। तो उसमें कौनसी आपत्ति आपको हुई? अजमेर विश्वविद्यालय में जो इस वर्ष अनियमितता हुई है, मैं आपको निवेदन करूं कि उनकी जो अंकतालिका कम्प्यूटर से छपी है स्नातकोत्तर परीक्षाओं में, आपके समय की बात कह रही हूं मैं, 1988-89 की परीक्षाओं में, 1989–90 की परीक्षाओं में....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री अध्यक्ष : बस, आपका समय समाप्त हो गया। श्री रामकरण सिंह।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप धांधली की बात नहीं बताने देना चाहते।

श्री अध्यक्ष : अब आप बिराजिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मेरा निवेदन है कि कम्प्यूटर से अंकतालिका बनाई जायें तो मेहरबानी करके उनकी दुबारा जांच करवाने की बात करें।

श्री अध्यक्ष : हां, बोलिये, रामकरण सिंह जी, आपकी आवाज तेज है, बोलिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा : जो प्रथम आये छात्र हैं....

श्री रामकरण सिंह : माननीय उजला जी, अब बैठ जायं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : रामकरणजी, आप बैठ जाओ।

श्री रामकरण सिंह : जरा आप बैठ जाओ, मेरा टाइम खराब हो रहा है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : हमारा आपका वायदा हुआ था....

श्री अध्यक्ष : माननीय उजलाजी, प्लीज, आपस में बात मत करिये । आप बिराजिये । उजलाजी, बैठिये । अब आप बैठिये ।

श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली) : माननीय अध्यक्ष जी, शिक्षा के बारे में आज सुबह से चर्चा हो रही है और अपने-अपने विचार माननीय सदस्य रख रहे हैं। भूतपूर्व शिक्षा मंत्री ने भी जो बातें यहां कहीं कि मैंने यह किया है, मौजूदा में भी लोगों को यह बताया कि मैं यह कर जाऊंगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में इस शिक्षा के बारे में भगवान ही मालिक है। उन लड़कों को किसान, मजदूर, हरिजन किस तरह से उनके कपड़े, किताबें, उनकी खुराक, उनको स्कूल भेजने की स्थिति में लाते हैं उनका कोई धनी-धोरी नहीं है। अभी एक माननीय सदस्य ने बीच में खड़े होकर कहा था कि हम धनी-धोरी हैं। मैं दावे से कहता हूं न किसी प्रकार से कोई अध्यापक धनी धोरी है, न कोई अधिकारी धनी-धोरी है, न माननीय सदस्य धनी धोरी है, न राज्य सरकार धनी धोरी रही और न आज है। कल के लिये मैं नहीं कह सकता, कल क्या रहेगी। कल के लिये नहीं कहा जा सकता, कल आयेगा तब कहेंगे। मैं आपको यह आश्चर्य दिला दूं....

एक माननीय सदस्य : रामकरणजी, राम धनी धोरी हैं।

श्री रामकरण सिंह : राम धनी धोरी है, अबकी बात आपने सही कही। मैं कहना चाहता हूं, एक माननीय सदस्य खड़े हो कर कहते हैं, एक मिडिल स्कूल में सात क्लासेज, आठ क्लासेज एक अध्यापक के पीछे चलती हैं। मेरी यह आंखों देखी बात है, मैं ग्रामीण क्षेत्रों में गया हूं, माननीय अध्यक्षजी, आपको ताज्जुब होगा, बैठने के लिये कुर्सी नहीं, बच्चों के बैठने के लिये टाट पट्टी नहीं, जो उनसे मिलने जाय उसको कहीं पर बेचारे को खड़े होने के लिये छाया नहीं। यह दुर्दिन हमारे आज इस राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का है। आप ताज्जुब करेंगे, एक अध्यापक, डेढ़ सौ, दो सौ लड़के, सात-आठ क्लासें। उनका क्या करेगा अध्यापक ? छुट्टी नहीं दे सकता, उनकी हाजरी नहीं कर सकता। मगर किसी भी माननीय सदस्य ने, किसी भी माननीय मंत्री जी ने, किसी भी माननीय अधिकारी ने यह नहीं सोचा । एक सबसे बड़ा ताज्जुब आपको होगा कि कंटिन्जेन्सी के पैसे जो उन स्कूलों के हैं, इन्सपेक्टर लेवल तक रह जाते हैं, उससे नीचे नहीं जाते। इसके लिये चाहें तो मैं नाम बता दूं। तीन साल से, चार साल से, पांच साल से वह पैसे नहीं मिले हैं। कंटिन्जेंसी के पैसे तक लोग हजम कर जाते हैं यह बड़ी अजीब बात है। इसके अलावा जितने पद रिक्त है उनको भरने की बात पहले भी सरकार ने कही है, आज भी कह रहे हैं। धीरे-धीरे अब यह जुलाई आ गया है, जुलाई के बाद अगस्त, सितम्बर और अक्टू-

(192)

(श्री रामकरण सिंह)

बर आ जायेंगे, मगर आपसे कि कहता हूं यह पद नहीं भरे जायेंगे। मैं दावे से कहता हूं माननीय मौजूदा मंत्री जी बड़े सजग हैं, इस बारे में बड़े एक्टिव हैं लेकिन मैं आपको ध्यान दिला दूं कि आपको इतने ढंग से यह अधिकारीगण उलझा देंगे कि आप उस उलझन में फंस जाओगे, उस जाल में फंस जाओगे।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

यह घंटी कैसी, महाराज ?

श्री अध्यक्ष : यह पहली घंटी है पांच मिनट की।

श्री रामकरण सिंह : पहली घण्टी पांच मिनट की लेकिन हम लोगों का तो आधा घण्टा है। मेरे माननीय सदस्य मुझे टाइम दे रहे हैं इसलिये थोड़ी सी रियायत कीजिये आप।

श्रीमती उजला अरोड़ा : यह ऐसी घंटी है जैसी मेरे लिये बजी थी।

श्री रामकरण सिंह : आपकी और मेरी घंटी में कोई फर्क नहीं है।

माननीय अध्यक्षजी, आपको मैं बता दूं कि यह जो भवनों की हालत है वह तो गांव वाले अपने आप सुधारते हैं, उसमें सरकार का या किसी भी प्रकार से किसी दूसरे का कोई लेना देना नहीं है। फर्नीचर वहां नहीं, कुर्सी वहां नहीं, ब्लेक बोर्ड वहां नहीं, स्याही की दवात वहां नहीं, टेबल नहीं, कुर्सी नहीं, अध्यापक के पास कागज नहीं और कंटिजैंसी को हजम कर रहे हैं जिला लेवल पर। इसके लिये मैं दावे से कहता हूं, कोई भी माननीय सदस्य, कोई भी माननीय अधिकारी अगर यह कहे तो मैं मेरे कोटपूतली तहसील की बात बताता हूं। आज पांच साल हो गये, 6 साल हो गये कंटिन्जैंसी का पैसा नहीं पहुंचा है स्कूलों में। कंटिन्जैंसी का पैसा नहीं पहुंचे उसके बाद और करोगे क्या। तो गांवों की हालत, गांवों के बच्चों की हालत, किसान के बच्चों की हालत, मजदूर और हरिजन के बच्चों की हालत नहीं सुधार सकते। आज शहरों के अन्दर दूसरे उसके आल्टरनेटिव हैं। वह सक्षम हैं कि उनको पढ़ा सकते हैं।

(5.00 सायं)

(श्री बुलाकीदास कल्ला, सभापति, पदासीन)

लेकिन दुःख की बात यह है कि किसान उन बच्चों को भेज नहीं सकता, गरीब भेज नहीं सकता, वह स्कूल किसान के बच्चे के लिये मिल नहीं सकता इसलिये आज किसान सबसे पीछे है। जो राष्ट्र का निर्माता है वह किसान आज पीछे है, जो राष्ट्र का पेट भरता है वह किसान आज पीछे है। उसकी बहबूदी के लिये कोई सोचता नहीं। आज 80 फीसदी लोग जो पढ़ने वाले हैं वह गांव के हैं लेकिन उनकी दुर्दशा है। अगर देश को संभालना है, देश की बहबूदी बनानी है तो गांवों की शिक्षा की तरफ ध्यान दीजिये।

अगर आपने शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं दिया तो देश गर्त में जाएगा और बच

(श्री रामकरण सिंह)

नहीं सकेगा। आज शिक्षा के लिए कहते हैं कि शिक्षा बगैर हम और दूसरी कोई चीज कर नहीं सकते। शिक्षा में 80 प्रतिशत आबादी की ओर ध्यान नहीं देंगे तो केवल 20 प्रतिशत को उभार कर आसमान में नहीं पहुंच सकते, हमारे देश को चार-चाँद नहीं लगा सकते। इसलिए कोई भी सरकार किसी भी पार्टी की आये, अगर शिक्षा में सुधार करना है, देश का कल्याण करना चाहते हैं तो गांवों में शिक्षा की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। दिन पर दिन गांव की शिक्षा गर्त में जा रही है। आज किसानों और मजदूरों के बच्चे पढ़ने की बजाय कुरीतियां सीखते हैं। आपके उच्चाधिकारी कभी भी गांवों में जाकर चेकिंग नहीं करते कि टीचर्स डायरी भरते हैं कि नहीं। पहले चेकिंग होता था, ठिकाने के टाइम में मैं खुद टीचर रहा हूं, डिप्टी इंस्पेक्टर भी रहा। हम टीचर्स की डायरी देखते थे कि फलानी तारीख तक स्कूल में बच्चे से क्या करवाया और फिर देखते थे कि सात दिन में कितना फर्क आया। लेकिन आज कोई इस प्रकार की योजना नहीं है। अगर योजना है तो केवल मास्टर दफ्तर का चक्कर लगाएगा, छोटा अधिकारी बड़े अधिकारी के चक्कर लगाएगा और बड़ा अधिकारी मंत्री जी के चक्कर लगाएगा और उनको राजी रखेगा। बाकी पढ़ाई की तरफ कोई ध्यान नहीं है। इसलिए यदि गांव और देश की तरक्की करनी है तो ग्रामीण शिक्षा की तरफ विशेष ध्यान देना पड़ेगा। यही मेरा कहना है। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री सांवरलाल।

श्री सांवरलाल जाट (भिनाय) : सभापति जी, आज की जो मांग है उसका समर्थन करतेहुए अपने कुछ विचार सुझाव के रूप में देना चाहता हूं।

शिक्षा आदिकाल से दी जा रही है। राजा महाराजा भी शिक्षा देते थे लेकिन कितनी और किस रूप में देते थे, हम सभी पढ़ चुके हैं। अभी महाभारत देखा है। उसमें भी पाया कि शिक्षा देने में कितनी असमानता वह बरतते थे। अंग्रेजों ने जब हिन्दुस्तान पर कब्जा किया उसके बाद मैकाले साहब पधारे और एक शिक्षा पद्धति लागू की जिससे हिन्दुस्तानियों को इस प्रकार की शिक्षा दी जाने लगी जो केवल उनके लिए बाबूगिरी करते थे। फिर देश आजाद हुआ, प्रजातांत्रिक राज स्थापित हुआ। चूंकि राज अपनी आवश्यकतानुसार शिक्षा देता आया है। प्रजातांत्रिक सरकार का उद्देश्य जन कल्याण होता है। परन्तु बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि 1968 में पहली शिक्षा नीति बनी उसके तहत गांवों के लोग शिक्षित होकर अपने हितों के बारे में समझने लग गये थे इसलिए शासन को चिन्ता हो गई। 1986 में एक नई शिक्षा नीति लागू की 10+2+3 जिसमें लाखों नौजवान हमारे गांवों के आज की तारीख में भटक रहे हैं। उन्हें आज पता नहीं कि हमें किस ईयर में एडमिशन लेना है 10+2 करने के बाद प्रथम वर्ष या द्वितीय वर्ष में एडमिशन लेंगे। यूनिफार्म एज्यूकेशन पालिसी की बात करते हैं। आज हालत यह है कि शिक्षा दोहरे तरीके से दी

(194)

श्री सांवरलाल जाट)

जा रही है। आज गांवों में अध्यापक की आवश्यकता की बात की जाती है तो आंकड़े प्रस्तुत किये जाते हैं कि बजट नहीं है और शहरों में अध्यापकों की व्यवस्था होती है। यहां पर लड़कों की संख्या 40 पर एक और 80 पर दो अध्यापक दिये जाते हैं और गांवों में क्लास के अनुसार अध्यापक दिये जाते हैं।

यह जो अंग्रेजी स्कूल चल रहे हैं— मेयो कालेज, सेंट स्टीफन, सेंट जेवियर— इनमें क्या गांव का लड़का पढ़ सकता है। इन स्कूलों का जो व्यावसायीकरण हुआ है। निजी संस्था अगर कोई चलाना चाहे, हमारा एतराज नहीं है। अगर उनका उद्देश्य वास्तव में सेवा देना हो तो सरकारी स्कूलों में जो फीस ली जाती है वही फीस वहां पर ली जाय। सिलेबस कम से कम राजस्थान में एक होना चाहिए। आज किसी अधिकारी का भीलवाड़ा से अजमेर ट्रान्सफर हो जाता है तो उसके बच्चे का एडमीशन गवर्नमेंट कालेज में नहीं होगा। उसको डी. ए. बी. में एडमीशन लेना पड़ेगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि गांव वालों का शोषण हो रहा है।

एक योजना इन्होंने बनाई थी कि गांव के बच्चों को 5वीं तक प्रमोट करते जाओ, रोको मत और इससे गांव वालों की नींव इतनी कमजोर कर दी कि वह बच्चा पढ़ कर आगे नहीं बढ़ सकता। उसके बाद जब हम कहते हैं कि वहां भवन नहीं है तो जन सहयोग से बनाया जाय और शहर में एक कमरे की आवश्यकता हो तो फटाफट सरकार आदेश कर देती है तो मेरे कहने का मतलब है कि इन 40 सालों में जो भी शिक्षा नीति थोपी है उसमें कोई भी गांव का बच्चा ढंग से पढ़ लिख कर आगे नहीं आ जाये जिससे वह अपने हितों के प्रति सचेत हो जाय और वह हुकूमत क्या कर रही है यह बात जान ले क्योंकि इनको बहुत बड़ा डर है कि अगर वह बच्चा होशियार हो जाएगा, गांव और गरीबी के बारे में सोचने लग जाएगा तो निश्चित रूप से हमारी कुर्सी खिसक जाएगी।

बड़ी खुशी की बात है कि माननीय वी. पी. सिंह प्रधान मंत्री बने और 1986 में जो पूर्व हुकूमत ने शिक्षा नीति बनाई थी उसके लिए एक रिव्यू कमेटी बनाई है और 17 मई 1990 को उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं जो मैं पढ़ कर सुनाना चाहता हूं—

"Education being constructed as a minimum need of the people and investment on the people. Education being put in the perspective of employment and removal of poverty. Universalisation of elementary education stresses to education for the disadvantage of socially backward people including ethnic and other minority".

इससे एक नई आशा जागी है। हम बातें तो करते हैं आर्थिक समानता की और 40 साल में शिक्षा की समानता भी स्थापित नहीं कर पाये फिर आर्थिक समानता की बात कहां से पूरी कर पायेंगे। शिक्षा नीति ऐसी होनी चाहिए जो कम से

(श्री सांवरलाल जाट)

कम बच्चे को देश में क्या-क्या हो रहा है यह सिखाये। समाज में शान्ति कायम हो इस प्रकार की शिक्षा दे। परन्तु जो शिक्षा पद्धति थी जिसका दोषपूर्ण नतीजा देखने को मिल रहा है। आये दिन झगड़े फसाद उसी नीति का परिणाम है। शिक्षा नीति जॉब-ओरियेन्टेड होनी चाहिए। उन्होंने 1986 में शिक्षा नीति घोषित करने के पहले बड़े-बड़े दावे किए थे कि हम टेक्नीकल एजूकेशन देंगे, टेक्नोक्रेट तैयार करेंगे और जो भी बच्चे निकलेंगे उनको जॉब मिल जायेगी। परन्तु खेद के साथ कहना पड़ता है कि जब +2 सामने आया उसके बाद +3 किसी भी रूप में हमारे गांवों की गरीबी के प्रति नहीं था। इसलिए अगर हमें शिक्षा को आगे बढ़ाना है, समाज के हर वर्ग को शिक्षित करना है तो कुछ बातों को गम्भीरता से लेना पड़ेगा। जो शिक्षक हैं उनको सम्मान देना होगा। आज समाज में शिक्षकों का कोई भी उत्साह पढ़ाई लिखाई के प्रति नहीं है। बच्चे पढ़ें या ना पढ़ें, गांव की हालत सब जानते हैं, उनको इससे कोई लेना देना नहीं है। केवल तनख्वाह लेने के लिए जाते हैं। इसलिए शिक्षकों को समाज में स्थान मिले, मैं आग्रह करता हूं आज के शासन से कि गांवों के अध्यापकों को ग्रामीण भत्ता दें। आज गांवों में स्कूलों में पद खाली पड़े हुए हैं, सैकण्डरी और हायर सैकण्डरी स्कूलों में हैडमास्टर नहीं जाना चाहते तो निश्चित रूप से उनके लिए हमें ग्रामीण भत्ते का सोचना पड़ेगा।

आज विश्वविद्यालयों की हालत क्या हो रही है। माननीय सदस्य कह रहे थे कि हमने तीन विश्वविद्यालय खोल दिए लेकिन क्या कोटा और अजमेर को आप विश्वविद्यालय कहेंगे। बड़े शर्म की बात है कि विश्व विद्यालय किसे कहते हैं इसकी परिभाषा को भी बदल दिया। आज उनमें जो अध्यापक काम करते हैं वह 10-10 साल से अस्थाई हैं। उनको स्थाई करने को कोई सोचता नहीं।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि पूर्व हुकूमत ने जाने के 3-4 महीने पूर्व बड़ा बवण्डर रखा था कि आप हमारे साथ चलिए। आपको स्थाई कर देंगे। लोग सौ-सौ, दो-दो सौ की संख्या में कभी किसी मंत्री के, कभी किसी विधायक के चक्कर काटते थे। परन्तु यह चले गये, उनके बारे में कोई नीति निर्धारित नहीं कर पाये। मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि किसी न किसी रूप में इस समस्या का समाधान निकाला जाय। चूंकि जब तक शिक्षक स्वयं स्थाई नहीं है तो हमारे बच्चों के प्रति हमारे समाज के प्रति क्या कोई चिन्ता करेगा? इसी प्रकार पूर्व हुकूमत ने विश्व विद्यालय के शिक्षकों के लिए आवास कॉलोनी, वकीलों के लिए भी की थी, उस योजना के ऊपर तो सुना है कि कुछ कार्यवाही हो रही है, परन्तु शिक्षकों ने दस-दस हजार रुपये जमा करवा लिए आज शिक्षक इधर-उधर भटकता फिरता है, मकान मालिक रोज लड़ता है। अगर उसको समाज में स्थान नहीं मिलेगा तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम इस प्रकार की व्यवस्था को, जिससे शिक्षकों को अपना मकान किसी न किसी साधन से बनाने के लिए ऋण उपलब्ध

(श्री सांवरलाल जाट)

करवायें या नगर पालिका, जे. डी. ए. के द्वारा उनको जमीन का आवंटन करवाया जाय। माननीय शिक्षा की स्थिति में हमने विशेष परिवर्तन जो पूर्व में राजा महाराजा थे उसमें अभी ज्यादा नहीं किया। क्योंकि हमें भी भय है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि गांव जाग जाए। गांव के बच्चे होशियार हो जाएं। तो इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं अगर आप वास्तव में गांव का भला करना चाहते हैं एक ही शिक्षा पद्धति आपको लागू करनी चाहिए। चाहे कोई भी हो। हमें हिन्दी के अन्दर शिक्षा देनी है तो हिन्दी लागू कर लीजिए। आर. ए. एस. के अन्दर इंग्लिश का पेपर कम्पलसरी है। आज मध्य प्रदेश में नहीं है, बिहार के अन्दर नहीं है, बड़े आश्चर्य की बात है, उस अंग्रेजी की अनिवार्यता को खत्म क्यों नहीं कर दिया जाता है उस आर. ए. एस. के अन्दर। प्लस टू के अन्दर लड़का इंग्लिश पढ़कर आता है फर्स्ट ईयर के अन्दर उसको और इंग्लिश पढ़नी पड़ती है। कहने का मतलब यह है कि चाहे आप प्राइमरी एजूकेशन ले लीजिए, सैकण्डरी एजूकेशन ले लीजिए। हर जगह पर यह हालत हो रही है।

तकनीकी शिक्षा की स्थिति क्या है ? हम महसूस करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा तकनीकी शिक्षा होनी चाहिए। परन्तु क्या किसके माध्यम से ? आज कम्प्यूटर की हालत से देश के अन्दर जगह-जगह कॉमर्शियल कम्प्यूटर सेन्टर बन गये हैं। लोग लाखों रुपये कमा रहे हैं। हमारे गांव वाला कोई भी कम्प्यूटर का प्रशिक्षण नहीं ले सकता है। आज विश्व विद्यालय के अन्दर कम्प्यूटर पड़े हुए हैं। कई जगहों पर पड़े हैं। पर किसी भी रूप में वहां पर कोर्सेज शुरू नहीं किए गये। क्यों नहीं किए गए ? क्योंकि पहले वाली जो हुकूमत थी, वह यह चाहती थी कि उनके दलाल लोग जो हैं, वह पैसा कमायें। जो समर्थ लोग हैं वह कम्प्यूटर की शिक्षा लें। अगर हिन्दुस्तान में कुछ विभागों के अन्दर कम्प्यूटर की आवश्यकता है जैसे डिफेंस है और किसी सर्विसेज के अन्दर तो मैं विरोध नहीं करता हूं कि कम्प्यूटर नहीं होने चाहिए। परन्तु मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि कम्प्यूटर सिस्टम अगर आप शुरू करें तो सभी जगहों पर शुरू कीजिए। विश्व विद्यालय के थ्रू शुरू कीजिए। जो इस प्रकार के सेन्टर बनते हैं, जिनमें कुछ वर्ग विशेष फायदा उठाते हैं। इनके ऊपर आपको अंकुश लगाना होगा। इसी प्रकार यह जो स्कूलें चलती हैं किसी का नाम सनराइज रख लिया किसी का ब्ल्यू प्रिन्ट रख लिया। और लोगों को अट्रेक्ट करते हैं। हमारे गांव वालों के बच्चे पांचवीं तक पढ़ते हैं, उन्हें खुद का नाम नहीं लिखना आता है। उनकी रीढ़ की हड्डी आपने तोड़ दी। और यहां पर जो सेन्टर आपने चला रखे हैं। गांव वाले गांव छोड़कर शहर में बसने के लिए आ रहे हैं। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि शिक्षा की व्यवस्था ऐसी कीजिए, जिससे गांवों में जाकर लोग शिक्षा लेने की कोशिश करें। यह नहीं कि अपना घर बार जमीन बेच कर शहर के अन्दर बसने की सोचने लगे। तो निश्चित रूप से दोहरी शिक्षा को

(श्री सांवरलाल जाट)

आपको खत्म करना होगा। समान फीस आपको लेनी पड़ेगी। समान पाठ्यक्रम आपको लागू करना पड़ेगा।

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री सांवरलाल जाट : अगर इन सभी बातों पर आप ध्यान देंगे तभी हम सोच सकते हैं कि जनता ने जो चेतना दी है और जनता ने जो हमें मत दिया है उस मत का जनता के प्रति उपयोग करें तो निश्चित रूप से हमें परिवर्तन करना होगा।

इसी प्रकार माननीय सभापति महोदय, मैं दो मिनट और लूंगा। इसी प्रकार हमारी कला और संस्कृति के हमारी पुरानी कला, पुरानी संस्कृति खत्म होती जा रही है। सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के नाम पर सोशियल वेल्फेयर डिपार्टमेंट हमने खोल दिया। वहां पर वेल्फेयर किसका हो रहा है। आज हर जगह जितने भी सोशियल वेल्फेयर डिपार्टमेंट हैं, करप्सन के अन्दर, जांचों के अन्दर चल रहे हैं। अब जांच की आड़ क्या होती है? माननीय किसी के ऊपर आरोप लगता है तो वह कहता है कि मैंने अगर चोरी की है तो साबित कर दो। मेरा मकान तो मेरी बीवी के नाम पर है। मेरा मकान तो मेरे रिश्तेदारों के नाम पर है। कानून की ये पेचीदगियां हैं, जिसकी वजह से दोषी व्यक्ति बच जाते हैं। तो निश्चित रूप से उनमें भी संशोधन करने की आवश्यकता है। जो भी अनुसूचित जाति और जन जाति के लिए कमजोर तबके के लिए जो सोशियल वेल्फेयर प्रोग्राम चले हैं। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि किसी भी जायज लोग को इसका फायदा नहीं मिला है। विद्यार्थी आज भी जहां होस्टल्स में रहते हैं, उनको खाना शुद्ध नहीं मिलता है। उनको पहनने को कपड़े नहीं हैं, पुस्तकों की व्यवस्था नहीं है। जो स्कोलरशिप उनको मिलता है, वह कभी किसी को मिली, कभी किसी को नहीं मिली। कभी भी नियमित रूप से नहीं मिलती है। इस प्रकार हमारी जो लोक कलायें हैं, लोक संस्कृति है, पहनाव तो हमने बिल्कुल बदल दिया। अंग्रेज जब से हिन्दुस्तान में आये हैं कई चीजें हमारे लिए छोड़ गये हैं, न कालेज में शिक्षा पद्धति। हमारी पोशाक को उन्होंने खत्म कर दिया। वही पेंट शर्ट पहन कर हम घूमते हैं। हमारी जो पहचान थी, उसको हमने खत्म कर दिया है। इसके साथ ही हमारी जो वास्तविकता है उसको हमें स्वीकार करना चाहिए, को हम नहीं करते। अगर हमारी यही हालत रही, हमारा सोच यही रहा तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि जिन गांवों के लिए, जिन गरीबों के लिए हम बैठ कर बड़ी-बड़ी बातें करते हैं कभी पक्ष वाले करते हैं तो कभी विपक्ष वाले करते हैं। कभी तो यह कहते हैं कि आपने कुछ नहीं किया, कभी ये कहेंगे कि आपने कुछ नहीं किया? सोचकर देखिए आपने जो स्कूलें खोली हैं हमने हजार स्कूल उस साल खोल दी, हजार उस साल खोल दी। कितने कमरे बनाये हैं आपने? आज हालत यह है कि पट्टियां पड़ेंगी बच्चों के ऊपर, मरेंगे, अखबारों में पढ़ोगे आप। ये आपके जमाने की बनी हुई स्कूलें हैं। अध्यापक उनके

(श्री सांवरलाल जाट)

अन्दर नहीं हैं। क्या पढ़ायेंगे, क्या पढ़ायेंगे आप उनको ? ये थोथी घोषणायें नहीं चलेंगी मैं निवेदन करना चाहता हूं आप गुणवत्ता पर ध्यान दीजिए। गांव वाले ढंग से पढ़ें और हिन्दुस्तान की प्रतियोगी परीक्षाओं के अन्दर आएं और वह शहरी लोगों से कम्पीट करके आई. ए. एस. बने आर.ए.एस. बने, डॉक्टर्स बनें, इन्जीनियर्स बने, इसकी आवश्यकता है। आवश्यकता इसकी नहीं है कि हर ढाणी के अन्दर स्कूल खोल दो। हम पढ़े थे, हमारे बुजुर्ग पढ़े थे; उस जमाने में भी हर गांव के अन्दर स्कूल नहीं थी। स्कूलों की संख्या कोई मायना नहीं रखती है। शिक्षा की नीति आपकी क्या है और शिक्षा पर आप ध्यान कैसा देते हैं। गांवों के अन्दर स्कूलों के सुपरविजन की व्यवस्था आप कीजिए। अगर कोई अध्यापक समय पर नहीं पढ़ाता है तो क्यों नहीं पढ़ाता है ? अगर बच्चे सौ रजिस्टर्ड हैं, स्कूल के अन्दर उनमें से पचास आते हैं। नहीं आने का कारण क्या है ? क्या वे आर्थिक स्थिति की वजह से नहीं आते हैं ? घरेलू काम की वजह से नहीं आते हैं ? किस कारण से वे नहीं आते हैं ? हमारा निवेदन यही है कि आज भी आपको मिल जायेंगे लाखों विद्यार्थी जो पढ़ने की उम्र के हैं, वे कहीं होटल के ऊपर कप धोते हैं, सब्जी मण्डी के अन्दर पत्ते गिनते हैं। हमारी इस हालत को सुधारना होगा। क्योंकि यह मेन पॉवर है, यह ह्यूमन रिसोर्सेज है। ह्यूमन रिसोर्स को यदि आप एजूकेटेड करेंगे तो सही दिशा के अन्दर मार्ग निर्देशन यदि इनको देंगे तो निश्चित रूप से इनका जो योगदान होगा, वह राष्ट्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा।

श्री सभापति : जल्दी समाप्त करें।

श्री सांवरलाल जाट : नवोदय विद्यालय हमने खोले। नवोदय विद्यालय खोलने को मैं बुरा नहीं मानता। आप खोलें। कितने लोगों को उसमें शिक्षित कर पायेंगे। एक और डिफरेन्स यह आपने पैदा करने की कोशिश की। कुछ प्रभारी लोगों के कुछ प्रबुद्ध वर्ग के लोग इसमें पढ़ेंगे। एडमीशन लेंगे। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आने वाले समय में कभी भी इस प्रकार की व्यवस्था नहीं पनपे जिससे हमें लगे कि हमारे गांव के साथ अन्याय किया जा रहा है। ऐसे सेन्टर्स आप क्यों खोलते हैं ? अगर आप सबको समान समझते हैं। और आर्थिक समानता की बात तो दूर की है। आप शिक्षा की समानता पैदा कर दें हम तो यही निवेदन करना चाहते हैं। अगर यह हो गई तो समाज के जो ग्रामीण लोग हैं वे अपना अधिकार अपने आप ले लेंगे।

सूचना

देसूरी गांव में बाढ से हुई जनधन की क्षति

श्री अचलाराम (देसूरी) : माननीय सभापति महोदय, बाढ़ग्रस्त इलाके देसूरी का मैं और माननीय श्री खंगार सिंह जी अभी जाकर आये हैं उसमें अनेक तालाब टूट चुके हैं। देसूरी में मुकेश पुत्र श्री जगदीश मालवीय निवासी देसूरी आठ वर्ष का बालक बह कर चला गया और उसका

(श्री अचलाराम)

शव तीन दिन बाद में मिला। हंसा पत्नी धनाजी चौधरी निवासी बीरमापुरा माताजी (देसूरी) घर में पानी भर जाने से बीमार थी, मर गई। उसका श्वसुर बह कर जा रहा था और पेड़ की डाली हाथ में आ जाने से वह पेड़ पर जब तक पानी नहीं उतरा वह बैठा रहा, और वहां पर जितने भी तालाब थे वे टूट गये और किसानों का अनाज भी बह गया। और....

श्री सभापति : माननीय मंत्रीगण को यह सूचना दे दें आप।

श्री अचलाराम : मंत्री महोदय को भी दे देता हूं लेकिन सदन में आपको भी देना बहुत ही आवश्यक है। सभापति महोदय, तालाब जैसे, नारलाई, गुड़ा पृथ्वीराज, उडी एनीकट, ढालोप, बीरमपुरा और बीरमपुरा माताजी, विजोवा तालाब, कोटर, नाड़ोल आदि टूट जाने से सारे तालाब वापिस फट करके खाली हो गये हैं और आगे का जो इलाका है वह बाढ़ग्रस्त हो गया है बीरमपुरा माताजी, बीजोवा, किरवा, बालराई, दुदवड़, जैतपुरा में आदि स्थानों में किसानों के अनाज बह कर चले गये हैं। सभापति महोदय, जे. आर. वाई. में जो निर्मित स्कूलें थी वह भी बहुत सारी गिर गई। जिसमें माइपुरा, लॉची, बीरमपुरा (खरियान) में स्कूलें जो हैं वें क्षतिग्रस्त हो गई। सभापति महोदय, नगरपालिका रानी, सादड़ी में किरवा, बीरमपुरा, दुदवड़, नाड़ोल, नारलाई, जैतपुरा में अनेक घर धरासायी हो गये हैं। जिसमें सादड़ी में प्रतापगढ़ जहां पर बावरी लोग रहते हैं अनुसूचित जाति के और विरमपुरा में मेघवाल और चौधरी समाज के लोग रहते है, उनकी और विजोवा में भी, रानी नगरपालिका में...।

श्री सभापति : समाप्त करें।

श्री अचला राम : आठ जाति के जो लोग रहते हैं उनके घर बह करके चले गये हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि उन्हें राहत दिलवाई जावे, धन्यवाद।

श्री सभापति : समाप्त करें माननीय सदस्य। मैं उच्च शिक्षा मंत्री महोदया, जो माननीय प्रोफेसर साहब ने अभी विश्वविद्यालय के अस्थाई शिक्षकों के बारे में जो बातें रखी हैं, जो सात-आठ वर्षों से वहां टैम्परेरी काम कर रहे हैं, सरकार को इस बात पर विचार करना चाहिए। माननीय श्री जनार्दन सिंह जी गहलोत।

अनुदान की मांग सं. 24 एवं 33 पर विचार

श्री जनार्दन सिंह गहलोत (करौली) : माननीय सभापति महोदय, आज शिक्षा की अनुदान मांगों के ऊपर जैसा कि इनके बजट के प्रावधानों से साफ नजर आता है राजस्थान सरकार शिक्षा के क्षेत्र में अपने आप को कहती तो यह हैं कि घोर अग्रणी भूमिका निभाने की आवश्यकता है लेकिन इस बजट को देखने के बाद यह साफ नजर आता है कि केवल मात्र भाषणों और बातों के अलावा न तो इस सरकार के मुख्य मंत्रीजी के पास कुछ है और न शिक्षा मंत्रीजी ने कोई ऐसा आधार इसके अन्दर रखने की कोशिश की है।

(श्री जनार्दन सिंह गहलोत)

आज राजस्थान के अन्दर छात्रों को चारों तरफ प्रवेश के लिए कठिनाई हो रही है। आज कालेजों में एडमीशन नहीं मिल रहे, विश्वविद्यालयों में एडमीशन नहीं मिल रहे, टेक्नीकल कॉलेज में एडमीशन नहीं मिल रहे और एक तरफ शिक्षा की बढ़ोतरी की बात करते हैं और इन्होंने अपने बजट के अन्दर कहीं पर भी एक भी प्राइमरी स्कूल खोलने की बात नहीं, कहीं न मिडिल स्कूल खोलने की बात की और न ही सैकण्डरी स्कूल खोलने की बात की। केवल मात्र उच्च शिक्षा के अन्दर दो नये कॉलेज खोलने की बात कही और राजस्थान के अन्दर महाविद्यालयों में केवल मात्र दस विषय खोलने की बात कही। इतना बड़ा राजस्थान और एक तरफ समस्या बनी हुई हो कि जहां पर शिक्षा का स्तर, जैसा कि माननीय भैरोंसिंह जी स्वयं मानते हैं कि राजस्थान में शिक्षा का स्तर नीचे है, अन्य प्रदेशों के मुकाबले राजस्थान पिछड़ा हुआ है तो मैं सोचता हूं कि जहां एक तरफ शिक्षा का स्तर बढ़ाने की बात करते हैं तो वहां अपने बजट के अन्दर कहीं भी इस बात का प्रावधान नहीं रख कर क्या शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान प्रगति की ओर बढ़ रहा है? मुझे ऐसा लगता है कि केवल मात्र बातें करने और भाषण देने की बात अलग रही लेकिन प्रेक्टिकली जीरो है। राजस्थान के गांवों के अन्दर, जिस प्रकार कई माननीय सदस्यों ने और इनके पंचायत राज मंत्रीजी ने भी कल जिक्र किया कि ... राज के अन्दर मिडिल स्कूल तक ... पंचायतों को दे दी, यह बहुत ... दिया। राजस्थान सरकार शीघ्र ही यह निर्णय करने जा रही है कि शिक्षा विभाग के तहत इसको वापस लिया जायगा। माननीय सभापतिजी, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि क्या राजस्थान की सरकार विकेन्द्रीकरण करना चाहती है या नहीं करना चाहती है? पंचायतों और जिला परिषदों के अन्तर्गत अगर मिडिल स्कूल तक की शिक्षा दे दी तो आज उसे वापस लेने की क्या आवश्यकता पड़ गई? क्या कठिनाई हो गई, क्या व्यवस्था है? अगर उसके अन्दर कोई कमी है, प्रशासनिक या आर्थिक दृष्टि से किसी प्रकार की कोई कमी है तो उसकी व्यवस्था, हल निकालना चाहिए। यह कौन सा प्रश्न हो गया कि वहां पर जिला परिषद या पंचायतें स्कूल चलाने में सक्षम नहीं हैं। माननीय सभापतिजी, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्रीजी को यह कहना चाहूंगा कि सही मायने में राजस्थान के शिक्षक संघों से इनका पुराना सम्बन्ध रहा है। सही मायने में कुछ ऐसे रिश्ते इन लोगों के हैं जो रिश्ते सही मायने में सरकार में रहें या नहीं रहें, टूटते नहीं हैं। उन शिक्षक संघों के अन्दर बहुत सारे ऐसे तबके हैं जिनमें आर. एस. एस. के लोग बैठे हैं। आज चिन्ता इस बात की है कि राजस्थान के सभी जिलों के अन्दर पंचायतों और जिला परिषदों में अधिकांशतः कांग्रेसी प्रधान और जिला प्रमुख बैठे हैं। अगर मिडिल स्कूलों को हम वापस नहीं देंगे तो इनकी बात चलेगी नहीं और यह अपना काम कैसे कर सकें और उनको कैसे मदद दे सकें। तो मैं सही मायने में यह कहूं कि उन शिक्षक संघों, जिनके अन्दर आर. एस. एस. के लोग बैठे हैं, उनके सामने घुटने टेकने की नीति है। इसलिए यह विचार किया जा

(श्री जनार्दन सिंह गहलोत)

रहा है कि पंचायतों से यह शिक्षा विभाग वापस लिया जाय।

राजस्थान के अन्दर चाहे कोई भी सरकार कभी भी रही हो, शिक्षकों के तबादलों की भारी परेशानी रही है, यह मैं मानता हूं। यह कठिनाई तो हर सरकार के सामने रही है। परन्तु नई शिक्षा नीति में यह कहा गया है कि जिला स्तर पर ही ज्यादा स्थानान्तरण किये जायेंगे और उसके अन्दर कुछ नियम बनाये जायेंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि एक बार राजस्थान सरकार की तरफ से स्थानान्तरण होते थे तो कम से कम राज्य सरकार के अन्दर लोगों को यह मालूम पड़ जाता था कि इतने स्थानान्तरण हुए। कम से कम लोगों की नजर के सामने आ जाता था और अब तो शिक्षा सचिवों से इन्सपेक्टर्स ऑफ स्कूल्स को बुलाकर जिलों के अन्दर ही निपटारा कर दिया जायेगा ताकि वहां पर नेकर छाप लोगों की भर्ती आसानी से कर सकें और अच्छी जगह पर बैठाये जा सकें। यह सही मायने में इनकी स्थानान्तरण नीति है। आज पूरे राजस्थान में सही मायने में इनकी स्थानान्तरण नीति है। आज पूरे राजस्थान में सही मायने में बाकायदा योजनाबद्ध तरीके से एक राजनीतिकरण इन स्थानान्तरणों में किया जा रहा है। खास तौर से नये स्कूलों के खोलने की बात है, जैसा मैंने कहा कि वह प्रश्न बिल्कुल नहीं है। कई माननीय सदस्यों ने आलोचनात्मक बातें कही कि विश्वविद्यालय तीन खोले उनके अन्दर अनियमितताएं हैं, विश्वविद्यालय अच्छी तरह से नहीं चल रहे हैं। परन्तु आपने कोई प्रावधान किया क्या ? मेरे ख्याल से हमारी गलतियों को कहने के अलावा आपके पास कुछ है ही नहीं। हमसे अच्छा करके हमें बताइये, हमें खुशी होगी, हम भी आपका स्वागत करेंगे। आज उसके अन्दर हर बार एक ही शब्द कहा जाता है....

श्री हीरासिंह चौहान : थोड़े समय तो कहेंगे गहलोत साहब बाद में हम सुनेंगे। थोड़े समय तक कहेंगे।

श्री सभापति : व्यवधान नहीं, माननीय सदस्य आपकी बारी आये तब बोलना। बीच में नहीं बोलें।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : माननीय महोदय, जो आपने कहा—ठीक है लेकिन यह तो सही मायने में जिस प्रकार पिछले छह महीने से हो रहा है, आज विश्वविद्यालयों में पर्चे खुल जायें, वहां पर लोग पकड़े जायें, यह तो आपके कीर्तिमान हैं, इसको तो आपको कहना चाहिए। और यही नहीं,अब तो आर. पी. एस. सी. के पर्चे भी खुलने लगे। उसके लिए तो, यह आपका कीर्तिमान है, आपको धन्यवाद, आपका स्वागत। इसलिए मैं सोचता हूं कि जिस प्रकार के हालात लग रहे हैं उसके अन्दर आपने शिक्षा की दृष्टि से बढ़ोतरी का कोई काम किया नहीं। आज प्रौढ़ शिक्षा के अन्दर आप कहते हैं कि कई प्रकार के घोटाले हैं तो पकड़िये, प्रौढ़ शिक्षा में अगर कोई कांग्रेसी है तो उसको भी सजा दीजिए, हम कहां मना करते हैं ? लेकिन जहां-जहां ऐसे मामले हो रहे हैं उनको रोकने के लिए कोई स्थाई कदम नहीं उठाये जा रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं खास तौर से खेलों के मामले में कुछ बातें आपके

(श्री जनार्दन सिंह गहलोत)

सामने रखना चाहता हूं। एक जमाने में राजस्थान के अन्दर खेलों का बहुत ऊंचा स्तर था। धीरे-धीरे यह स्तर टूटता जा रहा है और कम होता जा रहा है। खेलों की दृष्टि से राजस्थान की उपलब्धि यह है कि हमारे यहां के लोगों की पदक लाने की क्षमता धीरे-धीरे कम होने लग गई। इसका मुख्य कारण यह है, मैं खास तौर से शिक्षा मंत्रीजी से यह कहना चाहता हूं कि आज आप आपकी स्पोर्ट्स कौंसिल से एजूकेशन डिपार्टमेंट का तालमेल नहीं है, एजूकेशन डिपार्टमेंट का और यूनिवर्सिटी का तालमेल नहीं है। आज राजस्थान के अन्दर किसी बात की कोई कमी नहीं है। खिलाड़ी गांव-गांव के अन्दर बहुत बैठे हैं। फिजीकल फिटनेस की कोई कमी नहीं है, आज आपके गंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनूं और सीकर जिलों में फिजीकल फिटनेस की कोई कमी नहीं है, ऐसे लोग निकल सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपके पास योजनाबद्ध तरीके से कोई कॉर्डिनेशन नहीं है। न शिक्षा विभाग का, न यूनिवर्सिटीज का, न स्पोर्ट्स कौंसिल का, तीनों का आपस में कोई तालमेल नहीं है। बल्कि यह होता है कि जो खिलाड़ी ओपन चैम्पियनशिप में सलेक्ट भी कर लिया जाता है तो शिक्षा विभाग के लोग उसको छोड़ते नहीं हैं और उसको ट्रेनिंग के अन्दर जाने नहीं देते, उसको खेलने नहीं देते। उस बारे में आज तक कोई स्थाई हल नहीं निकाला। कई बार इस बारे में चर्चाएं हुई कि इसका तालमेल करने के लिए कोई योजना बन रही है, कमेटी बनाई जा रही है लेकिन इसका स्थाई हल नहीं होने से राजस्थान के खेलों पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। आज सबसे बड़ी आवश्यकता इनका कॉर्डिनेशन करने की है। कॉर्डिनेशन करने से निश्चित तौर से फायदा मिलेगा। आपकी जो कोचिंग की स्कीम्स हैं उन कोचिंग के अन्दर भी "यंग दी कैच" वाली योजना को आप जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक सही मायने में हमारे राजस्थान का खिलाड़ी आगे नहीं बढ़ पायेगा। आज हम विदेशों के अन्दर और अन्य देशों के अन्दर देखते हैं कि आज पांच साल के बच्चे को ट्रेनिंग देने की योजना बना ली जाती है। पांच साल का बच्चा अगर जिमनास्टिक में खेलता है तो उसको जिमनास्टिक ही खिलाया जाता है, अगर एथलेक्टिस में कोई लड़का है तो उसको एथलेक्टिस की ही ट्रेनिंग दी जाती है। आज कोरिया जैसा छोटा सा देश सही मायने में इतना आगे बढ़ सकता है, जबकि हमारे अपने जो खेल थे यह भी दूसरे देशों के हाथों में निकलते जा रहे हैं। बेसीकली इसका मुख्य कारण यह है, इसलिए हो रहा है। पहले एक जमाने में कम से कम एक सबजेक्ट हुआ करता था कि स्कूल जाने वाले बच्चे को शाम को एक बार ग्राउण्ड में जाना पड़ता था और उसको अपनी हाजिरी करानी पड़ती थी। आज वह सारी बातें खत्म हो गई। आज किसी भी खिलाड़ी, किसी भी विद्यार्थी उसके अन्दर जाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए कोई मैदान में जाता नहीं है। आज पूरे स्कूलों और कालेजों के मैदान खाली पड़े हैं। आज पढ़ने वाले विद्यार्थी कहीं भी ट्रेनिंग में नहीं जाते हैं, कोई खेलता नहीं है, कहां से लड़के निकलेंगे। आज लड़के तब निकलेंगे जब एजूकेशन के अन्दर स्पोर्ट्स को कम्पलसरी कराया

(श्री जनार्दन सिंह गहलोत)

जायेगा। मैं तो यहां तक भी कहता हूं कि अंग्रेजी और गणित और दूसरे सब्जेक्ट के अन्दर जिस प्रकार मार्क्स होते हैं उसके अनुसार 100 नम्बर का पेपर हो स्पोर्ट्स का 100 नम्बर का पेपर होना चाहिए। वरना आज पेरेण्ट्स की भी भावना यह बन गयी है कि जो खेलने वाला बच्चा है वह ज्यादा पढ़ता नहीं है। हमारे राजस्थान में इसीलिए नये खिलाड़ी निकलते नहीं हैं। इसका नतीजा यह है कि राजस्थान हिन्दुस्तान के चार्ट के ऊपर सबसे पीछे होता जा रहा है। हमारे यहां पहले अच्छे खिलाड़ी निकले लेकिन आज इस नीति के तहत वह सामने नहीं आ रहे हैं। आज हमारे सामने खेल के मैदान का अभाव है, स्टेडियम का अभाव है। आज राजस्थान के अन्दर अगर हम नेशनल गेम्स ओरगनाइज करने की सोचें तो आप नहीं कर सकते हैं। आपके पास इस प्रकार के ग्राउण्ड्स उपलब्ध नहीं हैं। पिछले दिनों कुछ प्रयास हुए और उसके नतीजे में बास्केट बॉल का ग्राउण्ड निकला है, बालीबाल का ग्राउण्ड बन रहा है। एथलेटिक का ट्रक बन रहा है लेकिन माननीय शिक्षा मंत्रीजी आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप मुख्य मंत्री से पूछिए कि आपने अपने जमाने के अन्दर 70–80 के बीच में जिस इण्डोर स्टेडियम का शिलान्यास किया था वह आज भी वैसा का वैसा है। उसकी दीवार में एक पत्थर तक भी नहीं रखा गया है। अब आप दुबारा मुख्य मंत्रीजी बने हैं इसलिए मैं उन्हें कम से कम पुनः याद दिलाना चाहता हूं कि आपका शिलान्यास है आपको तो याद होगा....

श्री हरिकुमार औदिच्य : 10 वर्ष बाद याद दिलाया।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : हम तो 10 वर्षों तक याद दिलाते रहे। लेकिन शिलान्यास आपके मुख्य मंत्रीजी का है कम से कम उनको तो याद रहना चाहिए और इसलिए इस बजट के अन्दर कोई प्रावधान उनको करना चाहिए। आज जयपुर जैसे स्थान पर एक इण्डोर स्टेडियम नहीं कोई स्वीमिंग पूल नहीं। आज कोई एक्टिविटी होगी तो यूनिवर्सिटी के स्वीमिंग पूल पर होगी।

मैं माननीय भंवरलाल जी के बारे में अखबार में पढ़ता हूं कि वे रोजाना कोचिंग केम्प्स के समापन समारोह या ओपनिंग समारोह में जाते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उन्होंने बजट में कितना प्रावधान कराया। बजट में प्रावधान कराया नहीं स्टेडियम बना नहीं सकते, कोचेज का अभाव है और जो कोचेज हैं भी वह जयपुर में बैठे हुए हैं। कोई राजस्थान के किसी जिले में जाना नहीं चाहता है। तो मैं समझता हूं कि आखिर कोचेज गांव में नहीं जायेंगे तो नये खिलाड़ी निकलेंगे कैसे? इसलिए कोचेज को आपको गांवों में भेजना चाहिए और हरियाणा जैसे प्रान्त में 300 कोचेज के लिए प्रावधान किया गया है। उसने तीन सौ कोचेज को अभी अभी भर्ती किया है आखिर हरियाणा छोटा सा प्रान्त है उसने किस प्रकार से बजट में प्रावधान किया है। आवश्यकता इस बात की है कि आपको बजट में कुछ पैसा इस बात के लिए निकालना पड़ेगा और निकाले बिना न तो स्टेडियम बन

(204)

(श्री जनार्दन सिंह गहलोत)

सकते हैं न हमारे लड़के तैयार हो पायेंगे। भारत सरकार भी आजकल स्पोर्ट्स के लिए बहुत पैसा दे रही है। इसके अन्दर आवश्यकता है कि आप योजनाओं को बनायें और उनके नो ड्यूज समय पर भेजें तो और पैसा आ सकता है, आपको भारत सरकार से ज्यादा से ज्यादा पैसा मिल सकता है। ऐसी स्थिति के अन्दर आप एक योजनाबद्ध तरीके से पैसे का प्रावधान करायें तो यह काम सम्भव होगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान हिन्दुस्तान के अन्दर खेलों के अन्दर काफी पिछड़ रहा है, यह बहुत गम्भीर मामला है और मैं चाहता हूं कि विभाग, मंत्रीजी और सारे लोग इसके लिए विशेष प्रावधान करके कुछ योजनाबद्ध काम करें।

हमारी टेक्नीकल एज्यूकेशन हो, चाहे हमारे बीकानेर का खेल स्कूल हो चाहे जोधपुर का खेल स्कूल हो, आज उनके और स्पोर्ट्स कौंसिल में तालमेल नहीं है, जिसके कारण काफी अव्यवस्था हो रही है, इसको समाप्त करें ताकि ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ी यहां से निकलें।

माननीय मुख्य मंत्रीजी ने और शिक्षा मंत्रीजी ने जगह जगह भाषण में यह कहा है कि जो भी अच्छे खिलाडी होंगे, जिसने स्टेट को रिप्रजेण्ट किया है, नेशनल का किया है या आल इंडिया का किया है उसको नौकरियों में प्रायोरिटी देंगे। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि किया क्या है? उसने प्रायोरिटी के नियम बनाये हैं क्या? आप उनको किस प्रकार नौकरी देंगे। इसके लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का फैसला आपने किया है? स्टेट रिप्रजेण्ट करता है तो उसको किस लेवल तक नौकरी देंगे और अगर नेशनल रिप्रजेण्ट किया है तो किस लेवल तक नौकरी मिल सकती है और जिसने देश के लिए रिप्रजेण्ट किया है उसको आप किस प्रकार नौकरियों में स्थान देंगे। आज आवश्यकता इस बात की है कि हर खिलाड़ी जो खेलता है और जब पीक पर आता है तो उसके सामने संकट आता है कि बच्चों का पालन पोषण कैसे करे? आजीविका को कैसे चलाये? नतीजा यह होता है कि दो चार अच्छा खेल खेलता है और उसके बाद अपनी समस्याओं में उलझ जाता है और उसको अपना घर सम्भालने की चिन्ता ज्यादा लग जाती है। इस दिशा में अन्य देशों में जिस प्रकार के प्रावधान हैं वह तो अभी तक हमारे देश में नहीं हुए आज कोरिया जैसे देश के अन्दर यदि किसी खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल ले लिया तो उसे पूरी जिन्दगी नौकरी करने की आवश्यकता नहीं है। उसको पूरे पैसे मिलेंगे जो नौकरी से ज्यादा हैं पर आज हिन्दुस्तान में यह नियम तो नहीं बन पाया है पर अगर हम नौकरी की भी व्यवस्था बना देते हैं तो मैं समझता हूं कि खेलों में काम करने वाले, खेलने वाले खिलाड़ी को कम से कम आजीविका की चिन्ता तो नहीं रहेगी उसको आजीविका की तो सुरक्षा हो जायेगी। इसके लिए आपने कोई विशेष योजना बना रखी है तो बता दें। मुख्य मंत्रीजी ने आबू में भी कहा कि चिन्ता

(श्री जनार्दन सिंह गहलोत)

करने की आवश्यकता नहीं सबको नौकरी देंगे। भंवरलालजी ने भी कहा तो मैं सोचता हूं कि आपने क्या आधार बनाये हैं। जिसकी योग्यता कम है उसको छोटी नौकरी दीजिए यदि योग्यता ज्यादा है तो बड़ी दीजिए। लेकिन रिजर्वेशन निर्धारित करेंगे तब तो मैं समझता हूं कि खेलों को आगे बढ़ा पायेंगे और राजस्थान के स्तर को भी ऊँचा उठा पायेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मुझे जो सुझाव देने थे वह आपको दिये। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री महावीर प्रसाद जैन (अनुपस्थित)

श्री किशनगोपाल कोगटा (अनुपस्थित)

श्री मनीराम सियाग।

श्री मनीराम सियाग (लूणकरणसर) : माननीय सभापतिजी, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि मानव मस्तिष्क के विकास के लिए शिक्षा दिया जाना अति आवश्यक है और शिशु की प्रथम पाठशाला वही है और शिक्षक का शिशु के भविष्य निर्माण में दूसरा स्थान आता है। मैं वर्तमान में शिक्षण संस्थाओं में जो कमी है उसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने थोड़ी देर पहले जो नीरस भाषण इस सदन में दिया, उसके लिये काफी माननीय सदस्यों को नींद आने लगी लेकिन मुझे तो गुस्सा आ रहा था कि आपकी गलत नीतियों की वजह से इन शिक्षण संस्थाओं का बंटाधार हुआ क्योंकि मैं अच्छी तरह से वाकिफ हूं कि बीकानेर जिले में कितना शिक्षण संस्थाओं में प्रशासन का हस्तक्षेप हुआ और किस तरह शिक्षा और शिक्षकों का संतुलन बिगड़ गया। आपके द्वारा आंख मींचकर जगह-जगह तबादले हुए। यहां तक कि एक आध जगह तो शिक्षकों की संख्या 30 तक पहुंचा दी और कई मिडिल स्कूलें एक अध्यापक से चलती रही।

श्री सभापति : माननीय सदस्य मिडिल स्कूल का प्रशासन मेरे हाथ में नहीं था पंचायतों के हाथ में था। आपकी जानकारी के लिए।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप आसन पर बिराजमान हैं।

श्री दिग्विजय सिंह : आप आसन पर बिराज रहें हैं आपको इस तरह जवाब नहीं देना है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य ने मेरा संदर्भ लेकर बात की है इसलिए मैंने उनको करेक्ट किया है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैं आपसे भी अनुरोध करूंगी माननीय सदस्य, वह आसन पर बैठे हुए हैं, इस बात का अनुचित फायदा न उठायें वह जवाब नहीं दे पायेंगे।

श्री मनीराम सियाग : बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य जो अभी चिन्ता प्रकट कर रहे हैं उसके बारे में आपको

(श्री मनीराम सियाग)

आगाह कर देना चाहता हूं। मैं जिक्र कर रहा था कि जो आज आप पाठ पढ़ाने आये हैं, अगर इस बारे में समय रहते ध्यान देते तो शिक्षण संस्थाओं का यह बुरा हाल नहीं होता। यह नैतिक पतन हुआ शिक्षण संस्थाओं का। सत्ता में भागीदारी का जो घमण्ड हुआ, उसकी वजह से उनकी जो सामान्य स्थिति थी दिमाग की, वह परिवर्तित हो गई और जैसा कि अपने राज के मदहोश में वह शिक्षण कार्य भूल गये। उनके दिमाग में एक ही बात रही कि हमारा शिक्षा मंत्री है और अब इस बात की क्या जरूरत होगी कि हम अपना समय शिक्षण संस्थाओं में लगायें। क्योंकि यह बिल्कुल व्यवहारिक बात है, जिस शिक्षक को सरकार का समर्थन प्राप्त होगा वह कभी भी अपने कर्तव्य के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। जैसा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर में सभी शिक्षण संस्थाओं का यही हाल रहा है। वहां तो टोटल शिक्षण संस्थाओं के अध्यापकों का शहरीकरण हो गया था। जितने भी अध्यापक शहर के थे, उन्होंने अपनी चहेती जगहों पर अपना अपाइण्टमेण्ट करवा लिया और एक चौकीदार के नाते एक व्यक्ति को वहां स्कूल में रखा करते थे। मैं सन् 78 से आज तक दो पंचायतों का सरपंच रहा हूं और मैंने बार-बार पंचायत समितियों में इस बात के लिए निवेदन किया कि शिक्षण संस्थाओं में धांधली हो रही है और यह लोग घर बैठे तनख्वाह ले रहे हैं और उल्टा हमें आंख दिखा रहे हैं कि शासन हमारा है तो माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से पंचायत समिति की जो उस समय मीटिंग हुआ करती थी, उसमें बार-बार यह मुद्दा उठाया था कि इन शिक्षण संस्थाओं का अचानक निरीक्षण होना चाहिये लेकिन क्या होता था कि यदि निरीक्षक महोदय वहां पधारते तो उसके दो दिन पहले वह सूचित किया करते थे कि मैं अमुक दिन अमुक संस्था में जाऊंगा और हम कहते रहते और वह शिक्षण रिपोर्ट पूरी की पूरी अध्यापकों के पक्ष में जाती लेकिन माननीय सभापति महोदय, कोई शिक्षण संस्थाओं का ज्यादा संख्या में खोलना और यह बताना कि हमारी सरकार ने इतनी शिक्षण संस्थाएं खोली। इतने प्राइमरी स्कूल, इतने मिडिल स्कूल, इतने सैकण्डरी और हायर सैकण्डरी स्कूल। लेकिन उनकी व्यवस्था के प्रति आपने कभी ध्यान नहीं दिया। जहां तक शिक्षकों की अनुपस्थिति और बच्चों के शिक्षण की बात है। आपने कभी भी, मैं तो यहां तक कहूंगा कि यह ग्रामीण शिक्षण क्षेत्र के प्रति आपका छलावा रहा है। आपने हमेशा यह ध्यान रखा है कि कहीं कोई शहर की तरह आगे बढ़ कर के हमारी कुर्सी नहीं छीन ले। तो सभापतिजी, जो शिक्षा का उस समय ह्रास हुआ, उसकी देन विगत सरकार कही जा सकती है। विगत सरकार ने जो विकेन्द्रीकरण की बात की और फील्ड स्कूलें जिला परिषद और पंचायत समिति को सौंपी, उसका हाल भी किसी से छिपा नहीं है। जो भी पंचायत समितियों में अध्यापक नियुक्त हुए, उसमें भी भारी भ्रष्टाचार फैला और कई माननीय सदस्यों को इस बात से चौंकना पड़ेगा कि जिला परिषद्, बीकानेर में जो घोटाला पिछले दिनों हुआ, जिसमें ढाई सौ अध्यापकों की नियुक्ति की गयी, सिर्फ 8,

(श्री मनीराम सियाग)

10 अध्यापकों को छूट देकर के बाकी 240 अध्यापकों से 30 हजार से 40 हजार रुपये तक लिये, जिसका उदाहरण आपके सामने है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी निलम्बित है और जिला प्रमुख भी मेरे ख्याल से बच गये। सभापतिजी, यह सारी बातें मैं आपके माध्यम से वर्तमान सरकार को सचेत करना चाहता हूं कहीं पुरानी परिपाटी के अनुसार आप भी इस बात को न भूल जायें कि जो आजकल नियुक्तियां हो रही हैं, जो भी सलैक्शन हो रहे हैं, इसमें भी किसी तरह की कोताही न बरती जाये। अभी जो सैशन शुरू हुआ है, उसमें कोई ज्यादा अन्तर नहीं आया है। काफी स्कूलें खोली हैं, अभी मेरे क्षेत्र के कुछ लोग आये हैं। कोई मिडिल स्कूल में एक अध्यापक है, कहीं 2-3 थे तो उन्होंने अपनी बदली करा ली। तो हर स्तर में ऐसा ही होता है कि 3-4 महीने के बाद में कोई कार्यवाही होती है, उसका शिक्षा में व्यवधान होता है और विधिवत् शिक्षा नहीं होती। गांवों के स्कूलों में शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

एक पहलू मैं शिक्षा का भूल गया, नारी की शिक्षा। आज तक कभी भी नारी के प्रति ध्यान नहीं दिया गया। स्वामी केसुवानन्द ने जो सांगरिया में शिक्षण संस्थाएं खोली, उनके मन में एक ही विचार था कि अगर एक नारी को शिक्षित कर दिया जाये तो उसका पूरा परिवार शिक्षित हो जायेगा। तो इसी नीति के तहत मैं आपको और मेरी सरकार को यह निवेदन करना चाहूंगा कि नारी की शिक्षा पर पूरा-पूरा ध्यान दिया जाये।

सभापतिजी, मैं समाज कल्याण की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। माननीय समाज कल्याण मंत्री महोदय को आगाह करना चाहता हूं कि जो छात्रावास हैं और जिन छात्रावासों में हरिजन बच्चों को प्रवेश दिया जाता है, उन पर भी पूरा ध्यान दिया जाये। वहां जो देख-रेख के लिए वार्डन रखा जाता है उसकी भी नैतिकता पर विशेष तौर से ध्यान दिया जाये। क्योंकि इसमें ज्यादातर बच्चों को जो खाने-पीने की वस्तु दी जाती हैं, उनको बचा करके वह अपने नशे में और फिजूल-खर्ची में लगा देते हैं। मैं आपको विशेष तौर से एक बार पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि जहां भी आप दौरे पर जायें, छात्रावासों का विशेष तौर से निरीक्षण करें और वहां कम से कम जो भी सामग्री उपलब्ध करायी जाती है, बच्चों को, उसका एक टेबिल नोटिस बोर्ड की तरह से टंगा रहना चाहिये कि इतना स्टॉक है और इतना प्रतिदिन बच्चों को खाने-पीने के लिए दिया जा रहा है। ताकि कोई भी व्यक्ति उस छात्रावास में आये या बच्चों के अभिभावक भी आयें तो उनको इस बात का पता रहे कि मेरे बच्चों को इस तरह से दिया जा रहा है। मैं आपको इस बात के लिए विशेष सुझाव देना चाहता हूं कि जो छात्रावासों में भर्ती की जाती है, जो लिमिट संख्या है, उसका भर्ती करने का आधार आर्थिक होना चाहिये क्योंकि आर्थिक आधार के बिना कुछ बच्चे जो कोई कारणवश या बीमारीवश फेल भी हो जाते हैं, तो उनको दूसरे वर्ष मौका नहीं मिलता और बिल्कुल पिछड़े हुए गरीब परिवार के बच्चे अशिक्षित रह जाते हैं।

(श्री मनीराम सियाग)

एक मैंने वहां पर विशेष तौर से देखा है कि क्योंकि पिछले वर्ष मुझे मौका मिला है। छात्रावासों में बच्चों की भर्ती के बारे में कि वहां नम्बरों के आधार पर, तालिकाओं के आधार पर प्रवेश दिया जाता है। यह बिल्कुल ही मैं तो कहूंगा अन्यायपूर्ण हैं। क्योंकि गांवों में स्कूलों में इतना कम्पीटीशन का ध्यान नहीं रखते और अधिकारी मनमर्जी से अंक देकर मनमर्जी से तालिकाएं बना देते हैं और उस प्रायोरिटी बेस के आधार पर किसी बच्चे को एडमिशन मिल जाता है और लिमिटेड संख्या होने की वजह से गरीब बच्चों को जो उनके कपड़े और खाना मुहैय्या कराने में उनके पेरेन्ट्स वंचित रह जाते हैं और वह बच्चा शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश पाने में असमर्थ रहता है। अतः मैं माननीय राज्य मंत्रीजी से यह अनुरोध करूंगा कि वह इन नियमों में थोड़ा सुधार करें। धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री मदन लाल जी सैनी।

श्री मदनलाल सैनी (गुढ़ा) : माननीय सभापतिजी, कहा गया है कि स्वस्थ तन में स्वस्थ मन रहता है। जिसका तन स्वस्थ नहीं होगा उसका मन स्वस्थ नहीं कहा जा सकता है और वह प्रभावित करता है बाकी सारे जीवन को। वास्तव में खेलकूद के बारे में अभी माननीय जनार्दनसिंह जी ने कहा, उसको आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करना चाहूंगा मान्यवर, आपके माध्यम से सरकार से कि राजस्थान में जिस प्रकार की व्यवस्था आज तक रही है, उसको और बढ़ाने की जरूरत है। हमारे यहां समाज में इस प्रकार के टेलेण्टस हैं, जिनको आगे बढ़ाया जा सकता है। इस दृष्टि से वनवासी बंधुओं की ओर सरकार का ध्यान नहीं गया है। प्राइवेट संस्थाओं में इस प्रकार के कार्यक्रम नहीं किये गये हैं और तीरन्दाजी में हिन्दुस्तान में और बांसवाड़ा का विद्यार्थी पहले नम्बर पर और तीसरे नम्बर पर आये हैं। जो उनका पुश्तैनी काम है, उनको आगे बढ़ाया जा सकता है। तो हम खेल-कूद के एक विषय को आगे बढ़ा सकते हैं। इसी प्रकार से हमारे समाज में नट एक इस प्रकार की जाति है, जिस जाति के काम इस प्रकार के हैं, जिनको हम लोग उनको पढ़ाई में ढालकर यदि आगे बढ़ाते जायेंगे तो देश में और विदेशों में होने वाले खेलों में हमारा देश आगे बढ़ सकता है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि शेखावाटी के उस प्रदेश में, जहां से सेना में भी लोग बड़ी संख्या में जाते हैं और खेलकूद में भी जाते हैं, इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए। झुंझुनूं के स्टेडियम का मामला कई कारणों से अटका हुआ पड़ा है, उदयपुरवाटी के स्टेडियम का काम प्रारम्भ हुआ है। इसी के साथ मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि खेलकूद की विशेष ट्रेनिंग की व्यवस्था झुंझुनूं जिले में की जानी चाहिए ताकि सीकर, चूरू और झुंझुनूं जिले के योग्य विद्यार्थी आगे आ सकें और इस क्षेत्र में देश का नाम कर सकें।

मान्यवर, स्कूलों में आजकल जो

(श्री मदनलाल सैनी)

व्यवस्था बन रही है उस व्यवस्था में कुछ बदल करने की आवश्यकता है, ऐसा मुझे लगता है। देश में आज एकता की चर्चा हो रही है, देश टुकड़े-टुकड़े बंट रहा है— भाषा के नाम पर बंट रहा है, जाति के नाम पर बंट रहा है, समाज के नाम पर बंट रहा है। इस प्रकार की व्यवस्था को ठीक करने के लिए मेरा सुझाव है कि स्कूलों में प्रार्थना के समय एकरूपता की दृष्टि से एकता मंत्र प्रारम्भ किया जाना चाहिए, जो इस देश के भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में सारे समाज को सामाजिक-आर्थिक दृष्टि से एक रूप में ला सके। इस प्रकार का प्रयास किया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम भी ऐसा हो जो इस देश को एक रखने के लिए हम प्रेरणा दे सके- देश पर मर मिटने की। आज देश के चारों तरफ जो स्थिति है, पाकिस्तान एक तरफ खड़ा है, लंका से हमारे अच्छे सम्बन्ध नहीं हैं और दूसरे पड़ौसी राष्ट्रों से भी हमारे सम्बन्ध अच्छे नहीं हैं। ऐसे समय देश में देशभक्ति की भावना जागृत करने की आवश्यकता है। जो प्रेरणा दे सकें, वह पाठ पाठ्यक्रम में लिये जाने चाहिए, फिर वह चाहे शिवाजी का सवाल हो, राणा प्रताप का सवाल हो, राम का सवाल हो या दूसरे काम इस देश में जिन लोगों ने किए हैं। वह विद्वान लोग भी हो सकते हैं, रसखान भी हो सकते हैं, जायसी भी हो सकते हैं। सम्प्रदाय के साथ न बांधकर इस देश की एकता और अखंडता के परिप्रेक्ष्य में उन लोगों को लिया जाना चाहिए। यह बदल होना चाहिए।

सभापति महोदय, इसी प्रकार शिक्षा रोजगारोन्मुख बनायी जानी चाहिए, इस प्रकार की व्यवस्था की जानी चाहिए कि व्यक्ति बाबू नहीं बने। स्कूल से निकलने वाले विद्यार्थी, कालेज से निकलने वाले विद्यार्थी को यदि हमने बाबू बना दिया तो वह हमारे राज्य पर एक प्रकार से भार बन जायेगा। सारे पढ़-लिखने वाले लोगों को रोजगार दे सके, यह किसी भी देश के लिए सम्भव नहीं होगा। इस दृष्टि से विचार करते हुए हमको शिक्षा में रोजगार को प्रधानता देने के बारे में व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि स्कूल से निकलने के बाद, कालेज से निकलने के बाद कोई भी विद्यार्थी सरकार के दरवाजे को नौकरी के लिए नहीं खटखटाये। कम्प्यूटर का सवाल आया। मैं कम्प्यूटर का बिलकुल विरोध करता हूं। कम्प्यूटर इस देश में शिक्षा के क्षेत्र में नहीं, केवल चिकित्सा के क्षेत्र में और डिफेंस के मामले में उपयोग किया जाना चाहिए। बाबूगीरी करने के लिए कम्यूटर ले जाया जाता है। आज कम्प्यूटर लाया जा रहा है आफिस के लिए, कल रोबोट लाया जायेगा माइंस के लिए। जहां हाथ काम करते हों वहां रोजगार देने के लिए इस प्रकार की मशीनों का उपयोग नहीं होना चाहिए। देश की सुरक्षा के मामले में, सर्जरी के मामले में कम्प्यूटर का प्रयोग करना ज्यादा ठीक है, अन्यथा कम्प्यूटर बेकारी बढ़ायेगा, ऐसा मेरा मानना है।

मान्यवर, आज कालेज खोलने की बात हो रही है। दो कालेज खोलने की बात है। पीछे सोचकर सरकार ने जो योजना बनाई उस योजना को आगे बढ़ाने की दृष्टि से, उसका दृढ़ीकरण करने की

(श्री मदनलाल सैनी)

दृष्टि से व्यवस्था की जा रही है अध्यापकों की, अन्य सुख-सुविधाओं की, ताकि विद्यार्थी एकाग्र होकर पढ़ सके। इस प्रकार की व्यवस्था करने के लिए बजट का अलाटमेंण्ट किया है, इस कारण अधिक स्कूल नहीं खोलकर दो कालेज खोले जा रहे हैं। मान्यवर, मेरा उदयपुरवाटी एक ऐसा क्षेत्र है जहां पास में कोई कालेज नहीं है, झुंझुनूं जिला राजस्थान में इस प्रकार का एक जिला है जहां कोई सरकारी कालेज नहीं है, प्राइवेट कालेज होंगे। ऐसे क्षेत्र में एक कालेज खोला जाना चाहिए। खण्डेला तहसील में कोई कालेज नहीं है, श्रीमाधोपुर तहसील में कोई कालेज नहीं है। यह एक सेन्टर है, यहा पर कालेज खोला जाना चाहिए, यह मेरा सरकार से आग्रह है। झुंझुनूं जिले में सैनिक स्कूल खोलने की प्रक्रिया अवरुद्ध हुई है किन्हीं कारणों से। उसको पुन: प्रारम्भ करना चाहिए ताकि देश की सुरक्षा के लिए सीमा पर लड़ने के लिए विद्यार्थियों का मानस देशभक्ति की दृष्टि से तैयार किया जा सके।

मान्यवर, आज विद्यालयों में दरी नहीं हैं, पट्टियां नहीं हैं, मकान पूरे नहीं हैं, अध्यापक पूरे नहीं हैं। उनको पूरा करने का सरकार ने तय किया और इस हेतु बजट प्रावधान किया, इसकी मैं भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं। सरकार ने यह एक अच्छी व्यवस्था की है।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह ध्यान दिलाना चाहता हूं कि आज भी पिछड़े हुए लोगों के साथ, जिनको सुरक्षा की जरूरत है, बराबर भेदभाव बरता जा रहा है। एक पंचायत है मेरे क्षेत्र में सूरपुरा सराय, वहां पर एस. सी. और एस. टी. के लोगों को पानी नहीं भरने दिया जा रहा। बिजली के लोगों से मिलकर सार्वजनिक कुओं पर कर्मचारियों ने गलत कनेक्शन लिए। पी. एच. ई. डी. के कुओं पर बिजली के कनेक्शन ले लिए और गांव वालों ने जो कुआं बनाया था वहां पानी नहीं दिया जा रहा। इसकी कई जगह शिकायतें भी हुई, लेकिन गति अभी भी वही है जो पिछली सरकार की काम करने की चल रही थी। मैं समझता हूं कि यदि हमको विकास करना है, आगे बढ़ना है तो पिछली सरकार की गति से अपनी गति ज्यादा बढ़ानी चाहिए, यह मेरा मानना है। गति बढ़ाने की बात कर रहा हूं, वही भैंस गाड़ी की तरह चलने की बात नहीं कह रहा हूं। सरकार पिछले समय में जिस ढंग से चल रही थी, विकास के कामों को ठीक ढंग से किया जाने के लिए गति बढ़ाने की आवश्यकता है, ऐसा मैं सोचता हूं। मेरे यहां, मैं निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से, कि कुछ इस प्रकार के क्षेत्र हैं जहां खेलकूद सेन्टर बनाये जाने चाहिए। जहां तक बड़गांव का सवाल है, बड़गांव में खेलकूद सेन्टर बनना चाहिए, उदयपुरवाटी में बनना चाहिए, मण्डावर, छापरौली में बनना चाहिए। जहां हायर सैकण्डरी स्कूल हैं वहां पर इस प्रकार के सेन्टर कायम होने से खेलकूद के होशियार विद्यार्थी आगे आ सकेंगे।

समाज कल्याण विभाग के बारे में मेरा निवेदन है कि आज एस. सी. और एस. टी. के नाम पर चर्चा की जा रही

(श्री मदनलाल सैनी)

है, छात्रावासों की दुर्दशा के बारे में भी वर्णन हो रहा है। उसमें सुधार करने की बातचीत के साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि उदयपुरवाटी क्षेत्र में एस. सी., एस. टी. के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं। वहां विद्यार्थी दूर-दूर ढाणियों से गांवों में आते हैं और सायंकाल अपने घर नहीं जा सकते। इस प्रकार के स्थानों पर विद्यार्थियों को किराये का मकान लेकर रहना पड़ता है। सारे स्थानों पर किराये के मकान नहीं मिलते हैं। इस कारण बड़ी अव्यवस्था का उनको शिकार होना पड़ता है। शहरों में मकान नहीं मिलेगा, इस कारण घर से बाहर पढ़ने के लिए ही लोग तैयार नहीं होते। आठवीं और पांचवीं के बाद विद्यार्थी घर छोड़कर नहीं निकलते। इसके लिए मेरा सुझाव है कि वहां पर छात्रावास बनने चाहिए, एस. टी., एस. सी. के लिए छात्रावास बनने चाहिए, जहां विद्यार्थी एकाग्र होकर मकान के किराये की चिन्ता न करते हुए अपना अध्ययन कर सके।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि इस प्रकार की व्यवस्थाओं को सरकार ठीक करे। धन्यवाद।

(6.00 सायं)

श्री अमीन खां (शिव) : मांग संख्या 33–समाज कल्याण और सामाजिक सुरक्षा। सभापति महोदय, समाज कल्याण के जितने भी छात्रावास मैंने देखे हैं उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। गरीबों के, अनुसूचित जाति और जन जाति के जो बच्चे भर्ती किये गये हैं वह उन छात्रावासों में न रहकर उसी गांव के पड़ोस में दूसरे घर में जाकर शरण लेकर रहना पसन्द करते हैं।

कई छात्रावास मैंने खुद ने देखे हैं। इन छात्रावासों में 15 साल के पूर्व की खरीद की हुई सामग्री आज तक चली आ रही है। उसके बाद में कोई सामान खरीदकर छात्रावास में नहीं रखा है। कोई रजाई नहीं है, कोई पथरना नहीं है और कोई वहाँ पात नहीं है इसके अलावा मैंने खाने-पीने की चीजें देखी हैं। होस्टल के जितने भी सुपरिण्टेंडेंट्स हैं यह करीब-करीब सिफारिशों पर लग करके वहां पर बैठ जाते हैं और किसी की शिकायत की परवाह करते नहीं हैं। वे किसी एक फर्म से मिल करके आधा सामान तो खुद हजम कर जाते हैं और आधा सामान उन गरीबों के बच्चों पर मुश्किल से वितरण करते हैं। यह छात्रावासों की हालत जो मैंने आज तक करीब-करीब जितने भी छात्रावास देखे हैं उनमें यही शिकायत है। इनको मेहरबानी करके सुधारा जाय।

नम्बर दो, पश्चिमी राजस्थान का रेगिस्तान क्षेत्र का क्षेत्रफल बहुत लम्बा-चौड़ा है इनमें कम से कम पंचायत समिति या तहसील मुख्यावास जितने भी ऐसे हैं जहां छात्रावास आज तक नहीं हैं वहां क्षेत्रफल को देखते हुए और वहां की शिक्षा का औसत गिरा हुआ देखते हुए हर हालत में सरकार को इस पंचायत समिति और तहसील मुख्यावासों पर जहां समाज कल्याण के छात्रावास नहीं हैं वहां छात्रावास जनहित में खोलना चाहिए।

(श्री अमीन खां)

नम्बर तीन, मेरा कटौती प्रस्ताव है, बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य श्री गंगाराम चौधरी का भी। राजस्थान के समाज कल्याण विभाग से पिछड़ी हुई जातियों की सूची निकली है। उस सूची में मेरासी जाति पिछड़ी हुई जाति लिखी है। सरकार की मंशा भी उस मेरासी जाति को पिछड़ी हुई मानना है लेकिन अधिकारियों ने गवर्नमेंट को यह गुमराह कर दिया कि मेरासी मुसलमान हैं उनको पिछड़ी जाति नहीं मानना चाहिए।

सभापति महोदय, समाज कल्याण मंत्री महोदय को गुजारिश करना चाहता हूं अदब से कि गुजरात की सरकार की आप लिस्ट मंगा लें, यू. पी. की सरकार की आप लिस्ट मंगा लें और आपकी खुद की सरकार की लिस्ट देख लें उसमें मुसलमान शब्द लिखा हुआ नहीं है, मेरासी शब्द है।

मेरा निवेदन करने का मतलब यह है कि मेरासी है, धोली है, मंगियार हैं ये पेशेवर कौम है जिनके पास पूर्व में न तो कभी कोई जमीन थी, न कोई दुकान थी, न कोई इस कौम में व्यापारी थे। इनकी औरतें और पुरुष सारों का आज तक खानदानी पेशा रहा है गाना, बजाना, दूसरों के घरों में पकी हुई रोटियां हाथ में लेकर खाना, दूसरों के सिले हुए दान में प्राप्त कपड़े अपने अंगों पर पहनना। यह पेशावर से पिछड़ी हुई जाति मानी है।

माननीय सभापति महोदय, राज्य सरकार ने भी इसको माना है लेकिन अधिकारियों ने कहा है कि साहब मेरासी के आगे मुसलमान है तो उसका पिछड़ी हुई में नहीं मानेंगे। गुजरात की गवर्नमेंट इसको पिछड़ी हुई मानती है उनको सुविधायें दे रही है, छात्रवृत्ति दे रही है, उनके बच्चों को गुजरात में। भले ही आप लिस्ट मंगा लें। उत्तर प्रदेश की सरकार भी इसी प्रकार से दे रही है लेकिन राजस्थान सरकार के अफसर इस बात को सरकार को कहते हैं कि साहब मुसलमान है तो नहीं। मेरा निवेदन है कि इसको गंभीरता से लिया जाय कि यह मानवता का एक प्रश्न गरीब के हित का है तो मान लिया जाय और नहीं है तो नहीं।

सभापति महोदय, मांग संख्या 24। सारे हिन्दुस्तान में शिक्षा का स्तर नीचे है राजस्थान का और सारे राजस्थान में शिक्षा का स्तर हमारे जिले बाड़मेर में नीचे है। इसमें स्कूलें भी काफी हद तक खुल चुकी हैं लेकिन स्कूल में जो मिडिल स्कूल और सैकण्डरी स्कूल हैं इन स्कूलों में 50 पर्सेन्ट से ज्यादा किसी भी स्कूल में स्टाफ नहीं है और प्राइमरी स्कूलें जहां हैं उनमें थोड़ी ही कमी है। लेकिन मिडिल स्कूल और सैकण्डरी स्कूलों की बाड़मेर, जैसलमेर में हालत बहुत खराब है इसमें हमने जहां तक आज तक जायजा लिया। झुंझुनूं, सीकर, भरतपुर, अलवर और जयपुर के अध्यापक जितने हमारे यहां लगे वह पढ़ाई बहुत अच्छी कराते हैं लेकिन हमारे यहां के लोकल मास्टर जितने भी हैं वह सब आकर शहरों में रहना चाहते हैं। वे नेताओं के पास बैठ करके, डाइरेक्टर के पास बैठ करके बदलियां कराके सब

(श्री अमीन खां)

शहरों और कस्बों में जाते हैं। देहाती इलाकों में जहां ढाणियां और रेगिस्तान की स्कूलें हैं वहां की हालत बहुत खराब है जिसकी कोई परवाह नहीं करता। इसलिए सभापति महोदय, अपन सभी गरीब पब्लिक को भाषण देने के लिए कहते हैं कि हम तो 60 पर्सेन्ट सारी सुविधायें ग्रामीणों को देना चाहते हैं। मेरा यह मानना है कि शिक्षा के जितने भी अधिकारी हैं और शिक्षा के जितने आज तक मंत्री भी बने हैं वह करीब-करीब सब शहरी वर्ग के हैं और शहरों की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं। गांव की तो सिर्फ एक पब्लिक मीटिंग में अच्छा सा भाषण देना चाहते हैं, लेकिन गांव की तरफ न तो हमारे वालों ने ध्यान रखा है और न अभी भी ध्यान रखा जाता है। मेरी यह गुजारिश है कि ग्रामीण लोगों, मास्टरों को यह पाबन्द किया जाय कि जो मास्टर अपाइन्टमेंट डिस्ट्रिक्ट में होगा वह 10 साल तक कम से कम गांवों में नहीं रहेगा तो उसकी सेवाएं खत्म कर दी जायेंगी तभी सभापति महोदय, यह मास्टर गांवों में, देहाती इलाकों में, गरीबों के बीच में रहेंगे अन्यथा वह मास्टर गरीबों के बीच में रहना अपनी क्वालिफिकेशन का अपमान समझते हैं। इसलिए इसके प्रति सख्ती बरतनी पड़ेगी और सख्ती के बिना ग्रामीण लोग कतई पढ़ नहीं पायेंगे।

दूसरा, निवेदन यह है मेरा कि प्रौढ़ शिक्षा चलायी जाय। प्रौढ़ शिक्षा का एक प्रोजेक्ट हर डिस्ट्रिक्ट में, ब्लाक में कायम कर रखा है। उसका तो, सभापति महोदय, मेरे ख्याल में हर आदमी जानता है कि सिवाय 10-15 आदमियों को एडजस्ट करने, उनके बीबी-बच्चों, यार दोस्तों को घूमने के लिए गाड़ियों की व्यवस्था के अलावा कोई उनका धंधा नहीं है और करोड़ों रुपया राज का खत्म कर रहे हैं जबकि अपन मानते हैं कि गरीबों के बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। यह प्रौढ़ों की कितनी ही क्लासें लगाते हैं और एक भी प्रौढ़, सभापति महोदय, न तो पढ़ता है न किसी को पढ़ाते हैं। इस पर लाखों रुपयों का घोटाला हो रहा है। मैं तो सरकार से यही कहूंगा कि सरकार इस बेईमानी को बन्द करना चाहती है तो इस प्रौढ़ शिक्षा प्रोजेक्ट को आज ही बन्द कर दें। 70 साल के आदमी पढ़ करके अब देश का क्या भविष्य उज्ज्वल कर सकेंगे। देश का भविष्य उज्ज्वल तो नौजवान करेंगे, ये मासूम बच्चे करेंगे। ये रुपये उन पर खर्च करो तो कोई देश को फायदा है। 70 साल के आदमी से पढ़ने की कोई बात करता है तो अपनी मजाक समझता है कि हम अब पढ़कर क्या करेंगे? लेकिन नहीं यह बहुत बड़े-बड़े अफसरों ने और मिनिस्टरों ने मिलकर ऐसा फार्मूला तैयार किया है कि जिससे अपने वर्कर को या मित्र को गाड़ी देनी, कैसे देनी तो साहब प्रोजेक्ट ऑफिसर, फलां ब्लाक, फलां। उसको एक जीप मिल गई, एक ड्राइवर मिल गया स्टेशनरी के पैसे मिल जाते हैं और घुम-घुमा करके बिल पर दस्तखत करा कर लाते हैं। यह बहुत बड़ा घपला और अत्याचार है इसको सरकार को बन्द कर देना चाहिए और इस प्रौढ़ शिक्षा पर जितने भी पैसे लगते हैं वे ग्रामीण स्कूलों में लगाया जाय जहां पैसों की कमी है जहां मास्टरों की कमी है वहां

(श्री अमीन खां)

पोस्टें सेंक्शन की जाय, जहां स्टाफ पूरा नहीं है वहां स्टाफ पूरा दिया जाय और गरीबों के बच्चों को फ्री कापियां और किताबें इन पैसों में दी जाय तब तो एक जन कल्याण की नीति समझ में आती है नहीं तो यह घूमने और तफरी करने वाला महकमा मैं मानता हूं। इसके अलावा गांवों में स्कूल जो एक साथ चलाते हैं या अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा में ईमानदारी की बात कोई नहीं करता। सिवाय अनौपचारिक शिक्षा में अपने-अपने आदमियों को ओबलाइज करने के अलावा इसमें एक टके का ही काम नहीं है और राज्य सरकार के लाखों रुपये बर्बाद कर रहे हैं और मजा कर रहे हैं। इसलिए यह भी बन्द करके इस अनौपचारिक शिक्षा के पैसे प्राइमरी एज्यूकेशन में, ग्रामीण लोगों में लगा दिया जाय तो 10 गांव के गरीब लोगों को लाभ मिलेगा।

सभापति महोदय, तीसरी बात इसमें मैं यह कहना चाहता हूं कि हकीकत में गांव और ढाणियों के लोगों के साथ देश की आजादी के 40 साल बाद भी अन्याय हो रहा है। देश की आजादी के बाद 40 तक हमने बिलकुल नया काम क्या किया है। आप सभी जानते हैं कि आज शहरों में बंगलों में रहने वाले बच्चे जिनका खाना नौकर पकाये, जो चाय बनाये, लोगों के कपड़े धोये दुनिया भर के काम भी करे, कपड़े भी हाथ से धोये, रोटी भी हाथ से बनाये, सब्जी भी हाथ से बनाये और अपने घर वालों की भी थोड़ी बहुत सेवा करे उनके बच्चे आर. ए. एस. में आज आयेंगे ना। हकीकत में ग्रामीण लोगों को.... (व्यवधान)

मंत्रीजी नहीं हैं तो, श्रीमती सुमित्रासिंह जी बैठी हैं। इसके लिये मेरा यही निवेदन है कि श्रीमती सुमित्रासिंह जी आप कम से कम 20 पर्सेन्ट नम्बर जो ग्रामीण लोग हैं उनके तो बढ़ा ही दें। यह अनाप-शनाप कर्जे माफ करने में भी आपकी इतनी उदारता है, 70 साल वालों को वृद्धावस्था पेन्शन दे रहे हैं, मेरा विश्वास है कि गरीबों का सबसे ज्यादा कल्याण इससे होगा, 20 पर्सेन्ट नम्बर गांवों के बच्चों को आप एक्स्ट्रा दीजिये तब तो अपने गांव और ढाणियों के बच्चे कहीं अफसर बनेंगे नहीं तो साहब भूखों ही मरेंगे, अपन तो भाषण देते हुये चले जायेंगे, अपन को कुछ मिलने वाला नहीं है।

इतना ही कहकर मैं मेरी बात समाप्त करता हूं। जयहिन्द।

श्री सभापति : माननीय श्री शिव किशोर सनाढ्य। (व्यवधान)

श्री लालचन्द डूडी (भादरा) : माननीय सभापतिजी, माननीय सदस्य बैठे हुए नहीं बोलें, खड़े होकर बोलें। हाउस के अन्दर बैठकर नहीं बोल सकते हैं। एक परम्परा है, हाउस में खड़े होकर बोलने की।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) : माननीय सभापतिजी, ऐसा है मैं तो खड़ा होकर ही बोल रहा हूं।

श्री रामकरणसिंह गुर्जर : माननीय सभापतिजी, माननीय सदस्य को कहिये कि वह खड़े होकर बोलें बैठे-बैठे नहीं बोलें।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : मैं तो खड़े होकर ही बोल रहा हूं और यह जो सामने बैठे हैं वह मेरी सुरक्षा के लिये बैठे हैं।

माननीय सभापति महोदय, अभी थोड़ी देर पहले सदन में यह कहा गया था कि पिछली सरकार के द्वारा स्कूल खोले गये थे, अध्यापक लगाये गये थे और यह भी कहा गया था कि हमारे जमाने में यह जिला शिक्षक प्रशिक्षणालय खोले जाने, ब्लेक बोर्ड आपरेशन के अन्तर्गत सामान खरीदा गया था। मैं यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि उच्च माध्यमिक विद्यालय भी खोले गये थे, सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय भी खोले गये थे लेकिन बिना सोचे समझे आपने बिना प्लान किये खोले थे और इसीलिये 10+2 लागू होते ही जो 12वीं कक्षा के विद्यार्थी थे उनको पढ़ाने वाले शिक्षक प्राप्त नहीं हुये, क्योंकि उनका प्रशिक्षण नहीं था, क्योंकि उनकी तैयारी नहीं थी और दूसरी तरफ कालेज की फर्स्ट ईयर समाप्त करके आप लोगों ने फर्स्ट ईयर को पढ़ाने वाले जो शिक्षक थे, वहां पर जो आचार्य थे या वह जो लेक्चरर थे उनको आपने अलहदा कर दिया।

माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि पिछले एक वर्ष से हाई कोर्ट के स्टे के आधार पर वह मुफ्त महाविद्यालय में बैठकर पैसा प्राप्त करते हैं, उनके पास काम नहीं है, जहां पढ़ाना चाहिये था वहां उसके शिक्षक नहीं हैं और वह बैठकर कोर्ट के आधार पर, लगभग 130 शिक्षक हैं जो एक साल से निरन्तर पैसा प्राप्त कर रहे हैं। यह स्थिति है, 65 लाख रुपया मुफ्त में दिया गया है और आज हम यह कह रहे हैं कि हमने शिक्षा का विस्तार किया है। शिक्षा का विस्तार तो हुआ लेकिन प्लान के अनुसार नहीं हुआ। करौली से आने वाले माननीय सदस्य अभी बोल रहे थे कि प्राथमिक शिक्षा पंचायत समितियों में रहनी चाहिये। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन पंचायत समितियों में शिक्षा जाने के बाद और खास कर यह मिडिल स्कूल जाने के बाद ऐसी क्या परिस्थिति बनी है, इस सदन की कमेटी बनाकर इसकी समीक्षा करवा लीजिये कि वहां पर शिक्षा का जितना नुकसान हुआ है, केवल प्रशासनिक दृष्टि से निकाल कर आप देखिये तो सही कि कितना सहयोग प्राप्त हुआ है।

गांधीजी का जो सपना था उस सपने को भूल गये। गांधीजी का सपना था कि ग्राम पंचायत मजबूत होगी, ग्राम की शिक्षा मजबूत होगी लेकिन आप लोगों ने केवल एडमिनिस्ट्रेशन के नाम पर प्रधानों और पंचायतों के पंचों की गुलामी करने के लिये उन शिक्षकों को नियुक्त कर दिया, जिन शिक्षकों का सम्मान होना चाहिये था आप लोगों ने उनको गुलामी करने के लिये गुलाम बनाकर रख दिया। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कभी-कभी +++ होता है, +++ और वह दिखाई पड़ता है।

+++ शब्द/अभिव्यक्ति माननीय सभापति के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

माननीय सभापतिजी, आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि.... (व्यवधान)

आप मुझे बोलने दें, यदि कुछ भी कहना हो तो वह बाद में कहें।

श्री हीरालाल इन्दौरा : (केशरीसिंहपुर) : आप बेक ग्राउण्ड छोड़ दीजिये, आगे माननीय मंत्री महोदय को सुझाव दीजिये। जो कार्य हमने किये हैं वह तो हुये हैं....

श्री महावीर प्रसाद जैन : +++

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : मैं वही सुझाव दे रहा हूं कि पंचायती राज से मेहरबानी करके शिक्षा को मुक्त कीजिये और तभी यह शिक्षा मुक्त होने के बाद....

श्री सभापति : अभी ऐसा है माननीय सदस्य ने जो +++ कहा है, +++ शब्द को एक्सपंज किया जाय। (व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप उसको कैसे काटेंगे....

श्रीमती सुमित्रासिंह : आप निकाल नहीं सकते हैं। +++ शब्द असंसदीय नहीं है।

श्री सभापति : बैठे-बैठे बोल रहे हैं इसलिये मैंने एक्सपंज कर दिया। बैठे बैठे नहीं बोल सकते हैं इसलिये मैंने एक्सपंज किया है।

श्री हीरालाल इन्दौरा : +++ शब्द असंसदीय है इसलिये एक्सपंज कर दिया।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अब खड़े होकर बोल देता हूं।

श्री सभापति : मैंने एक्सपंज कर दिया, व्यवस्था दे दी, उस व्यवस्था को चैलेंज मत कीजिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा : शब्द असंसदीय तो नहीं है ना ? देख लीजिये असंसदीय तो नहीं है तो फिर आपने कैसे उसको हटाया ? यह न कोई असत्य है।

श्री सभापति : आप आसन की व्यवस्था को चैलेंज कर रहे हैं ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप खड़े होकर बोलिये, आसन की व्यवस्था किसी तर्क को लेकर होगी ना।

श्री सभापति : किसी भी माननीय सदस्य को +++ कहना उचित मानते हैं क्या ? क्या विधान सभा की गरिमा के अनुकूल है ? इसलिये मैंने बैठे बैठे बोले गये शब्द को एक्सपंज कर दिया।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप खड़े होकर बोलो ना, आप खड़े होकर क्यों नहीं बोलते हैं, आप थोड़े ही +++ मजदूर हैं ?

श्री सभापति : यह विधान सभा को

+++ शब्द/अभिव्यक्ति माननीय सभापति के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्री सभापति)

रिफ्लेक्ट करता है इसलिये मैंने एक्सपंज कर दिया। आप इसको विवाद का विषय नहीं बनायें। जारी रखें माननीय सदस्य।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : माननीय सभापति जी, मैं जैसा कि निवेदन कर रहा था पंचायत समितियों में शिक्षा के सन्दर्भ में, आपके माध्यम से सदन का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहता हू कि माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी आपके 24 मार्च के एक आदेश के द्वारा राजस्थान के महाविद्यालयों के शिक्षकों को जो सीनियर स्केल दिया गया है, जो सलेक्शन ग्रेड दी गयी है मैं उसके लिये आपको बधाई देता हूं। जो लोग पिछले 28-30 साल ले उपेक्षित थे उन लोगों की आकांक्षाओं की आपने पूर्ति की है। लेकिन मैं उसी के साथ जो दूसरी प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्रीजी हैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि शिक्षकों में एक व्यापक असंतोष है, यह जो नये वेतनमान उनको प्राप्त हुये हैं। आपके माध्यम से जहां इसी तरह से कालेज महाविद्यालयों के शिक्षको को सीनियर ग्रेड और सलेक्शन ग्रेड दिया गया है उसी तरह का केन्द्र में प्रावधान है उसी तरह से आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि वह प्रावधान करके जो शिक्षकों के मध्य में असंतोष है उस असंतोष को मिटाने की कृपा कीजिये।

मैं सदन का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं कि पिछली सरकार ने एक ऐसा निर्णय करके प्रधानाध्यापकों का एक ही ग्रेड, माध्यमिक विद्यालय के जो प्रधानाध्यापक थे वह केडर पोस्ट थी, फर्स्ट ईयर के जो प्रथम श्रेणी के अध्यापक थे उनका वेतनमान किस प्रभाव से तत्कालीन शिक्षा मंत्रीजी ने इसका निर्णय लिया, मैं आज तक समझ नहीं पाया। तत्कालीन शिक्षा मंत्रीजी ने उन शिक्षकों के साथ बैठकर जो समझौता किया था उससे शिक्षकों के बीच में बहुत बड़ी खाई पैदा हो गयी है, सैकण्ड ग्रेड का अध्यापक है उसकी ग्रेड 1400 रुपये से प्रारम्भ होगी, उधर सीनियर टीचर्स है उसकी 2000 से प्रारम्भ होगी और सीनियर सैकण्डरी स्कूल का हैड मास्टर है उसकी ग्रेड भी 2000 से प्रारम्भ होगी। मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं ... (व्यवधान)

जो तत्कालीन शिक्षा मंत्री कौन थे, यह अब आप अपने आप समझें। मैं तो यही निवेदन करता हूं कि यह वास्तविकता पैदा हो गयी है, बहुत जोर से कहा गया था शिक्षकों के बीच में क्रीड़ा परिषद् के शिक्षकों के सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि क्रीड़ा परिषद् को लोगों ने चरागाह बना रखा है, चरते रहे हैं वर्षों तक, कहां से निकलते प्रतिभाशाली लोग यह शिक्षा विभाग में शिक्षकों और शारीरिक क्रीड़ा परिषद् का प्रशासन अलग-अलग बैठाया गया था तब यह उम्मीद की गयी थी कि राजस्थान के बनवासी क्षेत्रों के लोग हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों के लोग हैं उनके बच्चों की प्रतिभाएं खोजी जायेंगी और यह क्रीड़ा परिषद् उन लोगों की प्रतिभा को आगे बढ़ायेगा। कभी इस राष्ट्र का, इस राजस्थान का, इस राष्ट्र के जो इण्टर नेशनल गेम्स होते हैं उनमें कभी स्वर्ण पदक प्राप्त करेंगे। लेकिन वही शिक्षा विभाग के बालक उनको ही लेकर के वह भी

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

तैयार करेंगे, शिक्षा विभाग भी उन्हीं को लेकर तैयार करेगा। जिस तरीके से शारीरिक शिक्षकों के सम्बन्ध में भेदभाव वरता गया है, उसकी वजह से सारे शिक्षकों के साथ, उद्योग शिक्षकों के साथ में, म्युजिक शिक्षकों के साथ में, आर्टस् के शिक्षकों के साथ में इस विभाग ने कभी न्याय नहीं किया। उनकी पदोन्नति के अवसर कभी नहीं दिये। उनमें जो फ्रस्ट्रेशन है, मैं निवेदन करना चाहता हूं यह जो तमाम शिक्षकों की सर्विसेज हैं इनका फिर से पुनर्गठन होना चाहिए। आवश्यकता इस बात की है कि उन लोगों के प्रमोशन के चान्स होने चाहिए। हमारे यहां शिक्षा विभाग के अधिकारियों के 52 पर्सेण्ट चान्सेज हैं लेकिन प्राप्त वेतन शृंखला का शिक्षक, सैकण्ड ग्रेड का शिक्षक फर्स्ट ग्रेड का शिक्षक और फिर जो शारीरिक शिक्षक वगैरह हैं इनके पांच और छः प्रतिशत से ज्यादा प्रमोशन के चान्सेज नहीं हैं। यह इतना अन्तर इसलिए पैदा हुआ कि जो ऊपर बैठे हुए लोग थे उन लोगों ने कभी नीचे बैठे लोगों की परवाह नहीं की।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है, हर सदस्य यही कहता है कि शिक्षा के माध्यम से ही देश आगे बढ़ सकता है लेकिन सबसे ज्यादा उसी की दुर्दशा है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं प्राइमरी से लेकर विश्वविद्यालय तक की जो शिक्षा है उसका मंत्री एक हो ताकि समन्वय हो सके। यह दो-दो मत्री का जो डिपार्टमेंट है उसमें स्टेट मिनिस्टर्स रख लीजिएगा, चार-चार मंत्री रख लीजिएगा। लेकिन इसे काटिये मत इसे तोड़िये मत। सारी शिक्षा को देखने वाला, जो प्राइमरी से लेकर विश्वविद्यालय तक की शिक्षा को देखे उसका शिक्षा मंत्री एक होना चाहिए। केन्द्र सरकार में पण्डित जवाहर लाल नेहरू के जमाने में जब मौलाना आजाद थे जो कभी केबिनेट मिनिस्टर हुये एक आध और मिनिस्टर हुए लेकिन उसके बाद में स्टेट मिनिस्टर होते रहे। केन्द्र ने भी कभी ध्यान नहीं दिया, राज्य ने भी कभी ध्यान नहीं दिया। मैं निवेदन करना चाहता हूं विश्व के किसी भी देश का इतिहास उठाकर के देख लें, उन्होंने अपने शिक्षा के बजट में कभी कटौती नहीं की। इंग्लैण्ड तो बरबाद हो गया था लेकिन बरबाद होने के बाद जब पहला बजट आया तो उन लोगों ने शिक्षा के क्षेत्र में कटौती नहीं की, सब क्षेत्रों में कटौती की और इसीलिए आज हम इंग्लैण्ड का नाम ले लेकर गुणगान करते हैं।

(6.22 सायं)

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में जो चयन की प्रक्रिया है, यू. जी. सी. के अलग नार्म्स हैं, आपकी यूनिवर्सिटी के अलग नार्म्स हैं। उसकी वजह से यह पद खाली पड़े हुए हैं। यू. जी. सी. टेस्ट लेती है रिसर्च स्कालरशिप के लिये और रिसर्च स्कालरशिप का टैस्ट लेने की वजह से राजस्थान के एक या दो प्रतिशत लड़के भी उसका लाभ नहीं ले सके। सभी यूनिवर्सिटीज के अन्दर वह पद खाली पड़े हुए हैं।

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

इसी तरह से वह लैक्चरर बनने के लिए भी टैस्ट लेते हैं लेकिन उन्होंने यह सुविधा भी दी है कि राज्य अपने टैस्ट बना सकता है। पंजाब और हरियाणा ने अपने टैस्ट बनाए हैं। सुखाड़िया विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर से इस सम्बन्ध में मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि हम भी ऐसे टैस्ट बना सकते हैं। आप वह टैस्ट लीजिएगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

यहां कहा गया कि महाविद्यालय और विश्वविद्यालय खाली नहीं रहे और जो टेम्प्रेरी शिक्षक वर्षों से उसको भोग रहे हैं, उन लोगों को उन पदों पर लगाया जा सके, उसके अधिकारों की रक्षा की जा सके।

श्री अध्यक्ष : आप पन्द्रह मिनट बोल चुके हैं।

श्री किशनाराम नाई : अध्यक्ष महोदय, बीच में डिस्टरबेन्स हो गया था।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : अध्यक्ष महोदय, जनार्दन सिंह जी गहलोत, करौली से आने वाले माननीय सदस्य आधा घण्टा बोलकर गये हैं लेकिन कभी घण्टी नहीं बजी। और यह नहीं बोलेंगे तो शिक्षा पर बोलेगा कौन। मेरा आपसे आग्रह है मेरे लिये घण्टी बजायें कोई बात नहीं। पर आप इनके लिये मत बजाइएगा। उनको पूरी बात कह लेने दीजिए।-

श्री अध्यक्ष : आप के लिए ही तो बजा रहा हूं। बैठिये आप।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : मान्यवर अध्यक्ष जी, मैं मेरी बात को बहुत जल्दी समाप्त कर रहा हूं। मैं यह निवेदन कर रहा था कि पंजाब और हरियाणा की तरह से टैस्ट लिये जायें ताकि उन प्राध्यापकों को स्थान दिया जा सकें और उनका सलेक्शन किया जा सके।

मैं यह भी ध्यान दिलाना चाहता हूं कि 1984 में केन्द्र सरकार से इस राजस्थान की हुकूमत ने पांच लाख अड़सठ हजार रुपया लाइब्रेरियन्स और जो पी. टी. आईज थे यूनिवर्सिटी में काम करने वाले पुस्तकालय अध्यक्ष जिनके लिए पांच लाख अड़सठ हजार रुपये इन्होंने केन्द्र सरकार से लिये। लेकिन 1980 और 1986 में जो वेतनमानों का परिवर्तन हुआ, जो अनुशंसाएं आई उनके अनुसार पुस्तकालय और जो व्यायाम शिक्षक थे विश्वविद्यालयों में और महाविद्यालयों में उनको वह यू. जी. सी. ग्रेड्स नहीं दिए गए। मेहरबानी करके केन्द्र सरकार से जो रुपया आया है वह तो कम से कम उनको दे दीजिए।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले 14 साल से जो उपाचार्य हैं, जो प्राचार्य हैं स्नातक महाविद्यालय के इनकी डी. पी. सी. नहीं की गई। डी. पी. सी. नहीं करने की वजह से आज उन का चयन नहीं हो सकता ऊपर की वेतन श्रृंखला में।

मैं बहुत छोटे शब्दों में आपसे कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने एक 30-12-89 को शिक्षा विधेयक पास किया यहां पर लेकिन आज 6 महीने हो गये। वह आपका शिक्षा विधेयक वहां से पास होकर

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

नहीं आया। राष्ट्रपति की वहां से स्वीकृति नहीं आई। उसकी वजह से आप जानते हैं कि कितना अन्याय उन निजी शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों के साथ हो रहा है। उनके साथ किस तरह का व्यवहार हो रहा है। शिक्षा तो वह लोग बहुत अच्छी दे रहे हैं, उनके रिजल्ट्स देखिएगा। लेकिन यह पारित करने के बाद भी उसका लाभ उनको नहीं हो रहा।

दूसरा, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि 1963 में अनुदान के नियम बने थे। उन अनुदान के नियमों में इतनी विसंगतियां हैं कि उसकी वजह से 1973 में सत्यप्रसन्न सिंह भण्डारी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई। 1973 के बाद 1975 में उसकी रिपोर्ट आ गयी लेकिन आज तक अनुदान के नियमों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। इन नियमों में परिवर्तन नहीं होने की वजह से जिस तरह की कठिनाइयां उन लोगों को उठानी पड़ रही हैं, मैं बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात इन सब प्रान्तों का उदाहरण देकर के निवेदन करना चाहता हूं कि आप शिक्षक को वेतन पूरा दीजिएगा। आप वहां काम करने वाले आदमी का वेतन पूरा दीजिएगा। उसके बाद में जो उनकी कंटिन्जेन्सी है, जो उनकी अन्य आवश्यकताएं हैं संस्थाएं खुद पूरा करेंगी। लेकिन वेतन ट्रेजरी के माध्यम से दीजिएगा ताकि उन लोगों का शोषण नहीं हो पाए। ऐसा मेरा आपसे अनुरोध है। अन्य प्रान्तों में भी इसी तरह की व्यवस्थाएं हैं।

मैं कहना चाहता हूं कि अनुदान शाखा में जिस तरीके से भ्रष्टाचार पनपा है, निदेशक ने जिस साहस के साथ में जिन लोगों की शिकायत थी उनको वहां से मुक्त किया है लेकिन इतना करने के बाद में भी यह जो भ्रष्टाचार है वह खतम नहीं हो पाया।

मैं शासन से यह निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ लोगों ने लिखकर के यह शिकायतें दी हैं शिक्षा विभाग गंगोत्री शुद्धिकरण एवम् कर्मचारी कर्मयोग ज्ञान यज्ञ सप्ताह कार्यक्रम। इसमें जो ब्लैक बोर्ड ऑपरेशन के अन्दर तत्कालीन जो शिक्षा मंत्री थे, उनके ऊपर भी आरोप है। केवल इसमें अफसरों की गड़बड़ी नहीं है। सामान को खरीदने में जो डाइट के लिए सामान खरीदा गया है, उनकी गड़बड़ियां नहीं है। जो किताबें खरीदी गई हैं, किन लोगों से खरीदी गई हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं लोगों ने तो दस्तखत करके दिए हैं। आप इसकी खाली जांच करवाइएगा और जो भी इसमें दोषी था चाहे वह कोई भी व्यक्ति हो उस दोषी को जब तक सजा नहीं मिलेगी तब तक इस तरह से भ्रष्टाचार इस राज्य में पनपता रहेगा। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि अबकी बार, जो डी. पी. सी. हुई है और उसी डी पी. सी. के माध्यम से पिछले 20 सालों में कभी भी ऐसा नहीं हुआ। राजस्थान की शिक्षा के इतिहास में पहली बार शिक्षा अधिकारी प्रधानाध्यापक, हायर सैकण्डरी के साथ अविस्मरणीय अन्याय तथा नियम विरुद्ध प्रधानाचार्य पदों पर चयन से वरिष्ठ व्यक्ति का अपमान हुआ है। मैं चाहता हूं कि इसके

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

अन्दर लिटीगेशन हुआ है। उसके अन्दर हाई कोर्ट में लोग गये हैं। हजारों रुपये राज्य का खर्च होने वाला है और हजारों रुपये व्यक्तियों के खर्च होने वाले हैं। इस तरीके से इतने से लोगों की इतने कम समय में डी. पी. सी. कर ली गई। वह कौनसी चयन प्रक्रिया थी जिसके माध्यम से 284 आदमियों के ऊपर जो बैठा हुआ व्यक्ति था, उन्होंने तो उदाहरण दिया है इसमें वरिष्ठता के क्रमांक दिए हैं, एक अमृत कौर है वह 284 नम्बर पर नीचे थे उसका क्रमांक था 2278 और जो उससे सीनियर थे वह 1994 पर थे, 1994 और 2278 के बीच क्या एक भी योग्य व्यक्ति नहीं था जो इस व्यक्ति को प्रमोशन दिया गया। यह तो केवल एक उदाहरण है। ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं जो कल तक सैकण्डरी का हैड मास्टर था वह आज सीनियर उच्च माध्यमिक का हैड मास्टर बन कर जिसके अधीन था उसका आचार्य बन गया है। यह कितने अपमान की बात है। जिस तरह से यह डी. पी. सी. की गई है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि तत्काल इसकी जांच होनी चाहिए और जांच होने के बाद निरस्त किया जाना चाहिए। जो चयन की प्रक्रिया है, जो अंग्रेजों के जमाने से सी. आर. भरी जाती थी, अंग्रेजों ने अपने स्वार्थ के लिए यह सी. आर. चलाई थी। मान्यवर इसे बन्द कीजिए और इसके माध्यम से कम से कम यह प्रमोशन की प्रक्रिया को समाप्त कीजिए। प्रमोशन तो इस तरीके से नहीं होने चाहिए। मैं आपको भी निवेदन करना चाहता हूं कि संस्कृत शिक्षा को हम बढ़ाना तो चाहते हैं लेकिन संस्कृत के शिक्षकों के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। वहां के महाविद्यालय और जो विद्यालय हैं उन सारे लोगों में असन्तोष है। उसका कारण है उनके वेतनमान में विसंगतियां। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं एक सज्जन ने कहा था, एक माननीय सदस्य ने कहा था कि पाठ्य पुस्तक मण्डल। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। देश का भविष्य अगर कोई बदल सकता है तो एक अच्छा शिक्षक और अच्छी किताबें हैं। यह दोनों दीजिएगा। एक अच्छी किताबें और अच्छा शिक्षक ही देश का भविष्य बदल सकता है लेकिन यह पाठ्य पुस्तक मण्डल जिस तरह से बना है तब से इसमें जो अनियमिततायें हो रही हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूं शासन से कि इसका पुनर्गठन किया जाये। केवल एक उच्च अधिकारी बैठा देने से तो, उच्च अध्यक्ष शिक्षा मंत्री बन जाने से इसमें सुधार नहीं होने वाला है। उसके पुनर्गठन के बारे में सोचियेगा ताकि उसमें अच्छी से अच्छी पुस्तकें छप सकें और मानदण्ड भी वहां के बदले जाने चाहिए कि इन पुस्तकों में क्या क्या होना चाहिए। इस देश का उज्ज्वल इतिहास रहा है, इस देश का अन्धकार में इतिहास नहीं है। इस देश की संस्कृति बहुत अच्छी रही है।

श्री अध्यक्ष : आप समाप्त करिये।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरी बात को एक मिनट में समाप्त कर दूंगा। इसलिए उसका पुनर्गठन होना चाहिए। राजस्थान का माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है। उस माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने

(२२२)

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

जिसने सम्पूर्ण भारत वर्ष में कीर्ति स्थापित की परीक्षाओं के मामले में, लेकिन आज वह घोटालों का केन्द्र बन गया है। आज जिस तरह से समाचार वहां के निकले, बोर्ड के परीक्षा परिणामों में गम्भीर गड़बड़ियां। नामजद अखबारों में छपी हैं।

एक माननीय सदस्य : यह आपके राज में हुआ है।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : मैं आपके राज की ही कह रहा हूं हमारा राज तो तीन महीने पहले शुरू हुआ है।

श्री अध्यक्ष : बुराई किसी के राज में हो, बुराई तो बुराई ही रहती है।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : मान्यवर मैं आपको बता रहा हूं इसमें आप लोगों ने बोर्ड के जो चेयरमैन मि. भाटवडेकर थे उनकी केवल एक चिट्ठी को त्याग पत्र मान कर उनको हटा दिया लेकिन आज तक वहां के जो बोर्ड के चेयरमैन हैं उनको सरकार ने नहीं हटाया। इस सरकार ने बोर्ड का पुनर्गठन भी नहीं किया। मैं कहना चाहता हूं इस सरकार से, देर मत कीजिए यदि सचमुच में शिक्षा में सुधार लाना है तो यह बोर्ड, यह पाठ्य पुस्तक मण्डल, यह अकादमियां, जिन अकादमियों को लोगों ने अपना चारागाह बना रखा है आप उनसे निकालियेगा और उनका पुनर्गठन किया जाये। इन सबका जब तक पुनर्गठन नहीं होगा तब तक आपके जो सपने हैं, जो आकांक्षायें लेकर यह सरकार और हम लोग आये हैं उनकी आकांक्षायें पूरी नहीं हो सकेंगी।

श्री जुबेर खां : अध्यक्ष महोदय, मैं एक इन्फारमेशन चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : क्या इन्फारमेशन चाहते हैं।

श्री जुबेर खां : पहले पेपर जो आउट हुआ था आज पुनः वह आउट हुआ। इसी बात को लेकर जो पेपर आउट हुआ था। वह पेपर देने के सम्बन्ध में आपस में छात्रों में संघर्ष हुआ। दो गुट बन गये कि पेपर आउट हुआ हैं इसलिए इसको पोस्टपोन किया जाना चाहिए। हालत यह हुई कि वहां झगड़ा हो गया। पुलिस राजस्थान कालेज के परिसर में मौजूद है। पुलिस ने लड़कों के साथ लाठी चार्ज किया है। मैं मंत्री जी से और सरकार से चाहता हूं कि इसके ऊपर वक्तव्य दें। इस विश्व विद्यालय परिसर में क्या हालत हो रही है।

श्री अध्यक्ष : श्री रतन लाल।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जो पेपर पहले आउट हुआ था दुबारा फिर आउट हो गये। आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री जी से मांग करता हूं कि कुलपति को तत्काल हटायें। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, शिक्षा मंत्री जी का वक्तव्य हुआ और आज फिर पेपर आउट हो गया। यह अध्यक्ष महोदय, ला एण्ड आर्डर की सिच्यूएशन बन रही है।

श्री अध्यक्ष : शिक्षा मंत्री बोलने वाले हैं। आप उनको बोलने देंगे तब ना। इसके बारे में बोलेंगे।

श्री जुबेर खां : अध्यक्ष महोदय, हम तो यह चाहते हैं कि विश्व विद्यालय की इस टाइम क्या हालत है। पुलिस और लड़कों के बीच....

श्री अध्यक्ष : आप जो चाहते हैं वह सब कुछ नहीं होगा कायदे से होगा। आपने अपनी बात कह दी शिक्षा मंत्री जी जवाब देंगे तो उसमें जवाब दिला देंगे। आप तो चाहते हैं कि सारा हाउस वहां चला जाये। क्या चाहते हैं आप आपका पाइन्ट आ गया। शिक्षा मंत्री जी बोलने वाले हैं।

श्री जुबेर खां : अध्यक्ष महोदय, रात को 11 बजे हैं....

श्री अध्यक्ष : 11 और 12 आपकी मर्जी की बात है आप इसी तरह करते रहेंगे तो 12 भी बज सकते हैं। आप डिबेट आगे चलने दीजिए तब होगा ना। प्लीज सिट डाउन। हो गया आपका।

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : अध्यक्ष महोदय, आन ए पर्सनल एक्सप्लेनेशन। लूणकरणसर से और उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने मेरा नाम लेकर कई बातें कही हैं।

श्री अध्यक्ष : आपकी बात मैं करवा दूंगा।

I will give you chance. Please sit down.

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी कम से कम जवाब देते वक्त यह बता दें।

श्री अध्यक्ष : इतना तो मंत्री जी समझते हैं। वह शिक्षा पर बोलने वाले हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप उनको निर्देश दे दें कि वह अपने जवाब में इस चीज का भी जबाब दे दें।

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी समझ रही हैं आपकी बात। (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : पर्सनल एक्स्प्लेनेशन तो....

श्री अध्यक्ष : हां, हो जायगा, बैठिये आप, पहले उनको समाप्त करने दीजिए।

श्री बुलाकीदास कल्ला : पर्सनल एक्स्प्लेनेशन तो तत्काल होता है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपको तो याद रहेगा, (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : किसी की हिम्मत नहीं है मेरे पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने की। आपके यहां इतना भ्रष्टाचार हो रहा है.... (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : पर्सनल एक्स्प्लेनेशन तो....

(224)

श्री अध्यक्ष : हो जायगा, पहले उनको समाप्त करने दीजिए।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य इतने उत्तेजित हो रहे हैं मैं अपने जबाब में इस बात का जवाब दे दूंगी।

श्री अध्यक्ष : ठीक है। चलिए, डा. रतन लाल जाट (सहाड़ा)।

श्री राजेन्द्र पारीक : यह कह रहे थे कि यूनिवर्सिटी में पुलिस और छात्रों के बीच संघर्ष हो गया उसके बारे में गृह मंत्री महोदय क्या वक्तव्य देने जा रहे हैं ? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : जब चाहे तब खड़े हो जाते हैं।

श्री रामनारायण वर्मा : शिक्षा का नहीं रहा। पेपर आउट हो गया, वह भी कोई बड़ी बात नहीं... छात्रों और पुलिस के बीच में संघर्ष हो गया.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपके जो नाम दिए हुए हैं वह कट रहे हैं। आपके नाम कट रहे हैं। आपका नाम लास्ट में कट जायगा। आप क्यों टाइम ले रहे हैं, बिराजिए आप।

श्री राजेन्द्र पारीक : हमारे सारे नाम काट दिए जायं तो हमें कोई शिकायत नहीं होगी। अध्यक्ष महोदय, किस तरह की वहां स्थिति है कम से कम सदन को अवगत तो कराना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : आपने करवा दिया। बीच में मैं अलाऊ नहीं करता। बोलिए डाक्टर साहब। (व्यवधान)

आप शुरू करिए, प्लीज....

श्री राजेन्द्र पारीक : शिक्षा मंत्री जी ने कह दिया वह जबाब दे देंगी उनके हिस्से का लेकिन जो पुलिस वहां कर रही है उसका जबाब कौन देगा।

श्री अध्यक्ष : वह भी दे देंगे। आप बैठिए। (व्यवधान)

श्री रतनलाल जाट (सहाड़ा) : माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले मैं उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य जो शिक्षक नेता भी रहे हैं, उन्होंने आज इस सदन में शिक्षा के बारे में, शिक्षा नीति के बारे में जो प्रेक्टिकल सजेशन्स दिये हैं, वास्तव में आज के हालात को देखते हुए अगर यह सदन उन पर गौर करे तो वास्तव में शिक्षा नीति सुधर सकती है और इसमें परिवर्तन अवश्यम्भावी है। आज शिक्षा नीति में परिवर्तन की बात ऊँचे से ऊँचे आदमी राष्ट्रपति और हमारे प्रधान मंत्री से लगाकर आम आदमी तक की जाती है। पिछले 43 वर्षों में कम से कम शिक्षा नीति में परिवर्तन के दृष्टिकोण से 130 आयोग और समितियां बना दी गई हैं लेकिन फिर भी हम हमारी शिक्षा नीति को एक आदर्श शिक्षा नीति भारत की परिस्थितियों के अनुकूल शिक्षा नीति हम बनाने में असफल रहे हैं। दुर्भाग्य तो यह है कि जो हमारी इस देश की टोटल जनसंख्या है उसमें पचास प्रतिशत आधी जनसंख्या को भी हम प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा की बात तो छोड़ें, उनको प्राथमिक शिक्षा तक उपलब्ध

(श्री रतनलाल जाट)

करवाने में हम असमर्थ रहे हैं। यह देश जो कभी विश्व में गुरू के नाम से जाना जाता था, यहां से लोग शिक्षा प्राप्त करते थे। आज उसकी शिक्षा की क्या स्थिति है वह आपसे और हमारे से छिपी हुई नहीं है। वास्तव में यही वह देश है जिसने हमारे पुराने धार्मिक ग्रन्थों, वेदों तक की संरचना की है। जिसमें हमारे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को शिक्षा की सही अर्थों में जानने के लिए उन चारों दृष्टिकोण से हम समझ सकते हैं। ऐसे ऐसे हमारे ग्रन्थ रहे हैं लेकिन फिर भी आज परिस्थितियां धीरे-धीरे ऐसी हो गई हैं कि शिक्षा की स्थिति बड़ी दयनीय हो गयी है। लार्ड मैकाले द्वारा बनायी गई 1954 में 136 वर्ष पहले जो शिक्षा नीति थी वह शिक्षा नीति आज स्वतन्त्रता के पांचवे दशक के बाद भी यों की यों चली आ रही है। उसमें हम किसी प्रकार का परिवर्तन करने में असफल रहे हैं। वास्तव में हमारे भारतीय संविधान जो कि हमारा फण्डामेण्टल लॉ ऑफ दी लैण्ड है उसके अगर हम प्रिएम्बल को देखे, उसकी प्रस्तावना को देखे तो हमने उसमें लोकतंत्र की बात की है, धर्म निरपेक्षता की बात की है, समाजवाद की बात की है लेकिन उन लक्ष्यों को हम आज दिन तक प्राप्त नहीं कर सके हैं। बल्कि कहना चाहिए कि हम उनसे धीरे-धीरे दूर चले जा रहे हैं और उसका वास्तविक कारण यही है कि जिस शिक्षा नीति को अंग्रेज यहां छोड़कर गये थे आज दिन तक हम उसी की अनुपालनायहां पर करते आये हैं। इस देश में शिक्षा के साथ साथ जो कानून उसको बनाने की अगर हम बात करें। हर आदमी से हम यह अपेक्षा करते हैं कि वह कानून की जानकारी रखे। जिस देश में काफी बड़ी संख्या में अशिक्षित लोग हो और एक तरफ देश का कानून यह कहता है Ignorance of law is no excuse और उस देश में साधारण आदमी से उस कानून की जानकारी की बात करें तो एक प्रकार की विसंगति होगी कि एक साधारण आदमी जो अनपढ़ है, जो उन कानूनों को नहीं जानता है, वह निश्चित रूप से अपने अधिकारों को जानना तो दूर रहा उसको कभी क्लेम करने की बात वह नहीं सोच सकता है। वास्तव में मुख्य मंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि जो 90–91 का बजट पेश किया उसमें उन्होंने शिक्षा के नाते बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेक्टिकल प्रस्ताव रखे हैं जिसके लिए वह धन्यवाद के पात्र हैं। उसके कुछ उदाहरण में देना चाहूंगा। साक्षरता के बारे में उन्होंने प्रत्येक जिले की सर्वश्रेष्ठ आने वाली पंचायत समिति को पांच-पांच लाख रुपये अतिरिक्त देने की घोषणा की है, वास्तव में वह सराहनीय है। इसके साथ ही जनजातीय योजना में निर्धन छात्रों को और छात्राओं को पाठ्य पुस्तकें, लेखन सामग्री, यह सब चीजें फ्री देने की बात की है उसके लिए भी वह धन्यवाद के पात्र हैं। अजमेर जिले को कम से कम एक आदर्श के रूप में पूरे जिले को साक्षर करने का जो काम हाथ में लिया है उसके लिए वह बधाई के पात्र हैं। बल्कि मैं यह भी कहना चाहूंगा, अभी कई माननीय सदस्यों ने यह कहा है कि इस बजट में एक भी नया स्कूल खोलने की बात नहीं की गई है लेकिन मैं तो यह कहूंगा नया स्कूल खोलने के बजाय उन्होंने जो बजट में

(श्री रतनलाल जाट)

यह रखा है कि स्कूलों की जो आधारभूत आवश्यकतायें हैं पहले अगर उनको पूरा कर सकें तो वह ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। इसलिए यह जो बात उन्होंने इस बार कही है, जहां कमरे नहीं हैं, जहां अध्यापक नहीं हैं, उन सुविधाओं को पहले हम प्रोवाइड करेंगे और उसके बाद नये स्कूल खोलने की बात करेंगे। इसलिए बजट में शिक्षा के बारे में यह जो प्रावधान रखा है उसके लिए वह धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन वास्तव में शिक्षा की जो कमियां हमें नजर आ रही हैं उस दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो शिक्षा का गुणात्मक प्रसार जरूर हुआ है, गुणात्मक नहीं, मात्रात्मक प्रसार जरूर हुआ है लेकिन क्वालिटी की दृष्टि से आज शिक्षा का जो स्तर होना चाहिए वह नहीं हो पा रहा है। शिक्षा मात्र एक डिग्री प्राप्त करने का तरीका है डिग्री देकर हम उसको एक पासपोर्ट दे देते हैं ताकि वह व्यक्ति नौकरी के लिए इधर-उधर भटकता फिरे।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मेरा निवेदन है कि शिक्षा को गुणात्मक दृष्टि से देखकर ज्यादा से ज्यादा उस पर ध्यान देना चाहिए। अध्यापकों का जनरली अभाव रहता है। यूनिवर्सिटीज में मोस्टली साल भर में तीन महीने कक्षायें चल पाती हैं। मेरा निवेदन है कि हमें उनका मूल्यांकन करना चाहिए कि वास्तव में ज्यादा से ज्यादा क्लासेज हों और शिक्षा का अभाव दूर हो। पाठ्य सामग्री और लेखन सामग्री की जहां तक हम बात करते हैं, वर्ष पूरा हो जाता है तब तक भी लोगों को पाठ्य सामग्री और लेखन सामग्री उपलब्ध नहीं हो पाती है और अगर मिलती भी है तो ऊँचे दामों पर मिलती है। वर्ष के अन्त में इस तरह से सामग्री का मिलना विद्यार्थियों को किसी तरह से फायदा नहीं पहुंचा सकती है। इसके साथ ही मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि प्रेक्टिकल प्रोब्लम्स शिक्षा के बारे में चल रही है, उदयपुर विश्व विद्यालय और बीकानेर में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की स्थापना के बाद आज जब हम शिक्षा की बात कर रहे हैं तो वहां के वाइस चान्सलर वहां की शिक्षा पर ध्यान देने के बजाय आज उन दोनों यूनिवर्सिटीज के बीच में कोर्ट केसेज चल रहे हैं, उनके बीच में लिटीगेशन चल रहा है। सम्पत्ति के बंटवारे को लेकर अगर इस तरह से यूनिवर्सिटीज के बीच में मुकदमेबाजी होती रहे और वाइस चान्सलर फंसा रहे तो मैं सोचता हूं कि शिक्षा के स्तर पर वह ध्यान नहीं दे पायेंगे।.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री रतनलाल जाट : मेरा निवेदन है कि इन यूनिवर्सिटीज का जब बाइफरकेशन हुआ, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और सुखाड़िया यूनिवर्सिटी का, चाहे ग्रान्ट आई. सी. आर. से आई हो चाहे यू. जी. सी. से आई हो, यूनिवर्सिटीज की प्रोपर्टी नीड बैस्ड होनी चाहिए, उनकी आवश्यकता के अनुरूप उनको प्रोपर्टी मिलनी चाहिए। यह नहीं कि आई. सी. आर. से पैसा मिला इसलिए एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को पैसा मिल जाय और यू. जी. सी. से पैसा आया उसकी बड़ी बिल्डिंग है इसलिए उसको

(श्री रतनलाल जाट)

मिल जाय। मेरा निवेदन है कि वास्तव में इन यूनिवर्सिटीज के बीच में चलने वाले झगड़े को समाप्त किया जाय ताकि वहां के वाइस चान्सलर ज्यादा से ज्यादा शिक्षा के स्तर को सुधारने में ध्यान दे सकें।

कानून के क्षेत्र की जहां हम बात करते हैं, इस राजस्थान में ही नहीं देश में भी ज्यादातर अलग-अलग क्षेत्रों में, इस हाउस में भी कई एलएल. बी. और एडवोकेट्स हैं, हर क्षेत्र में आपको कानून के व्यक्ति मिलेंगे लेकिन चाहे आज कानून की शिक्षा बार कौंसिल ऑफ इण्डिया से गवर्न होती हो लेकिन उनका प्रशासनिक कण्ट्रोल यूनिवर्सिटीज के वाइस चान्सलर के पास रहता है और स्थिति हम यह जानते हैं कि लड़कों का कहीं एडमीशन नहीं होता है तो एलएल. बी. में एडमीशन ले लेते हैं और उस यूनिवर्सिटीज में केवल दादागिरी करने और केवल शिक्षा के स्तर को मिटाने के दृष्टिकोण से उनका रोल रहता है। कभी वह क्लासेज में जाते नहीं हैं, बिल्कुल अनुपस्थित रहते हैं। तो प्रशासनिक दृष्टि से मेरा यह निवेदन है कि कानून की शिक्षा जिसको देश के हर नागरिक के लिए एक महत्वपूर्ण शिक्षा मानी जाती है उस शिक्षा के दृष्टिकोण से हमें प्रशासनिक सुधार यह करना चाहिए कि वास्तव में होता यह आया है कि ज्यादातर एडवोकेट्स को कम पैसों में एन्गेज कर दिया जाता है। आज हम देखते हैं कि किसी जमाने में एलएल. एम. नहीं मिलते थे लेकिन आज एलएल. एम. मिलते हैं, पी. एच. डी. तक मिलते हैं। लेकिन वहां पर एडवोकेट्स को लगा दिया जाता है, एडवोकेट भी जरूरी है, प्रोसीजरल सब्जेक्ट बनाने के दृष्टिकोण से लेकिन जब हमारे सामने एलएल. एम. और पी. एच. डी. के केण्डिडेट्स एवेलेबल हैं तो कानूनी शिक्षा को बढ़ाने के स्तर के दृष्टिकोण से हमें निश्चित रूप से ऐसे लोगों को मौका देना चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी के बारे में निवेदन करना चाहूंगा, बल्कि यह और भी यूनिवर्सिटीज के लिए प्रोब्लम है कि कई साथी जो लेक्चरार्स हैं वर्षों तक वह एडहॉक पर चल रहे हैं। जब तक वह हैड ऑफ डिपार्टमेन्ट और प्रोफेसर की चमचागिरी करें तब तक वह एडहॉक पर चलते रहते हैं। तीन-तीन महीने का उनका अपाइन्टमेंट दिया जाता है। ऐसे व्यक्तियों के अपाइन्टमेण्ट्स में पहले उनकी क्वालिफिकेशन देखी जाती है कम से कम आज की तारीख में लेक्चरार के अपाइन्टमेन्ट के लिए यू. जी. सी. के नार्म्स यह हैं कि या तो एम. फिल. हो या पी. एच. डी. हो। ऐसी उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति को लगाया जाता है। दस-दस साल तक व्यक्ति एडहॉक चलता रहे और उसकी सेवायें रेग्यूलर नहीं हों तो ऐसे व्यक्ति से किस तरह से वह अपनी मानसिक दशा को स्थिर रखते हुए शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान दे सकता है इस दृष्टिकोण से हमें राजस्थान में यूनिवर्सिटीज में ऐसे व्यक्ति जो काफी समय से एडहॉक पर चल रहे हैं रेग्यूलराइज नहीं हो पा रहे हैं। उनके लिये या तो जैसा 1978 में एक आर्डिनेंस जारी किया गया था....

श्री अध्यक्ष : अब माननीय सदस्य आप समाप्त करिये।

श्री रतनलाल जाट : वह किया जाये या फिर नियमित सलेक्शन करके ऐसे व्यक्तियों को अपाइंट किया जाये। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री गोपाल सिंह जी।

श्री गोपालसिंह (आहोर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी विधान सभा में निर्वाचन होने के बाद में जब यहां विधान सभा में शपथ समारोह चल रहा था उस दिन मैं बड़ा सोच विचार में पड़ा हुआ था कि सिन्धी में हिन्दी में, संस्कृत में, उर्दू में, अंग्रेजी में हर भाषा में शपथ ली गई लेकिन राजस्थान विधान सभा में बैठे हुए राजस्थानी भाषा में कोई भी शपथ नहीं ले सका और कोई लेना चाहे तो उसको लेने दी नहीं जाती। कारण यह है कि राजस्थानी भाषा को... (व्यवधान)

श्री रामकिशन : राजस्थानी भाषा नहीं है, बोली है....

श्री अध्यक्ष : आप राजस्थानी में बोलना चाहें तो बिल्कुल बोलिये। राजस्थान में राजस्थानी नहीं बोलेंगे तो कहां बोलेंगे ?

श्री गोपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, तो मेरा निवेदन है कि क्यों नहीं राजस्थान विधान सभा के अन्दर शपथ राजस्थानी भाषा में ली जा सके। मैंने पता लगाया तो मुझे मालूम पड़ा....

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का सवाल है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : शपथ को मारवाड़ी में सौगन्ध कहते हैं।

श्री गोपाल सिंह : माननीय मंत्री महोदया, इसी पाइंट पर मैं आ रहा हूं।

श्री रामकिशन : अध्यक्षजी, व्यवस्था का सवाल यह है कि हमारे देश की 14 भाषायें मान्यता प्राप्त हैं और कोई भी सदस्य केवल उन्हीं भाषाओं में अपना वक्तव्य दे सकता है। मैं कोई राजस्थानी का विरोधी नहीं हूं लेकिन अगर राजस्थानी के भाषा के नाम पर यहां चर्चा की गई तो दिक्कत यह हो जायेगी कि हिन्दी की किस शैली को क्या माना जाये और हमारे लिये कठिनाई होगी। मैं यह मानता हूं कि यह भाषा नहीं, बोली है बोलियों को इस तरह से प्रोत्साहित नहीं करना चाहिये इससे देश को नुकसान होगा।

श्री अध्यक्ष : आप उसको बोली मानते हैं मैंने बोलने की इजाजत दी है। तो आप राजस्थानी में बोलिये।

श्री गोपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि गुजरात के अन्दर जितना भी काम होता है, वहां के आई. ए. एस. और गुजरात एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के आदमी हैं वह सब भी गुजराती में आर्डर दिया करते हैं। इस लिये राजस्थानी में बोलने की मेरी इच्छा इस वास्ते हुई क्योंकि राजस्थानी भाषा

(श्री गोपाल सिंह)

को अभी तक मान्यता प्राप्त नहीं हुई है। मान्यता प्राप्त नहीं होने का मुख्य कारण यह है कि इसका अपना शब्दकोष नहीं है, भाषा के अन्दर अपना विशाल शब्द कोष और छोटा शब्द कोष हुआ करता है.... (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, रिपोर्टर्स तो आब्जेक्ट नहीं करेंगे लेकिन रिपोर्ट नहीं कर पायेंगे। रिकार्ड ही आपका अधूरा बनेगा। राजस्थानी में बोलने की आपने अनुमति प्रदान की है, रिकार्ड ही नहीं बन पायेगा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप उसकी चिन्ता मत कीजिये, हो रहा है रिकार्ड।

एक माननीय सदस्य : रानी लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत इस सदन में कई बार राजस्थानी में बोल चुकी हैं, कोई नई बात नहीं है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं दूसरी बात कह रहा हूं। मैं जानता हूं अनुमति दे सकते हैं लेकिन व्यवहारिक रूप से कठिनाई हो जायेगी।

एक माननीय सदस्य : +++ उनका विरोध क्यों कर रहे हो।

श्री अध्यक्ष : आप इस बात को जानते हैं कि आप जो बोल रहे हैं वह टेप रिकार्ड भी हो रहा है। इसलिये यदि वह कहीं चूक गये तो टेप रिकार्ड से मिला लेंगे।

एक माननीय सदस्य : इस हाउस में तो बहुत दफा बिना पढ़े लिखे लोग भी आये, उन्होंने अपनी भाषा में बोला है।

श्री अध्यक्ष : आप बोलिये।

श्री गोपाल सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आज राजस्थानी भाषा में बोलने का मकसद ही यही था कि राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाने के वास्ते राजस्थान विधान सभा को एक प्रस्ताव लाना चाहिये। पिछले 40 साल से हम लोग राजस्थान के रहने वाले और राजस्थान में रहते हुए अभी तक हमें अपनी इस भाषा को मान्यता प्राप्त ही नहीं हुई है। बहुत पुराना विशाल ग्रन्थ हैं और बहुत ही अच्छी इसकी डिंगल की कवितायें हैं और इसके बारे में बहुत कुछ लिखा गया है हस्तलिखित ग्रन्थ हैं लेकिन इस भाषा के ऊपर राजस्थान सरकार जो भी बनी उसने यह कभी ध्यान नहीं दिया कि राजस्थानी भाषा को जल्दी से जल्दी मान्यता दिला दी जावे। अभी माननीय सदस्य श्री अमीन खां जी कह रहे थे और उन्हें भी यही महसूस हो रहा था कि अगर राजस्थानी लोग राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से एक्जामिनेशन्स राजस्थानी भाषा में दे सकें तो मैं समझता हूं कि बाहर के जो बहुत से लोग आई. ए. एस. और आर. ए. एस. में आ जाते हैं उसमें अगर अपने यहां के लोग राजस्थानी भाषा में एक्जामिनेशन देंगे तो ऐसी प्रतिभायें हैं कि वह ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। इसी वजह से मेरा खास तौर से निवेदन है कि

+++ अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री गोपाल सिंह)

राजस्थानी लोगों में एक तो राजस्थानी भाषा को बढ़ावा मिलेगा । पंजाब विधान सभा में अगर जायें तो वहाँ पंजाबी में बोलते हैं, गुजरात विधान सभा में गया तो वहां देखा वहां गुजराती भाषा में बोलते हैं तो क्यों नहीं राजस्थान के अन्दर राजस्थानी भाषा में बोलने की इजाजत दी जावे ।

श्री अध्यक्ष : यह झगड़ा मां बेटी का है । हिन्दी राजस्थान से पैदा हुई है वह बेटी है, राजस्थानी मां है, यह झगड़ा है ।

श्री नत्थी सिंह : झगड़ा नहीं है । यह षड़यन्त्र है इस बात के लिये जो अंग्रेजी को चाहते हैं, हिन्दी को डाउन करना चाहते हैं । यह राजस्थानी भाषा का नाम लेकर के, बृज भाषा का नाम लेकर के, इन नामों से वह चाहते हैं कि हिन्दी की प्रतिष्ठा नहीं हो और मुझे दुःख है आप जैसे समझदार लोग भी इस षड़यन्त्र के शिकार हो रहे हैं ।

श्री गोपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही निवेदन करना चाहता था कि राजस्थानी भाषा को आप लोग मान्यता दिलाना चाहते हैं या नहीं ।

एक माननीय सदस्य : आप तो हिन्दी में बोलो, साहब ।

श्री गोपालसिंह : राजस्थानी भाषा को मान्यता तो दिला दो कम से कम । मेरा इतना ही निवेदन है । इसके अलावा मैं मारवाड़ी में कोई बोलना नहीं चाहता था । लेकिन कम से कम राजस्थानी भाषा को मान्यता तो दी जानी चाहिये । हिन्दुस्तान में दूसरी भाषायें हैं उनको मान्यता मिली है । राजस्थानी भाषा को भी मान्यता मिलनी चाहिये । इसका अपना शब्द कोष है, इसका अपना व्याकरण है । इसके लिये अपना एक प्रकोष्ठ होना चाहिये और सेक्रेटेरियेट में एजूकेशन डिपार्टमेंट के अन्दर उस प्रकोष्ठ में एक डिप्टी सेक्रेट्री बैठे जो राजस्थानी भाषा जो मान्यता दिलाने के लिये ही कार्यवाही करे । दूसरा मैं....

श्री अचला राम : अध्यक्ष महोदय, हिन्दी राजस्थान की बेटी है और राजस्थानी मां है तो क्या संस्कृत सारी भाषाओं की दादी है ?

श्री अध्यक्ष : पड़दादी है । संस्कृत के बाद में बहुत सी भाषायें निकली हैं अपभ्रंग निकली हैं प्राकृतक निकली है इस लिये वह पड़दादी है ।

श्री अचला राम : मेरी जानकारी के वास्ते पूछा है साहब ।

श्री गोपाल सिंह : मैं हिन्दी में बोलता हूं फिर ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप राजस्थानी में ही बोलो क्या दिक्कत है ?

श्री गोपाल सिंह : मुझे सदस्य कह रहे हैं कि हिन्दी में बोलो । तो दूसरी बात मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहता था कि अगर हमें शिक्षा को बढ़ाना है उसे अच्छा करना है या उसका स्तर बढ़ाना है तो हमें शिक्षकों के स्तर को बढ़ाना पड़ेगा और

(श्री गोपाल सिंह)

शिक्षकों के स्तर को बढ़ाने के लिये हमें इन्डियन एडमिनिंस्ट्रेटिव सर्विसेज की तरह इन्डियन एजूकेशन सर्विस और राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव की तरह राजस्थान एज्यूकेशन सर्विस भी हमको लेनी पड़ेगी। इसमें एज्यूकेशन स्तर पर उसी स्तर के लोगों को सलेक्शन के रूप में लिया जाये यानि मास्टर की पोस्ट पर आदमी तब जाना चाहता है जब वह हर जगह से उसको नौकरी से दरवाजे बन्द कर दिये जाते हैं। उसके बाद वह व्यक्ति टीचर बनने के लिये जाता है। तो मैं चाहता हूं कि इसको उलट दिया जाना चाहिये अगर हमारा कलक्टर हल्का आदमी हो तो हमें कोई एतराज नहीं। हमारा शिक्षक कलक्टर की स्तर का होना चाहिये। तब जाकर हमारी शिक्षा के अन्दर सुधार होगा उसके लिये सैलरीज हमें बहुत अच्छी रखनी पड़ेगी। विदेशों में भी आपने देखा होगा सैलरीज की वजह से लोग पहले टीचर्स की तरफ पहले जाते है बाद में दूसरी नौकरी पर जाते हैं।

तीसरी बात, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा विशाल देश होते हुए भी स्पोर्टस् के अन्दर हम बिल्कुल गये गुजरे हैं। कुछ स्पोर्टस् की ऐसी चीजें थी जिसमें हम अच्छा काम कर रहे थे जैसे हाकी है पोलो है अब इसके अन्दर भी पोलिटिक्स आ गई है। दूसरा हमारे जो सलेक्शन होते हैं, उसमें क्या होता है कि पहले प्रदेश लेवल के टूर्नामेन्ट्स होते हैं, उसके बाद में डिविजनल लेवल के और फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल के और उसके बाद में, पंचायत समिति लेवल के। होना उल्टा चाहिये था। अगर प्रतिभाओं को ऊपर बढ़ाना है हमें तो शुरू तो पंचायत समिति से और ग्राम सेवक....

एक माननीय सदस्य : और अब हिन्दी बोलना शुरू कर दिया।

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदार शहर) : के बोलर्यो है म्हार समझ म कोनी आई। (व्यवधान)

(7·00 सायं)

श्री गोपाल सिंह : म्हारो कहवो है कि म्हें हरेक भासा बोल सकू हूं। म्हें तो अंग्रेजी बोल सकू हूं, मारवाड़ी बोल सकू हूं। मारवाड़ी म तो इण वास्ते बोलर्यो हूं उण टाइम। सॉरी, तो किसी माननीय सदस्य का आदेश हुआ कि अब हिन्दी में बोल दो तो मैं हिन्दी में बोल रहा हूं।

एक माननीय सदस्य : मारवाड़ी मीठी ज्यादा है।

श्री गोपाल सिंह : मैं तो मेरे पाइन्ट को स्ट्रेस करना चाहता था और मैंने अपने पाइन्ट को स्ट्रेस किया।

इसके लिए मैं कह रहा था कि स्पोर्ट्स के अन्दर मैं खास तौर से यह कहना चाहता था कि हमारे ग्राम के अन्दर बहुत अच्छी प्रतिभाएं हैं। हमारे यहां पर, माननीय सदस्य, मैं निवेदन करूंगा कि एक टूर्नामेन्ट हो रहा था। उसमें हम कुछ हमारे गांव के मीणों के बच्चों को लेकर गये दौड़ने के

(श्री गोपालसिंह)

लिए 100 मीटर। वहां पर स्कूल और कालेज के बच्चे भी थे। हमने भी वहां हमारे गांव के बच्चों को खड़ा किया। उनको स्पाइक्स पहना दिये जिसके अन्दर नीचे कीलें होती हैं और उससे अच्छा दौड़ते हैं। रेस शुरू हुआ और 200 मीटर का था। उसके अन्दर वह लड़का दौड़ा। उसको उस जूतों से कुछ ठीक नहीं लगा तो वह दौड़ते दौड़ते ट्रैक में रुका जूते खोले, फेंके और नंगे पांव से भागा और उन सब लड़कों से आगे निकल कर फर्स्ट आ गया। तो निवेदन करने का मतलब मेरा यह था कि हम उन प्रतिभाओं को पकड़ें। आप देखिये अमेरिका के अन्दर मोस्टली नीग्रोज को ट्रैक्स में लाते हैं। ट्रैक्स के अन्दर नीग्रोज अच्छा काम करते हैं और इसलिए उन्होंने अपने अमेरिकन्स को दूसरे गेम्स में डालकर उनमें जैसी प्रतिभा है, नीग्रोज के अन्दर दौड़ने की है और उनके अन्दर वह क्षमता है और उस क्षमता का इस तरह से फायदा उठाकर के वे कई खेलों में जाते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा कि स्पोर्ट्स के अन्दर हमारे पास में प्रतिभा तो है लेकिन उसको हम आगे ला नहीं पा रहे हैं, उसको बढ़ा नहीं पा रहे आगे। इसीलिए मैं चाहूंगा कि कोई कैसे भी सलेक्शन हो, उसके अन्दर शुरूआत गांव से होनी चाहिये। गांव के अन्दर पढ़े-लिखे आदमी ही आयें, वह कोई बात नहीं लेकिन जो ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता होती है वह एक खेल बनकर रह जाती है, उसकी औपचारिकता सी रह जाती है, ये असलियत रूप में नहीं आती है। तो मैं अवश्य ही आपको निवेदन करता हूं कि जरूर हिन्दुस्तान के अन्दर प्रतिभाएं हैं और उन प्रतिभाओं का हम फायदा ले सकते हैं लेकिन उन प्रतिभाओं का फायदा तब ही मिलेगा जब हम उल्टी गंगा नहीं चलायें, सीधी गंगा चलायें। नीचे से शुरू हो ग्राम पंचायत के लेवल से और उसके बाद में प्रदेश लेवल देश लेवल तक जायेगा तो जरूर एक लड़का जो कि वहां से अच्छा इम्प्रूव कर रहा है, वह इम्प्रूव करता हुआ चला जायेगा आगे तक। और नहीं तो हम ऊपर से नीचे आते हैं वहां पर तो फिर भाई-भतीजावाद, जातिवाद, प्रान्तवाद, प्रदेशवाद आ जाते हैं और वहां पर सलेक्शन नहीं होता है। वहां पर तो फिर पोलिटिक्स हो जाती है और खेल में पोलिटिक्स आने की वजह से आज हमारा खेल का स्तर आगे नहीं बढ़ पाया है। मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा इतना ही निवेदन करना चाहता हूं। फिर भी एक दफा....

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद।

श्री गोपाल सिंह : और मंत्री महोदय को कि हमें राजस्थानी में जरूर आप मान्यता दिलवाने का कोई न कोई...

श्री अध्यक्ष : श्रीमती तारा भण्डारी।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, स्टेटमेन्ट....

श्री अध्यक्ष : आ रहा है, आपको आसन पर विश्वास नहीं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, नहीं पूरा विश्वास है।

श्री अध्यक्ष : फिर आज ही होगा, आप स्टेटमेन्ट सुनकर हीं जाइये। तब तक बैठिये। मैं नहीं चाहता कि आप पहले चले जाय इसलिए स्टेटमेन्ट होगा।

एक माननीय सदस्य इन्हें जाने की जल्दी है शायद।

श्रीमती तारा भण्डारी : (सिरोही) : अध्यक्ष महोदय, मायड़ भासा राजस्थानी में बोलण रो को जाव ही कुछ और हैं वण म्हारा सदन में बिराजिरेड़ा भांइयां रो ख्याल राखता हुआ मैं हिन्दी में ही बोलूंगी। क्योंकि सबकी तकलीफ समझण की है। नहीं होनी चाहिए। हमारे कुन्दन लाल जी मना करते हैं।

एक माननीय सदस्य : ये तो समझ जायेंगे, आप तो बोलो।

श्रीमती तारा भण्डारी : मेरे कहने का मतलब यही है कि हमें राजस्थानी भाषा के बारे में भी विचार जरूर करना चाहिए। अभी मेरे साथी माननीय सदस्य शिवकुमारी जी ने एक बात कही थी कि प्रधानाध्यापकों को प्रमोशन देने में बड़ी धांधली हुई है। उन्होंने एक उदाहरण भी दिया था कि 2278 नम्बर पर अंकित श्रीमती अमृत कौर बाजवा को जम्प देकर प्रमोशन दे दिया गया। अध्यक्ष महोदय, प्रधानाध्यापकों और प्रधानाध्यापिकाओं को प्रमोशन देने की वरीयता सूची एक ही है और पिछले कुछ महीनों पहले इस प्रकार से प्रमोशन दिये गये हैं कि काफी महिला प्रधानाध्यापिकाएं भी रोष में आ गई हैं और उनमें बड़ा असन्तोष है। किसी भी प्रकार की इसमें डी. पी. सी. नहीं की गई। कोई भी चयन नहीं किया गया। मनमाने ढंग से प्रमोशन दिये गये हैं। इस बात को मैं सदन के माध्यम से सरकार को कहना चाहती हूं कि ये जो प्रमोशन प्रधानाध्यापक और प्रधानाध्यापिकाओं के किये गये हैं, इसकी जांच कराई जाये और वरीयता सूची निर्धारण करने के लिए डी. पी. सी. बैठाकर इन्हें प्रमोशन दिया जावे। अभी भी जो सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल बने हैं, उनमें वाइस प्रिंसीपल की जगह बहुत सारी खाली हैं और ये प्रधानाध्यापक और प्रधानाध्यापिकाएं जो वरीयता की सूची में और जिनका नम्बर था उन्हें लिया नहीं जाकर दूसरों को ले लिया गया है उसकी जाँच कराकर जिन्हें नम्बर नहीं मिला है उन्हें भी इन वेकेन्सीज को देखते हुए प्रमोशन देकर उनकी समस्या का समाधान किया जावे।

इसी सिलसिले में एक बात और हमारे सामने आई है। पिछले दिनों राज्य सरकार ने तबादलों की प्रस्ताव चिट्ठी बनाई है और उस सूची में यह लिखा है कि निम्नलिखित व्याख्याताओं अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थानों पर पद रिक्त हो तो कर पालना से अवगत करावें, यानी कि पद रिक्त हो तो स्थानान्तरण किये जावें। ये स्थानान्तरण आदेश नहीं हैं परन्तु, अध्यक्ष महोदय, मैं जो कहना चाहती हूं उसमें यह बात है कि प्रस्तावित स्थानान्तरण की जो लिस्टें हैं वे प्रत्येक आशार्थी, जो भी स्थानान्तरण करवाना चाहते हैं, को दे दी गई है इससे सूची की गोपनीयता प्रकट हो गई है और नतीजा यह होगा कि जिनको अपने स्थानान्तरण करवाने हैं उनको फायदा है

(श्रीमती तारा भण्डारी)

कि चाहे गये स्थान पर स्थानान्तरण नहीं होंगे। एक परम्परा को भंग किया गया है और ऐसा करके मैं समझती हूं कि हमारी सरकार और हमारे शिक्षा मंत्री जी को भी बदनाम करने की कोशिश की गई है। इसमें भी मैं चाहती हूं कि जांच कराई जाये कि इस प्रकार की हरकत समय से पहले स्थानान्तरण से पहले किसने की, किसने यह सूचनाएं भिजवाई।

इसी सिलसिले में मैं कहना चाहूंगी कि सिरोही जिले के जिला शिक्षा अधिकारी ने कुछ ट्रांसफर किये हैं। उसमें उन्होंने जो भाई-भतीजावाद अपना के, नियमों को ताक में रखकर जो ट्रांसफर किये हैं, उसमें मैं केवल एक उदाहरण देना चाहूंगी। ओसालिया हायर सैकण्डरी स्कूल में एक अध्यापक है श्री जमना लाल, उनके स्थान पर उसी स्कूल के प्रधानाध्यापक के रिश्तेदार को नई नियुक्ति देने के लिए उन जमना लाल जी का नियमों के विरुद्ध ट्रांसफर कर दिया। नई नियुक्तियां देने में यह प्रावधान है कि जहां रिक्त स्थान हो, वहीं उनको नियुक्त किया जावे स्थानान्तरण करके नियुक्ति नहीं दी जावे। तो मैं सदन के माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी से एवं सरकार से यह अनुरोध करना चाहती हूं कि शिक्षा और शिक्षकों के साथ यह जो प्रहार होता चला आ रहा है, जो शोषण हो रहा है, यह अच्छा नहीं है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

के अभी से घण्टी बजा दी साहब, मैं तो बोल ही नहीं पाई।

श्री अध्यक्ष : टाइम आपके लिए और मेरे लिए रुकता नहीं है।

श्रीमती तारा भण्डारी : अच्छा मैं जल्दी खत्म कर देती हूं।

इसी सिलसिले में मैं कहना चाहूंगी कि इस प्रकार के शोषण से शिक्षा का स्तर निरन्तर गिरता चला गया है। सिरोही जिले में अनुसूचित जाति और जन जाति बाहुल्य क्षेत्र हैं। यहां पर शिक्षा का प्रतिशत बहुत ही कम है मात्र 20 प्रतिशत है और इसमें भी ग्रामीण शिक्षित महिलाओं का प्रतिशत मात्र एक है। इसका बहुत बड़ा कारण है कि गांवों में शिक्षण संस्थाओं की भारी कमी है, शिक्षण साधनों की भारी कमी है एवं भवनों तथा अन्य सुविधाओं की भारी कमी है। इस कारण दिनोंदिन शिक्षा का स्तर नीचे गिरता जा रहा है। महिलाओं की शिक्षा के मामले में हम बहुत ज्यादा कमजोर हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि महिलाओं को शिक्षित करने के लिये एक कदम तो अवश्य उठायें कि हर पंचायत मुख्यालय पर कन्या पाठशाला जरूर खोली जाय और उसी के अनुसार उनको आगे पढ़ने के लिये क्रमोन्नत करते हुए अन्य शिक्षण स्कूल खोले जायं। इसी सिलसिले में मैं कहना चाहूंगी, बालिकाएं कैसे भी करके सैकण्डरी, हायर सैकण्डरी तो कर लेती हैं लेकिन वह कहीं पर भी ट्रेण्ड नहीं हो पाती इसलिये आर्थिक स्थिति से वह सुदृढ़ नहीं हो पाती। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिये आवश्यक है कि हमारे जिले में शिवगंज जो सिरोही, पाली और जालौर की लगती बार्डर पर है. वहां एक महिला प्रशिक्षण

(श्रीमती तारा भण्डारी)

केन्द्र यानी महिला एस. टी. सी. अवश्य खोली जाय। शिक्षा स्तर को ऊपर उठाने के लिये हमारे यहां जो रिक्त पद हैं अध्यापकों के, मैं समय का अभाव है इसलिये लिस्ट तो नहीं देना चाहती हूं लेकिन सीनियर हायर सैकण्डरी, हायर सैकण्डरी, प्राइमरी और मिडिल स्कूल, सारों में सैकड़ों की तादाद में प्रधानाध्यापक, व्याख्याता एवं अन्य पद खाली हैं जिसकी बहुत बड़ी लिस्ट है। मैं शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करती हूं कि, मैं लिस्ट आपको उपलब्ध करा दूंगी, उन खाली स्थानों को भरने की कृपा करें। कई स्कूल ऐसे हैं जिनकी स्वीकृतियां आ गई हैं। ऐसे भी लगभग 15 प्राइमरी स्कूल हैं लेकिन उनके भवन नहीं होने से कुछ तो नीम के नीचे चलते हैं, कुछ खुल ही नहीं पाये, कई स्थान ऐसे हैं जहाँ पर बालकों का जीवन खतरे में है। स्कूल जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

कहीं पर दो कमरों की कमी है, कहीं पर चार कमरों की कमी है। इसी प्रकार से अध्ययन सामग्री, अध्यापक एवं बैठने के स्थानों की कमी के कारण भी हमारी शिक्षा का स्तर निरन्तर गिरता जा रहा हैं।

अध्यक्ष महोदय, बजट में दो महाविद्यालय खोलने का प्रावधान किया गया है जिसका मैं स्वागत कर रही हूं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : एक सिरोही में है।

श्रीमती तारा भण्डारी : एक सिरोही में है। माननीय सदस्य पहले से ही मेरी भावना का सम्मान करते हैं। शिवगंज और सुमेरपुर दो औद्योगिक क्षेत्र हैं। इसके आसपास सैकड़ों गांव ऐसे हैं जहाँ के बच्चे उच्च शिक्षा के लिये लालायित रहते हैं। सिरोही से लगाकर पाली तक एक भी महाविद्यालय बीच में नहीं है। इसलिये उसकी उपयोगिता को देखते हुए शिवगंज में एक महाविद्यालय खोला जाय।

अध्यक्ष महोदय, हमारे विपक्ष के बंधु बार बार कहते हैं स्कूल नहीं खोले, हायर सैकण्डरी स्कूल नहीं खोले। हम तो इनके किये हुए कामों को ही अभी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। जितने प्राइमरी स्कूल जाते-जाते यह खोल गये, उसमें न बैठने को दरियां हैं, न पढ़ाने के लिये अध्यापक हैं और न ही उनके उपयोग की कोई सामग्री है। दो-तीन सौ बच्चों पर केवल एक-एक अध्यापक है। कहीं पर तो एक अध्यापक, चपरासी से लगाकर अध्यापन पूरा काम देखता है। इस प्रकार के हमारे जिले में सैकड़ों स्कूल हैं जहां पर न तो अध्यापक है और अध्यापक हैं तो बहुत कम हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री अध्यक्ष : अब आप बिराजिये।

श्रीमती तारा भण्डारी : अध्यक्ष महोदय, थोड़ी सी समाज कल्याण की भी बात करूंगी। पड़ोस में मंत्रीजी बैठे हैं। हमारे यहां समाज कल्याण की तरफ से अनुसूचित जाति का एक छात्रावास है। कहना नहीं चाहूंगी, वह छात्रावास एक बूचड़खाने के

(श्रीमती तारा भण्डारी)

बराबर है। वहां पर पढ़ने वाले छात्र जैसे कैदी बैरकों में रहते हैं, इस प्रकार से रहते हैं। उन छात्रों के साथ न्याय किया जाय। साथ में एक महिला अनुसूचित जाति का छात्रावास और खोला जाय।

श्री हेतराम बेनीवाल : यह बूचड़खाना अभी भी है ?

श्रीमती तारा भण्डारी : हां, अभी भी है। यह तो इन लोगों का दिया हुआ है, अब ठीक होगा ना, प्रस्ताव दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, एक छोटा सा निवेदन और है। बजट में एक प्रावधान किया गया है, उपजाति योजना के हिसाब से बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर एवं नागौर के अनुसूचित जाति और जन जाति के निर्धन छात्र एवं छात्राओं को निःशुल्क पठन सामग्री, पोशाक आदि वितरित की जायेंगी। मेरा छोटा सा निवेदन है कि आप....

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद। अब आप बिराजिये। माननीय कल्लाजी।

श्रीमती तारा भण्डारी : एक अनुसूचित जाति की, एक जन जाति की....

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें। इस नियम को सुन लें पहले। मैं नियम सुनाना इसलिये चाहता हूं....

श्री बुलाकीदास कल्ला : इन्होंने जो कहा है, मैं बोलूंगा।

श्री अध्यक्ष : इस नियम में यह लिखा है कि आप अपना पर्सनल एक्सप्लेनेशन तो जरूर देंगे किन्तु उस अवस्था में कोई विवादास्पद विषय नहीं उठायेंगे और न कोई इस पर वाद विवाद होगा। अब बोलिये आप।

श्री बुलाकीदास कल्ला : यह नियम पढ़कर ही मैंने आपसे प्रार्थना की है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपके लिये भी था, यह मैंने इनके लिये नहीं, सबके लिये सुनाया है नियम। आप बिराजिये। हां, बोलिये।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, जब मैं आसन पर यहां संचालन कर रहा था सदन का, उस समय कुछ माननीय सदस्यों ने खास तौर से अभी सिरोही जिले से आने वाली माननीय सदस्या ने, लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य ने और उसके बाद जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य ने दो तीन बातें व्यक्तिगत रूप से मेरे बारे में कहीं। एक तो यह कि.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपने नियम नहीं सुना ?

श्रीमती तारा भंडारी : हमने शिक्षा मंत्री के बारे में पूछा था, व्यक्तिगत नहीं था।

श्री अध्यक्ष : मैंने नियम पढ़कर सुनाया इसीलिये था It applies to all. बोलिये आप।

श्री बुलाकीदास कल्ला : उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने भी जो मुद्दे उठाये हैं उन्हीं के बारे में, मैं इसके अलावा नहीं जाऊंगा। इन्होंने यह कहा कि मैं जब शिक्षा मंत्री था उस समय जूनियर लेक्चरर्स के साथ शिक्षक संघों की एक मांग आई और मांग में यह था कि उनका ग्रेड 18 से 19 नम्बर का किया जाय । वह मान लिया तो मैंने क्या बुरा कर दिया, अध्यक्ष महोदय ? इसी तरीके से जो हैड-मास्टर्स थे, उनकी ग्रेड बढ़ाने की बात थी। वह मामला आज भी वित्त मंत्रालय के पास विचाराधीन है। तो सत्ता पक्ष के लोग इस तरह की बातें करें ...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, जिसको आप आरोप नहीं मानते हो, वह एक्सेप्ट करते हैं, उसका क्या एक्सप्लेनेशन दे रहें हैं आप ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : पहले सुन तो लीजिये आप।

श्री अध्यक्ष : एक्सप्लेनेशन का मतलब यह है कि....

श्री बुलाकीदास कल्ला : वह यह कह रहे हैं कि मैंने धांधली की।

श्री अध्यक्ष : जिस बात को स्वीकार नहीं करते हैं वह दीजिये ना। आप मान रहे हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : आप पहले मेरे को पूरी बात कहने दें। मुझे अफसोस तब हुआ जब....

श्रीमती विद्या पाठक : इसमें इनका पर्सनल क्या है ? इन्होंने मंत्री की केपेसिटी में किया, आफिशियल हो गया।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, बैठिये आप।

श्री बुलाकीदास कल्ला : वर्तमान सरकार के चिकित्सा मंत्री अपने स्थान से उठ कर वहां लोगों को सिखाकर जो बातें कहलवाना चाहते हैं तो मैं तो आपको यह दावत देना चाहता हूं कि मेरे बारे में या हमारे दल के बारे में, किसी के बारे में कोई भी बात करें तो आप लिखित में एक प्रक्रिया है उसके बारे में दे दें। सबका जवाब आ जायगा कोई दिक्कत नहीं है। लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य ने पंचायत शिक्षा के बारे में यह कह दिया, मैंने यह कह दिया। मैं पंचायत राज मंत्री कभी रहा नहीं। उनको यह भी पता नहीं, यह पंचायत शिक्षा से संबंधित तबादले कौन करता है। मेरा तो यह दावा है कि मैंने शिक्षा मंत्री के रूप में सबसे कम स्थानान्तरण किये और यह रिकार्ड के ऊपर है।

श्री अध्यक्ष : हो गया ना आपका एक्सप्लेनेशन। तो आप इधर-उधर काहेको देखते हैं। आप बोलते जाइये।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, शिक्षा विभाग में सबसे कम स्थानान्तरण किये गये। यह कहना कि शिक्षा विभाग में स्थानान्तरण किये गये, स्थानान्तरण तो अभी साढ़े तीन चार हजार से ज्यादा कर दिये जो मैंने दो साल में नहीं किये।

श्री अध्यक्ष : आप अपनी बात कहिये।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं अपना

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

एक्सप्लेनेशन तो कर रहा हूं। इसी तरीके से जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य ने एक वेग चार्ज लगाया कि शिक्षा विभाग में भयंकर भ्रष्टाचार हुआ। तो मैं चैलेन्ज देता हूं कि वह सदन को बतायें कि क्या-क्या भ्रष्टाचार हुआ उसका एक-एक का हम जवाब दे देंगे।

श्री अध्यक्ष : अच्छा, आप बिराजें, हो गया आपका। माननीय शिक्षा मंत्रीजी। (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला स्टेटमेंट जो मांगा गया था हिण्डोली का, उसका क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष : आ रहा है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट तैयार हो रहा है। आप चिन्ता मत करें, आपको स्टेटमेंट दिला कर विदा करूंगा।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मांगें पारित होने के बाद क्या स्टेटमेंट....

श्री अध्यक्ष : मैं हाउस एडजोर्न नहीं करूंगा जब तक स्टेटमेंट नहीं आयेगा। आप बिराजिये। आप इससे ज्यादा और क्या चाहते हैं, बैठिये, आप बिराजिये।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमें भी बोलने का मौका दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : शिक्षा मंत्रीजी। आप बोलिए, शिक्षा मंत्री जी, बोलें। आप शुरू करिए।

श्री हरिकुमार औदिच्य (शिक्षा मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षा की मांग संख्या 24 पर आज सदन में चर्चा चल रही है....

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन का समय बढ़ाने की परम्परा हमेशा रही है। मैंने भी दिया है, कटमोशन के द्वारा अपना नाम दिया है, बोलने का मौका दिया जाना चाहिए, माननीय अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिए ना।

श्री बुलाकीदास कल्ला : दो तीन सदस्य बोलना चाहें, पांच-पांच, सात-सात मिनट बोलने दें।

श्री अध्यक्ष : मेरे पास 15 सदस्यों के नाम बाद में आये हुए पड़े हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : माननीय अध्यक्ष महोदय, दो बजे तक शिक्षा विभाग की मांग चलती रही है। इसलिए घंटा भर चल जायगा तो क्या फर्क पड़ जायगा। वह अपने अमूल्य सुझाव देंगे उसमें। अध्यक्ष महोदय, इनके कटौती प्रस्ताव हैं, पांच-पाच मिनट का मौका दीजिए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जनता दल और भारतीय जनता पार्टी के दस सदस्य बचे हुए हैं और दस आपके बचे हुए हैं। मेरे पास लिस्ट है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, शिक्षा विभाग की बहस में 60-60 सदस्यों ने अपने अमूल्य सुझाव दिये हैं....

श्री ओमप्रकाश गुप्ता (मुख्य सचेतक) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बैठे हैं। रूल्स की पालना नहीं हो रही है। जब माननीय अध्यक्ष एक व्यवस्था दे देते हैं तो रूल्स में क्लियर है कि व्यवस्था पर कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता।

श्री बुलाकीदास कल्ला : हम तो अध्यक्ष जी को निवेदन कर रहे हैं.... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूं कि मैं जिस क्षेत्र से आया हूं, मेरे इलाके की बात को यहां रखने का अधिकार मुझे मेरी जनता ने दिया है। किसी की मेहरबानी से नहीं लिया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि मैं जिस क्षेत्र से आया हूं मेरे इलाके की कोई भी समस्या जो शिक्षा से सम्बन्धित है उसे मैं इस सदन में नहीं रखूंगा तो मेरे विधायक बनने का औचित्य ही क्या रहा ? आप इसे व्यवस्था का प्रश्न बना रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : यह तो सभी माननीय सदस्यों पर लागू होता है। (व्यवधान)

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, हमेशा यह परम्परा रही है कि इस सदन में जो भी डिमाण्ड्स आई तो उनके ऊपर 11–11 बजे तक....

श्री अध्यक्ष : आज भी 11 ही बजेंगे। चिन्ता न करें। आप 11 बजे के पहले जायें तो मुझे कहना। आप विराजिए तो सही। तीन मंत्री बोलने वाले हैं।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न इस बात का है कि माननीय सदस्य का कट मोशन रह गया है और वह अपनी भावना व्यक्त करना चाहते हैं। आप थोड़ा समय दे दें।

श्री अध्यक्ष : उनका जवाब मिलेगा। जो व्यवस्था सभी दलों के नेताओं ने मिलकर कर ली है मैं उससे बंधा हूं। मैं उसके खिलाफ व्यवस्था नहीं दे सकता। यह निर्णय हो चुका, आपने किया है, मैंने नहीं किया। माननीय मंत्री जी।

श्री जुबेर खान : यह एक दिन पहले बता दिया करें। हम लोग तैयार होकर आते हैं और बोलने का मौका नहीं मिलता तो बड़ी तकलीफ होती है।

श्री अध्यक्ष : मुझे आपको कहते हुए खेद है कि मेरे पास जो नाम आये शुरू में, मैं उसी को व्यवस्था समझता हूं। उसके बाद आपका नाम आया है जो आना नहीं चाहिए था क्योंकि आपकी पार्टी ने नाम नहीं दिया। इसलिए आप तैयार होकर अपनी मर्जी से आये हैं। विराजिए। (व्यवधान)

मैं एक को बुलवाऊं और बाकी को नहीं बुलवाऊं, यह नहीं हो सकता।

श्री बुलाकीदास कल्ला : शिक्षा पर हमेशा दस दस घंटे बहस हुई है।

श्री अध्यक्ष : आप बाहर जाकर तय कर लीजिए कि कितनों को बुलवाना है। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आपका निर्णय बदल दीजिए और मुझे बता दीजिए कि

(श्री अध्यक्ष)

इतने इधर से बोलने हैं और इतने उधर से बोलने हैं। माननीय मंत्री जी, बोलें आप। (व्यवधान)

आप, जो व्यवस्था है उसकी पालना करिये। व्यवस्था बदलना चाहते हैं तो बाहर जाकर तय कर लीजिए कि आपके कितने बोलने हैं, बी. जे. पी. और जनता दल के कितने बोलने हैं। आप तय करके आइये।

श्री नत्थीसिंह : अध्यक्ष महोदय, आपने व्यवस्था दी थी। जब माननीय कल्ला साहब बोल रहे थे तब भी कहा था कि आपकी पार्टी का टाइम बहुत चला गया है। उस वक्त आपने नहीं सोचा। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : अध्यक्ष महोदय, क्या अभिव्यक्ति के अधिकारों को इस तरह से रोका जाएगा? क्या हम अपने विचार भी व्यक्त नहीं कर सकते? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मैं छोटी सी गुजारिश यही कर रहा था कि क्या सदन के पास समय की इतनी बड़ी कमी हो गई कि दो मिनट का समय दिया जाना असम्भव हो रहा है? इस तरह से 5 मिनट बातों में टाइम खो दिया और मैं जिस क्षेत्र से आया हूं मेरे क्षेत्र की समस्या की बात रखने के लिए समय नहीं है सदन के पास.... (व्यवधान)

मेरे क्षेत्र की मांग रखना मैं बिल्कुल मेरा अधिकार समझता हूं और अपने अधिकार की गुजारिश करने का मुझे पूरा अधिकार है कि मैं इस सदन में खड़ा होकर के मेरे क्षेत्र की मांग और मेरे मन की बात इस सदन में कहूं। फालतू बातों के लिए तो सदन का दुरुपयोग किया जाता है.... (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अध्यक्ष महोदय, सीकर से आने वाले माननीय सदस्य जोर-जोर से बोल रहे हैं। उनका कटौती प्रस्ताव है नहीं और खामख्वाह यों ही बोल रहे हैं। आपका कटौती प्रस्ताव एक भी नहीं है।

श्री दिग्विजय सिंह : आपका कटौती प्रस्ताव है तो पढ़ कर बता दें। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : अध्यक्ष महोदय, मैंने सूचना विभाग को अपना कट मोशन दिया है उसकी प्रतिलिपि अपने पास में रखी है। मेरे साथ में माननीय प्रकाश जी ने भी दिया है। (व्यवधान)

श्री पूनमचन्द विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, मेरा नम्र निवेदन यह है कि शिक्षा विभाग पर हमारे बजट का लगभग 25% व्यय होता है और 30 साल से मैं डिबेट देखता हूं। शिक्षा विभाग की डिबेट इतनी जल्दी कभी खतम नहीं होती इसलिए मेहरबानी करके माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं तो आप उनको समय दें।

श्री अध्यक्ष : शिक्षा मंत्री जी।

श्री बुलाकीदास कल्ला : हमारा निवेदन है कि 2 व्यक्तियों को 5-7 मिनट बोलने दीजिए। क्या दिक्कत है।

श्री अध्यक्ष : आपको मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि आप लोग बाहर जाकर व्यवस्था कर लीजिए। मैं मना कहां कर रहा हूं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : +++

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बैठिये।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय मंत्री महोदया जो कुछ भी कह रही हैं, न्याय-संगत हो सकता है क्योंकि उनके पास लिस्ट नहीं पहुंची होगी। बाकी माननीय सदस्य महानुभावों को कैसे पता चल गया कि मैंने कट मोशन नहीं दिया।

श्रीमती सुमित्रासिंह : आपके नाम के आगे पारीक लगता है और इसमें कोई पारीक नहीं है।

श्री राजेन्द्र पारीक : 12 नम्बर पर.... यह गलती सदन की होगी, यह गलती आपके कार्यालय की होगी। मेरी गलती नहीं है। मैंने कार्यालय को सूचित कर दिया कि मेरे नाम के आगे "पारीक" लगाया जाय। सदन शाखा को सूचित कर दिया कि मेरे नाम के आगे "पारीक" लगाया जाय।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : कटौती प्रस्ताव किसी माननीय सदस्य का हो सकता है लेकिन कटौती प्रस्ताव के बाद विवाद में इस सदन का कोई भी माननीय सदस्य हिस्सा ले सकता है। यह मान लिया जाय चाहे, कटौती प्रस्ताव न हो उस स्थिति में भी माननीय सदस्य बोल रहे हैं तो अवश्य बोल सकते हैं।

श्री हरिकुमार औदिच्य : माननीय सदस्य, कटौती प्रस्तावों के बारे में यहां पर परम्परा रही है कि दलों के व्हिप सूची दे देते हैं उनके आधार पर कटौती प्रस्ताव हो या न हो पर उनके नाम दिये जाते हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपने जो कटौती प्रस्ताव दिया है, मुझे मालूम है....।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय अध्यक्ष महोदय, निवेदन सिर्फ इतना सा है कि बाकी के विपक्ष में बैठे माननीय सदस्य, महानुभाव खड़े होकर के यह कहें कि आपने कटौती प्रस्ताव नहीं दिया तो मुझे जायज बात....

श्री अध्यक्ष : अच्छा एक बार ठहरिये। एक मिनट प्लीज सिट डाउन।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : एक-एक को बोलने दीजिए....।

श्री हीरासिंह चौहान : एक कैसे बोलेगा? माननीय गहलोत साहब, हम भी बोलेंगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपको भी मौका एक दूंगा। आपको भी एक मौका दूंगा। आप जरा बिराजिये। आपको भी दूंगा।

+++ अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री हीरासिंह चौहान : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह गलत परम्परा है ....।

श्री अध्यक्ष : एक बार व्यवस्था हो चुकी है....। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मंत्रीजी का नाम पुकार लिया। इसके बाद आप माननीय सदस्य का नाम पुकारें तो यह ठीक नहीं है। यह परम्परा गलत पड़ेगी सदन की।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : जहां तक भारतीय जनता पार्टी और जनता दल के सदस्यों का सवाल है, आपने व्यवस्था दे दी....। (व्यवधान)

श्री नत्थीसिंह : उसके बाद आपने +++ आसन की बात आप कहां मानते हैं ? आसन ने व्यवस्था दी और +++ हम बोलेंगे....। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, आपने एक बार व्यवस्था दे दी....। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : अध्यक्ष महोदय, यह गलत परम्परा पड़ जायेगी।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : मुझे कोई आपत्ति नहीं है। डिमाण्ड्स के ऊपर कटौती प्रस्ताव आने के उपरान्त दलों की व्हिप जो लिस्ट देते हैं, आप रखिए उसे अपने पास, व्यवस्था यह है कि दलों के व्हिप जो यहां पर बैठे हुए हैं, जो नाम देते हैं, वही नाम पुकारे जाते हैं....।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : माननीय मंत्री महोदय को इस बात का मालूम नहीं है कि सही मायने में कटौती प्रस्ताव जितने भी माननीय सदस्यों ने भेजे उन सभी को बोलने का अधिकार है। यह तो अपन ने परम्परा बना रखी है कि टाइम को बांटने के लिए, माननीय सदस्य आपस में मिल-जुलकर सदन को चलाने के लिए...। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : पाइन्ट आफ ऑर्डर।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा पाइन्ट ऑफ ऑर्डर यह है कि....। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : जब कर सकते थे तब तो नहीं किया, अब क्या कर देंगे....।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह है कि सदन, जो राजस्थान की सर्वोच्च संस्था है, परम्परा और नियमों के आधार पर चलता है।

श्री अध्यक्ष : आप सीधा-सीधा पाइन्ट ऑफ ऑर्डर बोलिए।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मेरा पाइन्ट ऑफ ऑर्डर यह है कि अभी जो कटौती प्रस्ताव के मामले में यह कहा गया कि हर माननीय सदस्य, ये जिसने परम्परा के अनुसार और पूर्व में कई माननीय अध्यक्षों के जो निर्णय हैं, हमारा यह सदन उससे चलता है। मैं बता रहा हूं....। (व्यवधान)

+++ अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

मेरा पाइन्ट ऑफ ऑर्डर यह है कि अध्यक्षीय व्यवस्था के बाद किसी भी माननीय सदस्य का यह अधिकार नहीं है कि उसको वह चैलेंज करे, मतलब यह कोई अधिकार नहीं है कि कटौती प्रस्ताव पर हर व्यक्ति को बोलने का अधिकार मिले....।

श्री अध्यक्ष : विराजिये अब आप। (व्यवधान)

मैं एक मौका आपको भी दूंगा....। (व्यवधान)

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : आसन के प्रति कोई चैलेंज नहीं है, अध्यक्ष महोदय, एक ऐसा माननीय मुख्य मंत्री जी को कह कर कागज भिजवा....। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जरा आप सुनिए। माननीय श्री महावीर जी, आप बैठिए। हां, आप बोलिए, आप मंत्री जी को सुनिए।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज शिक्षा पर चर्चा हो रही है, इसमें कौन बोले, कितना बोले, यह अलग है लेकिन पिछली बार जब आप इधर बैठते थे, तब से यह परम्परा है कि जो भी मांग आती है, उस मांग के ऊपर चाहे कटौती प्रस्ताव किसी माननीय सदस्य के हों या नहीं हों, हम एक सूची दिया करते थे और उसी के आधार पर यह सदन चलता था। इस बार भी यही चल रहा है। अब सवाल यह है कि इन सब बातों पर विचार करके माननीय अध्यक्ष जी ने सारी डिबेट को समाप्त करके, माननीय मंत्री महोदया को बोलने के लिये निवेदन कर दिया। उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, अब इस प्रकार का कोई दबाब डाल कर कोई भी माननीय सदस्य....। आप दबाब मत डालिये, बैठिये आप। यह कोई बात नहीं है। मैं सुन ही रहा हूं....।

श्री सुरेन्द्र व्यास : और हुकुम हम आप पर दबाव डालें, यह तो ऐसा है.... आप खुद नेता महोदय, यह....।

श्री भंवरलाल शर्मा : कहने दीजिए ना आप। यह कौन सा तरीका है? माननीय श्री सुरेन्द्र जी व्यास, let me tell,

आप क्यों ऐसे परेशान हो रहे हैं? आप कह लीजिए पहले। माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई बोले माननीय सदस्य दो मिनट तो इसमें आपत्ति की कोई बात नहीं होनी चाहिए....।

श्री सुरेन्द्र व्यास : दवाव आप डाल रहे हो....।

श्री भंवरलाल शर्मा : Just-wait a minute.

सवाल यह है कि आपने जो व्यवस्था दी और माननीय मंत्री महोदया ने अपना भाषण भी शुरू कर दिया। अगर अब माननीय सदस्य जोर से बोले या दो लोग खड़े होकर के आप के ऊपर कोई कार्यवाही लादना चाहें तो क्या आप अलाउ करेंगे उसको?

श्री हेतराम बेनीवाल : यह आपको कैसे पता चल गया....? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब आप बिराजिये, अब मेरी व्यवस्था सुनिए।

श्री भंवरलाल शर्मा : आप बोले, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। कोई भी माननीय सदस्य हाउस पर कोई भी कार्यवाही लाद नहीं सकता। क्या करेंगे आप ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अच्छा अब मेरी व्यवस्था सुन लीजिए आप। अब आपका सारा डिस्कशन हो गया। प्लीज, मैं किसी के दबाव में नहीं हूं और न किसी के दबाव से निर्णय कर रहा हूं। चूंकि माननीय श्री विश्नोई जी, जो भूतपूर्व अध्यक्ष रहे हैं, एक रिक्वेस्ट की। इस नाते से मैं एक सदस्य इधर से और एक सदस्य उधर से।

श्री नत्थीसिंह : हमारे दो....।

श्री अध्यक्ष : हां, एक जनता दल होगा आपका। मैं दोनों को बुला दूंगा।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : इन्डपेंडेंट को और बुलाइए आप....।

श्री अध्यक्ष : उनको बुलाऊंगा, श्री राजेन्द्र जी, प्लीज। पांच मिनट से ज्यादा नहीं लेंगे।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, बोलने से पहले तो मैं इस बात पर खेद व्यक्त करना चाहूंगा कि....।

श्री अध्यक्ष : आप खेद व्यक्त मत कीजिए, चलिए। पांच मिनट में टाइम पूरा हो जायेगा।

श्री राजेन्द्र पारीक : कि शिक्षा जैसे विधेयक पर डिबेट चल रही थी, उस पर भी माननीय विरोधी पक्ष के सदस्यों ने शिक्षा ग्रहण नहीं की। इस बात का खेद है (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ : हम तो हां पक्ष के हैं, आप ही हैं विपक्ष के।

श्री राजेन्द्र पारीक : यह जो उधर बैठे हुए हैं, मेरे विरोधी....।

श्री मदनलाल सैनी : जहां पाला ही ऐसे लोगों से पड़ जाय, वहां क्या किया जाय ?

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जिस क्षेत्र से आया हूं वह क्षेत्र शहरी और ग्रामीण दोनों है। शिक्षा की जब हम बात करते हैं, तो ग्रामीण क्षेत्र को जो आज हमने पिछड़ेपन की ओर धकेल रखा है, यह बड़ा ही खेद का विषय है। मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र सीकर के कुछ ग्रामों का उल्लेख करना चाहूंगा। भादवारी, जेरठी....।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज....।

श्री राजेन्द्र पारीक : कुड़ली, जगमालपुरा आदि ऐसे गांव हैं जहां सीकर के अलावा आसपास के क्षेत्र में कोई सैकण्डरी स्कूल नहीं है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि यदि जेरठी में, भादवारी में, दादिया में, सैकण्डरी स्कूल

(श्री राजेन्द्र पारीक)

खोलने की व्यवस्था करेंगे तो आसपास के ग्रामीण इलाकों से, दूर-दूर के क्षेत्रों से चल कर आने वाले ग्रामीण छात्रों को इससे सुविधा होगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एस. के. कॉलेज, सीकर, सीकर की एक बहुत पुरानी संस्था है। एक लम्बे समय से इसमें कोई भवन वगैरह की व्यवस्था नहीं की गई है। साथ ही सीकर कॉलेज में संस्कृत में एक एम. ए. विषय खोलने की इजाजत यदि आप देंगे, संस्कृत विषय पर जोर मैं इसलिए दे रहा हूं कि सीकर में संस्कृत में छात्राओं की संख्या बहुत अधिक है इसलिए उनको इससे सुविधा होगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षा की नीतिगत बात जब हम करते हैं तो पूर्व में ऐसी व्यवस्था थी कि छात्रों की संख्या को देख कर एक वाइस प्रिंसीपल और प्रधानाचार्य की व्यवस्था थी लेकिन आज जो नई व्यवस्था है उसमें एक प्रिंसीपल और वाइस प्रिंसीपल की व्यवस्था है। जिन स्कूलों में 500 विद्यार्थी हैं उनमें भी वाइस प्रिंसीपल की व्यवस्था है और जिनमें 2500 की संख्या है उनमें भी वाइस प्रिंसीपल की व्यवस्था है। यदि 500 की संख्या पर वाइस प्रिंसीपल की उपयोगिता है तब तो 2500 की संख्या वाले विद्यार्थियों में एक्स्ट्रा व्यवस्था की जानी चाहिए और यदि 500 की संख्या वालों में वाइस प्रिंसीपल की व्यवस्था उचित नहीं है तो फिर इस तरह से वित्तीय भार संस्था पर डाला जाना कतई औचित्यपूर्ण नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पास ही के प्रदेश हरियाणा में स्वामी महर्षि दयानन्द यूनिवर्सिटी, जो रोहतक की है, बी. एड. की परीक्षाएं हुई थीं जिसमें करीब आठ हजार विद्यार्थी राजस्थान से भी थे और उन लोगों का काफी खर्चा भी आया। लेकिन आज हम उन्हें मान्यता नहीं दे रहे हैं क्योंकि वह पत्राचार के माध्यम से था। कोटा ओपन यूनिवर्सिटी में जो पत्राचार व्यवस्था है उसी की नकल पर वह थी। मेरा आपसे निवेदन है कि जो आठ हजार विद्यार्थी इससे प्रशिक्षित हुए हैं, उनका काफी बड़ा खर्चा हुआ है और यदि सरकार ने इनके भविष्य को ध्यान में न रख कर इसको मान्यता नहीं दी तो इनके जीवन के साथ एक बड़ा भारी खिलवाड़ होगा। जिन विद्यार्थियों ने स्वामी दयानन्द यूनिवर्सिटी से डिग्री ली है उन्हें मान्यता प्रदान करने की आप व्यवस्था फरमावें।

आज जब खेल जगत की बात करते हैं तो मेरा आपसे निवेदन यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिभा खोज का एक अभियान चलाया जाना चाहिए क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी हमें स्वस्थ और तन्दुरुस्त बच्चे शहर की बजाय अधिक मिलेंगे क्योंकि वहां दूध वगैरह की अच्छी व्यवस्था है। यदि ग्रामीण क्षेत्रों में निचले स्तर से ही हम प्रतिभा खोज का कोई आयोजन करेंगे तो मैं समझता हूं कि आज जो खेल के क्षेत्र में हम बहुत पिछड़े हुए हैं, इससे हमें बड़ा लाभ मिलेगा। सीकर काफी बड़ा शहर है जहां स्टेडियम की व्यवस्था होना.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री राजेन्द्र पारीक : लाजिमी तौर से बहुत ही जरूरी है। एक विशेष बात और है पिछली सरकार ने शिक्षा केन्द्र खोले, उसके तहत सीकर में भी करीब 28 शिक्षा केन्द्र खोले गये। उनमें से 14 स्कूलों को शिक्षा केन्द्र में तब्दील किया गया था जो प्राइमरी स्कूल थी और उनमें शिक्षा सेवक भी लगाये गये थे। वर्तमान सरकार ने 15.5 को उन शिक्षा सेवकों की व्यवस्था हटा दी और जो शिक्षा केन्द्र खोले गये थे उनको भी बंद कर दिया। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में जिन शिक्षा केन्द्रों में सौ-सौ, दो सौ और कई जगह तो उससे भी ज्यादा तादाद में छात्र आकर बैठे हुए हैं, उनके बारे में बड़ी चिन्ता का विषय है। यदि सरकार ने समय रहते इन शिक्षा केन्द्रों को पुनः चालू करने की व्यवस्था नहीं की तो आप अन्दाजा लगाइये उन अभिभावकों का, उनकी कितनी बड़ी पीड़ा है कि उनके बच्चे उन शिक्षा केन्द्रों में जाकर आज भी बैठे हुए हैं लेकिन वहां पर....

श्री अध्यक्ष : अब आप बिराजिये, मैं खड़ा हुआ हूं।

श्री राजेन्द्र पारीक : बहुत-बहुत धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय। बोलने की बड़ी इच्छा थी। आपने जो समय दिया, उसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

श्री अध्यक्ष : मैं सभी माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए, क्योंकि अभी आपकी डिमाण्ड पर बहस चलने वाली है आगे भी, आपने एक सवाल उठाया था कि मुझे अधिकार है, मैंने कटौती प्रस्ताव दिया है— मैं चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में जो व्यवस्था कौल एण्ड शकधर की है वह आपको पढ़ कर सुना दूं ताकि भविष्य में कम से कम इस भाषा का प्रयोग आप यहां नहीं करें— "यदि उपयुक्त चर्चा तथा मतदान के लिए समय न हो तो कटौती प्रस्ताव पेश नहीं किया जा सकता। न ही उसे सदस्यों की ओर से कुछ अन्य सदस्यों द्वारा पेश किया जा सकता है। उसी प्रकार संशोधनों की तरह कटौती प्रस्ताव पेश करने वाले सदस्य को केवल इस कारण कि उस कटौती प्रस्ताव पर भाषण देने के लिए बुलाये जाने का अधिकार प्राप्त नहीं है और न उसे अपने कटौती प्रस्ताव पर वाद-विवाद का उत्तर देने का अधिकार है।" इस स्थिति को समझ कर करें।

श्री रामकरण जी (अनुपस्थित)

श्री नत्थी सिंह : आप शिक्षा मंत्रीजी से बुलवाइये।

श्री अध्यक्ष : माननीय शिक्षा मंत्रीजी।

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, पोइन्ट ऑफ ऑर्डर। आपने जो व्यवस्था दी है ...

श्री अध्यक्ष : किस सम्बन्ध में है पोइन्ट ऑफ ऑर्डर ?

श्री जुबेर खान : यह कहा है कि अगर मतदान के लिए समय नहीं है तो जो कटौती प्रस्ताव दिया है उनको बुलवाया नहीं जायेगा। यहां समय का सवाल नहीं है। उप सचेतक महोदय ने कहा था कि जब तक मांग पारित नहीं हो जाती, बहस नहीं

(श्री ज़ुबेर खान)

हो जाती तब तक सदन का समय बढ़ाया जाता है।

श्री अध्यक्ष : आप नियम नहीं समझते हैं तो समझिये। मैंने जो व्यवस्था दी है उस पर कोई पोइन्ट ऑफ ऑर्डर नहीं उठाया जा सकता। बिराजिये आप, बैठिये। माननीय शिक्षा मंत्रीजी।

श्री प्रकाश चन्द बैरवा : हमने जो प्रस्ताव दिया है, उसका क्या हुआ ?

श्री रामनारायण वर्मा : माननीय अध्यक्षजी, हमारे अधिकार सुरक्षित है। आसन हमारे अधिकार को सुरक्षित रखता है इस आशा के साथ आपसे निवेदन कर रहे हैं। मेरे को सिर्फ दो ही मिनट बोलना है....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : शिक्षा मंत्रीजी, आप अपना भाषण चालू करिये।

श्री हरिकुमार औदिच्य : जब आपके कोई बात समझ में नहीं आती तो डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं ? जब आपके बस की बात नहीं है तो आप क्यों करते हैं ?

श्री अध्यक्ष : आप उनको मत मनाइये, आप भाषण चालू करिये। देखिये, जो अपनी जुबान पर नहीं रहते, इन्होंने कहा कि एक आदमी को बुलवायेंगे, फिर वह खड़े हो रहे हैं। मुझे खेद है इस बात का कि आप अनावश्यक रूप से कार्यवाही में बाधा डाल रहे हैं। बिराजिये आप। शिक्षा मंत्रीजी, बोलिये।

(7.45 रात्रि)

मांग संख्या 24 का पारण

श्री हरिकुमार औदिच्य (शिक्षा मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षा की मांग संख्या 24 पर आज वाद-विवाद में कई माननीय सदस्यों ने कटौती प्रस्ताव दिये हैं, उनको मैंने पढ़ा है और अभी उनके बारे में मैं जानकारी भी दूंगा। इसके साथ ही अभी चर्चा के समय, बहस के समय कई माननीय सदस्यों ने अच्छे, उपयोगी सुझाव दिये हैं और कई ने आलोचना की है। लेकिन उनकी आलोचनाओं को भी मैं एक प्रकार से अपने कार्य में दिशा-निर्देश मानूंगा और सभी माननीय सदस्यों को मैं अपनी ओर से धन्यवाद देना चाहता हूं और उनके सुझावों का स्वागत करता हूं।

अभी चर्चा में माननीय सदस्यों ने कहा था कि हमारे देश में, समाज में शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है, जो अन्धकार से प्रकाश की ओर लाती है, जो मनुष्य को पशुता से दूर करती है और मानवता का पाठ सिखाती है। सब दृष्टि से सोचें तो अगर समाज में शिक्षा का प्रसार नहीं होगा तो समाज, समाज बन कर नहीं रहेगा। शिक्षा एक अनवरत प्रक्रिया है जिसको दिशा-निर्देश मिलता है समाज के धर्म से, समाज के दर्शन से और संविधान की व्यवस्थाओं से। इसलिए शिक्षा के माध्यम से ही हम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक अपनी संस्कृति का हस्तांतरण करते हैं। इसके साथ ही साथ समाज के, देश के विकास में, उसके परिवर्तन में भी शिक्षा एक कारण बने, उसका एक साधन बने, इसकी बड़ी

(श्री हरिकुमार औदिच्य)

आवश्यकता है। हमारे स्वतंत्र भारत में नये समाज की रचना का आदर्श संविधान के अन्दर रखा है और इसीलिए धारा 45 में संविधान में यह कहा है कि....

श्री हरिसिंह (महुआ) : संविधान के अनुच्छेद पढ़ा रहे हो क्या ?

श्री हरिकुमार औदिच्य : जी हां, सुनिये। जिसमें यह स्पष्ट कहा है कि दस वर्ष के अन्दर जो 14 साल तक के बच्चे हैं, उनको हम शिक्षा की व्यवस्था करेंगे। किन्तु इसके साथ ही साथ धारा 41 के अन्दर यह दिया कि राज्य अपनी आर्थिक स्थिति को देखते हुए विकास में और शिक्षा के प्रसार का प्रावधान रखेंगे। इस प्रकार को यह जो दोनों तरफ की बात चलती रही, इससे कई राज्यों ने फायदा उठाया। शिक्षा के बारे में जहां हम कल्पना करते थे कि 14 साल के बच्चे को हम दस वर्ष के अन्दर-अन्दर वह सुविधा करा देंगे, हम वह सुविधा पिछले चालीस सालों में नहीं करा पाये हैं। शिक्षा के लक्ष्यों को अनुकूल बनाने के लिए कई आयोग बैठे। कई कमेटियां बैठीं और उसके बाद सन् 1968 में एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति का संकल्प सामने आया पर वह संकल्प की क्रियान्विति के धरातल पर नहीं उतरा। इसके साथ ही साथ 1986 में हमारी एक और राष्ट्रीय शिक्षा नीति आयी जो सुसंस्कृत आधुनिक समाज की स्थापना कर सके और केन्द्र सरकार ने प्रथम बार यह अनुभव किया कि इस नीति के माध्यम से सरकारों को आर्थिक सहयोग देकर शिक्षा के प्रसार में योगदान करें किन्तु उसमें भी सरकार जो चाहती थी, केन्द्रीय सरकार की जो योजना थी उसका पूरा संकल्प उसमें नजर नहीं आता देखकर उन्होंने तीन साल के अन्तराल में ही उस पर पुनर्विचार करने के लिए एक कमेटी का निर्माण किया। अभी जो बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे उस नीति के बनने के बाद भी उसमें अभी पूर्णता नहीं है और केन्द्रीय सरकार ने एक कमेटी–राममूर्ति कमेटी की स्थापना की है जो उस पर पुर्न-विचार कर रही है। इस परिप्रेक्ष्य में विगत 40 वर्षों में जो शिक्षा की दृष्टि से देश में हुआ उसमें राजस्थान की स्थिति का सिंहावलोकन करें तो 1951 से 1981 तक हमारी शिक्षा में वृद्धि केवल 15 प्रतिशत हो सकी। 250 की आबादी तक प्राथमिक शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सके। ग्रामीण महिला साक्षरता के बारे में तो 5.46 प्रतिशत रही और अनुसूचित जाति और जन जाति में महिला साक्षरता क्रमशः 1.18 और 0.99 प्रतिशत रही।

राजस्व बजट का 1951 में जहां 2 करोड़ 14 लाख रुपये खर्च हुए, इस बजट में 1990-91 के बजट में 760 करोड़ का खर्चा रखा गया है अर्थात् हमारे राजस्थान के बजट का 24 प्रतिशत शिक्षा की मद पर हम खर्च करने जा रहे हैं। इसके बाद भी आप देखें, जैसा बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, 250 की आबादी पर स्कूल खोलने और शिक्षा का प्रसार करने की बात थी लेकिन पिछले वर्षों का सिंहावलोकन करें तो आपको वर्तमान स्थिति का पता लगेगा कि 1344 की जनसंख्या पर एक प्राथमिक विद्यालय

(श्री हरिकुमार औदिच्य)

है जबकि 250 की कल्पना आप कर रहे थे और 3800 की जनसंख्या पर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय है लगभग पांच गांवों के बीच में एक उच्च प्राथमिक विद्यालय चल रहा है। 15 गांवों के ऊपर एक माध्यमिक विद्यालय और 98 गांवों पर एक सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय है। विरासत में आज जो स्थिति मिली है उसके ऊपर हमें बड़े विवेक से और संयम से सोच समझकर आज की परिस्थितियों में शिक्षा का प्रसार और शिक्षा के विकास का काम करना पड़ेगा।

यह चर्चा आई कि नये विद्यालय नहीं खोले गये। सामान्यतः आज की चर्चा में और कटौती प्रस्तावों में आम धारणा है, आम लोगों का मन्तव्य है, यह ठीक है, उन्होंने इस बात को सराहा है कि नये विद्यालय नहीं खोले गये और पुराने विद्यालयों की स्थिति में सुधार लाया जाय। इसके बारे में जो कटौती प्रस्ताव हैं, उस दृष्टि से मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में जो लक्ष्य निर्धारित थे उससे कहीं अधिक स्कूल खोल दिये गये और क्रमोन्नत कर दिये गये। प्राथमिक विद्यालय पांच हजार खोले जाने थे जिसके विरुद्ध 6720 का प्रस्ताव किया गया....ताली बजाने की बात नहीं है आगे सुनना आपने क्या किया? उच्च प्राथमिक विद्यालयों का लक्ष्य 1100 था, आदेश 1391 के हुए। माध्यमिक विद्यालय का लक्ष्य 300 था और क्रमोन्नत करने के आदेश 821 के हुए। सीनियर उच्च माध्यमिक के लिए कोई लक्ष्य नहीं था लेकिन एक साथ 1988 में 672 हायर सैकण्ड्री विद्यालयों को सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत कर दिया। यह शैक्षणिक विकास पांच साल में करने का था, चुनावों के लिए नहीं था। जब चुनाव नजदीक आये तो बिना सोचे समझे इस प्रकार के स्कूलों की घोषणा कर दी गयी। इतना ही नहीं, स्थिति यह बनी कि जनवरी-फरवरी, 1990 तक आदेश जारी किये जाते रहे। जब लोकसभा के चुनाव हो गये और विधान सभा के चुनाव आ रहे थे तब तक आप आदेश करते रहे। इस तरह अब 287 उच्च माध्यमिक विद्यालयों को वित्तीय स्वीकृति देना बाकी है। कल्ला साहब कह रहे थे कि मैं सब को दे गया। जाने कहां दे गये? लेकिन 267 की आज्ञा बाकी है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा: माननीय अध्यक्ष महोदय, गलत बात है....

श्री अध्यक्ष: आप कल्ला साहब नहीं हैं, विराजें। (व्यवधान)

आप मंत्री थे क्या?

एक माननीय सदस्य: आपकी समझ से बाहर है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत कम बोलता हूं....

श्री अध्यक्ष: ऐसा नहीं होता है, आप विराजें।

श्री बुलाकीदास कल्ला: मेरे वक्त में एक भी स्कूल ऐसा नहीं है जिसकी वित्तीय स्वीकृति न हो। उनको मालूम नहीं है,

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

मेरे बाद एक और शिक्षा मंत्री रहे हैं। उनका भी मैं देखकर बता सकता हूं। जो भी स्कूल हमारे समय में खोले हैं, उनकी वित्तीय स्वीकृतियां दी गयी हैं।

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठें।

श्री हरिकुमार औदिच्य : माननीय कल्ला साहब आप बोल रहे थे, मैंने बड़े शांतिपूर्वक आपको सुना लेकिन आप बीच में उचक गये। इसमें आपका दोष नहीं है, सत्य बड़ा कड़वा होता है लेकिन उसे पीने का भी अभ्यास करना चाहिए।

मैं निवेदन कर रहा था कि कई स्थानों पर तो छठी क्लास की कक्षा ही आरम्भ नहीं की गयी और वित्तीय स्वीकृतियों के अभाव में न तो अध्यापकों के पदों का सृजन हुआ, न स्कूलों के अन्दर फर्नीचर पहुंच सका, न पुस्तकालयों में सामान पहुंच सका, न टाट पट्टी पहुंच सकी, इस प्रकार के स्कूल आप विरासत में छोड़कर गये थे।

इस सारी स्थिति को देखकर जैसी माननीय सदस्यों की भावना है और पूर्व में भी थी, जो मुख्य मंत्रीजी ने अपने भाषण में कहा कि यह जो कचरा और गंदीवाड़ा छोड़कर गये, उसे ठीक करने के बाद हम आगे की बात करेंगे। (व्यवधान)

एक बात जरूर है कि राजस्थान में जिस प्रकार आज भी चार-पांच सदस्यों ने चर्चा में कहा, महिलाओं में शिक्षा की दृष्टि से काफी अभाव है और हम पिछड़े हुए हैं। उस दृष्टि से कतिपय कन्या विद्यालयों को सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत कर सुविधा का विस्तार किया जायेगा। यह शंका भी आप कर सकते हैं कि स्कूल खोलेंगे नहीं तो जब बच्चों की संख्या बढ़ेगी तो क्या होगा? इस प्रकार की स्थिति आने पर हम नये सैक्शन, नये वर्ग स्कूलों के अन्दर खोलेंगे ताकि इस प्रकार की बात से परेशानी न हो।

जहां तक महिला शिक्षा की बात है, महिला शिक्षा के लिए जनजाति क्षेत्रों में आने वाले पिछड़े जिलों जैसे जालोर, जैसलमेर, बाड़मेर में 1 से 5 तक की सभी छात्राओं के लिए यह व्यवस्था की जा रही है कि वह अच्छे कपड़ों में स्कूल आ सकें, उन्हें पढ़ने के लिए पुस्तकें उपलब्ध कराई जा सकें, नियमित तथा निरन्तर शिक्षा प्राप्त करती रहें। यही नहीं विभिन्न वर्ग की छात्राओं को भी पुस्तकों का पूरा सेट बुक बैंक के माध्यम से निःशुल्क उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रौढ़ शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा के बारे में भी माननीय सदस्यों ने चिन्ता व्यक्त की। इसमें कोई दो मत नहीं है कि कई प्रकार की कमियां रही है। यह बात कहने के पीछे मेरा मतलब यह नहीं है कि पुरानी सरकार की किसी प्रकार की आलोचना कर रहा हूं। यह वास्तविकता है कि इसमें कमी रही है। कल्ला साहब बुरा मानने की आवश्यकता नहीं है लेकिन प्रौढ़ शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा के कार्यक्रम के बारे में कहा गया कि इसमें लगे धन का दुरुपयोग हो रहा है, कई केन्द्र नहीं चलते हैं, हो सकता है उसमें उप निदेशक नियमित रूप से नहीं जाते हों।

(श्री हरिकुमार औदिच्य)

प्रौढ़ों की शिक्षा का काम, उनको साक्षर करने का काम तथा 9 से 14 वर्ष तक के बालक-बालिकाओं को, जो कभी भी स्कूल नहीं गये, उन्हें सामाजिक न्याय की दृष्टि से शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराना राज्य का प्रथम कर्त्तव्य है। अतः यह व्यवस्था की गयी है कि इसको दूर करने के लिए, दिशा-निदश देने की दृष्टिकोण से हम नया प्रयोग करने जा रहे हैं। प्रौढ शिक्षा कार्यक्रम में पूर्ण गांव की साक्षरदा के काम के साथ-साथ अजमेर जिले में सम्पूर्ण साक्षरता का काम हाथ में लिया है, ताकि साधन और व्यवस्था को कडाई से कसा जा सके और हमें उपलब्धि का भी अहसास हो सकें।

श्री चन्दनमल बैद : माननीय मंत्री महोदय तकलीफ पा रहे हैं, हाथ में ले लीजिये।

श्री हरिकुमार औदिच्य : यह मैं वैसे भी बोल लूं लेकिन आपके समय के ये जो आंकड़े हैं ना, उनको कागज में देखकर ही बताऊंगा और कोई इसमें जरूरत नहीं है। इस सदन में पूर्व में भी आपरेशन ब्लैड बोर्ड की बड़ी चर्चा हुई और जो मेरा प्रश्न आया था, मैंने उस समय भी कहा था, प्रश्न आने से पहले ही मैंने इसके साथ ही साथ जितनी भी इस बारे में अनियमितताएं हुई हैं, उसकी जांच करने के पूर्व में आदेश दे दिया था। इतना ही नहीं उस दिन चर्चा के समय माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने कहा था कि मैं सारे प्रकरण की जांच करवाऊंगा और कल्ला साहब को आमंत्रित किया था कि मुझसे मिलें और बैठकर बात करें। मैंने आपको 4 तारीख को आने का पत्र भी लिखा और यह भी लिख दिया कि अगर आप 4 को नहीं आ सको तो अपनी सुविधानुसार मुझे सूचित करना। मैं आपके पास आ जाऊंगा।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मुझे कोई पत्र नहीं मिला।

श्री हरिकुमार औदिच्य : फिर भी जो हमने मिली-जुली कार्यवाही की है। सैम्पल के तौर पर चार जिलों में हमने इस प्रकार की वस्तुस्थिति का पता लगाने के लिए वहां पर स्थानीय कमेटियां गठित की हैं। उन कमेटियों की जो रिपोर्ट आयेगी, कहां गलती हुई है, उससे हम पूरी जांच करेंगे। उसमें चाहे कोई कितना बड़ा से बड़ा....

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य बिराजें आप। इस सदन में आपको बोलने का यह मतलब नहीं कि जो मरजी आये, सो बोलें। कुछ तो संयम रखें, आप।

श्री हरिकुमार औदिच्य : और माननीय सदस्य कोई बात समझ में नहीं आये तो चुप रहना ही अच्छा रहता है।

श्री किशनाराम : इनके लिए भी अच्छे टीचर की व्यवस्था कर दीजिए क्योंकि इनको बहुत वर्षों तक विपक्ष में बैठना है।

श्री हरिकुमार औदिच्य : माननीय कल्ला जी ने एक बात और कही थी कि पाठ्य-पुस्तक मण्डल ने जो किताबों की कीमत बढ़ायी है, आपने यह भी कहा कि

(श्री हरिकुमार औदिच्य)

हमारे टाइम में तो पाठ्य-पुस्तक मण्डल इन्कम टैक्स देने की स्थिति में था।

श्री बुलाकीदास कल्ला : देने की स्थिति में था।

श्री हरिकुमार औदिच्य : था ना। और यह पाठ्य पुस्तक मंडल बना क्यों था। नो प्रोफिट नो लोस के आधार पर बना था। आपने फायदा कमाया क्यों? मैं निवेदन करना चाहूं कि जो क्रम आप बना कर गये थे, उस हिसाब से अगर हम किताबों की कीमत तय करते तो यह कीमत 50 प्रतिशत से ज्यादा बैठती है। हमने तो उस डिपार्टमेण्ट के दूसरे खर्च हैं, उनको कम करके लोगों के ऊपर कम से कम बोझ पड़े इसलिए 38 प्रतिशत कर रखी है।

श्री चन्दनमल बैद : और माननीय मंत्री महोदय, जो पुरानी पुस्तकें पड़ी हुई थीं, उसके भी आपने दाम बढ़ा दिये।

श्री हरिकुमार औदिच्य : पुरानी पुस्तकें जो पहले की छपी हुई थी, उन पर नहीं। जो पुरानी पुस्तकें नयी छपी हैं, पुराने कोर्स की, उसके बढ़ाये हैं। पुरानी पुस्तकों के नहीं बढ़ाये हैं।

श्री चन्दनमल बैद : आपने बढ़ाये हैं। पता लगा लीजिए।

श्री हरिकुमार औदिच्य : उसके ऊपर नहीं बढ़ाये।

श्री चन्दनमल बैद : मैं ठीक कह रहा हूं। स्टॉक में भी जो पुरानी पुस्तकें पड़ी हुई थी, उसके भी आपने दाम बढ़ाये हैं।

श्री हरिकुमार औदिच्य : वह पता लगा लूंगा लेकिन आपकी जानकारी मेरी दृष्टि से सही नहीं है। दूसरी बात....

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय मंत्री महोदय, यह बात सही है, जो स्टॉक की किताबें थी, उनकी भी कीमत बढ़ायी है। पूछ लीजिए। अखबारों में भी ऐसा आया था।

श्री हरिकुमार औदिच्य : मैं पूछकर ही बता रहा हूं।

श्री जगतसिंह दायमा : आप सदन को भ्रमित करना चाहते हैं।

श्री हीरालाल देवपुरा : आपने पुरानी पुस्तकों के भी दाम बढ़ाये हैं, यह मत कहिये नहीं बढ़ाये है। (व्यवधान)

श्री हरिकुमार औदिच्य : तो मैं यह निवेदन कर रहा था। (व्यवधान)

दूसरा जो है चर्चा और कटौती प्रस्तावों के माध्यम से मसला आया है। वो आया है मिडिल स्कूलों को ग्राम पंचायतों को देने के बारे में। मेरे ख्याल से इस सदन में केवल एक सदस्य इस बात पर बोले थे, इसका विरोध किया गया था। शायद माननीय श्री जर्नादन सिंह जी बोले थे कि स्कूलें वहां पर होनी चाहिये। सैद्धान्तिक रूप से आप और हम भी इस बात को मानते हैं कि ग्राम पंचायत, स्वायत्तशासी जो संगठन हैं, उनको अधिक से अधिक मजबूत किया जाना चाहिये, उनको अधिकार

(श्री हरिकुमार औदिच्य)

दिये जाने चाहिये। लेकिन अगर वास्तविकता के धरातल से ऊपर आकर आप देखेंगे, तो वहां से स्कूल जाने के बाद में आपके पास भी अध्यापकों की शिकायतें आयी हैं, और अभिभावकों की शिकायतें आयी हैं, तो इस प्रकार की स्थिति में फिर भी यह मसला सरकार के विचाराधीन है। इसमें सरकार अन्तिम निर्णय लेगी, उससे आपको, यहां इस सदन की भावना....

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं-नहीं, सेशन चालू हो गया, ऐकेडेमिक सेशन चालू हो गया मन्त्रीजी और आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। आप क्या निर्णय लेंगे ?

श्री हरिकुमार औदिच्य : नहीं पहले आप फैसला कर लीजिए। जर्नादन सिंह जी क्या कहते हैं और आप क्या कह रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं फैसला हमको नहीं करना है। फैसला तो आपको करना है। हमको फैसला थोड़े ही करना है, हम तो सुझाव दे सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : प्लीज, आप उनको भाषण पूरा करने दीजिए। आप बिराजिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : ऐकेडेमिक सेशन चालू हो गया है, मन्त्रीजी।

श्री अध्यक्ष : अब उनको जो कहना है, वह कहेंगे। आप विराजिये। (व्यवधान)

श्री हरिकुमार औदिच्य : तो इस प्रकार से मैं निवेदन कर रहा था कि पुराना जो शिक्षा का स्वरूप है और इस स्वरूप में इस प्रकार के परिणाम ला पायेंगे। यह बात जरूर है, कई माननीय सदस्यों ने कहा है कि शिक्षा नीति के अन्दर कमियां हैं। उसमें इस प्रकार के पाठ पढ़ाये जाने चाहिए। कई इस प्रकार की बातें आयी हैं, मैं यह भी कहूंगा कि साहब अधिक नहीं हैं। आप ऐसी स्थिति विरासत में हमको छोड़ गये हैं कि आज कई स्कूलों के अन्दर अध्यापक नहीं है, मिडिल स्कूल भी ऐसे हैं....

श्री कालीचरण सराफ : स्कूल खोल दिये और अध्यापक नहीं है, कहीं।

श्री हरिकुमार औदिच्य : आज अनेकों मिडिल स्कूल ऐसे हैं, जहां पर एक मास्टर है, तो उस सारी स्थिति से निपटने के लिए और हमें यह भी शिकायत मिली कि एक स्कूल में आवश्यकता तो चार मास्टरों की है और वहां सात मास्टर हैं। यहां पर जितनी आवश्यकता है, उस आवश्यकता के हिसाब से रखकर के बाकी लोगों को अन्य स्थानों पर भेजा जा रहा है। और इसके साथ ही साथ मैं निवेदन करना चाहूंगा आपसे कि जितने भी रिक्त पद हैं, चाहे वह ग्राम पंचायत के स्कूलों के अन्तर्गत हों, चाहे वह शिक्षा विभाग के अन्तर्गत हों, इस महीने की 30 तारीख से पहले सब रिक्त पद भर दिये जायेंगे। चर्चा में एक बात और आयी थी, और मैं समझता हूं कि आलोचना ही करें तो कम से कम हम अपनी तरफ झांक करके करें। हम दूसरे का दर्द देखने से पहले, दूसरे की कमी देखने से पहले खुद की कमी देखनी चाहिये। ट्रांसफर्स के बारे में, जितना कड़ा रुख अपनाकर मैंने ट्रांसफर्स की नीति को चालू किया है, अध्यापकोंके जो संगठन थे, मैंने उनस चर्चा की, अन्य लोगों से चर्चा की, और

(श्री हरिकुमार औदिच्य)

चर्चा करने के बाद में इतनी कठोरता से मैं पालन कर रहा हूं और साहब कहते हैं कि आपने तो कोई+++लगा दिये। मै चुनौती के साथ कह सकता हूं कि यह मेरे सामने विरोध के लोग बैठे हैं कि आपके समय में 45 हजार जी. ओज. इशू हैं। एक साल में 45 हजार, 35 हजार और मैं आपसे चुनौती के साथ कहता हूं कि आज की तारीख तक अगर एक भी जी. ओ. मेरे नाम का या किसी मंत्री के नाम का, या मुख्यमन्त्री के नाम का हो तो बता दो, मैं आपको....

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : जी. ओज. के बिना ही ट्रान्सफर कर रहे हो, आप किस तरह से कर रहे हैं, जी. ओज. के बिना ही कर रहे हैं, या अन्दरूनी आपकी कोई व्यवस्था है, यह तो बता दो। किस टाइप की व्यवस्था है, यह समझा दो, आप।

श्री दिग्विजय सिंह : माननीय गहलोत साहब, चुपचाप में कैसे होते हैं ?

श्री हरिकुमार औदिच्य : करौली से आने वाले माननीय सदस्य को एक और विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगर नीति के खिलाफ किसी अधिकारी ने ट्रांसफर किया है किसी के कहने से, तो आप मेरे पास लाइये। मैं पहले उसको दण्डित करूंगा, बाद में और काम करूंगा।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : इसका मतलब, अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय यह कह रहे हैं, कि—

श्री अध्यक्ष : आप उनका मतलब क्यों कर रहे हो ? आप यहां भाष्य मत लिखो। (व्यवधान) आप बिराजिये। नो इण्टरप्शन प्लीज। बैठिये।

श्री हरिकुमार औदिच्य : जब जून और जुलाई के महीने में, सेशन शुरू होता था इस विभाग को आपने ट्रांसफर डिपार्टमेण्ट करके रख दिया था। लोग कहते थे कि यह शिक्षा विभाग तो ट्रांसफर डिपार्टमेण्ट है। जब जुलाई-जून में सेशन शुरू होता था शिक्षक लोग एम. एल. ए., सचिवालय और डाइरेक्टर के चक्कर काटा करते थे।

श्री जगत सिंह दायमा : और विपक्ष का एक भी काम नहीं किया, सारे काम अपने ही अपने करते थे। एक-एक ट्रांसफर के लिए, जो वाजिब ट्रांसफर थे, कल्ला जी के पास जाया करते थे।

श्री हरिकुमार औदिच्य : आपके ही माननीय सदस्य मुझ से आकर कहते हैं कि आप कैसे शिक्षा मंत्री हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय हरिसिंह जी, आप प्रश्न तो नहीं पूछेंगे बाद में ?

श्री हरिसिंह (महुआ) : उन्होंने, साहब, नीति सम्बन्धी बात कही है।

श्री अध्यक्ष : हां, आप बाद में पूछ लेना।

श्री हरिकुमार औदिच्य : यह जो शिक्षा नीति चालू की है शिक्षा जगत में एक साइलेण्ट रिवोल्यूशन है और लोगों ने इस बात का अहसास किया है।

+++ शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किए गए।

(श्री हरिकुमार औदिच्य)

आप अपने समय को क्यों भूल जाते हो ? साल भर तक अध्यापकों के ऊपर तलवार लटकी रहती थी कि जाने कब जी. ओ. आ जाय और मुझे यहां से भागना पड़े।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : ऐसा है, मंत्री महोदय, कि एक राजस्थानी लोकोक्ति है कि

"सदा न संग सहेलियां, सदा न राजा देश
सदा न जग में जीवणा, सदा न काला केश।"

इतने स्ट्रिक्ट आप ट्रांसफरों के मामलों में रहे तो फिर आपको नमस्कार करने वाला भी कोई नहीं मिलेगा।

श्री अध्यक्ष : इसीलिए आज की तारीख के बाद आपकी सलाह मानेंगे। (व्यवधान) बिराजिये आप। माननीय कल्ला जी, आई वोण्ट अलाउ यू, प्लीज सिट डाउन। यह कोइ बात हुई ? आप भाषण सुन नहीं रहे हैं और बीच-बीच में इण्टरप्शन कर रहे हैं। और फिर सवाल और पूछेंगे। मान लिया आप भूतपूर्व मत्री हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आपको इतना लैटीट्यूड हो गया कि जब चाहें खड़े हो जायं। आप विराजिये। नो प्लीज, डोण्ट इण्टरफियर। माननीय मंत्रीजी।

श्री हरिकुमार औदिच्य : इस थोड़े समय में और जो भी कुछ नये संकल्प हम तय कर पाये हैं शिक्षा क्षेत्र के अन्दर, उनके बारे में आपसे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आजकल हमारे देश में और प्रदेश में प्रदूषण के बारे में चर्चा चल रही है। इस समस्या का हल केवल मात्र अधिक से अधिक पेड़ लगाना है। शिक्षा जगत के विद्यार्थी और अध्यापक अगर इसके अन्दर जुट जायं तो आप समझिये, 63 लाख छात्र और दो लाख कर्मचारी इसमें जुट जाते हैं। एक बालक पांच-पांच पेड़ भी अगर लगाये तो एक वर्ष में दो करोड़ पेड़ लगेंगे। लेकिन जिस प्रकार पूर्व में आप लोग आंकड़ों पर चले, उन आंकड़ों पर मैं नहीं जाना चाहता। मैं चाहता हूं कि वास्तविक रूप में एक स्वरूप नजर आये, कार्य हो और आप लोगों को यह अहसास हो कि वास्तव में आपने कुछ सक्रियता दिखायी है, केवल भाषण और आंकड़े नहीं दिये। इस वर्ष राज्य के प्रत्येक जिले में कुछ विद्यालयों में हम यह प्रयोग करेंगे। इस सत्र में राज्य के सभी उच्च माध्यमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय तथा शहरी क्षेत्र के 30 प्राथमिक विद्यालयों ये प्रति कक्षा कम से कम एक पेड़ ललाकर 75 हजार पेड़ हम इस वर्ष उनसे लगवायेंगे। इसके अतिरिक्त प्रत्येक जिले के ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे माध्यमिक तथा सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय का चयन करेंगे जहां विद्यालय तथा सार्वजनिक भूमि उपलब्ध हो सके। ऐसे चयनित विद्यालयों में प्रत्येक छात्र व शिक्षक कम से कम पांच पेड़ लगायेगा एवं वर्षपर्यन्त उसकी देखरेख करेगा। अतः इस नयी योजना के अन्तर्गत इस वर्ष दोनों स्थानों को मिलाकर दो लाख पच्चीस हजार नये वृक्ष शिक्षा जगत के माध्यम से लगाये जायेंगे।

एक और नयी योजना हम इस वर्ष प्रारम्भ कर रहे हैं। तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य और पुराने लोग इस बात को समझते हैं कि पहले गुरु और शिष्य के

(श्री हरिकुमार औदिच्य)

किस प्रकार के सम्बन्ध थे। आज गुरु और शिष्य के बीच में बड़ी दूरी हो गयी है। गुरु भी चिन्ता नहीं करता शिष्य भी इतनी चिन्ता नहीं करता। इसलिए हमने ट्यूटोरियल पद्धति प्रारम्भ की है।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : शालाओं में तो गुरु और चेले वाली पद्धति चलती है।

श्री हरिकुमार औदिच्य : आपने खूब याद रखी बचपन की बातें आज तक।

विद्यार्थियों के साथ शिक्षक के रिश्तों को सकारात्मक दृष्टि देने के प्रयोजन से शिक्षा जगत की अति प्राचीन परम्परा को पुनर्जीवित करने के लिए इस वर्ष हम प्रयास करने जा रहे हैं। पूर्व में शिक्षक अपने छात्र के सर्वांगीण विकास के लिए चौबीसों घण्टे लगा रहता था। पिछले वर्षों यह रिश्ता धूमिल हो गया। छात्रों में संस्कार डालने, स्कूल के बाहर उसके शुद्ध आचरण तथा उसके दैनिक कार्यक्रमों में किस प्रकार की दिनचर्या रहे, इसकी बड़ी कमी रही। इस दृष्टि से हमने अपने विद्यालयों में यह व्यवस्था की है कि हर 15 या 20 चुने हुए छात्रों पर एक अध्यापक स्कूल की उसकी पढ़ाई के अन्दर ही नहीं बल्कि उसके संस्कार और उसके अन्य कार्यक्रमों पर भी वर्षपर्यन्त काम करता रहेगा। पर यह सभी जगह नहीं करेंगे, अगर सभी जगह कर लेंगे तो बड़ा वो होगा। इस वर्ष प्रत्येक जिले में पांच शिक्षा संस्थाओं में यह कार्यक्रम प्रारम्भ करने का लक्ष्य है।

श्री हीरालाल देवपुरा : चरित्र निर्माण में भी पक्षपात होगा? केवल पांच स्कूल आप चयन करेंगे और बाकी के चरित्र निर्माण की आपको कोई चिन्ता नहीं है।

श्री हरिकुमार औदिच्य : मैं आपको सारे स्कूल में अगर कह दूं और फिर यह पांच भी नहीं ...

श्री जगतसिंह दायमा : आपने तो पांच भी नहीं किया।

श्री हरिकुमार औदिच्य : यह शुभ काम कर रहे हैं, इसके बाद पांच से दस लेंगे, 15 लेंगे। यह प्रक्रिया है। यह अन्तिम नहीं है कि पांच लेकर छुट्टी कर देंगे।

श्री हीरालाल देवपुरा : आप इसको सिलेबस का ही पार्ट क्यों नहीं बनाते ताकि सभी जगह शुरू हो जाय? एक सिलेबस का ही पार्ट बनाइये न इसको, पांच स्कूल ही की क्यों चिन्ता है आपको? सिलेबस का पार्ट बनाकर कुछ पीरियड ऐसा रखिये, आधे घण्टे का समय ऐसा रखिये जब स्कूल में ऐसा हो।

श्री हरिकुमार औदिच्य : देवपुरा साहब, यह एक महीने और बीस दिन में मेरे दिमाग में आया है, चालीस बरस नहीं आया तो इसका मैं क्या करूं।

श्री हीरालाल देवपुरा : आया तो बहुत अच्छी बात है। मैं आपको बधाई देता हूं कि आपके दिमाग में आया। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि इस प्रक्रिया को सब जगह लागू कीजिए, इसको सीमित मत करिये। सीमित करने का मतलब यह होगा कि सीधा पक्षपात है, और कुछ नहीं है।

श्री हरिकुमार औदिच्य : यह आपका सुझाव बहुत अच्छा है, इस पर विचार करेंगे ।

श्री हीरालाल देवपुरा : यही तो कहता हूं कि जल्दी से जल्दी मान लो तो ठीक रहेगा ।

श्रीमती रमा पायलट : शिक्षा नीति जो आपने अपनायी है उसमें एक काम बहुत अच्छा कर दिया है फि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी । आगे बढ़ने का काम ही खत्म कर दिया कि उसी में व्यवस्था करते रहेंगे ताकि आगे आने वाले बच्चे पढ़े ही नहीं ।

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्री जी, आप बैठिये मत, आप चालू रखिये । बैठिये मत ।

श्री हरिकुमार औदिच्य : यहां पर विपक्ष में बैठने वाले सदस्य कोई और बात करें, लेकिन इस बात का समाज के प्रत्येक व्यक्ति को अहसास होगा कि हमारा शिक्षा का स्तर काफी गिरता जा रहा है। अध्यापक पर्याप्त हैं फिर भी जिस प्रकार की शिक्षा का स्तर आप चाहते हैं वह स्तर नहीं हो पाया । इसके लिए पूर्व में जिस प्रकार निरीक्षण होते थे इंस्पेक्टर के, डिप्टी इंस्पेक्टर के, डाइरेक्टर तक के, और स्टेट टाइम में तो एजुकेशन मिनिस्टर तक करते थे निरीक्षण । वही निरीक्षण के ऊपर हम विशेष रूप से जोर देंगे । इसके लिए हमने एक त्रैमासिक कार्यक्रम तय किया है । पहले तीन महीने के अन्दर इस योजना को निर्धारित करने का निर्णय लिया है । मैं माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहूंगा, चूंकि अध्यापकों के साथ एक दिक्कत और रहती है इसलिए इस सत्र के प्रथम त्रैमास में अधिकारीगण अध्यापकों के वेतन स्थिरीकरण, अवकाश, पेंशन आदि के प्रकरणों को प्राथमिकता से सम्बद्ध कार्यक्रम के अनुसार निपटायेंगे ताकि शेष अवधि में, क्योंकि उनका साल भर इसी में बीत जाता है । इसलिए टाइम बाउण्ड कर दिया कि तीन महीने के अन्दर-अन्दर अध्यापकों की इस प्रकार की समस्याओं को अगर पूरा कर लें और बाद में नियमित रूप से स्कूलों का इंस्पेक्शन कार्य करें जिसकी बाकायदा रिपोर्ट हो व एक अधिकारी दूसरे अधिकारी की मानिटरिंग करते रहेंगे ।

एक और निवेदन करना चाहता था कि करौली से आने वाले माननीय सदस्य ने खेलों को बढ़ावा देने की बात कहीं थी, प्रतिभाशाली लोगों के लिए बात कही थी । इतनी बड़ी, लम्बी-लम्बी बातें जिस प्रकार आज 40 वर्षों से होती रहीं और नतीजा कुछ नहीं निकला, वह नहीं करके हम उसको बड़े छोटे रूप में करना चाह रहे हैं । हम इस प्रकार के छात्रों के लिए शैक्षणिक भ्रमण की योजना लागू कर रहे हैं इस वर्ष से । (व्यवधान)

श्री जनार्दन सिंह गहलोत (करौली) : माननीय मन्त्री महोदय मैं समझता हूं कि प्राय: प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए टूर कराने से क्या हो जाएगा । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मन्त्रीजी बोलेंगे तो समझ में आएगा उनको बोलने दो दीजिए आप ।

श्री हरिकुमार औदिच्य (प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा मन्त्री) : आप ट्रेलर से

(श्री हरिकुमार औदिच्य)

अन्दाजा कैसे लगा रहे हैं पिक्चर तो देखो। आप तो ट्रेलर से अन्दाजा लगा रहे हैं पिक्चर तो देखें।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : हां बताइये।

श्री हरिकुमार औदिच्य : इस प्रयोजन से इस वर्ष से राजकीय दूर-दराज के छात्रों और अनुसूचित जाति के उस क्षेत्र के विद्यालयों के छात्रों के लिए शैक्षणिक भ्रमण के लिए व्यवस्था की जा रही है। दूसरा इस वर्ष स्कूली शिक्षा क्षेत्र में बोर्ड परीक्षाओं में योग्यता प्राप्त करने वालों छात्र-छात्राओं के लिए राजस्थान भ्रमण की व्यवस्था करने जा रहे हैं जिससे इन बच्चों का सम्मान किया जा सके और बच्चों को प्रोत्साहन मिल सके। (व्यवधान)

तीसरा वो आ रहा है, आपकी बात आ रही है। 3 तरह के ट्रिप रखें है। तीसरा ट्रिप जो है इसी शैक्षणिक भ्रमण के क्रम राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताओं में विजेताओं को राष्ट्रीय खेलकूद संस्थान पटियाला एवं दिल्ली का भ्रमण कराया जाएगा और हरियाणा राज्य के प्रसिद्ध स्पोर्टस स्कूल राई को देखने का भी अवसर प्रदान किया जायेगा। देखेंगे तभी तो उत्साह आएगा।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से मैंने जो प्रश्न....

श्री अध्यक्ष : अभी भी आप पूरी बात नहीं समझ रहे हैं, उनको पूरा बोलने तो दीजिए।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : मैं पूरी बात समझ गया, इसलिए तो बोल रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : वो पूरी बोलेंगे तब पूरी समझेंगे। आप अधूरी बात समझे हैं, अधूरी बोले हैं।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, मैं उनकी....

श्री अध्यक्ष : लेट हिम कम्पलीट। आप पूरी बात सुनिए।

श्री हरिकुमार औदिच्य : एक और हमने उसमें नया प्रावधान किया है। यह अन्तर्राष्ट्रीय बालिका वर्ष है और महिलाओं के बारे में रोजगार की दृष्टि से या और दृष्टि से कोई प्रकार की उनको कमी नजर आती है हमने इस अन्तर्राष्ट्रीय वर्ष में यह तय किया है कि जितनी भी विधवा और परित्यक्ता महिलाएं हैं उनको शिक्षक के पद पर लगाने के लिए हम किसी प्रकार के कोई प्रतिबन्ध न करके उनको सीधा काम देंगे। पिछले 4 महिनों में 250 आवेदन पत्र हमको इस प्रकार के प्राप्त हुए और उन 250 को रोजगार दे दिया गया और अभी तक एक भी आवेदन-पत्र पेंडिंग नहीं है। इस प्रकार की शिक्षित महिला आपके पास आवें तो उसे आप हमारे पास भिजवा दीजिए। एक बात और हमने इसमें की है ऐसी महिलाओं की नियुक्ति में प्रवेश के समय प्रशिक्षण से छूट दी है। लेकिन ऐसी महिलाओं को बी. एड. या एम. एड. करने के 3 वर्षों के अन्दर उसको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी और ऐसी महिलाओं को बी. एड. में या एस. टी. सी. में जाने के लिए किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं रहेगा जिस प्रकार प्री टेस्ट पास करने

(श्री हरिकुमार औदिच्य)

पड़ते हैं उन्हें सीधा ही दाखिला दे दिया जाएगा।

तो मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, कि ये जो कटौती प्रस्ताव आपने दिये हैं उनका आपको अलग से जवाब भी दे दिया जाएगा! आप लोगों ने इस चर्चा में भी योगदान किया हमारा मार्गदर्शन किया है, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही साथ मैं यह भी चाहूंगा कि इस जन कल्याण के पावन ...

श्री हेतराम बेनीवाल (संगरिया): मंत्री महोदय, यह तो आपने खतरनाक कर दिया। पत्नियां नौकरी के लिए छोड़कर चली जाएगी।

एक माननीय सदस्य : विडो और परित्यक्ता कहिए। आप नहीं रखेंगे। तो उन्हें कुछ करना ही पड़ेगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्री जी, आपका समाप्त हो गया।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण): ये जो घर में झगड़ा करते हैं इनकी तो ठीक नहीं, बाकी तो जाएंगी नहीं। जो घर में झगड़ा करते हैं उनको सुधर जाना चाहिए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्लीज। आर्डर प्लीज, आर्डर।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से एक-दो क्वश्चन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : जिनसे सम्बन्धित है वो ही जवाब देंगे, आप बैठिए।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : जिन मंत्री जी ने जवाब दिया उनसे क्वश्चन....

श्री अध्यक्ष : हां आप उन्हीं से पूछना।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : माननीय मंत्री महोदय का आएगा तो उनसे अलग से करना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष : हां उनसे अलग से पूछ लेना।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : तो साहब वो एक्शन और सब्जेक्ट से अलग होगा।

श्री अध्यक्ष : जिनसे सम्बन्धित सवाल होगा वो मन्त्री जवाब देंगे, आप बैठिए। आप बोलिए मन्त्री जी। (व्यवधान) आप टाइम बचाइए, आपको मौका मिलेगा। समय का ध्यान रखिए।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने अभी जवाब दिया है ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप क्यों टाइम पास कर रहे हैं? आपको मौका मिलेगा। हां माननीय मन्त्री जी। (व्यवधान) प्लीज आर्डर। आर्डर प्लीज। अब आप अपना।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (उच्च शिक्षा मन्त्री): शुरू करूं लेकिन शोर बन्द हो तब ना।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जिन सदस्यों ने उच्च शिक्षा के बारे में अपने कटौती

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

प्रस्तावों के जरिए सरकार का ध्यान इस बात की तरफ आकृष्ट किया है। यहां कुछ कमियां बताई हैं, इसके लिए तो मैं उनकी बड़ी आभारी हूं कि उन्होंने हमें बड़ा सजग और सचेष्ट किया कि हम पूर्ववर्ती सरकार की, की हुई गल्तियों को न दोहराएं और शिक्षा जगत को शैक्षणिक, अपनी उच्च शिक्षा के अन्दर शैक्षणिक स्तर को भी कायम करें, इसकी अभिवृद्धि भी करें और अच्छी शिक्षा के जरिए अच्छे नागरिक भी इस प्रदेश को मिले। यह मैं आपके मुख्य तौर से इस कटौती के प्रस्तावों के जरिए 5 बातें ध्यान में लाई गई हैं। पहला तो नए विषय या नए महाविद्यालय खोले जाने के बारे में लोगों ने अपने कटौती प्रस्ताव दिए है। दूसरा सभी यूनिवर्सिटीज में खासतौर से राजस्थान यूनिवर्सिटी में कई प्रकार की अनियमितमाएं, घोटाले, प्रश्न-पत्रों का आउट हो जाना इन सबके बारे में भी यहां कटौती के प्रस्ताव लाये गये हैं। एक प्रश्न और एक कटौती के प्रस्ताव कई लोगों के अस्थायी व्याख्याताओं के स्थायीकरण करने के बारे में भी कटौती के प्रस्ताव आये हैं। कुछ सदस्यों ने भवनों की मरम्मत और विस्तार के सम्बन्ध में भी अपने कटौती के प्रस्ताव दिये हैं और महाविद्यालयों के साथ होस्टल की अनिवार्यता के सम्बन्ध में भी कटौती के प्रस्ताव यहां प्रस्तुत किये हैं। प्राइवेट निजी महाविद्यालयों के शिक्षकों के शोषण के सम्बन्ध में भी यहां कुछ चर्चा हुई है और हिन्दी ग्रन्थ अकादमी के बारे में कई प्रकार की अनियमितताओं के सम्बन्ध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है। मैं इस सब कटौती के प्रस्तावों का जवाब दूं इससे पहले मैं थोड़ी देर के लिए आपको अतीत की पृष्ठभूमि में ले जाना चाहती हूं।

आजादी के पहले राजस्थान के निर्माण से पूर्व यहां केवल 5 पोस्ट डिग्री कॉलेज थे। जयपुर, बीकानेर, कोटा, जोधपुर और उदयपुर, भरतपुर और अलवर में डिग्री कॉलेज और बाकी इंटरमीडिएट कॉलेज थे यहां पर। कोई यूनिवर्सिटी यहां पर नहीं थी। सारे कॉलेज आगरा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध थे। 1947 में राजपूताना विश्वविद्यालय यहां पर बना और 1957 में आजादी के काफी दिनों बाद राजस्थान विश्वविद्यालय अपनी एक्जीस्टेंस में आया। लेकिन आज जो हालत है जो 6 यूनिवर्सिटी। 6 यूनिवर्सिटीज के साथ 3 डीम्ड यूनिवर्सिटीज। उसके साथ 6 स्वायत्त शासी कॉलेज और 6 स्वायत्त शासी कॉलेजेज के साथ में 57 राजकीय महाविद्यालय...... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब आपको जो कॉम्प्लीमेण्ट मिल रहे हैं, वे भी स्वीकार नहीं करेंगे, उसमें भी बोलेंगे आप। सुनते जाइए आप।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : 40 साल के बीच में गये भी हैं, आये भी है लगातार तो नहीं रहे है। तो मैं निवेदन कर रही थी कि 57 राजकीय महाविद्यालय, 50 राजकीय अनुदान प्राप्त महाविद्यालय और 38 राजकीय अप्राप्त सहायता महाविद्यालय आज के दिन चल रहे हैं। आपने बड़े गर्व के साथ कहा कि पिछली बार हमने 12 महा-

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

विद्यालयों में नये विषय खोले थे। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूं, पूछना नहीं चाहती, कहना चाहती हूं सदन से, इस बात की जानकारी देना चाहती हूं क्योंकि मुझे पूछने का अधिकार नहीं। जानकारी देना चाहती हूं कि पूर्ववर्ती सरकार ने 5 साल के अन्दर एक भी महाविद्यालय नहीं खोला है। सन् 1984 में आखरी महाविद्यालय खोला था नोहर का और इसके बाद पिछले 6 साल के अन्दर एक भी महाविद्यालय नहीं खोला गया था लेकिन हम 2 महाविद्यालय इस साल प्रारम्भ करेंगे। आपने....

श्री चन्दनमल बैद (तारानगर) : 2 खोल दिये एक साथ। 2 खोल दिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आपकी 6 साल की उपलब्धि शून्य है। हमारी एक साल की उपलब्धि 2 महाविद्यालय है।

श्री चन्दमनल बैद : माननीय मंत्री महोदया, इसी बात की तो तारीफ कर रहे हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : पूर्ववर्ती सरकार में कई लोगों ने बड़े गर्व के साथ बात कही कि पिछली बार 12 नये विषय खोले थे तो 10 नये विषय इस साल हम भी प्रारम्भ करने जा रहे हैं। सरकार 10 नये विषय प्रारम्भ करेगी। इसके साथ ही साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगी कि उर्दू विषय को प्रोत्साहन देने के लिए डिग्री में और पोस्ट ग्रेजुएट दोनों ही स्तर के ऊपर 1½ लाख रुपया छात्रवृत्ति का प्रावधान रखा गया है कि जो कोई उर्दू विषय स्नातक स्तर पर और पोस्ट ग्रेजुएट स्तर पर पढ़ना चाहेंगे उनको छात्रवृत्ति भी इस सम्बन्ध में दी जायेगी।

उच्च शिक्षा के अन्दर आज जितने भी विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं उनके लिये राजस्थान सरकार ने 50 लाख रुपये छात्रवृत्ति का प्रावधान किया है ताकि ऐसी प्रतिभाएं जो निर्धन हैं, जिन्हें अपने आर्थिक स्तर की वजह से आगे पढ़ने का मौका नहीं मिल पाता है, ऐसे लोगों को मोका देने के लिए 50 लाख रु. छात्रवृत्ति के रूप में राजस्थान सरकार मुहैया करायेगी।

मैं यह भी निवेदन करना चाहती हूं कि इस समय सम्पूर्ण राजस्थान के कालेजों के अन्दर 1,65,835 छात्र अध्ययन कर रहे हैं, इस सम्बन्ध में मुझे थोड़ा यह कहते हुए अफसोस होता है कि अनुसूचित जाति के केवल 17,835 छात्र-छात्राएं हैं जो कि प्रतिशत के हिसाब से काफी कम है। क्योंकि छात्रों की संख्या जहां पर 73 पर्सेण्ट है वहां पर छात्राओं की संख्या केवल 27 पर्सेण्ट है, यह जनरल है लेकिन अनुसूचित जाति और जनजाति के अन्दर जहां छात्रों की संख्या 94 पर्सेण्ट है वहां पर छात्राओं का केवल 4 पर्सेण्ट है और मैं समझती हूं कि इतने सालों के अन्दर हम केवल अब तक अनुसूचित जाति और जनजाति को इतने ही साक्षरता में ला सके हैं।

इसलिये मुझे इस बात की घोषणा करते हुए बड़ी प्रसन्नता होती है और मैं चाहूंगी कि आप सब लोग भी इस बात के लिए प्रसन्न होंगे कि इस बार हम दो नये

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

महाविद्यालय खोलने जा रहे हैं उनमें एक महाविद्यालय कुशलगढ़, जो वैसे भी वनवासी क्षेत्र है और शिड्यूल्ड ट्राइब्स का एरिया है, बहुत पिछड़ा हुआ है और महिला साक्षरता के दृष्टिकोण से भी....

श्री पूनमचन्द विश्नोई : इस महाविद्यालय में पहली क्लास में भर्ती कर देंगे ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : वहां सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल है।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : उनमें शिड्यूल्ड ट्राइब्स वाली कितनी पढ़ी हुयी लड़कियां हैं ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : लड़कियों का थोड़े ही कह रहे हैं, लड़के और लड़कियां दोनों का कर रहे हैं। सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल वहां पर है....

एक माननीय सदस्य : दूसरा ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : दूसरे की घोषणा नहीं करेंगे, दूसरा हम तय करेंगे, तय करने के बाद करेंगे, अभी तो....

श्री चन्दनमल बैद : माननीय मंत्री महोदया, कुछ तो माननीय अध्यक्ष जी का ख्याल कीजिये, अध्यक्ष महोदय विराजे हुये हैं।

श्री जगतसिंह दायमा : दूसरा मेरे क्षेत्र में खुल रहा है, आप तो आराम कीजिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अध्यक्ष महोदय, तो वनवासियों के बाद आते हैं, यह तो वनवासियों का सवाल है....

श्री रामप्रसाद लड्ढा (वैर) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी घोषणा करके आये थे बयाना के लोक सभा के चुनाव के समय और माननीय उपाध्यक्ष, श्री यदुनाथसिंह जी ने....और पूर्व के मुख्य मंत्रीजी ने....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : और उनके जंवाई साहब ने जनता के बीच में घोषणा की थी....

श्री अध्यक्ष : अब आप कितने मुख्य मंत्रियों की बात करेंगे ? आप बैठिये। राजस्थान के बहुत से मुख्य मंत्रियों ने बहुत सी घोषणाएं की हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इस बात की घोषणा होनी चाहिये, हमारा राज आया है और बयाना में खोला जाय।

श्री अध्यक्ष : आप बैठें। (व्यवधान) माननीय मंत्री जी।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही साथ यह भी निवेदन करना चाहूंगी कि काफी अरसे से जो हमारे विश्वविद्यालय, जिनकी मेन्टीनेन्स के लिए, एक्सटेन्शन के लिए कभी कोई प्रावधान नहीं हुआ, इन सालों से नहीं हो रहा था लेकिन इस बार ऐसे महाविद्यालयों के लिए भी और उनके एक्सटेन्शन के लिए भी और मेन्टीनेन्स के लिए भी 10 लाख रुपये की

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

राशि का प्रावधान किया गया है और 10 लाख के साथ-साथ कुछ यू. जी. सी. से भी मिलेगा। कुल 60 लाख रुपये इस बात के लिये किये जायेंगे। तो मैं समझती हूं कि काफी दिनों से इस बारे में जो पहले शिकायतें रहती थीं वह शिकायतें इस बार नहीं रहेंगी।

अब मैं कटौती प्रस्तावों के बारे में कुछ निवेदन करना चाहूंगी, एम. डी. यूनिवर्सिटी रोहतक की मान्यता के बारे में काफी यहां पर मानीनय सदस्यों चर्चा की और यह भी कहा कि करीब 3 हजार छात्र ऐसे हैं जिन्होंने एम. डी. यूनिवर्सिटी रोहतक से पत्राचार के जरिये बी. एड. की है और सड़क पर फिर रहे हैं, जिन्हें राजस्थान विश्वविद्यालय अपना एफिलियेशन नहीं दे रहा है, राजस्थान सरकार जिन्हें रिकग्नाइज्ड नहीं कर रही है। उसके सम्बन्ध में मुझे निवेदन करना है कि पत्राचार पाठ्यक्रम के जरिये बी. एड. करने के लिए टीचिंग एक्सपिरियन्स आवश्यक होता है, आज कोटा ओपन यूनिवर्सिटी के अन्दर जो पत्राचार पाठ्यक्रम चलता है उसमें भी टीचिंग एक्सपिरियन्स आवश्यक है। एम डी. यूनिवर्सिटी रोहतक नई-नई थी या तो उसे इस बात का पता नहीं था, यूनिवर्सिटी ने भी शायद आवश्यकता नहीं समझी और इसलिये ऐसे लोगों को पत्राचार के जरिये इजाजत दी जिनके पास टीचिंग एक्सपिरियन्स नहीं था। अब हमारे सामने इस बात की मुश्किल है और परेशानी है कि हम दे भी दे तो बाकी यूनिवर्सिटीज हैं वह रिकग्नाइज्ड नहीं करे, एफिलियेशन नहीं देंगी तो फिर यह मान्यता हमारे अलावा कोई देगा नहीं तो इन छात्रों का क्या होगा? लेकिन फिर भी हम इस बारे में विचार कर रहे हैं कि क्या कोई रास्ता निकल सकता है जिसके आधार पर रास्ता निकल जाय। क्योंकि जब कभी इस बारे में एम. डी. यूनिवर्सिटी रोहतक से पत्राचार किया गया तो उन्होंने इस बारे में किसी तरह का कोई भी जवाब नहीं दिया कि उनकी क्या व्यवस्था थी या छात्रों की गलती है कि उन्होंने टीचिंग एक्सपिरियन्स बताया और पत्राचार का पाठ्यक्रम कर लिया या रोहतक यूनिवर्सिटी ने ही कोई कन्डिशन नहीं रखी, जो कि आवश्यक थी और सारी यूनिवर्सिटीज में आवश्यक है।

नये महाविद्यालय के साथ होस्टल खोलने के बारे में भी कहा है और इस सम्बन्ध में खास तौर से लोहिया कालेज, चूरू के साथ जो होस्टल अटैच था, जो पहले चलता था लेकिन पिछले 3 सालों से बन्द हो गया था किसी वजह से, उसको इस बार पुनः चालू करने के बारे में, क्योंकि उसमें कुछ इस तरह की मेन्टीनेन्स करनी है, मरम्मत करनी है अतः मरम्मत होने के बाद में उसे पुनः चालू करने के बारे में इस सत्र के प्रारम्भ होने से पहले सरकार कुछ निर्णय ले लेगी और इसे पुनः चालू करने के बारे में आपको आश्वासन देती हूं। यूनिवर्सिटीज के बारे में कई बातें यहां पर कहीं गई। इस बारे में मैं इतना ही निवेदन करना चाहती हूं कि कुछ माननीय सदस्य आज इस बात को लेकर उत्तेजित थे, उद्वेलित थे कि आज फिर एक प्रश्न पत्र आउट हो गया। मैं सदन को इस बात की जानकारी देना चाहती हूं कि प्रश्न पत्र आउट नहीं हुआ, बल्कि 3 बजे से लेकर 6 बजे तक सैकिण्ड-

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

ईयर कामर्स का ए. बी. एस. टी. का पेपर था और यह ए. बी. एस. टी. का पेपर 20 जून जो आउट हो जाने की वजह से स्थगित कर दिया गया था, पेपर आउट नहीं हुआ था, पेपर थोड़ा कठिन था। इसलिए कठिन होने के कारण केवल राजस्थान कालेज के अन्दर, राजस्थान कालेज केन्द्र पर परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों ने यह कह कर शोर मचाना शुरू कर दिया कि पेपर आउट ऑफ कोर्स है, पेपर कठिन है और शीशे-वीशे तोड़ना शुरू कर दिया। इसलिए हो सकता है कि शायद पुलिस को भी बीच में इण्टरविन करना पड़ा हो, पुलिस के साथ, पुलिस हस्तक्षेप किया उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ उस बारे में मैं कुछ भी कहने में असमर्थ हूं। वह तो गृह मंत्री जी शायद इस बारे में यदि आप कहेंगे बयान देने के लिए, बाकी कोई ऐसी विशेष अप्रिय घटना नहीं हुई, ऐसी कोई विशेष बात नहीं हुई जिसके अन्दर गृह मंत्री महोदय को कोई स्टेटमेण्ट देने की आवश्यकता हो।

श्री जुबेर खां : पेपर एक कैन्सिल हुआ है या दो हुए हैं ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : एक भी कैन्सिल नहीं हुआ। कैन्सिल क्यों होता यदि कोई कठिन बताकर जगह छोड़ जाये तो....
(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्लीज। महावीर प्रसाद जी।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : भाई, मैं दे रही हूं जवाब, आप क्यों बीच में बोल रहे हैं ? यदि कोई विद्यार्थी कठिन पेपर बताकर वहां से जाते हैं तो उस पेपर को स्थगित करने की आवश्यकता नहीं होती है माननीय सदस्य। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि पेपर छोड़कर वह लोग बाहर आ गये लेकिन इस पर पुलिस ने थोड़ा बहुत हस्तक्षेप किया। इस केन्द्र के अलावा और सब जगहों पर, 10 केन्द्रों पर यह पेपर था बिल्कुल यह परीक्षा यथावत, बिना किसी व्यवधान के चली है और परीक्षा पूरी वहां पर हो गई है। पेपर छपा हुआ था, जैसा कि माननीय सदस्य कह रहे थे कि पेपर हाथ से लिखा हुआ था, हाथ से लिखा हुआ नहीं था, छपा हुआ था और इसी केन्द्र पर इस पेपर के अलावा ज्योग्राफी का सैकण्ड ईयर के कुछ छात्रों की भी परीक्षा थी उसमें व्यवधान इस कारण से हुआ ...

यह पेपर नियमित और प्राइवेट छात्रों के लिए एक था इसलिए नियमित छात्रों को तो कोई कठिनाई नहीं हुई लेकिन जो लोग नियमित नहीं थे बल्कि प्राइवेट थे उन लोगों को इस बारे में परेशानी हुई। इस प्रकार इसके बहिष्कार की कोई सूचना अन्य कालेजों से हमारे पास अभी तक आई नहीं है। इसलिए यह केवल यहीं की बात है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मैं यह भी निवेदन कर देना चाहती हूं कि अव्यवस्था के स्थायीकरण के बारे में यहां पर कई सदस्यों ने कहा कि यह बात सही है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में काफी अर्से से कुछ अस्थाई व्याख्याता यहां पर चल रहे हैं और उनकी यह मांग है पिछली बार कुछ माननीय सदस्यों ने इसके बारे में

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

हस्ताक्षर करके दिया भी था कि एक अध्यादेश के जरिये अस्थायी व्याख्याताओं को स्थाई कर दिया जाये।

श्री जुबेर खां : 132 ने दिया था।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : 132 दें चाहे 150 दें। जवाब मेरा सुनिये। इस बारे में मेरा जवाब यह है कि किसी भी अध्यादेश के जरिये किसी भी व्याख्याता को स्थाई नहीं किया जा सकता। स्थाई करने के नियम जो हैं वह हैं राजस्थान....

श्री जुबेर खां : 1978 में कैसे अध्यादेश जारी हुआ था।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : उसका भी जवाब दे दूंगी कैसे हुआ था। राजस्थान विश्वविद्यालय शिक्षक एवम् अधिकारी नियुक्ति के लिए जो चयन अधिनियम 1974 की व्यवस्था के अधीन किया जाता है। इनका स्थायीकरण और स्थाई नियुक्ति में निर्धारित प्रक्रिया से गुजरने के बाद ही स्थायीकरण हो सकता है। ऐसा नहीं है यदि 1978 में गलती हो गई तो इसका मतलब यह तो नहीं है कि वह गलती हमेशा-हमेशा ही करते चले जायें। अध्यादेश के जरिये नहीं। (व्यवधान) जैसा कि माननीय सदस्य कह रहे हैं कि अध्यादेश के जरिये स्थाई किया गया।

श्री हेतराम बेनीवाल : वह गलती थी।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अध्यादेश के जरिये नहीं किया जा सकता है। उसके लिए तो एक निर्धारित प्रक्रिया होती है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : एक प्रवर समिति की रिपोर्ट के आधार पर...........

श्री अध्यक्ष : उजला जी, प्लीज। यह आप क्या कर रही हैं। आपके मंत्री जवाब दे रहे हैं। आप ज्यादा जानती हैं क्या? बैठिये आप। लेट हर से।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैं यह नहीं कह रही जैसा कि उन्होंने कहा अध्यादेश के जरिए तो मैंने कहा है कि किसी का स्थाईकरण नहीं किया जा सकता। स्थाईकरण के लिए एक निर्धारित प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया के द्वारा ही स्थाईकरण किया जा सकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया बता दी न मैंने आपको। अधिनियम 1974 की व्यवस्था है। उसके लिए एक चयन समिति बनती है। चयन समिति के अन्दर उनकी स्क्रीनिंग होती है। स्क्रीनिंग के बाद में उनका स्थाईकरण किया जाता है, अध्यादेश के जरिए से नहीं।

श्री भंवरलाल शर्मा : 1978 में इसी तरह से हुआ था।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : हुआ होगा। उसके लिए मैं नहीं कह रही। यदि इस तरह से गलती नहीं हुई थी तो ठीक है। मैं उसे वापस ले लेती हूं। "गलती" शब्द नहीं कहती।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसके साथ ही यह भी निवेदन करना चाहती हूं

(श्रीमती सुमित्रासिंह)

कि निजी शिक्षण संस्थाओं में शिक्षकों के शोषण के बारे में भी यहां पर कुछ चर्चा की गई। कुछ लोगों ने अपने कटौति के प्रस्ताव रखे। जैसा कि आप सबको मालूम है कि यह शिक्षण संस्थाओं का विधेयक जो है यह यहां से पास होने के बाद प्रेसीडेंट साहब की असेप्ट के लिए पड़ा हुआ है और उसके आने पर ही पूर्ण तौर से इसके बारे में व्यवस्था की जा सकती है।

हिन्दी ग्रन्थ अकादमी की अनियमितताओं के बारे में यहां पर काफी चर्चा की गई और कई कटौती प्रस्तावों के जरिए सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया। इसके बारे में मुझे यही निवेदन करना है कि इसी सदन के अन्दर जब श्री हरिदेव जोशी मुख्य मंत्री थे, उस समय मुझे जहां तक ध्यान पड़ता है मानिक चन्द जी सुराना लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा था कि पहले हिन्दी ग्रन्थ अकादमी के एग्जीक्यूटिव एम. डी. या सचिव जिसे कहा जाता है। वह थे श्री पुरुषोत्तम नागर। श्री पुरुषोत्तम नागर को इससे हटा दिया गया था और उनके कई प्रकार के गड़बड़ घोटालों की सदन के अन्दर चर्चा की गई थी। जिस पर मुख्य मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि उनकी पुनः नियुक्ति नहीं की जायगी। उस समय यह बात आई थी कि ऐसा हमें विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि हिन्दी ग्रन्थ अकादमी का उन्हें पुनः सचिव बनाया जा रहा है, एम. डी. बनाया जा रहा है। उस पर मुख्य मंत्री जी ने आश्वासन दिया था। लेकिन उसके बावजूद 2-1-90 को तत्कालीन शिक्षा मंत्री जी ने पुरूषोत्तम नागर को हिन्दी ग्रन्थ अकादमी का पुनः सचिव नियुक्त कर दिया, एम. डी. नियुक्त कर दिया। और उस आदेश के अन्दर यह भी लिखा कि इनकी नियुक्ति वैध मानी जायेगी तथा पिछले पांच साल की सैलेरी इन्हें दी जाएगी। (व्यवधान)

2-1-90 को तत्कालीन शिक्षा मंत्री जी दामोदर दास आचार्य थे, आप कल्ला साहब को समझ रहे हैं। उस समय शिक्षा मंत्री बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य नहीं थे उन्होंने यह आदेश दिया और इससे उन्होंने पांच साल का घर बैठे अपना वेतन भी ले लिया और हिन्दी के ग्रन्थ अकादमी की जो गर्वनिंग कौन्सिल थी, उस अधिशाषी कौन्सिल का एक निर्णय था कि दस हजार रुपये तक के चैक जो हैं उन के ऊपर शिक्षा सचिव के प्रति हस्ताक्षर जब होंगे तब ही वह चैक बैंक में जायेंगे और तभी उन्हें भुनाया जायेगा। उन्होंने अपनी मर्जी से यह लिखा दिया कि दस हजार की बजाय इन्हें अब तीस हजार तक के चैक लेने का अधिकार होगा। बजाय शिक्षा सचिव के उन्हें अब एस. एस. भी प्रति हस्तारित कर देंगे तो भी यह चैक मान्य होगा। उस आधार पर जो रिवाल्विंग फण्ड था हिन्दी ग्रन्थ अकादमी का उसको उन्होंने तीन लाख को अपने स्वयं के खाते के अन्दर, सारी सेविंग अकाउण्ट में, हिन्दी ग्रन्थ अकादमी के सेविंग अकाउण्ट में उन्होंने ट्रांसफर करवा लिया। फिर उस तीन लाख रुपये को जो सेविंग अकाउण्ट में उन्होंने ट्रांसफर करवाया था उससे उन्होंने कई प्रकार के अपने टी. ए. का, डी. ए. का और सब इस तरह से कर कराकर काफी कुछ उन्होंने घोटाला किया।

267

श्री जगतसिंह दायमा : इसमें कमीशन तो नहीं था ना'?

श्रीमती सुमित्रासिंह : किस का कमीशन था, कौन जाने ? पूर्ववर्ती सरकार की बातें हैं। मैं क्या कह सकती हूं। तो इतना ही.... (व्यवधान)

कह सकती हूं कि आज सरकार ने आते ही उन्हें हटा दिया। इन सबकी उच्च स्तरीय जांच हो रही है। उच्च स्तरीय जांच होने के बाद अब लोकायुक्त को मामला सौंपा जाएगा क्योंकि मंत्री शामिल है। तो वह मामला तो लोकायुक्त के पास जाएगा। बाकी चीजों के ऊपर जो कुछ होगा उसके बारे में निश्चित तौर से जो उसके सम्बन्धित अधिकारी और कर्मचारी हैं उनके खिलाफ सक्त कार्यवाही की जायेगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अपने इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों से, जिन लोगों ने कटौती प्रस्ताव रखें हैं, हो सकता है मैं कुछ कटौती प्रस्ताव जो आप लोगों ने दिये थे उनके बारे में कुछ न कह पाई हों....

श्री राजेन्द्र सिंह राठौड़ : मैं कहना चाहता हूं कि विश्वविद्यालयों में अनियमितता और भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में आपने कुछ नहीं कहा।

श्री अध्यक्ष : राठौड़ जी, आप बैठिए।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अनियमितता और भ्रष्टाचार के मामले में मैं इतना ही निवेदन कर देना चाहती हूं सदन को कि विश्वविद्यालय स्वायत्तशासी हैं। उनकी स्वायत्ता को और जो हमारे अनुदान के नियम हैं उनको ध्यान में रखते हुए ही इस सम्बन्ध में कार्यवाही की जा सकती है। मैं अपने इन्हीं शब्दों के साथ माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगी कि वह अपने कटौती प्रस्ताव वापस ले लें और इस मांग को स्वीकार करें।

श्री अध्यक्ष : तकनीकी शिक्षा मंत्री जी।

डॉ. चन्द्रभान (प्रावैधिक शिक्षा मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, तकनीकी शिक्षा प्रावैधिक शिक्षा के सम्बन्ध में कुछ माननीय सदस्यों ने कटौति प्रस्ताव दिये हैं। बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने राज्य में मुख्य रूप से बीकानेर में नये इंजीनियरिंग कालेज खोलने के सम्बन्ध में कहा राज्य में पहले ही 6 इंजीनियरिंग कालेज हैं। उनमें कुल मिला कर डिग्री कोर्स में 989 छात्रों को प्रवेश दिया जाता है और पी. जी. कोर्स में 123 को। आपने 8 सौ के करीब बताया था। आपकी वह संख्या ठीक नहीं थी। 1112 है टोटल और इसी के साथ मैं माननीय सदस्यों को जानकारी देना चाहूंगा कि राज्य में 2 इंजीनियरिंग कालेज है कोटा और भीलवाड़ा का जिनका निर्माण कार्य चल रहा है और विकास का काम होना काफी शेष है और उसके लिए मुख्य मंत्री जी ने बजट के सम्बन्ध में जो चर्चा की थी उसमें स्पष्ट रूप से यह प्रावधान धन का किया गया। जितनी वार्षिक योजना में 9 करोड़ 70 लाख रुपये का प्रावधान है। उसमें से करीब आधा हिस्सा इंजीनियरिंग कालेज

(डॉ. चन्द्रभान)

के विकास के ऊपर ही खर्च हो जायेगा और तकनीकी शिक्षा के बारे में इतना जरूर कहना चाहूंगा कि राजस्थान में इसका विस्तार हुआ है। लेकिन इसे अब सुदृढ करना शेष है। तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में बजट में कहीं कोई कटौती नहीं हुई। पिछली सरकार ने 5 करोड़ 44 लाख रुपये प्लान में खर्च किया और इस सरकार ने दुगुना रखा है करीब 9 करोड़ 70 लाख जहां तक इंजीनियरिंग कालेज खोलने का सवाल है यह सरकार के विचाराधीन है। 8 वीं पंचवर्षीय योजना में वित्तीय साधनों की व्यवस्था हो जायेगी तो नये इंजीनिरिंग कालेज खोले जायेंगे लेकिन फिलहाल मैं मानता हूं कि इसे प्राथमिकता नहीं मानना चाहिए। इसकी कोई तत्काल आवश्यकता नहीं है। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि माननीय कल्ला साहब शिक्षा के मंत्री रहे हैं और उनके समय में ही पी. ई. टी. कोर्स हुआ। फिर भी इन्होंने आज सदन में यह सवाल उठाया कि फर्स्ट डिवीजन वाले लड़के है उनका एडमीशन नहीं होता है। जब पी. ई. टी. परीक्षा होने लग गयी, कम्पीटीटिव एग्जाम है फिर फर्स्ट, सैकिंड और थर्ड श्रेणी का कहां सवाल उठता है और यहां फर्स्ट डिवीजन की बात छोड़िये पूरे देश भर में इंजीनियरिंग कालेजों में फर्स्ट डिवीजन वालों का एडमीशन होता है ऐसे कालेज है लेकिन हम नहीं चाहते कि राजस्थान में इस तरह के कालेज खोलें। मैं इस सदन में सभी माननीय सदस्यों को आश्वासन देना चाहता हूं कि इंजीनियरिंग में तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान में पिछली सरकार के रहते हुये थोड़ा प्रदूषण फैला है। केपिटेशन फीस की बीमारी यहां भी चली है जो कि साऊथ के कई कालेजेज में है। इस सरकार ने यह निर्णय किया है कि राजस्थान में जिन कालेजेज में, मैं आपको नाम बताऊ पोलोटैकनिक कालेज में, एक का नाम है मुंगप्पा पोलोटेकनिक कालेज वहां के प्रिन्सिपल ने भी यह मान लिया है। वह प्राइवेट है। किसने मान्यता दी थी ? आप ही ने मान्यता दी थी। मेरा मतलब है आपकी सरकार ने। आपके शासन काल में यह मान्यता मिली है और वहां पर साढ़े पन्द्रह हजार रुपये देकर के दाखिला हुआ है पिछले साल हुआ उसके पहले हुआ और अबकी बार मैंने निर्देश दिया है कि वहां पर केपिटेशन फीस नहीं चलेगी और उस संस्था को भी स्पष्ट रूप से इस बारे में निर्देश दे दिये गये हैं। अब जो हमारा डाइरेक्टेट आफ पोलोटेकनिक एजूकेशन है उसकी जो मेरिट बनेगी उसकी मेरिट के आधार पर वहां की पिलानी की जो, पिलानी वैसे तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र से पवित्र जमीन है लेकिन कुछ लोगों ने आ करके उसे अपवित्र करने का प्रयास किया है उसे हम लोग रोकेंगे। इसी के साथ मैं कहना चाहूंगा यह भी एक क्वालिटेटिव चेंज होगा। मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जिस तरह से द्वितीय श्रेणी के छात्र उस कालेज में दाखिला पा जाते थे और प्रथम श्रेणी का गरीब छात्र रह जाते और प्रथम श्रेणी का गरीब छात्र रह जाता था वह नहीं होगा. यह सरकार ऐसा नहीं होने देगी। राजस्थान की धरती पर केपिटेशन फीस वालों का स्थान नहीं

(डॉ. चन्द्रभान)

रहेगा। इसी के साथ पिछले कई सालों से इंजीनियरिंग कालेज में लैक्चरार, रीडर और प्रोफेसर के रिक्त स्थान पड़े हैं। टेम्परेरी और परमानेन्ट की वहां लड़ाई चली आ रही है। लेकिन अबकी बार इस सरकार ने फैसला किया है कि अगस्त माह में जो सेशन शुरु होगा उससे पहले सब लोगों का बाकायदा सलेक्सन कमेटी के द्वारा चयन कर लिया जायेगा और किसी भी पद को रिक्त नहीं रहने दिया जायेगा। यह काम हो चुका है। मालवीय इंजीनियरिंग कालेज में सलेक्शन कमेटी बैठ गयी। अभी रीडर और प्रोफेसर के लिए इसी महीने में और अगस्त के महीने में इन्टरव्यू हो जायेंगे। 30 अगस्त से पहले पहले समूचे राजस्थान में इस तरह के इण्टरव्यू करा दिये जायेंगे। कोटा में अभी यह काम चल रहा है और भीलवाड़ा में यह काम हो गया। इसी के साथ मैं यह कहना चाहूंगा, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि माननीय कल्ला जी अपने भाषण में कह गये कि इंजीनियरिंग में एडमीशन की संख्या ज्यादा होनी चाहिए और हमारे देश में और प्रदेश में आवश्यकता है और फिर ब्रेन ड्रेन भी होता है। यह सरकार ब्रेन ड्रेन के पक्ष में नहीं है एक लड़के को पढाने पर मां बाप का कितना खर्चा होता है सरकार का कितना खर्चा होता है और फिर हमारे देश का ब्रेन विदेशों में जाकर ठोकर खाता रहे और विदेश को सेवा दे, देश को सेवा नहीं दे....

श्री पूनमचन्द विश्नोई : वह विदेश में काफी कमाते हैं खाते हैं आपको क्या हर्ज है उसमें इंजीनियर प्रोफेसर जाते हैं हर्जा क्या है आप देखा देखी बात कर रहे हैं ब्रेन ड्रेन हो रहा है यहां ब्रेन की कोई जरूरत ही नहीं है तो बाहर जा रहे हैं।

डॉ. चन्द्रभान : ऐसा है देखिये आपने यह बात कही यह सवाल सैद्धान्तिक है। यदि आप यह चाहते हैं कि देश का ब्रेन बाहर जाये तो अलग बात है लेकिन यह सरकार इस राय की नहीं है।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : खपा नहीं सको तो ब्रेन वाले यहां क्या करें ? यहां नौकरियां सीमित है।

डॉ. चन्द्रभान : मैं तो आपसे इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि जितने को आप खिला सके उतने ही पैदा कीजिए ना ज्यादा क्यो पैदा कर रहे हैं आप ?

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहता हूं। यहां के इंजीनियर और डाक्टर बाहर जा कर मंहगा फारेन एक्सचेंज आपके लिए लाते हैं तो क्या बुराई की बात है, क्यों नहीं लाने देते आप ? डाक्टर लाते हैं इंजीनियर लाते हैं उसके अन्दर बुराई क्या है आपको ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज आर्डर।

डॉ. चन्द्रभान : सवाल यह नहीं है कि कौन व्यक्ति कितना पैदा करके लाता है। सवाल यह है कि देश का जो व्यक्ति तकनीकी ज्ञान प्राप्त करता है उसकी जिम्मेदारी स्वयं की नहीं होती पूरे समाज और देश की जिम्मेदारी होती है। और जब हमारी वित्तीय स्थिति इतनी कमजोर है हम कोई यह नहीं कहना चाहते कि कोई

(डॉ. चन्द्रभान)

अमीर देश है। एक इंजीनियरिंग कालेज खोलें उस पर 20 करोड़ रुपया खर्च करें और उसमें अनएम्पलायमेंट प्रोडक्ट करें और उनको विदेशों में जाने दें। हम विदेशी लोगों के लिए इंजीनियर तैयार कर रहे हैं। यह पूरा सदन इसके पक्ष में नहीं होगा यह नीतिगत मामला है। दूसरी बात मैं यह कहना चहूंगा....

श्री चन्दनमल बैद : आप गलत बात कर रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि फारेन एक्सचेंज की हमको बहुत बड़ी जरूरत है। अगर हमार इंजीनियर, डाक्टर और सी. ए. विदेश जाकर फॉरेन एक्सचेंज हमारे लिये लाता है तो यह सही बात है गलत बात नहीं है।

डॉ. चन्द्रभान : इसके लिए सरकार ने नीति बनाई है आप पैट्रोल कम खर्च कीजिए उससे भी हमारा फॉरेन एक्सचेंज बचेगा।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : आपको शायद आंकड़े मालूम नहीं है। जब से पैट्रोल सण्डे को बन्द किया है। उसके बाद खपत ज्यादा हो गयी है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

डॉ. चन्द्रभान : आप थोड़े दिन इन्तजार कीजिए थोड़े दिनों बाद में परिणाम आपके सामने आयेंगे। जहां तक हमारे वित्त मंत्री जी और मुख्य मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में कहा था कि तकनीकी शिक्षा को हमें विस्तार के साथ-साथ मजबूत करना होगा, सुद्रढ करना होगा। इस सदन में हमारे प्राथमिक और उच्च शिक्षा के मंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री जी ने भी यहां पर यह बात कही ठीक ऐसा का ऐसा ही तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में भी है। आपने बहुत सारे पोलोटेकनिक कालेजे खोल दिये। मैं गिनाना चाहूं तो 16 सरकारी पोलोटेकनिक कालेज है जिनमें से 9 के लिए ही सरकारी भवन है सात के लिए कोई सरकारी भवन की व्यवस्था नहीं है। मैं आपको बताऊं जब से मैं तकनीकी शिक्षा का मंत्री बना हूं सिरोही, चित्तोड़गढ़, पाली और सवाईमाधोपुर के छात्र मेरे पास आये। सैकिंड ईयर के छात्र थे उनके लिए न कोई अध्यापकों का इन्तजाम न कोई भवन वहां पर न कोई प्रयोगशाला का इन्तजाम। हमने उनकी व्यवस्था करवाई जोधपुर, कोटा और अजमेर के पोलोटेकनिक में उनकी परीक्षा व प्रेक्टिकल के लिए यह स्थिति है। इसी के साथ में जो 55 औद्योगिक प्रशिक्षा संस्थान हैं उनमें से 24 के लिए तो सरकारी भवन है और 31 के लिए सरकारी भवन नहीं है तो इनके लिए भवन का भी इन्तजाम करना होगा, अध्यापकों का भी इन्तजाम करना होगा और इसके साथ मैं कहना चाहूंगा एपरेटस और इन्स्ट्रूमेंट्स का भी इन्तजाम करना होगा। तो मैं तो इस सदन को इतना ही विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सरकार तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र को प्राथमिकता दे रही है और जहां तक इंजीनियरिंग कालेज का सवाल है यह एक नीति गत मामला है हमारे देश में दिशा-निर्देश देने वालों का अभाव नहीं है। इंजीनियर चाहे वह डिप्लोमा वाला हो चाहे वह डिग्री वाला हो वह हाथ से काम करना पसन्द नहीं करता

(डा. चन्द्रभान)

वह इशारे से काम करना पसन्द करता है। इस देश में आज आवश्यकता है छोटे कारीगरों की। आपको अच्छा दर्जी नहीं मिल रहा होगा। आपको अपने मकान का दरवाजा ठीक करने के लिए अच्छा कार-पेन्टर नहीं मिल रहा होगा। आज के दिन ट्रेक्टर रिपेयरिंग के लिए कोई मेकेनिक नहीं मिल रहा होगा आपकी गाड़ी खराब हो जायेगी तो उसके लिए कोई अच्छा मेकेनिक नहीं मिलेगा और कहना चाहूंगा इलेक्ट्रिशियन अच्छा नहीं मिलेगा और अच्छा ड्राइवर नहीं मिलेगा। इसीलिए तो इस नई सरकार ने यह कोर्स शुरू किया है। 36 लाख रुपये का प्रावधान रखा है। पांच जगह डिविजनल हैडक्वार्टर्स हैं....

श्री अध्यक्ष : ज्यादा एक्सपर्ट हो गये आप।

डा. चन्द्रभान : वहां की आई. टी. आईज में मोटर ड्राईविंग कोर्स शुरू किया जायगा। तो इन छोटे कारीगरों को पैदा करने की ज्यादा आवश्यकता है और बहुत सारे स्थान ऐसे खाली पड़े हैं, जहां तकनीकी शिक्षक तो नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन इन टेकिनकल हैण्ड्स की आवश्यकता है, इनके ऊपर सरकार ज्यादा कन्सन्ट्रेट करेगी। इनकी संख्या को बढ़ाना बहुत जरूरी है जो लोग हाथ से काम करते हैं। सेल्फ एम्प्लायमेन्ट के क्षेत्र में भी इससे मदद मिलेगी। अन्त में मैं यही कहना चाहूंगा, दो तीन और सदस्यों ने अपने-अपने क्षेत्र में आई. टी. आई. और पोलिटेक्निक खोलने के बारे में कटोती प्रस्ताव दिये हैं, एक तो भीनमाल ने दिया है, बालोतरा ने दिया है, यह ठीक है। आठवीं पंचवर्षीय योजना में ज्यों-ज्यों वित्तीय साधनों का इन्तजाम होगा यहां पर पोलिटेक्निक और आई. टी. आई. जरूर खोले जायेंगे।

श्री अध्यक्ष : खेल मन्त्रजी। आप जिसकी प्रतीक्षा कर रहे थे वह आये हैं अब। इसीलिए मैं कह रहा था आप जल्दी मत करो। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (खेल मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मनुष्य के जीवन में जितनी शिक्षा की आवश्यकता है उतनी ही खेल की भी आवश्यकता है। शिक्षा तो कई लोगों को नहीं मिलती है लेकिन खेल सब खेलते हैं।(व्यवधान)

यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रक्रिया है।

श्री चन्दनमल बैद : यह आप चतुर्वेदी जी की तरफ देखकर क्यों कह रहे हैं ?

श्री भंवरलाल शर्मा : क्योंकि वह एक खिलाड़ी हैं। आपकी तरफ देखकर क्या करूंगा मैं।

एक माननीय सदस्य : मिगलानीजी की तरफ भी देखते तो अच्छा होता।

श्री भंवरलाल शर्मा : हां देख लेंगे, आप चिन्ता मत करिये।

श्री हरिसिंह (महुआ) : तगड़ी नहीं मार दें कहीं।

श्री भंवरलाल शर्मा : तगड़ी मारना हो तो टांग टूट गई, अब कहां है टांग।

272

श्री अध्यक्ष : मिगलानीजी की मूंछें आपसे कमजोर नहीं हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद पहला काम तो वह रोने का करता है। उसके बाद खेलने का करता है। ऐसा कोई बालक नहीं होगा, आपके बारे में (श्री चन्दनमल बैंद की ओर) तो मैं नहीं कहता हूं। जो कभी खेला नहीं होगा। और यदि बालक खेलता नहीं है तो उसके अभिभावकों को चिन्ताहोती है कि बालक को बीमारी क्या है खेलता क्यों नहीं। इसलिए खेल मनुष्य की स्वाभाविक प्रक्रिया है।

श्री पूममचन्द विश्नोई : प्रक्रिया नहीं प्रवृति है।

श्री भंवरलाल शर्मा : प्रवृति है।

श्री हरिसिंह (महुआ) : खेलते-खेलते रोने भी लग जाता है।

श्री भंवरलाल शर्मा : वह भी एक प्रवृति है। कई माननीय सदस्यों ने यह बात व्यक्त की थी कि चालीस साल में इस प्रदेश में खेल की जितनी प्रगति होनी चाहिए थी वह नहीं हुई। मैं भी आपसे सहमत हूं।

श्री चन्दनमल बैंद : उसमें तीनसाल भी शामिल है।

श्री भंवरलाल शर्मा : हां, मान लीजिये, वह तो इण्टरवेल था। (व्यवधान)

अब नहीं है इण्टरवेल, छुट्टी है अब आपकी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सबकी चिन्ता थी कि खेलों को प्रोत्साहित किया जाय और अच्छे खिलाड़ी को खोजकर बाहर निकाला जाय। मैं यह मानता हूं कि जब शहरों में ही कोई खिलाड़ी नहीं रहते, प्रतिभाएं गावों में भी रहती हैं। मेरा यह मानना है कि यदि गांव में जायेंगे तो जहां बालक स्वस्थ वायुमण्डल में रहता है, अच्छा भोजन करता है, परिश्रम करता है, वहां अगर प्रतिभाओं की खोज की जाय तो वहां भी अच्छे खिलाड़ी मिल सकते हैं। केन्द्रीय सरकार ने 270 केन्द्र राजस्थान में चला रखे थे, अनुदानित थे। वह केन्द्रीय सरकार की योजना से चल रहे थे लेकिन मार्च, 1989 में, यानि जब आपकी सरकार थी तो इन्हें बन्द कर दिया गया। इस मार्च के बाद आपने कोई कदम नहीं उठाया कि यह केन्द्र चालू होते। लेकिन इसबार सरकार ने फैसला किया है कि यह 270 केन्द्र जो बन्द किये गये हैं वह ग्रामीण क्षेत्रों में काम करते थे, उनके अभाव में ग्रामीण खेलों का विकास रुक गया था, सरकार ने यह तय किया है कि पहले वर्ष में हम 270 तो नहीं पर 150 केन्द्र फिर खोलेंगे। इससे जो आपकी चिन्ता थी, कई माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया था कि गांवों के अन्दर हमको प्रतिभाएं अधिक मिलेगी इसलिए हमारे खेल के कार्य को गांवों तक ले जाना चाहिए उस योजना में यह 150 केन्द्र इस बार प्रस्तावित किये गये हैं। साथ ही हमने यह भी तय किया हे कि पंचायत क्षेत्र में जो आज कल टूर्नामेण्ट्स होते हैं वह ज्यादातर शहरों में या ज्यादा कहें तो बड़े टाउन्स में जाते हैं, हमने यह तय किया है कि पंचायत

(श्री भंवरलाल शर्मा)

क्षेत्रवार हर वर्ष हम टूर्नामेण्ट आयोजित करेंगे जिनमें विभिन्न खेलों का कार्यक्रम रहेगा ताकि वहां गांव में रहने वाले बालकों को उसमें भाग लेने का अवसर मिले और प्रतिभायें आगे आ सके। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : वहां स्टेडियम बनेगा क्या ?

श्री अध्यक्ष : देखिये आप इण्टरप्ट मत कीजिये।

श्री भंवरलाल शर्मा : जिस मामले में आप समझते नहीं हो, वहां स्टेडियम बनेगा गांव में ? गांव में खेलने की जगह नहीं होती। आपके शहरों में तो जगह मिल जाय और गांवों में जगह नहीं मिलेगी खेलने की ? कभी गांव में आप जाइये।

एक माननीय सदस्य : गांव में ही रहते हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : रख-रखाव भी नहीं हो रहा है उनका। गांव में ही अधिकांश स्थान खेलने को मिल जायेंगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री भंवरलाल शर्मा : इसके आगे पंचायत क्षेत्र में, अभी तक हमारे केन्द्र गांव में थे अब प्रत्येक पंचायत क्षेत्र पर भी हम एक केन्द्र स्थापित करेंगे। उसमें यह व्यवस्था है कि जहां भी हमको अच्छे खिलाड़ी मिलेंगे राष्ट्रीय स्तर के होंगे, औरस्तर के होंगे उनको कोई मानदेय देकर जहां हम प्रशिक्षण केन्द्र प्रारम्भ करेंगे जिससे खिलाड़ी को भी आर्थिक लाभ मिल जायगा और वहां पर जो खेल जगत में आने वाले बालक हैं उनको भी लाभ मिलेगा।

श्री जगतसिंह दायमा : गांवों में कौनसे खेल आयेंगे।

श्री भंवरलाल शर्मा : सारे खेल जो भी संभावना होगी कर सकते हैं।

श्री जगतसिंह दायमा : कबड्डी होगी।

श्री भंवरलाल शर्मा : कबड्डी तो होगी ही होगी।

श्री जगतसिंह दायमा : बात तो यह है कि कबड्डी और कुश्ती के अलावा गांव में कुछ होता ही नहीं।

श्री भंवरलाल शर्मा : हां, कबड्डी, कुश्ती भी होगी, फुटबॉल भी होगी, बॉलीबॉल भी होगी, जो खेल खेले जा सकते हैं वह सब खेल होंगे। (व्यवधान)

श्री जगतसिंह दायमा : यही तो दुर्भाग्य है अगर गांव के लोगों के हाथ में पट्टा दे दिया तो ? (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : खेलों के विकास के लिए कुछ और भी योजनायें हमने तय की है।

श्री परसादीलाल मीणा : खेल खत्म।

श्री भंवरलाल शर्मा : आपका तो हो ही गया खेल खत्म। हमारा चालू। शहर

(श्री भंवरलाल शर्मा)

में इन खेलों के विकास के लिए कुछ संगठन बने हुए हैं। माननीय करोली से आने वाले सदस्य भी एक संघ को चलाते हैं। लेकिन संघ द्वारा कोई भी इन खेलों में प्रगति नहीं हुई। यह अनुदान तो जरूर लेते हैं। लेकिन अनुदान लेने के बाद इसका उपयोग खेल जगत के विकास के लिए नहीं कर पाते हैं। और इसीलिए आपने जो अभी कहा था कि चालीस साल में खेलों की प्रगति नहीं हुई उसमें यह भी अवरोध पैदा....

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय को यह मालूम नहीं है कि जिस संघ की बात मेरे जोड़कर कह रहे हैं वह कोई अनुदान नहीं लेता। और न अनुदान देने का आपको डाइरेक्ट अधिकार है। अभी तक ऐसी बात नहीं है जो आप कह रहे हो कि अनुदान लेते हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : मैंने यह नहीं कहा, आपको भी जानकारी है। आप तो + + + वाली बात कर रहे हो। मैंने आपका नाम ही नहीं लिया। क्यों खड़े हुए आप। मेरा कभी चार्ज नहीं है कि आपने पैसे खाये हैं।

राज्य में मान्यता प्राप्त संघों को अनुदान देने के नियम हैं। वह काफी नरम हैं। ढीले हैं। हर एक संघ जो भी रजिस्टर्ड कराता है अपने आपको अनुदान मिल जाता है। सरकार यह सोचती है कि यह ठीक नहीं है। अब अनुदान उन्हीं को मिलेगा जो विधिवत अपने चुनान करायेंगे।

श्री चन्दनमल बैद : शाखा लगाने वालों को।

श्री भंवरलाल शर्मा : शाखा लगायेंगे तो उनको भी मिल जायगा। मेरी समझ में नहीं आता आपको शाखा से क्यों पीड़ा होती है।

श्री चन्दनमल बैद : जरूर होती है।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : एक प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय....

श्री भंवरलाल शर्मा : अभी कोई प्रश्न नहीं होगा।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : मंत्री महोदय जिस तरह से आप बोल रहे हैं, जो विधिवत चुनाव करायेंगे उन्हीं को मिलेगा। आपतो यह बता दीजिये कौन सी ऐसी संस्था है जिसका कि विधिवत चुनाव नहीं है, जिसको आप अनुदान दे रहे हैं और जिसको रोक रहे हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : चार-चार साल से चुनाव नहीं हो रहे हैं।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : आप गलत बयानी मत करिये सदन में मन्त्री महोदय।

श्री भंवरलाल शर्मा : गलत बयानी का क्या सवाल है इसमें।

+ + + अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशनुसार अपलोपित की गई।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : आप नाम बताइये।

श्री भंवरलाल शर्मा : बताता हूं, बैठिये। जो संस्थायें अपना रेग्यूलर चुनाव करायेंगी, एक शर्त तो यह होगी कि अनुदान उनको दिया जायगा। दूसरी शर्त यह होगी कि अनुदान के लिये 20 प्रतिशत रुपया उसको खुद को लगाना पड़ेगा, 20 प्रतिशत खुद का लगायेंगे तब उनको अनुदान देगें। इससे मेरा यह मानना है कि जो फर्जी संस्थायें हैं या वास्तव में केवल जो अनुदान के लिये खड़ी रहती है उनपर चैक लगेगा और वह ईमानदारी से आगे आयेंगी और खेल परिषद उनकी मदद करेगा। इसमें आपको कोई नाराजगी का कारण नहीं होना चाहिये, आप भी मेरे से सहमत होंगें इस बात में। फिर प्रदेश के जो खिलाड़ी बाहर खेलने जाते हैं अनुदान उनको पूरा मिलता है लेकिन कई बार जो टूर्नामेंट होते हैं वैसे उनको लगालार पूरे मैच खेलने पड़ते हैं लेकिन वह कई बार पहला मैच हारने के बाद ही वापिस आ जाते है और पूरा वह खेलते नहीं है। इस बार हमने यह तय किया है कि जो टीम पूरा खेले बिना वापिस आयेगी उसका अनुदान हम नहीं देंगे। वह तभी देगे जब पूरा खेल कर आयेंगे....

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : आपके नियम ही इस प्रकार के बने हुए हैं कि जो टीम हार जायेगी उसको दूसरे दिन का डी. ए नहीं मिलेगा उसको रवाना होना ही पड़ेगा। क्या उसमें परिवर्तन ला रहे हैं आप ? जो टूर्नामेंट पांच दिन चलता है तो क्या वह टीम जो फर्स्ट डे वह हार गई उस टीम को आप विदा नहीं करेंगे ? पांच दिन रखेंगे। ऐसा कुछ आप कर रहे हैं तो आपको बहुत धन्यवाद।

श्री भंवरलाल शर्मा : ऐसे खिलाड़ी जो अपने पूल मेचों से नाके आऊट में प्रवेश करने से पूर्व आ जायेंगे उनको यह सुविधा नहीं मिलेगी।

श्री हीरालाल देवपुरा : अभी भी नहीं मिलती जो टीम हार जाती है उसको दूसरे दिन रवाना होना पड़ता है। हारने के बाद ठहर गये तो टी. ए. डी. ए. नहीं मिलता है....

श्री भंवरलाल शर्मा : टूर्नामेंट जब होते हैं पूल बनता है उसमें तो उसको लगातार खेलना ही पड़ता है....

श्री हीरालाल देवपुरा : जो टीम हारती है उसको रवाना होना पड़ता है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : केवल चुनावों में यह व्यवस्था है जो टीम नाक आऊंट हो जाती है वह चली जाती है।

श्री अध्यक्ष : मैं समझता हूं यह डिस्वशन के लिये नहीं है। कई स्टेजेज पर होता है कई बार अलग-अलग ग्रुप्स बनते हैं, एक से हारते हैं फिर दूसरे से लड़ते हैं उनकी टाई पड़ती है उसी संदर्भ में शायद कह रहे हैं। इसको सीधा-सीधा मत लीजिये कि हार जस्टीफाईड नहीं है, समझ की बात है।

श्री भंवर लाल शर्मा : खिलाड़ियों की बेरोजगारी मिटाने के लिये भी हमने ध्यान दिया है और यह तय किया है कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के जो खिलाड़ी होंगे उनको प्रशिक्षकों की भांति हम भर्ती कर लेंगे उनके लिये ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होगी तथा ऐसे खिलाड़ियों को मानदेय भुगतान किया जायेगा....

एक माननीय सदस्य : राजस्थान में ऐसे कितने खिलाड़ी होंगे ?

श्री भंवर लाल शर्मा : जितने भी होंगे....

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : प्रशिक्षण क्या आप देंगे या उसको प्रशिक्षक रख लेंगे ?

श्री भंवर लाल शर्मा : रख लेंगे । नियुक्ति दे देंगे। दूसरा यह है जो हमारे कोचेज हैं यह केवल शहरों में ही कोचिंग करते रहते हैं । बाहर नहीं जाते हैं । हमने यह तय किया है कि हमारे कोचेज को एक माह में अधिक से अधिक बाहर जाकर कोचिंग करना पड़ेगा शहर छोड़ कर बाहर जायेंगे और गांवों में कोचिंग करेंगे । यह हम उनके लिये व्यवस्था करेंगे ।

दूसरा खिलाड़ियों के कल्याण के लिये एक कोष बना हुआ है । अगर कोई खिलाड़ी खेलते अगर किसी प्रकार से घायल हो जाता है या कभी-कभी मृत्यु हो जाती है तो उसके लिये केवल पांच हजार रुपये तक की राशि उसकी मदद के लिये दी जाती है । अब हम इस राशि को कम मानते हैं और इसमें हम कोई न कोई वृद्धि करेंगे ।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : माननीय खेल मंत्री जी आपको खेल विभाग ने पूरी जानकारी नहीं दी । एक कमेटी बनी हुई है उसको यह अधिकार है ज्यादा भी दे सकती है ।

श्री भंवर लाल शर्मा : यह मैंने जान-बूझ कर नहीं बताया । आप कोई न कोई प्रस्ताव देंगे और मैं उसको स्वीकार करूंगा इसलिये मैंने आप पर इसको छोड़ा है।

श्री हरिसिंह (महुआ) : माननीय मुख्य मंत्री जो वित्त मंत्री भी हैं आपके पास बैठे हैं ।

श्री भंवर लाल शर्मा : यह तो मैं ही दे दूंगा । और जो हमारा यहां स्टेडियम है उस स्टेडियम के विकास के लिये हमने बहुत से अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खेल के मैदान बना रहे हैं और एक विचार यह भी है कि एक तरणताल जो स्तर का होता है वह भी यहां बनायेंगे जिससे अब तक जो कमी अनुभव कर रहे थे तैराकी की वह हमारी पूरी होगी । टेनिस का भी कोर्स यहां बन गया है और साइकिल दौड़ाने के लिये जो वैलोड्रम नहीं है इस बार बना रहे हैं ।

श्री चन्दनमल बैद : तरनलाल इसी साल बना देंगे ?

श्री भंवरलाल शर्मा : आप कितनी मदद करोगे ? आप रोज कहते हैं हम आपका सक्रिय सहयोग करेंगे, हम सरकार का सहयोग करेंगे, अब बोलो कितना करोगे ?

श्री पूनमचंद विश्नोई : शिलान्यास में और उद्घाटन में हम सब आ जायेंगे ।

श्री चन्दनमल बैद : आप कहेंगे तो तैरने भी आ जायेंगे।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इन्हीं शब्दों के साथ खेल जगत में सब प्रगति हो, खेल हमारे आगे बढ़े, हमारे प्रदेश का नाम हो उसमें आप सब की शुभकामनायें और आशीर्वाद है और मेरा ऐसा बिश्वास है कि अगर यही आपके भाव बने रहे तो निश्चित रूप से इस प्रदेश में खेल का विकास हो सकेगा इन्हीं शब्दों के साथ जो मेरी मांगें है उनको मंजूर करने का आग्रह करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि....

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने खेल मंत्री जी से सुझाव में एक बात पूछी थी, माननीय भैरोंसिंह जी शेखावत, माननीय मुख्य मंत्री जी ने इनडोर स्टेडियम का शिलान्यास बहुत पहले 1977 और 1980 के बीच में किया था। माननीय खेल मंत्री जी, मैं अध्यक्ष महोदय के माध्यम से पूछना चाहता हूं माननीय भैरोंसिंह जी शेखावत, मुख्य मंत्रीजी ने सवाई मानसिंह स्टेडियम पर इनडोर स्टेडियम का शिलान्यास का पत्थर लगाया था क्या अब वह इस साल में कुछ शुरू करेंगे आप ?

श्री भंवरलाल शर्मा : उसको शुरू कर देंगे।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : इसी साल में ? प्रोसीडिंग्स में तो आने दो आप क्या बोल रहे हो।

श्री भंवरलाल शर्मा : शुरु करेंगे. शुरु करेंगे और बनाकर छोड़ेंगे।

श्री चम्पालाल बांठिया : सीकर में स्टेडियम के लिये केन्द्र सरकार से राशि मिली थी और राज्य सरकार को अपना हिस्सा लगाना था। केन्द्र सरकार ने वह राशि मुहैय्या करवा दी तो अब क्या राज्य सरकार अपनी हिस्से की राशि मुहैय्या करवा रही है ? या करवाने का कोई प्रावधान है या नहीं है ? मंत्री महोदय से इस बारे में जवाब दिलावें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब यह सवाल आप बाद में पूछिये।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 24 शिक्षा, कला एवं संस्कृति के संबंध में 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रु. 7,78,48,75,000 (सात अरब, अठत्तर करोड़, अड़तालीस लाख, पचत्तर हजार रुपये) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

9 20 रात्रि

मांग सं. 33 का पारण

श्री कुन्दनलाल मिगलानी (समाज कल्याण मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 33 पर कुछ सुझाव, कुछ कट मोशन आये। समाज कल्याण विभाग एक ऐसा विभाग है जिसमें चाहे मंत्री हो, सरकार हो, या विभाग के अधिकारी कर्मचारी हो या जन प्रतिनिधि हो इसमें

(श्री कुन्दनलाल मिगलानी)

सभी की सेवा भावना जब बन जाती हैं तभी यह विभाग कुछ कर पाता है। साथियों ने दो-तीन बातें ही रखी हैं। कुछ तो अनुदानित संस्थाओं के लिए कि उनमें भ्रष्टाचार है अनुदान यों ही उठाया जा रहा है या राजकीय छात्रावास जिनमें अव्यवस्था है उसके लिए कहा है या कुछ भ्रष्टाचार के मुद्दे रखे हैं। मैं माननीय साथियों से आपके माध्यम से सदस्यों से यह निवेदन करूंगा कि जो अनुदानित संस्थाएं जिनमें अनुदान लेकर के छात्र नहीं है, उनके लिए, मैंने पहले भी निवेदन किया था कि हमने अब विभाग की तरफ से जांच दल 6 तैयार किये हैं जिनको इलाका बांट दिया गया है और वो जांच कर रहे हैं और वे जांच करके रिपोर्ट सदन के सामने रखेंगे जिसकी प्रतिलिपि सब सदस्यों के सामने रख दी जायेगी और उनको इस चीज का पता चल जायेगा कि क्या कार्यवाही की गई है। जिस तरह से यहां जयपुर में भी एक संस्था का इंस्पेक्शन किया गया, उसकी अनुदान राशि तुरन्त प्रभाव से उसकी कमियों को देखते हुए बन्द कर दी गई, उसी तरह से बाकी संस्थाओं का इन्सपेक्शन हो रहा है। (व्यवधान)

जो अनियमितताएं बरतेंगे पहले ही एक प्रस्ताव है वो अनियमितताएं बरतेंग उनकी अनुदान राशि जो है वह बन्द कर दी जायेगी और उन छात्रों को जो छात्रावासों में रहते हैं उनको राजकीय छात्रावास में दे दिया जायेगा। उसके बाद माननीय सदस्यों ने अध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचार के लिए कहा कि कुछ संस्थाओं में जिसमें गंगानगर जिले के माननीय हेतराम जी ने फरमाया कि कुछ संस्थाएं अनुदान ले लेती हैं मगर छात्र नहीं है। उनके लिए भी माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए अर्ज करूंगा कि 4 संस्थाओं के लिए गंगानगर की जिसमें 100 के करीब निराश्रित बालक या और छात्रावास थे वे अनुदान राशि उठाते रहे जिनमें 10 लाख का घोटाला पाया गया। उसकी भी जानकारी ली जा रही है। अधिकारी गये, वे जांच करके ले आये और उसके लिए जांच पूरी हो जाने पर तुरन्त प्रभाव से ही अविलम्ब उनको दोषी व्यक्तियों को सजा दे दी जायेगी और उनको अनुदान देना भी बन्द कर दिया गया है।

श्री हेतराम बेनीवाल (संगरिया) : उनके नाम क्या हैं संस्थाओं के।

श्री कुन्दन लाल मिगलानी : जांच हो रही है न, मैं आपको बता दूंगा। आप जानते हैं कि रोड़ा वाली जांच से तो आपने शुरू किया है, यह भी बता दिया जायेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ नये छात्रावास खोलने के लिए माननीय सदस्यों की तरफ से प्रस्ताव आए हैं, नए बजट में 27 छात्रावास खोलने का प्रावधान है और पहले 83 छात्रावास जिनका निर्माण कुछ का तो हो रहा था मगर कुछ छात्रावास भूमि उपलब्ध नहीं होने की वजह से बीच में पड़े हुए हैं। चूंकि राशि तो वह है, जहां-जहां भी भूमि उपलब्ध करवा दी जायेगी तो उन छात्रावासों को खोल दिया जायेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ माननीय सदस्यों का यह प्रस्ताव है कि छात्रावास संख्या बढ़ाई जावे मगर आज तक किसी भी छात्रावास के लिए माननीय सदस्यों की तरफ से प्रस्ताव

(श्री कुन्दन लाल मिगलानी)

नहीं आये। मगर आज कहा गया है, उसके ऊपर भी विचार करें। छात्रों की संख्या छात्रावास में रखने के लिए बढ़ाई जा सकती है अतः वहां पर छात्राएं और छात्र उपलब्ध होंगे तो।

उसके बाद माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके लिए माननीय सदस्य ने घोटाले के लिए फरमाया। जांच दल जांच करके आ गए हैं मगर आपके सामने हैं जिस तरह की हमारे अनुसूचित समाज कल्याण बोर्ड के द्वारा या महिला पोषाहार बोर्ड द्वारा 60 लाख के सामान पिछले सालों में खरीदा गया और वह कई कमरों में बन्द पड़ा रहा। जब उसको देखा गया तो वह सड़ा गला निकला। उसके लिए भी कई माननीय सदस्यों ने आग्रह किया तो उसके लिए भी इन्क्वायरी की जा रही है। जो उसके लिए दोषी पाये जायेंगे उनको ही अविलम्ब दण्डित किया जायेगा उसमें किसी किस्म की ढील नहीं दी जायेगी।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत (करौली) : भैरोंसिंह जी समाज के उत्तरदायी नहीं होंगे।

एक माननीय सदस्य : अगर पहले से ही सड़ा गला खरीदा गया होगा तो।

श्री कुन्दन लाल मिगलानी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही निवेदन कर दिया है कि यह विभाग ऐसा विभाग है जिनमें करना ही करना है, देने और लेने वाली बात तो कोई नहीं है मगर मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहूंगा कि माननीय अध्यक्ष महोदय, कि आपके द्वारा अपने माननीय सदस्यों को, कि मैंने 20 होस्टल जाकर चैक किये हैं। मैं क्षमा चाहूंगा, जहां भी हाथ डाला है, वहां गन्दगी ही गन्दगी मिली है। वहां और कुछ नहीं मिला है, उसके लिए अगर नहीं पूछें तो ही बेहतर होगा।

श्री हेतराम बेनीवाल : 6 महीने में कितने अधिकारियों को सस्पेण्ड किया गया है, किसके खिलाफ एक्शन लिया है। आप इतनी गन्दगी देखते हुए भी एक पर एक्शन नहीं ले सके। इसका मतलब सारा ही फर्जी है मामला।

श्री कुन्दन लाल मिगलानी : उसके लिए भी पूछ लीजिये।

श्री हेतराम बेनीवाल : अब भी पूरी कार्यवाही फर्जी चल रही है। कोई अधिकारी 6 महीने में सस्पेण्ड नहीं हुआ, उसके खिलाफ एक्शन नहीं हुआ और सब गन्दगी निकली।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद (झुंझनूं): माननीय हेतराम जी, 6 महीने तो आपको और हमको चुनकर आये हुए तो नहीं हुए।

श्री हेतराम बेनीवाल : 5 हो तो गये आपको, 6 हो जायेंगे। इतनी अनियमितता है सारे के सारे स्कूल खराब हो गये।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजिये। आपका अपना हो गया।

श्री कुन्दन लाल मिगलानी : मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए निवेदन करूंगा कि....

(208)

श्री अध्यक्ष : वे एक साथ ही करेंगे ।

श्री कुन्दन लाल मिगलानी : कि जयपुर में ही मैंने जाकर के गांधी नगर का इन्सपेक्शन किया । एक ही दिन में तीन को सस्पेण्ड किया । पता कर - लीजिये नहीं किया तो । उसके बाद में तीन को फिर सस्पेण्ड किया हैं । तकरीबन 8 को सस्पेण्ड किया है और बता सकता हूं कि आप मेरे से सुबह जानकारी लेना चाहें तो वह भी दे सकता हूं । माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैंने पहले भी निवेदन कर दिया है....

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : सरकार के तीन और तीन छः पकड़े गये, हो गया भ्रष्टाचार समाप्त ।

श्री कुन्दनलाल मिगलानी : तो वक्त कितना हुआ है माननीय महोदय ।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी आपसे निवेदन करूंगा, कृपया पाइन्ट वाइज कहें, एक पाइन्ट को ज्यादा टाइम मत दीजिये, पाइन्ट वाइज चलिये । (व्यवधान)

श्री कुन्दनलाल मिगलानी : उसमें मुद्दा है ही नहीं । माननीय अध्यक्ष महोदय, उसमें दूसरा मुद्दा है ही नहीं ।

श्री अध्यक्ष : नहीं है ।

श्री कुन्दनलाल मिगलानी : एक ही मुद्दा है और मैंने जो होस्टल जो नए खोल रहे हैं, ये भी बता दिया है ।

श्री अध्यक्ष : चलिये हो गया है । हो गया है आपका ।

श्री कुन्दनलाल मिगलानी : कुछ होता तो मैं कर देता ।

श्री अध्यक्ष : प्लीज, अब और कन्क्लूड कर रहे हैं ।

श्री कुन्दनलाल मिगलानी : मैं तो माननीय अध्यक्ष महोदय एक ही निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय सदस्यों की भावना को जानता हूं क्योंकि वे केवल इस विभाग से भ्रष्टाचार को मिटाना चाहते हैं, उस भावना को जानते हुए मैं आपके सहयोग की अपेक्षा करता हुआ आपसे निवेदन करूंगा कि आप जो-जो मुझे प्रस्ताव देंगे मैं आपको विश्वास दिला देता हूं और आप मुझे सहयोग देंगे तो मैं उसके ऊपर पूरी-पूरी कार्यवाही करूंगा और आपको दिखा कर रहूंगा ।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद । आप विराजिये । प्रश्न यह है कि मांग संख्या 33 सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के सम्बन्ध में । (व्यवधान) आप मंत्री जी बोल रहे हैं । माननीय मंत्री जी बोलिये । संक्षेप में बोलिये ।

श्री रामेश्वरदयाल यादव (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 33 के बारे में मेरे विभाग से संबन्धित 6 कटौती प्रस्ताव आये हैं और इस सदन के अन्दर जो चर्चा हुई उसमें पोषाहार विभाग के बारे में माननीय सदस्यों ने कोई चिन्ता जाहिर नहीं की है लेकिन मैं इस सदन को

(श्री रामेश्वरदयाल यादव)

जानकारी देना चाहता हूं कि पोषाहार विभाग में एक महत्वपूर्ण विभाग है जिसमें महिलाओं, बच्चों के पोषण के लिए, गर्भवती महिलाओं को आहार वितरण किया जाता है। इस वक्त राजस्थान के अन्दर कुल 99 प्रोजेक्ट चल रहे हैं और इन 99 प्रोजेक्ट के माध्यम से करीब 27 हजार व्यक्तियों को डायरेक्ट, इनडायरेक्ट लाभ मिलता है। आने वाले समय में 8 प्रोजेक्ट जिनकी प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है वह हम राजस्थान में प्रारम्भ करने जा रहे हैं और चार के अन्दर हमें प्रशासनिक स्वीकृति मिल चुकी है, वित्तीय स्वीकृति मिलने पर उन्हें भी चालू किया जाएगा। मैं माननीय सदस्यों को, इस सदन को यह अवगत कराना चाहूंगा कि वर्तमान के अन्दर जो आहार परचेज किया जाता था उसमें नियर अबाउट फिफ्टी पर्सेन्ट गवर्नमेंट आफ इंडिया की अण्डरटेकिंग माडर्न फूड से और बाकी जो पचास प्रतिशत आहार परचेज किया जाता था वह लोकल परचेजिंग के जरिए की जाती थी, जिसके लिए हमें काफी पुराने समय से जो शिकायतें थीं वह भी मिली हैं। (व्यवधान)

आप सुनिये। हिम्मत रखिए सुनने की आप। इस विभाग का चार्ज मुझे मिलने के बाद भी मुझे शिकायतें मिली हैं। सरकार ने यह निश्चय किया है कि जो आहार परचेज किया जाता है वह लोकल परचेजिंग से न होकर गवर्नमेंट आफ इंडिया के माडर्न फूड और गुजरात एग्रो इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन जो आहार करते हैं, हण्ड्रेड पर्सेन्ट हम दोनों अन्डरटेकिंग से परचेज करें। गुजरात एग्रो इण्डस्ट्रीज के जो सैम्पल हमने मंगाये हैं, जो नार्म्स इसमें हैं उसके अनुसार 10 ग्राम जहां प्रोटीन होना चाहिए, 300 कैलोरीज जहां एनर्जी होनी चाहिए उनकी पूर्ति गुजरात एग्रो इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन का जो आहार है उससे भी होती है और माडर्न फूड से भी हमें यह एनर्जी और प्रोटीन मिलता है।

इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहूंगा, महिलायें जिनका और कोई सहारा नहीं होता है, थोड़े वेतन के ऊपर इस विभाग में काम करती हैं। उन्होंने पिछले समय में आकर मुझे जो अपनी दर्दनाक कहानी सुनाई, मुझे बड़ा खेद हुआ कि इस विभाग की भले ही डायरेक्टर महिला हो, इस विभाग में भले ही पूर्व मंत्री महिला रही हो लेकिन उन महिलाओं की जो तकलीफ थी उनको उन्होंने नहीं पहचाना और मैंने इसे गंभीरता से लिया है। और मैं इसके अन्दर गंभीरता से लेकर निर्णय करूंगा और निश्चित तौर से जो उनके साथ इस तरह से व्यवहार होता है, उनके खिलाफ सख्ती से काम लिया जाएगा।

जहां तक लेबर एम्पलायमेंट का प्रश्न है, मैं उसमें भी दो शब्द कहना चाहूंगा : पिछली सरकार के समय में गंगानगर के अन्दर जो लेबर कोर्ट, ट्रिब्यूनल कोर्ट की जो कैम्प कोर्ट थी वह बन्द हो गई थी। अभी हमने गंगानगर के लोगों से जो ज्ञापन मिला, उनकी जो बात सुनी और गंगानगर में जो श्रमिकों की संख्या है उसको मद्दे नजर रखते हुई यह फैसला किया है कि वह कैम्प कोर्ट पुनः चालू की जायगी।

(282)

(श्री रामेश्वरदयाल यादव)

गंगानगर जिले के अन्दर ईंट भट्टों के जो मजदूर हैं, बाण्डेड लेबर की जो शिकायतें हमें मिली हैं उसमें भी मैंने जांच के आदेश दिए हैं। इसके अलावा एक जो महत्वपूर्ण इस विभाग ने काम किया है, श्रमिकों की जो मिनिमम वेजेज है, 1987 के अन्दर इस अकुशल श्रमिक को 14 रुपया मिलता था, पिछली सरकार ने 1979 में जो प्रस्तावित 17 रुपये किए थे, इस सरकार ने 22 रुपये तय किये हैं। 14 रुपये से 22 रुपये 8 रुपये प्रति श्रमिक अर्द्ध कुशल को साढ़े पन्द्रह के मुकाबले साढ़े तेइस, कुशल श्रमिक को 17 के मुकाबले 25, जो 56 प्रतिशत की बढ़ोतरी है, पिछली सरकार ने दो रुपये या तीन रुपये से ज्यादा बढ़ोतरी नहीं की और इस सरकार ने 56 प्रतिशत की वृद्धि कर एक कीर्तिमान स्थापित किया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करते हुए निवेदन करता हूं कि मांग स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या 33 सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 79,28,33,000 तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

माननीय मंत्री जी, सम्पतराम जी।

शासकीय वक्तव्य

हिन्डोली जिला बूंदी में

एक व्यक्ति की हत्या

श्री सम्पतराम (विशिष्ट योजना मंत्री) : माननीय अध्यक्ष जी, जो कुछ मैं पूरे समय में सूचना उपलब्ध कर सका वह सदन के सामने पेश कर रहा हूं। बहुत सी चीजें जो सदन के माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए उपलब्ध कराना मेरा कर्तव्य हो जाता है वह थोड़े समय में नहीं आ सकी लेकिन जो भी कुछ होगा वह जो सत्यता मुझे मिली है उसके आधार पर निवेदन करूंगा।

दिनांक 25-6-90 को श्री दुर्गालाल मीना के परिवाद पर कि उसकी नकदी व सोने चांदी के जेवर जो कुल 30-35 हजार रुपये के थे, ग्राम त्रिसोलिया में उसके घर से चोरी चले गये। एक मुकदमा 123/90 धारा 457, 380 ताजीराते हिन्द थाना हिण्डोली पर दर्ज किया गया। इस मुकदमे की तफ्तीश ए. एस. आई. श्री उदयलाल ने शुरू की। एफ. आई. आर. में किसी को नामजद नहीं किया गया था। दिनांक 7-7-90 को दो सिपाही बुधराजसिंह एवं रघुवीरसिंह उसी गांव के हिस्ट्रीशीटर रामस्वरूप जाट और रामनाथ जाट को बुलाने के लिए गये। इन सिपाहियों के साथ सर्वश्री रामस्वरूप, रामनाथ, भवाना, रामपाल व श्रीमती सुशीला ने मारपीट की। जिसके फलस्वरूप उनके चोटें आईं। डाक्टरी मुआयना करवाने पर पाया गया कि बुद्धराज के सिर पर चोटें आईं जिससे उसके सात टांके सिर में

(श्री सम्पतराम)

आये। इसके अतिरिक्त उसके शरीर के अन्य भागों में भी चोटें आई। इस पर कांस्टेबल रघुवीरसिंह ने मुकदमा नम्बर 136/90 धारा 332, 353, 147, 148, 149, 395, 307 ताजीराते हिन्द दर्ज करवाया। इस प्रकरण में अभियुक्तों को गिरफ्तार करने के लिए एक हैड कांस्टेबल एवं तीन सिपाही गये एवं रात्रि को गांव नाड़ाहेत में रुके। उसके नजदीक का गांव है। दिनांक 8-7-90 की प्रातः वह त्रिसोलिया गये और ग्रामीणों की सहायता से एक अभियुक्त रामनाथ गांव के निकट घायलावस्था में मिला। घायल रामनाथ को प्राथमिक चिकित्सा दिलवाने के लिए हिण्डोली के अस्पताल में लाया गया जहां उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु का पोस्टमार्टम करवाया गया जिसमें उसकी जांघ पर स्टेब वूण्ड्स थे। इसके अतिरिक्त उसके शरीर पर अन्य तीन चोटें एवं हाथ के जोड़ों में फ्रेक्चर भी मिले। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार उसकी मृत्यु का कारण शाक आन ए रिजल्ट आफ मल्टीपल इंजरी पाया गया। इस पर एच. सी. सज्जनसिंह द्वारा चार व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा नं. 137/90 ताजीराते हिन्द दिनांक 8-7-90 को दर्ज कराया गया। सूचना मिलने पर डी. एस. पी. और एस. डी. एम. नैनवां मौके पर पहुंचे। जिला कलक्टर और एस. पी. बूंदी भी ग्राम हिण्डोली पहुंचे और मृतक का पोस्ट मार्टम करवा कर लाश उसके भाई को सौप दी। जिसने शाम को उसका दाह संस्कार करवा दिया। ग्राम त्रिसोलिया व हिण्डोली में पूर्ण शान्ति है। वर्तमान में एस. डी. एम. नैनवां और डी. एस. पी. नैनवां हिण्डौन में ही कैम्प किये हुये हैं। उप महानिरीक्षक कोटा सूचना प्राप्त होने पर दिनांक 9-7-90 को घटना स्थल पर गये और वहां काफी देर ठहर कर ग्राम वासियों से घटना स्थल के बारे में जानकारी प्राप्त की। पुलिस द्वारा मृतक का मारपीट करने की कोई शिकायत किसी ग्राम वासी द्वारा नहीं की गई। जिला कलक्टर, बूंदी आज भी मौके पर मौजूद हैं जिला कलक्टर ने श्री सतीश कुमार अतिरिक्त जिला कलक्टर, बूंदी को अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 176 के अन्तर्गत जांच करने के निर्देश जारी कर दिये हैं। महा निदेशक पुलिस राजस्थान जयपुर ने इस सम्पूर्ण प्रकरण की जांच अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, सी. आई. डी. (सी. बी.) कोटा को सौप दी है। इसके अतिरिक्त थाना हिण्डोली से एक एच. सी. और तीन कांस्टेबल हटा कर पुलिस लाइन हाजिर कर दिये गये हैं।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती रमा पायलट।

श्रीमती रमा पायलट (हिण्डोली) : अध्यक्ष जी, क्या मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि उस व्यक्ति को जब मृत पाया गया, उसको किसने डिक्लेयर किया कि वह मरा। दूसरी बात यह पूछना चाहती हूं कि जब उसका पोस्ट मार्टम भी हुआ, डैथ डिक्लेरेशन भी हुई तो किस टाइम पर उसकी डैथ डिक्लेयर की गई? तीसरा, किस जगह पर, कॉज आफ एक्शन एक जगह हुआ और मौत किस जगह पर हुई और कौन कौन व्यक्ति मौजूद थे जब उसकी मौत हुई? चौथी बात, जब उसकी डैथ हुई तो कितनी देर के बाद में पुलिस

(श्रीमती रमा पायलट)

को उस व्यक्ति की डैड बॉडी को दिया गया ? कितनी देर तक जो गांव वाले थे उनके हाथ में यह डैड बॉडी रही और पोस्ट मार्टम किस वक्त कराया गया, यह मैं आपसे जानकारी चाहती हूं।

श्री सम्पतराम : माननीय अध्यक्ष जी, मैंने प्रारम्भ में ही निवेदन किया था जो सूचना मेरे पास आ सकी है वह मैं सदन को देना चाहूंगा जो निश्चित सूचना मेरे पास नहीं होगी उसमें, फालतू की बातों में नहीं फंसना चाहूंगा। आप जो पूछ रही हैं, उस समय जब गये थे तो मरा हुआ नहीं था। वह घायल अवस्था में था। उसको अस्पताल लाया जा रहा था तब रास्ते में उसकी डैथ हुई। अब कौन आदमी थे, क्या नाम थे, यह सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री सुरेन्द्र व्यास।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : अध्यक्ष महोदय, स्टेव बूउण्ड अगर उसके थे और कॉज आफ डैथ अगर मल्टीपल इंजरीज है शार्प वीपन से तो इसका मतलब तो यह है कि जो पुलिस इन्टेरोगेशन में जो ज्यादती करती है और एक्सिव कर जाती है उससे डैथ होती है वह तो नहीं हुई है। अगर पुलिस ने मर्डर किया है तो कोल्ड ब्लडेड मर्डर है और साफ मोटिव यह है कि पुलिस का ए. एस. आई. वहां गया और उसके साथ मार-पिटाई की। क्रिमिनल केस में मेन्सिया बहुत इम्पोर्टेंट चीज होती है। एक तरफ तो पुलिस का मेंसिया तो क्लियर है कि जब उनको मार-पिटाई की तो मुकदमा नं. 136 दर्ज किया और उसके बाद में उसको पकड़ने गये। दूसरी तरफ जो स्टेटमेंट आया है उसमें यह क्लियर नहीं है, कोई दूसरा ऐसा परिपेक्ष्य नहीं बताते, घायल अवस्था में वह मिला तो यह पकड़ने गये तब मिला ऐसा भी नहीं है कोई एफ. आई. आर. इनके पास आकर दर्ज कराई हो या रिपोर्ट करी हो। यह तो खुद अरेस्ट करने गये थे। इसलिए इसमें बहुत ज्यादा सन्देह यह पैदा होता है कि पुलिस ने उसको कस्टडी में रखा है और पुलिस ने उसका कोल्ड ब्लडेड मर्डर किया है। यह तो साफ साफ ज्यादा गम्भीर विषय हो गया अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : आपका प्रश्न तो हो गया। माननीय मंत्री जी।

श्री सम्पतराम : माननीय सदस्य तो चाहे जिस तरीके से इसको इन्टरप्रेट कर लें लेकिन यह तो साफ समझना चाहिए कि पुलिस कस्टडी का अगर पाइंट नहीं होता तो इसमें 176 की जांच करने की व्यवस्था करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वह तो आपने स्वीकार ही किया है लेकिन यह कोई कहे कि इसको मारने में पुलिस ही थी यह गलत बात है। हमारे डी. आई. जी. नमोनारायण जी वहां गये और काफी देर तक वहां ठहरे। काफी लोग इकट्ठे हो गये, उनसे उन्होंने बातचीत की है और डी. आई. जी. जब गये हैं तो दिनेश देराश्री, सरपंच, जयथल और श्रीराम दाधीच, सरपंच, रामचन्द्र का खेड़ा यह दोनों माननीय अध्यक्ष जी, कांग्रेसी हैं, मैं कांग्रेसी और गैर कांग्रेसी के प्रश्न में नहीं जाना चाहता लेकिन माननीय सदस्य चूंकि फरमा रहे हैं इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं। वह

(श्री सम्पतराम)

दोनों मौजूद थे। काफी डिटेल में उन्होंने जानकारी की है और इस जानकारी के आधार पर उन्होंने बताया है कि किसी भी व्यक्ति ने यह नहीं कहा कि इसकी मृत्यु पुलिस के मारने से हुई और जो चोटें उसके आई हैं, मेरे पास मेडिकल रिपोर्ट तो नहीं है, किसी ने नहीं कहा, मैं इतना गारण्टी से तो नहीं कह सकूंगा लेकिन फिर भी जो सूचना मुझे मिली है, आप अध्यक्ष महोदय, स्वयं ख्याल करिये कि स्टेप वाउण्ड आधा इंच, बाई आधा इंच और मिडिल लेफ्ट थाई Less related wound $1 \times \frac{3}{4}$" just above right knee, multiple groooces $3 \times \frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$

इस तरीके से उसकी इतनी चोटें हैं अगर मेडिकल रिपोर्ट मेरे पास होती तो मैं बताता। तो इतनी सारी वाउण्ड और शार्प वीपन की वाउण्ड आना, स्टेबिंग कभी पुलिस नहीं करती है तो और चीजें सब करती है लेकिन स्टेबिंग नहीं होती है और वह भी गांव में, यह असंभव है फिर भी चूंकि इसकी जांच हो रही है और मैंने प्रारम्भ में ही अर्ज कर दिया कि 176 की जांच भी हो रही है और उसमें सारे फैक्ट्स आ जाएंगे। जो भी दोषी होगा उस पर निश्चित तौर से कार्यवाही की जाएगी। यदि पुलिस का कोई भी व्यक्ति इसमें दोषी पाया गया तो सरकार उसको बिल्कुल नहीं बख्शेगी और वह 302 का या 304 का मुलजिम होगा उसे भी देखा जाएगा लेकिन यह जांच का विषय है। मैं एट रेण्डम कुछ भी चीज स्पष्टत: अर्ज करने के लिए अभी तैयार नहीं हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय देवपुरा जी।

श्री हीरालाल देवपुरा (कुम्भलगढ़) : मुझे दो तीन बातें माननीय मंत्री महोदय से पूछनी हैं पहली तो यह कि जब उसको लेने पुलिस गई और घायल अवस्था में पाया तो बिना पंचनामा बनाये उसको लेकर अस्पताल जाने की क्या जरूरत थी। जब आपको यह डाउट है कि मुलजिम घायल अवस्था में है तो पुलिस का पहला कर्तव्य तो यह होता है कि उसको गिरफ्तार करने से पहले उसका पंचनामा बनाये और उसकी सारी तस्दीक करके फिर अपने कब्जे में ले ताकि उन पर किसी प्रकार का लांछन न लगे। दूसरा, मैं यह जानना चाहूंगा कि आपने यह कहा कि जब उसकी डैथ डिक्लेयर हुई तो आपने अपने स्टेटमेंट में बताया है कि एफ. आई. आर. चार व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज की गई तो जिस वक्त उसको कस्टडी में लेकर अस्पताल ले जा रहे थे तो क्या किसी ने आपको बताया कि उसके साथ कल मारपीट हुई है और जिन 4–5 व्यक्तियों का आप बता रहे हैं और एफ. आई. आर. लॉज होना बताते हैं, क्या उन लोगों ने इसके साथ मारपीट की जिसकी वजह से ऐसी स्थिति बनी। तीसरी बात यह है कि जब आप उसको वहां से उठा कर ले गये तो कौन-कौन लोग उसके साथ अस्पताल तक पहुंचे। डी. आई. जी. आप और लोगों से मिले वह बात तो ठीक है लेकिन जब तक उसको अस्पताल में पहुंचाया गया था तब तक तो डी. आई. जी. थे नहीं वह तो बाद में आये। तो यह जो प्रिलिमिनरी कार्यवाही की गई यह पुलिस ने क्यों नहीं किया और किया तो

(श्री हीरालाल देवपुरा)

आपके स्टेटमेंट में यह बातें नहीं आई हैं। मैं चाहूंगा कि इसका आप स्पष्टीकरण कर दें तो और चीजें साफ हो जाएंगी क्योंकि प्राइमा फेसी हम एकदम तत्काल यह नहीं कहना चाहते कि उसकी मृत्यु कैसे हुई है पुलिस के द्वारा की गई या कैसे की गई है। सन्देह यह भी पैदा होता है कि सात तारीख को जब आप बता रहे हैं कि आपका ए. एस. आई. गया उसके साथ मारपीट की तो सम्भव है उस मारपीट के दौरान भी पुलिस ने कोई ऐसा एक्शन किया हो जिससे उसके चोटें आई हों या और कोई झगड़ा हुआ हो जिसकी वजह से चोटें आई हों। इन सब बातों की जानकारी किये बिना उस घायल व्यक्ति को बिना किसी जानकारी किये ले जाने की क्या आवश्यकता थी ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी। अब एक-एक का ही चलने दें। बारह बजेंगे कि नहीं ? मैं एक-एक को मौका दूंगा। आप बोलिए।

श्री सम्पतराम : अध्यक्ष महोदय, एक जो प्रश्न माननीय सदस्य ने पूछा है वह तो नॉलेज का है और पुलिस वर्किंग का है तो उसमें तो कोई भी बता सकता है, मैं भी बता सकता हूं कि घायल आदमी का पंचनामा नहीं बना करता है, मरने के बाद बना करता है यह तो एक कानूनी पाइंट है। आप इतनी डिटेल में जा रहे हो, कौन-कौन व्यक्ति वहां थे, नहीं थे, यह सारी शंकाएं मैंने अध्यक्ष महोदय, पुलिस के अधिकारियों से टेलीफोन पर सम्पर्क करने की कोशिश की लेकिन मैं इतनी लम्बी चौड़ी इन्फार्मेशन नहीं प्राप्त कर सका इसलिए मैंने आपसे अर्ज किया कि मेरे पास है जो मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा बाकी जांच का विषय है लेकिन यह बता दूं आपको कि घायल व्यक्ति के लिए पंचनामा नहीं बनाया जा सकता।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री चन्दनमल जी बैद। आप बैठिये। माननीय श्री बैद जी।

श्री चन्दनमल बैद (तारानगर) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने अभी यह बताया कि श्री नमोनारायण जी मीणा डी. आई. जी. साहब जब वहां गये तो दो सरपंचों ने उनको यह बताया कि पुलिस ने इस आदमी की मारपीट नहीं की, जब इन्होंने यह कहा कि पुलिस ने मारपीट नहीं की तो क्या उन्होंने यह नहीं बताया कि किसने इसके साथ मार-पीट की।

सुश्री पुष्पा जैन : यह कहा ही नहीं।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

श्री सम्पतराम : माननीय अध्यक्ष जी, यह इतना आसान प्रश्न नहीं है। वे हिस्ट्रीशीटर थे, गांव वालों की बहुत ही नाराजगी थी, और पुलिस ने उसको पीट दिया था। यह भी एक बैक ग्राउण्ड है, लेकिन ऐन मौके पर कोई भी आदमी माननीय सदस्य सब जानते हैं कि आसानी से गांव में यह नाम लेना बड़ा मुश्किल होता है कि फलां आदमी ने इसकी मृत्यु की है और फलां-फलां

(श्री सम्पतराम)

आदमी ने उसको मारा है, यह एक स्वाभाविक फीचर है।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री हेतराम जी। मैं सब को मौका दे रहा हूं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उस आदमी को पुलिस ने ही मारा है....।

श्री अध्यक्ष : माननीय व्यास जी आप जानते हैं कि It is not a matter of debate. You have asked a question. I will again ask you. Please wait for it. I would not allow debate.यह डिबेट नहीं है, इधर आप जवाब देंगे उधर वे जवाब देंगे। यह डिबेट नहीं है। आप बैठिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : No Sir I am not debating. I am asking only 2 questions.

श्री हेतराम बेनीवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस तरह का बयान मंत्री महोदय ने दिया है उसमें इन्होंने यह कहा कि चोरी के सिलसिले में उसको बुलाया। चोरी के सिलसिले में पकड़ने गये और उसने मुकाबला किया पुलिस का। उसके सारे परिवार ने मुकाबला किया तो चोटें लगी। एक बात सबसे बड़ी शक वाली यह है कि जिस गांव के अन्दर उसने मुकाबला किया और दो तीन पुलिस कांस्टेबल को घायल कर दिया, उस आदमी को उसके बाद मारने का जिन लोगों ने किसी वजह से मारा हो या तो वे चोरी वाले कि दूसरे गांव की चोरी की थी, उस गांव की नहीं। क्या आप मानते हैं कि उस गांव की चोरी नहीं थी। उस गांव में उसने कोई ऐसा गुनाह नहीं किया, जिससे कोई गड़बड़ी हो और....।

श्री सम्पतराम : नहीं चोरी तो उसके गांव की है,...।

श्री हेतराम बेनीवाल : नहीं चोरी और गांव की है....।

श्री सम्पतराम : नहीं त्रिसोलिया की चोरी है, हां जी, त्रिसोलिया की है।

श्री हेतराम बेनीवाल : त्रिसोलिया की चोरी थी और गये थे बीस-पच्चीस दिन बाद। बीस-पच्चीस दिन बाद इन्क्वायरी करने गये। उसके बाद मुकाबला हुआ। आप जो वह यह कह रहे हैं कि वह हिस्ट्री शीटर था इसलिए हिस्ट्री शीटर को किसी ने मार दिया। क्या पुलिस जो इन्क्वायरी करने गई है, जो अधिकारी यह इन्क्वायरी करने गये हैं, यह बता सकते हैं? या आपको नहीं बताया कि कौन लोग थे, मारने वाले ? और क्या कारण था ? इस कत्ल का सिवा इसके कोई कारण नहीं हो सकता कि जिस पुलिस को उसने मारा, पुलिस ने उसको मुकाबले में मार दिया। और इस बात को आप यह कह रहे हैं कि पब्लिक ने इसको मार दिया, कोई भीड़ ने मार दिया....।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री हेतरामजी आप रिपीट कर रहे हैं, इस प्रश्न का जवाब वे दे चुके हैं।

श्री हेतराम बेनीवाल : मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष : आप दूसरा पूछिये, इसका जवाब आ चुका है। दूसरा पूछिये आप। यह आपको पहले ही बता चुके हैं कि मारने वालों का नाम गांव वालों ने बताया नहीं है, बता चुके हैं। आप दूसरा प्रश्न करिये।

श्री हेतराम बेनीवाल : दूसरी बात यहीं, मैं आपसे यह अर्ज करूं कि एक मुझे यह सवाल पूछना है कि उसके खिलाफ एफ.आई.आर. हुई चोरी की और पुलिस के साथ मार-पीट हुई उस परिवार की। उस पुलिस के साथ मार-पीट होने के कितनी देर बाद पुलिस गई ? क्या आप बतायेंगे उसके बाद जब पुलिस गई तो उसको घायल अवस्था में पाया, पुलिस उसको अस्पपताल ले गई। यह कितनी देर में ले गई पुलिस अस्पताल ? वह मरा तो उसके जाने के कितनी देर बाद मरा ? ये तथ्य जब तक सामने नहीं आयें कि यह अस्पताल में मरा है....।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी। हो गया आपका सवाल। मैं पूछ रहा हूं I am coming to all of you. मैं आपको बारह बजे तक बिठाऊंगा, आप चिन्ता न करें

श्री सुरेन्द्र व्यास : Thank you Sir.

श्री सम्पतराम : अध्यक्षजी, माननीय बेनीवालजी ने बहुत सी शंकाएं यहां पर रखी हैं, उनकी शंकाएं सत्य हो सकती हैं लेकिन ये सब मामले तो जांच और इन्वेस्टीगेशन के हैं। यदि मैं ही आथेन्टिक तौर पर यह कह देता कि फलां आदमी ने मारा है तो मैं ही सीधा स्टेटमेन्ट दे देता। फिर जांच काहें की हो रही है ? लेकिन यह इम्प्रेशन सदन में बनाकर कोई चले कि साहब पुलिस ने उसको मार दिया और हम लोग उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, यह अध्यक्ष महोदय, बहुत गलत होगा। यह आर्गेनाइजेशन भी बड़ी जिम्मेदारी के साथ काम करता है। हरेक मुद्दे के ऊपर अननेसेसरी यह इम्प्लीकेट नहीं किया जा सकता कि जहां कहीं भी ऐसा मौका हो पुलिस ने ही मार दिया और मार भी दिया गया होगा तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जायेगा। यह इन्वेस्टीगेशन का विषय है, जानकारी लेने के बाद....।

श्री अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही कल मंगलवार, दिनांक 10 जुलाई, 1990 के मध्यान्ह पूर्व 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही रात्रि 9.56 पर मंगलवार, दिनांक 10 जुलाई, 1990 को मध्यान्ह पूर्व 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

परिशिष्ट–1

तारांकित प्रश्न संख्या–215 की सूची

मुख्य दुकान/उप दुकान का नाम एवं स्थिति

स्थान	देशी मदिरा दुकानात		विदेशी मदिरा दुकानात	
1–अलवर शहर	1. रूपवास	मुख्य दुकान	1. बस स्टेण्ड नं० 1	मुख्य दुकान
	2. लालगेट	,, ,,	2. घंटाघर नं० 2	,, ,,
	3. अखेपुरा	उप दुकान	3. भगतसिंह चौराहा नं० 3	,, ,,
	4. रेल्वे स्टेशन	,, ,,	4. रेल्वे स्टेशन नं० 4	,, ,,
	5. बस स्टेण्ड	,, ,,		
	6. दिल्ली गेट	,, ,,		
	7. दाऊदपुर	,, ,,		
	8. शिकारीबास	,, ,,		
	9. नया बास	,, ,,		
	10. मालाखेड़ा गेट	,, ,,		
2–तिजारा	1. तिजारा	मुख्य दुकान	1. तिजारा	उप दुकान
3–बानसूर	1. बानसूर	,, ,,	—	—
4–खैरथल	1. खैरथल	,, ,,	1. खैरथल	मुख्य दुकान

सार्वजनिक स्थानों से दुकानों की दूरी

क्र.सं.	नाम दुकान	किस्म दुकान	सार्वजनिक स्थल का नाम व दूरी
1.	अलवर लालगेट	देशी मदिरा	कोई सार्वजनिक स्थान समीप नहीं है
2.	दिल्ली गेट	उप दुकान	,, ,, ,,
3.	बस स्टेण्ड	,, ,,	,, ,, ,,
4.	रूपवास	मुख्य दुकान	,, ,, ,,
5.	रेल्वे स्टेशन	उप दुकान	,, ,, ,,
6.	दाऊदपुर	,, ,,	,, ,, ,,
7.	अखैपुरा	,, ,,	,, ,, ,,
8.	शिकारी का बास	,, ,,	,, ,, ,,
9.	नयाबास	,, ,,	,, ,, ,,
10.	मालाखेड़ा गेट	,, ,,	अशोका छविगृह, रोड़ के दूसरी तरफ दुकान से 150 मीटर दूरी पर है।
11.	बस स्टेण्ड, अलवर	विदेशी मदिरा	कोई सार्वजनिक स्थान समीप नहीं है।
12.	घण्टाघर	,, ,,	,, ,, ,,
13.	भगतसिंह चौराहा	,, ,,	स्कूल भवन 100 मीटर दूर मुख्य रोड के दूसरी तरफ है।
14.	रेल्वे स्टेशन, अलवर	,, ,,	कोई सार्वजनिक स्थल समीप नहीं है।
15.	तिजारा	देशी शराब	औषधालय 200 मीटर दूरी पर है।
16.	तिजारा	विदेशी मदिरा	,, ,, ,,
17.	बानसूर	देशी मदिरा	कोई सार्वजनिक स्थल समीप नहीं है।
18.	खैरथल	,, ,,	,, ,, ,,
19.	खैरथल	विदेशी मदिरा	,, ,, ,,

परिशिष्ट–2

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिए जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर

नीमकाथाना उपखण्ड में डोलोमाइट की खान

228. **श्री फूलचन्द गुर्जर** (नीमकाथाना) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नीमकाथाना उपखण्ड क्षेत्र में माँकडी रेल्वे क्रासिंग एवं नीमकाथाना खेतड़ी रोड़ पर डोलोमाइट खनिज के कितने पट्टे हैं ? पट्टेधारी का नाम, दूरी व किस्म का ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त खनन कार्य से रेल्वे लाइन एवं सड़क असुरक्षित हो गई है ? यदि हां, तो सरकार उक्त खनन कार्य से होने वाली भयंकर दुर्घटना को रोकने हेतु क्या उपाय कर रही है ?

(3) क्या यह भी सही है कि खान सुरक्षा विभाग अजमेर ने सेक्शन 22 (3) के तहत उक्त खनन कार्य बंद करवाने के आदेश कराये हैं ?

(4) क्या यह सही है कि उक्त खानों में खनन कार्य से पूर्व के वर्षों में पांच श्रमिकों की मृत्यु भी हो चुकी है ? यदि हां, तो उक्त खनन कार्य बंद नहीं करने के क्या कारण हैं और इसके लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार है ?

(5) क्या यह भी सही है कि उक्त असुरक्षित खान का पुनः 10 वर्ष के लिए नवीनीकरण किया जा रहा है ? यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है ?

उत्तर

(1) नीमकाथाना उपखण्ड क्षेत्र में मांकड़ी रेल्वे क्रासिंग एवं नीमकाथाना, खेतड़ी पर डोलोमाइट के 9 खननपट्टे स्वीकृत हैं। जिनका पूर्ण ब्यौरा परिशिष्ट "अ" में दर्शाया है जो सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) जी नहीं। पट्टाधारी नियमानुसार रेल्वे लाइन एवं सड़क के दोनों ओर 50 मीटर छोड़कर ही खनन कार्य कर सकता है तथा खनिज नियमों के तहत सुरक्षा हेतु उपाय करने के लिए बाध्य है।

(3) श्री बनवारीलाल अग्रवाल के पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा डोलोमाइट कालीडूंगरी मांकड़ी में ब्लाक नं. एक में खान सुरक्षा, अजमेर के पत्रांक आर/81/2/5339 दिनांक 14.8.80 से व आर/81/2/4550 दिनांक 1.10.85 से पिट नं. एक व दो में सैक्शन 22 (3) के तहत खनन कार्य बन्द करवाने के आदेश हैं तथा वर्तमान में कार्य बन्द है।

(4) जी हां, श्री बनवारीलाल अग्रवाल के पक्ष में स्वीकृत क्षेत्र काली डूंगरी में पिट संख्या 2 में दिनांक 10.5.80 को दुर्घटना के फलस्वरूप सात श्रमिकों की मृत्यु हो गई। वर्तमान में खनन कार्य बंद है इसलिए किसी अधिकारी की जिम्मेदारी का प्रश्न ही नहीं पैदा होता।

(5) इस खनन पट्टे का नवीनीकरण इस दुर्घटना से पूर्व शासन के आदेश क्रमांक प. 5 (47) /खान /ग्रुप–4/79 दिनांक 7-12-79 से अवधि दिनांक 11-6-79 से 20 वर्ष तक के लिए हो चुका है।

परिशिष्ट–3

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनिज अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, नीमकाथाना

नीमकाथाना उपखण्ड क्षेत्र में रेल्वे क्रोसिंग एवं नीमकाथाना खेतड़ी पर डोलोमाइट खनिज के पट्टे की सूची

क्रमांक	पट्टाधारी का नाम	दूरी	किस्म	क्षेत्र ग्राम तह०	क्षेत्रफल	अवधि	विशेष
1.	सर्व श्री मिनरल ग्राइंडिंग मिल्स प्रा. लि., नीमकाथाना	नीमकाथाना से करीब 14 कि. मी.	डोलोमाइट	माबन्डा तह० नीमकाथाना	96.55 है.	11-6-79 से 20 वर्ष	
2.	श्री बनवारीलाल अग्रवाल नि. माबन्डा	,, 9 कि. मी.	डोलोमाइट	कालीडूंगरी (मांकडी) तह० नीमकाथाना	114.38 है.	11-6-79 से 20 वर्ष	
3.	श्री नन्दलाल अग्रवाल नि. माबन्डा	,, 14 कि. मी.	डोलोमाइट	माबण्डा तह० नीमकाथाना	32.37 है.	9-11-75 से 20 वर्ष	
4.	श्री नन्दलाल अग्रवाल नि. माबन्डा	,, 9 कि. मी.	डोलोमाइट	माबन्डा (मांकडी) तह० नीमकाथाना	42.21 है.	8-4-68 से 7-4-88 तक	नवीनीकरण के लिए डी.पी. रिवीजन विचाराधीन है।
5.	सर्व श्री मोदी मिनरल ग्राइंडिंग मिल्स प्रा. लि. नीमकाथाना।	,, 20 कि. मी.	डोलामाइट	सिजोर तह० खेतड़ी	33 3125 है.	24-10-73 से 20 वर्ष	

क्र.सं.	पट्टाधारी का नाम	दूरी	किस्म	क्षेत्र ग्राम तह०	क्षेत्रफल	अवधि	विशेष
6.	सर्व श्री मोदी मिनरल ग्राइंडिंग मिल्स प्रा. लि. नीमकाथाना	नीमकाथाना से करीब ,, 10 कि. मी	डोलोमाइट	माहवा तह० नीमकाथाना	259 है.	24-10-77 से 20 वर्ष	
7.	श्री नन्दलाल अग्रवाल नि. मावन्डा	,, 32 कि. मी.	डोलोमाइट	काली पहाड़ी तह० खेतड़ी	32.37 है.	29-9-65 से 20 वर्ष	रिवीजन के विरुद्ध भारत सरकार के यहां विचाराधीन है।
8.	सर्व श्री ओरियन्टल टाल्क प्रोडक्ट्स प्रा. लि. नीमकाथाना।	,, 33 कि. मी.	कैलासाइट डोलोमाइट लाइमस्टोन	रामपुरा तह० नीमकाथाना	41.13 है.	16-2-73 से 20 वर्ष	
9.	सर्व श्री बैस्ट कैमिकल्स लाइम एण्ड लाइम स्टोन इन्ड. नीमकाथाना।	,, 16 कि मी.	कैलासाइट डोलोमाइट लाइम स्टोन	जिलो तह० नीमकाथाना	32.37 है.	26-9.75 से 20 वर्ष	

ह०

सहायक खनि. अभियन्ता
नीमकाथाना

केन्द्रीय कारागार, बीकानेर

229. श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : क्या कारागार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि केन्द्रीय कारागार, बीकानेर शहर. के बीचोंबीच आ जाने से आम नागरिकों को असुविधा का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो केन्द्रीय कारागार, बीकानेर को कब तक शहर के बीच वर्तमान स्थान से बदलकर शहर से दूर शिफ्ट कर दिया जावेगा ?

(2) क्या इस सम्बन्ध में कोई राज्य स्तरीय बैठक हुई ? यदि हां, तो क्या निर्णय लिये गये ? लिये गये निर्णयों का सारसंक्षेप सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या नगर विकास न्यास ने इस संबंध में कोई प्रस्ताव भेजा है ? यदि हां, तो प्रस्ताव का सार-संक्षेप सदन की मेज पर रखें ।

(4) अब कब तक केन्द्रीय कारागार को शहर से दूर शिफ्ट किया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां, यह सही प्रतीत होता है। वर्तमान तथा निकट भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप कारागृह भवन के निर्मित होने पर ही केन्द्रीय कारागृह बीकानेर को वर्तमान स्थान से बदलकर शहर से बाहर स्थापित किया जाना सम्भव होगा ।

(2) जी हां । बैठक में लिये गये निर्णयों का सार (परिशिष्ट "अ") सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

(3) नगर विकास न्यास द्वारा कोई भी प्रस्ताव वर्तमान जेल भवन के सम्बन्ध में कारागार विभाग को प्राप्त नहीं हुए हैं ।

(4) वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप कारागृह भवन के निर्मित होने पर ही केन्द्रीय कारागृह बीकानेर को शहर से दूर शिफ्ट किया जाना सम्भव होगा ।

दिनांक 25-5-89 को हुई राज्य स्तरीय बैठक में लिये गये निर्णयों का सार

1. केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर शहर के मध्य में स्थित है, जहां न केवल नागरिकों को असुविधा होती है बल्कि कारागृह इतना सुरक्षित नहीं है। अतः इसे वर्तमान स्थान से शहर से अलग कहीं अन्यत्र स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया ।

2. जिलाधीश, बीकानेर केन्द्रीय कारागृह हेतु शहर से 4–6 किलोमीटर की दूरी पर भूमि तलाश करें, जो जयपुर बीकानेर सड़क पर स्थित हो ।

3. भवन हेतु अपेक्षित भूमि का माप तथा निर्माण पर अनुमानित व्यय से महानिदेशक कारागार डी. एम. बीकानेर तथा तत्कालीन माननीय शिक्षा मंत्री महोदय को अवगत करायेंगे ।

शाहपुरा में स्नातकोत्तर कक्षाएं

230. श्री भैरूलाल बैरवा (शाहपुरा) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार द्वारा शाहपुरा महाविद्यालय (भीलवाड़ा) में स्नातकोत्तर कक्षाएँ खोलने के आदेश दिये गये थे ? यदि हां, तो उस आदेश के तहत क्या छात्रों का स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हुआ ? यदि हां, तो प्रवेशार्थी छात्रों का क्या हुआ ?

(2) क्या स्नातकोत्तर कक्षाऐं खोलने के आदेश को स्थगित किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) सरकार वहां पुनः स्नातकोत्तर कक्षाएं कब से चलाने का विचार कर रही है ?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार ने अपने आदेश संख्या एफ 13 (14) शिक्षा—1/82 दिनांक 4-12-82 के द्वारा शाहपुरा महाविद्यालय में एम. ए. समाज शास्त्र की कक्षा खोलने के आदेश दिये थे। किसी भी छात्र को एम. ए. समाज शास्त्र में प्रवेश नहीं दिया गया।

(2) राज्य सरकार ने अपने पत्र संख्या एफ 13 (14) शिक्षा—1/82 दिनांक 25-1-83 द्वारा एम. ए. समाजशास्त्र खोलने की स्वीकृति को निरस्त कर दिया चूंकि स्नातक एवं स्नातकोत्तर दोनों स्तरों पर एक साथ एक विषय खोलना उचित नहीं माना गया।

(3) इस वर्ष स्नातक स्तर के महाविद्यालयों को क्रमोन्नत करने का प्रस्ताव नही है।

सोजत में गंदे पानी का ठेका

231. श्री लक्ष्मीनारायण दवे (सोजत) क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नगर पालिका सोजत के गन्दे पानी का ठेका सन् 1987-88 में कितनी राशि का एक वर्ष के लिये हुआ ?

(2) क्या सन् 1988-89 व 1989-90 में नगर पालिका सोजत के गन्दे पानी का ठेका नाम मात्र की राशि बताकर दे दिया गया ? उक्त ठेके में नगर पालिका सोजत को कितनी आर्थिक हानि उठानी पड़ी ?

(3) क्या ठेका नियम विरुद्ध था ? क्या राज्य सरकार उक्त ठेके को निरस्त करने का विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या सन् 1990-91 में उक्त ठेके में भारी घपला हुआ ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच कराकर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ?

उत्तर

(1) वर्ष 1987-88 में गंदे पानी का ठेका एक वर्ष के लिए 1,71,801 रुपये का दिया गया था।

(स्वायत्त शासन मंत्री)

(2) वर्ष 88-89 एवं 89-90 में उक्त नालों का कुल ठेका क्रमश: 2,52,400 तथा 1,43,251 रुपये में दिया गया। यह राशि वर्ष 87-88 की तुलना में वर्ष 88-89 में लगभग 81,000/– अधिक रही, जबकि वर्ष 89-90 में लगभग 28,000/– कम रही।

(3) वर्ष 89-90 के ठेके के सम्बन्ध में जांच हेतु पत्रावली उप निदेशक (क्षेत्रीय) जोधपुर को भेजी गई है। जांच प्राप्त होने के उपरान्त कार्यवाही की जायेगी। ठेके की अवधि एक वर्ष की होती है जो समाप्त हो चुकी है। अतः निरस्त करना संभव नहीं है।

(4) वर्ष 90-91 में पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 13,000/– रु. नीलामी राशि कम आने के कारणों की जांच करा ली जावेगी।

मोगरा उच्च प्राथमिक शाला

(डग) की क्रमोन्नति

232. श्री बालचन्द आर्यवीर (डग) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य सरकार डग विधान सभा क्षेत्र के मोगरा उच्च प्राथमिक स्कूल को छात्रों की संख्या व भवन की समुचित व्यवस्था की दृष्टि में माध्यमिक स्कूल में इसी सत्र में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है ?

(2) यदि हां, तो कब तक क्रमोन्नत होगा ? नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) इस वित्तीय वर्ष में उच्च प्राथमिक से माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नति हेतु अभी प्रस्ताव नहीं है।

फागी क्षेत्र की नदियों पर बांध

233. श्री प्रकाशचन्द बैरवा (फागी) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बांडी मासी एवं ढूंड नदी विधान सभा क्षेत्र फागी के किन-किन क्षेत्रों से गुजरती है ? विवरण मय मानचित्र के सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त विधान सभा क्षेत्र में उक्त नदियों पर विभाग ने कोई बांध बना रखा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या भविष्य में बनाने का इरादा है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) फागी विधान सभा क्षेत्र का मानचित्र बांडी, माशी व ढूढ नदी दर्शाते हुए संलग्न हैं।

(2) इस विधान सभा क्षेत्र में इन तीन नदियों में से एक नदी बांडी पर हिंगोनिया बांध बना हुआ है और बांडी नदी की एक सहायक शाखा पर पीपला लघु सिंचाई परियोजना का कार्य प्रगति

(सिचाई मंत्री)

पर है। इन तीनों नदियों की सहायक शाखाओं पर इस विधान सभा क्षेत्र में 34 सिंचाई बांध निर्मित हैं। जिसकी सूची परिशिष्ट "अ" में संलग्न हैं। इन नदियों के फागी विधान सभा क्षेत्र के नीचे पूर्व में बने सिंचाई बांधों पर पड़ने वाले प्रतिकूल असर को मध्य नजर रखते हुए और कोई योजना इस क्षेत्र में प्रस्तावित नहीं हैं।

(नक्शा व सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

आयुर्वेद अधिकारी अलवर के विरुद्ध शिकायतें

234. **श्री ईश्वरलाल सैनी** (लक्ष्मणगढ़) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला आयुर्वेद अधिकारी अलवर के विरुद्ध वर्ष 1988-89 की तुलना में कर्मचारियों को वर्दी में घटिया कपड़े का इस्तेमाल करने वर्दी की सिलाई अलवर के स्थान पर जयपुर कराने, औषधालय में काम आने वाले सामान की खरीद में अनियमिततायें करने आदि की शिकायतें जन प्रतिनिधियों व विधायकों के माध्यम से प्राप्त हुई हैं ?

(2) यदि हां, तो उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की कई ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) प्राप्त शिकायत में अंकित तथ्यों की जांच सहायक निदेशक (मुख्यालय) से करवाई जा रही है।

शराब ठेकेदारों की गारन्टी राशि

235. **श्री किशनाराम नाई** (श्री डूंगरगढ़) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जिला चूरू में शराब के ठेकेदारों की गारन्टी राशि बकाया है ? यदि हां, तो किन-किन ठेकेदारों की एवं कितनी-कितनी बकाया है ?

(2) राज्य में किस-किस डिस्टलरी में कितनी शराब ठेकेदारों को दी जाती है तथा बाहर से लाई गई शराब की प्रक्रिया क्या है ?

उत्तर

(1) जिला चूरू के शराब के जिन-जिन ठेकेदारों में आबकारी बकाया है, उनकी सूची (परिशिष्ट "क") संलग्न है।

(2) जहां तक देशी शराब का प्रश्न है यह गंगानगर शुगर मिल द्वारा राज्य के ठेकेदारों को उनकी मांग के अनुसार उपलब्ध करायी जाती है। भारत निर्मित विदेशी मदिरा राज्य में स्थित डिस्टलरी तथा राज्य के बाहर स्थित डिस्टलरी दोनों से ठेकेदार उठा सकते हैं। कितनी भारत निर्मित विदेशी मदिरा ठेकेदार राजस्थान की डिस्टलरी से खरीदता है तथा कितनी राज्य के बाहर स्थित डिस्टलरी से खरीदता है, इस पर विभाग का कोई नियन्त्रण नहीं होता है। इसी प्रकार राज्य में स्थित डिस्टलरीज में निर्मित भारत निर्मित विदेशी मदिरा में से राज्य के ठेकेदार कितनी उठाते हैं। इस पर विभाग का कोई नियन्त्रण नहीं है। बाहर से लाई गई शराब की प्रक्रिया (परिशिष्ट 'ख') संलग्न है।

परिशिष्ट 'क'

जिला चूरू के शराब के ठेकेदारों की सूची जिनमें आबकारी राशि बकाया है।

क्र.सं.	नाम बांकीदार	नाम शराब दुकान	वर्ष	बकाया राशि
1	2	3	4	5
1.	सर्व श्री पृथ्वीराज, चाननमल टेकचन्द, करमचन्द नि. गंगानगर	चूरू दे. म. दु	51–52	8,732-00
2.	श्री दिनेशकुमार पुत्र ओमप्रकाश मलहोत्रा निवासी रतनगढ़	वि. म. दु. रतनगढ़ नं. 1	85–86	10,463-68
3.	श्री मणीराम पुत्र लक्ष्मणराम जाट निवासी गाजियासर, झुंझुनूं			
	,, ,,	वि. म. दु.	85–86	8,754-85
4.	श्री केशुमल पुत्र ताराचन्द सिन्धी	वि. म. दु. रतनगढ़ नं. 2 राजगढ़ नं. 3 सुजानगढ़ नं. 1 व सुजानगढ़ नं. 2	85–86	6,236-54
5.	श्री सुरेन्द्रकुमार पुत्र जयकरणदास अरोड़ा निवासी डबली राठान श्री गंगानगर	भा. नि. वि. म. दु.–राजगढ़, सुजानगढ़ समूह	82–83	97,493-47

1	2	3	4	5
6.	श्रीपाल पुत्र लाधुराम चौधरी, लक्ष्मीनाथ विद्यालय के पास फतेहपुर (सीकर)	भा. नि. वि. म. दु.–चूरू नं.–1,2,3 राजगढ़ नं. 2 श्री डूंगरगढ़ नं 2	85–86	5,22,430-23
7.	श्री नवाबअली पुत्र मेहमूद खां कलाल सा. वार्ड नं. 9 भानीपुरा मोहल्ला, नौहर	दे. म. दु. तारानगर	85–86	1,83,140-22
8.	सर्व श्री छगनलाल ओमप्रकाश, रोशनलाल व सुखदेवा राम	दे. म. दु. राजगढ़	86–87	2,74,155-25
9.	श्री अल्लादीन पुत्र दीदार बक्ष मुसलमान, सा. वार्ड नं. 3 अनूपगढ़	वि. म. दु. राजगढ़ नं. 1	85–86	25,119-47
			योग :–	11,36,525.71

परिशिष्ट "ख"

बाहर से लाई गई शराब की प्रक्रिया

राज्य में राज्य के बाहर के जिन विनिर्माताओं को नियम 47 (1) (ए) के अन्तर्गत थोक अनुज्ञापत्र प्रदत्त है, वह बिना आबकारी शुल्क चुकाये तथा शेष थोक अनुज्ञाधारी आबकारी शुल्क चुकाकर विदेशी मदिरा का आयात संबंधित जिला आबकारी अधिकारी द्वारा जारी आयात परमिट के आधार पर करते हैं, इस आयात परमिट के विरुद्ध निर्यातक राज्य की संबन्धित डिस्टलरी से विदेशी मदिरा निर्यात की जाते समय परिवहन पारपत्र जारी किया जाता है। जिसमें इश्यू की गई मदिरा की मात्रा आदि का पूरा विवरण होता है। आयातक जिले का जिला आबकारी अधिकारी प्राप्त मदिरा का सत्यापन कर परिवहन पारपत्र सम्बन्धित निर्यातक राज्य को लौटा देता है। बाहर से मदिरा आयात की जाने की पूरी प्रक्रिया राजस्थान आबकारी नियम, 1956 के नियम 24 से 28 पर उल्लेखित है। नियम 47 (1) (ए) के थोक अनुज्ञाधारियों द्वारा "अण्डर बाण्ड" आयात की जाने वाली प्रक्रिया में मात्र इतना अन्तर होता है कि आबकारी शुल्क आयात के बिन्दु पर जमा नहीं करवाया जाकर मदिरा अन्य थोक अनुज्ञाधारी द्वारा क्रय की जाने के बिन्दु पर जमा करवाया जाता है।

बाहर से लाई गई भारत निर्मित विदेशी मदिरा पर वर्तमान में दो रुपये प्रति एल. पी. लीटर की दर से आयात शुल्क देय होता है।

जमवारामगढ़ में लाइम स्टोन व मार्बल का अवैध खनन

236. श्री रामेश्वर प्रसाद गुर्जर (जमवारामगढ़) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि तहसील जमवारामगढ़ में लाइम स्टोन व मार्बल की खानें चलती हैं ? यदि हां, तो कितनी-कितनी ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या इन खानों में कोई अनाधिकृत खनन कार्य भी हो रहा है ? यदि हां, तो कितनी खानों में ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) 1 जनवरी, 1984 से अब तक किन-किन व्यक्तियों के नाम उक्त क्षेत्र में खानें स्वीकृत हुई हैं ?

(4) क्या यह सही है कि वन भूमि एवं चरागाह भूमि में भी खनन कार्य की स्वीकृति दी जा सकती है ? यदि नहीं, तो ग्राम सान कोटड़ा में चरागाह तथा ग्राम थली में वन भूमि में खनन कार्य कैसे चल रहे हैं और इस अवैध खनन के लिये कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं ?

उत्तर

(1) जी हां। चालू खनन पट्टों की सूची परिशिष्ट 'क' व 'ख' पर है जिसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जिन खनन क्षेत्रों में अनाधिकृत खनन की जानकारी हैं, उनकी सूची परिशिष्ट 'ग' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) 1 जनवरी, 1984 से अब तक तहसील जमवारामगढ़ में स्वीकृत किये गये खनन पट्टों की सूची परिशिष्ट 'घ' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) चारागाह भूमि में खनन पट्टों के आवंटन हेतु नियमों में प्रतिबन्ध नहीं हैं। वन भूमि में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अनुसार नये खनन पट्टे बिना भारत सरकार की अनुमति के स्वीकृत नहीं किये जा सकते। विभागीय रिकार्ड के अनुसार ग्राम थली में वन भूमि में कोई खनन पट्टा चालू नहीं है, न ही वहां की वन भूमि में अवैध खनन की जानकारी विभाग को है। इसलिये किसी अधिकारी के दोषी होने का प्रश्न नहीं उठता।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

बाड़मेर-जैसलमेर जिले के ग्रामों में विद्युतीकरण

237. श्री अमीन खां (शिव) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) चालू वित्तीय वर्ष में बाड़मेर जैसलमेर जिलों के कितने ग्रामों का विद्युतीकरण करने का लक्ष्य है ? पंचायत समितिवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि बाड़मेर पंचायत समिति के ग्राम गांगरिया का पार

(श्री ग्रमीन खां)

में विद्युत कनेक्शन के लिए जलदाय विभाग ने ग्रावेदन किया है ? यदि हां, तो कब व कितनी राशि जमा कराई है ? उक्त ग्राम में कब तक विद्युत् कनेक्शन दिया जायगा ?

उत्तर

(1) चालू वित्तीय वर्ष (1990-91) में ग्रामों के विद्युतिकरण का लक्ष्य पंचायत समितिवार ग्रावंटन करने की प्रक्रिया जारी है। अतः ग्रभी इस सम्बन्ध में कुछ कहना संभव नहीं है।

(2) जी हां। बाड़मेर पंचायत समिति के ग्राम गांगरिया के पार में जलदाय विभाग द्वारा 10 ग्रश्व शक्ति (हा. पा.) का एक कनेक्शन लेने हेतु ग्रावेदन किया गया था। जलदाय विभाग द्वारा 2,15,570 रु. दिनांक 6.4.1985 को जमा कराये गये थे जिसका कार्य पूर्ण कर वास्तविक तकमीना के ग्रनुसार देय राशि 2,08,533 रुपये का मांग पत्र दिनांक 21.3.1987 को जारी किया गया, जिसका भुगतान जलदाय विभाग द्वारा नहीं किया गया। ग्रतः मार्च, 1990 तक जलदाय विभाग ने कनेक्शन नहीं लिया। जलदाय विभाग ने पुनः दिनांक 18.4.90 को उपरोक्त कनेक्शन हेतु ग्रावेदन किया है जिसका मांग पत्र दिनांक 24.6.1990 को जारी कर दिया। इसकी राशि जमा होने एवं ग्रन्य ग्रौपचारिकताग्रों की पूर्ति होने के पश्चात् कनेक्शन देने की कार्यवाही की जावेगी।

शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में जल वितरण

238. श्री दिलसुखराय चौधरी (फतेहपुर) : क्या जन स्वास्थ्य ग्रभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वर्तमान में पेयजल योजनाग्रों में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के बीच प्रति गैलन पानी उपभोग में ग्रसमानता है ? यदि हां, तो क्या सरकार ग्रामीणों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए उक्त ग्रसमानता को समाप्त करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि ग्रामों में व्यक्ति एवं पशुधन दोनों के लिए पानी ग्रत्यावश्यक है ? यदि हां, तो सरकार भविष्य में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ग्रादमी एवं पशु दोनों को सम्मिलित करके योजना बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। केन्द्रीय जन स्वास्थ्य ग्रभियांत्रिकी एवं पर्यावरण संस्थान भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों के ग्रनुसार ग्रामीण व नगरीय क्षेत्रों हेतु प्रतिव्यक्ति प्रति दिन उपभोग का निर्धारण ग्रलग-ग्रलग मात्रा में किया गया है। मात्रा का निर्धारण प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन मांग के ग्रनुरूप है तथा इस ग्रसमानता को समाप्त करने की ग्रावश्यकता नहीं है।

(2) जी हां। ग्यारह मरुस्थलीय जिलों में पशुधन हेतु पेयजल मांग को योजनाग्रों में सम्मिलित किया गया है।

जैसलमेर जिले में निगम की अतिरिक्त बसें

239. श्री जितेन्द्र सिंह (जैसलमेर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या जैसलमेर जिले में राज्य परिवहन की अधिक बसें चलाने की कोई योजना है ? यदि हां, तो कब तक ?

(2) क्या उक्त जिले में प्राइवेट बसों को चलाने का नियमित रूप से नियमानुसार परमिट दिया गया है ? यदि हां, तो कब से कब तक ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी हाँ, यह सही है कि उक्त जिले में प्राइवेट बसों को चलाने के नियमित रूप से नियमानुसार परमिट दिये गये हैं। जैसलमेर में वर्तमान में 18 मार्गों पर निजी वाहनों को 49 परमिट दिए हुए हैं। सूची परिशिष्ट 'ए' में अंकित है।

परिशिष्ट–ए

क्र. सं.	मार्ग का नाम	वाहन संख्या	मॉडल	बैठक क्षमता	परमिट जारी की अवधि	परमिट की अवधि
1	2	3	4	5	6	7
1.	जैसलमेर–रामगढ़ सम	आर. जे. एम. 570	62	25	1-1-53	30-6-92
		आर. जे. आई. 933	71	52	,,	,,
		आर. जे. एम. 908	68	32	27-9-60	25-9-93
		आर. जे. एम. 555	64	33	15-10-62	13-10-93
		आर. जे. एम. 1680	80	45	2-1-88	1-1-93
		आर. जे. क्यू. 7015	82	35	15-1-88	14-1-93
		आर. जे. एम. 1799	80	37	27-4-88	24-4-92
2.	जैसलमेर–नेड़ाई	आ. जे. एम. 567	61	37	19-4-58	14-4-92
		आर. जे. एम. 566	62	38	26-4-71	25-4-92
		आर. जे. एम. 701	65	37	1-5-76	30-4-92
3.	जैसलमेर–निम्बला	आर. जे. सी. 733	59	30	30-1-68	31-1-92
		आर. एन. क्यू. 7703	81	36	27-9-89	26-9-94
		आर. जे. एन. 807	67	36	13-1-79	6-5-94

1	2	3	4	5	6	7
4.	जैसलमेर—चेलक	आर. एम. एम. 7071	77	42	20-1-88	19-1-93
		आर. जे. एम. 799	78	36	5-7-79	4-7-94
5.	पोखरन—बोनाड़ा	आर. एन. एस. 6937	79	46	6-7-89	5-7-94
		आर. एन. एस. 9776	73	46	15-2-90	14-2-95
6.	पोखरन-नाचना-मोहनगढ़	आर. जे. क्यू. 2976	57	30	11-6-63	10-6-93
		ए. के. पी. 3123	75	29	11-6-63	10-6-93
		आर. आर. क्यू. 2364	68	32	11-9-79	10-9-92
		आर. जे. 19/2261	87	50	9-1-90	8-1-95
		आर. एन. एम. 7825	76	40	27-1-89	26-1-94
7.	जैसलमेर—गिराब	आर. आर. एन. 6195	82	54	30-11-75	19-11-92
		आर. जे. एम. 527	67	54	31-5-75	30-5-93
		आर. आर. क्यू. 8175	66	43	18-3-75	30-6-93
		आर. आर. एम. 5924	82	54	15-9-86	14-9-91

1	2	3	4	5	6	7
8.	जैसलमेर–असुथाना	आर. जे. एम. 579	63	47	1-7-77	30-6-92
		आर. जे. एम. 858	68	35	3-3-78	2-3-93
		आर. जे. एम. 675	72	36	31-10-84	30-10-94
9.	पोखरन–शेरगढ़	आर. एस. एम. 562	70	56	17-2-79	16-2-94
		आर. एम. एम. 159	71	48	17-2-79	16-2-94
		आर. आर. क्यू. 7259	68	54	17-2-79	16-2-94
10.	रामदेवरा–राजमथाई	आर. जे. सी. 1535	66	36	2-5-79	1-5-94
		आर. जे. सी. 1131	75	39	8-1-88	7-1-93
11.	जैसलमेर–सागड़	आर. पी. के. 2171	76	32	29-8-89	28-8-94
		आर. एन. एस. 6865	77	32	29-8-89	28-8-94
12.	जैसलमेर–समदानी	आर. एस. एन. 9299	71	31	23-12-80	22-12-93
		आर. जे. सी. 4557	81	35	20-1-88	19-1-93

1	2	3	4	5	6	7
13.	पोखरन–रीझीनीली	एच. पी. के. 2828	84	31	28-7-89	27-7-94
		एच. पी. के. 2842	84	46	28-7-89	27-7-94
14.	जैसलमेर–वेदपाला	आर. आर. क्यू. 9835	71	36	22-7-81	21-7-91
		आर. एन. एम. 1781	85	21	19-11-88	18-11-93
		आर. जे. सी. 1527	71	35	12-9-84	11-9-93
		आर. एस. एम. 7697	75	31	8-10-86	7-10-91
15.	जैसलमेर–मोहनगढ़	आर. एन. जे. 8427	74	21	5-8-86	4-8-94
		आर. जे 19/4445	77	32	10-1-90	9-1-95
16.	पोखरन–सागड़	आर. एन. एम. 8241	86	35	27-11-88	26-11-94
17.	पोखरन–नेहराण	आर. एन. एम. 5427	83	40	1-12-89	30-11-94
18.	बेसड़ा–इकराई	आर. एस. एन. 221	78	39	17-1-90	16-1-95

जोधपुर, पाली, सिरोही एवं जालौर जिलों के बांध

240. श्री पूनमचन्द विश्नोई (फलौदी) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे–

(1) जिला जोधपुर, पाली, सिरोही और जालौर में विभाग ने कुल कितने छोटे अथवा बड़े बांध पिछले 25 सालों में बनाये ?

(2) इन पर कुल कितनी लागत आई और इनमें से प्रत्येक के द्वारा 1986-87 में कितनी भूमि नहरों से सिंचित हुई ?

(3) क्या यह सही है कि अंधाधुंध बांध निर्माण से इन बांधों से आगे पड़ने वाले गांवों के कुए सूख रहे हैं ?

(4) क्या सरकार मरुस्थलीय जिलों के नदी नालों को बांधने के बारे में कोई ऐसी नीति बनायेगी ताकि नीचे के गांवों में कुए नहीं सूखे ?

उत्तर

(1) गत 25 वर्षों में जिला सिरोही में कुल 28 बांधों का व जिला पाली में कुल 59 बांधों का निर्माण कराया गया है। जोधपुर व जालौर की सूचना भारी वर्षा व बाढ़ के कारण एकत्रित नहीं हो पाई है।

(2) सिरोही जिले के बांधों पर कुल 612.36 लाख रुपये व पाली जिले के बांधों पर कुल 490.02 लाख रुपये की लागत आई है। इन बांधों से वर्ष 86–87 में नहरों द्वारा की गई सिंचाई संलग्न सूचियों में अंकित है।

(3) जी नहीं। इसका मुख्य कारण पिछले वर्षों में कम वर्षा होना है।

(4) राज्य सरकार इस पर विचार कर रही है।

सिरोही जिले में गत 25 वर्षों में बनाये गये बांधों की सूची

क्र. सं.	बांध का नाम	पूर्ण होने का वर्ष	लागत लाख रु. में	सिंचाई वर्ष 86-87 में (नहरों द्वारा सिंचाई (एकड़)
1	2	3	4	5
1.	दासा बांध	64-65	6.98	शून्य
2.	वेस्ट बनास	62-63	64.51	2224
3.	टोकरा बांध	59-60	7.56	1298
4.	मण्डारा नाला	पुराना स्टेट समय का है	—	—
5.	पोइंदरा	64-65	5.28	शून्य
6.	भण्डारा नाला	83-84	42.71	777
7.	अखेलाव	पुराना स्टेट समय का है	—	—
8.	गिरवर	76-77	24.30	414
9.	चण्डेलाव	79-80	7.01	438
10	कुई सागना	82-83	29.48	शून्य
11.	तवरी बांध	71-72	1.00	शून्य
12.	आमलारी	79-80	—	शून्य
13.	मण्डोवरी	पुराना स्टेट समय का है	—	—
14.	थलबांध	77-78	4.00	शून्य
15.	सागरली खेड़ा	83-84	12.49	शून्य
16.	चण्डलाव	70-71	3.86	शून्य
17.	मण्डार नाला	70-71	2.21	शून्य
18.	बुटडी बांध	66-67	6.51	शून्य
19.	पुनावा	85-86	3.26	शून्य
20.	कुरनिया	85-86	7.65	शून्य
21.	मुंगथला	85-86	62.98	,,
22.	मान सरोवर	पुराना स्टेट समय का बांध	—	704

1	2	3	4	5
23.	अरणसौर	85–86	191.99	शून्य
24.	जीरावल	84–85	32.90	शून्य
25.	महादेव नाला	87–88	50.48	—
26.	केरबांध	76–77	28.00	210
27.	लूनेरी बांध	79–80	13.12	229
28.	माडवाड़ा	64–65	3.50	166

पाली जिले में गत 25 वर्षों में बनाये गये बांधों की सूची ।

क्र. सं.	कार्य का नाम	कार्य पूर्ण होने का वर्ष	लागत लाख रु. में	वर्ष 86–87 में सिंचित रकबा एकड़ में
1	2	3	4	5
1.	दातीवाड़ा	1963	3.57	580
2.	डिगोंर	1962	2.13	—
3.	मुठाना	1964	4.87	210
4.	काना	1964	6.24	210
5.	लाटाड़ा	1964	2.05	200
6.	मीराकुकड़ी	1964	2.12	—
7.	राजपुरा	1966	3.01	310
8.	रेनिया	1967	3.02	—
9.	सारण	1962	4.02	215
10.	मिठड़ी	1970	9.78	327
11.	रायपुर लूनी	1968	9.42	—
12.	सालनाडी	1968	1.20	—
13.	सेली की नाल	1969	8.62	1000
14.	टूंपटीया	1969	1.00	—
15.	बनीयावास	1968	9.46	2700

1	2	3	4	5
16.	बोकी का नाला	1973	1.60	140
17.	देवली हुला	1972	3.67	—
18.	ऐन्दला	1973	3.00	1400
19.	गिरोलिया	1976	23.00	1500
20.	गोदेलाव	1972	1.25	—
21.	केसूली	1973	4.73	770
22.	गोरादड़ा	1973	5.87	400
23.	मामावास	1970	1.00	—
24.	मालपुरिया कानावास	1972	2.46	—
25.	फुलाद	1975	8.66	— 930
26.	सोनगरी का नाला	1975	1.36	100
27.	माड़ीगढ़	1976	2.70	—
28.	बोमादड़ापिकपवियर	1974	4.00	परिवर्तित योजना
29.	बिराटिया खुर्द	1974	2.10	52
30.	जूनामालारी	1979	29.71	380
31.	गोविन्द सागर	1974	0.79	—
32.	कोमोटी	1980	1.86	—
33.	हापथ	1980	1.53	—
34.	खोखरा	1980	24.67	—
35.	रेपडावास	1980	1.65	—
36.	दादीया	1981	39.24	240
37.	सोनवा	1981	11.05	215
38.	देडवान	1981	13.15	110
39.	मादरा की नाला	1981	10.64	87
40.	आमलिया	1982	19.34	70
41.	बाजरवाला	1982	6.88	80
42.	बावरा	1982	38.18	—
43.	बामणिया	1982	10.00	80
44.	छोटावाला	1982	27.14	70
45.	खेतलाजी	1980	3.85	98
46.	सेवाडी	1988	3.99	—
47.	रामासनीवाला	1989	8.80	—

1	2	3	4	5
48.	घनेरिया	1989	18.29	—
49.	बलाडा	1989	13.70	—
50.	पिपला	1987	2.81	—
51.	बालाकी ढाणी	1987	2.63	—
52.	भाँवरी	1987	1.87	—
53.	दयालपुरा	1986	1.48	—
54.	मुकन्दसागर	1986	20.45	114
55.	बलवना	1988	13.87	जवाई कमाण्ड में सिंचाई होती है।
56.	दुजाना	1989	13.03	,,
57.	सिन्दरू	1976	21.77	,,
58.	गलदेरा	1988	4.24	—
59.	पालड़ी (मारवाड़ा)	1981	7.50	63
	योग		490.02	12661

भांभरी (खैरवाड़ा) वन क्षेत्र की सुरक्षा

241. श्री दयाराम परमार (खैरवाड़ा) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) खैरवाड़ा तहसील क्षेत्र वन-नाका भांभरी में कुल कितना वन क्षेत्र है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त वन क्षेत्र गुजरात सीमा से मिला हुआ है व उसकी रक्षा की समुचित व्यवस्था नहीं होने से जंगल बर्बाद हो रहा है ? यदि हां, तो वन की रक्षा हेतु सरकार क्या कर रही है।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त वन क्षेत्र के भांभरी नाका में कार्यरत कर्मचारी वहां से 8 किलोमीटर दूर पाटिया गांव में रहते हैं जिससे निगरानी के अभाव में जंगल से लकड़ियां काटी जाकर गुजरात ले जायी जाती हैं ? यदि हां, तो इसकी रोकथाम हेतु क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

उत्तर

(1) खैरवाड़ा क्षेत्र में वन-नाका भांभरी के अन्तर्गत 39.24 वर्ग किलो मीटर वन क्षेत्र है।

(2) वन खण्ड भांभरी की पश्चिमी सीमा गुजरात राज्य से 10 किलो मीटर लम्बाई में मिली हुई है। सीमा लाइन के पश्चिमी में गुजरात राज्य के वन हैं व पूर्व में राजस्थान राज्य के वन हैं । यह सही नहीं है कि इस वन क्षेत्र की समुचित रक्षा व्यवस्था नहीं है। इस क्षेत्र में वन सुरक्षा हेतु एक वनपाल व तीन वन रक्षक तैनात हैं।

(3) जी नहीं, पाटियां गांव में केवल वनपाल रह रहे हैं । गुजरात प्रान्त की सीमा करीब 10 किलो मीटर लम्बाई में वन खण्ड से मिली हुई है। अतः कुछ नुकसान होना स्वाभाविक है लेकिन इसकी व स्थानीय लोगों के नुकसान को रोकने हेतु उक्त तैनात स्टाफ समय-समय पर गश्त करते हैं।

उदयपुर सिटी पैलेस में विस्फोट

242. श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या उदयपुर सिटी पैलेस विस्फोट काण्ड में अकाल मृत्यु को प्राप्त डॉ. राजेन्द्र प्रकाश भटनागर की पत्नी को विभाग ने सेवा में ले लिया है ? यदि नहीं, तो क्यों जबकि श्रीमती भटनागर आयुर्वेद परीक्षा उत्तीर्ण हैं ?

(2) क्या डॉ. भटनागर की पत्नी को पेंशन, ग्रेच्युटी का भुगतान किया जा चुका है ? यदि नहीं, तो इस विलम्ब का क्या कारण है और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी नहीं, श्रीमती सावित्री भटनागर ने निखिल भारत वर्षीय आयुर्वेद विद्यापीठ, दिल्ली से वैद्याचार्य की परीक्षा वर्ष 1973 में उत्तीर्ण की है। यह योग्यता सेवा नियमों में आयुर्वेद चिकित्सक के पद

(आयुर्वेद मंत्री)

पर नियुक्ति हेतु मान्य नहीं है। शैक्षणिक योग्यता में छूट देने का नियमों में प्रावधान नहीं है।

प्राचार्य, आयुर्वेद कालेज, उदयपुर को निर्देश दिये गये थे कि यदि कालेज में कनिष्ठ लिपिक का पद रिक्त हो तो श्रीमती भटनागर की पात्रता की जांच कर उस पद पर नियुक्त करें। प्राचार्य ने अवगत कराया है कि श्रीमती भटनागर ने कनिष्ठ लिपिक के पद पर नियुक्ति नहीं चाही बल्कि एवज में उन्होंने उनके पुत्र श्री विरेन्द्र भटनागर को कनिष्ठ लिपिक के पद पर नियुक्ति की इच्छा जाहिर की। फलस्वरूप श्री विरेन्द्र भटनागर को दिनांक 23-11-89 से उक्त कालेज में कनिष्ठ लिपिक के पद पर नियुक्ति दे दी गई।

(2) डा. भटनागर की पत्नी को पेंशन भुगतान के आदेश डाइरेक्टर, पेंशन कार्यालय से दिनांक 29 सितम्बर, 1989 को एवं ग्रेच्युटी भुगतान के आदेश दिनांक 28-6-90 को जारी किये जा चुके हैं। विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र आदि प्राप्त कर एवं समस्त अन्य औपचारिकताएं पूरी कर स्वर्गीय डा. भटनागर का केस डाइरेक्टर पेंशन विभाग को दिनांक 10-8-89 को भिजवा दिया गया था चूंकि डा. भटनागर के विरुद्ध कुछ ऋण की राशियां बाकी निकलती थी अतः पेंशन विभाग द्वारा इनके ग्रेच्युटी पेमेन्ट आर्डर जारी करने में स्वाभाविक रूप से कुछ विलम्ब हुआ है।

सीकर रोजगार कार्यालय के अधिकारी की शिकायतें

243. श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सीकर स्थित रोजगार कार्यालय में वर्तमान अधिकारी कब से पद-स्थापित हैं ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त अधिकारी के विरुद्ध विभिन्न अनियमितताओं की शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई हैं एवं उप निदेशक रोजगार वृत्त सीकर ने वर्ष 1986-87 व 1987-88 की ऑडिट रिपोर्ट में भी उक्त अधिकारी के विरुद्ध अनियमितताओं को उजागर किया है ?

(3) यदि हां, तो अब तक उक्त अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ? अब कब तक कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

उत्तर

(1) सीकर स्थित रोजगार कार्यालय में वर्तमान अधिकारी 29-1-87 से पद-स्थापित है।

(2) जी हां।

(3) शिकायतों पर जांच उप निदेशक, जयपुर संभाग, जयपुर से करवाने पर आरोप निराधार पाये गये। आडिट रिपोर्ट की अनियमितताओं के लिए अधिकारी को चेतावनी दी गई। अब अधिकारी का स्थानान्तरण सीकर से कर दिया गया है।

315

परिशिष्ट—3

अतारांकित प्रश्न सं. 319 की सूची

चूरू जिले में सहायता प्राप्त निजी शिक्षण संस्थाओं का विवरण—

क्र. सं.	सहायता प्राप्त निजी संस्था	अनुदान प्रतिशत
1	2	3
1.	जैन श्वेताम्बर तेरापन्थ माध्यमिक विद्यालय, चूरू	60
2.	सर्वहित कारिणी सभा, राजगढ़	70
3.	सार्वजनिक पुस्तकालय, सरदारशहर	70
4.	ग्रामोदय विभाग ग्रा. ज्यो. के. सरदारशहर	60
5.	भारती विद्यापीठ प्रावि, सरदारशहर	50
6.	भारतीय विद्या मन्दिर प्रावि, सरदारशहर	50
7.	बेसिक स्कूल जूनियर ग्रा. वि. म. सरदारशहर	80
8.	मार्डन उप्रावि, सरदारशहर	70
9.	महावीर उच्च प्राथमिक विद्यालय, सरदारशहर	70
10.	राजेन्द्र प्रा. वि., सरदारशहर	60
11.	सेठ सम्पतराम दुगड़ मा. वि., सरदारशहर	70
12.	बेसिक सैकण्डरी स्कूल प्रा. वि., सरदारशहर	80
13.	केन्द्रीय कार्यालय, ग्रा. वि. म. सरदारशहर	90
14.	सादु्ल व्यायाम शाला, सरदारशहर	70
15.	रघुनाथ मा. वि., रतनगढ़	70
16.	बाल विद्या मन्दिर प्रावि, रतनगढ़	50
17.	मंगलदत्त विद्यालय, रतनगढ़	50
18.	सरस्वती उप्रावि, राजलदेसर	50
19.	सुभाष उप्रावि, श्री डूंगरगढ़	60
20.	एस. एस. उप्रावि, डूंगरगढ़	50

1	2	3
21.	शिव उच्च प्राथमिक विद्यालय, श्रीडूंगरगढ़	60
22.	बच्चराज प्रावि, श्रीडूंगरगढ़	50
23.	सुभाष बाल मन्दिर, श्रीडूंगरगढ़	50
24.	बाल निकेतन प्रावि, श्रीडूंगरगढ़	50
25.	डूंगरगढ़ पुस्तकालय, श्रीडूंगरगढ़	70
26.	ओसवाल मावि, सुजानगढ़	70
27.	ओसवाल प्रावि, सुजानगढ़	50
28.	सिंधी भवन प्रावि, सुजानगढ़	50
29.	हनुमान प्रावि, बीदासर	50
30.	बाल बाड़ी प्रावि, बीदासर	50
31.	सरस्वती विद्यालय, सुजानगढ़	50
32.	बाल शिक्षा प्रावि, सुजानगढ़	50
33.	ग्रामोदय मावि, खींचीवाला	80
34.	ग्रामोदय छात्रावास, खींचीवाला	50
35.	श्री हनुमान बाउमावि, रतनगढ़	70
36.	श्री गांधी बाउमावि सुजानगढ़	70
37.	श्री बालिका उमावि, सरदारशहर	80
38.	मीरा निकेतन बाउमावि, सरदारशहर	80
39.	श्री बालिका उमावि, सरदारशहर	80
40.	श्रीमती रुक्मणीदेवी टीकमाणी बामावि, राजगढ़	70
41.	श्री बालमन्दिर, सरदारशहर	90
42.	श्री बालबाड़ी मन्दिर, सरदारशहर	90
43.	श्री गांधी बालनिकेतन, रतनगढ़	80
44.	श्री नेहरू बाल मन्दिर, राजगढ़	50
45.	श्री नेहरू बाल मन्दिर उप्रावि, राजगढ़	50
46.	श्री गीतादेवी सरावगी बाउप्रावि राजगढ़	50
47.	श्री गीतादेवी सरावगी बाप्रावि, राजगढ़	50

1	2	3
48.	श्री बाल भारती, डूंगरगढ़	60
49.	बालभारती माध्यमिक विद्यालय, डूंगरगढ़	50
50.	बालभारती प्राथमिक विद्यालय, डूंगरगढ़	80
51.	अभिनव बाल भारती उप्रावि. राजलदेसर	50
52.	अभिनव बाल भारती माध्यमिक विद्यालय, राजलदेसर	80
53.	श्री बापूदेवी सेठिया बाप्रावि, सुजानगढ़	60
54.	श्री भंवरलाल काला बालमन्दिर, सुजानगढ़	80

संस्कृत शिक्षा

1.	पं. ओंकारनाथ लाटा हनुमान प्रवेशिका संस्कृत विद्यालय, सरदारशहर	70
2.	राजस्थान ऋषिकुल ब्रह्मचर्याश्रम उपाध्याय संस्कृत विद्यालय, रतनगढ़	60
3.	पूर्णानन्द उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, चूरू	70

राजस्थान शिक्षण संस्था अनुदान नियम 1963 के अन्तर्गत

अनुदान हेतु निर्धारित मापदण्ड/शर्तें

1. संस्था बिना विभाग की अनुमति के किसी को दूसरे राज्यों द्वारा रखी गई परीक्षा के लिए न तो तैयार करेगी और न ही भेजेगी ।

2. संस्था के अभिलेख विभागीय एवं महालेखाकार द्वारा अधिकार प्राप्त व्यक्तियों को आडिट के लिये खुले रहेंगे ।

3. संस्था की समस्त सुविधायें किसी जाति अथवा पंथ के भेदभाव के हर वर्ग के लिये ग्राह्य होगी ।

4. संस्था किसी व्यक्ति विशेष के लाभ के लिए नहीं चलाई जायेगी । संस्था की पूंजी केवल संस्था के उद्देश्य की प्रगति के लिये ही उपयोग में ली जा सकेगी ।

5. संस्था का संचालन नियमित रूप से निर्वाचित कार्यकारिणी द्वारा किया जायेगा ।

6. संस्था शिक्षा विभाग को समस्त सम्पत्ति की सूची उपलब्ध करायेगी ।

7. संस्था विभाग को बिना एक वर्ष की पूर्व सूचना दिये बन्द अथवा स्तरावनत नहीं होगी ।

8. संस्था की राशि पोस्ट आफिस एवं सरकारी बैंक में रखी जा सकेगी ।

9. संस्था की नामावली में विद्यार्थियों की संख्या और उनकी औसतन उपस्थिति राज्य सरकार के मापदण्ड के अनुसार होगी ।

10. संस्था को विभाग द्वारा जारी निर्देशों की पालना करना आवश्यक है ।

11. विद्यार्थियों के लिये शिक्षण एवं अन्य शुल्क की दर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दर से कम न होगी ।

12. संस्था विभाग द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम व वर्ग रखेगी ।

13. संस्था बिना शिक्षा निदेशक के दो वर्ष से अधिक समय के लिए कर्मचारी की अस्थाई नियुक्ति नहीं करेगी ।

14. ऐसी संस्थायें जो भूतकाल में शर्तों की पूर्ति में असफल रही हों को अनुदान देय नहीं होगा।

15. अनुदान जिस कार्य के लिये स्वीकृत है, उसी कार्य के उपयोग में लिया जावेगा।

16. बिना प्रयोग में लाया गया धन शिक्षण सत्र की समाप्ति के पूर्व विभाग को समर्पित किया जावेगा।

17. कर्मचारियों की सेवा शर्तों की पूर्ति अनुदान नियम 1963 के अनुसार की जावेगी।

18. संस्था पंजीकृत व मान्यता प्राप्त होगी।

19. संस्था के लेखों का आडिट चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट से कराया जावेगा।

परिशिष्ट—4

अतारांकित प्रश्न संख्या 324 की सूची

विद्युतिकृत गांवों की सूची जहां एक भी कृषि अथवा घरेलू विद्युत सम्बन्ध नहीं हैं। (विधान सभा क्षेत्र भिनाय)

1.	विलावरीयाखेड़ा	14.	चान्दोलाई
2.	कसाव	15.	कुम्हारिया
3.	सुवारिया	16.	गूजरवाड़ा
4.	अखड	17.	पीपरोली
5.	ढिगारिया	18.	उदयगढ़ खेड़ा
6.	बड़ला	19.	खेड़ी
7.	केरियाकलां	20.	मुण्डिया खेड़ा
8.	सोयल	21.	रूपड़ा
9.	अतेड़ा	22.	प्रतापपुरा
10.	बतेड़ा	23.	ऊढ़ाली
11.	केरिया	24.	गूजरवाड़ा
12.	केबरिया	25.	बड़ला
13.	खरबड़ा		

परिशिष्ट—5

अतारांकित प्रश्न संख्या 325 की सूची

सपोटरा तहसील के जनवरी 1980 से मार्च 1990 तक विद्युतिकृत ग्रामों की सूची।

क्र.सं.	ग्राम का नाम	कोड नं.	क्र.सं.	ग्राम का नाम	कोड नं.
1.	खेड़ला	7/8/1	12.	फतेहपुरा	55
2.	अदलपुरा	2	13.	सेमरदा	56
3.	साण्डा	3	14.	हिराड़ी	57
4.	भैरूण्डा	9	15.	बगीदा	59
5.	हरीसिंहपुरा	10	16.	सीमार	60
6.	खिदरपुर	11	17.	खानपुर	65
7.	जखारी	15	18.	जोरी	70
8.	रामपुर पालान	17	19.	गोपीपुरा	72
9.	गोकुलपुरा	19	20.	किरतपुरा	73
10.	बाढ़ सारियां	23	21.	काली डूंगरी	75
11.	साधपुरा	39			

मण्डरायल उप तहसील के जनवरी 1980 से मार्च 1990 तक विद्युतिकृत ग्रामों की सूची।

क्र.सं.	ग्राम का नाम	कोड नं.	क्र.सं.	ग्राम का नाम	कोड नं.
1.	गढी का गांव	7/7/185	6.	नीदर	207
2.	लागंरा	198	7.	जरगढ़पुरा	208
3.	बुगडार	199	8.	खिरकन	209
4.	चन्देली	203	9.	मागेपुरा	210
5.	रोधई	204	10.	गढवार	212

क्र.सं.	ग्राम का नाम	कोड नं.	क्र.सं.	ग्राम का नाम	कोड नं.
11.	नया गांव	213	19.	जाखोदा	222
12.	मकनपुर	214	20.	गोपालपुरा	237
13.	भट्टपुरा	215	21.	पांचोली	238
14.	भोजपुर	216	22.	दरगवा	239
15.	मण्डरायल	217	23.	तुरसमपुर	242
16.	फिरोजपुर	218	24.	रानीपुरा	243
17.	भारीला	219	25.	बरेंड़	244
18.	घटली	220			

सपोटरा तहसील के अविद्युतिकृत ग्रामों की सूची

क्र.सं.	ग्राम का नाम	कोड नं.	क्र.सं.	ग्राम का नाम	कोड नं.
1.	भंवरपुरा	7/8/24	14.	चोड का कलां	104
2.	बाढ़ कोठीमुन्डा	26	15.	कानड़दा	106
3.	बाढ़ भूदर	28	16.	चचेड़ी	108
4.	खोह्	61	17.	हसनपुरा	110
5.	नारोली	85	18.	चोरघान	112
6.	मटोरिया की गुवाडी	88	19.	अमरापुर	114
7.	नैनियाँ की गुवाडी	90	20.	महल ढीकरी	116
8.	रसूलपुर जोगा	92	21.	नानपुर	118
9.	नमेदा	94	22.	अकांडिया	120
10.	खिजरा	96	23.	मानकी	122
11.	निवेरा	98	24.	डोगरी	124
12.	रावतपुरा	100	25.	कंवर खेड़ा	126
13.	चोडिया खाता	102	26.	किरणपुर	128

क्र.सं.	ग्राम का नाम	कोड नं.	क्र.सं.	ग्राम का नाम	कोड नं.
27.	गढी का गांव	130	49.	वरहेदा	101
28.	राहेर	132	50.	चोड का खुर्द	103
29.	चोदरी की गुवाड़ी	134	51.	जामुनी	105
30.	रायबेली मथुरा की	139	52.	विलवास	107
31.	कुरत की गुवाड़ी	141	53.	महाराजपुरा	109
32.	चिरमिल	143	54.	घौटा	111
33.	मनिकपुरा	146	55.	भरपुराभर	113
34.	सिमोर	148	56.	श्राशा की गुवाड़ी	115
35.	बहादुरपुर	135	57.	भैरूपुर	117
36.	सोनपुरा	138	58.	चिरचरी	119
37.	कासेद	7/8/149	59.	घटा	121
38.	बाढ जीवनसिंह	25	60.	केमोखरी	123
39.	बाढ प्रतापसिंह	27	61.	डांगरिया	125
40.	धोकलपुरा	58	62.	कांकरां	127
41.	काला गुढा	62	63.	धूसही	129
42.	धोधा की गुवाड़ी	87	64.	करई	131
43.	दौलतपुरा	89	65.	ग्रलवत की गुवाड़ी	133
44.	पालीपुरा	91	66.	बिजोदीये के गुवाड़ी	137
45.	रसूलपुर सीरीजी	93	67.	ग्रामेर की गुवाड़ी	140
46.	रायबेली जगमन	95	68.	पीपल की गुवाड़ी	142
47.	मीरम की गुवाड़ी	77	69.	डावर खरग	144
48.	मोरेची	99	70.	टोडा	147

मण्डरायल उप तहसील के अविद्युतिकृत ग्रामों की सूची

क्र.सं.	ग्राम का नाम	कोड नं.	क्र.सं.	ग्राम का नाम	कोड नं.
1.	कंचनपुर	7/7/186	17.	वारदा	187
2.	मकनपुर स्वामी	188	18.	भांखरी	193
3.	गुरदह	194	19.	बहरदा	196
4.	दोयलपुरा	200	20.	गुरज	205
5.	श्यामपुर	206	21.	चैनपुरा	231
6.	पसोला	224	22.	पसेलिया	225
7.	बागरियाँपुरा	226	23.	मनाखुर्द	227
8.	चन्देलीपुरा	228	24.	ओंड	231
9.	भैरट	232	25.	मारका का कुँआ	233
10.	बागपुर	234	26.	दोरेदा	235
11.	मेकना	236	27.	काला खेत	201
12.	फोकर	197	28.	चक मण्डरायल	211
13.	छाबडीपुरा	202	29.	दरवा	229
14.	राजपुरा	223	30.	राऊोली	240
15.	मुरीला	230	31.	नाहरपुरा	195
16.	निहालपुर	241			

परिशिष्ट—6

अतारांकित प्रश्न सं. 326 की सूची

पंचायत समिति बांदीकुई क्षेत्र के माह मार्च 90 के अन्त में शेष रहे अविद्युतीकृत ग्रामों की सूची

क्र.सं.	ग्राम का नाम	कोड नं
1.	चक रैवासा	8/7/68
2.	मोराडी चक नं 3	96
3.	मोराड़ी चक नं. 2	97
4.	मोराड़ी चक नं. 1	99
5.	चक सोमाड़ा	98
6.	बडियाल कलां	136

(326)

परिशिष्ट—7

अतारांकित प्रश्न सं. 328 की सूची

विधान सभा क्षेत्र छबड़ा के अन्तर्गत विद्युतीकरण

अनुसूचित जाति के ग्रामों की सूची

क्र.सं.	गांव का नाम	बस्ती का नाम	विद्युतीकृत का दिनांक
पंचायत समिति छबड़ा			
1.	कडयावन	हरिजन बस्ती	31–7–91
2.	छबड़ा	हरिजन बस्ती वार्ड नं. 5	अक्टूबर 83
3.	खीपर	मेघवाल चमार बस्ती	दिसम्बर 86
4.	चांपोड़ा	कंजर कालोनी बस्ती	31–3–89
पंचायत समिति छीपाबड़ोद			
1.	छीपाबड़ोद	हरिजन बस्ती	अक्टूबर 83
2.	मवासा	हरिजन बस्ती	दिसम्बर 84
3.	दौलतपुरा	चमार बस्ती	दिसम्बर 84
4.	उतावली	चमार बस्ती	दिसम्बर 84
5.	ढोलम	हरिजन, बैरवा, चमार, जाटव बस्ती	दिसम्बर 86
6.	छीपाबड़ोद	हरिजन मेघवाल व चमार बस्ती	दिसम्बर 86
7.	पछाड	हरिजन बस्ती	जनवरी 88
8.	मोखमपुरा	हरिजन बस्ती	अक्टूबर 88
9.	बिलन्दी	हरिजन बस्ती	अक्टूबर 88
10.	अललावदा हाली	हरिजन बस्ती	मार्च 89
11.	माधोपुरा	हरिजन बस्ती	अक्टूबर 88
12.	गडारी	हरिजन बस्ती	मार्च 89
13.	कोटडा भगवान	हरिजन बस्ती	मार्च 89

परिशिष्ट–8

अतारांकित प्रश्न संख्या 332 की सूची

सूची "अ"

पंचायत समिति बावड़ी जिला जोधपुर के ग्रामों की सूची

क्र. सं.	ग्राम का नाम	कोड नं.	क्र. सं.	ग्राम का नाम	कोड नं.
1.	वारू	13/1/1	22.	बावड़ी बडसीगां	22
2.	खेतुसर	2	23.	बाप	23
3.	दुरजनी	3	24.	बघाउड	24
4.	देदासरी	4	25.	भोजों की बाप चक	25
5.	खाखुरी	5	26.	शेखासर	26
6.	नूरेकी बूर्ज	6	27.	अखाधना	27
7.	कानासर	7	28.	सांगुरी	28
8.	माडली	8	29.	राणेरी	29
9.	रावरा	9	30.	मोडकिया	30
10.	भीमजी का गांव	10	31.	जोधानो	31
11.	सांवरा गांव	11	32.	कानासी मीठा	32
12.	लुम्बानी	12	33.	टेकरा	33
13.	मनचितिया	13	34.	दुरगानी	34
14.	बड़ी सीड	14	35.	जैमला	35
15.	जोधसिंह की सीड उर्फ कानसिंह की सीड	15	36	बावड़ी	36
			37.	हिन्डाल गोल	37
16.	उदट	16	38.	खीरवां	38
17.	मालमसिंह की सीड	17	39.	रीण	13/1/39
18.	कल्याणसिंह की सीड	18	40.	देगावडी	40
19.	गुढ़ा	19	41.	सिवाणवी	41
20.	नया गांव	20	42.	जाम्बा	42
21.	गाडना	21	43.	चाखू	43

क्र. सं.	ग्राम का नाम	कोड नं.	क्र. सं.	ग्राम का नाम	कोड नं.
44.	लूणा	44	61.	जोड	65
45.	लुम्बासर	45	62.	मोहरी	66
46.	मीठड़िया	46	63.	जागरिया	68
47.	मायाकोर	47	64.	बग्गां	69
48.	अरंडिया	48	65.	भोजको	70
49.	चीमणा	49	66.	गोपा	71
50.	ढाढर वाला	50	67.	माया कोरिया	72
51.	केलनसर	51	68	सिहडा	74
52.	घटियाली	52	69.	नोखडा चारणा	97
53.	खारिया	53	70.	नोखडा भाटिया	98
54.	बालासर	56	71.	जैसला	99
55.	मोटाई	57	72.	अजासर	100
56.	चीडी	58	73.	रोहिणा	101
57.	ननेऊ	59	74.	बुगड़ी	102
58.	कानासरिया	61	75.	चम्पासर	103
59.	कोदरली	63	76.	मानेवडा	104
60.	मलार	64			

सूची "अ"

पंचायत समिति फलोदी जिला जोधपुर के ग्रामों की सूची

क्र. सं.	ग्राम का नाम	कोड नं.	क्र. सं.	ग्राम का नाम	कोड नं.
1.	भीयासर	13/1/54	4.	खीचन	62
2.	पडियाल	55	5.	फलोदी (ग्रामीण)	67
3.	घोलासर	60	6.	बेगटी कलां	73

क्र. सं.	ग्राम का नाम	कोड नं.	क्र. सं.	ग्राम का नाम	कोड नं.
7.	रायडा	75	30.	चोडी (चाडी)	106
8.	खारा	76	31.	ईशरू	107
9.	बेगटी खुर्द	77	32.	सुवाप	108
10.	कुण्डल	78	33.	केरला	109
11.	सदावता	79	34.	देनोंक	110
12.	कलरा	80	35.	मुजांसर	111
13.	होपारडीं	81	36.	लोहावट विसनावास	112
14.	बीठड़ी (बिठडी)	82	37.	लोहावट जेतवास	113
15.	मोखेरी	83	38.	छीला	114
16.	ऐका भाटिया	84	39.	जालोडा	115
17.	गजा	85	40.	कोलू पाबूजी	116
18.	जोरडिया	86	41.	सांवरीज	117
19.	डेडीसरा	87	42.	बामणू	118
20.	ग्रामला	88	43.	दढू	13/1/119
21.	बनासर उर्फ शेतानसिह	89	44.	उगास	120
22.	पलीना	90	45.	डेडिया	121
23.	मोरिया	91	46.	खेड़ा बागोरिया	122
24.	रणीसर	92	47.	मडला	123
25.	बरजासर	93	48.	कोलू राठोडा	124
26.	भोजासर	94	49.	कुशलावा	125
27.	ग्राऊ	95	50.	दयाकोर	126
28.	नोखड़ा पातावतोन	96	51.	पीलवा	127
29.	रिडमलसर	105	52.	ढोलाणा	128

परिशिष्ट–9

अतारांकित प्रश्न सं. 334 की सूची

पंचायत समिति क्षेत्र मकराना के माह मार्च 90 तक विद्युतिकृत ग्रामों की सूची ।

क्र. सं.	ग्राम का नाम	कोड नं.	क्र. सं.	ग्राम का नाम	कोड नं.
1.	राणी गांव	14/7/2	22.	लोरोली	25
2.	मागलवा	4	23.	मनाणा	26
3.	सीनिया	5	24.	जीवादिया	27
4.	नावद	7	25.	मनाणा	29
5.	धनणवा	8	26.	वालाधणा	32
6.	रायथलिया	9	27.	जसवन्तपुरा	33
7.	चन्डालिया	10	28.	नूनदड़ा	34
8.	चाँडी	11	29.	झलामलिया	35
9.	लाडपुरा	12	30.	खरडिया	36
10.	गेलासर	13	31.	छपारा	38
11.	नांदोली चांदावता	14	32.	भैयाकलाँ	41
12.	रामपुरा	15	33.	भैंया खुर्द	42
13.	भरनाई	16	34.	डमोई कलां	43
14.	कुकडोड	17	35.	डोबरी खुर्द	45
15.	उचेरिया	18	36.	डोवरी कला	46
16.	सुथली	19	37.	डोवरी सावलदास	47
17.	सपेड़	20	38.	खेड़ी लीला	48
18.	देवला	21	39.	शिवरासी	49
19.	आसरवा	22	40.	रामसिया	50
20.	नागवाड़ा खुर्द	23	41.	गेडा कलाँ	51
21.	नागवाडा कलां	24	42.	मोडी चारणा	53

क्र. सं.	ग्राम का नाम	कोड नं.	क्र. सं.	ग्राम का नाम	कोड नं.
43.	दाबड़िया	54	71.	गिगालिया	82
44.	पुडिया	55	72.	बोडी बीघा	83
45.	कालवा छोटावास	56	73.	इटावा लाखा	84
46.	कजाना	57	74.	चकमादास	85
47	कालवा	58	75.	इटावा बाह्मणिया	86
48.	भींचावा	59	76.	इटावा खिचिया	87
49.	हरनावा तोसीणा	60	77.	भूतावा	88
50.	काचोलिया	61	78.	पालड़ी मेहचा	89
51.	देवरी	62	79.	पालडी राजा	90
52.	डोडवाली	63	80.	मिध्यान	91
63.	बुडसू	64	81.	बाजोली	92
54.	बरवाला	65	82.	अलदवा	93
55.	बरवाली	66	83.	खेड़ी सीला	94
56.	जूसरी	67	84.	बरनेल	95
57.	मिडकिया	68	85.	गुढ़ा खेड़ी	96
58.	जूसरिया	69	86.	गुढ़ा चक I	97
59.	जाखली	70	87.	गुढ़ा चक II	98
60.	चावण्डिया	71	88.	कुचीपला	99
61.	मकराना (ग्रामीण)	72	89.	हरनावा	100
62.	बोरावड़	73	90.	धान्धोली	102
63.	गुणावती	74	91.	नान्दोली मेड़तीया	101
64.	कोला डूंगरी	75	92.	सिरड	103
65.	सबलपुर	76	93.	लाड़ोसी	104
66.	झाणी मामडोली	77	94.	बिसू	105
67.	मामडोली	78	95.	मोरेमू	106
68.	बेसरोली	79	96.	नीमड़ी	121
69.	सिरसला	80	97.	रतनास	129
70.	माणवा	81			

परिशिष्ट–10

अतारांकित प्रश्न संख्या 338 की सूची

विधान सभा क्षेत्र सिवाना जिला बाड़मेर में स्वीकृत औषधालयों में
पदस्थापित स्टाफ एवं रिक्त पड़े पदों का विवरण

क्र. सं.	स्थान औषधालय	चिकित्सक	स्टाफ का विवरण	
			नर्स/कम्पा.	च. श्रे. कर्म.
1.	पादरू	पदस्थापित	पदस्थापित	पदस्थापित
2.	राखी	रिक्त	पदस्थापित	पदस्थापित
3.	जेठन्तरी	पदस्थापित	पदस्थापित	पदस्थापित
4.	रानी देसीपुरा	पदस्थापित	रिक्त	पदस्थापित
5.	बामसिन	पदस्थापित	पदस्थापित	पदस्थापित
6.	सैवाली	पदस्थापित	रिक्त	पदस्थापित
7.	सिवाना	पदस्थापित	पदस्थापित	रिक्त
8.	समदड़ी	पदस्थापित	रिक्त	पदस्थापित
9.	मोकलसर	पदस्थापित	पदस्थापित	पदस्थापित
10.	खण्डप	पदस्थापित	पदस्थापित	रिक्त
11.	करमावास	रिक्त	पदस्थापित	पदस्थापित
12.	कुण्डल (88–89 में स्वीकृत)	रिक्त	पदस्थापित	पदस्थापित
13.	निठौड़ा (89–90 में स्वीकृत)	रिक्त	रिक्त	रिक्त

परिशिष्ट–11

अतारांकित प्रश्न संख्या 339 की सूची

झालावाड़ जिले के नन्दपुर आयुर्वेद औषधालय को वर्ष 1985–86 से 1989–90 तक सप्लाई की गयी औषधियों का विवरण

वर्ष	सप्लाई दिनांक	सप्लाई की गयी औषधियों की राशि (रुपयों में)	
1985–86	16.6.85	626.65	
	20.9.85	1022.90	
	24.10.85	18.00	
	3.2.86	879.25	
			2546.80
1986–87	16.7.86	765.85	
	19.12.86	1710.90	
			2476.75
1987–88	28.5.87	1235.70	
	19.2.88	1769.15	
			3004.85
1988–89	24.5.88	1584.40	
			1584.40
1989–90	20.10.89	754.05	
	11.2.90	484.00	
	31.3.90	972.15	
			2210.20

परिशिष्ट–12

अतारांकित प्रश्न संख्या 347 की सूची

कार्यालय नगरपालिका, बांसवाडा (राजस्थान)

अतिक्रमण नियमन नियम 1981 के तहत नियमित किये गये प्रकरणों में पट्टे दिये जाने वाले व्यक्तियों की सूची

क. सं.	नाम अतिक्रमी मय पिता का नाम	जाति	भूमि का क्षेत्रफल	स्थान	नियमन स्वीकृति आदेश क्रमांक व दिनाँक	नियमन हेतु वसूल की गई राशि	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	श्री शकुर खां पिता श्री करीम खां	मुसलमान	15" × 20"	सरगडावाडा	3932/दिनांक 31-10-83	165–00	
2.	दोस्त मोहम्मद पिता वली मो०	,,	15" × 10"	शेरविलास	3932/दिनांक 31-10-83	85–00	
3.	श्री सलीम पिता वजीर खां	,,	15" × 10"	,,	3932/दिनांक 31-10-83	85–00	
4.	श्री रमजान खां पिता नत्थे खां	,,	30" × 30"	मुस्लिम कोलोनी	क्षेत्रीय सहायक निदेशक कैम्प बास./30-10-86	1000–00	
5.	श्री बदरुद्दीन पिता इब्राहिम	,,	15" × 20"	शेरविलास	3932/दिनांक 31-10-83	165–00	

अधिशासी अधिकारी
नगरपालिका बांसवाडा

335

परिशिष्ट–13

अतारांकित प्रश्न संख्या 358 का विवरण

SECTION 15 (2) OF CENTRAL COUNCIL HOMOEOPATHY ACT, 1973

15 (a) No person, other than a practitioner of Homoeopathy who possesses a recognised medical qualification and is enrolled on a State Register or the Central Register of Homoeopathy—

(a) shall hold office as Homoeopathic physician or any other office (by whatever designation called) in Government or in any institution maintained by a local or other authority;

(b) shall practice Homoeopathy in any State;

(c) shall be entitled to sign or authenticate a medical or fitness certificate or any other certificate required by any law to be signed or authenticated by a duly qualified medical practitioner;

(d) shall be entitiled to give any evidence at any inquest or any court of law as an expert under section 45 of the Indian Evidence Act, 1872 on any matter relating to Homoeopathy.

परिशिष्ट–14

अतारांकित स्थगित प्रश्न सं. 99 की सूची

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनिज अभियन्ता, करौली, राजस्थान

करौली खण्ड के कार्यक्षेत्र के अधीन जो विभिन्न खनिजों की खानें रायल्टी के आधार पर वर्तमान में चालू हैं का पूर्ण ब्यौरा

क्रमांक	नाम जिसके द्वारा रायल्टी वसूली का कार्य किया जा रहा है	खनिज	क्षेत्र	अवधि	राशि वार्षिक
1	2	3	4	5	6
1.	श्री रामेश्वरप्रसाद पुत्र श्रीलाल शर्मा करौली	सेन्डस्टोन ख. गि. बो.	राजस्व सीमा कोटरी खान वारीक बदनपुरा, दांतपुरा, मोठियापुरा भिरना, औरनी जगर इत्यादि तह. हिण्डोन	1-4-90 से 31-3-91	17,62,000/–
2.	श्री मानप्रकाश शुक्ला पुत्र ओमप्रकाश शुक्ला करौली	चेजापत्थर मोरम	रोधई, भागीपुरा, नयागाँव, नीदर, मोरठ, श्यामपुर, मनापुर, माडीभाट, लांगरा, गुरथा छहरदा, गुढीकागांव, खूवनगरपारासरीहर-नगर, भोकपुरा, डूगरपुरा, सैसेडी, बहादुरपुर	1-4-90 से 31-3-91	1,32,000/–

1	2	3	4	5	6
			महु, कंचनपुर, एवक़स्वाकिरोली हल्का नं. 13 तह. करौली		
3.	श्री मीना पुत्र पुन्वामीना नि. मण्डापुरा तह. सपोटरा जिला सवाईमाधोपुर राज.	चेजापत्थर मोरम	मांच ग्रस्थल, पाटोर, बीजलपुर, पेनपुर, बरहलया, रीछाटी, ग्रालमपुरा, नारोली, बाजना, बिजौरा, बापोती, मांगरोल, जीरोता, बीलाहेडी, खिरखरा, धूलवास छावरा, डिकोडीरामपठरा, नैनिया की ग्वारी, दोलतपुरा, सलेमपुर तह. करौली व सपोटरा	1-4-90 से 31-3-91	20,000/–
4.	श्री प्रभुलाल शर्मा पुत्र छगनलाल शर्मा, नि. तुलसीपुरा तह. करौली	बजरी	बरखडां गांव की तीमात बडवाचना तक बरखेडा नदी की सीमा तह. करौली	18-4-90 से 31-3-92 तक	7000/–
5.	श्री भारतसिंह पुत्र श्री चौजीसिंह राजपूत नि. दाखोद तह. करौली	बजरी	राजघाट से रघुघाट पुल के रास्ते से बांयी ग्रोर चम्बल नदी की सीमा तह. करोली	1-4-90 से 31-3-92 तक	85000/–
6.	श्री बद्रीप्रसाद मीना पुत्र भैरूलाल मीना नि. करौली	बजरी	लोहरा गांव की सीमा भन्डपुर लेवरा गांव की सीमा खाख नदी तह. करौली	18-4-90 से 31-3-92	18000/–

1	2	3	4	5	6
7.	श्री माणकचन्द्र पुत्र श्री मंगलराम मीना नि. बन्डपुरा पो. केलादेवी तह. करौली	बजरी	लोहरा गांव की सम्पूर्ण सीमा से रामनगर की सीमा तक कालीसिल नदी तह. करौली	18-4-90 से 31-3-92	4101/–
8.	श्री नरेन्द्रसिंह स. माधोपुर	बजरी	राजस्व सीमा ग्राम पीपलबारा से रहीकाखुर्द तह. बोली तह. सवाईमाधोपुर	21-4-90 से 31-3-92	2,28,101/–
9.	श्री जगदीश प्रसाद मथुरिया खण्डार	बजरी	राजस्व सीमा ग्राम लेवती से भूरी पहाड़ी तह. खण्डार	1-4-90 से 31-3-92	33,221/–

शुद्धि-पत्र

क्र.सं.	स्कम्भ सं.	पंक्ति सं.	अशुद्ध	शुद्ध
1.	36	25	अघ्क्षय	अध्यक्ष
2.	48	25	(1)	(2)
3.	99	10	(दातारामगढ़)	(दातांरामगढ़)
4.	252	फोलियो	152	252
5.	512	12	वदेवपुरा	देवपुरा
6.	122	फोलियो	विशेष उलेलख	विशेष उल्लेख